| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **विषयवस्तु** | | | | |
| **भाग - क : न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं (पिलर 1)** | | | | |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | परिचय | | | |
| 2 | कार्यान्वयन के प्रति दृष्टिकोण और प्रभावी तारीख | | | |
| 3 | पूंजी पर्याप्तता संरचना लागू करने का दायरा | | | |
| 4 | विनियामक पूंजी की संरचना | | | |
| | 4.1 | सामान्य | | |
| | 4.2 | विनियामक पूंजी के तत्व और मानदंड | | |
| | 4.3 | अल्पमत हित को मान्यता | | |
| | 4.4 | विनियामक समायोजन/ कटौतियां | | |
| | 4.5 | संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं | | |
| 5 | ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार | | | |
| | 5.1 | सामान्य | | |
| | 5.2 | देशी सम्प्रभु (सोवरेन) संबंधी दावे | | |
| | 5.3 | विदेशी सम्प्रभु संबंधी दावे | | |
| | 5.4 | सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं (पीएसई) संबंधी दावे | | |
| | 5.5 | बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी), अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) संबंधी दावे | | |
| | 5.6 | बैंकों पर दावे | | |
| | 5.7 | प्राथमिक व्यापारियों संबंधी दावे | | |
| | 5.8 | कॉर्पोरेट, एएफसी तथा एनबीएफसी-आईएफसी पर दावे | | |
| | 5.9 | विनियामक खुदरा संविभागों में शामिल किए गए दावे | | |
| | 5.10 | आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावे | | |
| | 5.11 | वाणिज्यिक स्थावर संपदा के रूप में वर्गीकृत दावे | | |
| | 5.12 | अनर्जक परिसंपत्तियां | | |
| | 5.13 | विनिर्दिष्ट श्रेणियां | | |
| | 5.14 | अन्य आस्तियां | | |
| | 5.15 | तुलन-पत्रेतर मदें | | |
| | | 5.15.1 | सामान्य | |
| | | 5.15.2 | गैर-बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदें | |
| | | 5.15.3 | कुल प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम का ट्रीटमेंट | |
| | | 5.15.4 | असफल लेनदेन | |
| | 5.16 | प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर | | |
| | | 5.16.1 | सामान्य | |
| | | 5.16.2 | प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर का ट्रीटमेंट | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.16.3 | अव्यक्त समर्थन | |
| | | 5.16.4 | बाह्य रेटिंग लागू करना | |
| | | 5.16.5 | जोखिम भारित प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर | |
| | | 5.16.6 | तुलनपत्रेतर प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर | |
| | | 5.16.7 | ऋण जोखिम कम करने के तत्व की पहचान | |
| | | 5.16.8 | चलनिधि सुविधाएं | |
| | | 5.16.9 | पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र/ कृत्रिम प्रतिभूतिकरण / परिक्रामी संरचना के साथ प्रतिभूतिकरण (समय-पूर्व परिशोधन के तत्वों सहित अथवा उनके बिना) | |
| | 5.17 | बैंकिंग बही में क्रेडिट डिफ़ाल्ट स्वैप (सीडीएस) स्थिति के लिए पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाएँ | | |
| | | 5.17.1 | बाह्य/तृतीय पक्षकार सीडीएस हेजेस को मान्यता प्रदान करना | |
| | | 5.17.2 | आंतरिक हेजेस | |
| 6 | बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन | | | |
| | 6.1 | पात्र पूंजी रेटिंग एजेंसियां | | |
| | 6.2 | बाह्य रेटिंग लागू करने की व्याप्ति | | |
| | 6.3 | मैपिंग प्रक्रिया | | |
| | 6.4 | दीर्घ कालिक रेटिंग | | |
| | 6.5 | अल्प कालिक रेटिंग | | |
| | 6.6 | मांगी न गई रेटिंग का प्रयोग | | |
| | 6.7 | बहुविध रेटिंग मूल्यांकनों का इस्तेमाल | | |
| | 6.8 | निर्गमकर्ता/अन्य दावों पर निर्गम रेटिंग लागू होना | | |
| 7 | ऋण जोखिम कम करना | | | |
| | 7.1 | सामान्य सिद्धान्त | | |
| | 7.2 | कानूनी निश्चितता | | |
| | 7.3 | ऋण जोखिम कम करने की तकनीकें - संपार्श्वकीकृत लेनदेन | | |
| | | 7.3.2 | समग्र ढांचा और न्यूनतम शर्तें | |
| | | 7.3.4 | समग्र दृष्टिकोण | |
| | | 7.3.5 | पात्र वित्तीय संपार्श्विक | |
| | | 7.3.6 | पूंजी अपेक्षा की गणना | |
| | | 7.3.7 | हेयरकट | |
| | | 7.3.8 | रिपो/रिवर्स रिपो प्रकार के लेनदेनों के लिए पूंजी पर्याप्तता ढांचा | |
| | 7.4 | ऋण जोखिम कम करने की तकनीकें - तुलन पत्र के अंतर्गत नेटिंग | | |
| | 7.5 | ऋण जोखिम को कम करने की तकनीकें - गारंटियां | | |
| | | 7.5.4 | गारंटियों के लिए परिचालन अपेक्षाएं | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 7.5.5 | गारंटियों के लिए अतिरिक्त परिचालन अपेक्षाएं | |
| | | 7.5.6 | पात्र गारंटीदाताओं (काउंटर-गारंटीदाता) का वर्ग | |
| | | 7.5.7 | जोखिम भार | |
| | | 7.5.8 | आनुपातिक कवर | |
| | | 7.5.9 | मुद्रा विसंगतियां | |
| | | 7.5.10 | सम्प्रभु गारंटियां तथा काउंटर गारंटियां | |
| | | 7.5.11 | ईसीजीसी द्वारा गारंटीकृत एक्सपोज़र | |
| | 7.6 | परिपक्वता विसंगति | | |
| | 7.7 | सीआरएम तकनीकों के समूह के संबंध में व्यवहार | | |
| 8 | बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार | | | |
| | 8.1 | परिचय | | |
| | 8.2 | बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार का दायरा और व्याप्ति | | |
| | 8.3 | ब्याज दर जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का मापन | | |
| | 8.4 | इक्विटी जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का मापन | | |
| | 8.5 | विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का मापन | | |
| | 8.6 | व्यापार बही में सीडीएस के लिए पूंजी प्रभार का मापन | | |
| | | 8.6.1 | सामान्य बाजार जोखिम | |
| | | 8.6.2 | संदर्भ हस्ती में एक्सपोजर के लिए विशिष्ट जोखिम | |
| | | 8.6.3 | काउंटरपार्टी ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार | |
| | | 8.6.4 | सीडीएस में भुगतान की महत्वपूर्ण सीमा के नीचे एक्सपोज़र पर कार्रवाई | |
| | 8.7 | बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी भार का योग | | |
| | 8.8 | चलनिधि पोज़ीशन का ट्रीटमेंट | | |
| 9 | परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी प्रभार | | | |
| | 9.1 | परिचालनगत जोखिम की परिभाषा | | |
| | 9.2 | मापन की विधियां | | |
| | 9.3 | मूलभूत संकेतक विधि | | |
| **भाग ख -: पर्यवेक्षी समीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया (पिलर 2)** | | | | |
| 10 | पर्यवेक्षी समीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) का परिचय | | | |
| 11 | उन्नत जोखिम प्रबंध की आवश्यकता | | | |
| 12 | भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) तथा बैंकों की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) के लिए दिशानिर्देश | | | |
| | 12.1 | पृष्ठभूमि | | |
| | 12.2 | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एसआरईपी का संचालन | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 12.3 | आइसीएएपी का संरचनात्मक पहलू | |
| | 12.4 | आइसीएएपी परिणामों की समीक्षा | |
| | 12.5 | आइसीएएपी प्रबंधन और निर्णय लेने की संस्कृति का अभिन्न अंग होगा | |
| | 12.6 | समानुपातिकता का सिद्धांत | |
| | 12.7 | नियमित स्वतंत्र समीक्षा और वैधीकरण | |
| | 12.8 | आइसीएएपी एक भविष्यमुखी प्रक्रिया होगी | |
| | 12.9 | आइसीएएपी एक जोखिम धारित प्रक्रिया होगी | |
| | 12.10 | आइसीएएपी के अंतर्गत दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण शामिल होगा | |
| | 12.11 | आइसीएएपी के लिए पूंजी मॉडलों का प्रयोग | |
| 13 | आईसीएएपी के चयनित परिचालनात्मक पहलू | | |
| | **भाग ग– : बाजार अनुशासन (पिलर 3)** | | |
| 14 | बाजार अनुशासन पर दिशानिर्देश | | |
| | 14.1 | सामान्य | |
| | 14.2 | उचित प्रकटीकरण प्राप्त करना | |
| | 14.3 | लेखांकन प्रकटीकरण के साथ पारस्परिक क्रिया | |
| | 14.4 | वैधीकरण | |
| | 14.5 | महत्ता | |
| | 14.6 | स्वामित्व संबंधी (प्रोप्राइटरी) तथा गोपनीयता संबंधी सूचना | |
| | 14.7 | सामान्य प्रकटीकरण सिद्धान्त | |
| | 14.8 | कार्यान्वयन की तारीख | |
| | 14.9 | प्रकटीकरण की गुंजाइश और बारंबारता | |
| | 14.10 | विनियामक प्रकटीकरण खंड | |
| | 14.11 | बासल III संरचना के अंतर्गत पिलर 3 | |
| | 14.12 | 31 मार्च 2017 के बाद प्रकटीकरण टेम्पलेट | |
| | 14.13 | संक्रमणकाल के दौरान टेम्प्लेट | |
| | 14.14 | मिलान संबंधी अपेक्षाएं | |
| | 14.15 | प्रकटीकरण टेम्पलेट | |
| | सारणी डीएफ -1 | कार्यान्वयन की गुंजाइश तथा पूंजी पर्याप्तता | |
| | सारणी डीएफ -2 | पूंजी पर्याप्तता | |
| | सारणी डीएफ - 3 | ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण | |
| | सारणी डीएफ - 4 | ऋण जोखिम: मानकीकृत विधि की शर्त पर पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण | |
| | सारणी डीएफ - 5 | ऋण जोखिम कम करना मानकीकृत :विधि के लिए प्रकटीकरण | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | सारणी डीएफ - 6 | प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत विधि के लिए प्रकटीकरण | |
| | सारणी डीएफ - 7 | व्यापार बही में बाजार जोखिम | |
| | सारणी डीएफ - 8 | परिचालनगत जोखिम | |
| | सारणी डीएफ - 9 | बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) | |
| | सारणी डीएफ -10 | प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम के संबंध में एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण | |
| | सारणी डीएफ -11 | पूंजी की संरचना | |
| | सारणी डीएफ -12 | पूंजी की संरचना - मिलान अपेक्षाएं | |
| | सारणी डीएफ - 13 | विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं | |
| | सारणी डीएफ - 14 | विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण निबंधन और शर्तें | |
| | सारणी डीएफ - 15 | पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण अपेक्षाएं | |
| | सारणी डीएफ - 16 | इक्विटी - बैंकिंग बही पोज़ीशन के लिए प्रकटीकरण | |
| | सारणी डीएफ - 17 | लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन की तुलना का सारांश | |
| | सारणी डीएफ - 18 | लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट | |
| **भाग -घ : पूंजी संरक्षण बफर संरचना** | | | |
| 15 | पूंजी संरक्षण बफर | | |
| | 15.1 | उद्देश्य | |
| | 15.2 | संरचना | |
| **भाग –ङ : लीवरेज अनुपात संरचना** | | | |
| 16 | लीवरेज अनुपात | | |
| | 16.1 | औचित्य और उद्देश्य | |
| | 16.2 | लीवरेज अनुपात की परिभाषा, न्यूनतम अपेक्षाएं तथा लागू करने का दायरा | |
| | 16.3 | पूंजी आकलन | |
| | 16.4 | एक्सपोजर आकलन | |
| | | 16.4.1 सामान्य आकलन सिद्धान्त | |
| | | 16.4.2 तुलनपत्र में एक्सपोजर | |
| | | 16.4.3 डेरिवेटिव एक्सपोजर | |
| | | 16.4.4 प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर | |
| | | 16.4.5 तुलनपत्रेतर मदें | |
| | 16.5 | संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं | |
| | 16.6 | प्रकटीकरण अपेक्षाएं | |
| | 16.7 | प्रकटीकरण टेम्प्लेट | |
| **भाग च: प्रतिचक्रीय पूंजी बफर संरचना** | | | |
| 17 | प्रतिचक्रीय पूंजी बफर | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 17.1 | उद्देश्य | |
| | 17.2 | संरचना | |
| **अनुबंध** | | | |
| अनुबंध 1 | | विनियामक प्रयोजनों से सामान्य शेयरों के रूप (चुकता इक्विटी पूंजी) में वर्गीकरण के लिए मानदंड – भारतीय बैंक | |
| अनुबंध 2 | | विनियामक प्रयोजनों से सामान्य शेयरों के रूप में वर्गीकरण के लिए मानदंड –विदेशी बैंक | |
| अनुबंध 3 | | अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में स्थायी असंचयी अधिमानी शेयरों (पीएनसीपीएस) को शामिल करने के मानदंड | |
| अनुबंध 4 | | अतिरिक्त टियर शामिल (पीडीआई) पूंजी में बेमीयादी ऋण लिखत 1 करने हेतु मानदंड | |
| अनुबंध 5 | | ऋण पूंजी लिखतों को टियर पूंजी के रूप में शामिल करने हेतु 2 मानदंड | |
| अनुबंध 6 | | स्थायी संचयी अधिमानी शेयर मोचनीय असंचयी /(पीसीपीएस) मोचनीय संचयी अधिमानी शेयर /(आरएनसीपीएस) अधिमानी शेयर पूंजी के भाग के रूप में शामिल करने हेतु 2 को टियर (आरसीपीएस) मानदंड | |
| अनुबंध 7 | | ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश | |
| अनुबंध 8 | | ऋण जोखिम कम करने संबंधी उदाहरण | |
| अनुबंध 9 | | ब्याज दर व्युत्पन्नी के संबंध में बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का मापन और विकल्प | |
| अनुबंध 10 | | पिलर 2 के अंतर्गत बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के मापन (आईआरआरबीबी) के लिए एक उदाहरणात्मक दृष्टिकोण | |
| अनुबंध 11 | | बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं | |
| अनुबंध 12 | | संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं का उदाहरण - ऐसे पूंजी लिखत जो अब असामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अथवा टियर 2 पूंजी के रूप में पात्र नहीं रह गए हैं | |
| अनुबंध 13 | | सीवीए जोखिम पूंजी प्रभार की गणना | |
| अनुबंध 14 | | लीवरेज अनुपात के प्रयोजन से एसएफटी एक्सपोजर की गणना | |
| अनुबंध 15 | | आईसीएएपी प्रलेख की उदाहरणात्मक रूपरेखा | |
| अनुबंध 16 | | सभी गैर-इक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों की अव्यवहार्यता बिंदु पर पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर पर अतिरिक्त टियर 1 लिखतों का हानि अवशोषण सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं | |

| | | |
|---|---|---|
| अनुबंध 17 | अल्पमत हित की गणना - दृष्टान्त स्वरूप उदाहरण | |
| अनुबंध 18 | पिलर प्रकटीकरण अपेक्षाएं 3 | |
| अनुबंध 19 | गैर इक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं | |
| अनुबंध 20 | केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के प्रति बैंक के एक्सपोजर हेतु पूंजी अपेक्षाएं - मौजूदा दिशानिर्देशों में परिवर्धन/विलोपन/संशोधन | |
| अनुबंध 21 | शब्दावली | |
| अनुबंध 22 | समेकित परिपत्रों की सूची | |

## <u>बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र</u>

### भाग क – न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं पर दिशानिर्देश

### 1. परिचय

**1.1** बासल III सुधार किसी भी स्रोत से उत्पन्न होने वाले वित्तीय और आर्थिक आघात को आत्मसात करने की बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार लाने तथा वित्तीय क्षेत्र के संकट को वास्तविक अर्थव्यवस्था में फैलने के जोखिम को कम करने के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) द्वारा किया गया प्रयास है। सितंबर 2009 में पिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान जी - 20 नेताओं ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की विनियामक प्रणाली को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की तथा पूंजी मानकों मे वृद्धि करने, अत्यधिक जोखिम लेने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने वाली प्रथाओं को खत्म करने के उद्देश्य से सुदृढ़ अन्तरराष्ट्रीय मानक लागू करने, ओवर द काउंटर व्युत्पन्नी बाजार को सुधारने तथा बड़ी वैश्विक फर्मों को उनके द्वारा लिये जाने वाले जोखिमों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए अधिक शक्तिशाली साधन तैयार करने के लिए मिलकर कार्य करने का निश्चय किया। इन सभी सुधारों के लिए इन नेताओं ने अपने लिए सख्त और स्पष्ट समय-सारणियां निर्धारित कीं। इसके परिणामस्वरूप, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) ने दिसंबर 2010 में *"बासल III: अधिक सशक्त बैंक और बैंकिंग प्रणाली के लिए एक वैश्विक विनियामक ढांचा"* (जिसे बासल III पूंजी विनियमावली के रूप में जाना जाता है) नामक एक विस्तृत सुधार पैकेज जारी किया।

**1.2** बासल III सुधार बैंक स्तर पर अर्थात् व्यष्टि (माइक्रो) विवेकपूर्ण विनियमन को मजबूती प्रदान करते हैं जिनका उद्देश्य आर्थिक दबाव की अवधियों में अलग-अलग बैंकिंग संस्थाओं की सुदृढ़ता में वृद्धि करना है. । इसके अलावा, इन सुधारों में समष्टि (मैक्रो) विवेकपूर्ण विनियमन पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा बैंकिंग क्षेत्र में निर्माण होने वाले व्यापक प्रणालीगत जोखिमों और समय बीतने के साथ–साथ इन जोखिमों में आर्थिक चक्र के अनुसार होने वालि वृद्धि पर विचार किया गया है। ये नए वैश्विक विनियामक और पर्यवेक्षी मानदंड मुख्यत: पूंजी की गुणवत्ता और स्तर को बढ़ाने पर बल देते हैं, ताकि बैंक कार्यशील(गोइंग) संस्था और अकार्यशील (गोन) संस्था, दोनों रूपों में में बेहतर तरीके से हानियों को आत्मसात् कर सके। इन मानदंडों में पूंजी संरचना का जोखिम कवरेज बढ़ाना, जोखिम आधारित पूंजी उपायों के समर्थन (बैकस्टॉप) के रूप में कार्य करने हेतु लीवरेज अनुपात शुरू करना, पर्यवक्षी समीक्षा प्रक्रिया (पिलर 2) तथा सार्वजनिक प्रकटीकरण (पिलर 3) के लिए मानकों में वृद्धि करना आदि शामिल हैं। बासल III के समष्टि विवेकपूर्ण पहलू मुख्य रूप से पूंजी बफर में स्थापित किए गए हैं। दोनों बफर, अर्थात् पूंजी संरक्षण बफर और प्रतिचक्रीय बफर का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को अत्यधिक ऋण संवृद्धि के दौर से बचाना है।

**1.3** भारतीय रिज़र्व बैंक ने 02 मई 2012 को भारत में परिचालन करने वाले बैंकों पर लागू सीमा तक पूंजी विनियमन में बासल III सुधारों के आधार पर दिशानिर्देश जारी किए। भारत में 01 अप्रैल 2013 से बासल III पूंजी विनियमन चरणबद्ध रूप से लगू किए गए हैं तथा 31 मार्च 2019 को इन्हें पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा।

**1.4** इसके अलावा, समीक्षा करने के बाद बासल I की तुलना में बासल II के कार्यान्वयन के लिए समांतर प्रयोग और विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा को को समाप्त किया गया[1]।

**2. कार्यान्वयन की विधि और प्रभावी तारीख**

**2.1** बासल III पूंजी विनियमन बासल II पूंजी पर्याप्तता संरचना की तरह ही एक दूसरे को सुदृढ़ करने वाले तीन पिलर, अर्थात् न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं, पूंजी पर्याप्तता की पर्यवेक्षी समीक्षा तथा बाजार अनुशासन पर आधारित है[2]। पिलर 1 के अधीन बासल III संरचना में ऋण जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षा की गणना के लिए तीन सुस्पष्ट विकल्पों तथा परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं हेतु तीन अन्य विकल्पों का प्रस्ताव जारी रहेगा, हालांकि कुछ संशोधनों/वृद्धियों के साथ। ऋण और परिचालनगत जोखिमों के लिए ये विकल्प बढ़ती हुई जोखिम संवेदनशीलता पर आधारित हैं और इनमें बैंकों को ऐसी विधि का चुनाव करने की अनुमति दी गयी है, जो बैंक के परिचालनों के विकास की स्थिति के सर्वाधिक अनुरूप हो। ऋण जोखिम हेतु पूंजी की गणना करने के लिए उपलब्ध विकल्प हैं, मानकीकृत विधि, बुनियादी आंतरिक रेटिंग आधारित विधि तथा उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित विधि। परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी की गणना करने के लिए उपलब्ध विकल्प हैं, मूलभूत (बेसिक) संकेतक विधि (बीआईए), मानकीकृत विधि(टीएसए) तथा उन्नत माप विधि (एएमए)।

**2.2** अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ अनुरूपता और तालमेल बनाए रखने के भारतीय रिज़र्व बैंक के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2007 में यह निर्णय लिया गया कि भारत में सभी वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल न करते हुए) को मार्च 2009 तक ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत विधि, परिचालनगत जोखिम के लिए मूलभूत संकेतक विधि को अपनाना चाहिए तथा बाजार जोखिमों के लिए पूंजी अपेक्षाओं की गणना के लिए बैंकों को मानकीकृत कालावधि विधि (एसडीए) का प्रयोग करना जारी रखना चाहिए।

---

[1] कृपया पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश- नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - समांतर रन और विवेकपूर्ण आधार पर 27 मई 2013 का परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 95/21.06.001/2012-13 देखें।

[2] संदर्भ के लिए कृपया पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश- नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) पर 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.4/21.06.001/ 2015-16 के द्वारा जारी मास्टर परिपत्र देखें।

**2.3** बैंकों द्वारा उन्नत विधियों को अपनाने से जोखिम प्रबंधन संरचना में आवश्यक उन्नयन तथा संभावित पूंजी कुशलता को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2009 में विनियामक पूंजी माप के लिए उन्नत विधियों को लागू करने हेतु निम्नलिखित समय-सारणी निर्धारित की गई :

| **क्र. सं.** | **विधि** | **बैंकों द्वारा भारिबैंक को आवेदन करने की आरंभिक तारीख** | **भारिबैंक द्वारा अनुमोदन की संभावित तारीख** |
|---|---|---|---|
| क. | बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल विधि (आईएमए) | अप्रैल 1, 2010 | मार्च 31, 2011 |
| ख. | परिचालनात्मक जोखिम के लिए मानकीकृत विधि (टीएसए) | अप्रैल 1, 2010 | सितंबर 30, 2010 |
| ग. | परिचालनात्मक जोखिम के लिए उन्नत माप विधि (एएमए) | अप्रैल 1, 2012 | मार्च 31, 2014 |
| घ. | ऋण जोखिम के लिए आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) विधियां (आधारभूत तथा उन्नत आईआरबी) | अप्रैल 1, 2012 | मार्च 31, 2014 |

**2.4** तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे उन्नत विधियों में अंतरण के लिए अपनी तैयारी का आंतरिक मूल्यांकन करें तथा अपने बोर्ड के अनुमोदन से निर्णय लें कि क्या वे किसी उन्नत विधि में अंतरण करना पसंद करेंगे। बैंक के आंतरिक मूल्यांकन और उसकी तैयारी के आधार पर कोई बैंक उन्नत विधि के कार्यान्वयन हेतु आवेदन के लिए एक उचित तारीख चुन सकता है। इसके अलावा, बैंकों के पास अपनी तैयारी के अनुसार अपने विवेक पर एक या अधिक जोखिम श्रेणियों के लिए उन्नत विधियों को अपनाने का विकल्प होगा, जबकि अन्य जोखिम श्रेणियों के लिए आसान पद्धतियां जारी रखी जाएंगी। एक साथ सभी जोखिम श्रेणियों के लिए उन्नत विधियां अपनाना आवश्यक नहीं होगा। तथापि, बैंकों को किसी भी उन्नत विधि को अपनाने के लिए अनिवार्यत: भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

**2.5** **प्रभावी तारीख:** भारत में बासल III पूंजी विनियमावली को 01 अप्रैल 2013 से लागू किया जा रहा है। बैंकों को निरंतर आधार पर विनियामक और न्यनतम सीमाओं का पालन करना होगा, जैसा कि बासल III पूंजी विनियमावली के अधीन निर्धारित किया गया है। बासल III में सहज संक्रमण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यूनतम बासल III पूंजी अनुपात बनाए रखने, पूंजी के घटकों में पूर्ण विनियामक समायोजन आदि के लिए उचित संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके परिणाम-स्वरूप बासल III पूंजी विनियमावली को 31 मार्च 2019 को पूर्णत: लागू कर दिया जाएगा। चूँकि बासल III के अंतर्गत टियर 1 पूंजी के सामान्य इक्विटी घटक में विनियामक पूंजी समायोजनों को क्रमिक रूप से लागू किया जाएगा, अत: बासल II पूंजी पर्याप्तता संरचना के कतिपय विनिर्दिष्ट निर्धारण (अर्थात् विनियामक पूंजी से कटौती, अन्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश को जोखिम भार देना आदि के संबंध में नियम) भी शेष विनियामक समायोजनों पर 31 मार्च 2017 तक लागू रहेंगे, जिन पर बासल III नियम लागू नहीं किया गया है (पैराग्राफ 4.5.2 देखें)।

**3. पूंजी पर्याप्तता संरचना के कार्यान्वयन का दायरा :**

**3.1** कोई बैंक दो स्तरों पर पूंजी पर्याप्तता अनुपात का पालन करेगा:

(क) समेकित ("समूह") स्तर[3] पर पूंजी पर्याप्तता अनुपात अपेक्षा, जो बीमा और किसी गैर-वित्तीय क्रियाकलाप में लिप्त कंपनियों को छोड़कर किसी बैंक की सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों/ सहयोगियों आदि की आस्तियों और देयताओं के समेकन के बाद पूंजी क्षमता और जोखिम प्रोफाइल के आधार पर बैंक की बैंक की पूंजी पर्याप्तता की माप करता है; तथा

(ख) एकल ('सोलो') स्तर पर पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा, जो बैंक की एक अकेले की पूंजी क्षमता और जोखिम प्रोफाइल के आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता का मापन करता है।

तदनुसार, बैंक की शाखाओं के माध्यम से बैंक के विदेशी परिचालन उक्त दोनों स्थितियों/परिदृश्यों में शामिल किए जाएंगे।

**3.2** इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन से सहायक कंपनी एक उद्यम है, जिसे अन्य उद्यम (जिसे मूल/प्रवर्तक उद्यम के रूप में जाना जाता है) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बैंक लागू लेखांकन मानकों में दिए गए अनुसार 'नियंत्रण' की परिभाषा मानेंगे।

**3.3 समूह/समेकित स्तर पर पूंजी पर्याप्तता**

3.3.1 बीमा और अन्य वित्तेतर क्रियाकलापों में लिप्त सहायक कंपनियों को छोड़कर सभी बैंकिंग और अन्य वित्तीय सहायक कंपनियों को पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से पूर्णतः समेकित किया जाना चाहिए। इससे समेकित अनुषंगियों की आस्तियों और देयताओं की जोखिम प्रोफाइल को हिसाब में लेते हुए समूह स्तर पर पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा।

3.3.2 पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से बैंक की बीमा और वित्तेतर अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम/ सहयोगियों आदि को समेकित नहीं किया जाना चाहिए। बीमा और वित्तेतर अनुषंगियों में ईक्विटी और अन्य विनियामक पूंजी निवेशों को समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटा दिया जाएगा। बैंकों के असमेकित बीमा और वित्तेतर कंपनियों (जिसमें मूल बैंक के संयुक्त उद्यम/सहयोगी शामिल हैं) में ईक्विटी और अन्य विनियामक पूंजी निवेशों पर क्रमशः पैरा 4.4.9 और 5.13.6 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

---

[3] समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में दिशानिर्देशों पर दिनांक 25 फरवरी 2003 को जारी परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 72/21.04.018/2001-02 के अनुसार एक समेकित बैंक ऐसी समूह कंपनियों को शामिल नहीं कर सकता है जो बीमा व्यवसाय में लगी हैं न कि वित्तीय सेवाओं से संबंधित व्यवसाय से। एक समेकित बैंक को जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) में उतनी न्यूनतम पूंजी रखनी चाहिए, जितनी किसी बैंक पर निरंतर आधार पर लागू है। कृपया 12 दिसंबर 2006 का परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएसडी.बीसी.46/24.01.028/2006-07 भी देखें।

3.3.3 बैंकिंग समूह के समेकित सामान्य ईक्विटी टियर I पूंजी में पैराग्राफ 4.4 में उल्लिखित सभी विनियामक समायोजन किया जाना आवश्यक है, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है।

3.3.4 अल्पमत हित (अर्थात् गैर-नियंत्रक हित) तथा पैराग्राफ 3.3.1 के अनुसार समेकित अनुषंगियों में से जारी की गई अन्य पूंजी, जो अन्य पक्षकारों द्वारा धारित है, को पैरा 4.3 में दी गई कुछ शर्तों के अधीन समूह की समेकित विनियामक पूंजी के रूप में मान्यता होगी।

3.3.5 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूंजी के प्रयोजन से समेकित न की गई बहुमत स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाएं, जिनके सम्बन्ध में विनियामक पूंजी स्थिति के लिए पात्र इक्विटी और अन्य लिखतों में निवेश को घटाया जाता है, अपनी संबंधित विनियामक पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करती हैं। असमेकित संस्था की विनियामक पूंजी अपेक्षाओं में कोई कमी होने पर उक्त कमी को सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी में से पूर्णतः घटाया जाएगा।

### 3.4 एकल स्तर पर पूंजी पर्याप्तता

3.4.1 किसी बैंक के एकल स्तर पर पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करते समय पैरा 4.4 में दर्शाए गए सभी विनियामक समायोजन करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, अनुषंगियों के पूंजी लिखतों में निवेश, जिन्हें समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में समेकित किया गया है, को भी बैंक द्वारा जारी समरूप पूंजी लिखतों में से घटाना होगा।

3.4.2 यदि असमेकित संस्था (जैसे बीमा अनुषंगी) की विनियामक पूंजी अपेक्षाओं में कोई कमी हो, तो इस कमी को सामान्य ईक्विटी टियर I पूंजी में से पूर्णतः घटाया जाना चाहिए।

## 4. विनियामक पूंजी की बनावट

### 4.1 सामान्य

बैंकों से अपेक्षित है कि वे निरंतर आधार पर 9 प्रतिशत का न्यूनतम पिलर 1 जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात रखें (पूंजी संरक्षण बफर और प्रतिचक्रीय पूंजी बफर आदि से इतर)। भारतीय रिज़र्व बैंक प्रत्येक बैंक से संबंधित जोखिम घटकों और आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन का ध्यान रखेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक द्वारा धारित पूंजी बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, संकेंद्रण जोखिम और अवशिष्ट जोखिम सहित विभिन्न जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन/मापन, निगरानी और प्रबंधन में बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की प्रभावकारिता शामिल है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक प्रत्येक बैंक के लिए उनके संबंधित जोखिम प्रोफाइल तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के आधार पर पिलर 2 संरचना के अधीन न्यूनतम पूंजी अनुपात का उच्चतर स्तर निर्धारित करने पर विचार करेगा। साथ ही, पिलर 2 अपेक्षाओं के अनुसार

बैंकों से अपेक्षित है कि वे न्यूनतम अपेक्षा से काफी ऊपर के स्तर पर परिचालन करें। बैंक को बासल III पूंजी अनुपातों की गणना निम्नलिखित तरीके से करनी चाहिएः

कॉमन ईक्विटी टियर I पूंजी अनुपात = कॉमन ईक्विटी टियर I पूंजी / (ऋण जोखिम आरडब्ल्यूए* + बाजार जोखिम आरडब्ल्यूए + परिचालन जोखिम आरडब्ल्यूए)

टियर I पूंजी अनुपात = टियर I पूंजी पात्रता / (ऋण जोखिम आरडब्ल्यूए* + बाजार जोखिम आरडब्ल्यूए + परिचालन जोखिम आरडब्ल्यूए)

कुल पूंजी (सीआरएआर#) = कुल पूंजी पात्रता / (ऋण जोखिम आरडब्ल्यूए* + बाजार जोखिम आरडब्ल्यूए + परिचालन जोखिम आरडब्ल्यूए)

* आरडब्ल्यूए = जोखिम भारित आस्तियां;
# जोखिम भारित आस्ति पूंजी अनुपात

## 4.2 विनियामक पूंजी के तत्व तथा उन्हें विनियामक पूंजी की परिभाषा में शामिल करने हेतु मानदंड

### 4.2.1 पूंजी के घटक

कुल विनियामक पूंजी निम्नलिखित श्रेणियों के योग से बनेगी:

(i) टियर I पूंजी (कार्यशील संस्था पूंजी[4] )

[4] विनियामक पूंजी के दृष्टिकोण से कार्यशील संस्था पूंजी ऐसी पूंजी है, जो बैंक के दिवालियापन की शुरुआत किए बिना हानियों को आत्मसात कर सके। अकार्यशील संस्था (गॉन-कन्सर्न) पूंजी ऐसी पूंजी है, जो केवल बैंक के दिवालियापन की स्थिति में बैंक की हानियों को निरंतर आधार पर आत्मसात करती है।

(क) सामान्य ईक्विटी टियर ।

(ख) अतिरिक्त टियर ।

(ii) टियर 2 पूंजी (गॉन कन्सर्न पूंजी)

4.2.2 **सीमाएं और न्यूनतम**

(i) विवेकपूर्ण उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि भारत में परिचालन करने वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) कुल जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) की तुलना में 9% न्यूनतम कुल पूंजी, अर्थात् जोखिम भारत आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) रखेंगे। इसे आगे विभिन्न घटकों में विभाजित किया जाएगा जैसा कि परिच्छेद 4.2.2 (ii) से 4.2.2 (viii) में वर्णित है।

(ii) सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटीI) पूंजी को अविरत आधार पर जोखिम भारित आस्तियों(आरडब्ल्यूए), अर्थात् ऋण जोखिम + बाजार जोखिम + परिचालनगत जोखिम का कम से कम 5.5% होना चाहिए।

(iii) टियर 1 पूंजी को अविरत आधार पर आरडब्ल्यूए का कम से कम 7% होना चाहिए। इस प्रकार, न्यूनतम टियर । पूंजी के भीतर आरडब्ल्यूए के अधिकतम 1.5% तक अतिरिक्त टियर । पूंजी को शामिल किया जा सकता है।

(iv) कुल पूंजी (टियर । पूंजी + टियर 2 पूंजी) अविरत आधार पर आरडब्ल्यूए का कम से कम 9% होना चाहिए। इस प्रकार 9% न्यूनतम सीआरएआर के भीतर अधिकतम 2% टियर 2 पूंजी को शामिल किया जा सकता है।

(v) यदि किसी बैंक ने न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर 1 और टियर 1 पूंजी अनुपातों का अनुपालन कर लिया है तब आरडब्ल्यूए के 9% न्यूनतम सीआरएआर के अनुपालन के लिए अधिक अतिरिक्त टियर । पूंजी को शामिल किया जा सकता है।

(vi) आरडब्ल्यूए के 5.5% न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी के अतिरिक्त बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे सामान्य ईक्विटी टियर 1 के रूप में आरडब्ल्यूए के 2.5% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) भी रखें। सीसीबी के परिचालनगत पहलुओं का ब्योरा **पैराग्राफ 15** में दिया गया है। इस प्रकार, पूंजी अनुपात[5] और सीसीबी के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद पूंजी अपेक्षाओं का सारांश निम्नानुसार है:

---

[5] इन पूंजी अनुपातों के सुचारू परिवर्तन के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसा कि पैराग्राफ 4.5 में वर्णित है।

| विनियामक पूंजी | | आरडब्ल्यूए के% के रूप में |
|---|---|---|
| (i) | न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर 1 अनुपात | 5.5 |
| (ii) | पूंजी संरक्षण बफर ( समाविष्ट सामान्य ईक्विटी) | 2.5 |
| (iii) | न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर 1 अनुपात + पूंजी संरक्षण बफर [(i)+(ii)] | 8.0 |
| (iv) | अतिरिक्त टियर 1 पूंजी | 1.5 |
| (v) | न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर 1 अनुपात [(i) +(iv)] | 7.0 |
| (vi) | टियर 2 पूंजी | 2.0 |
| (vii) | न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात (एमटीसी) [(v)+(vi)] | 9.0 |
| (viii) | न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात + पूंजी संरक्षण बफर [(vii)+(ii)] | 11.5 |

(vii) पूंजी निधियों से जुड़ी सभी विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के प्रयोजन से 'पूंजी निधियों'[9] को विनियामक समायोजनों और कटौतियों को घटाकर सभी पात्र सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी, अतिरिक्त टियर 1 पूंजी तथा टियर 2 पूंजी के रूप में परिभाषित किया जाएगा।

4.2.3 **सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी**

4.2.3.1 **सामान्य ईक्विटी - भारतीय बैंक**

*क. सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी के तत्व*

टियर 1 पूंजी के सामान्य ईक्विटी घटक में निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे:

(i) बैंक द्वारा जारी सामान्य शेयर (पेड-अप ईक्विटी पूंजी), जो विनियामक प्रयोजन से सामान्य शेयरों के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसाकि **अनुबंध I** में दिया गया है;

(ii) सामान्य शेयरों के जारी होने के परिणामस्वरूप स्टॉक सरप्लस (शेयर प्रीमियम)

(iii) सांविधिक रिज़र्व

(iv) परिसंपत्तियों की बिक्री आगमों से उत्पन्न सरप्लस को दर्शाने वाले पूंजी रिज़र्व

(v) प्रकट किए हुए अन्य मुक्त रिज़र्व, यदि कोई हों;

(vi) पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ एवं हानि खाते (पी एंड एल अकाउंट) में शेष;

(vii) बैंक तिमाही आधार पर सीआरएआर की गणना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में लाभों को शामिल कर सकते हैं बशर्ते कि पिछले वित्तीय वर्ष की चारों तिमाहियों में

[9] विवेकपूर्ण एक्सपोजरों के प्रयोजन से पूंजी निधियों की परिभाषा केवल एक अंतरिम उपाय है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वृहत एक्सपोजर संरचना के आधार पर इस परिभाषा की प्रयोजनीयता की समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में कृपया 27 मार्च 2015 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'वृहत एक्सपोजर संरचना और बाजार प्रणाली के माध्यम से ऋण आपूर्ति को बढ़ाने पर डिस्कशन पेपर ' देखें।

से किसी की समाप्ति पर अनर्जक आस्तियों के लिए बने वृद्धिशील प्रावधानों में चारों तिमाहियों के औसत से 25% से अधिक का विचलन नहीं हुआ हो। जिस रकम को गणना में शामिल किया जा सकता है उसकी गणना निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करके की जा सकती है।

$EP_t = \{ NP_t - 0.25*D*t\}$

जहां;

$EP_t$ = वर्तमान वित्तीय वर्ष की 't' तिमाही तक मान्य लाभ; t 1 से 4 तक परिवर्तनीय है।

$NP_t$ = t तिमाही तक निवल लाभ

D = पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान किया हुआ औसत वार्षिक लाभांश

(viii) समेकित स्तर पर पूंजी पर्याप्तता की गणना करते समय, बैंकों की समेकित सहयोगी कंपनियों द्वारा जारी किए गए और तृतीय पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर (अर्थात् अल्पमत हितों वाले शेयर) जो सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के मानदंडों को पूरा करते हैं (कृपया पैरा 4.3.2 देखें); और

(ix) घटाएं: सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी की गणना में प्रयुक्त विनियामक समायोजन/कटौतियां [अर्थात् मद (i) से (viii) तक के योग से घटाया जाना है]।

*ख. **विनियामक प्रयोजनों के लिए सामान्य शेयरों के रूप में वर्गीकरण हेतु मानदंड***

सामान्य इक्विटी की पहचान पूंजी के सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले घटक के रूप में की जाती है और यह निधीयन का प्राथमिक रूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक शोधक्षम बना रहे। अतएव बासल III के अंतर्गत सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने वाले सामान्य शेयरों को **अनुबंध I** में दिए गए मानदंडों को अवश्य पूरा करना चाहिए।

4.2.3.2 **सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी - विदेशी बैंकों की शाखाएं**

*क. **सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी के तत्व***

सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी के तत्व यथावत रहेंगे और उसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

(i) प्रधान कार्यालय की ब्याज रहित निधियां, जो विशेष तौर पर पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा करने के प्रयोजन से भारतीय बहियों में एक अलग खाते में रखी गई;

(ii) भारतीय बहियों में रखी हुई सांविधिक निधियां;

(iii) भारतीय बहियों में रखी हुई विप्रेषण योग्य अतिरिक्त राशि जो बैंक के भारत में कार्य करते रहने तक प्रत्यावर्तनीय नहीं है;

(iv) संपत्ति अभिग्रहण के प्रयोजन से विदेश से विप्रेषित तथा भारतीय बहियों में अलग खाते में रखी हुई ब्याज रहित निधियां, बशर्ते वे अप्रत्यावर्तनीय हों और हानियों को बरदाश्त करने में सक्षम हों, चाहे उनके स्रोत कुछ भी हों।

(v) भारत में परिसंपत्तियों की बिक्री से उत्पन्न सरप्लस को दर्शाने वाला पूंजी रिज़र्व, जो एक अलग खाते में रखा गया हो और जो बैंक के भारत में कार्य करते रहने तक प्रत्यावर्तनीय न हो; और

(vi) घटाएं: सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी की गणना में प्रयुक्त विनियामक समायोजन/कटौतियां [अर्थात् मद (1) से (v) के योग में से घटाए जाने के लिए]

*ख. विनियामक प्रयोजनों से सामान्य इक्विटी के रूप में वर्गीकरण के लिए मानदंड*

सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने वाले लिखतों को **अनुबंध 2** में दिए हुए मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

**टिप्पणियां :**

(i) सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी में इस मद को शामिल करने हेतु पात्र होने के लिए विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को इस आशय का वचन दिया जाना अपेक्षित है कि जब तक बैंक भारत में कार्यरत है, तब तक 'पूंजी रिज़र्व' और "भारत में रखा हुआ विप्रेषण योग्य अधिशेष" विदेश में विप्रेषित नहीं करेंगे।

(ii) इन निधियों को 'पूंजी निधियों' के अंतर्गत 'पूंजी का जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत में रखी हुई राशि' शीर्ष वाले एक अलग खाते में रखा जा सकता है।

(iii) रिज़र्व बैंक को लेखा-परीक्षक का इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाए कि ये निधियां मूल्यांकन पूरा हो जाने अथवा कर अपीलों में निर्णय हो जाने के बाद प्रधान कार्यालय में जमा करने योग्य अधिशेष को दर्शाती हैं और इनमें कर के लिए किए गए प्रावधानों या किसी अन्य आकस्मिकता के रूप में रखी निधियां शामिल नहीं हैं।

(iv) प्रधान कार्यालय/विदेश में स्थित शाखाओं के अंतर्कार्यालयीन खातों के नेट क्रेडिट बैलेंस, यदि हो, की गणना पूंजी निधियों के रूप में नहीं की जाएगी। हालांकि प्रधान कार्यालय खाते में किसी भी डेबिट बैलेंस को पूंजी के समकक्ष निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन[10] समायोजित किया जाएगा।

---

[10] कृपया "प्रधान कार्यालय नामे शेष का ट्रीटमेंट- विदेशी बैंक" पर 09 जुलाई 2012 का परिपत्र बैंपविवि.बी.पी.बीसी.28/ 21.06.001/2012-13 देखें।

(क) यदि प्रधान कार्यालय/अन्य विदेशी शाखाओं/अन्य समूह संस्थाओं में किया गया निवल प्लेसमेंट (प्लेसमेंट में से उधारों को घटाकर, टियर I तथा टियर 2 पूंजी उद्देश्यों के लिए प्रधान कार्यालय के उधारों को छोड़कर) बैंक की न्यूनतम सीआरएआर अपेक्षा के 10% से अधिक होता है, तो इस सीमा से अतिरिक्त राशि को टियर I पूंजी से घटा लिया जाएगा।

(ख) उक्त विवेकपूर्ण अधिकतम सीमा के प्रयोजन से, उस तारीख को विदेशी प्लेसमेंट तथा वर्ष के दौरान उस तारीख तक औसतन दैनिक बकाया में से जो अधिक होगा वही निवल विदेशी प्लेसमेंट माना जाएगा।

(ग) ऐसे प्लेसमेंट/निवेश पर समग्र अधिकतम सीमा वर्तमान विनियामक और सांविधिक प्रतिबंधों अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 द्वारा अनुमोदित निवल ओपन पोजिशन सीमा तथा अंतराल सीमाओं के अनुसार होगी। ऐसे सभी लेनदेन फेमा दिशानिर्देशों के भी अनुरूप होने चाहिए।

4.2.4 **अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**

4.2.4.1 **अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के तत्व - भारतीय बैंक**

क. **अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के तत्व**

अतिरिक्त टियर 1 पूंजी निम्नलिखित तत्वों के योग से बनेगी :

(i) सतत गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस), जो **अनुबंध 3** में विनिर्दिष्ट विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं;

(ii) अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में शामिल लिखतों के जारी होने से उत्पन्न स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम);

(iii) अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में शामिल किये जाने हेतु पात्र ऋण पूंजी लिखत, जो **अनुबंध 4** में विनिर्दिष्ट विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं;

(iv) रिज़र्व बैंक द्वारा अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में शामिल किये जाने हेतु समय-समय पर अधिसूचित किया गया किसी अन्य प्रकार का लिखत;

(v) समेकित स्तर पर पूंजी पर्याप्तता की गणना करते समय, बैंकों की समेकित सहयोगी कंपनियों द्वारा जारी किए गए और तृतीय पक्षों द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत जो अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के मानदंडों को पूरा करते हैं (कृपया पैरा 4.3.3 देखें); और

(vi) घटाएं : अतिरिक्त इक्विटी टियर 1 पूंजी की गणना में प्रयुक्त विनियामक समायोजन/कटौतियां [अर्थात् मद (i) से (v) तक के योग से घटाया जाना है]।

*ख. विनियामक प्रयोजनों से अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के रूप में वर्गीकरण के लिए मानदंड*

(i) बासल III के अंतर्गत लिखतों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में शामिल किये जाने के मानदंडों को **अनुबंधों 3, 4 तथा 16** में दर्शाए अनुसार उनकी हानि अवशोषण क्षमता में सुधार लाने के लिए संशोधित किया गया है। सतत गैर- संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) को अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में शामिल करने हेतु मानदंड **अनुबंध 3** में दिए गये हैं। सतत ऋण लिखतों (PDI) को अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में शामिल करने हेतु मानदंड **अनुबंध 4** में दिए गये हैं। **अनुबंध 16** में पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर के उल्लंघन पर अतिरिक्त टियर 1 लिखतों के तथा अव्यवहार्यता-बिंदु पर गैर-सामान्य इक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों के परिवर्तन/राइट डाउन/राइट आफ के द्वारा हानि को सहने मानदंड दिए गए हैं।

### 4.2.4.2 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के तत्व एवं मानदंड - विदेशी बैंकों की शाखाएं

अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के विभिन्न तत्व और उसमें शामिल करने हेतु मानदंड निम्नानुसार हैं:

(i) **अनुबंध 4 और 16** में विनिर्दिष्ट किए अनुसार अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में शामिल करने हेतु विनियामक अपेक्षाओं का पालन करने वाले भारत में परिचालन वाले विदेशी बैंकों के विदेशी मुद्रा में प्रधान कार्यालय उधार;

(ii) रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में शामिल करने हेतु विनिर्दिष्ट रूप से अनुमत की गई कोई अन्य मद; और

(iii) घटाएँ: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की गणना में प्रयुक्त विनियामक समायोजन/ कटौतियां अर्थात् [मद (i) से (ii) के योग से घटाया जाना]

### 4.2.5 टियर 2 पूंजी के तत्व

बासल III के अंतर्गत सभी टियर 2 ऋण पूंजी लिखतों पर केवल सिंगल सेट मानदंड लागू होंगे।

### 4.2.5.1 टियर 2 पूंजी - भारतीय बैंक

**क. टियर 2 पूंजी के तत्व**

*(i) सामान्य प्रावधान तथा हानि रिज़र्व*

क. भविष्य के लिए रखे गए प्रावधान या ऋण-हानि रिज़र्व, मौजूदा गैर-चिह्नित हानियां, जो बाद में होने वाली हानियों की भरपाई करने के लिए आसानी से उपलब्ध हैं, टियर 2 पूंजी के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र होंगी। तदनुसार मानक परिसपंत्तियों पर सामान्य प्रावधान, अस्थायी प्रावधान[11], अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के संबंध में वृद्धिशील प्रावधान[12] कंट्री एक्सपोजरों के लिए रखे गए प्रावधान[13], निवेश रिज़र्व खाता, एनपीए की बिक्री तथा 'प्रति-चक्रीय प्रावधान बफर' से उत्पन्न अतिरिक्त प्रावधान, टियर 2 पूंजी में शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे। तथापि मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत इन मदों को समेकित रूप से कुल क्रेडिट जोखिम-भारित आस्तियों के अधिकतम 1.25% तक टियर 2 पूंजी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) पद्धति के अंतर्गत, जहां कुल प्रत्याशित हानि राशि कुल पात्र प्रावधानों से कम है, उनके अंतर को बैंक जोखिम भारित आस्तियों के 0.6% के अधिकतम तक टियर 2 पूंजी के रूप में मान सकते हैं।

ख. विशिष्ट आस्तियों या ऋण दायित्वों, चाहे वे वैयक्तिक हों या समूहीकृत, में आयी गिरावट से संबंधित प्रावधानों को, शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, उदाहरण के लिए, वैयक्तिक खाता या पोर्टफोलियो दोनों स्तरों पर एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान, पुनर्रचित अग्रिमों के मामले में आस्ति के उचित मूल्य में हुई कमी के एवज में प्रावधान, निवेशों के मूल्यह्रास के एवज में प्रावधान, शामिल नहीं किये जाएंगे।

(ii) बैंकों द्वारा जारी किए गए ऋण पूंजी लिखत;

(iii) बैंकों द्वारा जारी अधिमान शेयर पूंजी के लिखत [सतत संचयी अधिमान्य शेयर (पीसीपीएस) /प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (आरएनसीपीएस)/ प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर] (आरसीपीएस);

(iv) टियर 2 पूंजी में शामिल लिखतों के जारी करने से उत्पन्न स्टाक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)

(v) समेकित स्तर पर पूंजी पर्याप्तता की गणना करते समय, बैंक के समेकित सहयोगी कंपनियों द्वारा जारी और उन तृतीय पक्षों द्वारा धारित टियर 2 पूंजी लिखत जो टियर 2 पूंजी में शामिल किये जाने हेतु मानदंडों को पूरा करते हैं (कृपया पैराग्राफ 4.3.4 देखें);

---

[11] बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 33/21.04.048/2009-10 दिनांक 27 अगस्त 2009 के परिपत्र के अनुसार बैंकों के लिए यह विकल्प जारी रहेगा कि वे शुद्ध एनपीए प्राप्त करने के लिए सकल एनपीए से ऐसे प्रावधानों को नेट ऑफ कर दें या इसे अपनी टियर 2 पूंजीका हिस्सा मानें।

[12] कृपया 15 जनवरी 2014 का परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 तथा अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर वाली हस्तियों को एक्सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं पर 03 जून 2014 का परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 देखें।

[13] कृपया अग्रिमों के लिए प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) पर दिनांक 21 अप्रैल 2011 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 87/ 21.04.048/2010-11 देखें।

(vi) 55% की छूट पर पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व[14];

(vii) सामान्यतः टियर 2 पूंजी में शामिल किए जाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य प्रकार का लिखत; और

(viii) घटाएं : टियर 2 पूंजी की गणना में प्रयुक्त विनियामक समायोजन/कटौतियाँ [अर्थात् मद (i) से (vii) के योग से घटाए जाने हैं]।

***ख. विनियामक प्रयोजनों से टियर 2 पूंजी के रूप में वर्गीकरण हेतु मानदंड***

बासल III के अंतर्गत, टियर 2 पूंजी में शामिल किए जाने हेतु लिखतों के मानदंडों[15] को संशोधित कर दिया गया है, जिससे उनकी हानि सहने की क्षमता में सुधार हो, जैसाकि **अनुबंध 5, 6 और 16** में दर्शाया गया है। ऋण पूंजी लिखतों के टियर 2 पूंजी के रूप में शामिल करने हेतु मानदंड **अनुबंध 5** में दिए गए हैं। स्थायी संचयी अधिमान्य शेयर (पीसीपीएस) प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान्य शेयर(आरएनसीपीएस)/प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयरों को टियर 2 पूंजी के भाग के रूप में शामिल करने हेतु मानदंड **अनुबंध 6** में दर्शाए गए हैं। **अनुबंध 16** में सभी सामान्येतर इक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों के अव्यवहार्यता बिंदु पर रूपांतरण/राइट ऑफ के द्वारा हानि सहने संबंधी मानदंड दिए गए हैं।

4.2.5.2 **टियर 2 पूंजी के घटक - विदेशी बैंकों की शाखाएं**

क. **टियर 2 पूंजी के घटक**

विदेशी बैंकों की शाखाओं के मामले में टियर 2 पूंजी के घटक निम्नलिखित होंगे:

---

[14] ये रिज़र्व अक्सर अप्रत्याशित हानियों से सुरक्षात्मक उपाय का काम करते हैं, लेकिन वे कम स्थायी प्रकृति के होते हैं और उन्हें 'कोर पूंजी नहीं माना जा सकता है। पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व उन आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न होता है जो बैंक बहियों में कम आंकी गयी होती हैं, विशेषत: बैंक के परिसर। अप्रत्याशित हानियों से बचने के लिए पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व का कितनी हद तक भरोसा कर सकते हैं यह मुख्यतः संबंधित आस्तियों के बाजार मूल्यों के आकलन की निश्चितता के स्तर, कठिन बाजार परिस्थितियों में या मजबूरन बिक्री की स्थिति में बाद में होने वाले हास, उन मूल्यों पर वास्तविक परिसमापन की क्षमता, पुनर्मूल्यांकन के कर संबंधी परिणामों, इत्यादि पर निर्भर करता है। इसलिए यह विवेकसम्मत होगा कि टियर II पूंजी में पुनर्मूल्यांकन रिज़र्वों को शामिल करने हेतु उनके मूल्य का निर्धारण करते समय 55% की छूट पर उन पर विचार किया जाए। ऐसे रिज़र्वों को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्वों के रूप में तुलन पत्र के मुख पत्र पर दर्शाया जाना चाहिए।

[15] कृपया 'विनियामक पूंजी लिखत - स्टेप अप विकल्प' पर दिनांक 20 जनवरी 2011 का परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 75/ 21.06.001/2010-11 भी देखें जिसमें स्टेप-अप विकल्प को समाप्त कर दिया गया है। बैंक दिनांक 12 सितंबर 2010 की बीसीबीएस प्रेस विज्ञप्ति भी देखें जिसमें उच्चतर वैश्विक न्यूनतम पूंजी मानकों पर गवर्नरों तथा पर्यवेक्षण प्रमुखों के समूह द्वारा की गयी घोषणाओं का संकेत दिया गया है।

(i) सामान्य प्रावधान तथा हानि रिज़र्व (उक्त पैराग्राफ 4.2.5.1 क(i) में दिए गए ब्योरे के अनुसार);

(ii) टियर 2 ऋण पूंजी के भाग के रूप में विदेशी मुद्रा में प्राप्त प्रधान कार्यालय के उधार;

(iii) 55% की रियायत पर पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व; और

(iv) घटाएं : टियर 2 पूंजी की गणना में प्रयुक्त विनियामक समायोजन/कटौतियां [अर्थात् मद (i) और (iii) के योग से घटाए जाने हेतु]।

ख. **विनियामक प्रयोजनों से टियर 2 पूंजी के रूप में वर्गीकरण हेतु मानदंड**

विदेशी बैंकों के लिए टियर 2 ऋण पूंजी के भाग के रूप में विदेशी मुद्रा में प्राप्त प्रधान कार्यालय के उधारों को शामिल करने हेतु मानदंड **अनुबंध 5 व अनुबंध 16** में दिए गए हैं।

## 4.3 समेकित सहायक कंपनियों में से जारी तृतीय पक्षों द्वारा धारित अल्पमत हित (अर्थात् गैर-नियंत्रक हित) एवं अन्य पूंजी

4.3.1 बासल ııı के अंतर्गत, अल्पमत हितों की गणना केवल उन्हीं मामलों में की जाती है जिनमें पर्याप्त प्रत्यक्ष या परोक्ष आश्वासन हो कि सहायक कंपनी के जोखिमों को समर्थन प्रदान करने वाला अल्पमत हित समेकित स्तर पर हानियों को बरदाश्त करने के लिए उपलब्ध रहेगा। तदनुसार, बासल ııı के अंतर्गत अल्पमत हित का वह भाग जो किसी सहायक कंपनी , जो एक बैंक है, में जोखिमों को समर्थन देता है समूह के सामान्य ईक्विटी टियर 1 में शामिल किया जाएगा। परिणामतः जो सहायक कंपनियां बैंक नहीं हैं उनमें अल्पमत हितों को समूह की विनियामक पूंजी में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, अधिशेष पूंजी का जो अंश अल्पमत वाले शेयरधारकों से संबंधित है उसे समूह की सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी से निकाल दिया जाएगा। साथ ही, बासल ıı के विपरीत, यह आवश्यकता महसूस की गयी कि विनियामक पूंजी के अन्य घटकों (अर्थात् अतिरिक्त टियर 1 पूंजी तथा टियर 2 पूंजी) पर भी अल्पमत हित संबंधी ट्रीटमेंट लागू किया जाए। अतः बासल ııı के अंतर्गत, विनियामक पूंजी के अन्य घटकों के संबंध में भी अल्पमत हित की पहचान की जाएगी।

### 4.3.2 समेकित सहायक कंपनियों द्वारा जारी सामान्य शेयरों से संबंधित अल्पमत हित का ट्रीटमेंट

बैंक की पूर्ण रूप से समेकित सहायक कंपनी द्वारा जारी सामान्य शेयरों से उत्पन्न अल्पमत हित को सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में केवल तभी मान्यता दी जा सकती है जब : (क) अल्पमत हित को उत्पन्न करने वाला लिखत, यदि बैंक द्वारा जारी हो, तो वह विनियामक पूंजी उद्देश्यों के लिए सामान्य शेयरों के रूप में वर्गीकरण के लिए **अनुबंध 1** में निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करता हो;

तथा (ख) लिखत जारी करने वाली सहायक कंपनी स्वयं कोई बैंक हो।[16] उक्त मानदंडों को पूरा करने वाले अल्पमत वाले हित की राशि की गणना, जिसे समेकित सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी के रूप में मान्य किया जाएगा, निम्नानुसार की जाएगी :

(i) उक्त दोनों मानदंडों को पूरा करने वाले कुल अल्पमत हित में से अल्पमत शेयरधारकों से संबंधित सहायक कंपनी के सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी का अधिशेष घटाया जाएगा।

(ii) सहायक कंपनी की सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी के अधिशेष की गणना उस सहायक कंपनी के सामान्य ईक्विटी टियर 1 से : (क) सहायक कंपनी की न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी अपेक्षा तथा पूंजी संरक्षण बफर (अर्थात् जोखिम भारित आस्तियों का 8.0%) का योग एवं (ख) समेकित न्यूनतम सामान्य टियर 1 पूंजी अपेक्षा व पूंजी संरक्षण बफर (अर्थात् समेकित जोखिम भारित आस्तियों का 8.0%) का वह हिस्सा जो सहायक कंपनी से संबंधित हो[17], में से जो कम हो को घटाकर की जाती है।

(iii) अल्पमत शेयरधारकों से संबंधित सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी के अधिशेष की गणना अधिशेष सामान्य ईक्विटी टियर 1 को अल्पमत शेयरधारकों द्वारा सामान्य ईक्विटी टियर 1 में धारित प्रतिशत से गुणा करके की जाती है।

### 4.3.3 समेकित सहायक कंपनियों द्वारा जारी टियर 1 क्वालिफाइंग पूंजी से संबंधित अल्पमत वाले हित का ट्रीटमेंट

बैंक की पूर्णतः समेकित सहायक कंपनी द्वारा तृतीय पक्ष निवेशकों को जारी टियर 1 पूंजी लिखतों (पैराग्राफ 4.3.2 के अंतर्गत उल्लिखित राशि सहित) को टियर 1 पूंजी में मान्यता केवल तभी प्राप्त हो सकती है, जब ऐसे लिखत, यदि बैंक द्वारा जारी होते, तो टियर 1 पूंजी के रूप में वर्गीकरण के लिए सभी मानदंडों को पूरा करते हों। इस पूंजी की राशि, जो टियर 1 पूंजी के रूप में मान्य होगी, की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

(i) तृतीय पक्षों को जारी सहायक कंपनी की कुल टियर 1 पूंजी में से सहायक कंपनी की तृतीय पक्ष निवेशकों से संबंधित अधिशेष टियर 1 पूंजी घटाकर।

(ii) सहायक कंपनी के अधिशेष ईक्विटी टियर 1 पूंजी की गणना उस सहायक कंपनी की टियर 1 पूंजी से : (क) सहायक कंपनी की न्यूनतम टियर 1 पूंजी अपेक्षा तथा पूंजी संरक्षण बफर (अर्थात् जोखिम भारित आस्तियों का 9.5%) का योग एवं (ख)

---

[16] इस पैराग्राफ के प्रयोजन से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं तथा प्राथमिक व्यापारियों को बैंक माना जाएगा।

[17] पैरा 4.3.2, 4.3.3 तथा 4.3.4 में आधिक्य की गणना के लिए आधार के रूप में क्रमश: प्रयुक्त अनुपात (8.0%, 9.5% तथा 11.5%) को फ़ेज इन नहीं किया जाएगा।

समेकित न्यूनतम सामान्य टियर 1 पूंजी अपेक्षा व पूंजी संरक्षण बफर (अर्थात् समेकित जोखिम भारित आस्तियों का 9.5%) का वह हिस्सा जो सहायक कंपनी से संबंधित हो, में से जो कम हो, को घटाकर की जाती है।

(iii) तृतीय पक्ष निवेशकों से संबंधित अधिशेष टियर 1 पूंजी की राशि की गणना अधिशेष टियर 1 पूंजी को सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में तृतीय पक्ष निवेशकों द्वारा धारित प्रतिशत से गुणा करके की जाती है।

अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के रूप में मान्य इस टियर 1 पूंजी की राशि में पैराग्राफ 4.3.2 के अंतर्गत मान्य सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी की राशियां शामिल नहीं होंगी।

4.3.4 **समेकित सहायक कंपनियों द्वारा जारी टियर 1 पूंजी तथा टियर 2 क्वालीफाइंग पूंजी से संबंधित अल्पमत हित का ट्रीटमेंट**

बैंक की पूर्णतः समेकित सहायक कंपनी द्वारा तृतीय पक्ष निवेशकों को (पैराग्राफ 4.3.2 व 4.3.3 के अंतर्गत दी गई राशियों सहित) जारी कुल पूंजी लिखतों (अर्थात् टियर 1 व टियर 2 पूंजी लिखत) को केवल तभी संपूर्ण पूंजी में मान्य किया जा सकता है, यदि बैंक द्वारा जारी होने पर वे टियर 1 व टियर 2 पूंजी के रूप में वर्गीकरण के मानकों को पूरा करते हों। समेकित कुल पूंजी के रूप में मान्य की जाने वाली इस पूंजी की राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

(i) तृतीय पक्षों को जारी सहायक कंपनी के कुल पूंजी लिखतों में से तृतीय पक्ष निवेशकों से संबंधित अधिशेष कुल पूंजी की राशि को घटाकर।

(ii) सहायक कंपनी की अधिशेष कुल पूंजी की गणना उस सहायक कंपनी की कुल पूंजी में से : (क) सहायक कंपनी की कुल पूंजी अपेक्षा तथा पूंजी संरक्षण बफर (अर्थात् जोखिम भारित आस्तियों का 11.5%) का योग एवं (ख) समेकित न्यूनतम कुल पूंजी अपेक्षा व पूंजी संरक्षण बफर (अर्थात् समेकित जोखिम भारित आस्तियों का 11.5%) का वह हिस्सा जो सहायक कंपनी से संबंधित हो, में से जो कम हो, को घटाकर की जाती है।

(iii) तृतीय पक्ष निवेशकों से संबंधित अधिशेष कुल पूंजी की राशि की गणना अधिशेष कुल पूंजी को तृतीय पक्ष निवेशकों द्वारा कुल पूंजी में धारित प्रतिशत से गुणा करके की जाती है।

इस कुल पूंजी की जो राशि टियर 2 पूंजी में मान्य की जाएगी, उसमें पैराग्राफ 4.3.2 के अंतर्गत सामान्य ईक्विटी टियर 1 में मान्य तथा पैराग्राफ 4.3.3 के अंतर्गत अतिरिक्त टियर 1 में मान्य की गई राशियां शामिल नहीं की जाएंगी।

4.3.5 समेकित सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तृतीय पक्षों द्वारा धारित अल्पमत हितों तथा अन्य पूंजी की गणना करने का एक उदाहरण **अनुबंध 17** में दिया गया है।

**4.4 विनियामक समायोजन/कटौतियां**

निम्नलिखित पैरा एकल तथा समेकित **दोनों** स्तरों पर विनियामक पूंजी में लागू विनियामक समायोजनों/कटौतियों से संबंधित हैं:

### 4.4.1 सुनाम (गुडविल) तथा अन्य सभी अमूर्त आस्तियां

(i) सुनाम तथा अन्य सभी अमूर्त आस्तियों को सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी से घटाया जाना चाहिए। इनमें ऐसे गुडविल भी हैं जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी में उल्लेखनीय निवेशों के मूल्यांकन में शामिल हैं। एएस 23 के अनुसार - सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखांकन करते समय, किसी निवेशक द्वारा किसी सहयोगी के अधिग्रहण से उत्पन्न सुनाम/ पूंजी रिज़र्व सहयोगी में निवेश के बही मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए लेकिन उसका प्रकटीकरण अलग से किया जाना चाहिए। इसलिए यदि किसी सहयोगी में ईक्विटी हित के अर्जन में गुडविल से संबंधित भुगतान शामिल है, तो उसे बैंक की सामान्य ईक्विटी टियर 1 से घटाया जाना चाहिए।

(ii) अमूर्त आस्तियों की पूरी रकम में से संबंधित आस्थगित कर दायित्व घटाकर प्राप्त निवल राशि घटायी जानी चाहिए। संबंधित आस्थगित कर दायित्व इस लिए घटाया जाता है क्योंकि संबंधित लेखांकन मानकों के अंतर्गत अमूर्त आस्तियों के क्षतिग्रस्त या अमान्य हो जाने की स्थिति में यह दायित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, अमूर्त आस्तियों की परिभाषा भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार होगी। मौजूदा अवधि की तथा पूर्व की अवधियों से आगे लाई गई हानियां भी सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी से घटा दी जानी चाहिए, यदि अब तक न घटाई गई हों।

(iii) समेकित स्तर पर इन नियमों का प्रयोग करने का तात्पर्य होगा, एकल बैंक से संबंधित सुनाम और अन्य अमूर्त आस्तियों के अतिरिक्त, सहयोगी कंपनियों के तुलन पत्र से संबंधित किसी भी साख एवं अन्य अमूर्त आस्तियों को समेकित सामान्य ईक्विटी से घटाया जाना चाहिए।

### 4.4.2 आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए)

(i) निम्नलिखित के अनुसार परिकलित डीटीए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी से घटा दी जानी चाहिए :

(क) संचित हानियों से जुड़ी हुई डीटीए; और

(ख) डीटीएल घटाकर निवल डीटीए (संचित हानियों से जुड़े हुई डीटीए को छोड़कर)। जहां डीटीएल डीटीए (संचित हानियों से जुड़ी हुई डीटीए को छोड़कर) से अधिक है, वहाँ इस अधिक राशि को न तो मद (क) के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और न सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में जोड़ा जाएगा। आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए)

को संबद्ध आस्थगित कर देयताओं (डीटीएल) में केवल तभी निवल किया जाए, यदि डीटीए तथा डीटीएल एक ही कराधान प्राधिकारी द्वारा लगाए गए करों से संबंधित हों, तथा संबंधित कराधान प्राधिकारी द्वारा समंजन की अनुमति दी गई हो। डीटीए के विरुद्ध निवल किए जाने हेतु अनुमत डीटीएल में से ऐसी राशियों को निकाल देना चाहिए, जो सुनाम, अमूर्त तथा परिभाषित लाभ पेंशन आस्तियों के विरुद्ध निवल किए गए हों।

(ii) समेकित स्तर पर इन नियमों के प्रयोग का तात्पर्य होगा एकल (सोलो) बैंक से संबंधित डीटीए के घटाये जाने के अतिरिक्त, समेकित सामान्य ईक्विटी में से सहयोगी कंपनियों से संबंधित डीटीए का घटाया जाना।

4.4.3 **नकदी प्रवाह बचाव (हेज) रिज़र्व**

(i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 की गणना में नकदी प्रवाह बचाव रिज़र्व की वह राशि जो उन मदों (अनुमानित नकदी प्रवाह सहित) की बचाव व्यवस्था (हेजिंग) से संबंधित है जो तुलन पत्र पर उचित रूप से मूल्यांकित नहीं हैं, शामिल नहीं की जानी चाहिए। इसका अर्थ है कि धनात्मक राशियां घटा दी जानी चाहिए और ऋणात्मक राशियां वापस जोड़ दी जानी चाहिए। इस ट्रीटमेंट से विशेष तौर पर कैश फ्लो हेज रिज़र्व के उस तत्व की पहचान हो जाती है जिसे विवेकपूर्ण उद्देश्यों के लिए शामिल नहीं किया जाना है। यह उस घटक को निकाल देता है जो सामान्य ईक्विटी में कृत्रिम अस्थिरता को बढ़ावा देता है, क्योंकि इस मामले में रिज़र्व केवल आधी ही तस्वीर दर्शाता है (अर्थात् डेरिवेटिव का उचित मूल्य, लेकिन हेज किये गये बावी नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में परिवर्तनों को नहीं)।

(ii) समेकित स्तर पर उन नियमों के प्रयोग का तात्पर्य होगा एकल (सोल) बैंक से संबंधित नकदी प्रवाह हेज़ रिज़र्व को शामिल न करने के साथ-साथ सहयोगी कंपनियों से संबंधित नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व को समेकित सामान्य ईक्विटी में शामिल न करना।

4.4.4 **प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधानों के स्टाक में कमी**

सामान्य ईक्विटी टियर 1 की गणना में आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रत्याशित हानियों के लिए प्रावधानों के स्टाक में आयी कमी को संबंधित पूंजी से घटाया जाना चाहिए। कमी की संपूर्ण राशि को घटाया जाना चाहिए और इसमें से किसी कर प्रभाव को कम नहीं किया जाना चाहिए, जो प्रावधान के अपेक्षित हानियों के स्तर तक बढ़ जाने पर उत्पन्न हो सकते हैं।

4.4.5 **प्रतिभूतिकरण लेनदेनों से संबंधित विक्रय से लाभ**

(i) बासल III नियम पाठ के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के कारण ईक्विटी पूंजी में हुई किसी वृद्धि, जैसे प्रत्याशित भावी मार्जिन आय (एफएमआई) से संबंधित वृद्धि, जिसका परिणाम विक्रय-से-लाभ हो, को सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी की गणना में शामिल न करें। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को नकदी मुनाफों सहित विक्रय-से-लाभ को लाभ तथा हानि (पी एंड एल) खातों में शामिल करने की अनुमति नहीं है। अतएव, प्रतिभूतिकरण पर विक्रय-से-लाभ के कारण किसी कटौती की कोई आवश्यकता नहीं है। बैंकों को नकदी मुनाफों सहित मुनाफों को एसपीवी द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों की अवधि में परिशोधित करने की अनुमति है। तथापि, यदि कोई बैंक ऐसी लेखा रीति का अनुसरण कर रहा है जिसका परिणाम वस्तुतः प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के प्रारंभ के समय प्राप्त या अप्राप्त लाभों को शामिल किये जाने के रूप में होता है, तब बासल III नियम पाठ के अनुसार निर्धारित ट्रीटमेंट लागू होगा जैसा कि पैरा की शुरुआत में सुझाया गया है।

(ii) इन नियमों का समेकित स्तर पर प्रयोग करने का तात्पर्य होगा बैंक द्वारा एकल स्तर पर मान्य किसी विक्रय-से-लाभ के घटाये जाने के अतिरिक्त समेकित सामान्य ईक्विटी से उस विक्रय-से-लाभ को घटाया जाना, जिसे सहायक कंपनियों द्वारा अपने पी एंड एल तथा/अथवा ईक्विटी में शामिल किया गया है।

**4.4.6 उचित मूल्य की वित्तीय देनदारियों पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण संचयी लाभ तथा हानियां**

(i) बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी की गणना में उन सभी अप्राप्त लाभों और हानियों को शामिल न करें, जो बैंकों के निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण देयताओं के उचित मूल्य में आए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप हैं। इसके अलावा, व्युत्पन्नी देयताओं के संबंध में बैंक की स्वयं के ऋण जोखिम के कारण उत्पन्न सभी लेखांकन मूल्यांकन समायोजनों को अमान्य किया जाना चाहिए। बैंक के स्वयं के ऋण जोखिम के कारण उत्पन्न और उसके प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम के कारण उत्पन्न मूल्यांकन समायोजनों के बीच प्रति-संतुलन करने की अनुमति नहीं है। यदि बैंक अपने डेरिवेटिव और प्रतिभूतियों का वित्तपोषण करने वाले लेनदेन (एसएफटी) देयताओं का मूल्य, डेबिट मूल्यांकन समायोजनों (डीवीए) के रूप में अपनी स्वयं की ऋण पात्रता के मद्देनजर निर्धारित करता है, तो बैंक से यह अपेक्षित है कि अपने सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी से सभी डीवीए को घटाए, चाहे डीवीए

उसकी स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों से उत्पन्न हो या बाजार के अन्य किसी कारक से। इस प्रकार, इस कटौती में किसी नए व्यापार की शुरुआत होने पर आरंभिक डीवीए की कटौती भी शामिल है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि बैंक को प्रतिपक्ष की ऋण जोखिम को दर्शाने वाली हानि (अर्थात् साख मूल्यांकन समायोजनों - सीवीए) को शामिल करना होगा, बैंक को अपने स्वयं के ऋण जोखिम के कारण होने वाले संबंधित लाभ को शामिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) समेकित स्तर पर इन नियमों के प्रयोग का तात्पर्य होगा समेकित सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी की गणना में, एकल स्तर पर बैंक से संबंधित ऐसे किसी भी अप्राप्त लाभ को शामिल न करना तथा सहायक कंपनियों के ऋण जोखिमों में परिवर्तनों के कारण देयताओं के उचित मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप अप्राप्य लाभों व हानियों को शामिल न किया जाना।

4.4.7 **परिभाषित लाभ पेंशन निधि[18] आस्तियां और देनदारियां**

(i) तुलन पत्र में परिभाषित लाभ पेंशन निधि देनदारियों को सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी की गणना में पूर्ण रूप से शामिल किया जाना चाहिए (अर्थात् इन देनदारियों को शामिल न करके सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी को बढ़ाया नहीं जा सकता है)। तुलन पत्र पर आस्ति के रूप में वर्गीकृत प्रत्येक परिभाषित लाभ पेंशन निधि के लिए, उस आस्ति में से किसी संबद्ध आस्थगित कर देयता को घटाकर सामान्य ईक्विटी टियर 1 की गणना में से घटा देना चाहिए, क्योकि कर देयता तब समाप्त हो जाएगी जब वह आस्ति संबंधित लेखा मानकों के अनुसार क्षतिग्रस्त या अमान्य हो जाती है।

(ii) इन नियमों को समेकित स्तर पर लागू करने का अर्थ होगा समेकित सामान्य ईक्विटी टियर 1 में एकल बैंक के साथ-साथ सहायक कंपनियों से संबंधित परिभाषित लाभ पेंशन निधि आस्तियों का घटाया जाना तथा परिभाषित लाभ पेंशन निधि देयताओं को शामिल किया जाना।

(iii) <u>दिनांक 9 फरवरी 2011 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 80/21.04.018/2010-11</u> के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा चुने हुए निजी क्षेत्र के बैंकों, जो भारतीय बैंक संघ के 9वें द्विपक्षीय समझौते में शामिल थे, को द्वितीय पेंशन विकल्प तथा 5

---

[18] इसमें अन्य परिभाषित कर्मचारी भविष्य निधि भी शामिल है।

वर्ष के उपरांत ग्रेच्युटी में वृद्धि की अनुमति से उत्पन्न व्यय के परिशोधन के लिए विशेष छूट दी गई थी। साथ ही, इस परिपत्र के अनुसार अपरिशोधित व्यय को टियर 1 पूंजी से घटाया जाना अपेक्षित नहीं है। इस छूट को बासल III के अंतर्गत बनाए रखना संभव नहीं है, क्योंकि बासल III के अंतर्गत सभी पेंशन निधि देनदारियों को तुलन पत्र में शामिल किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, 1 जनवरी 2013 से पूंजी पर्याप्तता अनुपातों के प्रयोजन से बैंकों को अपरिशोधित व्यय की संपूर्ण राशि को सामान्य ईक्विटी टियर । पूंजी से घटाना चाहिए।

### 4.4.8 **स्वयं के शेयरों (ट्रेजरी स्टॉक) में निवेश**

(i) बैंक द्वारा स्वयं के शेयरों में निवेश पूंजी की चुकौती के समान है, अतएव बैंक की पूंजी की गुणवत्ता सुधारने की दृष्टि से बैंक की पूंजी से ऐसे निवेश को निकाल देना आवश्यक है। इस कटौती के कारण ईक्विटी पूंजी की दोहरी गणना समाप्त हो जाएगी, जो प्रत्यक्ष धारिताओं, इंडेक्स निधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष धारिताओं तथा स्वयं के शेयरों को खरीदने की आनुबंधिक बाध्यताओं के कारण संभावित भावी धारिताओं से उत्पन्न होती है।

(ii) बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के बिना अपनी ईक्विटी पूंजी की चुकौती नहीं करनी चाहिए। ईक्विटी पूंजी की चुकौती शेयरों की पुनर्खरीद, स्वयं के शेयरों में निवेश (ट्रेजरी स्टॉक) अथवा आरक्षित निधियों में से लाभांशों के भुगतान द्वारा हो सकती है, जिनमें से कोई भी अनुमत नहीं है। तथापि यदि बैंक ऐसे म्यूचुअल फंडों अथवा इंडेक्स फंडों/प्रतिभूतियों में निवेश/एक्सपोजर रखते हैं, जिनकी बैंक के शेयर में दीर्घावधिक पोजिशन है, तो बैंक अपने ही स्टाक में अप्रत्यक्ष निवेश करते हैं। ऐसे मामलों में, बैंकों को अपनी सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी से स्वयं के शेयरों में एक्सपोजरों को घटाने के लिए इंडेक्स प्रतिभूतियों की धारिता का अध्ययन करना चाहिए। ऊपर वर्णित विधि को अपनाते हुए बैंकों को अपनी अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की गणना में अपनी स्वयं की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में किये गये निवेशों को तथा अपनी टियर 2 पूंजी की गणना में अपनी स्वयं की टियर 2 पूंजी में किये गये निवेशों को घटाना चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाना चाहिए:

(क) यदि निवेशक बैंक के पूंजी लिखतों में म्यूचुअल फंडों/इंडेक्स फंडों/वेंचर कैपिटल फंडों/प्राईवेट ईक्विटी फंडों/निवेश कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों की राशि ज्ञात हो; तो अप्रत्यक्ष निवेश ऐसी संस्थाओं में बैंक के निवेशों को निवेशक बैंक के संबंधित पूंजी लिखतों में ऐसी संस्थाओं के निवेशों के प्रतिशत से गुणा करके प्राप्त राशि के बराबर होगा।

(ख) यदि निवेशक बैंक के पूंजी लिखतों में म्यूचुअल फंडों/इंडेक्स फंडों/वेंचर कैपिटल फंडों/प्राईवेट ईक्विटी फंडों/निवेश कंपनियों कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों की राशि ज्ञात न हो, लेकिन इन संस्थाओं की निवेश नीतियों/अधिदेशों के अनुसार ऐसे निवेश अनुमत हों; तो अप्रत्यक्ष निवेश इन संस्थाओं में बैंक के निवेश को निवेशक बैंक के पूंजी लिखतों में ऐसी संस्थाओं के निवेशों के 10%[19] से गुणा करके प्राप्त होगा। बैंक यह नोट करें कि इस पद्धति में समनुरूप कटौती दृष्टिकोण का अनुसरण नहीं किया जाता, अर्थात् सभी कटौतियां सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी से की जाएंगी भले ही ऐसी कंपनियों के निवेश निवेशक बैंकों की अतिरिक्त टियर 1/टियर 2 पूंजी में हैं।

(iii) समेकित स्तर पर इन नियमों के प्रयोग का तात्पर्य होगा समेकित सामान्य ईक्विटी टियर 1 की गणना करते समय बैंक के स्वयं के शेयरों में बैंक के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेशों के अतिरिक्त उनकी सहायक कंपनियों द्वारा उनके स्वयं के शेयरों (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) में निवेशों को घटाना।

4.4.9 **बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश**[20]

4.4.9.1 **बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी में बैंक के निवेश की सीमाएं**

(i) बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं द्वारा जारी पूंजी लिखतों में किसी बैंक का निवेश निम्नलिखित सीमाओं के अधीन है :

(क) बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं द्वारा जारी **पूंजी लिखतों** में किसी बैंक का निवेश उस बैंक की **पूंजी निधियों** के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन पैरा 4 (पैराग्राफ 4.4.8 तक) में वर्णित सभी कटौतियों के बाद।

(ख) यदि किसी अधिग्रहण से निवेशक बैंक के पास निवेशिती बैंक की ईक्विटी पूंजी के 5% से अधिक का स्वामित्व होता है, तो बैंकों को ऐसे बैंक के ईक्विटी शेयरों में नए शेयर अधिग्रहित नहीं करने चाहिए।

---

[19] भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूच्युअल फंड) विनियम 1996 के अनुसार किसी भी म्यूच्युअल फंड के पास अपनी सभी योजनाओं के अंतर्गत मताधिकार रखने वाली किसी कंपनी की चुकता पूंजी का 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं होगा।

[20] यदि ऐसे निवेशों को पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा में छूट दी गई हो, तो भी अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में किसी बैंक के निवेश पर ये नियम लागू होंगे।

(ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के उपबंधों के अंतर्गत कोई बैंककारी कंपनी किसी अन्य कंपनी में गिरवीदार या बंधकग्राही के रूप में या पूर्ण मालिकाना हक के साथ उस कंपनी की चुकता पूंजी के 30% या अपनी चुकता शेयर पूंजी तथा रिज़र्व के 30%, जो भी कम हो, से अधिक राशि के शेयर धारण नहीं कर सकती है।

(घ) किसी बैंक का किसी सहायक कंपनी, वित्तीय सेवाएं कंपनी, वित्तीय संस्था, स्टॉक या अन्य एक्सचेंजों में ईक्विटी निवेश उस बैंक की चुकता शेयर पूंजी व आरक्षित निधियों के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ड.) गैर-वित्तीय सेवा गतिविधियों में लगी कंपनियों में बैंक द्वारा ईक्विटी निवेश, निवेशिती कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के 10% की सीमा तक या बैंक की चुकता शेयर पूंजी और रिज़र्व के 10% की सीमा तक, जो भी कम हो, होगा।

(च) किसी गैर-वित्तीय सेवा कंपनी में ईक्विटी निवेश जो (क) किसी बैंक; (ख) ऐसी संस्थाएं जो बैंक की सहायक कंपनियाँ, सहयोगी या संयुक्त उपक्रम या बैंक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित संस्थाएं हों; तथा (ग) बैंक द्वारा नियंत्रित परिसंपत्ति प्रबंध कंपनियों (एएमसी) द्वारा परिचालित म्यूचुअल फंड द्वारा धारित हों तो ऐसे निवेश का का कुल योग निवेश प्राप्त करने वाली कंपनी की चुकता पूंजी के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(छ) वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत सहायक कंपनियों तथा अन्य संस्थाओं में बैंक के ईक्विटी निवेश के साथ-साथ गैर-वित्तीय सेवा क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं में ईक्विटी निवेश बैंक की चुकता शेयर पूंजी तथा रिज़र्व के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। "ट्रेडिंग के लिए धारित" के अंतर्गत वर्गीकृत तथा 90 दिन से ज्यादा धारित न किए गए निवेशों के लिए 20% की उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी।

(ii) पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन से बैंकों और बीमा कंपनियों से इतर ऐसी संस्थाओं की एक सांकेतिक सूची, जिन्हें वित्तीय संस्था माना जा सकता है, निम्नानुसार है:

- म्यूचुअल फंडों/ वेंचर पूंजी निधियों/निजी ईक्विटी निधियों आदि की परिसंपत्ति प्रबंध कंपनियां;
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां;

- आवास वित्त कंपनियां;
- प्राथमिक व्यापारी;
- मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां;
- संस्थाएं जो ऐसे कार्य कर रही हैं जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत बैंकिंग कारोबार की अनुषंगी हैं; तथा
- केंद्रीय प्रतिपक्षकरार (सीसीपी)

(iii) किसी बैंकिंग सहायक कंपनी/सहयोगी के एकल आधार पर पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए उसके द्वारा अपने मूल बैंक द्वारा जारी ईक्विटी या गैर-ईक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों में किये गये निवेश को अपनी विनियामक पूंजी से तदनुरूप कटौती दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए घटाया जाना चाहिए। तथापि, मूल बैंक की विनियामक पूंजी में गैर-बैंकिंग वित्तीय सहायक कंपनियों/सहयोगियों द्वारा किये गये निवेश का विनियामक ट्रीटमेंट ऐसी सहायक कंपनियों/सहयोगियों के संबंधित विनियामकों द्वारा लागू विनियामक पूंजी मानदंडों से शासित होगा।

4.4.9.2 **बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं द्वारा सीमा के भीतर जारी पूंजी लिखतों में बैंक के निवेशों का ट्रीटमेंट :**

अन्य वित्तीय संस्थाओं के विनियामक पूंजी लिखतों में बैंकों के निवेश वित्तीय संस्थाओं के बीच अंत:संबंधों में योगदान देते हैं। इसके अलावा, इन निवेशों के कारण वित्तीय प्रणाली में पूंजी की दोहरी गणना भी की जाती है। अतएव, विनियामक पूंजी के संबंधित टियर में से कटौती के रूप में इन निवेशों के साथ सख्त ट्रीटमेंट किया गया है। नीचे **आकृति 1** में वित्तीय संस्थाओं के पूंजी लिखतों में बैंकों के निवेशों के ट्रीटमेंट के संबंध में योजनाबद्ध निरूपण दिया गया है। तदनुसार, बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं द्वारा **पैराग्राफ 4.4.9.1** में उल्लिखित सीमाओं के भीतर जारी किए पूंजी लिखतों में सभी निवेश[21] निम्नलिखित नियमों के अधीन होंगे:

---

[21] इस प्रयोजन से एएफएस/एचएफटी श्रेणी में धारित निवेशों को उनके बाजार मूल्य पर माना जाए, जबकि एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों को बैंक के तुलन-पत्र में दर्शाए गए मूल्य पर माना जाए।

**आकृति 1: बैंकिंग वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी लिखतों में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं।**

उन संस्थाओं में जहां बैंक किसी एक संस्था की सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक का मालिक नहीं है।

ऐसे सभी संस्थाओं के पूंजी लिखतों में निवेशों को जोड़ें और और बैंक की अपनी सामान्य इक्विटी के 10% से तुलना करें।

10% से कम निवेशों को बैंकिंग बही और व्यापार बही के नियमों के अनुसार जोखिम भारित किया जाएगा।

10% से अधिक निवेशों को करेस्पोंडिंग डिडक्शन अप्रोच के नियमों के अनुसार जोखिम भारित किया जाएगा।

उन संस्थाओं में जहां बैंक किसी एक संस्था की सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक का मालिक है।

**इक्विटी**

(i) बीमा सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश को बैंक की सामान्य इक्विटी में से पूर्णत: घटाया जाएगा।

(ii) ऊपर (i) को घटाने के बाद कुल इक्विटी निवेश (अर्थात् बीमा सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश को छोड़ कर) की तुलना बैंक के सामान्य इक्विटी के 10% से करें।

10% से कम निवेशों को 250% पर जोखिम भारित किया जाएगा।

10% से अधिक निवेश को सामान्य इक्विटी से कटौती की जाएगी।

**गैर - सामान्य इक्विटी**

ऐसे सभी निवेशों की कटौती करेस्पोंडिंग डिडक्सन अप्रोच के अनुसार की जाएगी।

**(क) बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में पारस्परिक क्रास-होल्डिंग**

पूंजी की पारस्परिक क्रास-होल्डिंगों के कारण बैंकों की पूंजी स्थिति में कृत्रिम वृद्धि हो सकती है। पूंजी की ऐसी धारित राशि को पूर्णत: घटा दिया जाएगा। अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बीमा संस्थाओं की पूंजी में ऐसे निवेशों के लिए बैंकों को "करेस्पांडिंग डिडक्शन पद्धति" को अपनाना चाहिए। इसका अर्थ है कि कटौती केवल

पूंजी के उसी घटक (सामान्य ईक्विटी, अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 पूंजी) पर लागू की जानी चाहिए, जिसके लिए पूंजी क्वालीफाई करती यदि उसे बैंक ने स्वयं जारी किया होता। इस प्रयोजन के लिए किसी होल्डिंग को पारस्परिक क्रास होल्डिंग के रूप में तब माना जाएगा यदि निवेशिती संस्था ने भी बैंक के पूंजी लिखतों के किसी वर्ग में निवेश किया हो जिसके लिए यह जरूरी नहीं है कि वह बैंक की होल्डिंगों जैसी ही हों।

**(ख) विनियामक समेकन के दायरे से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, जहां बैंक के पास संबंधित संस्था की जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है**

(i) इस भाग में वर्णित वित्तीय समायोजन विनियामक समेकन के दायरे से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में ऐसे निवेश पर लागू होगा जहां बैंक के पास संबंधित संस्था की जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त:

(क) निवेशों में पूंजी लिखतों के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष[22] और संश्लिष्ट धारिताएं शामिल हैं। उदाहरणार्थ , पूंजी की अपनी अंतर्निहित धारिताएं निर्धारित करने के लिए बैंकों को इंडेक्स प्रतिभूतियों की धारिताओं को ध्यान से देखना चाहिए।

(ख) बैंकिंग बही तथा व्यापार बही दोनों में स्वामित्वों को शामिल किया जाना है। पूंजी में सामान्य स्टॉक (चुकता ईक्विटी पूंजी) व सभी प्रकार के नकदी तथा अन्य संश्लिष्ट पूंजी लिखत (जैसे कि गौण कर्ज) शामिल हैं।

(ग) पांच या कम कार्य दिवसों वाले हामीदारी पोजिशनों को शामिल नहीं किया जा सकता है। पांच से अधिक कार्य दिवसों के हामीदारी पोजिशनों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

(घ) यदि बैंक ने जिस संस्था में निवेश किया है उस संस्था का पूंजी लिखत सामान्य इक्विटी टियर 1, अतिरिक्त टियार 1 या टियर 2 पूंजी के लिए मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो इस विनियामक समायोजन के प्रयोजन के लिए पूंजी को सामान्य शेयर माना जाएगा।[23]

---

[22] अप्रत्यक्ष स्वामित्व ऐसे एक्सपोजर या एक्सपोजरों का भाग होते हैं, जो यदि कोई प्रत्यक्ष स्वामित्व अपना मूल्य खो देता है, तो उसका परिणाम ऐसे हानि के रूप में होता है जो प्रत्यक्ष स्वामित्व के मूल्य में हानि के ठीक बराबर होता है।

[23] यदि निवेश किसी विनियमित वित्तीय संस्था से जारी किया जाता है और वित्तीय संस्था के संबंधित क्षेत्र के विनियामक पूंजी में शामिल नहीं होता है तो इसे घटाया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से बैंक ऐसे निवेशों को अस्थायी आधार पर गणना से निकाल सकते हैं जो किसी विपदग्रस्त संस्था को पुनर्गठित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के संदर्भ में किए गए हैं।

(ii) यदि उक्त पैराग्राफ (i) में सूचीबद्ध किए गए सभी होल्डिंगों का कुल योग (इससे पहले सूचीबद्ध किए हुए सभी विनियामक समायोजनों को पूर्ण रूप से लागू करने के बाद) बैंक की सामान्य ईक्विटी के 10% से अधिक होता है, तो 10% से ऊपर की रकम को तदनुरूप कटौती पद्धति (सीडीए) का प्रयोग करते हुए घटाया जाना अपेक्षित है। इसका अर्थ है, कटौती पूंजी के केवल उसी घटक के लिए लागू की जानी चाहिए जिसके लिए पूंजी क्वालीफाई करती यदि बैंक द्वारा स्वयं पूंजी जारी की गई होती। तदनुसार सामान्य ईक्विटी में से घटाई जाने वाली राशि की गणना उन सभी धारित राशियों के योग के रूप में किया जाना चाहिए, जो कुल मिला कर बैंक की सामान्य ईक्विटी के 10% से अधिक हो (ऊपर किये गये वर्णन के अनुसार), तथा जिसे कुल पूंजी धारिताओं में सामान्य इक्विटी धारिताओं के प्रतिशत से गुणा किया जाना चाहिए। इसका परिणाम सामान्य ईक्विटी कटौती के रूप में होगा, जो सामान्य ईक्विटी में धारित कुल पूंजी होल्डिंगों के अनुपात में होगी। इसी प्रकार अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से घटाए जाने वाली राशि की गणना सभी होल्डिंगों के योग के रूप में किया जाना चाहिए जो कुल मिला कर बैंक की सामान्य ईक्विटी के 10% से अधिक हो (ऊपर किये गये वर्णन के अनुसार), तथा जिसे कुल पूंजी धारिताओं में अतिरिक्त टियर 1 पूंजी धारिताओं के प्रतिशत से गुणा किया जाना चाहिए। टियर 2 पूंजी से घटाए जाने वाली राशि की गणना सभी होल्डिंगों के योग के रूप में किया जाना चाहिए जो बैंक की सामान्य ईक्विटी के 10% से अधिक हो (ऊपर किये गये वर्णन के अनुसार), तथा जिसे कुल पूंजी धारिताओं रूप में टियर 2 पूंजी धारिताओं के प्रतिशत से गुणा किया जाना चाहिए। **(कृपया अनुबंध 11** में दिया गया उदाहरण देखें)

(iii) यदि, तदनुरूप कटौती पद्धति (सीडीए) के अंतर्गत किसी बैंक से अपेक्षित है कि पूंजी के किसी विशिष्ट टियर से कटौती करे और उस कटौती के लिए उस टियर में पर्याप्त नहीं है, तो इस कमी की कटौती पूंजी के अगले उच्चतर टियर से की जाएगी (उदाहरणार्थ यदि बैंक के पास कटौती करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 पूंजी न हो, तो सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी से इस कमी की कटौती की जाएगी)।

(iv) बैंक की सामान्य ईक्विटी के 10% की सीमा से कम के निवेश, जिन्हें घटाया नहीं जाता, जोखिम भारित होंगे। इस प्रकार व्यापार बहियों में लिखतों को बाजार जोखिम नियमों के अनुसार ट्रीट किया जाएगा और बैंकिंग बही में लिखतों को मानकीकृत दृष्टिकोण या आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (यथा लागू) के अनुसार ट्रीट किया जाएगा। जोखिम भार लागू करने के लिए होल्डिंगों की राशियां, जिन्हें जोखिम भारित

किया जाना है, बैंकिंग तथा व्यापार बहियों के बीच आनुपातिक आधार पर आवंटित की जाएंगी। तथापि, कतिपय मामलों में अनुसूचित और अननुसूचित दोनों वाणिज्य बैंकों में ऐसे निवेशों को निवेशक बैंक की सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी में से पूर्णतः घटाया जाएगा, जैसा कि पैराग्राफ 5.6, 8.35 तथा 8.4.4 में बताया गया है।

(v) जैसा कि उक्त पैरा (iv) में बताया गया है, बैंकिंग तथा व्यापार बहियों, दोनों में निवेशों के जोखिम भार के प्रयोजन से तुलनात्मक रूप से अधिक जोखिम भार वाली प्रतिभूतियों में निवेशों को जिस सीमा तक जोखिम भारित करना आवश्यक है, पर विचार किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, जोखिम भार लागू करने के प्रयोजन से तुलनात्मक रूप से कमजोर रेटिंगों वाले (अर्थात् उच्च जोखिम भार) निवेश पर पहले विचार किया जाना चाहिए, फिर शेष निवेशों में कटौती के लिए विचार किया जाना चाहिए।

**(ग) उन बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं [24]**

(i) इस खंड में वर्णित विनियामक समायोजन उन बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं पर लागू होता है जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, जहां बैंक जारीकर्ता संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक का स्वामित्व रखता है या जहां संस्था बैंक से संबद्ध संस्था है[25] I इसके अलावा:

- निवेशों में पूंजी लिखतों के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष[26] और संश्लिष्ट धारिताएं शामिल हैं। उदाहरणार्थ, पूंजी की अपनी अंतर्निहित धारिताएं निर्धारित करने के लिए बैंकों को इंडेक्स प्रतिभूतियों की धारिताओं को ध्यान से देखना चाहिए।
- बैंकिंग बही तथा व्यापार बही दोनों में होल्डिंगों को शामिल किया जाना है। पूंजी में सामान्य स्टॉक तथा सभी प्रकार के नकदी और संश्लिष्ट पूंजी लिखत (अर्थात् गौण ऋण) शामिल हैं।
- पांच या उससे कम दिनों के लिए धारित हामीदारी पोजिशनों को निकाला जा सकता है। पांच दिन से अधिक के लिए धारित हामीदारी पोजिशनों को निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

---

[24] विनियामक समेकन के दायरे से बाहर की संस्थाओं में निवेश का आशय ऐसे निवेशों से है, जिनका कतई समेकन नहीं किया गया है या उनका समेकन इसप्रकार से नहीं किया गया है कि जिसके परिणामस्वरूप उनकी आस्तियां समूह की समेकित जोखिम भारित आस्तियों की गणना में शामिल की जाएं।

[25] किसी बैंक की संबद्ध संस्था को उस कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जो या तो बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है या बैंक के साथ सह नियंत्रण में हों। कंपनी के नियंत्रण को (1) स्वामित्व, नियंत्रण या कंपनी के मतदान प्रतिभूतियों के वर्ग के 20% या उससे अधिक का मतदान करने की शक्तियां धारण करने अथवा (2) वित्तीय रिपोर्टिंग करने के प्रयोजन से कंपनी के समेकन करने के रूप में परिभाषित किया गया है।

[26] अप्रत्यक्ष धारिताएं वे एक्सपोजर या एक्सपोजरों के भाग हैं जो किसी प्रत्यक्ष धारिता के मूल्य खो देने की स्थिति में, उस हानि के रूप में परिणामित होती हैं, जो वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष धारिता के मूल्य में हानि के बराबर है।

- यदि जिस संस्था में बैंक ने निवेश किया है, के पूंजी लिखत बैंक की सामान्य ईक्विटी टियर I, अतिरिक्त टियर I या टियर 2 पूंजी के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो इस विनियामक समायोजन के प्रयोजन से पूंजी को सामान्य शेयर माना जाना चाहिए।[27]
- भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से बैंक अस्थाई रूप से कुछ निवेशों को शामिल कर सकता है जहां ये निवेश किसी विपदाग्रस्त संस्था को पुनर्गठित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने या उसे उबारने के लिए किए गए हैं।

(ii) ***सामान्य शेयरों के अलावा निवेश***

उक्त पैरा (i) में शामिल सभी निवेश जो सामान्य शेयर <u>नहीं</u> हैं, को तदनुरूप कटौती दृष्टिकोण के अनुसार पूरी तरह से घटाया जाना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि यह कटौती पूंजी के उसी टियर के लिए लागू की जानी चाहिए जिसके लिए पूंजी तब अर्हक होती यदि इसे स्वयं बैंक द्वारा जारी किया गया होता। यदि बैंक द्वारा पूंजी के किसी विशिष्ट टियर से कटौती करना अपेक्षित हो और उसके पास उक्त कटौती पूर्ण करने के लिए पूंजी का वह टियर पर्याप्त मात्रा में न हो तो कमी को पूंजी के अगले उच्चतर टियर से काटा जाएगा (उदाहरण के लिए यदि किसी बैंक के पास कटौती को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 पूंजी न हो, तो कमी को सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी से घटाया जाएगा)।

(iii) **वे निवेश जो सामान्य शेयर हैं**

उक्त पैरा (i) में शामिल सभी निवेश जो सामान्य शेयर हैं तथा (सभी विनियामक समायोजनों के पश्चात) बैंक की सामान्य ईक्विटी के 10% से अधिक हो जाते हैं, सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी की गणना करते समय घटाये जाएंगे। वह राशि जो सामान्य ईक्विटी टियर 1 की गणना में नहीं घटाई जाती (10% तक यदि बैंक की सामान्य ईक्विटी का निवेश ऐसी संस्थाओं की ईक्विटी पूंजी में होता है) को 250% पर जोखिम भारित किया जाएगा। (कृपया **अनुबंध 11** में दिए हुए उदाहरण को देखें)। तथापि, कतिपय मामलों में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में ऐसे निवेशों को निवेशक बैंक की सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में से पूर्णतः घटाया जाएगा, जैसाकि पैरा 5.6, 8.3.5 तथा 8.4.4 में दर्शाया गया है।

4.4.9.3 उक्त पैराग्राफ 4.4.9.2(ख) एवं 4.4.9.2(ग) में दर्शाए अनुसार बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी का म्यूचुअल फंडों या इन्डेक्स फंडों के माध्यम से अप्रत्यक्ष होल्डिंग, जो

[27] यदि निवेश को विनियमित वित्तीय संस्था में से जारी किया गया है तथा वित्तीय संस्था के संबंधित क्षेत्र में विनियामक पूंजी में शामिल नहीं किया गया है, तो इसे घटाया जाना अपेक्षित नहीं है।

विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की संगणना के संबंध में निम्नलिखित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

(i) यदि म्यूचुअल फंडों/इंडेक्स फंडों/वेंचर कैपिटल फंडों/प्राईवेट ईक्विटी फंडों/निवेश कंपनियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं के पूंजी लिखतों में किये गए निवेश की राशि ज्ञात है, ऐसी संस्थाओं में बैंक का अप्रत्यक्ष निवेश ऐसी संस्थाओं में बैंक के निवेश को वित्तीय संस्थाओं की पूंजी लिखतों में ऐसी संस्थाओं के निवेश के प्रतिशत से गुणा करके प्राप्त होगा।

(ii) यदि म्यूचुअल फंडों/इंडेक्स फंडों/वेंचर कैपिटल फंडों/प्राईवेट ईक्विटी फंडों/निवेश कंपनियों द्वारा निवेशक बैंक के पूंजी लिखतों में किए गए निवेश की राशि ज्ञात नहीं है, लेकिन निवेश नीतियों/इन संस्थाओं के अधिदेश के अनुसार ऐसे निवेश अनुमत हैं; तो अप्रत्यक्ष निवेश इन संस्थाओं में बैंक के निवेशों को इन संस्थाओं द्वारा वित्तीय संस्थाओं के पूंजी लिखतों में निवेश करने हेतु प्राधिकृत अधिकतम अनुमत सीमा से गुणा करके प्राप्त होगा।

(iii) यदि न तो वित्तीय संस्थाओं की पूंजी लिखतों में म्यूचुअल फंडों/इंडेक्स फंडों/वेंचर कैपिटल फंडों/प्राईवेट ईक्विटी फंडों द्वारा किए गए निवेशों की राशि ज्ञात हो और न ही वह अधिकतम राशि, जो ये संस्थाएं वित्तीय संस्थाओं में निवेश कर सकती हैं, लेकिन इन संस्थाओं की निवेश नीतियों/अधिदेश के अनुसार ऐसे निवेश अनुमत हैं; तो इन संस्थाओं में बैंक के संपूर्ण निवेश को वित्तीय संस्थाओं में अप्रत्यक्ष निवेश के रूप में माना जाएगा। बैंक यह अवश्य नोट कर लें कि यह पद्धति तदनुरूप कटौती दृष्टिकोण का पालन नहीं करती अर्थात् सभी कटौतियां सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी से की जाएंगी भले ही ऐसी संस्थाओं का निवेश निवेशक बैंकों की अतिरिक्त टियर 1/टियर 2 पूंजी में हों।

4.4.9.4 समेकित स्तर पर इन नियमों को लागू करने का तात्पर्य होगा:

(i) अलग-अलग निवेशिती संस्थाओं की सामान्य शेयर पूंजियों में समेकित समूह (मूल तथा समेकित सहायक कंपनियां) के कुल निवेशों के आधार पर निवेशिती संस्थाओं की सामान्य शेयर पूंजी के 10% की सीमा के नीचे और ऊपर संबंधित संस्थाओं की पहचान करना।

(ii) पैराग्राफ 4.4.9.2(क), 4.4.9.2(ख) तथा 4.4.9.2(ग) में निर्धारित किए गए इन नियमों को लागू करना तथा निवेशों को समेकित पूंजी से घटाए जाने वाले तथा जोखिम-भारित किए जाने वाले के रूप में अलग-अलग करना। इस उद्देश्य के लिए,

- निवेशिती संस्थाओं के पूंजी लिखतों में संपूर्ण समेकित संस्था के निवेशों को विभिन्न श्रेणियों के लिखतों में जोड़ा जाएगा।
- समूह की समेकित सामान्य ईक्विटी को गणना में शामिल किया जाएगा।

4.4.9.5 यह हमारे ध्यान में आया है कि कुछ निवेशक, जैसे कर्मचारी पेंशन निधियों ने संबंधित वाणिज्य बैंकों के विनियामक पूंजी निर्गमों में अभिदान किया है। इन निधियों को प्रतिलाभों के संबंध में बैंक द्वारा प्रति-गारंटी दी जाती है। जब बैंक द्वारा निवेशकों को प्रति-लाभों की प्रति-गारंटी दी जाती है तो ऐसे निवेशों को पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से विनियामक पूंजी नहीं माना जाएगा।

4.4.10 जैसा कि पैरा 3.3.2 और 3.4.1 में बताया गया है, सभी विनियामक समायोजन करने के बाद गैर- वित्तीय सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश को उक्त पैराओं में उल्लेख किए गए अनुसार क्रमश: बैंक की समेकित तथा एकल सीईटी1 पूंजी में से पूर्णत: घटाया जाना चाहिए।

**4.4.11 समूह के भीतर लेनदेन और एक्सपोजर**

"समूह के भीतर लेनदेन और एक्सपोजरों के प्रबंधन पर दिशानिर्देश" पर दिनांक 11 फरवरी 2014 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 96/21.06.102/2013-14 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार 31 मार्च 2016 के बाद अनुमत सीमाओं से ज्यादा एक्सपोजर, यदि कोई हो, तो उसे बैंक की सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में से घटाया जाएगा।

**4.5 संक्रमण-कालिक व्यवस्थाएं**

4.5.1 बिना किसी निकट-कालिक दबाव की स्थिति उत्पन्न किए बासल III में सहज संक्रमण के लिए उचित संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। पूंजी अनुपातों के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं **1 अप्रैल 2013** को शुरू हो गयी हैं। तथापि, बासल III का अनुपालन न करने वाले विनियामक पूंजी लिखतों का फेजिंग आउट **01** जनवरी **2013**[28] से प्रारंभ हुआ। पूंजी अनुपातों और सामान्य ईक्विटी से कटौतियों को चरणबद्ध रूप से 31 मार्च 2019 तक पूर्णतया लागू किया जाएगा। नीचे दी गई तालिका में भारत में परिचालन वाले बैंकों के लिए चरणबद्ध व्यवस्थाओं को दर्शाया गया है:

---

[28] कृपया 'भारत में बासल III पूंजी विनियमावली के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण' पर दिनांक 08 मार्च 2013 के बैंपविवि . सं. बीपी. बीसी. 88/21.06.201/2012-13 का पैरा 3 के साथ पठित 27 मार्च 2014 का परिपत्र बैंपविवि.सं.102/21.06.201/2013-14 देखें।

## संक्रमणकालिक व्यवस्थाएं - अनुसूचित वाणिज्य बैंक
## (स्थानीय क्षेत्र बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

(आरडबल्यूए का प्रतिशत)

| न्यूनतम पूंजी अनुपात | 1 जनवरी 2013 | 31 मार्च 2014 | 31 मार्च 2015 | 31 मार्च 2016 | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2018 | 31 मार्च 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी1) | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) | - | - | - | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 |
| न्यूनतम सीईटी 1 + सीसीबी | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.125 | 6.75 | 7.375 | 8 |
| न्यूनतम टियर 1 पूंजी | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| न्यूनतम कुल पूंजी* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| न्यूनतम कुल पूंजी + सीसीबी | 9 | 9 | 9 | 9.625 | 10.25 | 10.875 | 11.5 |
| | | | | | | | |
| सीईटी 1 से सभी कटौतियां चरणबद्ध रूप से लागू (% में)# | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |

* 9% की न्यूनतम कुल पूंजी अपेक्षा और टियर 1 अपेक्षा के बीच के अंतर को पूंजी के टियर 2 और उच्चतर स्वरूपों द्वारा पूरा किया जा सकता है;

# वही संक्रमणकालीन पद्धति अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 पूंजियों से कटौतियों के लिए लागू होगी।

4.5.2 विनियामक समायोजन (अर्थात् कटौतियां एवं विवेकपूर्ण फिल्टर) सामान्य ईक्विटी टियर 1 से केवल 31 मार्च 2017 तक ही पूर्णतः घटाए जाएंगे। इस संक्रमण अवधि में, सामान्य ईक्विटी टियर 1/ अतिरिक्त टियर 1/टियर 2 पूंजी से न घटाए गए समायोजन को बासल II पूंजी पर्याप्त संरचना ट्रीटमेंट[29] के अधीन ही रखा जाता रहेगा।

उदाहरण के लिए :

[29] पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश- नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) पर 01 जुलाई 2015 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 4/21.06.001/ 2015-16 के द्वारा जारी मास्टर परिपत्र।

- यदि बासल III नियमों के अंतर्गत सामान्य ईक्विटी टियर 1 से किसी कटौती की रकम को निकाल लिया जाता है, तो 2013 में इसके लिए ट्रीटमेंट निम्नवत होगा: सामान्य ईक्विटी टियर 1 से उस रकम का 20% निकाल दिया जाता है और इसका 80% उस टियर से निकाल दिया जाता है जहां ये कटौती मौजूदा ट्रीटमेंट के अंतर्गत लागू थी (उदाहरणार्थ डीटीए के मामलों में, चाहे उनका स्रोत कुछ भी हो, वे वर्तमान में टियर 1 पूंजी से घटाए जाते हैं। नए नियमों के अंतर्गत, पात्र कटौती का 20% सामान्य ईक्विटी टियर 1 से किया जाएगा और 80% कटौती वर्ष 2013 में शेष टियर 1 पूंजी से की जाएगी)।

- यदि बासल III पर आधारित नए नियमों के अंतर्गत घटाए जाने वाली मद को मौजूदा ढांचे के अंतर्गत जोखिम भारित किया जाता है, तो 2013 में इसके लिए ट्रीटमेंट निम्नवत है : रकम का 20% सीईटी1 से निकाल लिया जाएगा और 80% उस जोखिम भार के अधीन है जो मौजूदा ढांचे के अंतर्गत लागू है।

4.5.3 सहायक कंपनियों में से जारी और तृतीय पक्षकारों द्वारा धारित (अर्थात् अल्पमत हित) पूंजी का ट्रीटमेंट भी चरणबद्ध रूप से लाया जाएगा। जहां ऐसी पूंजी पैरा 4.3.2, 4.3.3 व 4.3.4 के अनुसार पूंजी के तीन घटकों में से एक घटक में शामिल किए जाने हेतु पात्र है, इसे 1 जनवरी 2013 से शामिल किया जा सकता है। जहां ऐसी पूंजी, पूंजी के तीन घटकों में शामिल करने हेतु अर्हक नहीं है लेकिन जिसे मौजूदा दिशानिर्देशों के अंतर्गत शामिल किया गया है, इस राशि का 20% 1 जनवरी 2013 को, 40% 31 मार्च 2014 को, 60% 31 मार्च 2015 को, 80% 31 मार्च 2016 को और 100% 31 मार्च 2017 को पूंजी के संबंधित घटक से निकाल दिया जाना चाहिए।

4.5.4 ऐसे पूंजी लिखत जो गैर-सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी अथवा टियर 2 पूंजी के रूप में अर्हक नहीं रह जाते (अर्थात् आईपीडीआई और स्टेप-अप सहित टियर 2 ऋण लिखत), 1 जनवरी 2013 से चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिए जाएंगे। 1 जनवरी 2013 को बकाया ऐसे लिखतों की अंकित राशि पर बेस निर्धारित करते हुए 1 जनवरी 2013 से उनकी मान्यता को अधिकतम 90% तक सीमित कर दिया जाएगा और बाद में प्रत्येक वर्ष में यह सीमा 10% प्रतिशत अंक से घटाई जाएगी[30]। अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 पूंजी लिखतों के लिए यह सीमा अलग से प्रयुक्त होगी

[30] बेस में केवल वही लिखत शामिल होने चाहिए जिन्हें Grandfather किया जाएगा। यदि कोर्ट लिखत 1 जनवरी 2013 को अमान्य किया जाता है तो 1 जनवरी 2013 को नियत किए गए बेस में इसकी गणना नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त संक्रमणकालिक व्यवस्थाओं के लिए बेस है उसे उस बकाया रकम को दर्शाना चाहिए। 31 दिसंबर 2012 के अनुसार लागू मौजूदा संरचना के अंतर्गत पूंजी के संबंधित टियर में शामिल किए जाने हेतु पात्र है । साथ ही टियर 2 के लिखतों के लिए बेस 1 जनवरी 2013 को परिशोधन होना प्रारंभ हो गए हैं, grandfathering के लिए बेस को परिशोधित खाते को संज्ञान में लेना चाहिए न कि संपूर्ण नाममात्र रकम को। इस प्रकार वैयक्तिक लिखतों का 20% प्रति वर्ष की दर से परिशोधन जारी रहेगा जबकि समेकित कैप को 10% प्रति वर्ष की दर से कम किया जाता रहेगा।

और यह सीमा उन बकाया लिखतों की कुल रकम को दर्शाती है जो अब प्रवेश से संबंधित मानकों को पूरा नहीं करते। उस सीमा तक जहाँ तक कोई लिखत मोचित किया गया है अथवा पूंजी में उसकी मान्यता परिशोधित की गई है, 1 जनवरी 2013 के बाद, बेस के रूप में कार्य करने वाली अंकित राशि को कम नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, लिखत, खास तौर पर ऐसे लिखत जिनके मोचन को प्रोत्साहित किया गया है, को निम्नलिखित रूप से ट्रीट किया जाएगा:

4.5.4.1 यदि गैर-सामान्य ईक्विटी विनियामक पूंजी लिखत को 12 सितंबर 2010 के पहले जारी किया गया है तो पैराग्राफ 4.5.4.1 (क) से 4.5.4.1 (घ) में बताया गया ट्रीटमेंट लागू होगा :

(क) यदि लिखत मोचन के लिए क्रय विकल्प (कॉल) और स्टेपअप- और अन्य प्रोत्साहन नहीं हैं - (i) यदि यह अव्यवहार्यता मानदंड सहित अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है, तो 1 जनवरी 2013 से ऐसे लिखत की मान्यता पूरी तरह जारी रहेगी; (ii) यदि लिखत गैर अर्थक्षमता मानदंड सहित अन्य मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो इसे 1 जनवरी 2013 से चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।

(ख) यदि लिखत में कॉल और स्टेप-अप है और परिपक्वता की प्रभावी तिथि 12 सितंबर 2010 से पूर्व थी और कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया गया था - (i) यदि लिखत गैर अर्थक्षमता मानदंड सहित अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है, तो 1 जनवरी 2013 से ऐसे लिखत की मान्यता पूरी तरह जारी रहेगी; (ii) यदि लिखत गैर अर्थक्षमता मानदंड सहित अन्य मानदंड पूरे नहीं करता, तो इसे 1 जनवरी 2013 से चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाएगा।

(ग) यदि लिखत में कॉल और स्टेप-अप है और परिपक्वता की प्रभावी तिथि 12 सितंबर 2010 से 31 दिसंबर 2012 के बीच थी और कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया गया था - (i) यदि लिखत गैर अर्थक्षमता मानदंड सहित अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है, तो 1 जनवरी 2013 से ऐसे लिखत की मान्यता पूरी तरह जारी रहेगी; (ii) यदि लिखत गैर अर्थक्षमता मानदंड सहित अन्य मानदंडों को पूरा नहीं करता, तो 1 जनवरी 2013 से इसकी मान्यता पूर्णत: समाप्त कर दी जाएगी।

---

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित लिखतों के मामलों में बेस की गणना करने के लिए पूंजी के संबंधित टियर में शामिल किए जाने हेतु पात्र नहीं रह जाते (लेकिन जिन्हें Grandfather किया जाएगा) को 01 जनवरी 2013 की स्थिति के अनुसार बैंक की रिपोर्टिंग मुद्रा में उसके मूल्य का प्रयोग करते हुए शामिल किया जाना चाहिए। अतः पूरे संक्रमणकालीन अवधि के दौरान बेस का निर्धारण बैंक की रिपोर्टिंग मुद्रा में की जाएगी। संक्रमणकालीन अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित लिखतों का मूल्यांकन उस प्रकार होना चाहिए जैसाकि संबंधित रिपोर्टिंग की तिथि में बैंक के तुलन पत्र पर वे रिपोर्ट किये गये हों। टियर 2 लिखतों के मामले में किसी प्रकार के ऋण की कटौती को समायोजित करते हुए तथा अन्य सभी लिखतों के साथ बजट पूंजी के संबंधित टियर में शामिल किए जाने हेतु मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, कैप के अधीन होंगे।

तथापि, यदि ऐसे लिखत गैर अर्थक्षमता मानदंड को छोड़कर अन्य सभी मानदंड पूर्ण करते हैं तो इन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।

(घ) यदि लिखत में कॉल और स्टेप-अप है और परिपक्वता की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2013 के बाद है - (i) लिखत 1 जनवरी 2013 के बाद कॉल ऑप्शन का प्रयोग किए जाने तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा (ii) यदि ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया जाता और लिखत गैर अर्थक्षमता मानदंडों सहित अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है, तो इसे 1 जनवरी 2013 से कॉल तारीख तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा तथा कॉल तारीख के बाद पूर्णत: मान्य किया जाएगा। तथापि यदि लिखत गैर अर्थक्षमता मानदंड सहित अन्य सभी मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो इसे 1 जनवरी 2013 से कॉल तारीख तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा तथा कॉल तारीख के बाद पूर्णत: अमान्य किया जाएगा।

4.5.4.2 यदि गैर-सामान्य ईक्विटी विनियामक पूंजी लिखत को 12 सितंबर 2010 और 1 जनवरी 2013[31] के बीच में जारी किया गया है, तो पैराग्राफ 4.5.4.2 (क) से 4.5.4.2 (ग) में बताया गया ट्रीटमेंट लागू होगा :

(क) यदि ऐसा लिखत गैर अर्थक्षमता मानदंडों सहित सभी मानदंडों पूरे करता है तो यह 1 जनवरी 2013 से पूरी तरह मान्य बना रहेगा।

(ख) यदि ऐसा लिखत गैर अर्थक्षमता मानदंडों सहित सभी मानक पूरे नहीं करता है तो यह 1 जनवरी 2013 से पूरी तरह अमान्य किया जाएगा।

(ग) यदि ऐसा लिखत गैर अर्थक्षमता मानदंडों को छोड़ कर सभी मानक पूरे करता है तो यह 1 जनवरी 2013 से चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाएगा।

4.5.4.3 1 जनवरी 2013 के बाद जारी गैर-सामान्य ईक्विटी विनियामक पूंजी लिखत के लिए यह आवश्यक है कि वह पात्र विनियामक पूंजी लिखत (अतिरिक्त टियर 1 या टियर 2 पूंजी) होने के लिए गैर अर्थक्षमता मानदंडों सहित पात्रता के सभी मानदंडों को पूरा करता हो। अन्यथा ऐसे लिखत को पात्र पूंजी लिखत के रूप में पूर्णतः अमान्य कर दिया जाएगा।

4.5.4.4 **अनुबंध 19** में ऊपर वर्णित फेज-आउट व्यवस्थाओं का योजनाबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया गया है।

---

[31] कृपया 'विनियामक पूंजी लिखत - स्टेप-अप विकल्प' पर दिनांक 20 जनवरी 2011 का परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 75/ 21.06.001/2010-11 देखें। बैंक कृपया बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति की दिनांक 12 सितंबर 2010 की प्रेस-विज्ञप्ति भी देखें जिसमें उच्चतर न्यूनतम पूंजी मानकों पर गवर्नरों के समूह और हेड्स ऑफ सुपरविज़न द्वारा की गई घोषणाओं के बारे में बताया गया है।

4.5.5 जो पूंजी लिखत सामान्य ईक्विटी टियर 1 में शामिल किए जाने हेतु मानकों को पूरा नहीं करते हैं, वे 1 अप्रैल 2013 को सामान्य ईक्विटी टियर1 से निकाल दिए जाएंगे।

4.5.6 संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं का एक उदाहरण **अनुबंध 12** में दिया गया है - वे पूंजी लिखत जो गैर-सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी और टियर 2 पूंजी के रूप में पात्र नहीं रह जाते।

## 5. ऋण जोखिम के लिए पूंजी भार

### 5.1 सामान्य

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पात्र बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी रेटिंग ऋण जोखिम की माप का मुख्य आधार होगी। रिज़र्व बैंक ने ऐसी बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों को अभिनिर्धारित किया है जो संशोधित ढांचे के अधीन विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों की पूर्ति करती हैं। बैंक, इन दिशा-निर्देशों में दी गई रूपरेखा के अनुसार पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भार निर्धारित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चुनी गईं बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी रेटिंग पर निर्भर कर सकते हैं।

### 5.2 देशी सम्प्रभु (सोवरेन) संबंधी दावे

5.2.1 केंद्र सरकार संबंधी निधि आधारित तथा निधीतर आधारित, दोनों दावों पर शून्य जोखिम भार लागू होगा। केंद्र सरकार से गारंटीप्राप्त दावों पर शून्य जोखिम भार लागू होगा।

5.2.2 राज्य सरकारों को बैंकों द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष ऋण/ओवरड्राफ्ट एक्सपोज़र, यदि कोई हो तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश पर शून्य जोखिम भार लगेगा । राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत दावों पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा ।

5.2.3 केंद्र सरकार के एक्सपोज़र संबंधी दावों पर लागू जोखिम भार, भारतीय रिज़र्व बैंक, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम तथा माइक्रो तथा लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) तथा निम्न आय आवास के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच)[32] संबंधी दावों पर भी लागू होगा। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) संबंधी दावों पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा।

5.2.4 सीधे दावों तथा गारंटी दावों दोनों के लिए उपर्युक्त जोखिम भार तब तक लागू होगा जब तक वे `मानक'/अर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत हैं। जहां ये सम्प्रभु एक्सपोज़र अनर्जक के

---

[32] कृपया निम्न आय आवास के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) द्वारा गारंटीकृत अग्रिम-जोखिम भारिता और प्रावधान पर 16 अप्रैल 2013 का परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 90/ 21.04.048/2012-13 देखें।

रूप में वर्गीकृत होते हैं, वहां अनर्जक परिसंपत्तियों पर लागू जोखिम भार उन्हें लागू होगा, जिनके बारे में पैरा 5.12 में विस्तृत जानकारी दी गयी है।

5.2.5 "कृषि ऋण माफी योजना, 2008 के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्य राशि" नामक खाते में बकाया राशि भारत सरकार पर दावा मानी जाएगी और पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के लिए उस पर शून्य जोखिम भार लगेगा। तथापि, ऋण राहत योजना के अंतर्गत आनेवाले खातों की बकाया राशि उधारकर्ता पर दावा मानी जाएगी और मौजूदा मानदंडों के अनुसार उस पर जोखिम भार लगाया जाएगा।

5.2.6 उपर्युक्त जोखिम भार तभी लागू होंगे, यदि ऐसे एक्सपोजर भारतीय रुपये में अंकित हों तथा उनका वित्तपोषण भारतीय रुपये में ही किया गया हो।

### 5.3 विदेशी सम्प्रभु संबंधी दावे

5.3.1 विदेशी सम्प्रभु संबंधी दावों पर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों द्वारा उन सम्प्रभुओं/ सम्प्रभुओं के दावों को दी गयी रेटिंग[33] के अनुसार निम्नानुसार जोखिम भार लागू होगा :

**सारणी 2 : विदेशी सम्प्रभु संबंधी दावे - जोखिम भार**

| **एस एंड पी*/ फिच रेटिंग** | **AAA से AA** | **A** | **BBB** | **BB से B** | **B से नीचे** | **जिनकी रेटिंग नहीं हुई है** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **मूडी की रेटिंग** | **Aaa से Aa** | **A** | **Baa** | **Ba से B** | **B से नीचे** | **जिनकी रेटिंग नहीं हुई है** |
| **जोखिम भार (%)** | 0 | 20 | 50 | 100 | 150 | 100 |

* स्टैंडर्ड एंड पुअर

5.3.2 विदेशी सम्प्रभु की देशी मुद्रा में मूल्यवर्गित दावे, जिनकी पूर्ति उस सम्प्रभु के अधिकार क्षेत्र[34] में जुटाए गए उसी मुद्रा के संसाधनों से की गयी है, पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा।

[33] उदाहरण के लिए : पेरिस स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा द्वारा यूएस ट्रेज़री बिल में निवेश पर दिया जानेवाला जेखिम भार, निधियन की मुद्रा चाहे कोई भी हो, ट्रेज़री बिल को दी गयी रेटिंग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि सारणी 2 में दर्शाया गया है।

[34] उदाहरणार्थ : यदि भारतीय स्टेट बैंक, न्यूयॉर्क के अमरीकी डॉलर में मूल्यवर्गित संसाधनों में से निवेश का निधीयन हुआ हो तो न्यूयॉर्क स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा द्वारा अमरीकन खज़ाना बिलों में किए निवेश पर शून्य प्रतिशत जोखिम

5.3.3 तथापि, यदि भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की बहियों के ऐसे दावों के संबंध में कोई मेज़बान (होस्ट) पर्यवेक्षक अधिक सतर्क व्यवहार चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वे पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए मेज़बान देश के पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को अपनाएं।

**5.4 सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं (पीएसई) संबंधी दावे**

5.4.1 देशी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं संबंधी दावों पर उसी प्रकार जोखिम भार लगेगा जो कंपनियों संबंधी दावों पर लागू है।

5.4.2 विदेशी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं संबंधी दावों पर जोखिम भार अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दिए गए निर्धारण के अनुसार निम्नानुसार होगा :

**सारणी 3 : विदेशी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं संबंधी दावे - जोखिम भार**

| **एस एंड पी/ फिच रेटिंग** | AAA से AA | A | BBB से BB | BB से नीचे | **जिनकी रेटिंग नहीं हुई है** |
|---|---|---|---|---|---|
| **मूडी की रेटिंग** | Aaa से Aa | A | Baa से Ba | Ba से नीचे | **जिनकी रेटिंग नहीं हुई है** |
| **जोखिम भार (%)** | 20 | 50 | 100 | 150 | 100 |

**5.5 बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी), अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) संबंधी दावे**

बीआइएस, आइएमएफ संबंधी दावों तथा बीसीबीएस द्वारा मूल्यांकित निम्नलिखित पात्र बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) संबंधी दावों को न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं की पूर्ति करनेवाले अनुसूचित बैंकों संबंधी दावों जैसा ही समझा जाएगा और उनपर समान रूप से बीस प्रतिशत जोखिम भार लगेगा :

क) विश्व बैंक समूह : आइबीआरडी और आइएफसी

ख) एशियाई विकास बैंक

ग) आफ्रिकी विकास बैंक

घ) यूरोपीय बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट

ङ) इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक

---

भार लगेगा, चाहे दावे का रेटिंग कुछ भी क्यों न हो। यदि भारतीय स्टेट बैंक, न्यूयॉर्क के पास कोई अमरीकन डॉलर मूल्यवर्ग के संसाधन नहीं हैं तो उक्त जोखिम भार उक्त सारणी 2 में दर्शाए गए अनुसार खज़ाना बिलों को दिए गए रेटिंग से निश्चित किया जाएगा।

च) यूरोपीय निवेश बैंक

छ) यूरोपीय निवेश निधि

ज) नॉर्डिक निवेश बैंक

झ) कैरिबियन विकास बैंक

ञ) इस्लामिक विकास बैंक और

त) काउन्सिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक

इसी प्रकार, रोग-प्रतिरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त सुविधा (आईएफएफआईएम) संबंधी दावों पर भी 20 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा।

## 5.6 बैंकों पर दावे (पूंजी लिखतों के प्रति एक्सपोजर)

5.6.1 अन्य बैंकों के पूंजी लिखतों में बैंकों के निवेश के मामले में निम्नलिखित निवेशों को घटाया नहीं जाएगा , लेकिन उन पर समुचित जोखिम भार लगेगा (देखें ऊपर पैरा 4.4.9):

(i) निम्नलिखित शर्तों के अधीन उन बैंकों के **पूंजी लिखतों** में निवेश जहां पर निवेशकर्ता बैंक निवेशिती बैंकों के जारी सामान्य शेयरों के 10% से अधिक धारण नहीं करता:

- बीमा तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के पूंजी लिखतों में निवेश सहित इन निवेशों का कुल योग निवेशकर्ता बैंक की सामान्य ईक्विटी के 10% से अधिक न हो।
- निवेशिती संस्थाओं में ईक्विटी निवेश विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हो।

(ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अन्य बैंकों में **ईक्विटी निवेश** जहां पर निवेशकर्ता बैंक निवेशिती बैंकों के जारी सामान्य शेयरों के 10% से अधिक धारण करता है,:

- बीमा तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के पूंजी लिखतों में निवेश सहित ऐसे निवेशों का कुल योग निवेशकर्ता बैंक की सामान्य ईक्विटी के 10% से अधिक न हो।
- निवेशिती संस्थाओं में ईक्विटी निवेश विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हो।

तदनुसार, भारत में निगमित बैंक तथा विदेशी बैंकों की भारत में शाखाओं पर दावों को, ऊपर पैरा 4.4.9 के अनुसार घटाये गये दावों को छोड़कर, निम्नलिखित के अनुसार जोखिम भारित किया जाएगा:

## सारणी 4 : भारत में निगमित बैंकों और भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं पर दावे[35]

| | जोखिम भार (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सभी अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक तथा सहकारी बैंक) | | | सभी गैर-अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक तथा को-ऑपरेटिव बैंक) | | |
| निवेशिती बैंक के लागू पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) (%) सहित सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी का स्तर (जहां लागू हो) | पैराग्राफ 5.6.1(i) में संदर्भित निवेश | पैराग्राफ 5.6.1 (ii) में संदर्भित निवेश | अन्य सभी दावे | पैराग्राफ 5.6.1 (i) में संदर्भित निवेश | पैराग्राफ 5.6.1(ii) में संदर्भित निवेश | अन्य सभी दावे |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| लागू न्यूनतम सामान्य ईक्विटी + लागू सीसीबी तथा तथा उससे ऊपर | 125% अथवा लिखत अथवा प्रतिपक्ष की रेटिंग के अनुसार जोखिम भार, जो भी अधिक हो | 250 | 20 | 125% अथवा लिखत अथवा प्रतिपक्ष की रेटिंग के अनुसार जोखिम भार, जो भी अधिक हो | 300 | 100 |
| लागू न्यूनतम सामान्य ईक्विटी + सीसीबी = 75% और लागू सीसीबी[35] का <100% | 150 | 300 | 50 | 250 | 350 | 150 |
| लागू न्यूनतम सामान्य ईक्विटी + सीसीबी = 50% और लागू सीसीबी का <75%[36] | 250 | 350 | 100 | 350 | 450 | 250 |
| लागू न्यूनतम सामान्य ईक्विटी + सीसीबी = 0% और लागू सीसीबी का <50% | 350 | 450 | 150 | 625 | पूर्ण कटौती* | 350 |
| लागू न्यूनतम से कम न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी | 625 | पूर्ण कटौती* | 625 | पूर्ण कटौती* | पूर्ण कटौती* | 625 |

*कटौती सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी से की जानी चाहिए।

35 एएफएस तथा एचएफटी संविभागों में धारित दावों के लिए कृपया 'बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार' के अंतर्गत पैरा 8.3.5 तथा 8.4.4 देखें।

36 उदाहरणार्थ, 31 मार्च 2016 को न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 5.5% तथा सीसीबी 1.25% के 75% के समान और 1.25% से कम के बीच

**<u>टिप्पणियां</u>**

i) उन बैंकों के मामले में जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोई पूंजी पर्याप्तता मानदंड निर्धारित नहीं किया है, उधारदाता /निवेशक बैंक निवेशिती बैंक से अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर वाणिज्य बैंकों को यथा लागू पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का उपयोग करके आनुमानिक आधार पर संबंधित सहकारी बैंक के सीआरएआर की गणना कर सकता है। यदि ऐसे आनुमानिक आधार पर सीआरएआर की गणना करना संभव नहीं हो तो निवेशक बैंक के संपूर्ण एक्सपोज़र पर निवेशक बैंक के जोखिम बोध के अनुसार, 350 अथवा 625 प्रतिशत का जोखिम भार एक समान रूप से लगाया जाए।

ii) उन बैंकों के मामले में जहां पूंजी पर्याप्तता मानदंड वर्तमान में लागू नहीं होते हैं वहां उनके पूंजी-पात्रता वाले लिखतों में निवेश का अभी प्रश्न नहीं उठेगा। तथापि, यदि वे भविष्य में ऐसे कोई पूंजी लिखत जारी करते हैं जिनमें निवेश करने के लिए अन्य बैंक पात्र हैं तो उपर्युक्त सारणी उन पर लागू होगी।

iii) जब तक निवेशिती बैंक अपने बासल III अनुपात सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करते, तब तक जोखिम भार की गणना पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश- नया पूंजी पर्याप्तता ढाँचा पर 1 जुलाई 2015 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 4/21.06.001/2015-16 में निहित सारणियों/पैराग्राफों के अनुसार की जाए।

5.6.2 विदेशी बैंकों संबंधी दावों पर जोखिम भार अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी रेटिंग के अनुसार निम्नानुसार होगा।

**सारणी 5 : विदेशी बैंकों संबंधी दावे - जोखिम भार**

| **एस एंड पी/ फिच रेटिंग** | **AAA से AA** | **A** | **BBB** | **BB से B** | **B से नीचे** | **जिनकी रेटिंग नहीं हुई है** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **मूडी की रेटिंग** | **Aaa से Aa** | **A** | **Baa** | **Ba से B** | **B से नीचे** | **जिनकी रेटिंग नहीं हुई है** |
| **जोखिम भार** (%) | 20 | 50 | 50 | 100 | 150 | 50 |

विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं के ऐसे एक्सपोज़र, जिसे विदेश स्थित प्रधान कार्यालय अथवा किसी अन्य देश में बैंक की शाखा द्वारा गारंटी/काउंटर-गारंटी दी गयी हो, मूल विदेशी बैंक पर दावे माने जाएंगे और उपर्युक्त सारणी 5 के अनुसार उनपर जोखिम भार लगेगा ।

5.6.3 तथापि, किसी बैंक के ऐसे दावे जो `देशी'[37] विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं और उसी अधिकार क्षेत्र में जुटाए गए उसी मुद्रा के संसाधनों से पूरे किए गए हैं, पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा बशर्ते संबंधित बैंक के विनियामक (कों) द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीआरएआर का वह बैंक पालन करता हो।

5.6.4 तथापि, यदि कोई मेज़बान पर्यवेक्षक भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की बहियों में ऐसे दावों के लिए अधिक सतर्क व्यवहार चाहता है तो बैंकों को चाहिए कि वे पूंजी पर्याप्तता के लिए मेज़बान पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को अपनाएं।

### 5.7 प्राथमिक व्यापारियों संबंधी दावे

प्राथमिक व्यापारियों संबंधी दावों पर उसी प्रकार जोखिम भार लगेगा जैसा कंपनियों संबंधी दावों पर लगता है।

### 5.8 कंपनियों , आस्ति वित्त कंपनियों और गैर-बैंकिग वित्त कंपनियाँ- इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों संबंधी दावे

5.8.1 कंपनियों[38] संबंधी दावों, जिनमें आस्ति वित्त कंपनियों और गैर-बैंकिग वित्त कंपनियाँ- इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों[39] पर एक्सपोज़र पर जोखिम भार सेबी के पास पंजीकृत तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेन्सियों की ओर से दिए गए निर्धारण के अनुसार हागा। निम्नलिखित सारणी कंपनियों, आस्ति वित्त कंपनियों और गैर-बैंकिग वित्त कंपनियाँ- इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों संबंधी दावों पर लागू जोखिम भार दर्शाती है।

**सारणी 6 : भाग क - कंपनियों संबंधी दीर्घावधि दावे - जोखिम भार**

| **देशी रेटिंग एजेन्सियां** | **AAA** | **AA** | **A** | **BBB** | **BB और उससे नीचे** | **जिनकी रेटिंग नहीं हुई है** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जोखिम भार (%) | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 100 |

[37] उदाहरणार्थ : भा. स्टे. बैंक की पैरिस स्थित शाखा का बीएनपी पारिबास पैरिस पर यूरो में मूल्यवर्गित किसी दावे पर, जिसका निधीयन भा. स्टे. बैंक, पैरिस की यूरो मूल्यवर्गित जमाराशि में से किया गया है, 20 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा, चाहे संबंधित दावे का रेटिंग कुछ भी क्यों न हो; बशर्ते बीएनपी पारिबास फ्रान्स के अपने विनियामक/पर्यवेक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीआरएआर का अनुपालन करता हो। यदि बीएनपी पारिबास न्यूनतम सीआरएआर का उल्लंघन करता है, तो उपर्युक्त सारणी 4 में दर्शाए गए अनुसार जोखिम भार होगा।

[38] कंपनियों संबंधी दावों में सम्प्रभु', 'बैंक', 'विनियामक फुटकर', 'आवासीय बंधक, 'अनर्जक परिसंपत्तियां' जैसी इन दिशानिर्देशों में अलग से वर्णित विनिर्दिष्ट श्रेणियों के अधीन शामिल करने हेतु पात्र एक्स्पोज़र को छोड़कर सभी निधि आधारित और निधीतर आधारित एक्स्पोज़र शामिल हैं।

[39] 12 फरवरी 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं. 74/21.06.001/2009-2010

**सारणी 6 : भाग ख - कंपनियों संबंधी अल्पावधि दावे - जोखिम भार**

| केअर | क्रिसिल | इंडिया रेटिंग एण्ड रिसर्च प्राइवेट लि. (इंडिया रेटिंग) | इकरा | ब्रिकवर्क | एसएमईआरए रेटिंग्स लि. (स्मेरा)[40] | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| केयर ए1+ | क्रिसिल ए1+ | फिच ए1+ | इकरा ए1+ | ब्रिकवर्क ए+1 | स्मेरा ए1+ | 20 |
| केयर ए1 | ए1 | फिच ए1 | इकरा ए1 | ब्रिकवर्क ए1 | स्मेरा ए1 | 30 |
| केयर ए2 | ए2 | फिच ए2 | इकरा ए2 | ब्रिकवर्क ए2 | स्मेरा ए2 | 50 |
| केयर ए3 | ए3 | फिच ए3 | इकरा ए3 | ब्रिकवर्क ए3 | स्मेरा ए3 | 100 |
| केयर ए4 और डी | क्रिसिल ए4 और डी | फिच ए4 तथा डी | इकरा ए4 तथा डी | ब्रिकवर्क ए 4 तथा डी | स्मेरा ए4 तथा डी | 150 |
| रेटिंग नहीं | रेटिंग नहीं | रेटिंग हीं | रेटिंग नहीं | रेटिंग नहीं | रेटिंग नहीं | 100 |

**टिप्पणियाँ** :

(i) आस्ति वित्त कंपनियों पर किए गए दावों के संबंध में जोखिम भार आस्ति वित्त कंपनियों की ऋण रेटिंग के अनुसार जारी रहेगा, परंतु जिन दावों पर नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अंतर्गत 150 प्रतिशत का जोखिम भार लगता है, उसे घटाकर 100 प्रतिशत के स्तर पर लाया जाएगा।

(ii) रेटिंग न की गई कंपनी संबंधी किसी दावे को ऐसा जोखिम भार न लगाया जाए जो उसके निगमन के देश को लगाये गए जोखिम भार से कम हो।

5.8.2 समग्र चूक के अनुभव के कारण जहां उच्चतर जोखिम भार अपेक्षित है वहां रेटिंग न किए गए दावों के लिए मानक जोखिम भार रिज़र्व बैंक बढ़ा सकता है। पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक इस पर भी विचार करेगा कि विभिन्न बैंकों द्वारा रखे गए कंपनियों के रेटिंग न किए दावों की ऋण की गुणवत्ता के कारण मानक जोखिम भार 100 प्रतिशत से उच्चतर लगाया जाना चाहिए या नहीं।

[40] कृपया दिनांक 17 अक्तूबर 2013 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.59/21.06.007/2013-14 देखें।

5.8.3 ऐसी कंपनियों में, जिनका दायित्व या तो संबंधित बैंक द्वारा अकेले या अन्य बैंकरों/ ऋणदाताओं के साथ मिलकर पुनर्रचित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है, छुपे अंतर्निहित जोखिम के उच्चतर घटक को दर्शाने की दृष्टि से इन कंपनियों के संबंध में रेटिंग न किए गए मानक /अर्जक दावों पर उच्चतर जोखिम भार लगाया जाना चाहिए। ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक कि संशोधित अनुसूची के अधीन ब्याज की पहली अदायगी/मूलधन देय हो जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए संशोधित भुगतान अनुसूची के अधीन संतोषजनक कार्यनिष्पादन नहीं होता । लागू जोखिम भार 125 प्रतिशत होगा।

5.8.4 अनिवासी कंपनियों संबंधी दावों पर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दिए गए रेटिंग के अनुसार निम्नानुसार जोखिम भार लगाया जाएगा।

**सारणी 7 : अनिवासी कंपनियों संबंधी दावे - जोखिम भार**

| **एस एंड पी/ फिच रेटिंग** | **AAA से AA** | **A** | **BBB से BB** | **BB से नीचे** | **जिनकी रेटिंग नहीं हुई है** |
|---|---|---|---|---|---|
| **मूडी का रेटिंग** | **Aaa से Aa** | **A** | **Baa से Ba** | **Ba से नीचे** | **जिनकी रेटिंग नहीं हुई है** |
| **जोखिम भार** (%) | 20 | 50 | 100 | 150 | 100 |

### 5.9 **विनियामक फुटकर संविभागों में शामिल दावे**

5.9.1 निम्न पैरा 5.9.3 में सूचीबद्ध सभी चार मानदंडों की पूर्ति करनेवाले दावों (निधि आधारित और निधीतर आधारित दोनों सहित) को विनियामक पूंजी प्रयोजनों के लिए फुटकर दावों के रूप में माना जाए और किसी विनियामक फुटकर संविभाग में शामिल किया जाए। इस संविभाग में शामिल दावों पर 75% जोखिम भार लगाया जाए। इसमें अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए, निम्न पैरा 5.12 में दिये गये दावों को शामिल न किया जाए।

5.9.2 निम्नलिखित निधि आधारित और निधीतर आधारित दोनों दावों को विनियामक फुटकर संविभाग से बाहर रखा जाएगा :

(क) प्रतिभूतियों में (जैसे बांडों और ईक्विटी में) निवेशों के ज़रिए एक्सपोज़र, चाहे सूचीबद्ध हो या न हो;

(ख) उस सीमा तक बंधक ऋण, जिस सीमा तक वे आवासीय संपत्ति[41] से प्रतिभूत दावों अथवा वाणिज्य स्थावर संपदा[42] द्वारा प्रतिभूत दावों के रूप में समझे जाने के लिए पात्र हैं;

(ग) बैंक के अपने स्टाफ के लिए दिए गए ऋण और अग्रिम जो सेवानिवृत्ति के लाभों और/या फ्लैट/मकान के बंधक द्वारा पूरी तरह सुरक्षित हैं ।

(घ) वैयक्तिक ऋणों और क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियों सहित उपभोक्ता ऋण

(ड.) पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र

(च) उद्यम पूंजी निधि

5.9.3 <u>पात्रता मानदंड</u>

(i) *<u>अभिमुखता मानदंड</u>* - एक्सपोज़र एकल व्यक्ति या व्यक्तियों को अथवा किसी छोटे कारोबार को एक्सपोज़र (निधि आधारित और निधीतर आधारित) है : इस वाक्यांश के अंतर्गत उल्लिखित व्यक्ति ऐसा विधिक व्यक्ति होगा जो संविदा करने के लिए सक्षम होगा और इसमें एकल व्यक्ति तथा हिंदू अविभक्त परिवार; छोटे कारोबार में भागीदारी फर्म, न्यास, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, सहकारी समितियां आदि शामिल होंगी, परंतु वह केवल इन तक ही सीमित नहीं होगा। छोटा कारोबार वह है जिसका कुल औसत वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से कम है। टर्नओवर मानदंड मौजूदा कंपनियों के मामले में पिछले तीन वर्ष के औसत के साथ, नई कंपनियों के मामले में अनुमानित टर्नओवर के साथ और जिन्होंने अब तक तीन वर्ष पूरे नहीं किए हैं, ऐसी कंपनियों के लिए वास्तविक और अनुमानित दोनों टर्नओवर के साथ संबद्ध होगा ।

(ii) *<u>उत्पाद मानदंड</u>* - एक्सपोज़र (निधि आधारित और निधीतर आधारित दोनों) निम्नलिखित में से किसी एक रूप का होता है : परिक्रामी ऋण और स्वीकृत अधिकतम ऋण सहायता (ओवरड्राफ्ट सहित), मीयादी ऋण और पट्टा (अर्थात् किस्त ऋण और पट्टा, छात्र ऋण तथा शैक्षिक ऋण) और छोटे कारोबार की सुविधाएं और प्रतिबद्धताएं।

---

[41] आवासीय संपत्ति से प्रतिभूत दावों के रूप में समझे जाने हेतु पात्र बंधक ऋण को पैरा 5.10 में परिभाषित किया गया है।
[42] पैरा 5.11.1 में यथापरिभाषित।

(iii) *विविधीकरण मानदंड* - बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विनियामक फुटकर संविभाग का पर्याप्त रूप से इस स्तर तक विविधीकरण किया गया है कि संविभाग का जोखिम कम हो गया है और 75% का जोखिम भार उपयुक्त है। इसे हासिल करने का एक मार्ग यह है कि एक प्रतिपक्ष को सकल एक्सपोज़र समग्र विनियामक फुटकर संविभाग के 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। `**सकल एक्सपोज़र'** से तात्पर्य है तीन अन्य मानदंडों को अलग-अलग रूप से पूरा करनेवाले सभी प्रकार के ऋण एक्सपोज़रों (अर्थात् ऋण और प्रतिबद्धताएं) की कुल राशि (अर्थात् ऋण जोखिम कम करने के किसी परिणाम को हिसाब में न लेते हुए)। इसके अतिरिक्त `एक प्रतिपक्ष' का अर्थ है एक अथवा अनेक कंपनियां जो एकल लाभार्थी (उदाहरण के लिए, किसी छोटे कारोबार के मामले में जो अन्य छोटे कारोबार से संबद्ध है, बैंक के दोनों कारोबारों के सकल एक्सपोज़र पर संबंधित सीमा लागू होगी) के रूप में समझी जाती हैं। बैंक सकल एक्सपोज़र की गणना के लिए समूह एक्सपोज़र की संकल्पना का समुचित उपयोग कर सकते हैं। उन्हें इस मानदंड का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां विकसित करनी चाहिए। जोखिम भार लगाने के प्रयोजन के लिए विविधीकरण मानदंड का मूल्यांकन करते समय समग्र विनियामक फुटकर संविभाग से फुटकर ऋणों के अंतर्गत आनेवाली अनर्जक परिसंपत्तियों को बाहर रखा जाना चाहिए।

(iv) *अलग-अलग एक्सपोज़रों का निम्न मूल्य* - एक प्रतिपक्ष को दिया गया अधिकतम सकल फुटकर एक्सपोज़र 5 करोड़ रुपये की कुल प्रारंभिक सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

5.9.4 कुल प्रारंभिक सीमा के अनुपालन का पता लगाने के प्रयोजन के लिए सभी प्रकार के तुलन पत्रेतर एक्सपोज़रों सहित, निधि आधारित और निधीतर आधारित सभी सुविधाओं के लिए एक्सपोज़र का अर्थ होगा मंजूर सीमा या वास्तविक बकाया राशि, इनमें से जो भी अधिक हो। मीयादी ऋणों और ईएमआइ आधारित सुविधाओं के मामले में, जहां मंजूर राशियों के किसी हिस्से के पुनः आहरण की गुंजाइश नहीं है वहां एक्सपोज़र से तात्पर्य होगा वास्तविक बकाया।

5.9.5 इन एक्सपोज़रों के लिए चूक के अनुभव के संदर्भ में रिज़र्व बैंक फुटकर संविभाग को दिए जोखिम भार का आवधिक अंतराल पर मूल्यांकन करेगा। पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक इसपर भी विचार करेगा कि अलग-अलग बैंकों द्वारा रखे गए विनियामक फुटकर दावों की ऋण गुणवत्ता को 75% से उच्चतर मानक जोखिम भार की आवश्यकता होनी चाहिए या नहीं।

5.10 **आवासीय संपत्ति से प्रतिभूत दावे**

5.10.1 ऐसी आवासीय संपत्ति जो उधारकर्ता के कब्जे में है या होगी या जो किराये पर दी है, के बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत, आवासीय संपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से अलग-अलग व्यक्तियों को दिए गए ऋण पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन नीति के आधार पर नीचे दी गयी सारणी 7क के अनुसार जोखिम भार लगाया जाएगा। एलटीवी अनुपात की गणना भाज्य में खाते की कुल बकाया राशि (अर्थात् मूल धन + उपचित ब्याज + ऋण संबंधी अन्य प्रभार जिसमें से कुछ भी घटाया न हो) और भाजक में संबंधित बैंक को बंधक दी हुई आवासीय संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य को रखकर प्रतिशत के रूप में की जानी चाहिए।

**सारणी 7 क: आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावे – जोखिम भार[43]**

| **ऋण की श्रेणी** | **एलटीवी अनुपात[44] (%)** | **जोखिम भार (%** |
|---|---|---|
| (क) वैयक्तिक आवास ऋण | | |
| (i) 20 लाख रुपये तक | 90 | 50 |
| (ii) 20 लाख रुपये से अधिक और 75 लाख रुपये तक | 80 | 50 |
| (iii) 75 लाख रुपये से अधिक | 75 | 75 |
| (ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा -रिहाइशी आवास (सीआरई-आरएच) | लागू नहीं | 75 |
| (ग) वाणिज्यिक स्थावर संपदा सीआरई | लागू नहीं | 100 |

टिप्पणी :

1 - ऋण मंजूरी के सभी नये मामलों में एलटीवी अनुपात निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से वर्तमान में एलटीवी अनुपात निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक है तो इसे सीमा के भीतर लाने के प्रयास किये जाने चाहिए।

2 - 'एक्सपोजर का वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर के रूप में वर्गीकरण पर दिशानिर्देश ' पर 9 सितंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 42/ 08.12.015/ 2009-10 के

---

[43] कृपया आवास क्षेत्र : सीआरई के अंतर्गत नया उप-क्षेत्र सीआरई (रिहाइशी आवास) और प्रावधान, जोखिम भार तथा एलटीवी अनुपातों को युक्तिसंगत बनाना 21 जून 2013 का परिपत्र बैंपविवि . बीपी. बीसी. सं . 104/ 08.12.015/ 2012-13 देखें।

[44] कृपया आवास क्षेत्र : सीआरई के अंतर्गत नया उप-क्षेत्र सीआरई (रिहाइशी आवास) और प्रावधान, जोखिम भार तथा एलटीवी अनुपातों को युक्तिसंगत बनाना 21 जून 2013 का परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं . 104/ 08.12.015/ 2012-13 भी देखें।

परिशिष्ट 2 के पैरा 2 में इंगित किये गये के अनुसार किसी व्यक्ति को तीसरी रिहाइशी इकाई से बैंकों के एक्सपोजर को भी सीआरई एक्सपोजर माना जाएगा।

5.10.2 आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत अन्य सभी दावों पर प्रतिपक्षी को अथवा जिस प्रयोजन के लिए बैंक ने वित्त प्रदान किया है उसे लागू जोखिम भार में से उच्चतर जोखिम भार लगेगा।

5.10.3 पुनर्रचित आवास ऋण पर ऊपर निर्धारित जोखिम भार पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त जोखिम भार लगाया जाना चाहिए।

5.10.4 आगे ऋण देने हेतु मध्यस्थ कंपनियों को दिये गये ऋण/एक्सपोज़र आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावों के अंतर्गत शामिल किये जाने के लिए पात्र नहीं होंगे परंतु वे कंपनियों संबंधी दावों के रूप में या विनियामक फुटकर संविभाग में शामिल दावों के रूप में, जो भी लागू हो, माने जाएंगे।

5.10.5 उपर्युक्त पैरा 5.10.1 में दर्शाए गए एक्सपोज़रों द्वारा समर्थित बंधक आधारित प्रतिभूतियों (एमबीएस (में किये गये निवेश प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र संबंधी दिशानिर्देशों से नियंत्रित होंगे (देखें निम्न पैरा 5.16)।

5.11 **वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर के रूप में वर्गीकृत दावे**

5.11.1 वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर को 9 सितंबर 2009 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 42/08.12.015/2009-10 द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार परिभाषित किया गया है।

5.11.2 ऊपर उल्लिखित दावों पर 100 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा ।

5.11.3 उपर्युक्त पैरा 5.11.1 में दिये गये अनुसार एक्सपोज़रों द्वारा समर्थित बंधक आधारित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में किये गये निवेश प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़रों संबंधी दिशानिर्देशों से नियंत्रित होंगे। देखें निम्न पैरा 5.16 ।

5.12 **अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए)**

5.12.1 अनर्जक परिसंपत्ति (पैरा 5.12.6 में उल्लिखित पात्र आवासीय बंधक ऋण को छोड़कर) के बेजमानती हिस्से पर, विनिर्दिष्ट प्रावधानों (आंशिक राइट-ऑफ सहित) को घटाकर, निम्नानुसार जोखिम भार लगेगा :

(i) जब विनिर्दिष्ट प्रावधान एनपीए की बकाया राशि के 20% से कम है तब 150% जोखिम भार;

(ii) जब विनिर्दिष्ट प्रावधान एनपीए की बकाया राशि के कम-से-कम 20% है तब 100% जोखिम भार;

(iii) जब विनिर्दिष्ट प्रावधान एनपीए की बकाया राशि के कम-से-कम 50% है तब 50% जोखिम भार;

5.12.2 जोखिम भार निर्धारित करने हेतु अनर्जक परिसंपत्तियों में विनिर्दिष्ट प्रावधान के स्तर की गणना के लिए किसी एकल प्रतिपक्षी का सारा निधीकृत एनपीए एक्सपोज़र (पात्र सम्पार्श्विक का मूल्य घटाए बिना) भाजक में लिया जाए।

5.12.3 अनर्जक परिसंपत्ति के प्रतिभूति समर्थित भाग को परिभाषित करने के प्रयोजन के लिए पात्र संपार्श्विक वही होगा जिसे ऋण जोखिम को कम करने के प्रयोजन के लिए मान्यता दी गयी है (पैराग्राफ 7.3.5)। अतः पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए अनर्जक परिसंपत्ति के प्रतिभूति समर्थित भाग की गणना करते समय संपार्श्विक के अन्य प्रकार जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मशीन, वर्तमान परिसंपत्तियां आदि को ध्यान में नहीं लिया जाएगा।

5.12.4 उपर्युक्त के अलावा, जहां कोई अनर्जक परिसंपत्ति निम्नलिखित प्रकार के सम्पार्श्विक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है, जिन्हें ऋण जोखिम को कम करने के प्रयोजनों के लिए स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य पात्र संपार्श्विक के साथ मान्यता नहीं दी गयी है, वहां बकाया राशि के 15 प्रतिशत प्रावधान होने पर विशिष्ट प्रावधानों को घटाकर 100 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा :

(i) भूमि तथा भवन जिनका विशेषज्ञ मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन किया गया है तथा मूल्यांकन तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं है, तथा

(ii) अच्छी स्थिति में संयंत्र तथा मशीन जिनका मूल्य उधारकर्ता के लेखा-परीक्षित तुलनपत्र जो अठारह महीनों से अधिक पुरानी नहीं है, में दिखाए गए मूल्यहासित मूल्य से अधिक नहीं है।

5.12.5 उपर्युक्त संपार्श्विकों को (पैराग्राफ 5.12.4 में उल्लिखित) केवल वहां मान्यता होगी जहां उसकी बिक्री से प्राप्त राशि लेने के लिए बैंक के पास स्पष्ट हक है तथा उस राशि का वे बैंक को देय राशियों की वसूली के लिए विनियोग कर सकते हैं। संपार्श्विक के प्रति बैंक के हक का यथोचित प्रलेखन होना चाहिए। मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत और कहीं भी संपार्श्विक के इन प्रकारों को मान्यता नहीं दी गई है।

5.12.6 पैराग्राफ 5.10.1 में यथापरिभाषित आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूति समर्थित दावे, जो अनर्जक परिसंपत्ति है, को विशिष्ट प्रावधानों को घटाकर 100% पर जोखिम भारित किया जाएगा । यदि ऐसे ऋणों में विशिष्ट प्रावधान बकाया राशि के कम-से -कम 20 प्रतिशत है लेकिन 50% से कम हैं, तो विशिष्ट प्रावधानों को घटाकर ऋण पर लागू जोखिम भार 75 प्रतिशत होगा । यदि विशिष्ट प्रावधान 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है तो लागू जोखिम भार 50 प्रतिशत होगा ।

5.13 **विनिर्दिष्ट श्रेणियां**

5.13.1 उद्यम पूंजी निधियां, जिन्हें उच्च जोखिम एक्स्पोज़र समझा जाता है, पर निधि आधारित तथा निधीतर आधारित दावों पर 150 प्रतिशत का उच्चतर जोखिम भार लागू होगा।

5.13.2 रिज़र्व बैंक यथासमय उच्च जोखिम एक्सपोज़र के रूप में निर्धारित किसी अन्य दावे में उच्चतर जोखिम को देखते हुए 150 प्रतिशत अथवा उच्चतर जोखिम भार लागू करने का निर्णय ले सकता है।

5.13.3 व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियों सहित लेकिन शैक्षिक ऋण रहित उपभोक्ता ऋण पर 125 प्रतिशत का उच्चतर जोखिम भार अथवा काउंटर पार्टी के बाहरी रेटिंग (अथवा उसका अभाव) के कारण अपेक्षित उच्चतर जोखिम भार (125 प्रतिशत से अधिक) लागू होगा। चूंकि सोना और स्वर्ण आभूषण पात्र वित्तीय संपार्श्विक हैं, सोना और स्वर्ण आभूषण द्वारा सुरक्षित व्यक्तिगत ऋण के मामले में काउंटर पार्टी एक्सपोज़र की गणना पैरा 7.3.4 के अनुसार परिपूर्ण दृष्टिकोण के अंतर्गत की जाएगी। `जोखिम कम करने के बाद एक्सपोज़र मूल्य' पर 125 प्रतिशत का जोखिम भार लगेगा।

5.13.4 `पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र' के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों पर 125 प्रतिशत का जोखिम भार अथवा काउंटर पार्टी की बाहरी रेटिंग (अथवा उसके अभाव) के कारण अपेक्षित जोखिम भार इनमें जो भी उच्चतर हो लागू होगा। ये जोखिम भार सभी बैंकिंग बही एक्सपोजरों पर भी लागू होंगे, जिन्हें प्रत्यक्ष निवेश के लिए पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा/कुल पूंजी बाजार एक्सपोजर[45] से छूट दी गयी है।

5.13.5 एनबीएफसी द्वारा जारी पूंजी लिखतों के प्रति एक्सपोजर, जिन्हें घटाया नहीं जाता है और जिनपर पैरा 4.4.9.2(ख) के अनुसार जोखिम भार लगाया जाना अपेक्षित है, पर 125% अथवा बाह्य

[45] अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं आदि में एक बैंक के इक्विटी निवेशों के लिए बैंकिंग बही एक्सपोजर के लिए लागू जोखिम भार / बाजार जोखिम एक्सपोजर के लिए पूंजी प्रभारों को क्रमश: पैरा 5 और 8 में शामिल किया गया है। ये जोखिम भार/ पूंजी प्रभार उन एक्सपोजरों पर भी लागू होंगे, जिन्हें 'पूंजी बाजार एक्सपोजर' सीमा से छूट मिली है।

रेटिंग के अनुसार, इनमें जो भी अधिक हो, जोखिम भार लगाया जाना चाहिए। एनबीएफसी द्वारा जारी ईक्विटी लिखतों के प्रति एक्सपोजर, जिन्हें घटाया नहीं जाता है और जिनपर पैरा 4.4.9.2(ग) के अनुसार जोखिम भार लगाया जाना अपेक्षित है, पर 250% जोखिम भार लगाया जाएगा। आस्ति वित्त कंपनियों, एनबीएफसी-आइएफसी और एनबीएफसी-आइडीएफ को छोड़कर "जमा स्वीकार नहीं करनेवाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ)" पर दावे (निवेशिती कंपनियों के पूंजी लिखतों के रूप में दावों को छोड़कर) पर 100 प्रतिशत का समरूप जोखिम भार लगेगा, चाहे दावे की राशि कुछ भी हो तथा कंपनी की रेटिंग की गयी हो अथवा नहीं की गयी हो। (आवास वित्त कंपनियों, एनबीएफसी-आइएफसी और एनबीएफसी-आइडीएफ[46] पर दावे के जोखिम भार के लिए पैरा 5.8.1 देखें) ।

5.13.6 गैर-वित्तीय संस्थाओं (सहायक कंपनियों को छोड़कर) की प्रदत्त इक्विटी में सभी निवेश,जो जारीकर्ता संस्था के जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक है अथवा जहाँ संस्था पैरा 4.4.9.2(ग)(i) में दी गयी परिभाषा के अनुसार असमेकित संबद्ध संस्था है, पर 1250%[47] का जोखिम भार लगेगा। ऐसी निवेशिती कंपनियों की प्रदत्त पूंजी के 10% या उससे कम के ईक्विटी निवेश पर 125% का जोखिम भार या रेटिंग या रेटिंग के अभाव के कारण निर्धारित जोखिम भार, इनमें जो भी अधिक हो, लगाया जाएगा।[48]

5.13.7 वित्तीय संस्थाओं (बैंकों और एनबीएफसी को छोड़कर) द्वारा जारी पूंजी लिखतों के प्रति एक्सपोजर जिन्हें घटाया नहीं गया है तथा जिनपर पैरा 4.4.9.2(ख) के अनुसार जोखिम भार लगाया जाना अपेक्षित है पर 125% अथवा बाह्य रेटिंग के अनुसार, इनमें जो भी अधिक हो, जोखिम भार लगाया जाएगा। वित्तीय संस्थाओं ( बैंकों और एनबीएफसी को छोड़कर) द्वारा जारी ईक्विटी लिखतों के प्रति एक्सपोजर जिन्हें घटाया नहीं गया है तथा जिनपर पैरा 4.4.9.2(ग) के अनुसार जोखिम भार लगाया जाना अपेक्षित है पर 250% जोखिम भार लगाया जाएगा।

5.13.8 अन्य बैंकों के ईक्विटी से इतर पूंजी हेतु पात्र लिखतों में बैंकों के निवेश पर पैरा 5.6.1 के अनुसार जोखिम भार लगाया जाना चाहिए।

---

[46] 12 फरवरी 2010 का परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 74/21.06.001/2009-2010

[47] वित्तेतर अनुषंगियों में इक्विटी निवेशों को समेकित/एकल बैंक पूंजी में से घटाया जाएगा, जैसा कि पैरा 3.3.2/ 3.4.1 में बताया गया है।

[48] 'कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना' पर दिनांक 08 जून 2015 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं. 101/21.04.132/2014-15 में निहित दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंकों द्वारा अधिगृहीत संस्थाओं के इक्विटी शेयरों पर 'संदर्भ तारीख' से 18 महीनों तक 150% जोखिम भार लगाया जाएगा। 'संदर्भ तारीख' से 18 महीनों के बाद इन शेयरों को वर्तमान में लागू पूंजी पर्याप्तता विनियमों के अनुसार जोखिम भार लगाए जाएंगे। इस प्रयोजन से 'संदर्भ तारीख' संयुक्त ऋणदाता फोरम द्वारा कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना का निर्णय लिए जाने की तारीख होगी।

**5.13.9 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर[49]**

संस्थाओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का परिमाण उच्च स्तर पर बना हुआ है और इससे उच्च मुद्रा अस्थिरता के समय चूक की संभावना बढ़ सकती है। अतः दिनांक 15 जनवरी 2014 तथा 03 जून 2014 के क्रमश: परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 तथा बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 में निहित अनुदेशों के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर वाली संस्थाओं को बैंक एक्सपोजर[50] के संबंध में निम्नानुसार वृद्धिशील प्रावधानीकरण और पूंजी अपेक्षाएं (अर्थात् वर्तमान पूंजी अपेक्षाओं से ऊपर और अधिक) शुरू करने का निर्णय लिया गया:

| संभावित घाटा/ईबीआईडी (%) | वृद्धिशील पूंजी अपेक्षा |
|---|---|
| 75 प्रतिशत तक | 0 |
| 75 प्रतिशत[4] से अधिक | जोखिम भार में 25 प्रतिशत की वृद्धि |

5.14 **अन्य परिसंपत्तियां**

5.14.1 बैंक के अपने स्टाफ को ऋण तथा अग्रिम जो अधिवर्षिता लाभों तथा/अथवा फ्लैट/ मकान के बंधक द्वारा पूर्णतः समर्थित हैं पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा। चूंकि फ्लैट/मकान पात्र संपार्श्विक नहीं है और चूंकि बैंक सामान्यतः केवल सेवा की समाप्ति के समय अधिवर्षिता लाभों का समायोजन करके देयताओं की वसूली करते हैं, इसलिए बकाया राशि का कोई भी समायोजन किए बिना रियायती जोखिम भार लागू किया जाएगा। यदि स्टाफ सदस्य से देय राशियों के संबंध में बैंक के पास कोई पात्र संपार्श्विक है तो उस स्टाफ सदस्य की बकाया राशि को, नीचे पैराग्राफ 7 में दर्शाए गए अनुसार अनुमत सीमा तक समायोजित किया जाए।

5.14.2 बैंक के अपने स्टाफ को दिए गए अन्य ऋण तथा अग्रिम विनियामक खुदरा संविभाग के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र होंगे और इसलिए उन पर 75 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा।

5.14.3 अन्य सभी परिसंपत्तियों पर एक समान 100% जोखिम भार लागू होगा।

[49] कृपया दिनांक 15 जनवरी 2014 तथा 03 जून 2014 के क्रमश: परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 तथा बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 देखें।

[50] इस संदर्भ में 'संस्थाएं' का आशय ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने बैंकों से उधार लिया है। इसमें भारतीय रुपये तथा अन्य मुद्राओं में उधार शामिल हैं।

## 5.15 तुलनपत्रेतर मदें

### 5.15.1 सामान्य

i) कुल जोखिम भारित तुलनपत्रेतर ऋण एक्सपोजर की गणना बाज़ार संबद्ध तथा गैर-बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदों के जोड़ के रूप में की जाती है। किसी तुलनपत्रेतर मद, जिससे ऋण एक्सपोज़र होता है, की जोखिम भारित राशि की गणना सामान्यतः द्वि-स्तरीय प्रक्रिया द्वारा की जाती है :

(क) लेनदेन की परिकल्पित (नोशनल) राशि को विशिष्ट ऋण परिवर्तन गुणक द्वारा गुणा करके अथवा वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति को लागू करके ऋण समतुल्य राशि में परिवर्तित किया जाता है, तथा

(ख) प्राप्त ऋण समतुल्य राशि को काउंटर पार्टी पर लागू अथवा जिस प्रयोजन से बैंक ने वित्त दिया है, उस पर लागू अथवा परिसंपत्ति के प्रकार पर लागू, इनमें से जो भी अधिक हो, जोखिम भार द्वारा गुणा किया जाता है।

ii) जहां तुलनपत्रेतर मद, पात्र संपार्श्विक अथवा गारंटी द्वारा समर्थित है वहां पैराग्राफ 7 में वर्णित ऋण जोखिम को कम करने संबंधी दिशानिर्देश लागू किए जाए।

### 5.15.2 गैर-बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदें

i) गैर-बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मद, जैसे प्रत्यक्ष ऋण स्थानापन्न व्यापार तथा कार्य निष्पादन से संबंधित आकस्मिक मदें तथा कुछ ड्रॉडाऊन के साथ प्रतिबद्धताएं, अन्य प्रतिबद्धताएं आदि के संबंध में ऋण समतुल्य राशि, उस विशिष्ट लेनदेन की संविदाकृत राशि का संबंधित ऋण परिवर्तन गुणक (सीसीएफ) के साथ गुणा करके निर्धारित की जाएगी।

ii) जहां गैर-बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मद एक अनाहरित अथवा आंशिक रूप से अनाहरित निधि आधारित सुविधा[51] है, वहां तुलनपत्रेतर गैर-बाज़ार संबद्ध ऋण एक्सपोज़र की गणना

---

[51] उदाहरण के लिए (क) 100 लाख रु.की नकद ऋण सुविधा (जो बिना शर्त निरस्त नहीं की जा सकती है) के मामले में जहा आहरित हिस्सा 60 लाख रुपए है, 40 लाख रुपए के अनाहरित हिस्से पर 20 प्रतिशत का सीसीएफ लागू होगा (चूंकि ऋण सुविधा सामान्यतः वर्ष में एक बार समीक्षा/नवीकरण के अधीन होती है) 8 लाख रुपयों (40 लाख रु. का 20 प्रतिशत) की ऋण समतुल्य राशि पर अनाहरित हिस्से के लिए जोखिम भारित परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए काउंटरपार्टी/रेटिंग को लागू उचित जोखिम भार लगाया जाएगा। अनाहरित हिस्से (60 लाख रु) पर काउंटरपार्टी/रेटिंग को लागू जोखिम भार लगेगा।

(ख) एक वृहत् परियोजना के लिए 700 करोड़ रुपए का मीयादी ऋण मंजूर किया गया है, जिसे तीन वर्ष की अवधि के दौरान चरणों में आहरित किया जा सकता है। मंज़ूरी की शर्तों में तीन चरणों में आहरण की अनुमति दी गई है - चरण I में 150 करोड़ रुपये, चरण II में 200 करोड़ रुपये तथा चरण III में 350 करोड़ रुपये, जहां चरण II तथा चरण III में आहरण करने के लिए उधारकर्ता द्वारा कतिपय औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद बैंक का सुस्पष्ट अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है। यदि उधारकर्ता ने चरण I के अंतर्गत पहले ही 50 करोड़ रुपये का आहरण कर लिया है, तो आहरित न किए

करने में शामिल की जानेवाली अनाहरित प्रतिबद्धता की राशि उक्त प्रतिबद्धता का ऐसा अधिकतम अप्रयुक्त हिस्सा है जो परिपक्वता की शेष अवधि के दौरान आहरित किया जा सकता है। किसी प्रतिबद्धता का कोई भी आहरित हिस्सा बैंक के तुलन पत्र के ऋण एक्सपोज़र का भाग होता है।

iii) तुलनपत्रेतर सुविधाएं प्रदान करने की अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धताओं के मामले में मूल परिपक्वता की गणना प्रतिबद्धता के प्रारंभ से संबद्ध सुविधा समाप्त होने के समय तक की जाएगी। उदाहरण के लिए, 6 माह के प्रलेखी साख पत्र जारी करने हेतु 12 महीने की मूल परिपक्वतावाली अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता को 18 महीने की मूल परिपक्वता वाली प्रतिबद्धता समझा जाता है। तुलनपत्रेतर सुविधाएं प्रदान करने की अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धताओं पर लागू होनेवाले दो ऋण परिवर्तन गुणकों (सीसीएफ) में से निम्नतर सीसीएफ लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 15 महीनों की मूल परिपक्वता वाली अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता (50 प्रतिशत-सीसीएफ) पर छः महीने के प्रलेखी साख पत्र (20 प्रतिशत-सीसीएफ) जारी करने के लिए निम्नतर सीसीएफ अर्थात् प्रलेखी साख पत्र पर लागू सीसीएफ अर्थात् 20 प्रतिशत लागू होगा ।

iv) गैर-बाज़ार से संबद्ध तुलनपत्रेतर लेनदेन के लिए ऋण परिवर्तन गुणक निम्नानुसार हैः

**सारणी 8 : ऋण परिवर्तन गुणक - गैर-बाजार आधारित तुलनपत्रेतर मदें**

| क्र. सं. | लिखत | ऋण परिवर्तन गुणक (प्रतिशत में) |
|---|---|---|
| 1. | प्रत्यक्ष ऋण स्थानापन्न, उदाहरण के लिए ऋणग्रस्तता की सामान्य गारंटियां (जिनमें ऋण तथा प्रतिभूतियों के लिए वित्तीय गारंटियों के रूप में कार्य करनेवाले उद्‌यत (स्टैंड बाय) साख पत्र, ऋण प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए नकदी सुविधाएं शामिल हैं) तथा स्वीकृतियां (जिनमें स्वीकृति के स्वरूप के बेचान शामिल हैं)।<br>(अर्थात् हानि का जोखिम, काउंटर पार्टी अथवा जिस पार्टी के विरुद्ध संभाव्य दावा प्राप्त किया है, उस की ऋण पात्रता पर निर्भर है।) | 100 |
| 2. | कुछ लेनदेन से संबंधित आकस्मिक मदें (उदाहरणार्थ, निष्पादन बाण्ड, बिड बाण्ड, वारंटी, इंडेम्निटी तथा किसी खास लेनदेन से संबंधित उद्‌यत साख पत्र) | 50 |
| 3. | जारीकर्ता बैंक तथा पुष्टि करने वाला बैंक दोनों के लिए वस्तुओं की आवाजाही (उदाहरणार्थ, अंडरलाइंग शिपमेंट द्‌वारा संपार्श्विकृत प्रलेखी साख/ऋण) से पैदा होनेवाले अल्पावधि स्व-परिसमापक व्यापार पत्र | 20 |

गए भाग की गणना केवल चरण I के संदर्भ में की जाएगी, अर्थात् यह 100 करोड़ रुपये होगा। यदि चरण I एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना निर्धारित है, तो सीसीएफ 20% होगा, और यदि यह एक वर्ष से अधिक है, तो लागू किया जाने वाला सीसीएफ 50 प्रतिशत होगा।

| | | |
|---|---|---|
| 4. | विक्रय तथा पुनः क्रय करार तथा आश्रय (रिकोर्स) सहित परिसंपत्ति बिक्री जहां ऋण जोखिम बैंक के पास रहता है।<br>(इन मदों को परिसंपत्ति के प्रकार के अनुसार जोखिम भारित किया जाना है न कि जिस प्रकार की काउंटर पार्टी के साथ यह लेनदेन किया गया है उसके अनुसार) | 100 |
| 5. | वायदा परिसंपत्ति खरीद, वायदा जमाराशियां तथा अंशतः प्रदत्त शेयर तथा प्रतिभूतियां जो कुछ ड्रॉडाउन सहित प्रतिबद्धताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं ।<br>*(इन मदों को परिसंपत्ति के प्रकार के अनुसार जोखिम भारित किया जाना है न कि जिस प्रकार की काउंटर पार्टी के साथ यह लेनदेन किया गया है उसके अनुसार) | 100 |
| 6. | बैंकों द्वारा बैंक की प्रतिभूतियां उधार देना अथवा प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में दर्ज करना जिनमें ऐसे उदाहरण भी शामिल हैं जहां ये रिपो स्वरूप के लेनदेनों (अर्थात् पुनर्खरीद/प्रति पुनर्खरीद तथा प्रतिभूति उधार देने/प्रतिभूति उधार लेने के लेनदेन) के कारण होते हैं । | 100 |
| 7. | नोट निर्गमन सुविधा तथा परिक्रामी / **गैर-परिक्रामी** हामीदारी सुविधाएं | 50 |
| 8. | कुछ ड्रॉडाउन सहित प्रतिबद्धताएं | 100 |
| 9. | निम्नलिखित अवधि की मूल परिपक्वता वाली अन्य प्रतिबद्धताएं (उदाहरणार्थ, औपचारिक उद्यत सुविधाएं तथा ऋण व्यवस्था)<br>क) एक वर्ष तक<br>ख) एक वर्ष से अधिक<br>इसी तरह की प्रतिबद्धताएं जो बैंक द्वारा किसी भी समय बिना कोई पूर्व सूचना के बिना शर्त निरस्त की जा सकती हैं अथवा जिनके संबंध में उधारकर्ता की ऋण पात्रता[52] में कमी आ जाने के कारण स्वतः निरस्त होने का प्रावधान है। | <br><br>20<br>50<br><br>0 |
| 10. | अधिग्रहण करनेवाली संस्था की बहियों में अंतरण (टेक-आउट) वित्तपोषण | |
| | i) बिना शर्त अंतरण वित्तपोषण | 100 |
| | ii) सशर्त अंतरण वित्तपोषण | 50 |

v) बाज़ार से संबंध न रखनेवाले तुलनपत्रेतर मदों के संबंध में, बैंकेतर काउंटरपार्टियों के साथ किए गए निम्नलिखित लेनदेन को बैंकों पर दावा माना जाएगा :

- अन्य बैंकों की काउंटर गारंटियों की जमानत पर बैंकों द्वारा जारी गारंटियां।

[52] तथापि, यह बैंक द्वारा यह दर्शाने पर निर्भर करेगा कि वह उधारकर्ता की ऋण-पात्रता घटने की स्थिति में किसी प्रत्याहत वायदे को निरस्त करने में वास्तव में समर्थ हैं, अन्यथा ऐसी सुविधाओं पर लागू रद्द नहीं किए जा सकने वाले ऋण संपरिवर्तन कारक लागू होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक के पिलर 2 के अधीन वार्षिक वित्तीय निरीक्षण/ पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत बैंक द्वारा इन दिशानिर्देशों के अनुपालन का मूल्यांकन किया जाएगा।

- अन्य बैंकों द्वारा भुनाए गये प्रलेखी बिलों की पुनर्भुनाई तथा बैंकों द्वारा भुनाए गए बिल, जिन्हें किसी अन्य बैंक ने स्वीकार किया है, को बैंक पर निधिक दावा समझा जाएगा।

उपर्युक्त सभी मामलों में बैंक को इस बात से पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए कि जोखिम एक्सपोज़र वास्तव में दूसरे बैंक पर है। यदि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि जोखिम एक्सपोज़र दूसरे बैंक पर है तो वे इन एक्सपोज़रों पर पैराग्राफ 5.6 में वर्णित किए गए अनुसार बैंकों पर लागू जोखिम भार निर्धारित कर सकते हैं।

(vi) बैंकों द्वारा म्यूचुअल फंडों तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से विभिन्न स्टॉक एक्स्चेंज को जारी की गई अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धता ऐसी वित्तीय गारंटी है जिसका ऋण परिवर्तन गुणक 100 है। तथापि केवल पूंजी बाजार एक्सपोजर के रूप में गिने जानेवाले एक्सपोजर अर्थात राशि के 50 प्रतिशत पर पूंजी बनाई रखनी होगी क्योंकि ऐसा माना जाता कि शेष एक्सपोजर नकद राशि/प्रतिभूतियों द्वारा रक्षित है और इन्हें बासेल II के अनुसार जोखिम कम करने वाले तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया है। अतः पूंजी बाजार एक्सपोजर के लिए ली गयी राशि पर पूंजी बनाए रखनी है और उसपर 125 प्रतिशत जोखिम भार होगा।

vii) बैंक गारंटी के वर्गीकरण[53] के लिए जैसे डायरेक्ट क्रेडिट सबस्टीट्यूटस् तथा लेने देन से संबंधित आकस्मिक मदें आदि (सारणी 8 की क्रम सं 1 और 2) पर सीसीएफ लागू करते समय निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखा जाना चाहिए;

(क) वित्तीय गारंटियां ऐसे प्रत्यक्ष ऋण स्थानापन्न (क्रेडिट सब्स्टीट्यूट) हैं जिनमें कोई बैंक किसी संविदात्मतक वित्तीय दायित्व की चुकौती की अपरिवर्तनीय जिम्मेदारी लेता है। वित्तीय गारंटी में वस्तुतः वही ऋण जोखिम होता है जो प्रत्यक्ष रूप में ऋण देने में होता है अर्थात्, हानि का जोखिम उस काउंटरपार्टी की साख से सीधा जुड़ा है जिसके विरुद्ध संभाव्य दावा अर्जित किया गया है। वित्तीय गारंटी की एक सांकेतिक सूची नीचे दी जा रही है जिस पर 100 प्रतिशत का सीसीएफ लागू होगा;

- ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी;
- वित्तीय प्रतिभूतियों की चुकौती के बदले में गारंटी;
- एक्सचेंजों की मार्जिन अपेक्षाओं के बदले में गारंटी;

[53] कृपया नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा – गैर-बाजार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदें – बैंक गारंटी पर 2 अप्रैल 2013 का परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 89/21.04.009/2012-13 देखें।

- मोबिलाइजेशन अग्रिम, परियोजना का आरंभ होने से पहले लिया गया अग्रिम धन तथा परियोजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में प्राप्त होने वाली राशि के लिए गारंटी;
- कर/सीमा शुल्को/पत्तन/आबकारी प्राधिकारियों के पक्ष में बकाया राजस्वों करों, शुल्कों लेवी इत्यादि के लिए तथा अदालतों में लंबित मुकदमों के लिए विवादित देयताओं हेतु गारंटी;
- ऋण संवर्धन;
- प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए चलनिधि सुविधा;
- स्वीतकृतियां (स्वीरकृति के गुणों वाले परांकन सहित);
- आस्थगित भुगतान गारंटी।

(ख) निष्पादन गारंटियां मूलतः लेनदेनों से संबंधित आकस्मिकताएं हैं जिनमें किसी तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) को किसी काउंटरपार्टी द्वारा किसी संविदात्मक गैर-वित्तीय दायित्व को पूरा करने या निष्पादित करने में असफल होने पर भुगतान करने का अविकल्पी दायित्व निहित रहता है। ऐसे लेनदेनों में, हानि का जोखिम उस घटना पर आधारित रहता है जो जरूरी नहीं कि संबंधित काउंटर पार्टी की साख से संबंधित हो। निष्पातदन गारंटी की एक सांकेतिक सूची नीचे दी जा रही है, जिन पर 50 प्रतिशत सीसीएफ लागू होगा:

- बोली (बिड) बांड;
- निष्पादन बांड तथा निर्यात निष्पादन गारंटी;
- प्रतिभूति जमाराशियों/निविदाओं में हिस्सा लेने के लिए अग्रिम धन जमा (ईएमडी) प्रतिधारण धन गारंटी;
- लेनदेन विशेष से संबंधित वारंटी, क्षतिपूर्ति तथा आपाती साख पत्र ।

**5.15.3 कुल प्रतिपक्ष(काउंटर पार्टी) क्रेडिट जोखिम का ट्रीटमेंट**

5.15.3.1 प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार प्रतिपक्ष के डिफाल्ट जोखिम के साथ-साथ क्रेडिट माइग्रेशन जोखिम को कवर करेगा जो कि अपेक्षित प्रतिपक्ष जोखिम पर मार्क टु मार्केट हानि (ऐसी हानि जिन्हें साख मूल्य सीवीए समायोजनों के रूप में जाना जाता है) में परिलक्षित होता है। प्रतिपक्ष जोखिम ओटीसी डेरिवेटिव तथा प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेनों के संदर्भ में उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे लिखतों में आम तौर पर निम्नलिखित अमूर्त विशेषताएं दिखाई देती हैं :

- लेनदेन मौजूदा एक्सपोजर या बाजार मूल्य उत्पन्न करते हैं।

- इन लेनदेनों से संबद्ध बाजार के परिवर्तनशील घटकों पर आधारित एक यादृच्छिक (रैंडम)भावी बाजार मूल्य होता है।
- लेनदेन भुगतानों का विनिमय या वित्तीय लिखत का भुगतान पर विनिमय उत्पन्न करते हैं।
- जोखिम एक्सपोजर घटाने के लिए संपार्श्विक का प्रयोग किया जा सकता है और यह कुछ लेनदेनों के स्वरूप में स्वाभाविक रूप से उपस्थित होता है।
- इस मामले में अल्पकालिक वित्तीयन एक प्राथमिक उद्देश्य हो सकता है जिसमें अधिकतर लेनदेन अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए एक आस्ति से दूसरी आस्ति का विनिमय (नकदी या प्रतिभूतियां) सामान्यत: वित्तीयन के व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। लेनदेनों के दोनों पहलू अलग-अलग निर्णयों के परिणाम नहीं हैं, बल्कि वे एक सुनिश्चित लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक अदृश्य संपूर्ण का निर्माण करते हैं।
- जोखिम घटाने के लिए नेटिंग का प्रयोग किया जा सकता है।[54]
- बाजार के परिवर्तनशील घटकों के अनुसार स्थितियों का मूल्यनिर्धारण बार-बार (अधिकतर दैनिक आधार पर) किया जाता है।
- रिमार्जिनिंग का प्रयोग किया जा सकता है।

**'डिफाल्ट जोखिम के लिए पूंजी प्रभार'** की गणना पैरा 5.15.3.5 में वर्णित **मौजूदा एक्सपोजर पद्धति** का प्रयोग करते हुए की जाएगी। '**सीवीए जोखिम के लिए पूंजी प्रभार**' की गणना **पैराग्राफ 5.15.3.6** में बताए गए अनुसार की जाएगी। मौजूदा एक्सपोजर पद्धति केवल ओटीसी डेरिटिव पर ही लागू है। प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेनों के कारण उत्पन्न प्रतिपक्ष जोखिम को मास्टर परिपत्र के **पैरा 7.3.8** में समाविष्ट किया गया है।

**5.15.3.2** विदेशी विनिमय संविदाओं (स्वर्ण को छोड़कर), जिनकी मूल परिपक्वता 14 कैलेंडर दिनों के बराबर या उससे कम है, के लिए प्रतिपक्ष जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं से छूट दी गयी है।

**5.15.3.3 परिभाषाएं एवं सामान्य शब्दावली**

**प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम (सीसीआर)** वह जोखिम है जिसमें लेनदेन का प्रतिपक्ष लेनदेन के नकदी प्रवाहों के अंतिम समाधान के पहले चूक कर सकता है। यदि चूक के समय प्रतिपक्ष के साथ लेनदेन या लेनदेनों के पोर्टफोलियो का धनात्मक आर्थिक मूल्य हो, तो आर्थिक हानि होगी। किसी ऋण के

---

[54] कृपया बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - प्रतिपक्ष क्रेडिट एक्सपोजर की द्विपक्षीय नेटिंग पर <u>दिनांक 1 अक्तूबर 2010 का बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 48/21.06.001/2010-11</u> देखें। जैसा कि उस परिपत्र में संकेत किया गया है, व्युत्पन्न संविदाओं से उत्पन्न हुई बाज़ार दर आधारित मूल्यों की द्विपक्षीय नेटिंग अनुमत नहीं है।

माध्यम से किसी फर्म का क्रेडिट जोखिम के प्रति एक्सपोजर एफतरफा होता है और केवल ऋणदाता बैंक ही हानि का जोखिम सहता है, जबकि इसके विपरीत सीसीआर हानि का दोतरफा जोखिम उत्पन्न करता है; लेनदेन का बाजार मूल्य लेनदेन के दोनों प्रतिपक्षों में से किसी के लिए भी सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। बाजार का मूल्य अनिश्चित है और समय के साथ अन्तर्निहित बाजार घटकों की गतिविधियों के साथ भिन्न हो सकता है।

**प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन (एसएफटी)** पुनर्खरीद करार, रिवर्स पुनर्खरीद करार, प्रतिभूति उधार देना और उधार लेना, संपार्शिवीकृत उधार लेना और उधार देना (सीबीएलओ) तथा मार्जिन उधारदायी लेनदेन जैसे लेनदेन हैं, जहां लेनदेनों का मूल्य बाजार के मूल्यांकनों पर निर्भर करता है और लेनदेन अधिकांशतः मार्जिन करारों के अधीन होते हैं।

**हेजिंग सेट** एकल नेटिंग सेट के भीतर लेनदेनों की जोखिम स्थितियों का एक समूह है, जिसके लिए सीसीआर मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत एक्सपोजर राशि या ईएडी निर्धारित करने के लिए केवल उनका जमाशेष प्रासंगिक है।

**मौजूदा एक्सपोजर** किसी प्रतिपक्ष के साथ एक नेटिंग सेट के अंतर्गत किये गये लेनदेन अथवा लेनदेनों के पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य या शून्य, इनमें जो भी अधिक हो, है जिसकी प्रतिपक्ष के डिफाल्ट करने पर हानि हो जाएगी, यह मानते हुए कि दिवालिया घोषित होने पर उन लेनदेनों का कोई मूल्य वसूल नहीं होगा। मौजूदा एक्सपोजर को अक्सर प्रतिस्थापन लागत भी कहा जाता है।

**साख मूल्यांकन समायोजन** किसी प्रतिपक्ष के साथ लेन-देन के पोर्टफोलियो के मिड-मार्केट मूल्यांकन में परिवर्तन को कहते हैं। यह समायोजन किसी प्रतिपक्ष के साथ संविदात्मक करारों को निभा न पाने के कारण उत्पन्न साख जोखिम के बाजार मूल्य को व्यक्त करता है। यह समायोजन प्रतिपक्ष के साख जोखिम के बाजार मूल्य अथवा बैंक एवं प्रतिपक्ष, दोनों के साख जोखिम के बाजार मूल्य को प्रदर्शित कर सकता है।

**एकतरफा क्रेडिट (साख) मूल्यांकन समायोजन** वह साख मूल्यांकन समायोजन है जो फर्म के प्रति प्रतिपक्ष के साख जोखिम के बाजार मूल्य को प्रदर्शित करता है, लेकिन बैंक का प्रतिपक्ष के प्रति साख जोखिम के बाजार मूल्य को नहीं प्रदर्शित करता है।

**केंद्रीय प्रतिपक्षकार**[55] (सीसीपी) वह समाशोधन गृह है जो एक या एक से अधिक वित्तीय बाजारों में क्रय-विक्रय की जाने वाली संविदाओं के लिए प्रतिपक्षकारों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है और प्रत्येक विक्रेता के लिए क्रेता बन जाता है तथा प्रत्येक क्रेता के लिए विक्रेता बन जाता है तथा इसके द्वारा खुली संविदाओं के भविष्य के निष्पादन को सुनिश्चित करता है। सीसीपी नवीयन, खुले प्रस्ताव

[55] कृपया 2 जुलाई 2013 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 28/21.06.201/2013-14 देखें।

प्रणाली, या किसी अन्य विधिक रूप से बाध्यकारी व्यवस्था के माध्यम से बाजार प्रतिभागी के साथ व्यापार के लिए प्रतिपक्षकार बन जाता है। पूंजी ढांचे के उद्देश्य हेतु सीसीपी एक वित्तीय संस्था है।

**क्वालीफाइंग केंद्रीय प्रतिपक्षकार** (सीसीपी) वह संस्था है जिसे सीसीपी के रूप में परिचालन करने का लाइसेंस प्राप्त है (जिसमें छूट की पुष्टि करने के माध्यम से प्रदत्त लाइसेंस भी शामिल है), तथा उसे समुचित नियामक/पर्यवेक्षक से बेचे जाने वाले उत्पादों के संबंध में इस प्रकार के परिचालन के लिए अनुमति प्राप्त है। यह इस प्रावधान के अधीन है कि सीसीपी एक ऐसे क्षेत्राधिकार में स्थित है तथा उसका विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण ऐसे अधिकार क्षेत्र से होता है जहां संबंधित नियामक/पर्यवेक्षक ने यह स्थापित किया है और सार्वजनिक रूप से इंगित किया है कि वह वित्तीय बाजार बुनियादी संस्थाओं के लिए सीपीएसएस- आईओएससीओ से सुसंगत घरेलू नियमों एवं विनियमों को सीसीपी पर सतत आधार पर लागू करता है।

**समाशोधन सदस्य** उस सीसीपी का एक सदस्य या प्रत्यक्ष प्रतिभागी होता है जो सीसीपी के साथ लेनदेन कर सकता है, चाहे वह खुद की हेजिंग, निवेश या सट्टेबाजी के उद्देश्य हेतु सीसीपी के साथ व्यापार करता हो अथवा वह सीसीपी और अन्य बाजार प्रतिभागियों के बीच एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु व्यापार करता हो[56]।

**ग्राहक** सीसीपी के साथ लेनदेन में एक पार्टी है जो वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाले समाशोधन सदस्य के जरिये, या सीसीपी को ग्राहक के निष्पादन की गारंटी लेने वाले समाशोधन सदस्य के जरिये कार्य करता है।

**आरंभिक मार्जिन** का तात्पर्य है किसी समाशोधन सदस्य या ग्राहक का फंड किया गया संपार्श्विक जो किसी सीसीपी पर इसलिए पोस्ट किया गया है ताकि समाशोधन सदस्य के प्रति सीसीपी के संभावित भविष्य के उस एक्सपोजर को समाप्त कर सके जो उनके लेनदेनों के मूल्य में संभावित परिवर्तनों से उत्पन्न हो सकते हैं। इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य के लिए, आरंभिक मार्जिन में सीसीपी में किए गए वे अंशदान शामिल नहीं है जो हानियों को बांट लेने की पारस्परिक व्यवस्थाओं के लिए किए जाते हैं (अर्थात् यदि कोई सीसीपी आरंभिक मार्जिन का प्रयोग क्लीयरिंग सदस्यों के बीच हानियों को बांट देने के लिए करता है, तो इसे डिफाल्ट फंड एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा)।

[56] इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन से जहां किसी सीसीपी का लिंक दूसरे (सेकंड) सीसीपी से है, वहां दूसरे सीसीपी को पहले सीसीपी के समाशोधन सदस्य के रूप में माना जाना चाहिए। दूसरे सीसीपी द्वारा पहले सीसीपी को संपार्श्विक अंशदान को प्रारंभिक मार्जिन माना जाए या डिफॉल्ड फंड अंशदान, यह सीसीपीयों के बीच विधिक व्यवस्था पर निर्भर करेगा। ऐसे मामों, यदि कोई हों, में इस प्रारंभिक मार्जिन और डिफॉल्ड फंड अंशदान के ट्रीटमेंट के निर्धारण के लिए भारिबैंक से परामर्श लिया जाना चाहिए।

**उतार-चढ़ाव मार्जिन** का तात्पर्य है किसी समाशोधन सदस्य या ग्राहक का फंड किया गया संपार्श्विक जो दैनिक अथवा अंतरादिवस आधार पर किसी सीसीपी पर उनके लेनदेनों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर पोस्ट किया जाता है।

**व्यापार एक्सपोजर** में किसी सीसीपी के प्रति किसी समाशोधन सदस्य या ग्राहक के संभावित भावी एक्सपोजर तथा वर्तमान[57] एक्सपोजर शामिल है जो ओटीसी डेरिवेटिव, एक्सचेंज हेडेड डेरिवेटिव लेनदेनों या एसएफटी तथा आरंभिक मार्जिन से उत्पन्न हो सकते हैं।

**डिफॉल्ट फंड**, जिसे समाशोधन जमाराशियों या गारंटी फंड अंशदान (या किसी अन्य नाम) के रूप में भी जाना जाता है, समाशोधन सदस्य का फंड किया गया या फंड न किया गया वह अंशदान है जो किसी सीसीपी की पारस्परिक हानि वितरण व्यवस्थाओं के लिए किया जाता है या जो इसकी हामीदारी के लिए किया जाता है। किसी सीसीपी द्वारा अपनी हानि को बांटने की व्यवस्थाओं को प्रदान किया गया विवरण डिफॉल्ट फंड के रूप में उसकी स्थिति तय नहीं करता है, बल्कि ऐसी व्यवस्थाओं का मूल अभिप्राय ही यह निर्धारित करेगा कि वह डिफॉल्ट फंड है या नहीं।

**प्रतितुलनकारी लेनदेन** का तात्पर्य समाशोधन सदस्य तथा सीसीपी के बीच लेनदेन का वह चरण है जिसमें समाशोधन सदस्य किसी ग्राहक की ओर से कार्य करता है (उदाहरण के लिए जब कोई समाशोधन सदस्य किसी ग्राहक के व्यापार का समाशोधन करता है अथवा नवीयन करता है।)

**5.15.3.4** द्विपक्षीय ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन आरम्भ करते समय बैंकों से अपेक्षित है कि वे काउंटरपार्टी के चूक करने की स्थिति में उत्पन्न जोखिम तथा क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन जोखिम (सीवीए) से सुरक्षा के लिए पूंजी रखें। बासल III संरचना के एक भाग के रूप में सीवीए प्रभार को शुरू किया गया है, जैसा कि नीचे पैरा 5.15.3.5 तथा 5.15.3.6 में स्पष्ट किया गया है:

5.15.3.5 **सीसीआर के लिए डिफाल्ट जोखिम पूंजी प्रभार**

काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम के लिए डिफाल्ट जोखिम पूंजी प्रभार की गणना करने के प्रयोजन से एक्सपोजर राशि की गणना चालू एक्सपोजर पद्धति (करंट एक्सपोजर मेथड) का प्रयोग करते हुए की जाएगी, जैसा कि नीचे वर्णित है:

(i) बाजार से संबद्ध तुलनपत्रेतर लेनदेन की क्रेडिट समतुल्य राशि, जिसकी गणना चालू एक्सपोजर पद्धति का प्रयोग करते हुए की जाती है, इन संविदाओं के मौजूदा क्रेडिट एक्सपोजर और संभावित भावी क्रेडिट एक्सपोजर का योग होती है। इस प्रयोजन के लिए क्रेडिट समतुल्य राशि में से **पैरा 7.3 -** क्रेडिट जोखिम समाप्त करने की

[57] इस परिभाषा के प्रयोजन से एक समाशोधन सदस्य के वर्तमान एक्सपोजर में समाशोधन सदस्य को देय, किंतु अभी तक प्राप्त न किया गया उतार-चढ़ाव मार्जिन शामिल है।

तकनीकें - संपार्श्वीकृत लेनदेन तथा सीवीए हानियों हेतु बैंकों द्वारा धारित प्रावधान के अनुसार विधिक रूप से वैध पात्र वित्तीय संपार्श्विकों को घटाया जाएगा।

(ii) मास्टर परिपत्र के पैरा 8.8.1 में दिए गए विवेकपूर्ण मूल्यांकन दिशानिर्देश के अनुसार सीवीए की हानि की गणना पूंजी से घटाए गए किसी प्रतिसंतुलक (आफसेटिंग) डेबिट मूल्यांकन समायोजनों (डीवीए) को गणना में लिए बगैर की जाएगी (कृपया पैराग्राफ 4.4.6 देखें)। बकाया ईएडी निर्धारित करने के लिए एक्सपोजर से घटायी गयी सीवीए हानि पूंजी से अलग से घटायी गयी सभी डीवीए सहित सीवीए हानि है। बैंक की पूंजी से जिस सीमा तक डीवीए को अलग से नहीं घटाया गया है, बकाया ईएडी निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त सीवीए हानि से ऐसे डीवीए घटाये जाएंगे। किसी ओटीसी डेरिवेटिव प्रतिपक्षकार के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियों की गणना मानकीकृत या आईआरबी विधि के अंतर्गत लागू जोखिम भार को प्रतिपक्षकार की बकाया ईएडी से गुणा करके की जा सकती है। सीवीए हानियों द्वारा ईएडी को इस प्रकार घटाया जाना **पैरा 5.15.3.6 (ii)** में दिए गए फार्मूले के अनुसार सीवीए जोखिम पूंजी प्रभार के निर्धारण पर लागू नहीं होगा।

(iii) क्रेडिट एक्सपोज़र की गणना करते समय बैंक 'सोल्ड आप्शन्स' को छोड़ सकते हैं, बशर्ते कि संपूर्ण प्रीमियम/शुल्कर या किसी अन्य प्रकार की आय प्राप्त/वसूल की गयी हो।

(iv) चालू क्रेडिट एक्सपोजर को इन संविदाओं के धनात्मक मार्क टू मार्केट मूल्य के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। चालू एक्सपोजर पद्धति (करेंट एक्सपोजर मेथड) में इन संविदाओं को मार्क टु मार्केट करके चालू क्रेडिट एक्सपोजर की आवधिक गणना करना अपेक्षित है, और इस प्रकार चालू क्रेडिट एक्सपोजर प्राप्त किया जाता है।

(v) संभावित भावी क्रेडिट एक्सपोजर इन संविदाओं में से प्रत्येक की नोशनल मूल राशि को नीचे निर्दिष्ट लिखत की प्रकृति और अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के अनुसार संबंधित ऐड ऑन गुणक से गुणा करके निर्धारित किया जाता है, चाहे संविदा का मार्क टु मार्केट मूल्य शून्य, धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो।

**सारणी 9 : बाजार दर पर आधारित तुलनपत्रेतर मदों के लिए क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर्स**[58]

| | ऋण परिवर्तन गुणक (%) | |
|---|---|---|
| | ब्याज दर संविदाएं | विनिमय दर संविदाएं तथा स्वर्ण |
| एक वर्ष या कम | 0.50 | 2.00 |
| एक वर्ष से पांच वर्ष तक | 1.00 | 10.00 |
| पांच वर्ष से अधिक | 3.00 | 15.00 |

[58] कृपया ऋण चूक स्वैप के लिए पैरा 8.6.3 देखें।

(vi) मूलधन के अनेक विनिमय वाली संविदाओं के लिए, ऐड आन फैक्टर को संविदा में बचे हुए भुगतानों की संख्या से गुणा किया जाना है।

(vii) जो संविदाएं विनिर्दिष्ट भुगतान तिथियों के बाद बकाया एक्सपोजर का निपटान करने के लिए गठित की जाती हैं और जिनमें शर्तों को इस प्रकार पुनर्निर्धारित किया जाता है कि इन निर्धारित तिथियों में संविदा का बाजार मूल्य शून्य होता है, अवशिष्ट परिपक्वता अगली पुनर्निर्धारण तारीख तक के समय के बराबर निर्धारित की जाएगी। तथापि ऐसी ब्याज दर संविदाओं के मामले में, जिनमें अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष से अधिक है तथा जो उक्त मानदंडों को पूरा करती हैं, सीसीएफ या ऐड ऑन फैक्टर 1.0% के न्यूनतम के अधीन है।

(viii) किसी भी पोटेंशियल फ्यूचर क्रेडिट एक्सपोजर की गणना एकल मुद्रा फ्लोटिंग/अस्थिर ब्याज दर स्वैप के लिए नहीं की जाएगी; इन संविदाओं पर क्रेडिट एक्सपोजर का मूल्यांकन केवल उनके मार्क टु मार्केट मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

(ix) पोटेंशियल फ्यूचर एक्सपोजर 'प्रतीत होने वाली नोशनल राशि' के बजाय 'प्रभावी नोशनल राशि' पर आधारित होना चाहिए। लेनदेन की संरचना द्वारा 'बताई गई नोशनल राशि' के लीवरेज किए जाने अथवा बढ़ाए जाने की स्थिति में, पोटेंशियल फ्यूचर एक्सपोजर का निर्धारण करते समय बैंक को 'प्रभावी नोशनल रकम' का ही प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए 1 मिलियन यूएस डालर की बतायी गयी नोशनल राशि बीपीएलआर /आधार दर के दुगुनी आंतरिक दर पर आधारित भुगतानों के साथ 2 मिलियन यूएस डालर की प्रभावी नोशनल राशि होगी।

### 5.15.3.6 बाजार दर आधारित प्रतिपक्ष जोखिम हानियों का पूंजीकरण (सीवीए पूंजी प्रभार)

i. प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम के लिए डिफॉल्ट जोखिम पूंजी अपेक्षा के अतिरिक्त, बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे ओटीसी डेरिवेटिव पर अपेक्षित प्रतिपक्षकार जोखिम पर मार्क टु मार्केट हानियों (ऐसी हानियों को क्रेडिट मूल्य समायोजनाओं (सीवीए) के रूप में जाना जाता है) को कवर करने के लिए अतिरिक्त पूंजी प्रभार की गणना करें। सीवीए पूंजी प्रभार की गणना नीचे पैरा (ii) में बताए गए तरीके से की जाएगी। बैंकों से इस पूंजी प्रभार में (क) केंद्रीय प्रतिपक्षों (सीसीपी) से लेनदेन तथा (ख) प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन (एसएफटी) को शामिल करना अपेक्षित नहीं है।

ii. बैंकों को अपने प्रतिपक्षकारों के लिए सीवीए जोखिम हेतु पोर्टफोलियो पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करना चाहिए:

$$K = 2.33 \cdot \sqrt{h} \cdot \sqrt{\left( \sum_i 0.5 \cdot w_i \cdot \left( M_i \cdot EAD_i^{total} - M_i^{hedge} B_i \right) - \sum_{ind} w_{ind} \cdot M_{ind} \cdot B_{ind} \right)^2 + \sum_i 0.75 \cdot w_i^2 \cdot \left( M_i \cdot EAD_i^{total} - M_i^{hedge} B_i \right)^2}$$

जहां;

- h एक वर्ष की जोखिम अवधि (वर्ष की इकाइयों में) है,

$h = 1$

- wi प्रतिपक्षकार i के लिए लागू भार है। प्रतिपक्षकार i की मैपिंग इसकी बाह्य रेटिंग के आधार पर wi के सात भारों में से किसी एक से की जाएगी, जैसा कि नीचे अंतिम बुलेट बिन्दु में सारणी में दर्शाया गया है।
- $EADi^{total}$ प्रतिपक्षकार i की चूक पर सकल एक्सपोजर है, जो द्विपक्षीय नेटिंग[59] के प्रभाव को ध्यान में लिए बिना, बैंक द्वारा ऐसे प्रतिपक्षाकार के लिए प्रतिपक्षकार जोखिम पूंजी प्रभार की गणना के लिए लागू मौजूदा एक्सपोजर पद्धति (सीईएम) के अनुसार संपार्श्विक के प्रभाव को शामिल करते हुए है। एक्सपोजर पर गुणक (1-ईएक्सपी) (- 0.05*Mi)/(0.05*Mi) लागू करके उसे कम किया  जाना चाहिए।
- Bi  प्रतिपक्षकार i के संदर्भ में खरीदे गये तथा सीवीए जोखिम की हेजिंग में प्रयुक्त  एकल नाम वाले सीडीएस हेज ( यदि एक पोजीशन से अधिक हो तो उनका योग) की नोशनल राशि है। इस नोशनल राशि पर गुणक  (1-ईएक्सपी) (- 0.05*Mi hedge)/(0.05*Mihedge) लागू करके उसे कम किया  जाना चाहिए।
- Bind  सीवीए जोखिम को हेज करने में प्रयुक्त खरीदी गयी सुरक्षा के एकाधिक सूचकांक सीडीएस की पूरी नोशनल राशि है। इस नोशनल राशि पर गुणक (1-ईएक्सपी) (- 0.05*Mind)/(0.05*Mind) लागू करके उसे कम किया  जाना चाहिए।
- $W_{ind}$ सूचकांक हेजों पर लागू भार है। बैंक को सूचकांक के औसत स्प्रेड के आधार पर सात भार में से एक के अनुसार सूचकांकों की मैपिंग करनी चाहिए।
- $M_i$  प्रतिपक्षकार i के साथ लेनदेनों की प्रभावी परिपक्वता है। $M_i$ प्रतिपक्षकार i के साथ सभी संविदाओं की नोशनल भारित औसत परिपक्वता है।
- $M_i^{hedge}$ नोशनल Bi वाले हेज लिखत की परिपक्वता अवधि है ($M_i^{hedge}$ और  Bi यदि अनेक पोजीशनों में हों) तो उन्हें जोड़ा जाना चाहिए।
- $M^{ind}$ सूचकांक हेज ind की परिपक्वता अवधि है। एक से अधिक सूचकांक हेज पोजीशन हों तो यह नोशनल भारित औसत परिपक्वता है।
- किसी ऐसे प्रतिपक्षकार के लिए, जो ऐसे सूचकांक का भी घटक है, जिस पर प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम से बचाव (हेजिंग) के लिए सीडीएस का प्रयोग किया गया है, उस एकल नाम (संदर्भित व्यक्ति/संस्था भार के अनुसार) से संबद्ध नोशनल राशि को सूचकांक सीडीएस नोशनल राशि से घटायी जाए और उसे वैयक्तिक प्रतिपक्षकार का एकल नाम वाला  हेज माना जाए तथा उसकी परिपक्वता अवधि सूचकांक की परिपक्वता अवधि मानी जाएगी।

---

[59] कृपया काउंटरपार्टी क्रेडिट के द्विपक्षीय नेटिंग पर दिनांक 01 अक्तूबर 2010 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 48/21.06.001/2010-11 देखें, जिसमें कहा गया है कि कानूनी मुद्दों के कारण भारत में काउंटरपार्टी एक्सपोजरों के द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं है। अतएव, काउंटरपार्टी के साथ प्रत्येक लेन-देन अपना खुद का नेटिंग सेट बन जाता है।

- नीचे सारणी में जोखिम भार दिए गए हैं, जो प्रतिपक्षकार की बाह्य जोखिम रेटिंग पर आधारित हैं:

**भार ($w_i$)**

| **रेटिंग** | **$W_i$** |
|---|---|
| एएए | 0.7% |
| एए | 0.7% |
| ए | 0.8% |
| बीबीबी | 1.0% |
| बीबी | 2.0% |
| बी तथा अनरेटेड | 3.0% |
| सीसीसी | 10.0%[60] |

ऐसे मामलों में, जहां अनरेटेड प्रतिपक्षकार एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक है, बैंक प्रतिपक्षकार-बैंक की निहित रेटिंग, और उसके परिणामस्वरूप Wi जानने के लिए निम्नलिखित सारणी का प्रयोग करें:

| पैराग्राफ 5.6 की सारणी 4 के अनुसार प्रतिपक्षकार-बैंक पर लागू जोखिम भार | निहित रेटिंग | $W_i$ |
|---|---|---|
| 20 | एएए /एए | 0.7% |
| 50 | ए | 0.8% |
| 100 | बीबीबी | 1% |
| 150 | बीबी | 2% |
| 625 | सीसीसी | 10% |

- बैंकों को अपने प्रतिपक्षकार - बैंकों की पूंजी पर्याप्तता स्थिति पर लगातार निगरानी रखनी होगी ताकि उनकी निहित रेटिंग में कोई परिवर्तन सीवीए पूंजी प्रभार गणनाओं में पर्याप्त रूप से परिलक्षित हो सके।

सीवीए जोखिम पूंजी प्रभार का एक उदाहरण **अनुबंध** 13 में दिया गया है।

### 5.15.3.7 समग्र सीसीआर तथा सीवीए पूंजी प्रभारों की गणना

बैंक का कुल सीसीआर पूंजी प्रभार निम्नलिखित दो घटकों के योग के रूप में निर्धारित किया जाता है:

---

[60] कृपया बीसीबीएस की 01 जून 2011 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा जारी किए गए बासल III पूंजी नियमावली (bcbs189.doc) का संशोधित संस्करण देखें।

i. **पैराग्राफ 5.15.3.5** के अनुसार निर्धारित सीईएम आधारित पूंजी प्रभार के सभी प्रतिपक्षकारों की राशि का योग

ii. **पैराग्राफ 5.15.3.6**[61] के अनुसार निर्धारित मानकीकृत सीवीए जोखिम पूंजी प्रभार।

**5.15.3.8 केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के लिए बैंकों के एक्सपोजर हेतु पूंजी अपेक्षाएं- लागू होने का दायरा**

i. ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेनों, शेयर बाजार में व्यापार किए जाने वाले डेरिवेटिव लेनदेनों तथा प्रतिभूतियों के वित्तपोषण वाले लेनदेनों से उत्पन्न केंद्रीय प्रतिपक्षकार के प्रति एक्सपोजर, नीचे पैराग्राफ में इंगित किए गए अनुसार प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम ट्रीटमेंट के अधीन होंगे।

ii. नकदी लेनदेनों (ईक्विटी, निर्धारित आय, स्पॉट फॉरेक्स, कम्मोडिटी इत्यादि) से उत्पन्न एक्सपोजर इस ट्रीटमेंट के अधीन नहीं हैं। नकदी लेनदेनों के निपटान बासल III पूंजी विनियमों पर इस मास्टर परिपत्र के पैरा 5.15.4 में वर्णित ट्रीटमेंट के अधीन बना रहेगा।

iii. जब किसी एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव लेनदेन का क्लीयरिंग मेम्बर-टू-क्लाइंट लेग किसी द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत किया जाता है तो क्लाइंट बैंक और क्लीयरिंग मेम्बर दोनों उस लेनदेन का पूंजीकरण किसी ओटीसी डेरिवेटिव के रूप में करेंगे।

iv. पूंजी पर्याप्तता ढांचा के उद्देश्य हेतु, सीसीपी को वित्तीय संस्था माना जाएगा। तदनुसार, सीसीपी की पूंजी में किसी बैंक का निवेश इस मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.9 के अनुसार संचालित होगा।

v. पूंजी अपेक्षाएं सीसीपी की प्रकृति अर्थात् क्वालीफाइंग सीसीपी (क्यूसीसीपी) और गैर-क्वलीफाइंग सीसीपी पर आधारित रहेंगी। क्वालीफाइंग सीसीपी को इस मास्टर परिपत्र के पैरा 5.15.3.3 में परिभाषित किया गया है।

---

[61] कृपया 'भारत में बासल III पूंजी विनियमावली के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण' पर दिनांक 28 मार्च 2013 के बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 88/21.06.201/2012-13 के साथ पठित 31 दिसंबर 2013 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 81/21.06.201/2013-14 देखें, जिसके अनुसार सीवीए जोखिम पूंजी प्रभार के लिए अपेक्षाएं 01 अप्रैल 2014 से प्रभावी होंगी।

(क) कोई सीसीपी क्यूसीसीपी के रूप में वर्गीकृत हो अथवा नहीं, बैंक के पास यह सुनिश्चित करने का दायित्व कायम रहता है कि वह अपने एक्सपोजर के लिए समुचित पूंजी बनाए रखे। पिलर 2 के अंतर्गत, बैंक को यह विचार करना चाहिए कि यदि, उदाहरण के लिए (i) सीसीपी से उसके लेनदेन के कारण अधिक जोखिमपूर्ण एक्सपोजर में वृद्धि होती है अथवा (ii) जहां किसी बैंक के लेनदेन से यह अस्पष्ट है कि सीसीपी क्यूसीसीपी की परिभाषा को पूरा करता है या नहीं, तो क्या उसे न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं के अतिरिक्त पूंजी धारण करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

(ख) यदि भारतीय रिज़र्व बैंक की दृष्टि में ऐसा करना जरूरी हो तो बैंकों से अपेक्षा हो सकती है कि वे पिलर 2 के जरिए क्यूसीसीपी के प्रति अपने एक्सपोजर के लिए अतिरिक्त पूंजी धारण करें। उदाहरण के लिए इसे तब उचित माना जा सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक के किसी वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) ने सीसीपी या सीसीपी के विनियमन में महत्वपूर्ण खामियां पायी हों और उस सीसीपी और/अथवा सीसीपी विनियामक ने उसके बाद से चिन्हित किए गए मुद्दों को सार्वजनिक रूप से न निपटाया हो।

(ग) जहां बैंक एक समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, तो बैंक को परिदृश्य विश्लेषण (सीनारिओ एनालिसिस) तथा दबाव परीक्षण (स्ट्रेस टेस्टिंग) द्वारा यह मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि किसी सीसीपी के एक्सपोजर के लिए धारित पूंजी का स्तर इन लेनदेनों में अंतर्निहित जोखिमों को समुचित रूप से कवर करता है या नहीं। इस मूल्यांकन में डिफाल्ट फंड प्रतिबद्धताओं पर भावी आहरणों के कारण तथा/अथवा किसी अन्य समाशोधन सदस्य के ग्राहकों से प्रतितुलनकारी लेनदेनों को अधिग्रहीत करने या प्रतिस्थापित करने की गौण प्रतिबद्धताओं से, यदि यह समाशोधन सदस्य डिफाल्ट करे या दिवालिया हो जाए, उत्पन्न संभावित भावी या आकस्मिक एक्सपोजर को शामिल किया जाना चाहिए।

(घ) बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वह, सीसीपी के जरिये क्रय-विक्रय करने से उत्पन्न एक्सपोजरों तथा डिफाल्ट फंड जैसी सीसीपी सदस्यता दायित्व से उत्पन्न एक्सपोजरों के अतिरिक्त, सीसीपी के प्रति अपने सभी एक्सपोजर को मानीटर करे तथा नियमित आधार पर (तिमाही या और बारंबारी अंतरालों पर) बोर्ड की समुचित समिति (उदाहरण के लिए जोखिम प्रबंधन समिति) और वरिष्ठ प्रबंधन को रिपोर्ट करे।

(ङ) जब तक भारतीय रिज़र्व बैंक (डीबीआर) की कोई अन्यथा अपेक्षा न हो, पूर्ववर्ती क्यूसीसीपी के साथ लेनदेन के लिए उसी तरह पूंजीकरण किया जाना चाहिए मानो जब से वह क्यूसीसीपी के रूप में क्वालीफाई न हुआ हो उस तिथि से अधिकतम 3 माह की अवधि के लिए उसे क्यूसीसीपी ही माना गया है। इस समय के बाद, ऐसे केंद्रीय प्रतिपक्ष के साथ बैंक के

एक्सपोजर पर गैर-क्यूसीसीपी के लिए लागू नियमों के अनुसार पूंजीकरण किया जाना चाहिए।

### 5.15.3.9 क्वालीफाइंग सीसीपी (क्यूसीसीपी) के प्रति एक्सपोजर

**(i) व्यापार एक्सपोजर**

***क्यूसीसीपी के प्रति समाशोधन सदस्य के एक्सपोजर***

(क) जहां कोई बैंक स्वयं के उद्देश्यों के लिए किसी क्यूसीसीपी के एक समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य करता है तो ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेनों, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरिवेटिव लेनदेनों तथा एसएफटी के संबंध में क्यूसीसीपी के प्रति बैंक के एक्सपोजर के लिए 2% का जोखिम भार अवश्य लगाया जाना चाहिए।

(ख) ऐसे व्यापार एक्सपोजर के लिए एक्सपोजर की राशि की गणना रिपो/रिवर्स रिपो शैली के लेनदेनों[62] के लिए पूंजी पर्याप्तता हेतु यथालागू नियमों और डेरिवेटिव के लिए मौजूदा एक्सपोजर पद्धति (सीईएम) के अनुसार की जाएगी।

(ग) जहां डिफाल्ट की स्थिति में निवल आधार पर निपटान विधिक रूप से प्रवर्तनीय है, इस बात की परवाह किए बिना कि प्रतिपक्षकार दिवालिया है या शोधक्षम, व्यापार एक्सपोजर निर्धारण से संबंधित सभी संविदाओं की कुल प्रतिस्थापन लागत की गणना निवल प्रतिस्थापन लागत के रूप में तब की जा सकती है यदि लागू क्लोज आउट निवल समुच्चय इन दिशानिर्देशों के अनुबंध **20** में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करते हों तो।

(घ) बैंकों को दर्शाना होगा कि, जहां तक क्यूसीसीपी के प्रति एक्सपोजर की नेटिंग की विधिक निश्चितता का संबंध है, स्वतंत्र और तर्कपूर्ण विधिक राय प्राप्त करके अनुबंध **20** में उल्लिखित शर्तें नियमित आधार पर पूरी की जाती हैं। बैंक क्यूसीसीपी से उनकी महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे अंतिम निपटान निर्धारण) निपटान निर्धारण, नेटिंग, (मार्जिन व्यवस्थाओं सहित) संपार्श्विक व्यवस्थाओं, डिफाल्ट प्रक्रियाओं इत्यादि की विधिक निश्चितता पर संबंधित क्यूसीसीपी द्वारा ली गई विधिक राय भी प्राप्त कर सकते हैं।

[62] कृपया इस मास्टर परिपत्र का पैरा 7.3.8 देखें।

*ग्राहकों के प्रति समाशोधन सदस्य के एक्सपोजर*

समाशोधन सदस्य सदैव ग्राहकों के प्रति (संभावित सीवीए[63] जोखिम सहित) अपने एक्सपोजर के द्विपक्षीय व्यापार के रूप में पूंजीकरण करेगा चाहे समाशोधन सदस्य व्यापार की गारंटी देता हो अथवा ग्राहक और क्यूसीसीपी के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता हो। तथापि, समाशोधित लेनदेनों के लिए लघुतर क्लोज आउट अवधि को चिन्हित करने के लिए समाशोधन सदस्य एक ऐसे स्केलर से ईएडीइ में गुणा करके जो 0.71 से कम न हो अपने ग्राहकों के प्रति एक्सपोजर का पूंजीकरण कर सकते हैं।

*समाशोधन सदस्य के प्रति ग्राहक बैंक के एक्सपोजर*

I. जहां कोई बैंक किसी समाशोधन सदस्य का ग्राहक है तथा वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाले समाशोधन सदस्य के साथ कोई लेनदेन करता है (अर्थात् समाशोधन सदस्य किसी क्यूसीसीपी के साथ कोई प्रतितुलनकारी लेनदेन पूरा करता है), समाशोधन सदस्य के प्रति ग्राहक के एक्सपोजर को इस खंड के (ऊपर उल्लिखित) ञ्सीसीपी के प्रति क्लीयरिंग मेम्बर का एक्सपोजर पैरा पर लागू ट्रीटमेंट प्राप्त होगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

(क) क्यूसीसीपी द्वारा प्रतितुलनकारी लेनदेनों की पहचान ग्राहक लेनदेनों के रूप में की जाती है तथा उनका समर्थन करने के लिए क्यूसीसीपी द्वारा और/अथवा सदस्य द्वारा ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत यथालागू संपार्श्विक धारण किया जाता है जो ग्राहक को

(i) क्लीयरिंग मेम्बर के डिफॉल्ट अथवा दिवालियेपन

(ii) क्लीयरिंग मेम्बर के अन्य ग्राहकों के डिफाल्ट अथवा दिवालियेपन; और

(iii) क्लीयरिंग मेम्बर और इसके किसी अन्य ग्राहक के संयुक्त डिफॉल्ट या दिवालियेपन

के कारण होने वाली किसी प्रकार की हानि से बचाता है।

ग्राहक बैंक को अवश्य ही एक स्वतंत्र, लिखित और तर्कपूर्ण विधिक राय प्राप्त करनी चाहिए जिसका निष्कर्ष यह हो कि, विधिक चुनौती की स्थिति में, संबंधित अदालतें और प्रशासनिक

[63] कृपया भारत में बासल III पूंजी विनियमों का क्रियान्वयन-स्पष्टीकरण पर दिशानिर्देश (28 मार्च 2013 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 88/21.06.201/2012-13 के साथ पठित दिनांक 31 दिसंबर 2013 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 81/21.06.201/2013-14) देखें जिनके अनुसार सीवीए जोखिम प्रभार 01 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार लागू होंगे।

अधिकरण पाएंगे कि संबंधित कानून के अंतर्गत किसी मध्यस्थ के दिवालिएपन के कारण ग्राहक किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। इन कानूनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- समाशोधन सदस्य, ग्राहक बैंक तथा क्यूसीसीपी पर लागू कानून
- उन विदेशी देशों के क्षेत्राधिकार(रों) का कानून जिसमें ग्राहक बैंक, समाशोधन सदस्य या क्यूसीसीपी स्थित हों
- अलग अलग लेनदेनों तथा संपार्श्विक को नियंत्रित करने वाला कानून और
- इस शर्त (क) को पूरा करने के लिए आवश्यक संविदा या करार को नियंत्रित करने वाला कानून

(ख) संबंधित कानूनों, विनियमों, नियमों, संविदात्मक अथवा प्रशासकीय व्यवस्थाओं में प्रावधान किया गया है कि डिफाल्ट कर चुके या दिवालिया हो चुके समाशोधन सदस्य के साथ प्रतितुलनकारी लेनदेनों की अधिक संभावना है कि उनका लेनदेन समाशोधन सदस्य के डिफाल्ट करने या दिवालिया होने की स्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से क्यूसीसीपी के माध्यम से किया जाता रहे। ऐसी परिस्थितियों में, ग्राहक पोजीशन और क्यूसीसीपी के साथ संपार्श्विक को बाजार मूल्य पर अंतरित कर दिया जाएगा जब तक कि ग्राहक बाजार मूल्य पर पोजीशन को क्लोज आउट करने का अनुरोध नहीं करता है। इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि संबंधित कानून, नियम, संविदात्मक या प्रशासकीय करार यह प्रावधान करते हैं कि क्रय-विक्रय के अंतरित किए जाने की पूरी संभावना है, तो यह माना जा सकता है कि यह शर्त पूरी हो गयी है। यदि क्यूसीसीपी पर अंतरित किए जाने का स्पष्ट पूर्व इतिहास है तथा प्रतिभागियों का इरादा इस प्रथा को जारी रखने का है, तो यह मूल्यांकन करते समय कि क्रय-विक्रय के अंतरित किए जाने की अत्यधिक संभावना है, इन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। यह तथ्य कि क्यूसीसीपी दस्तावेजीकरण ग्राहक क्रय-विक्रय को अंतरित किए जाने से मना नहीं करता है यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उनके अंतरित किए जाने की प्रबल संभावना है। अन्य प्रमाण जैसे कि इस पैरा में उल्लिखित मानदंड यह दावा करने के लिए आवश्यक हैं।

II. जहां ऐसा हो कि ग्राहक हानियों से सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि समाशोधन सदस्य और समाशोधन सदस्य का एक और सदस्य संयुक्त रूप से डिफाल्ट करते हैं अथवा दिवालिया हो जाते हैं, किंतु ऊपर उल्लिखित सभी अन्य शर्तें पूरी होती हैं तथा संबंधित सीसीपी एक क्यूसीसीपी है, समाशोधन सदस्य के प्रति ग्राहक के एक्सपोजर पर 4% का जोखिम भार लगाया जाएगा।

III. उक्त पैरा में ग्राहक बैंक यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं करता है, बैंक से अपेक्षित होगा कि वह द्विपक्षीय क्रय-विक्रय के रूप में समाशोधन सदस्य के प्रति संभावित सीवीए जोखिम एक्सपोजर सहित अपने एक्सपोजर का पूंजीकरण करें।

IV. उन परिस्थितियों के अंतर्गत जिनमें कोई ग्राहक क्यूसीसीपी से कोई लेनदेन करता है और इसके कार्य-निष्पादन की गारंटी कोई समाशोधन सदस्य लेता है, तो पूंजी अपेक्षाएं इस मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5 पर आधारित होंगी।

***पोस्ट किए गए संपार्श्विक का ट्रीटमेंट***

(क) सभी मामलों में, पोस्ट किए गए आस्तियों या संपार्श्विक को, ऐसे संपार्श्विक को पोस्ट करने वाले बैंक के दृष्टिकोण से, इस तथ्य के होते हुए भी कि इस तरह की आस्तियों को संपार्श्विक के रूप में पोस्ट किया गया है वही जोखिम भार मिलना चाहिए जो अन्यथा पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अंतर्गत ऐसी परिसंपत्तियों या संपार्श्विक को दी जाती है। इस प्रकार बैंकिंग बही से पोस्ट किए गए संपार्श्विक को बैंकिंग बही का ट्रीटमेंट प्राप्त होगा और व्यापार बही से पोस्ट किए गए संपार्श्विक को व्यापार बही का ट्रीटमेंट प्राप्त होगा। जहां किसी समाशोधन सदस्य या ग्राहक की आस्तियां या संपार्श्विक क्यूसीसीपी अथवा समाशोधन सदस्य के साथ पोस्ट किए गए हैं तथा दिवालियापन दूरस्थ शैली में धारित नहीं किए गए हैं, तो ऐसी आस्तियों या संपार्श्विक को पोस्ट करने वाले बैंक को क्रेडिट जोखिम को भी मान्य करना चाहिए। इसका आधार ऐसी आस्तियों, संपार्श्विक को धारण करने वाली संस्था[64] की साख योग्यता पर आधारित हानि के जोखिम के प्रति एक्सपोज होने वाली आस्तियां या संपार्श्विक होने चाहिए।

(ख) समाशोधन सदस्य द्वारा पोस्ट किया गया (नकदी, प्रतिभूतियों, अन्य गिरवी आस्तियों, तथा अतिरिक्त आरंभिक या विचरण मार्जिन जिसे अति-संपार्श्वीकरण भी कहा जाता है, सहित) संपार्श्विक जो किसी अभिरक्षक[65] द्वारा धारित हो और क्यूसीसीपी से दिवालीयापन दूरस्थ

---

[64] जहां इस प्रकार की आस्तियों या संपार्श्विक को धारण करने वाली संस्था कोई क्यूसीसीपी है, वहां व्यापार एक्सपोजर की परिभाषा में शामिल संपार्श्विक पर 2% का जोखिम भार लगता है। क्यूसीसीपी का संबंधित जोखिम भार अन्य उद्देश्यों हेतु पोस्ट किए गए आस्तियों या संपार्श्विक पर लगाया जाता है।

[65] इस पैराग्राफ में "अभिरक्षक" शब्द में ट्रस्टी, एजेंट, गिरवीदार, जमानती ऋणदाता, या अन्य कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है, जो संपत्ति को इसप्रकार धारण करता है, जिससे उस व्यक्ति को ऐसी संपत्ति से कोई लाभप्रद हित नहीं मिलता है तथा यदि ऐसा व्यक्ति दिवालिया हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति, ऋणदाता, अथवा ऐसी संपत्ति लौटाने के लिए न्यायालयीन स्थगन आदेश के परिणाम से ऐसी संपत्ति पर विधिक रूप से प्रवर्तनीय दावा नहीं करेंगे।

हो, ऐसे दिवालियापन दूरस्थ अभिरक्षक के प्रति प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर के लिए पूंजी अपेक्षा के अधीन नहीं है।

(ग) किसी अभिरक्षक द्वारा धारित तथा ग्राहक द्वारा पोस्ट किया गया संपार्श्विक जो क्यूसीसीपी (समाशोधन सदस्य तथा अन्य ग्राहकों से) से दिवालियापन दूरस्थ है, वह प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षा के अधीन नहीं है। यदि क्यूसीसीपी पर कोई संपार्श्विक किसी ग्राहक की ओर से धारित है तथा दिवालियापन दूरस्थ आधार पर धारित नहीं है व इस खंड के पैरा क्लीयरिंग मेम्बर्स के प्रति ग्राहक बैंक के एक्सपोजर में स्थापित शर्तें पूरी होती हैं तो संपार्श्विक पर 2% का जोखिम भार लगाया जाएगा। समाशोधन सदस्य और समाशोधन (उपर्युक्त) सदस्य के कोई अन्य ग्राहक संयुक्त रूप से डिफाल्ट करते अथवा संयुक्त रूप से दिवालिया होते हैं और उस स्थिति में ग्राहक हानियों से सुरक्षित नहीं है किंतु इस खंड के पैरा क्लीयरिंग मेम्बर्स के प्रति ग्राहक बैंक के एक्सपोजर में वर्णित सभी अन्य शर्तें पूरी होती हैं तो 4% का जोखिम भार लगाया जाएगा।

(घ) यदि कोई समाशोधन सदस्य किसी ग्राहक से ग्राहक द्वारा समाशोधित किए गए व्यापारों से संपार्श्विक एकत्र करता है तथा यह संपार्श्विक क्यूसीसीपी को सौंप दिया जाता है, तो समाशोधन सदस्य इस संपार्श्विक को क्यूसीसीपी समाशोधन सदस्य श्रृंखला तथा ग्राहक द्वारा समाशोधित किए गए व्यापार के समाशोधन सदस्य ग्राहक श्रृंखला दोनों ही के लिए गणना में शामिल कर सकता है। अतएव, ग्राहकों द्वारा समाशोधन सदस्य के लिए पोस्ट किये गये आरंभिक मार्जिन उस एक्सपोजर को समाप्त करता है जो इन ग्राहकों के प्रति समाशोधन सदस्य का होता है।

**(ii) क्यूसीसीपी के प्रति डिफाल्ट फंड एक्सपोजर**

(क) जहां कोई डिफाल्ट फंड केवल निपटान जोखिम वाले उत्पादों या कारोबार (जैसे ईक्विटी और बांड) तथा ऐसे उत्पाद या कारोबार जिनसे प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम उत्पन्न होता है अर्थात् ओटीसी डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव या एसएफटी, इन दोनों से मिलकर निर्मित होता है तो उस समस्त डिफाल्ट फंड के अंशदानों पर कारोबारों या उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के बीच विभाजन न कर, नीचे दिए गए फार्मूले तथा पद्धति के अनुसार जोखिम भार लगाया जाएगा।

(ख) तथापि, जहां समाशोधन सदस्यों से डिफाल्ट फंड योगदानों को उत्पादों के प्रकार के आधार पर अलग किया जाता है तथा केवल विनिर्दिष्ट उत्पाद प्रकारों के लिए सुलभ रहता है, तो नीचे दिए गए फार्मूले तथा पद्धति के अनुसार निर्धारित उन डिफाल्ट फंड एक्सपोजरों के लिए

पूंजी अपेक्षाओं की गणना उस प्रत्येक विनिर्दिष्ट उत्पाद के संबंध में की जानी चाहिए जिससे प्रतिपक्ष ऋण जोखिम को बढ़ावा मिलता है। यदि क्यूसीसीपी के पूर्व में ही फंड किए गए स्वयं के संसाधन विभिन्न उत्पाद प्रकारों के बीच शेयर किये जाते हैं तो क्यूसीसीपी को इन फंडों को प्रत्येक गणना को संबंधित उत्पाद विनिर्दिष्ट एक्सपोजर अर्थात् ईएडी के अनुपात में आबंटित करना होगा।

(ग) समाशोधन सदस्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करके क्वालीफाइंग सीसीपी में डिफाल्ट फंड योगदानों से उत्पन्न अपने एक्सपोजरों का पूंजीकरण करें:

- समाशोधन सदस्य बैंक क्वालीफाइंग सीसीपी के प्रति अपने डिफाल्ट फंड एक्सपोजर पर 1250% का जोखिम भार लगा सकते हैं; क्यूसीसीपी के प्रति अपने सभी एक्सपोजरों (अर्थात् व्यापार एक्सपोजर समेत) की जोखिम भारित आस्तियों पर समग्र अधिकतम सीमा के अधीन जो क्यूसीसीपी के प्रति व्यापार एक्सपोजर के 20% के बराबर होगा। और विनिर्दिष्ट करें तो प्रत्येक क्यूसीसीपी के प्रति बैंक $i$ का क्रय-विक्रय एक्सपोजर एवं डिफॉल्ट फंड एक्सपोजर दोनों के लिए जोखिम भारित आस्तियां।[66]

$Min \{(2\%^* TE_i + 1250\%^* DF_i); (20\%^* TE_i)\}$

*के बराबर होती हैं,*

जहां;

$TE_i$ है क्यूसीसीपी के प्रति बैंक $i$ का क्रय-विक्रय एक्सपोजर; और

$DF_i$ है क्यूसीसीपी के डिफाल्ट फंड के प्रति बैंक $i$ का प्री-फंडेड योगदान।

**5.15.3.10 गैर-क्वालीफाइंग सीसीपी के प्रति एक्सपोजर**

(क) बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे गैर-क्वालीफाइंग सीसीपी[67] के प्रति अपने क्रय-विक्रय एक्सपोजर के लिए प्रतिपक्ष की श्रेणी के अनुसार ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण प्रयोग करें।

(ख) बैंकों के लिए गैर-क्वालीफाइंग सीसीपी के प्रति अपने डिफाल्ट फंड अंशदानों के लिए 1250% का जोखिम लगाना आवश्यक है।

---

[66] व्यापार एक्सपोजर पर 2% का जोखिम भार अतिरिक्त रूप में लागू नहीं होता है क्योंकि यह समीकरण में सम्मिलित है।

[67] जिन मामलों में किसी सीसीपी पर गैर-क्यूसीसीपी के रूप में विचार किया जाता है और एक्सपोजर की गणना सीसीपी पर की जानी है, तो लागू जोखिम भार सीसीपी को प्रदत्त रेटिंग के अनुसार होगा।

(ग) इस पैराग्राफ के प्रयोजन से, यदि सीसीपी को इसकी आवश्यकता हो तो ऐसे बैंकों के डिफाल्ट फंड योगदान में फंडेड और गैर-फंडेड दोनों अंशदान भुगतान हेतु देय हैं। जहां गैर-फंडेड अंशदानों (अर्थात् असीमित बाध्यकारी प्रतिबद्धता) के लिए देयता हो वहां रिज़र्व बैंक अपने पिलर 2 मूल्यांकनों में उस गैर-फंडेड प्रतिबद्धताओं की राशि निर्धारित करेगा जिस पर 1250% का जोखिम भार लागू होना चाहिए।

**5.15.4 असफल लेनदेन**

i) निपटान न की गयी प्रतिभूतियों तथा विदेशी मुद्रा लेनदेन का जहाँ तक संबंध है, लेनदेन की बुकिंग अथवा लेखांकन किसी भी प्रकार का हो, ट्रेड की तारीख से बैंक को काउंटर पार्टी ऋण जोखिम रहता है। इस प्रयोजन से कि समय पर कार्रवाई की जा सके प्रबंधन सूचना प्रस्तुत करने के लिए निपटान न किए गए लेनदेन से होनेवाले ऋण जोखिम एक्सपोज़र को खोजने तथा उसपर निगरानी रखने के लिए उचित प्रणालियों को विकसित, कार्यान्वित करने तथा सुधारने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है।

ii) इस प्रयोजन से कि समय पर कार्रवाई की जा सके प्रबंधन सूचना प्रस्तुत करने के लिए बैंकों को लेनदेन असफल होने की तारीख से असफल प्रतिभूतियों तथा विदेशी मुद्रा लेनदेन की कड़ी निगरानी करनी चाहिए। असफल लेनदेन से विलंबित निपटान अथवा सुपुर्दगी के जोखिम उत्पन्न होते हैं।

iii) अदायगी बनाम सुपुर्दगी (डीवीपी) के माध्यम से निपटाए गए लेनदेन जिसमें प्रतिभूतियों का नकदी के बदले साथ-साथ विनिमय होता है, की असफलता बैंकों को सहमत निपटान कीमत पर मूल्यांकित लेनदेन तथा वर्तमान बाज़ार कीमत (अर्थात् धनात्मक वर्तमान एक्सपोज़र) पर मूल्यांकित लेनदेन के बीच के अंतर की हानि का जोखिम उठाना पड़ता है। असफल लेनदेन जहां तदनुरूप प्राप्य वस्तु (प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्राएं अथवा स्वर्ण) की प्राप्ति के बिना नकदी दी जाती है अथवा इसके विपरीत सुपुर्द की जानेवाली वस्तुएं तदनुरूप नकद भुगतान (डीवीपी से इतर अथवा बिना मूल्य सुपुर्दगी) की प्राप्ति के बिना सुपुर्द की गयी हो, के मामले में बैंकों को भुगतान की गयी राशि अथवा सुपुर्द की जानेवाली वस्तुओं की संपूर्ण राशि की हानि का जोखिम उठाना पड़ता है। अतः असफल लेनदेन के लिए पूंजी भार आवश्यक है और उसकी निम्नानुसार गणना की जाए। निम्नलिखित पूंजी व्यवहार सभी असफल लेनदेनों पर लागू होंगे, जिनमें मान्यताप्राप्त समाशोधन गृहों और केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के माध्यम से किए गए लेनदेन भी शामिल हैं। पुनर्खरीद तथा प्रति पुनर्खरीद

करार तथा प्रतिभूति उधार देना अथवा लेना जिनका निपटान न हो सका है, को इस पूंजी व्यवहार से छोड़ दिया गया है।

iv) **डीवीपी लेनदेन के लिए** - यदि निपटान की तारीख से पांच कारोबार के दिनों के बाद भी भुगतान नहीं किए गए है तो बैंकों को लेनदेन के धनात्मक वर्तमान एक्सपोज़र का नीचे दिए गए अनुसार उचित गुणक से गुणन करके **पूंजी भार** की गणना करनी चाहिए। सूचना प्राप्त करने के लिए बैंकों को अपनी सूचना प्रणालियों का उन्नयन करना होगा ताकि आपसी सहमति से निर्धारित निपटान की तारीख के बाद दिनों की संख्या का पता चल सके और तदनुरूप पूंजी भार की गणना हो सके।

| **आपसी सहमति से निर्धारित निपटान की तारीख के बाद कार्य दिवसों की संख्या** | **तदनुरूप जोखिम गुणक** |
|---|---|
| 5 से 15 | 9 प्रतिशत |
| 16 से 30 | 50 प्रतिशत |
| 31 से 45 | 75 प्रतिशत |
| 46 से अधिक | 100 प्रतिशत |

v) डीवीपी से इतर लेनदेन (स्वतंत्र सुपुर्दगियां) के लिए पहले संविदात्मक भुगतान/सुपुर्दगी चरण के बाद कारोबार का दिन समाप्त होने तक यदि दूसरा चरण प्राप्त नहीं हुआ है तो जिस बैंक ने भुगतान किया है वह अपने एक्सपोज़र को ऋण के रूप में समझेगा। जिन तारीखों को भुगतान के दो चरण किए जाते हैं यदि उक्त तारीखें भुगतान के समय क्षेत्र के अनुसार एक ही हैं तो यह समझा जाता है कि उनका एक ही दिन निपटान किया गया है। उदाहरण के लिए यदि टोकियो में स्थित कोई बैंक `क्ष' तारीख (जापान स्टैंडर्ड टाईम) को येन अंतरित करता है और `क्ष' तारीख को (यूएस ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाईम) तदनुरूप अमरीकी डालर चिप्स के माध्यम से प्राप्त करता है, तो ऐसा समझा जाएगा कि वह निपटान उसी एक तारीख को हुआ है। बैंक इन दिशानिर्देशों में निर्धारित काउंटर पार्टी जोखिम भारों का प्रयोग करते हुए पूंजी अपेक्षाओं की गणना करेंगे। तथापि, यदि द्‌वितीय संविदात्मक भुगतान/सुपुर्दगी की तारीख के पांच कारोबार दिनों के बाद भी दूसरा चरण प्रभावी रूप से पूर्ण नहीं हुआ है तो जिस बैंक ने पहला भुगतान चरण पूर्ण किया है वह पूंजी में से अंतरित मूल्य की पूर्ण राशि तथा प्रतिस्थापन लागत यदि कोई हो, पर 1250% जोखिम भार प्राप्त करेगा। यह कार्रवाई भुगतान/सुपुर्दगी का दूसरा चरण वास्तव में पूर्ण होने तक लागू होगी।

## 5.16 **प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र**

### 5.16.1 सामान्य

(i) कोई प्रतिभूतीकरण लेनदेन जो 'मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतीकरण संबंधी दिशानिर्देश' पर जारी 1 फरवरी 2006 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 60/21.04.048/2005-06, 'प्रतिभूतीकरण लेनदेन से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन' पर जारी 7 मई 2012 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.103/21.04.177/2011-12 तथा 'प्रतिभूतीकरण लेनदेनों पर दिशानिर्देशों में संशोधन - ऋण वर्धन का पुनर्निर्धारण' पर जारी 1 जुलाई 2013 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. **25/**21.04.177**/** 2013-14 में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूर्ण करता है पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र के निम्नलिखित विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए पात्र होगा। प्रतिभूतीकरण लेनदेन के प्रति बैंकों का एक्सपोज़र, जिसे प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र कहा गया है, में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं लेकिन यह केवल इन तक ही सीमित नहीं है : निवेशक के रूप में, ऋण संवर्धक के रूप में, चलनिधि दाता, हामीदार, ऋण जोखिम कम करने के तत्व प्रदान करनेवाले के रूप में। ऋण संवर्धन के रूप में दिए गए नकद संपार्श्विकों को भी प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र माना जाएगा। इस भाग में प्रतिभूतीकरण के संबंध में प्रयोग में लाए गए शब्द उपर्युक्त दिशानिर्देशों में दी गई परिभाषा के अनुरूप होंगे। साथ ही निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी :

क) केवल ऋण संवर्धक ब्याज मात्र स्ट्रिप (आइ/ओएस) - तुलन पत्र का एक्सपोज़र जिसे प्रवर्तक द्वारा रिकार्ड किया जाता है, जो (i) आधारभूत एक्सपोज़र से प्राप्त की जानेवाली भावी मार्जिन आय से संबंधित नकदी प्रवाह के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है और (ii) जो चुकौती की प्राथमिकता के अनुसार लेनदेन की अन्य पार्टियों के दावों के अधीनस्थ हैं।

ख) \`अव्यक्त समर्थन' - बैंक द्वारा प्रतिभूतीकरण को उसकी पूर्व-निर्धारित संविदात्मक बाध्यता से अधिक दिया गया समर्थन।

ग) \`बिक्री पर लाभ' - प्रतिभूतीकृत परिसंपत्तियों की एसपीवी को बिक्री करते समय प्राप्त लाभ।

(ii) बैंकों को अपने सभी प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र के लिए विनियामक पूंजी रखना आवश्यक है, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित है। इनमें प्रतिभूतीकरण लेनदेन को ऋण जोखिम कम करने वाले कारक प्रदान करने, परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश, अधीनस्थ शृंखला रखने

तथा चलनिधि सुविधा अथवा ऋण संवर्धन सुविधा देने से उत्पन्न एक्सपोज़र शामिल हैं। पुनः खरीदे गए प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र्स को प्रतिधारित प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र समझा जाए।

(iii) 1 फरवरी 2006, 7 मई 2012 तथा 01 जुलाई 2013 के दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूर्ण न करनेवाले और इसलिए अनिर्धारण के पात्र न होनेवाले प्रतिभूतीकरण लेनदेन का प्रवर्तक प्रतिभूतीकरण लेनदेन से संबद्ध सभी एक्सपोज़र्स के लिए इस प्रकार पूंजी धारित करेगा जैसे कि उनका प्रतिभूतीकरण[68] न हुआ हो। इसके साथ ही इस तरह के लेनदेन पर कोई भी `बिक्री पर लाभ' होने पर प्रवर्तक उसे टीयर 1 पूंजी से कम करेगा। यह पूंजी बैंक को प्रतिभूतीकरण लेनदेन में उसके अन्य मौजूदा एक्सपोजरों के लिए जो पूंजी बनाए रखनी अपेक्षित है उसके अतिरिक्त होगी।

(iv) ऋण विश्लेषण के लिए परिचालनात्मक मानदंड[69]

मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर 1 फरवरी 2006, 07 मई 2012 तथा 01 जुलाई 2013 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश में निर्दिष्ट शर्तों के अलावा प्रतिभूतिकृत आस्तियों को अमान्य करने के लिए बैंक के पास निम्नलिखित (क) से (ग) तक के अनुच्छेदों में निर्दिष्ट सूचना होनी चाहिए।

(क) एक सामान्य नियम के रूप में बैंक को अपने प्रत्येक प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र की जोखिम विशेषता की परिपूर्ण समझ होनी चाहिए, चाहे वे एक्सपोज़र तुलनपत्र में हों या तुलनपत्रेतर हों तथा बैंक को अपने प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के आधारभूत प्रतिभूति समूह की जोखिम विशेषताओं की भी समझ होनी चाहिए।

(ख) बैंकों को आधारभूत प्रतिभूति समूह के कार्यनिष्पादन संबंधी सूचना तक निरंतर आधार पर सामयिक रूप से पहुंच होनी चाहिए। यह सूचना यथोचित रूप से निम्नानुसार हो सकती है: एक्सपोज़र का प्रकार; देय होने के 30, 60, 90 दिन वाले ऋणों का प्रतिशत; चूक दर; नियत तिथि से पूर्व अदायगी की दरें; फोरक्लोज़र वाले ऋण; संपत्ति का प्रकार; कब्जा; औसत ऋण अंक अथवा ऋण पात्रता की अन्य माप; औसत मूल्य के प्रति ऋण का अनुपात; तथा औद्योगिक और भौगोलिक विविधता।

---

[68] उदाहरणार्थ, यदि 100 रुपये के प्रतिभूतिकरण लेनदेन के पूल में 80 प्रतिशत एएए प्रतिभूतियां, 10 प्रतिशत बीबी प्रतिभूतियां और 10 प्रतिशत अनरेटेड प्रतिभूतियां हों, और लेनदेन सही बिक्री मानदंडों को पूरा नहीं करता हो तो यह माना जाएगा कि उस लेनदेन के सभी एक्सपोजर प्रवर्तक धारण करता है। इसके परिणामस्वरूप, एएए रेटेड सभी प्रतिभूतियों पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा तथा बीबी रेटेड और अनरेटेड प्रतिभूतियों को घटाया जाएगा। इसप्रकार, पूंजी पर परिणामी प्रभाव रु. 21.44 (16*9 % + 20) होगा।

[69] दिनांक 08 फरवरी 2010 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. 73/21.06.001/2009-10

(ग) बैंक को किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन की उन सभी संरचनात्मक विशेषताओं की पूरी समझ होनी चाहिए, जो संबंधित लेनदेन के प्रति बैंक के एक्सपोज़र के कार्यनिष्पादन को महत्वपूर्ण रीति से प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए संविदागत वाटरफॉल तथा वॉटरफॉल से जुड़े उत्प्रेरक, ऋण संवर्धन, चलनिधि संवर्धन, बाज़ार मूल्य उत्प्रेरक और चूक की कारोबार विशिष्ट परिभाषाएं।

**5.16.2 प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों का ट्रीटमेंट**[70]

(i) क्रेडिट संवर्धन जो फर्स्ट लॉस पोजीशन हैं को 1250% पर जोखिम भारित किया जाना चाहिए।

(ii) दीर्घकालिक 'बी + और उससे कम' रेटिंग के साथ कोई रेटेड प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, जब किसी प्रवर्तक (ओरिजिनेटर) द्वारा धारित न हो, तथा दीर्घकालिक 'बीबी +और उससे कम' रेटिंग के साथ कोई रेटेड प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, जब किसी प्रवर्तक (ओरिजिनेटर) द्वारा धारित हो, 1250% का जोखिम भार प्राप्त करेगा।

(iii) **पैराग्राफ 5.16.8** में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार पात्र चलनिधि सुविधा को छोड़कर कोई अनरेटेड प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर 1250% पर जोखिम भारित होना चाहिए। किसी अनरेटेड और अपात्र चलनिधि सुविधा में आहरित तथा अनाहरित दोनों हिस्से (100% सीसीएफ का प्रयोग करने के बाद) 1250% का जोखिम भार प्राप्त करेंगे।

(iv) प्रवर्तक (ओरिजिनेटर) को हामीदारी द्वारा अंतरित की गई प्रतिभूतियों की धारिताएं' अधिग्रहण के बाद तीन माह की अवधि के भीतर तृतीय पक्षकारों को बेच दी जानी चाहिए। निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑफ-लोड करने से चूकने की स्थिति में निर्गम की मूल रकम के 20% से अतिरिक्त कोई धारिता, द्वितीयक बाजार क्रय सहित, 1250% का जोखिम भार प्राप्त करेगी।

**5.16.3 अव्यक्त समर्थन**

(i) प्रवर्तक प्रतिभूतीकरण लेनदेन में निवेशकों को कोई भी अव्यक्त समर्थन प्रदान नहीं करेगा।

(ii) जब ऐसा समझा जाता है कि बैंक ने प्रतिभूतीकरण के लिए अव्यक्त समर्थन दिया है तो;

क) उसे कम-से-कम प्रतिभूतीकरण लेनदेन से संबद्ध सभी एक्सपोज़र के लिए इस तरह पूंजी रखनी होगी जैसे उनका प्रतिभूतीकरण न किया गया हो।

---

[70] भारिबैंक के दिनांक 01 फरवरी 2006 के दिशानिर्देशों के पैरा 12 और 13 के स्थान पर इस मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16.2 को रखा गया है।

ख) इसके अतिरिक्त, प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के संदर्भ में जहां यह समझा गया है कि बैंक ने अव्यक्त समर्थन प्रदान किया है, यह अपेक्षित है कि वह सार्वजनिक रूप से प्रकट करे कि (क) उसने गैर-संविदागत समर्थन प्रदान किया है (ख) अव्यक्त समर्थन के ब्यौरे तथा (ग) बैंक की विनियामक पूंजी पर अव्यक्त समर्थन का प्रभाव।

(iii) जहां प्रतिभूतीकरण लेनदेन में क्लीन-अप कॉल निहित होता है और प्रवर्तक (ओरिजनेटर) द्वारा क्लीन अप कॉल का उन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां क्लीन अप कॉल के इस्तेमाल से कारगर रूप से ऋण संवर्धन होता है, वहां क्लीन अप कॉल को अव्यक्त सहायता माना जाएगा तथा संबंधित प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर उपर्युक्त निर्धारण लागू होंगे।

5.16.4 **बाह्य रेटिंग लागू करना**

बाह्य ऋण मूल्यांकनों के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित परिचालन मानदंड लागू हैं :

i) बैंक को प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र के किसी विशिष्ट प्रकार के लिए पात्र बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों के बाह्य ऋण मूल्यांकन सुसंगत रूप से लागू करने चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंक एक या अधिक शृंखलाओं के लिए एक बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सी द्वारा जारी ऋण मूल्यांकन का तथा उसी प्रतिभूतीकरण ढाँचे के भीतर अन्य पोज़िशनों (चाहे धारित हो या क्रय की गयी हो) के लिए किसी दूसरी बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सी द्वारा जारी ऋण मूल्यांकनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता (जिनकी पहली बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सी द्वारा रेटिंग की जा सकती हो या न की जा सकती हो)। जहां दो या अधिक पात्र बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों का इस्तेमाल किया जा सकता है तथा वे एक ही प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र के ऋण जोखिम का अलग-अलग रूप में मूल्यांकन करती हैं, तो वहां **पैरा 6.7** लागू होगा।

ii) यदि सीआरएम प्रदाता **पैरा 7.5.6** में परिभाषित पात्र गारंटीदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है तो शामिल प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़रों को रेटिंग न किये गये के रूप में माना जाना चाहिए।

iii) उस स्थिति में जहां एसपीवी द्वारा ऋण जोखिम कम करने के तत्व प्राप्त नहीं किये गये हैं बल्कि एक खास ढांचे के भीतर विशिष्ट प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र पर लागू किये गये हैं, (जैसे एबीएस श्रृंखला), बैंक को एक्सपोज़र को रेटिंग न किये गये के रूप में मानना चाहिए तथा तब **पैरा 7** में बताये गये सीआरएम व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए।

iv) बाह्य ऋण मूल्यांकनों को लागू करने के अन्य पहलू **पैरा 6** में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।

v) किसी बैंक को जोखिम भार निर्धारण के प्रयोजन से बाह्य ऋण मूल्यांकन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उक्त मूल्यांकन कम-से-कम अंशतः बैंक के गैर-निधि

आधारित समर्थन पर आधारित हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई बैंक एबीएस/एमबीएस खरीदता है, जहां वह प्रतिभूतिकरण कार्यक्रम को गैर-निधि आधारित प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र प्रदान करता है (उदाहरण के लिए चलनिधि सुविधा अथवा ऋण संवर्धन) और प्रतिभूतिकृत आस्तियों/एबीएस/एमबीएस की विभिन्न श्रेणियों के ऋण मूल्यांकन को निर्धारित करने में उक्त एक्सपोज़र की एक भूमिका है तो बैंक को उक्त प्रतिभूतिकृत आस्तियां/एबीएस/एमबीएस की विभिन्न श्रेणियों पर ऐसे कार्रवाई करनी चाहिए जैसे वे रेटेड न हों। बैंक को अन्य प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के लिए (उदाहरण के लिए चलनिधि सुविधा और/या ऋण संवर्धन) पूंजी रखना जारी रखना चाहिए।[71]

5.16.5 **जोखिम भारित प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र**

i) बैंक को तुलनपत्र के प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की जोखिम भारित राशि की गणना के लिए एक्सपोजरों की मूलधन की राशि (विशिष्ट प्रावधानों को घटाने के बाद) को लागू जोखिम भार से गुणा करना होगा।

ii) प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र की जोखिम भारित परिसंपत्ति की राशि की गणना एक्सपोज़र की राशि को उचित जोखिम भार से गुणा कर की जाती है; ये जोखिम भार चुनी गयी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा उन एक्सपोज़रों को दी गयी मद संदर्भित रेटिंग के अनुसार निश्चित किये जाते हैं, जैसा कि नीचे की सारणी में दर्शाया गया है :

**सारणी 10 : प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर दीर्घकालिक रेटिंगों के अनुसार जोखिम भार मैपिंग**

| **घरेलू रेटिंग एजेंसियां** | **एएए** | **एए** | **ए** | **बीबीबी** | **बीबी** | **बी और उससे नीचे अथवा अनरेटेड** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ओरिजिनेटरों (%) को छोड़कर बैंकों के लिए जोखिम भार** | 20 | 30 | 50 | 100 | 350 | 1250 |
| **ओरिजिनेटर के लिए जोखिम भार (%)** | 20 | 30 | 50 | 100 | 1250 | |

(iii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोज़र द्वारा समर्थित बंधक आधारित प्रतिभूति जैसे कि ऊपर पैरा 5.11 में परिभाषित है, के संदर्भ में प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र की जोखिम भारित आस्ति की राशि की गणना एक्सपोज़र की राशि को उचित जोखिम भार से गुणा कर की जाती है; ये जोखिम भार चुनी गयी बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा उन एक्सपोजरों को दी गयी मद संदर्भित रेटिंग के अनुसार निश्चित किये जाते हैं जैसा कि नीचे की सारणी में दर्शाया गया है:

[71] दिनांक 08 फरवरी 2010 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. बीपी.बीसी.73/21.06.001/2009-10.

## सारणी 10 - क : वाणिज्यिक स्थावर संपदा प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर - दीर्घकालिक रेटिंगों के अनुसार जोखिम भार मैपिंग

| घरेलू रेटिंग एजेंसियां | एएए | एए | ए | बीबीबी | बीबी | बी और उससे नीचे अथवा अनरेटेड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रवर्तकों को छोड़कर बैंकों के लिए जोखिम भार (%) | 100 | 100 | 100 | 150 | 400 | 1250 |
| प्रवर्तक के लिए जोखिम भार (%) | 100 | 100 | 100 | 150 | 1250 | |

(iv) प्रतिभूतीकरण लेनदेन के भाग के रूप में एसपीवी द्वारा जारी रेटिंग न की गयी प्रतिभूतियों में निवेश करने की बैंकों को अनुमति नहीं है। किंतु बैंकों द्वारा गृहीत ऐसे प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र, जो रेटिंग न किये गये बन सकते हैं या जिन्हें रेटिंग न किये गये माना जाएगा, को पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए **पैरा 5.16.2** के प्रावधानों के अनुसार घटाया जाएगा।

(v) जोखिम अंतरण को मान्यता देने के लिए प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों से संबद्ध ऋण जोखिम का उल्लेखनीय हिस्सा तृतीय पक्षकारों को अंतरित होना चाहिए। इसके परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित प्रकारों में प्रतिभूतिकृत ऋणों में बैंकों का कुल एक्सपोजर जारी किए गए कुल प्रतिभूतिकृत लिखतों के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए :

- एसपीवी द्वारा जारी ईक्विटी/प्रतिभूति की अधीनस्थ/वरिष्ठ श्रृंखला में निवेश जिसमें हामीदारी प्रतिबद्धताओं के माध्यम से किए गए निवेश शामिल हैं ।

- ऋण संवर्धन जिसमें नकद तथा अति-संपार्श्वीकरण सहित सांपार्श्विक के अन्य स्वरूप शामिल हैं लेकिन ऋण संवर्धन करने वाली केवल ब्याज स्ट्रिप शामिल नहीं होगी ।

- चल निधि समर्थन

यदि कोई बैंक इस सीमा को पार करता है तो, अतिरिक्त राशि पर 1250 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा। एसपीवी के साथ किए गए ब्याज दर स्वैप/मुद्रा स्वैप के कारण हुए ऋण एक्सपोजर को 20 प्रतिशत की सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि यह बैंक के नियंत्रण के भीतर नहीं होगा ।

(vi) यदि कोई प्रवर्तक बैंक 'प्रतिभूतीकरण लेनदेनों पर दिशा-निर्देशों में संशोधन' पर 7 मई 2012 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.103/21.04.177/2011-12 के अनुभाग 'क' के

पैराग्राफ 1.1 से 1.7/ अनुभाग 'ख' के पैराग्राफ 1.1 से 1.6 में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो बैंक को प्रतिभूतिकृत आस्तियों/बेची गई आस्तियों के लिए इस प्रकार पूंजी बनाए रखनी होगी जैसे कि उनका प्रतिभूतीकरण न किया/उन्हें बेचा न गया हो। यह पूंजी बैंक को प्रतिभूतीकरण लेनदेन में उसके अन्य मौजूदा एक्सपोजरों के लिए जो पूंजी बनाए रखनी अपेक्षित है उसके अतिरिक्त होगी।

(vii) **जहां 'प्रतिभूतीकरण लेनदेनों पर दिशा-निर्देशों में संशोधन' पर 7 मई 2012 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.103/21.04.177/2011-12 के अनुभाग 'क' के क्रमशः पैराग्राफ 2.1 से 2.3/अथवा अनुभाग 'ख' के पैराग्राफ 2.1 से 2.8 में निर्धारित अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं किया गया है वहां निवेशकर्ता बैंक प्रतिभूतीकरण/अथवा निर्धारण से संबंधित एक्सपोजरों** पर 1250 प्रतिशत का जोखिम भार लागू करेंगे।

(viii) नकदी प्रवाहों तथा अंडरलाइंग प्रतिभूति के प्रत्यक्ष आबंटन के माध्यम से आस्तियों के अंतरण वाले लेनदेन के अंतर्गत कार्पोरेट ऋणों की प्रत्यक्ष खरीद के लिए पूंजी पर्याप्तता व्यवहार बैंकों द्वारा सीधे दिए गए कार्पोरेट ऋणों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार होगा। उसी प्रकार, खुदरा ऋणों की प्रत्यक्ष खरीद के लिए पूंजी पर्याप्तता व्यवहार बैंकों के अपने खुदरा संविभागों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार होगा। ऐसा केवल उन मामलों को छोड़कर होगा जहां व्यक्तिगत खातों का अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकरण किया गया है, और ऐसे मामले में खुदरा अनर्जक आस्तियों पर यथालागू सामान्य पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू होंगे। रेटिंग के आधार पर खरीदे गए खुदरा ऋणों के लिए घटाए गए जोखिम भार के रूप में कोई लाभ उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत इसे परिकल्पित नहीं किया गया है।

### 5.16.6 तुलनपत्रेतर प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर

(i) बैंक रेटिंग किये गये तुलनपत्रेतर प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र की जोखिम भारित राशि की गणना एक्सपोज़र की ऋण समतुल्य राशि को लागू जोखिम भार से गुणा कर करेंगे। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो ऋण समतुल्य राशि एक्सपोज़र की मूल राशि (विशिष्ट प्रावधानों को घटाने के बाद) को 100% सीसीएफ से गुणा कर निकाली जा सकती है।

(ii) यदि तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र रेटिंग किया हुआ न हो तो उसे पूंजी में से घटा दिया जाना चाहिए। रेटिंग न की गयी वह पात्र चलनिधि सुविधा इसका अपवाद है जिसके लिए **पैरा 5.16.8** में अलग से उपाय निर्दिष्ट किया गया है।

### 5.16.7 **ऋण जोखिम कम करने के तत्व (सीआरएम) की पहचान**

(i) नीचे दी गयी कार्रवाई ऐसे बैंक के संबंध में लागू है जिसने प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र के संबंध में ऋण जोखिम कम करने का तत्व प्राप्त कर लिया है। ऋण जोखिम कम करने के तत्व में गारंटियां और पात्र संपार्श्विक शामिल है, जैसा कि इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में संपार्श्विक का अर्थ उस संपार्श्विक से है जिसका प्रयोग प्रतिभूतीकरण लेनदेन के आधारभूत एक्सपोज़रों के ऋण जोखिम की हेजिंग के बजाय प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र के ऋण जोखिम की हेजिंग के लिए किया गया है।

(ii) जब कोई प्रवर्तक से भिन्न बैंक प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र को ऋण संरक्षण प्रदान करता है तो उसे उक्त एक्सपोज़र संबंधी पूंजी अपेक्षा की ऐसे गणना करनी चाहिए जैसे कि वह उक्त प्रतिभूतीकरण में निवेशक हो। यदि कोई बैंक रेटिंग न किये गये ऋण संवर्धन को संरक्षण प्रदान करता है तो उसे चाहिए कि वह दिये गये ऋण संरक्षण को इस रूप में माने जैसे कि वह सीधे ही रेटिंग न किये गये ऋण संवर्धन को धारित कर रहा हो।

(iii) गारंटीकृत/संरक्षित भाग के लिए पूंजी अपेक्षाओं की गणना मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए अपनायी जानेवाली सीआरएम पद्धति के अनुसार की जायेगी जो नीचे **पैरा 7** में दी गयी है। पात्र संपार्श्विक को इन दिशानिर्देशों के अधीन **पैरा 7.3.5** में स्वीकृत संपार्श्विक तक सीमित किया गया है। सीआरएम तथा एक्सपोज़र के बीच परिपक्वता असंतुलन के संदर्भ में विनियामक पूंजी निश्चित करने के प्रयोजन के लिए पूंजी अपेक्षा **पैरा 7.6** के अनुसार निश्चित की जाएगी। जब हेजिंग किये जानेवाले एक्सपोज़र भिन्न-भिन्न परिपक्वता के हों तब **पैरा 7.6.3 तथा 7.6.4** में निर्दिष्ट पद्धति लागू करते हुए सबसे लंबी परिपक्वता का प्रयोग किया जाना चाहिए।

5.16.8 **चलनिधि सुविधाएं**

(i) किसी चलनिधि सुविधा को तभी `पात्र' सुविधा समझा जायेगा जब वह 1 फरवरी 2006 को जारी दिशानिर्देशों में दी गई सभी न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करती हो। रेटिंग की गयी चलनिधि सुविधाओं को ऊपर दी गयी सारणियों में उल्लेख किये गये अनुसार चुनी गयी बाहरी ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (ईसीएआई) द्वारा उन एक्सपोज़रों को दी गयी विशिष्ट रेटिंग के अनुरूप निर्धारित समुचित जोखिम भार के अनुसार जोखिम भारित या घटाया जाएगा।

ii) रेटिंग न की गयी पात्र चलनिधि सुविधाओं को कटौतियों से छूट होगी और उनके संबंध में निम्नप्रकार कार्रवाई की जायेगी।

क) रेटिंग न की गयी पात्र चलनिधि सुविधा के आहरित और अनाहरित अंशों पर इस सुविधा के अंतर्गत आनेवाले किसी आधारभूत अलग-अलग एक्सपोज़र को दिये जानेवाले उच्चतम जोखिम भार के बराबर जोखिम भार लागू होगा।

ख) रेट न की गयी पात्र चलनिधि सुविधा के अनाहरित अंश पर 50% का ऋण परिवर्तन गुणक लागू होगा।[73]

5.16.9 पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र/कृत्रिम प्रतिभूतीकरण/परिक्रामी संरचना वाले प्रतिभूतीकरण (समय-पूर्व परिशोधन के तत्वों सहित अथवा उनके बिना)

वर्तमान में भारत में कार्यरत बैंक जिनमें उनकी विदेश स्थित शाखाएं शामिल हैं, को प्रतिभूतीकरण लेनदेनों पर दिशानिर्देशों में संशोधन पर 07 मई 2012 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 103/ 21.04.177/2011-12 में परिभाषित किए गए अनुसार पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र/कृत्रिम प्रतिभूतीकरण/परिक्रामी संरचना वाले प्रतिभूतीकरण (समय-पूर्व परिशोधन के तत्वों सहित अथवा उनके बिना) के संबंधित एक्सपोजर ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। तथापि, 1 दिसंबर 2008 का परिपत्र आरबीआइ/2008-09/302 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 89/ 21.04.141/2008-09 जारी होने के पहले कुछ भारतीय बैंकों ने अपनी विदेश स्थित शाखाओं के माध्यम से सीडीओ तथा अन्य ऐसे ही प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र में निवेश किया है। इनमें से कुछ एक्सपोज़र पुनर्प्रतिभूतिकरण के स्वरूप के हो सकते हैं। ऐसे एक्सपोज़र के लिए जोखिम भार निम्नानुसार होगा :

**सारणी 11 : पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर दीर्घकालिक रेटिंगों के अनुसार जोखिम भार मैपिंग**

| **घरेलू रेटिंग एजेंसियां** | **एएए** | **एए** | **ए** | **बीबीबी** | **बीबी** | **बी और उससे नीचे अथवा अनरेटेड** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रवर्तकों (ओरिजिनेटरों) को छोड़कर बैंकों के लिए जोखिम भार (%) | 40 | 60 | 100 | 225 | 650 | 1250 |
| प्रवर्तक के लिए जोखिम भार (%) | 40 | 60 | 100 | 225 | 1250 | |

**सारणी 11-क : वाणिज्यिक स्थावर संपदा पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर - दीर्घकालिक रेटिंगों के अनुसार जोखिम भार मैपिंग**

| **घरेलू रेटिंग एजेंसियां** | **एएए** | **एए** | **ए** | **बीबीबी** | **बी और उससे नीचे अथवा अनरेटेड** |
|---|---|---|---|---|---|
| ओरिजिनेटरों (%) को छोड़कर बैंकों के लिए जोखिम भार | 200 | 200 | 200 | 400 | 1250 |
| ओरिजिनेटर (%) के लिए जोखिम भार | 200 | 200 | 200 | 400 | 1250 |

[73] दिनांक 08 फरवरी 2010 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. 73/21.06.001/2009-10

अन्य सभी विनियामक मानदंड उसी प्रकार लागू होंगे जैसे इस पैरा (पैरा 5.16) में ऊपर निर्धारित किये गये हैं।

## 5.17 बैंकिंग बही में क्रेडिट डिफ़ाल्ट स्वैप अपेक्षाएँ स्थिति के लिए पूंजी पर्याप्तता (सीडीएस)

### 5.17.1 बाह्यतृतीय पक्षकार सीडीएस हेज/ को मान्यता प्रदान करना

**5.17.1.1** खरीदी गई सीडीएस स्थितियों द्वारा प्रतिरक्षित बैंकिंग बही स्थितियों के मामले में प्रतिरक्षित एक्सपोज़र के सवंबंध में संदर्भ हस्ती /अंतर्निहित आस्ति के लिए किसी एक्सपोज़र को हिसाब में नहीं लिया जाएगा एवं एक्सपोज़र को माना जाएगा कि उसे सुरक्षा विक्रेता के द्वारा हिसाब में ले लिया गया है बशर्ते :

(क) क्रेडिट डिफ़ाल्ट स्वैप (सीडीएस) पर दिशानिर्देशों पर 30 नवंबर 2011 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं 61/21.06.203/2011-12 के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित परिचालनात्मक अपेक्षाओं को पूरा किया जाता हो (इन दिशानिर्देशों का अनुबंध 7 देखें);

(ख) क्रेडिट जोखिम के लिए बासल II के मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत सुरक्षा विक्रेता पर लागू जोखिम भार अंतर्निहित आस्ति के जोखिम भार से कम हो; तथा

(ग) अंतर्निहित आस्ति तथा संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य दायित्व के बीच कोई असंतुलन न हो। यदि यह शर्त पूरी नहीं की जाती है तो निर्धारित की जाने वाली क्रेडिट सुरक्षा की राशि की गणना नीचे दिये गए पैराग्राफ 5.17.1.3(ii) के अनुसार की जानी चाहिए।

5.17.1.2 यदि उपर्युक्त शर्तों (क) तथा (ग) को पूरा नहीं किया जाता हो या बैंक इनमें से किसी भी शर्त का बाद में उल्लंघन करता हो तो बैंक अंतर्निहित आस्ति पर एक्सपोज़र की गणना करेगा तथा सीडीएस स्थिति को व्यापार बही में अंतरित कर दिया जाएगा जहां वह विशिष्ट जोखिम, प्रतिपक्षकार जोखिम तथा व्यापार बही पर यथा लागू सामान्य बाजार जोखिम (जहां लागू हो) के अधीन होगा।

5.17.1.3 अंतर्निहित एक्सपोज़र के असुरक्षित हिस्से को ऋण जोखिम के मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत यथालागू जोखिम-भारित किया जाए। यदि अंतर्निहित आस्ति/दायित्व तथा संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य आस्ति/दायित्व के बीच कोई असंतुलन हो तो क्रेडिट सुरक्षा की राशि को आस्ति अथवा परिपक्वता के संबंध में समायोजित किया जाएगा। इनका ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

**(i)** ***आस्ति असंतुलन*** **:** यदि अंतर्निहित आस्ति संदर्भ आस्ति अथवा सुपुर्दगी योग्य दायित्व से भिन्न है तो आस्ति असंतुलन उत्पन्न होगा। सुरक्षा क्रेता द्वारा सुरक्षा को केवल तभी उपलब्ध माना जाएगा जब असंतुलित आस्तियां इन अपेक्षाओं को पूरा करती हैं कि (1) संदर्भ दायित्व अथवा सुपुर्दगी योग्य दायित्व का स्तर अंतर्निहित दायित्व के समान अथवा उससे छोटा हो तथा (2) अंतर्निहित दायित्व तथा संदर्भ दायित्व अथवा सुपुर्दगी योग्य दायित्व का हिस्सा एक ही बाध्यताधारी (अर्थात् एक ही विधिक हस्ती) के पास हो तथा कानूनी रूप से लागू किए जाने वाले परस्पर-चूक या परस्पर तीव्रता संबंधी खंड मौजूद हों।

**(ii)** **परिपक्वता असंतुलन :** यदि क्रेडिट डेरिवेटिव संविदा की परिपक्वता अंतर्निहित आस्ति की परिपक्वता के समतुल्य अथवा उससे अधिक हो तो सुरक्षा क्रेता सुरक्षा की राशि की गणना करने का पात्र होगा। तथापि, यदि सीडीएस संविदा की परिपक्वता अंतर्निहित आस्ति की परिपक्वता से कम हो तो उसे परिपक्वता असंतुलन माना जाएगा। परिपक्वता अंसतुलन के मामले में, सुरक्षा की राशि का निर्धारण निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा:

क. यदि क्रेडिट डेरिवेटिव उत्पाद की अवशिष्ट परिपक्वता **तीन महीने** से कम हो तो सुरक्षा का निर्धारण नहीं किया जाएगा।

ख. यदि क्रेडिट डेरवेटिव संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता **तीन महीने** या उससे अधिक हो तो जिस अवधि के लिए सुरक्षा उपलब्ध है उसके अनुपात में सुरक्षा का निर्धारण किया जाएगा।

जब परिपक्वता असंतुलन हो तो निम्नलिखित समायोजन लागू किया जाएगा।

$$Pa = P \times (t - 0.25) \div (T - 0.25)$$

जहां

Pa = परिपक्वता असंतुलन के लिए समायोजित किए गए क्रेडिट सुरक्षा का मूल्य

P = क्रेडिट सुरक्षा

t = Min (T, क्रेडिट सुरक्षा व्यवस्था की अवशिष्ट परिपक्वता) वर्ष में प्रदर्शित

T = Min (5, वर्ष में प्रदर्शित अंतर्निहित एक्सपोज़र की अवशिष्ट परिपक्वता)

उदाहरण: मान लीजिए कि अन्तर्निहित आस्ति 100 रुपये के अंकित मूल्य वाला एक कंपनी बांड है, जिसकी अवशिष्ट परिपक्वता 5 वर्ष है और सीडीएस की अवशिष्ट परिपक्वता 4 वर्ष है। ऋण सुरक्षा की राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

100*{(4-0.25)+(5-0.25)} = 100*(3.75+4.75) = 78.95

ग. सीडीएस संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के **तीन महीने** होते ही सुरक्षा का निर्धारण करना बंद कर दिया जाएगा ।

### 5.17.2 **आंतरिक बचाव (हेज)**

बैंक अपने मौजूदा कॉर्पोरेट बांड संविभागों में क्रेडिट जोखिम के बचाव के लिए सीडीएस संविदाओं का प्रयोग कर सकते हैं। कोई बैंक किसी बैंकिंग बही क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र का बचाव आंतरिक बचाव (बैंक के व्यापार डेस्क से खरीदी गई तथा व्यापार बही में धारित सुरक्षा) या बाह्य बचाव (किसी पात्र तृतीय पक्षकार सुरक्षा प्रदाता से खरीदी गई सुरक्षा) के द्वारा कर सकता है। जब कोई बैंक अपनी व्यापार बही में दर्ज किसी सीडीएस का प्रयोग करते हुए किसी बैंकिंग क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र (कार्पोरेट बांड) का बचाव (अर्थात् किसी आंतरिक बचाव का प्रयोग करते हुए) करता है तो बैंकिंग बही एक्सपोज़र का बचाव पूंजी प्रयोजनों के लिए तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि बैंक किसी सीडीएस के माध्यम से क्रेडिट जोखिम को व्यापार बही से किसी पात्र तृतीय पक्षकार सुरक्षा प्रदाता को स्थानांतरित न कर दे। इस सीडीएस को बैंकिंग बही एक्सपोज़र के परिप्रेक्ष्य में **पैराग्राफ 5.17** की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। जहां इस प्रकार की तृतीय पक्षकार सुरक्षा की खरीद की जाती है और उसका निर्धारण विनियामक पूंजी प्रयोजनों के लिए किसी बैंकिंग बही एक्सपोज़र के बचाव के रूप में किया जाता है तो आंतरिक एवं बाह्य सीडीएस बचाव के लिए कोई पूंजी बनाए रखना अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार के मामलों में बाह्य सीडीएस बैंकिंग बही एक्सपोज़र के लिए परोक्ष बचाव के रूप में कार्य करेगा तथा बाह्य/तृतीय पक्षकार बचाव के मामले में लागू **पैराग्राफ 5.17** के अनुसार पूंजी पर्याप्तता लागू होगी।

## 6. बाह्य ऋण मूल्यांकन

### 6.1 पात्र ऋण रेटिंग एजेंसियां

6.1.1 रिज़र्व बैंक ने उन पात्र ऋण रेटिंग एजेन्सियों की पहचान करने की विस्तृत प्रक्रिया अपनायी है जिनकी रेटिंग का इस्तेमाल बैंक ऋण जोखिम के लिए जोखिम भार देने के लिए करेंगे। संशोधित ढांचे[74] के प्रावधानों के अनुरूप जहां बैंक द्वारा दी जा जानेवाली सुविधा के संदर्भ में उसके पास किसी पात्र ऋण रेटिंग एजेन्सी द्वारा दी गयी रेटिंग विद्यमान है, वहां दावे का जोखिम भार इस रेटिंग पर आधारित होगा।

6.1.2 संशोधित ढांचे में दिये गये सिद्धांतों के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि बैंक पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए अपने दावों को जोखिम भार देने के उद्देश्य से निम्नलिखित देशी ऋण रेटिंग एजेन्सियों (अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार दी गयी) की रेटिंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं :

(क) ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क)
(ख) क्रेडिट एनालिसेस एंड रिसर्च लिमिटेड;
(ग) क्रिसिल लिमिटेड;
(घ) इकरा लिमिटेड; तथा
(ङ) इंडिया रेटिंग एण्ड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स); तथा
(च) एसएमईआरए रेटिंग्स लि. (स्मेरा)[75]

6.1.2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निश्चय किया है कि बैंक जहां कहीं निर्दिष्ट किया गया हो पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए अपने दावों को जोखिम भार देने के उद्देश्य से निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेन्सियों (अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दी गयी) की रेटिंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं :

क) फिच;
ख) मूडीज़; तथा
ग) स्टैंडर्ड एंड पुअर्स

## 6.2 **बाह्य रेटिंग लागू करने की व्याप्ति**

6.2.1 बैंकों को चाहिए कि वे चुनी गयी ऋण रेटिंग एजेन्सियों तथा उनकी रेटिंग का हर प्रकार के दावे के लिए जोखिम भार देने तथा जोखिम प्रबंधन प्रयोजन दोनों, के लिए इस्तेमाल करें। बैंकों को भिन्न-भिन्न ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दिये गये मूल्याकनों को अपने स्वार्थ के अनुसार अपनाने

---

[74] कृपया "पूंजी मापन और पूंजी मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसरण" (जून 2006) पर बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति द्वारा जारी दस्तावेज देखें।

[75] कृपया दिनांक 17 अक्तूबर 2013 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.59/21.06.007/2013-14 देखें।

तथा ऋण रेटिंग एजेन्सियों के इस्तेमाल को मनमाने ढंग से बदलने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई बैंक दावे के किसी प्रकार के लिए चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों की रेटिंग का इस्तेमाल करना चाहता है तो वह केवल उन ऋण रेटिंग एजेन्सियों की रेटिंग का इस्तेमाल कर सकता है, भले ही इनमें से कुछ दावों की रेटिंग ऐसी अन्य चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा की गयी हो जिनकी रेटिंग का इस्तेमाल न करने का बैंक ने निश्चय किया है। बैंक एक कंपनी बांड के लिए एक एजेन्सी की रेटिंग तथा उसी काउंटर पार्टी के प्रति दूसरे एक्सपोज़र के लिए दूसरी एजेन्सी की रेटिंग का इस्तेमाल तब तक नहीं करेंगे जब तक कि संबंधित एक्सपोज़र की रेटिंग चुनी गयी ऋण रेटिंग एजेन्सियों में से केवल उस एक एजेन्सी द्वारा की गयी हो जिसकी रेटिंग का इस्तेमाल करने का बैंक ने निश्चय किया है। किसी कंपनी समूह के भीतर किसी एक संस्था के लिए किये गये बाह्य मूल्यांकनों का उसी समूह की अन्य संस्थाओं को जोखिम भार देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

6.2.2 बैंकों को अपनी परिसंपत्तियों को जोखिम भार देने के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल की जानेवाली ऋण रेटिंग एजेन्सियों के नाम, प्रत्येक पात्र ऋण एजेन्सी के लिए मैपिंग प्रक्रिया के माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित किये अनुसार विशेष रेटिंग ग्रेडों से संबद्ध जोखिम भार तथा **अनुबंध 18 की सारणी डीएफ-4** द्वारा अपेक्षित कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां प्रकट करनी चाहिए।

6.2.3 जोखिम भार देने के प्रयोजनों के लिए पात्र होने हेतु बाह्य मूल्यांकन में बैंक को देय सभी भुगतानों के संबंध में ऋण जोखिम एक्सपोज़र की संपूर्ण राशि को ध्यान में लिया जाना चाहिए और उसमें वह परिलक्षित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक को मूलधन और ब्याज दोनों देय है तो मूल्यांकन में इसे पूरी तरह ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा मूलधन और ब्याज की समय पर चुकौती से संबद्ध ऋण जोखिम उसमें परिलक्षित होना चाहिए।

6.2.4 जोखिम भार देने के प्रयोजनों के लिए पात्र होने हेतु रेटिंग लागू रहनी चाहिए तथा संबंधित रेटिंग एजेन्सी के मासिक बुलेटिन से उसकी पुष्टि की जानी चाहिए। रेटिंग एजेन्सी द्वारा पिछले 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार रेटिंग की समीक्षा की गयी हो।

6.2.5 पात्र ऋण मूल्यांकन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, रेटिंग इस रूप में प्रकाशित की जानी चाहिए कि उस तक पहुंच हो तथा वह बाहरी ऋण रेटिंग एजेन्सी के परिवर्तन मैट्रिक्स में शामिल होनी चाहिए। अतः, ऐसी रेटिंग जो केवल लेनदेन करनेवाली पार्टियों को उपलब्ध करायी जाए, इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं करती।

6.2.6 बैंक के संविभाग की उन परिसंपत्तियों के लिए जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष के बराबर या उससे कम है, चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी अल्पावधि रेटिंग

प्रासंगिक होगी। एक वर्ष से अधिक संविदागत परिपक्वता अवधि वाली अन्य आस्तियों के लिए चयनित ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधिक रेटिंग प्रासंगिक होगी।

6.2.7 नकदी ऋण एक्सपोज़र आमतौर पर रोल ओवर करते हैं तथा मंजूर सीमाओं का बड़ा भाग औसतन आहरित रहता है। इसलिए, नकदी ऋण एक्सपोज़र भले ही एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए मंज़ूर किया गया हो, इन एक्सपोज़रों को दीर्घावधि एक्सपोज़रों के रूप में माना जाना चाहिए और तदनुसार चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी दीर्घावधि रेटिंग संगत होगी। इसी प्रकार, बैंक किसी काउंटर पार्टी की दीर्घावधि रेटिंग का प्रॉक्सी के रूप में उसी काउंटर पार्टी के रेटिंग न किये गये अल्पावधि एक्सपोज़र के लिए प्रयोग कर सकते हैं; बशर्ते नीचे **पैरा 6.4, 6.5, 6.7 और 6.8** में उल्लेख किये अनुसार बहुविध रेटिंग मूल्यांकनों के प्रयोग तथा निर्गमकर्ता /अन्य दावों पर निर्गम रेटिंग लागू होने संबंधी अपेक्षाओं का कड़ाई से पालन किया जाए।

### 6.3 मैपिंग प्रक्रिया

संशोधित ढांचे में यह सिफारिश की गयी है कि पात्र ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा जारी रेटिंग को मानकीकृत जाखिम भारांकन ढांचे के अधीन उपलब्ध जोखिम भार पर लागू करने के लिए मैपिंग प्रक्रिया विकसित की जाए। इस मैपिंग प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ऐसा जोखिम भार दिया जाना चाहिए जो ऋण जोखिम के स्तर के अनुरूप हो। चुनी हुई देशी ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी ऋण रेटिंगों की मैपिंग नीचे **पैरा 6.4.1 तथा 6.5.4** में दी गयी है जिसका बैंकों द्वारा विभिन्न एक्सपोजरों को जोखिम भार देने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

### 6.4 दीर्घावधि रेटिंग

6.4.1 उपर्युक्त तत्वों तथा रेटिंग एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर चुनी हुई देशी ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा जारी रेटिंग का निरूपण संशोधित ढांचे के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लागू उचित जोखिम भार के संदर्भ में किया गया है। नीचे सारणी में दी गयी रेटिंग जोखिम भार मैपिंग भारत में सभी बैंकों द्वारा अपनायी जायेगी :

**सारणी 12 : चुनी हुई देशी रेटिंग एजेन्सियों की दीर्घावधि रेटिंग की जोखिम भार मैपिंग**

| केयर | क्रिसिल | इंडिया रेटिंग एण्ड रिसर्च प्रा. लि (इंडिया रेटिंग) | इकरा | ब्रिकवर्क | एसएमईआरए रेटिंग्स लि. (स्मेरा) | मानकीकृत दृष्टिकोण जोखिम भार (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| केयर एएए | क्रिसिल एएए | इंड एएए | इकरा एएए | ब्रिकवर्क एएए | स्मेरा एएए | 20 |
| केयर एए | क्रिसिल एए | इंड एए | इकरा एए | ब्रिकवर्क एए | स्मेरा एए | 30 |
| केयर ए | क्रिसिल ए | इंड ए | इकरा ए | ब्रिकवर्क ए | स्मेरा ए | 50 |
| केयर बीबीबी | क्रिसिल बीबीबी | इंड बीबीबी | इकरा बीबीबी | ब्रिकवर्क बीबीबी, | स्मेरा बीबीबी | 100 |
| केयर बीबी, केयर बी . केयर सी तथा केयर डी | क्रिसिल बीबी, क्रिसिल बी, क्रिसिल सी, तथा क्रिसिल डी | इंड बीबी, इंड बी, इंड सी तथा इंड डी | इकरा बीबी, इकरा बी, इकरा सी तथा इकरा डी | ब्रिकवर्क बीबी, ब्रिकवर्क बी, ब्रिकवर्क सी, तथा ब्रिकवर्क डी | स्मेरा बीबी स्मेरा बी स्मेरा सी तथा स्मेरा डी | 150 |
| रेटिंग न की गयी | रेटिंग न की गयी | रेटिंग न की गयी | रेटिंग न की गयी | रेटिंग न की गयी | रेटिंग न की गयी | 100 |

6.4.2 जहां रेटिंग के साथ "+" या "-" चिह्न जोड़ा गया है वहां तदनुरूपी मुख्य रेटिंग श्रेणी के जोखिम भार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ए + या ए- को ए रेटिंग श्रेणी में समझा जायेगा तथा 50 प्रतिशत जोखिम भार दिया जायेगा।

6.4.3 यदि किसी निर्गमकर्ता का बाह्य दीर्घावधि रेटिंग के साथ दीर्घावधि एक्सपोज़र है जिस पर 150 प्रतिशत का जोखिम भार का आवश्यक है तो उसी काउंटर पार्टी के संबंध में सभी रेटिंग न किये गये दावों को भी, चाहे अल्पावधि हो या दीर्घावधि, 150 प्रतिशत का जोखिम भार तब तक दिया जाना चाहिए जब तक कि बैंक ऐसे दावों के लिए ऋण जोखिम कम करने की स्वीकृत तकनीकें इस्तेमाल नहीं करता हो।

### 6.5 अल्पावधि रेटिंग

6.5.1 जोखिम भार देने के प्रयोजनों के लिए अल्पावधि रेटिंग निर्गम विशेष से जुड़ी समझी जाती हैं। उनका प्रयोग केवल रेटिंग की गयी सुविधा से उत्पन्न दावों के लिए जोखिम भार निकालने के लिए किया जा सकता है। उन्हें अन्य अल्पावधि दावों के साथ सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। किसी भी हालत में किसी अल्पावधि रेटिंग का उपयोग रेटिंग न किये गये दीर्घावधि दावे के जोखिम

भार के लिए नहीं किया जा सकता। अल्पावधि मूल्यांकनों का उपयोग केवल बैंकों और कंपनियों के विरुद्ध अल्पावधि दावों के लिए किया जाए।

6.5.2 किसी निर्गम विशेष की अल्पावधि रेटिंग का अन्य अल्पावधि एक्सपोज़रों के लिए उपयोग करने पर उपर्युक्त प्रतिबंध के होते हुए भी निम्नलिखित व्यापक सिद्धांत लागू होंगे। किसी काउंटर पार्टी के रेटिंग न किये गये अल्पावधि दावे पर लगने वाला जोखिम भार उस काउंटर पार्टी के रेटिंग किये गये अल्पावधि दावे पर लागू जोखिम भार से कम-से-कम एक स्तर उच्चतर होगा। यदि काउंटर पार्टी को प्रदत्त रेटिंग की गयी अल्पावधि सुविधा पर 20 प्रतिशत या 50 प्रतिशत जोखिम भार लगता है तो उसी काउंटर पार्टी के प्रति रेटिंग न किये गये अल्पावधि दावों पर क्रमशः 30 प्रतिशत या 100 प्रतिशत से कम जोखिम भार नहीं लग सकता।

6.5.3 इसी प्रकार, यदि किसी निर्गमकर्ता का बाह्य अल्पावधि रेटिंग के साथ अल्पावधि एक्सपोज़र है जिस पर 150 प्रतिशत का जोखिम भार आवश्यक है, तो उसी काउंटर पार्टी के संबंध में सभी रेटिंग न किये गये दावों पर भी, चाहे दीर्घावधि हो या अल्पावधि, 150 प्रतिशत का जोखिम भार तब तक दिया जाना चाहिए जब तक कि बैंक ऐसे दावों के लिए ऋण जोखिम कम करने की स्वीकृत तकनीकें इस्तेमाल नहीं करता है।

6.5.4 निर्गम विशेष की अल्पावधि रेटिंगों के संदर्भ में बैंकों द्वारा निम्नलिखित जोखिम भार मैपिंग अपनायी जायेगी :

**सारणी 13 : देशी रेटिंग एजेन्सियों की अल्पावधि रेटिंग की जोखिम भार मैपिंग**

| केयर | क्रिसिल | इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राईवेट लि. (इंडिया रेटिंग्स) | इकरा | ब्रिकवर्क | एसएमईआरए रेटिंग्स लि. (स्मेरा) | मानकीकृत दृष्टिकोण जोखिम भार (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| केयर ए1+ | क्रिसिल ए1+ | इंड ए1+ | इकरा ए1+ | ब्रिकवर्क ए+1 | स्मेरा ए1+ | 20 |
| केयर ए1 | क्रिसिल ए1 | इंड ए 1 | इकरा ए1 | ब्रिकवर्क ए1 | स्मेरा ए1 | 30 |
| केयर ए2 | क्रिसिल ए2 | इंड ए2 | इकरा ए2 | ब्रिकवर्क ए2 | स्मेरा ए2 | 50 |
| केयर ए3 | क्रिसिल ए3 | इंड ए3 | इकरा ए3 | ब्रिकवर्क ए3 | स्मेरा ए3 | 100 |
| केयर ए4 एवं डी | क्रिसिल ए4 एवं डी | इंड ए एवं डी 4 | इकरा ए4 एवं डी | ब्रिकवर्क ए 4 एवं डी | स्मेरा ए 4 एवं स्मेरा डी | 150 |
| रेटिंग न की गयी | रेटिंग न की गयी | रेटिंग न की गयी | रेटिंग न की गयी | रेटिंग न की गयी | रेटिंग न की गयी | 100 |

6.5.5. जहां रेटिंग के साथ "+" या "-" चिह्न जोड़ा गया है वहां ए2 और उससे नीचे के लिए तदनुरूपी मुख्य रेटिंग श्रेणी के जोखिम भार का तब तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए। उदाहरण के लिए, ए2 + या ए2 - को ए2 रेटिंग श्रेणी में समझा जायेगा तथा 50 प्रतिशत जोखिम भार दिया जायेगा।

6.5.6. चुनी हुई देशी रेटिंग एजेन्सियों की दीर्घावधि और अल्पावधि दोनों रेटिंगों की उपर्युक्त जोखिम भार मैपिंग की रिज़र्व बैंक द्वारा वार्षिक समीक्षा की जायेगी।

## 6.6 मांगी न गयी रेटिंग का इस्तेमाल

किसी रेटिंग को मांगी गयी रेटिंग तभी माना जायेगा यदि लिखत के निर्गमकर्ता ने ऋण रेटिंग एजेन्सी से रेटिंग के लिए अनुरोध किया हो तथा एजेन्सी द्वारा दी गयी रेटिंग को स्वीकार किया हो। सामान्य नियम के रूप में, बैंकों को केवल **चुनी हुई रेटिंग एजेन्सियों से मांगी गयी रेटिंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए।** मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा बिना मांगे जारी किये गये किसी रेटिंग के आधार पर जोखिम भार की गणना नहीं की जानी चाहिए।

## 6.7 बहुविध रेटिंग मूल्यांकनों का इस्तेमाल

बैंक द्वारा जोखिम भार की गणना के प्रयोजन के लिए चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों से बहुविध रेटिंग वाले एक्सपोज़रों/बाध्यताधारियों (ऑब्लीगर्स) के संदर्भ में बैंक निम्नलिखित से मार्गदर्शन लेंगे :

(i) यदि किसी चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सी द्वारा किसी दावे के लिए केवल एक रेटिंग दी गयी है तो उस रेटिंग का इस्तेमाल दावे का जोखिम भार निश्चित करने के लिए किया जायेगा।

(ii) यदि चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दो रेटिंग दी गयी हैं जो अलग-अलग जोखिम भार में रूपांतरित होती हैं तो उच्चतर जाखिम भार लागू किया जाना चाहिए।

(iii) यदि चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा तीन या अधिक रेटिंग दी गयी हैं और उनमें अलग-अलग जोखिम भार हैं तो दो न्यूनतम जोखिम भार की तदनुरूपी रेटिंग का संदर्भ लिया जाना चाहिए तथा उन दोनों में से उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाना चाहिए, अर्थात् दूसरा निम्नतम जोखिम भार।

**6.8 निर्गमकर्ता /अन्य दावों पर 'निर्गम रेटिंग' लागू होना**

6.8.1 जहां कोई बैंक ऐसे किसी खास निर्गम में निवेश करता है जिसे चुनी हुई क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा निर्गम विशेष की रेटिंग प्राप्त है तो दावे का जोखिम भार इस मूल्यांकन पर आधारित होगा। जहां बैंक का दावा किसी विशिष्ट मूल्यांकित निर्गम में निवेश के रूप में नहीं है, वहां निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत लागू होंगे :

i) उन परिस्थितियों में जहां ऋणकर्ता के पास जारी ऋण के लिए विनिर्दिष्ट मूल्यांकन है - परंतु बैंक का दावा इस विशेष ऋण में निवेश के रूप में नहीं है - वहां विनिर्दिष्ट ऋण पर लागू रेटिंग (जहां रेटिंग ऐसे जोखिम भार में रूपांतरित होती है जो रेटिंग न किये दावे पर लागू भार से कम है) बैंक के अमूल्यांकित दावे पर केवल तभी लागू की जाए यदि वह दावा सभी दृष्टियों से विनिर्दिष्ट रेटिंग किये गये ऋण के समरूप या वरिष्ठ हो तथा अमूल्यांकित दावे की परिपक्वता रेटिंग किये गये दावे[76]6 की परिपक्वता के बाद न हो। इसका अपवाद वहां हो सकता है जहां रेटिंग किया गया दावा पैरा 6.5.2 में निर्दिष्ट किये अनुसार अल्पावधि दायित्व है। यदि ऐसा नहीं है तो विनिर्दिष्ट ऋण पर लागू रेटिंग का उपयोग नहीं किया जा सकता है और अमूल्यांकित दावे पर रेटिंग न किये गये दावों का जोखिम भार लागू होगा।

ii) ऐसी स्थितियों में, जहां उधारकर्ता के पास जारीकर्ता का मूल्यांकन है, तो यह मूल्यांकन उस जारीकर्ता के वरिष्ठ गैर-जमानती दावों पर ही लागू होगा। परिणामत: उच्च गुणवत्ता वाले जारीकर्ता मूल्यांकन का लाभ केवल उस जारीकर्ता के वरिष्ठ दावों को होता है। उच्च मूल्यांकन वाले जारीकर्ता के अन्य अमूल्यांकित दावों को रेटिंग न किए गए के रूप में माना जाएगा। यदि निर्गमकर्ता या एकल निर्गम को निम्न गुणवत्ता का मूल्यांकन (जिसकी जोखिम भार मैपिंग रेटिंग न किये गये दावों पर लागू जोखिम भार के बराबर है या उससे ऊपर है) दिया गया है, तो उसी काउंटर पार्टी पर किसी अमूल्यांकित दावे पर, जिसका रैंक वरिष्ठ गैर-जमानती निर्गमकर्ता

---

[76] यदि जहां किसी काउंटर पार्टी पर अल्पावधि दावे की रेटिंग ए1+ हो और उसी काउंटर पार्टी पर दीर्घावधि दावे की रेटिंग एएए हो, वहां बैंक उस स्थिति में उस काउंटर पार्टी पर रेटिंग न किये गये अल्पावधि दावे को 30 प्रतिशत जोखिम भार तथा रेटिंग न किये गये दीर्घावधि दावे को 20 प्रतिशत जोखिम भार दे सकता है जहां दावे की वरिष्ठता का दर्जा रेटिंग किये गये दावे के समरूप हो तथा रेटिंग न किये गये दावे की परिपक्वता रेटिंग किये गये दावे के बाद न हो। इसी प्रकार के मामले में जहां अल्पावधि दावे की रेटिंग ए1+ है तथा दीर्घावधि दावे की रेटिंग ए है वहां बैंक रेटिंग न किये गये अल्पावधि या दीर्घावधि दावे को 50 प्रतिशत जोखिम भार दे सकता है।

मूल्यांकन अथवा एक्सपोजर मूल्यांकन के समकक्ष या कनिष्ठ है, वही जोखिम भार दिया जायेगा जो निम्न गुणवत्ता वाले मूल्यांकन पर लागू है।

(iii) जहां कोई बैंक चुनी हुई क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा दी गयी निर्गमकर्ता या निर्गम विशेष की रेटिंग ऐसे किसी दूसरे एक्सपोज़र पर लागू करना चाहता है जो उसी काउंटर पार्टी के संबंध में बैंक का एक्सपोज़र है और जो उपर्युक्त मानदंड पूरा करता है तो उक्त रेटिंग उस एक्सपोज़र से संबंधित बैंक के ऋण जोखिम एक्सपोज़र की पूरी राशि (अर्थात् मूलधन और ब्याज दोनों) पर लागू की जानी चाहिए।

(iv) ऋण संवर्धन तत्वों की दोहरी गिनती से बचने के लिए बैंक जिस चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सी पर निर्भर कर रहा है यदि उसके द्वारा निर्गम विशेष के संदर्भ में दी गयी रेटिंग में ऋण संवर्धन पहले ही परिलक्षित हो रहा हो तो ऋण जोखिम कम करने की तकनीकों के प्रभाव को गणना में नहीं लेना चाहिए।

(v) जहां रेटिंग न किये गये एक्सपोज़र को उस ऋणकर्ता के संबंध में बराबर के एक्सपोज़र की रेटिंग पर आधारित जोखिम भार दिया गया है, वहां सामान्य नियम यह है कि विदेशी मुद्रा रेटिंग का इस्तेमाल केवल विदेशी मुद्रा में एक्सपोज़रों के लिए किया जायेगा ।

6.8.2 यदि पैरा 6.8.1 में इंगित की गई शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो विनिर्दिष्ट/ ऋण पर लागू रेटिंग का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी लक्ष्यों /उप-लक्ष्य को पूरा करने में हुई कमी के बदले नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी[77] में रखी गयी जमाराशियों पर दावे पर अनरेटेड दावों की भांति, अर्थात् 100% पर, जोखिम भार लगाया जाएगा।

## 7. ऋण जोखिम कम करना

### 7.1 सामान्य सिद्धांत

7.1.1 बैंक अपने ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए नकदी अथवा प्रतिभूतियों द्वारा, एक ही काउंटर-पार्टी की जमाराशियों द्वारा, किसी थर्ड पार्टी की गारंटी, आदि द्वारा एक्सपोज़र को पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूतिबद्ध किया जा सकता है। ऋण जोखिम कम करने के नये दृष्टिकोण में 1988 ढांचे की तुलना में ऋण जोखिम कम करनेवाले तत्वों की एक व्यापक श्रेणी को स्वीकृति दी गयी है, बशर्ते ये

---

[77] कृपया प्राथमिकता-प्राप्त/ क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी लक्ष्यों /उप-लक्ष्यों को पूरा करने में हुई कमी के बदले में नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गयी जमाराशियों पर जोखिम भार पर 20 जून 2013 का परिपत्र बैंपविवि. बीपी . बीसी. सं. 103/21.06.001/2012-13 देखें।

तकनीकें नीचे **पैराग्राफ 7.2** में वर्णित कानूनी निश्चितता की अपेक्षा पूरी करती हों। इस खंड में ऋण जोखिम कम करने के जिस दृष्टिकोण का ब्योरा दिया गया है वह बैंकिंग बहियों के एक्सपोज़र पर लागू है। यह ट्रेडिंग बही में की गयी रिपो जैसे लेनदेन और ओटीसी डेरिवेटिव के काउंटर पार्टी जोखिम प्रभार की गणना पर भी लागू होगा।

7.1.2 ऋण जोखिम कम करने की तकनीकों के प्रयोग पर निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत लागू होंगे -

(i) जिस लेनदेन में ऋण जोखिम कम करने की (सीआरएम) तकनीकों को प्रयोग किया गया है वहाँ ऐसे समान प्रकार की लेनदेनों की तुलना में, जहाँ ऐसी तकनीकों का प्रयोग नहीं किया गया है, उच्चतर पूंजी अपेक्षा लागू नहीं की जानी चाहिए।

(ii) सीआरएम के प्रभाव की दोहरी गणना **नहीं** की जाएगी। अतः, ऐसे दावों के लिए, जिनमें पहले से ही सीआरएम तकनीकें प्रतिबिम्बित करनेवाली निर्गम विनिर्दिष्ट रेटिंग प्रयुक्त हुई है, विनियामक पूंजी प्रयोजन के लिए अतिरिक्त पर्यवेक्षीय मान्यता नहीं मिलेगी।

(iii) सीआरएम ढाँचे के अंतर्गत प्रिन्सिपल-ओनली रेटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) सीआरएम तकनीकों के प्रयोग से ऋण जाखिम कम होता है या अंतरित होता है, लेकिन यह साथ-साथ अन्य जोखिमों (अवशिष्ट जोखिमों) को बढ़ा सकता है। अवशिष्ट जोखिमों में कानूनी, परिचालनात्मक, चलनिधि और बाजार जोखिम शामिल हैं। अतः यह आवश्यक है कि बैंक इन जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए सुदृढ़ प्रक्रिया और क्रियाविधि अपनाएँ, जिसमें रणनीति, आधारभूत ऋण पर विचार, मूल्यांकन, नीति और प्रक्रिया, प्रणाली, रोल-ऑफ जोखिमों का नियंत्रण और बैंक द्वारा सीआरएम तकनीकों के प्रयोग से और बैंक की समग्र ऋण जोखिम प्रोफाइल के साथ उसकी प्रतिक्रिया से उत्पन्न संकेन्द्रण जोखिम का प्रबंधन शामिल है। जहाँ इन जोखिमों का पर्याप्त नियंत्रण नहीं होगा, वहाँ रिज़र्व बैंक अतिरिक्त पूंजी भार लगा सकता है या अन्य पर्यवेक्षीय कदम उठा सकता है। सीआरएम तकनीकों के मामले में पूंजी में छूट प्राप्त करने के लिए बैंकों को **अनुबंध 18 की सारणी डीएफ-5** में निर्धारित सूचना के प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं का भी पालन करना चाहिए।

**7.2 कानूनी निश्चितता**

सीआरएम तकनीकों के प्रयोग के लिए पूंजी की छूट प्राप्त करने के लिए बैंकों को कानूनी प्रलेखन का निम्नलिखित न्यूनतम मानक अवश्य पूरा करना चाहिए। संपार्श्वीकृत लेनदेन और गारंटियों में प्रयुक्त सभी प्रलेखन सभी पक्षों पर बाध्यकारी होना चाहिए और सभी क्षेत्रों में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय होना चाहिए। इस अपेक्षा की जाँच करने के लिए बैंकों को पर्याप्त कानूनी समीक्षा करनी चाहिए, जिसके लिखित प्रमाण होने चाहिए। प्रलेखों की बाध्यता और उसकी प्रवर्तनीयता के संबंध में निष्कर्ष पर

पहुँचने के लिए ऐसी जाँच में सुस्थापित कानूनी आधार होना चाहिए। बैंकों को प्रलेखों की प्रवर्तनीयता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की और समीक्षा करते रहना चाहिए।

### 7.3 ऋण जोखिम कम करने की तकनीकें - संपार्श्विकृत लेनदेन

7.3.1 संपार्श्विकृत लेनदेन वह लेनदेन है जिसमें :

(i) बैंक का ऋण एक्सपोज़र है तथा उक्त ऋण एक्सपोज़र की पूर्ण या आंशिक हेजिंग एक काउंटर पार्टी द्वारा अथवा उस काउंटर पार्टी की ओर से किसी थर्ड पार्टी द्वारा दिए गए संपार्श्विक द्वारा की गई है। यहाँ काउंटर पार्टी का प्रयोग ऐसी पार्टी के लिए किया गया है जिसके प्रति बैंक का तुलनपत्र अथवा तुलनपत्रेतर ऋण एक्सपोज़र है।

(ii) बैंक का संपार्श्विक प्रतिभूति पर विनिर्दिष्ट ग्रहणाधिकार है तथा कानूनी निश्चितता की अपेक्षा पूरी हो रही है।

### 7.3.2 समग्र ढाँचा और न्यूनतम शर्तें

संशोधित ढाँचे के अंतर्गत बैंकों को यह अनुमति दी गयी है कि वे या तो सरल दृष्टिकोण अपनाएँ, जिसमें 1988 समझौते के समान ही, एक्सपोज़र के संपार्श्विकृत हिस्से के लिए काउंटर पार्टी के जोखिम भार के बदले संपार्श्विक का जोखिम भार (आम तौर पर न्यूनतम 20 प्रतिशत तक) लिया जाता है, या समग्र दृष्टिकोण अपनाएँ जिसमें संपार्श्विक को प्रदत्त मूल्य को एक्सपोज़र राशि से घटाते हुए संपार्श्विक द्वारा एक्सपोज़र का बेहतर प्रतिसंतुलन  किया जाता है। भारत में बैंक समग्र दृष्टिकोण अपनाएंगे, जिसमें संपार्श्विक को प्रदत्त मूल्य एक्सपोज़र राशि से घटाते हुए, संपार्श्विक द्वारा एक्सपोज़र का बेहतर प्रतिसंतुलन किया जाता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत पात्र वित्तीय संपार्श्विक (अर्थात् नकदी या प्रतिभूति, जिनकी अधिक विनिर्दिष्ट परिभाषा नीचे दी गयी है) लेने वाले बैंक पूंजी अपेक्षा की गणना करते समय संपार्श्विक के जोखिम कम करने वाले प्रभाव को काउंटर पार्टी के प्रति अपने ऋण जोखिम से घटा सकते हैं। ऋण जोखिम में कमी की खाता-दर-खाता आधार पर ही अनुमति है, यहाँ तक कि विनियामक फुटकर संविभाग में भी। तथापि, पूंजी संबंधी राहत दिये जाने के पहले निम्नलिखित मानक अवश्य पूरे किये जाने चाहिए:

(i) कानूनी निश्चितता की सामान्य अपेक्षाओं के अलावा, संपार्श्विक को गिरवी रखने या उसको अंतरित करने के लिए प्रयुक्त कानूनी प्रक्रिया में यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंक को काउंटर पार्टी (और, जहाँ लागू हो, संपार्श्विक रखने वाले अभिरक्षक) द्वारा चूक किये जाने या दिवालिया हो जाने (या लेनदेन प्रलेखन में वर्णित एक या अधिक अन्यथा परिभाषित ऋण घटनाओं) की स्थिति में बैंक को उपयुक्त समय पर उक्त संपार्श्विक का कानूनी कब्जा लेने या उसे बेचने का अधिकार है। इसके अलावा बैंकों को संपार्श्विक प्रतिभूति में बैंक के प्रवर्तनीय प्रतिभूति हित को प्राप्त करने और उसे बनाये रखने के लिए लागू

कानून के अंतर्गत अपेक्षाएं पूरी करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना चाहिए, उदाहरण के लिए रजिस्ट्रार के पास उसे रजिस्टर कराना आदि।

(ii) संपार्श्विक प्रतिभूति से सुरक्षा मिले इसके लिए आवश्यक है कि काउंटर पार्टी की ऋण गुणवत्ता और संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के बीच वास्तविक धनात्मक अंतर्संबंध न हो। उदाहरण के लिए काउंटर पार्टी अथवा उक्त समूह से संबद्ध संस्था द्वारा जारी प्रतिभूति से कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी और इसलिए उसे संपार्श्विक नहीं माना जा सकता।

(iii) बैंकों के पास संपार्श्विक प्रतिभूति के सामयिक परिसमापन के लिए स्पष्ट और सुदृढ़ प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काउंटर पार्टी की चूक की घोषणा करने तथा संपार्श्विक के परिसमापन करने के लिए अपेक्षित कानूनी शर्तों का पालन किया जाता है तथा संपार्श्विक का अविलंब परिसमापन किया जाता है।

(iv) जहां संपार्श्विक किसी अभिरक्षक के पास हो, वहां बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभिरक्षक संपार्श्विक को अपनी आस्तियों से अलग रखता है, उपयुक्त कदम उठाना चाहिए।

(v) बैंकों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि ओटीसी व्युत्पन्नी तथा प्रतिभूति वित्तीयक प्रतिपक्षकार बैंकों के साथ मार्जिन करारों के सुव्यवस्थित परिचालन के लिए पर्याप्त संसाधन रखे गए हैं जैसाकि ,उनकी आउटगोइंग कॉल्स की सटीकता और समयबद्धता तथा इनकमिंग कॉल्स के जवाबी समय से नापा जाता है। बैंकों के पास संपार्श्विक प्रबंधन नीतियां होनी चाहिए ताकि निम्नलिखित का नियंत्रण और निगरानी हो सके और बोर्ड अथवा उसकी समितियों में से किसी एक को रिपोर्ट किया जा सके:

- मार्जिन करार के कारण होने वाले जोखिम (जैसे संपार्श्विक के रूप में विनिमय की गई प्रतिभूतियों की अस्थिरता और तरलता),
- संपार्श्विक के विशेष प्रकारों में संकेंद्रण की जोखिम,
- संपार्श्विक (नकद और नकदेतर, दोनों) का पुनर्प्रयोग और प्रतिपक्षकारों से प्राप्त संपार्श्विक के पुनर्प्रयोग के परिणाम से संभावित चलनिधि की कमी, तथा
- प्रतिपक्षकारों को दर्ज संपार्श्विक पर अधिकार छोड़ देना।

7.3.3 संपार्श्विक लेनदेन के दोनों चरणों पर पूंजी अपेक्षा लागू होगी। उदाहरण के लिए रिपो और रिवर्स रिपो दोनों पर पूंजी अपेक्षा लागू होगी। इसी प्रकार प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने से संबंधित दोनों तरफ के लेनदेन पर तथा डेरिवेटिव एक्सपोज़र या अन्य उधार से संबंधित प्रतिभूति की पोस्टिंग पर स्पष्ट पूंजी भार लागू होगा।

**7.3.4 समग्र दृष्टिकोण**

(i) समग्र दृष्टिकोण में संपार्श्विक प्रतिभूति लेते समय बैंकों को संपार्श्विक के प्रभाव को गणना में शामिल करने हेतु काउंटर पार्टी के प्रति पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन से समायोजित एक्सपोज़र की गणना करने की आवश्यकता होगी। बैंकों को काउंटर पार्टी के प्रति एक्सपोज़र की राशि तथा काउंटर पार्टी के समर्थन में प्राप्त संपार्श्विक के मूल्य को समायोजित करना होगा ताकि बाज़ार में घट-बढ़ के कारण दोनों के मूल्य में संभव भावी घट-बढ़ को ध्यान में रखा जाए। इन समायोजनों को `हेयरकट' कहा जाता है। `हेयरकट' लागू करने पर एक्सपोज़र और संपार्श्विक दोनों में अस्थिरता के समायोजन के बाद की राशि प्राप्त होगी। एक्सपोज़र में अस्थिरता के समायोजन के बाद जो राशि प्राप्त होगी वह एक्सपोज़र से उच्चतर होगी तथा संपार्श्विक में समायोजन के बाद जो राशि प्राप्त होगी वह संपार्श्विक से न्यूनतर होगी। यदि लेनदेन के दोनों पक्ष नकदी हो तब ऐसा नहीं होगा। दूसरे शब्दों में एक्सपोज़र के लिए हेयरकट एक प्रीमियम घटक होगा, जबकि संपार्श्विक के लिए हेयरकट डिस्काउंट घटक होगा। यह ध्यान में रखना चाहिए कि `हेयरकट' लगाने के पीछे प्रयोजन एक्सपोज़र और पात्र वित्तीय संपार्श्विकों के मूल्य में अंतर्निहित बाजार आधारित अस्थिरता का आकलन करना है। चूंकि अपने बैंकिंग परिचालनों के दौरान बैंकों को हुए ऋण एक्सपोजर का मूल्य बाजार अस्थिरता के अधीन नहीं होगा (क्योंकि ऋण वितरण/ निवेश`नकद' लेनदेन होगा), हालांकि पात्र वित्तीय संपार्श्विकों का मूल्य बाजार अस्थिरता के अधीन होगा, **सारणी-14** (पैरा 7.3.7) में निर्धारित हेयरकट ऋण लेनदेन के मामले में केवल पात्र संपार्श्विक पर लागू होगा, बैंक के ऋण एक्सपोजर पर नहीं। दूसरी ओर, रिपो जैसे लेनदेन के कारण बैंक को होनेवाले एक्सपोजर पर अस्थिरता के लिए ऊर्ध्वमुखी समायोजन करना आवश्यक होगा, क्योंकि रिपो लेनदेन में बेची गयी/ उधार दी गयी/बंधक रखी गयी प्रतिभूति का मूल्य बाजार अस्थिरता के अधीन होगा। अतः, ऐसे एक्सपोजर पर हेयरकट लागू होगा।

(ii) इसके अलावा यदि एक्सपोज़र और संपार्श्विक अलग-अलग मुद्राओं में रखा गया हो तो अस्थिरता समायोजित संपार्श्विक राशि में एक अतिरिक्त निम्नमुखी समायोजन भी किया जाना चाहिए ताकि विनिमय दरों में संभावित भावी घट-बढ़ को गणना में शामिल किया जा सके।

(iii) जहां अस्थिरता-समायोजित एक्सपोज़र राशि अस्थिरता-समायोजित संपार्श्विक राशि (जिसमें विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए अतिरिक्त समायोजन शामिल है) से अधिक हो तो बैंक अपनी जोखिम भारित आस्तियों की गणना इन दोनों के अंतर को काउंटर पार्टी के जोखिम भार से गुणा कर प्राप्त करेंगे। पूंजी अपेक्षा की गणना करने की रूपरेखा **पैराग्राफ 7.3.6** में दर्शायी गयी है।

### 7.3.5 पात्र वित्तीय संपार्श्विक

समग्र दृष्टिकोण में निम्नलिखित संपार्श्विक लिखतों को पात्र माना जाएगा -

(i) नकद जिस बैंक को काउंटर पार्टी एक्सपोज़र हो रहा है उसके पास जमा नकदी (तथा जमा प्रमाण पत्र या समान लिखतें, जिनमें ऋणदाता बैंक द्वारा जारी मीयादी जमा रसीदें भी शामिल हैं)

(ii) स्वर्ण: स्वर्ण में बुलियन और आभूषण दोनों शामिल हैं। तथापि, संपार्श्विकृत आभूषण का मूल्य उन्हें 99.99 शुद्धता में धारणात्मक आधार पर परिवर्तित कर प्राप्त किया जाना चाहिए।

(iii) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूति

(iv) किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, बशर्ते कोई लॉक-इन अवधि लागू न हो और उन्हें धारण अवधि के दौरान भुनाया जा सकता हो।

(v) बीमा क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित किसी बीमा कंपनी की जीवन बीमा पॉलिसियां, जिसमें अभ्यर्पण मूल्य घोषित किया गया हो।

(vi) ऋण प्रतिभूतियां जिनकी रेटिंग किसी चयनित ऋण रेटिंग एजेन्सी ने की हो तथा जिनके संबंध में बैंकों को पर्याप्त विश्वास हो कि उनकी बाज़ार में बिक्री कर चलनिधि[78] प्राप्त की जा सकती है, जहां उन पर या तो:

क) 100% या उससे कम जोखिम भार लगता हो अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं (बैंक और प्राथमिक व्यापारी सहित) द्वारा जारी होने पर जिनकी रेटिंग कम-से-कम बीबीबी (-) हो; अथवा

ख) 100% या उससे कम जोखिम भार लगता हो अर्थात् अल्पावधि ऋण लिखतों के मामले में कम-से-कम केयर ए3/क्रिसिल ए3/इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स) ए3/इकरा ए3/ब्रिकवर्क ए3/ स्मेरा ए3 की रेटिंग हो।

[78] कोई डिबेंचर चलनिधि की कसौटी पर खरा माना जाएगा यदि उसमें पिछले 365 दिनों के दौरान कम-से-कम 90 प्रतिशत ट्रेडिंग दिवसों पर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में खरीद-बिक्री हुई है। इसके अलावा, चलनिधि का प्रमाण मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज में पिछले एक महीने की खरीद-बिक्री में मिल सकता है यदि प्रत्येक निर्गमकर्ता की प्रतिभूतियों के विपणन योग्य समूह की कम-से-कम 25 बार खरीद-बिक्री हुई हो।

(vii) ऋण प्रतिभूतियां जिनकी रेटिंग किसी चयनित ऋण रेटिंग एजेंसी ने नहीं की हो तथा जिनके संबंध में बैंकों को पर्याप्त विश्वास हो कि उन्हें बाज़ार में बेचकर चलनिधि प्राप्त की जा सकती है, जहां वे

क) किसी बैंक द्वारा जारी किये गये हैं; और

ख) किसी मान्यताप्राप्त एक्स्चेंज में सूचीबद्ध हैं; और

ग) जिसे वरिष्ठ ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया हो; और

घ) निर्गमकर्ता बैंक के समान वरिष्ठता वाले सभी निर्गम, जिनकी रेटिंग की गयी है, की रेटिंग चयनित ऋण रेटिंग एजेन्सी द्वारा कम-से-कम बीबीबी (-) या केयर ए3/क्रिसिल ए3/ इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स) ए3/इकरा ए3/ब्रिकवर्क ए3/स्मेरा ए3 है; और

ङ) जो बैंक उन प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में रख रहा है उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे निर्गम को बीबीबी (-) या केयर ए3/क्रिसिल ए3/ इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स) ए3/इकरा ए3/ब्रिकवर्क ए3/ स्मेरा ए3 (जो भी लागू हो) से कम रेटिंग दी जा सकती है; और

च) बैंकों को पर्याप्त विश्वास होना चाहिए कि प्रतिभूति को बेचकर चलनिधि प्राप्त की जा सकती है।

(viii) म्युचुअल फंड के यूनिट, जो बैंक के परिचालन के क्षेत्राधिकार के प्रतिभूति विनियामक द्वारा विनियमित हों तथा जहां :

क) यूनिटों का मूल्य सार्वजनिक रूप से प्रतिदिन उद्धृत किया जाता है अर्थात् जहां सार्वजनिक रूप से दैनिक निवल आस्ति मूल्य उपलब्ध है

ख) जहां म्युचुअल फंड का निवेश इस पैराग्राफ में सूचीबद्ध लिखतों तक ही सीमित है।

(ix) पुनर्प्रतिभूतीकरण, चाहे किसी भी क्रेडिट रेटिंग के क्यों न हों, वित्तीय संपार्श्विक के लिए पात्र नहीं होंगे।

**7.3.6 पूंजी अपेक्षा की गणना**

संपार्श्विकृत लेनदेन में जोखिम कम करने के बाद एक्सपोज़र की गणना निम्नानुसार की जाती है

**$E^* = \max \{0,[E \times (1+H_e)-C \times (1-H_c-H_{fx})]\}$**

जहां :

$E^*$ = जोखिम कम करने के बाद एक्सपोज़र का मूल्य

$E$ = एक्सपोज़र का वर्तमान मूल्य जिसके लिए संपार्श्विक को जोखिम कम करनेवाला तत्व माना गया है

$H_e$ = एक्सपोज़र के लिए उपयुक्त हेयरकट

C = प्राप्त संपार्श्विक का वर्तमान मूल्य

$H_c$ = संपार्श्विक के लिए उपयुक्त हेयरकट

$H_{fx}$= संपार्श्विक और एक्सपोज़र के बीच में मुद्रा विसंगति के लिए उपयुक्त हेयरकट

जोखिम कम करने के बाद की एक्सपोज़र राशि (अर्थात् $E^*$) को काउंटर पार्टी के जोखिम भार से गुणा कर संपार्श्वीकृत लेनदेन के लिए जोखिम भारित परिसंपत्ति राशि प्राप्त की जा सकती है। ऋण जोखिम कम करने के प्रभाव की गणना के उदाहरण **अनुबंध 8** में दिये गये हैं।

7.3.7 हेयरकट

(i) सिद्धांततः बैंकों के पास हेयरकट की गणना करने की दो पद्धतियां हैं : (i) बासल समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों का उपयोग करते हुए मानक पर्यवेक्षी हेयरकट, तथा (ii) बाज़ार कीमतों की अस्थिरता के बारे में बैंक के अपने आंतरिक अनुमानों का उपयोग करते हुए स्वयं - अनुमानित हेयरकट। एक्सपोज़र तथा संपार्श्विक दोनों के लिए भारत में कार्यरत बैंक केवल मानक पर्यवेक्षी हेयरकट का प्रयोग करेंगे।

(ii) प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किये गये मानक पर्यवेक्षी हेयर कट (बाजार दर पर दैनिक मूल्यांकन, मार्जिन का दैनिक पुनर्निर्धारण तथा 10 कारोबारी दिन की धारण अवधि मानते हुए)[79] सारणी 14 के अनुसार होंगे।

(iii) सारणी 14 में निर्दिष्ट रेटिंग देशी रेटिग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रेटिंग हैं। विदेशी केंद्र सरकारों तथा विदेशी कंपनियों द्वारा जारी की गयी ऋण प्रतिभूतियों में एक्सपोज़र के मले में अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग के आधार पर सारणी 15 के अनुसार हेयरकट निर्धारित किया जाए।

[79] संपार्श्विक के मूल्य की वसूली के लिए सामान्यतः बैंक को जितनी अवधि चाहिए, उसे धारण अवधि कहा जाता है।

(iv) सम्प्रभु में भारतीय रिज़र्व बैंक, डीआइसीजीसी तथा सीजीटीएमएसई तथा सीआरजीएफटीएलआईएच शामिल हैं, जो शून्य प्रतिशत जोखिम भार के लिए पात्र हैं।

(v) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, बीमा पालिसियों का अभ्यर्पण मूल्य तथा बैंक की अपनी जमाराशियों के रूप में पात्र संपार्श्विक के लिए बैंक शून्य हेयरकट लागू करें।

(vi) जहां एक्सपोज़र तथा संपार्श्विक अलग-अलग मुद्राओं में अंकित किए गए हैं ऐसी मुद्रा जोखिम के लिए मानकीकृत पर्यवेक्षी हेयरकट आठ प्रतिशत है (यह 10 कारोबार दिन की धारण अवधि तथा दैनंदिन बाज़ार दर पर मूल्यांकन पर भी आधारित होगा।)

**सारणी 14: एक्सपोज़र तथा संपार्श्विक में शामिल सम्प्रभु (सोवरेन) तथा अन्य प्रतिभूतियों के लिए मानक पर्यवेक्षी हेयरकट**

| क्रम सं. | | ऋण प्रतिभूतियों को दी गयी निर्गम रेटिंग | अवशिष्ट परिपक्वता (वर्ष में) | हेयरकट (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|
| क | **भारत सरकार द्वारा जारी /गारंटीकृत तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां (सम्प्रभु प्रतिभूतियां)** | | | |
| | i | रेटिंग लागू नहीं है - क्योंकि भारत में संप्रति सरकारी प्रतिभूतियों की रेटिंग नहीं की जाती है | 1 वर्ष अथवा उससे कम | 0.5 |
| | | | 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम | 2 |
| | | | 5 वर्ष से अधिक | 4 |
| ख | **भारतीय राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों सहित उपर्युक्त मद सं. क में निर्देशित प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य देशी ऋण प्रतिभूतियां** | | | |
| | ii) | एएए से एए<br>ए1 | 1 वर्ष अथवा उससे कम | 1 |
| | | | 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम | 4 |
| | | | 5 वर्ष से अधिक | 8 |
| | iii) | ए से बीबीबी<br>ए2;<br>ए3 तथा परिपत्र के पैरा 7.3.5 (vii) में विनिर्दिष्ट रेटिंग न की गयी बैंक प्रतिभूतियां | 1 वर्ष अथवा उससे कम | 2 |
| | | | 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम | 6 |
| | | | 5 वर्ष से अधिक | 12 |
| | iv | म्युच्युअल फंड के यूनिट | | उपर्युक्त में से जिस किसी भी प्रतिभूति में पात्र म्युच्युअल फंड { (देखें पैरा 7.3.5 (viii) } निवेश कर सकता है, उस पर लागू उच्चतम हेयरकट |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ग** | **उसी मुद्रा में नकद** | | 0 |
| **घ** | **स्वर्ण** | | 15 |
| | **प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र**[80] | | |
| | | 1 वर्ष अथवा उससे कम | 2 |
| **ii)** | एएए से एए | 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम | 8 |
| | | 5 वर्ष से अधिक | 16 |
| **iii)** | ए से बीबीबी<br>तथा परिपत्र के पैरा 7.3.5 (vii) में विनिर्दिष्ट रेटिंग न की गयी बैंक प्रतिभूतियां | 1 वर्ष अथवा उससे कम | 4 |
| | | 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम | 12 |
| | | 5 वर्ष से अधिक | 24 |

**सारणी - 15 : उन एक्सपोज़रों तथा संपार्श्विकों के लिए मानक पर्यवेक्षी हेयरकट जो विदेशी केंद्र सरकारों /विदेशी कंपनियों के दायित्व हैं**

| **अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऋण प्रतिभूतियों को दी गयी निर्गम रेटिंग** | **अवशिष्ट परिपक्वता** | **सम्प्रभु** (%) | **अन्य निर्गम** (%) |
|---|---|---|---|
| एएए से एए /ए - 1 | 1 वर्ष या उससे कम | 0.5 | 1 |
| | 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम | 2 | 4 |
| | 5 वर्ष से अधिक | 4 | 8 |
| ए से बीबीबी /<br>ए -2/ए-3 तथा<br>रेटिंग न की गयी बैंक प्रतिभूतियां | 1 वर्ष या उससे कम | 1 | 2 |
| | 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम | 3 | 6 |
| | 5 वर्ष से अधिक | 6 | 12 |

(vii) ऐसे लेनदेन में जहां बैंकों के एक्सपोज़र की रेटिंग नहीं की गयी है अथवा बैंक अपात्र लिखत (अर्थात गैर-निवेश ग्रेड कंपनी प्रतिभूतियाँ) उधार देता है वहां एक्सपोज़र पर लागू किया जानेवाला हेयरकट 25 प्रतिशत होना चाहिए। (चूंकि वर्तमान में केवल सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में रिपो की अनुमति दी जाती है, इसलिए बैंकों के पास ऐसा कोई एक्सपोज़र होने की

[80] विदेशी सरकारों और विदेशी कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित को शामिल करते हुए

संभावना नहीं है, जिस पर इस खंड के प्रावधान लागू होंगे। तथापि, यह तब प्रासंगिक होगा जब भविष्य में यदि रेट न की गयी कंपनी प्रतिभूतियों के मामले में रिपो/प्रतिभूति उधार लेनदेन की अनुमति दी जाती है।)

viii) जहां संपार्श्विक परिसंपत्तियों का समूह है, उस समूह पर हेयरकट होगा,

$$H = \sum_i a H$$

जिसमें $a_i$ समूह में परिसंपत्ति का भार (परिसंपत्ति की राशि/मूल्य की मुद्रा की यूनिटों में की गई गणना के अनुसार) है तथा $H_i$ उस परिसंपत्ति पर लागू हेयरकट है।

ix) विभिन्न धारण अवधि के लिए समायोजन

पुनर्मूल्यांकन तथा पुनः मार्जिन करने की व्यवस्था संबंधी प्रावधानों के स्वरूप तथा बारंबारता के अनुसार कुछ लेनदेन के लिए विभिन्न धारण अवधि (10 कारोबार दिन के अलावा) उपयुक्त होती है। संपार्श्विक हेयरकट के ढांचे में रिपो-प्रकार के लेनदेन (अर्थात् रिपो /रिवर्स रिपो तथा प्रतिभूति उधार देना /उधार लेना) "अन्य पूंजी-बाजार प्रेरित लेनदेन" (अर्थात् काउंटर पर डेरिवेटिव के लेनदेन तथा मार्जिन ऋण) तथा जमानती ऋण के बीच फर्क किया गया है। पूंजी बाज़ार प्रेरित लेनदेन तथा रिपो-प्रकार के लेनदेन के प्रलेखीकरण में पुनः मार्जिन करने के संबंध में शर्तें होती हैं; जमानती उधार लेनदेन में सामान्यतः ऐसी शर्तें नहीं होती हैं। इन लेनदेनों के मामले में विभिन्न धारण अवधि को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम धारण अवधि निम्नानुसार मानी जाएगी :

| **लेनदेन का प्रकार** | **न्यूनतम धारण अवधि** | **शर्त** |
|---|---|---|
| रिपो प्रकार के लेनदेन | पांच कारोबार दिन | दैनिक रूप से पुनः मार्जिन |
| अन्य पूंजी बाज़ार लेनदेन | दस कारोबार दिन | दैनिक रूप से पुनः मार्जिन |
| जमानती ऋण | बीस कारोबार दिन | दैनिक पुनर्मूल्यांकन |

उपर्युक्त के अनुसार 10 कारोबार दिन की न्यूनतम धारण अवधि को छोड़कर अन्य धारण अवधि वाले लेनदेन के लिए हेयरकट को नीचे पैरा 7.3.7 (xi) में दिए गए फार्मूला के अनुसार सारणी - 14 में 10 कारोबार दिन के लिए निर्दिष्ट हेयरकट को ऊपर /नीचे लाकर समायोजित करना होगा।

(X) बाजार दर पर गैर- दैनिक मूल्यांकन अथवा पुनः मार्जिन व्यवस्था के लिए समायोजन

यदि मान लिए गए दैनिक मार्जिन से किसी लनदेन की मार्जिन की बारंबारता भिन्न है तो उस लेनदेन पर लागू होनेवाले हेयरकट को भी नीचे पैराग्राफ 7.3.7 (xi) में दिए गए फार्मूला का प्रयोग करते हुए समायोजित करना आवश्यक होगा।

xi) विभिन्न धारण अवधि तथा /अथवा बाजार दर पर गैर-दैनिक मूल्यांकन अथवा पुनः मार्जिन करने के समायोजन के लिए फार्मूला

उपर्युक्त (ix) तथा (x) में निर्दिष्ट धारण अवधि तथा मार्जिन व्यवस्था /बाजार दर पर मूल्यांकन में भिन्नता के लिए निम्न फार्मूला के अनुसार समायोजन किया जाएगा :

$$H = H_{10}\sqrt{\frac{N_R + (T_M - 1)}{10}}$$

जहां :

H = हेयरकट;

$H_{10}$ = लिखत के लिए 10 कारोबार दिन का मानक पर्यवेक्षी हेयरकट

$N_R$ = पूंजी बाज़ार लेनदेन के लिए पुनः मार्जिन करने अथवा प्रतिभूतीकृत लेनदेन के पुनर्मूल्यांकन के बीच कारोबार के दिनों की वास्तविक संख्या।

$T_M$ = लेनदेन के प्रकार के लिए न्यूनतम धारण अवधि

### 7.3.8 रिपो/रिवर्स रिपो-प्रकार के लेनदेनों के लिए पूंजी पर्याप्तता ढांचा

रिपो प्रकार के लेनदेन पर ऋण जोखिम तथा बाज़ार जोखिम के अतिरिक्त प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) के लिए पूंजी भार लागू होंगे। सीसीआर की परिभाषा है, रिपो - प्रकार के लेनदेन में प्रतिपक्ष द्वारा चूक करने का जोखिम जिसके परिणामस्वरूप उधार/ गिरवी/बेची गई प्रतिभूति की सुपुर्दगी अथवा नकद राशि का भुगतान नहीं होगा।

क. निधियों के उधारकर्ता की बहियों में कार्रवाई:

(i) जहां बैंक ने प्रतिभूतियों को बेचकर/उधार देकर/संपार्श्विक के रूप में दर्ज करके निधि उधार ली है वहां `एक्सपोज़र' उचित हेयरकट लागू करने के बाद बेची/उधार दी गई प्रतिभूतियों के बढ़ाए गए `बाजार मूल्य' के समतुल्य तुलनपत्रेतर एक्सपोजर होगा। इस प्रयोजन के लिए सारणी-14 के अनुसार हेयरकट का आधार के रूप में उपयोग किया जाएगा, जिसे पैराग्राफ 7.3.7 (xi) में दिए गए फार्मूला का प्रयोग करते हुए लागू किया

जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि रिपो-प्रकार के लेनदेन के लिए पांच कारोबार दिनों की न्यूनतम (निर्धारित) धारण अवधि तथा मानक पर्यवेक्षी हेयरकट के लिए मानी गयी दैनिक मार्जिन व्यवस्था की तुलना में पुनः मार्जिन व्यवस्था की बारंबारता में कोई फर्क हो तो उसका ध्यान रखा जाए। "तुलनपत्रेतर एक्सपोजर' को परिपत्र की सारणी 8 की मद सं. 5 के अनुसार 100 प्रतिशत का ऋण परिवर्तन गुणक लागू करके `तुलन पत्र' समतुल्य में परिवर्तित किया जाएगा।

(ii) प्राप्त राशि को उधार/बेची/गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों के लिए संपार्श्विक के रूप में समझा जाएगा। चूंकि संपार्श्विक नकद है, इसलिए उसके लिए शून्य हेयरकट होगा।

(iii) उपर्युक्त (i) पर प्राप्त ऋण समतुल्य राशि में से नकद संपार्श्विक की राशि को घटाकर जो राशि प्राप्त होगी उसपर प्रतिपक्षकार पर लागू होने वाला जोखिम भार लागू होगा।

(iv) चूंकि रिपो अवधि के बाद प्रतिभूतियां उधार लेनेवाले बैंक की बहियों में वापस आ जाएंगी इसलिए उक्त बैंक उन मामलों में जहां रिपो से संबद्ध प्रतिभूतियां परिपक्वता तक धारित श्रेणी में रखी जाती हैं, उन प्रतिभूतियों के ऋण जोखिम के लिए तथा बिक्री के लिए उपलब्ध/खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणियों के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों के मामले में बाजार जोखिम के लिए पूंजी रखना जारी रखेंगे। ऋण जोखिम/विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूति के जारीकर्ता की क्रेडिट रेटिंग के अनुसार पूंजी भार निर्धारित किया जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में ऋण/विशिष्ट जोखिम के लिए पूंजी भार `शून्य' होगा।

ख. निधि के उधारदाता की बहियों में कार्रवाई:

(i) उधार दी गई राशि को प्रतिपक्षकार पर तुलन पत्र में/निधिक एक्सपोजर समझा जाएगा जिसे रिपो के अंतर्गत स्वीकृत प्रतिभूतियों द्वारा संपार्श्विकीकृत किया गया है।

(ii) एक्सपोजर नकद होने के कारण उसपर शून्य हेयरकट लागू होगा।

(iii) संपार्श्विक को यथालागू हेयरकट के अनुसार नीचे समायोजित किया जाएगा/उसका मूल्य घटाया जाएगा।

(iv) संपार्श्विक की समायोजित राशि द्वारा घटाए गए एक्सपोजर की राशि पर प्रतिपक्षकार पर यथालागू जोखिम भार लागू किया जाएगा क्योंकि यह तुलन पत्र में शामिल एक्सपोजर है।

(v) रिपो अवधि के दौरान संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूति के लिए उधारदाता बैंक कोई पूंजी भार नहीं रखेगा क्योंकि ऐसा संपार्श्विक उसके तुलनपत्र में शामिल नहीं है बल्कि उसे केवल अमानतदार के रूप में रखा जाता है।

## 7.4 ऋण जोखिम कम करने की तकनीकें - तुलन पत्र के अंतर्गत निवल निपटान (नेटिंग)

तुलन पत्र के अंतर्गत निवल निपटान, ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों तक सीमित होता है जहां बैंकों के पास प्रलेखन प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार वाली कानूनी दृष्टि से प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्थाएं होती हैं। वे निवल ऋण एक्सपोज़र के आधार पर पूंजी अपेक्षाओं की निम्नलिखित शर्तों के अधीन गणना कर सकते हैं :

जहां किसी बैंक

क) के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए एक सुस्थापित विधिक आधार है कि निवल निपटान अथवा ऑफसेटिंग करार, प्रत्येक संबंधित क्षेत्राधिकार में प्रवर्तनीय है, चाहे काउंटर पार्टी दिवालिया हो या न हो।

ख) किसी भी समय नेटिंग करार के अधीन उसी काउंटर पार्टी के पास ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निर्धारण कर सकता है;

ग) संबंधित एक्सपोज़र की निवल आधार पर निगरानी तथा नियंत्रण करता है; तथा

घ) इसकी रॉल-आफ जोखिमों की निगरानी करता है।

वहाँ वह बैंक ऋण/अग्रिमों तथा जमाराशियों के निवल एक्सपोज़र को **पैराग्राफ 7.3.6** में दिए गए फॉर्म्यूला के अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए आधार के रूप में प्रयोग में ला सकता है। ऋण/अग्रिमों को एक्सपोज़र तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना जाता है। मुद्रा विसंगति की स्थिति को छोड़कर हेयरकट शून्य होंगे। **पैराग्राफ 7.3.6 तथा 7.6** में निहित सभी अपेक्षाएं भी लागू होंगी।

**7.5 ऋण जोखिम को कम करने की तकनीकें - गारंटियां**

7.5.1 जहां गारंटियां प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय तथा शर्त-रहित हैं वहां पूंजी अपेक्षाओं की गणना करते समय बैंक ऐसी ऋण सुरक्षा को गणना में ले सकते हैं।

7.5.2 गारंटीदाताओं के वर्ग को मान्यता दी गयी है। 1988 के समझौते के अनुसार एक प्रतिस्थापन दृष्टिकोण लागू किया जाएगा। अतः केवल काउंटर पार्टी से निम्नतर जोखिम भार वाली कंपनियों द्वारा जारी की गयी गारंटियों से पूंजी भार घटेगा क्योंकि काउंटर पार्टी एक्सपोज़र के सुरक्षित अंश पर गारंटीदाता का जोखिम भार निर्धारित किया जाता है और कवर न किए गए अंश के पास आधारभूत काउंटर पार्टी का जोखिम भार बना रहता है।

7.5.3 सीआरएम के रूप में समझे जाने के लिए पात्र गारंटियों के लिए विस्तृत परिचालन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

7.5.4 गारंटियों के लिए परिचालन अपेक्षाएं

(i) किसी भी गारंटी (काउंटर गारंटी) को सुरक्षादाता पर प्रत्यक्ष दावे का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और विनिर्दिष्ट एक्सपोज़र अथवा एक्सपोज़र के समूह से स्पष्टतः संदर्भित होना चाहिए ताकि कवर की सीमा स्पष्टतः परिभाषित हो तथा विवाद से परे हो। गारंटी अपरिवर्तनीय होनी चाहिए; संविदा में ऐसा कोई भी खंड नहीं होना चाहिए जिससे सुरक्षा दाता को एक पक्षीय आधार पर कवर को निरस्त करने की अथवा गारंटीकृत एक्सपोज़र में ऋण की घटती हुई गुणवत्ता के परिणामस्वरूप कवर की प्रभावी लागत में वृद्धि करने की अनुमति होगी। गारंटी बिना शर्त होनी चाहिए; गारंटी में बैंक के प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाहर वाला ऐसा कोई भी खंड नहीं होना चाहिए जो मूल काउंटर पार्टी द्वारा नियत भुगतान न किए जाने की स्थिति में सुरक्षा दाता को समय पर भुगतान करने की बाध्यता से रोक सकता है।

(ii) सभी एक्सपोज़रों को गारंटियों के रूप में उपलब्ध जोखिम कम करने के उपायों को हिसाब में लेने के बाद जोखिम भारित किया जाएगा। जब किसी गारंटीकृत एक्सपोज़र को अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तब उक्त गारंटी को ऋण जोखिम कम करनेवाले उपाय के रूप में नहीं माना जाएगा और गारंटियों के रूप में ऋण जोखिम कम करने के कारण कोई भी समायोजन अनुमत नहीं होगा। विनिर्दिष्ट प्रावधान को घटाकर तथा पात्र संपार्श्विकों/ऋण जोखिम कम करने वालों के प्राप्य मूल्य को घटाकर प्राप्त संपूर्ण बकाया पर उचित जोखिम भार लागू होगा।

7.5.5 गारंटियों के लिए अतिरिक्त परिचालन अपेक्षाएं

गारंटी को मान्यता प्राप्त होने के लिए उपर्युक्त **पैराग्राफ 7.2** में उल्लिखित विधिक निश्चितता संबंधी अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना होगा :

(i) काउंटर पार्टी द्वारा अर्हक चूक/गैर-भुगतान करने पर बैंक लेनदेन पर लागू प्रलेखन के अंतर्गत किसी बकाया राशि की वसूली के लिए गारंटीदाता से समय पर संपर्क कर सके। गारंटीदाता ऐसे प्रलेखन के अंतर्गत सभी बकाया राशियों का बैंक को एकमुश्त भुगतान कर सकता है अथवा वह गारंटी द्वारा कवर की गयी काउंटर पार्टी की भावी भुगतान बाध्यताओं को अपने ऊपर ले सकता है। भुगतान के लिए काउंटर पार्टी से मांग करने के लिए पहले कोई विधिक कार्रवाई किये बिना गारंटीकर्ता से इस प्रकार का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार बैंक के पास होना चाहिए।

(ii) उक्त गारंटी गारंटीदाता द्वारा अपनायी गई स्पष्टतः प्रलेखित बाध्यता है।

(iii) परवर्ती वाक्य में नोट किये गये अनुसार को छोड़कर, लेनदेन पर लागू प्रलेखन के अंतर्गत आधारभूत बाध्यताधारी को जितने भी प्रकार के भुगतान करने अपेक्षित हैं, जैसे नोशनल राशि, मार्जिन भुगतान आदि, उन सभी को गारंटी कवर करती है। जब कोई गारंटी केवल मूलधन के भुगतान को कवर करती है तब ब्याज तथा अन्य कवर न किये गये भुगतानों को पैराग्राफ के अनुसार अप्रतिभूतिकृत राशि समझी जाए।

**7.5.6 पात्र गारंटीदाताओं (काउंटर-गारंटीदाता) का वर्ग**

निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा दी गयी ऋण सुरक्षा को मान्यता दी जाएगी :

(i) सम्प्रभु, सम्प्रभु संस्थाएं (जिनमें बीआइएस, आइएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक तथा यूरोपीय समूह तथा पैराग्राफ 5.5 में उल्लिखित एमडीबी, ईसीजीसी तथा सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच शामिल हैं) काउंटर पार्टी से कम जोखिम भार वाले बैंक तथा प्राथमिक व्यापारी;

(ii) प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को उपलब्ध कराई गई ऋण सुरक्षा को छोड़ कर अन्य संस्थाएं , जो बाह्य रूप से रेटेड हैं।इसमें बाध्यताधारी से कम जोखिम भार वाली प्रवर्तक, अनुषंगी अथवा संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर शामिल है।

(iii) जब ऋण सुरक्षा प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को उपलब्ध कराई जाती है ,अन्य संस्थाएं जिनका वर्तमान बाह्य रेटिंग बीबीबी- अथवा उससे बेहतर है ,जिन्हें ऋण सुरक्षा उपलब्ध कराते समय ए- अथवा उससे बेहतर बाह्य रेटिंग दी गई थी। इसमें बाध्यताधारी से कम जोखिम भार वाली प्रवर्तक, अनुषंगी अथवा संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर शामिल है।

(iv) प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के मामले में एसपीई को पात्र गारंटरों के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है।

7.5.7 **जोखिम भार**

सुरक्षित अंश को सुरक्षा देनेवाले का जोखिम भार दिया जाता है। राज्य सरकार की गारंटियों द्वारा कवर किये गये एक्सपोज़र पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा। एक्सपोज़र के अनारक्षित अंश को आधारभूत काउंटर पार्टी का जोखिम भार दिया जाएगा।

**7.5.8 आनुपातिक कवर**

जहां गारंटीकृत राशि अथवा जिसके लिए ऋण सुरक्षा ली गयी है, उसकी राशि एक्सपोज़र की राशि से कम है तथा सुरक्षित तथा असुरक्षित अंश समान वरीयता के हैं अर्थात् बैंक तथा गारंटीदाता समानुपातिक आधार पर हानियां बांटते हैं, वहां पूंजी राहत आनुपातिक आधार पर दी जाएगी अर्थात्

एक्सपोज़र के सुरक्षित अंश पर पात्र गारंटियों पर लागू कार्रवाई की जाएगी और शेष को असुरक्षित समझा जाएगा।

**7.5.9 मुद्रा विसंगति**

जहां एक्सपोज़र को जिस मुद्रा में अंकित किया गया है उससे भिन्न मुद्रा में ऋण सुरक्षा को अंकित किया गया है अर्थात् जहां मुद्रा विसंगति है, वहां एक्सपोज़र की जिस राशि को सुरक्षित समझा गया है उसे हेयरकट $H_{FX}$ लागू करके घटाया जाएगा अर्थात्

$$G_A = G \times (1-H_{FX})$$

जहां :

G = ऋण सुरक्षा की अनुमानित राशि

$H_{FX}$= ऋण सुरक्षा तथा आधारभूत दायित्व के बीच मुद्रा विसंगति के लिए उचित हेयरकट

पर्यवेक्षी हेयरकट का प्रयोग करनेवाले बैंक मुद्रा विसंगति के लिए 8 प्रतिशत का हेयरकट लागू करेंगे।

7.5.10 **सम्प्रभु गारंटियां तथा काउंटर-गारंटियां**

कोई दावा ऐसी गारंटी से कवर हो सकता है जिसे किसी सम्प्रभु द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से काउंटर-गारंटी मिली हो। ऐसे दावे को सम्प्रभु गारंटी द्वारा कवर किया गया दावा समझा जा सकता है बशर्ते

i) सम्प्रभु काउंटर गारंटी दावे के सभी ऋण जोखिम तत्वों को कवर करती है।

ii) मूल गारंटी तथा काउंटर-गारंटी दोनों गारंटियों की सभी परिचालन अपेक्षाओं को पूर्ण करते हों; हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि काउंटर गारंटी मूल दावे से सीधे और स्पष्ट रूप से संबंधित हो।

iii) कवर सुदृढ़ होना चाहिए और ऐसे किसी भी ऐतिहासिक साक्ष्य से यह प्रतीत नहीं होना चाहिए कि काउंटर गारंटी की व्याप्ति प्रत्यक्ष सम्प्रभु गारंटी की व्याप्ति से किसी तरह कम प्रभावी है।

**7.5.11 ईसीजीसी द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजर**

बैंकों के लिए संपूर्ण टर्नओवर के आधार पर निर्यात ऋण बीमा[81] के अंतर्गत बैंकों के निर्यात ऋण एक्सपोजरों के लिए ईसीजीसी द्वारा प्रदत्त गारंटी/बीमा कवर पोतलदान-पूर्व ऋणों के लिए 50 से 75 प्रतिशत के बीच और पोतलदानोत्तर ऋण के लिए 50 और 85 प्रतिशत के बीच है। तथापि, अधिकतम देयता (एमएल) के रूप में विनिर्दिष्ट राशि के द्वारा निर्यातक की चूक के कारण ईसीजीसी की कुल देयता की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ईसीजीसी के दावों पर लागू जोखिम भार (जैसा कि इस मास्टर परिपत्र के पैरा 5.2.3 में दिया गया है) की अधिकतम सीमा ईसीजीसी की पूर्ण टर्नओवर पॉलिसी में विनिर्दिष्ट की गई एमएल राशि होनी चाहिए। बैंकों से अपेक्षित है कि ईसीजीसी पॉलिसी में शामिल सभी अलग-अलग निर्यात ऋणों में इसीजीसी अधिकतम देयता राशि का आनुपातिक बंटवारा करें। अलग-अलग निर्यात ऋणों के शेष भाग के लिए बैंक प्रतिपक्षकार की रेटिंग के अनुसार जोखिम भार लगा सकते हैं। जोखिम भारित आस्तियों का गणितीय परिकलन निम्नानुसार है:

| | |
|---|---|
| *वैयक्तिक निर्यात ऋण एक्सपोजर i* | *Ai* |
| *वैयक्तिक निर्यात ऋण बीमा कवर एक्सपोजर i* | *Bi* |
| *वैयक्तिक निर्यात ऋण बीमा कवर एक्सपोजर की राशि* | *Bi* |

*जहां :*

*i = 1 से एन, यदि कुल एक्सपोजर की संख्या एन है*

| | |
|---|---|
| *अधिकतम देयता राशि* | *ML* |
| *एक्सपोजर के लिए काउंटर पार्टी-की जोखिम भारिता i* | *RWi* |

*ईसीजीसी गारंटीकृत निर्यात ऋण के लिए आर डब्ल्यू ए :*

$$\sum\left[\left(\frac{\mathrm{Bi}}{\sum \mathrm{Bi}} * \mathrm{ML} * 20\%\right) + \{\mathrm{Ai} - (\frac{\mathrm{Bi}}{\sum \mathrm{Bi}} * \mathrm{ML})\} * \mathrm{RWi}\right]$$

### 7.6 परिपक्वता विसंगति

7.6.1 जोखिम भारित परिसंपत्तियों की गणना करने के प्रयोजन के लिए परिपक्वता विसंगति तब होती है जब किसी संपार्श्विक की अवशिष्ट परिपक्वता आधारभूत एक्सपोज़र की परिपक्वता से कम है। जहां परिपक्वता विसंगति है और सीआरएम की मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम है वहां सीआरएम को पूंजी प्रयोजनों से मान्यता नहीं दी जाती है। अन्य मामलों में जहां परिपक्वता विसंगति है, वहां नीचे पैरराग्राफ 7.6.2 से 7.6.4 में दिए गए ब्योरे के अनुसार विनियामक पूंजी प्रयोजनों के

[81] दिनांक 18 अक्तूबर 2013 का डीबीओडी मेलबॉक्स स्पष्टीकरण

लिए सीआरएम को आंशिक मान्यता दी जाती है। उन ऋणों के मामले में जिनका संपार्श्विक बैंक की अपनी जमाराशियां ही हैं, उस स्थिति में भी जब जमाराशियों की अवधि तीन महीने से कम हो, अथवा ऋण की अवधि की तुलना में जमाराशियों की परिपक्वता में विसंगति हो, संपार्श्विक को अमान्य ठहराने से संबंधित पैरा 7.6.1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे बशर्ते जमाकर्ता (अर्थात् उधारकर्ता) से ऐसी जमाराशियों की परिपक्वता राशि को बकाया ऋण राशि के बदले समायोजित करने अथवा आधारभूत ऋण की पूर्ण चुकौती तक ऐसी जमाराशियों के नवीकरण के लिए स्पष्ट सहमति प्राप्त की गयी हो।

7.6.2 परिपक्वता की परिभाषा

आधारभूत एक्सपोज़र की परिपक्वता तथा संपार्श्विक की परिपक्वता दोनों को सतर्क दृष्टि से परिभाषित किया जाना चाहिए। आधारभूत एक्सपोज़र की प्रभावी परिपक्वता का निर्धारण काउंटर पार्टी द्वारा बाध्यता पूर्ण करने के लिए उपलब्ध दीर्घतम संभव अवशिष्ट समय के रूप में किया जाना चाहिए तथा इसमें यदि कोई ग्रेस अवधि लागू हो तो उसे भी शामिल करना चाहिए। संपार्श्विक के लिए ऐसे निहित विकल्पों को ध्यान में लिया जाना चाहिए जिनसे संपार्श्विक की अवधि कम हो सकती है ताकि सब से कम संभाव्य प्रभावी परिपक्वता का प्रयोग हो। यहां पर प्रासंगिक परिपक्वता अवशिष्ट परिपक्वता है।

7.6.3 परिपक्वता विसंगति के लिए जोखिम भार

जैसा कि पैरा 7.6.1 में दर्शाया गया है, परिपक्वता विसंगति वाले संपार्श्विक को तब मान्यता दी जाती है जब उनकी मूल परिपक्वता एक वर्ष या अधिक हो। परिणामस्वरूप एक वर्ष से कम अवधि की मूल परिपक्वताओं वाले एक्सपोज़र के लिए संपार्श्विक की परिपक्वता संगत होने पर ही मान्य होगा। सभी मामलों में जब तीन महीनों या उससे कम की अवशिष्ट परिपक्वता हो तो परिपक्वता विसंगति वाले संपार्श्विक मान्य नहीं होंगे।

7.6.4 जब मान्यता प्राप्त ऋण जोखिम कम करनेवाले तत्वों (संपार्श्विक, तुलन पत्र नेटिंग और गारंटियां) के साथ परिपक्वता विसंगति हो, तो निम्नलिखित समायोजन लागू किया जाएगा।

$$P_a = P \times (t - 0.25) \div (T - 0.25)$$

जहां

Pa = परिपक्वता विसंगति को समायोजित कर ऋण संरक्षण का मूल्य है ।

P = हेयरकट को समायोजित कर ऋण संरक्षण (उदाहरणार्थ, संपार्श्विक राशि, गारंटी राशि)

t = न्यूनतम (T, ऋण संरक्षण व्यवस्था की अवशिष्ट परिपक्वता) वर्षों में अभिव्यक्त

T = न्यूनतम (5, एक्सपोज़र की अवशिष्ट परिपक्वता ) वर्षों में अभिव्यक्त

### 7.7 सीआरएम तकनीकों के समूह के संबंध में व्यवहार

उन मामलों में जहां किसी बैंक द्वारा एकल एक्सपोज़र को कवर करने के लिए एक से अधिक सीआरएम तकनीकों का प्रयोग किया गया है (उदाहरणार्थ कोई बैंक संपार्श्विक तथा गारंटी दोनों से किसी एक्सपोज़र को आंशिक रूप से कवर करता है) उस बैंक को प्रत्येक प्रकार के सीआरएम तकनीक द्वारा कवर किये गये हिस्सों में (अर्थात् संपार्श्विक द्वारा कवर हिस्सा, गारंटी द्वारा कवर हिस्सा) एक्सपोज़र को विभाजित करना होगा तथा प्रत्येक हिस्से की जोखिम भारित आस्तियों की अलग-अलग गणना करनी होगी। जब अकेले संरक्षणदाता द्वारा प्रदत्त ऋण संरक्षण की भिन्न-भिन्न परिपक्वताएं हैं, उन्हें भी अलग-अलग संरक्षण में विभाजित करना होगा।

## 8. बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी भार

### 8.1 प्रस्तावना

बाज़ार कीमतों के उतार-चढ़ाव के कारण तुलन पत्र तथा गैर-तुलन पत्र स्थितियों (पोज़िशन) में होने वाली हानि के जोखिम को बाज़ार जोखिम के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्न बाज़ार जोखिम स्थितियों में पूंजी भार अपेक्षा लागू होगी -

i) ट्रेडिंग बही में ब्याज दर संबंधित लिखतों तथा इक्विटी से संबंधित जोखिम

ii) पूरे बैंक में (बैंकिंग और ट्रेडिंग बहियों दोनों ही में) विदेशी मुद्रा जोखिम (बहुमूल्य धातुओं में ओपन पोज़िशन सहित)

### 8.2 बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी भार का दायरा

8.2.1 इन दिशानिर्देशों से ट्रेडिंग बही में ब्याज दर संबद्ध लिखतों, ट्रेडिंग बही में इक्विटी तथा ट्रेडिंग तथा बैंकिंग बही दोनों में विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण तथा अन्य बहुमूल्य धातु सहित) के लिए पूंजी भारों की गणना संबंधी मुद्दों को हल किया जाएगा। पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए ट्रेडिंग बही में निम्नलिखित शामिल होंगे :

i) व्यापार के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत शामिल प्रतिभूतियां

ii) बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत शामिल प्रतिभूतियां

iii) ओपन स्वर्ण पोज़िशन सीमाएं

iv) ओपन विदेशी मुद्रा पोज़िशन की सीमाएं

v) डेरिवेटिव में ट्रेडिंग की पोज़िशन, तथा

vi) ट्रेडिंग बही एक्सपोज़र की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव

8.2.2 बैंकों को लगातार अपनी बहियों में बाजार जाखिम का प्रबंधन करना होगा तथा सुनिश्चित करना होगा कि बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं लगातार रखी जा रही हैं, अर्थात् हर दिन कारोबार बंद होने पर। बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे बाज़ार जोखिमों के प्रति एक दिन के भीतर होनेवाले एक्सपोज़र को नियंत्रित तथा निगरानी करने के लिए सख्त जोखिम प्रबंध प्रणाली कायम रखें।

8.2.3 बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी उन प्रतिभूतियों के लिए अप्रासंगिक होगी जो कि पहले ही परिपक्व हो गई हैं और जिनका भुगतान नहीं हुआ है। ये प्रतिभूतियां सिर्फ ऋण जोखिम के लिए ही पूंजी प्राप्त करेंगी। 90 दिनों तक भुगतान नहीं होने के बाद, इन पर ऋण जोखिम के लिए समुचित जोखिम भार निश्चित करने के लिए इन्हें एनपीए के समकक्ष माना जाएगा।

**8.3 ब्याज दर जोखिम के लिए पूंजी भार की माप**

8.3.1 इस भाग में ट्रेडिंग बही में ऋण प्रतिभूतियों तथा अन्य ब्याज दर संबद्ध लिखतों को धारण करने अथवा उनमें पोजिशन लेने के जोखिम की माप करने की प्रणाली का वर्णन किया गया है।

8.3.2 ब्याज दर संबद्ध लिखतों के लिए पूंजी भार बैंक की ट्रेडिंग बही में इन मदों के वर्तमान बाजार मूल्य पर लागू होगा। चूँकि बैंकों को बाजार जोखिमों के लिए निरंतर आधार पर पूंजी रखना आवश्यक है, उनसे यह अपेक्षित है कि वे दैनिक आधार पर अपनी ट्रेडिंग पोजिशन का बाज़ार दर पर मूल्यांकन करें। वर्तमान बाजार मूल्य, निवेशों के मूल्यांकन संबंधी रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

8.3.3 न्यूनतम पूँजी अपेक्षा दो अलग-अलग आकलित किए जाने वाले प्रभारों के रूप में व्यक्त की जाती है (i) प्रत्येक प्रतिभूति के लिए **"विनिर्दिष्ट जोखिम"** प्रभार जिसे शॉर्ट पोज़िशन (भारत में डेरिवेटिव तथा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के अलावा शॉर्ट पोज़िशन की अनुमति नहीं दी जाती है) तथा लॉग पोज़िशन दोनों के लिए, एकल जारीकर्ता से संबंधित घटकों की वजह से एकल प्रतिभूति

की कीमत में प्रतिकूल गति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया है, तथा (ii) ऐसे संविभाग में ब्याज दर जोखिम के लिए **"सामान्य बाजार जोखिम"** प्रभार जिसमें विभिन्न प्रतिभूतियों या लिखतों में लाँग और शॉर्ट पोज़िशन (जिसकी भारत में डेरिवेटिव तथा केंद्र सरकार प्रतिभूतियों के अलावा अन्य में अनुमति नहीं दी गई है) प्रतिसंतुलित की जा सकती है।

8.3.4 बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत धारित ऋण प्रतिभूतियों के लिए संभाव्य लंबी धारण अवधि तथा उससे संबद्ध उच्चतर विनिर्दिष्ट जोखिम को ध्यान में रखते हुए बैंक बाजार जोखिम के लिए नीचे `क' अथवा `ख' में से जो भी अधिक है, उसके बराबर कुल पूंजी भार रखेंगे।

क) खरीद बिक्री के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत धारित मानते हुए बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों के लिए कल्पित रूप से अभिकलित विनिर्दिष्ट पूंजी भार (सारणी-16 : यथालागू भाग क/ग/ङ(i)ज/छ/च/ के अनुसार अभिकलित) तथा सामान्य बाजार जोखिम पूंजी भार का योग।

ख) बैंकिंग बही में धारित मानकर बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के लिए कल्पित आधार पर अभिकलित वैकल्पिक कुल पूंजी भार (सारणी-16 : यथालागू भाग ख/घ/ङ(ii)/च/ज के अनुसार अभिकलित)

**अ. विनिर्दिष्ट जोखिम**

8.3.5 किसी एक जारीकर्ता से संबंधित घटकों की वजह से किसी एकल प्रतिभूति की कीमत में प्रतिकूल गति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम के लिए पूंजी भार निर्धारित किया गया है। विभिन्न प्रकार के एक्स्पोज़र के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम भार निम्नानुसार लागू किए जाएंगे:

| **क्रम सं.** | **ऋण प्रतिभूतियों/जारीकर्ता का स्वरूप** | **निम्नलिखित सारणी का अनुपालन करें** |
|---|---|---|
| क. | <u>केंद्र, राज्य तथा विदेशी केंद्र सरकार के बॉण्ड</u><br>(i) खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी में धारित<br>(ii) बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित | <br>सारणी 16 - भाग क<br>सारणी 16 - भाग ख |
| ख. | <u>बैंक बॉण्ड</u><br>(i) खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी में धारित<br>(ii) बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित | <br>सारणी 16 - भाग ग<br>सारणी 16 - भाग घ |
| ग. | <u>कंपनी बॉण्ड (बैंक बॉण्ड से इतर)</u><br>(i) खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी में धारित<br>(ii) बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित | <br>सारणी 16 - भाग ङ (i)<br>सारणी 16 - भाग ङ (ii) |
| घ. | खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी तथा बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत | सारणी 16 - भाग च |

| | | |
|---|---|---|
| ङ. | खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी तथा बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित पुनर्प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत | सारणी 16 - भाग छ<br>सारणी 16 - भाग घ |
| च. | बैंकों से इतर वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी गैर-सामान्य इक्विटी पूंजी लिखत<br>(i) खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी में धारित<br>(ii) बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित | <br><br>सारणी 16 - भाग ज<br>सारणी 16 - भाग झ |
| छ. | खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी तथा बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित बैंकों में इक्विटी निवेश | सारणी 19 - भाग क |
| ज. | वित्तीय संस्थाओं में इक्विटी निवेश (बैंकों से इतर)<br>खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी तथा बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित | <br>सारणी 19 - भाग ख |
| झ. | गैर-वित्तीय (वाणिज्यिक) संस्थाओं में इक्विटी निवेश | सारणी 19 - भाग ग |

**सारणी 16 - भाग - क**

**भारतीय तथा विदेशी सम्प्रभु द्वारा जारी की गई सम्प्रभु प्रतिभूतियों के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार - बैंकों द्वारा खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत धारित**

| क्र. सं. | निवेश का प्रकार | अवशिष्ट परिपक्वता | विनिर्दिष्ट जोखिम पूँजी (एक्सपोज़र के % के रूप में) |
|---|---|---|---|
| **क** | **भारतीय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें** | | |
| 1. | केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश | सभी | 0.0 |
| 2. | केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश | सभी | 0.0 |
| 3. | राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश | 6 महीने या उससे कम | 0.28 |
| | | 6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक | 1.13 |
| | | 24 महीने से अधिक | 1.80 |
| 4. | अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहाँ ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत है। | सभी | 0.0 |
| 5. | अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहाँ ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है। | 6 महीने या उससे कम | 0.28 |
| | | 6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक | 1.13 |
| | | 24 महीने से अधिक | 1.80 |
| **ख** | **विदेशी केंद्र सरकारें** | | |
| 1. | एएए से एए | सभी | 0.00 |
| 2. | ए से बीबीबी | 6 महीने या उससे कम | 0.28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक | 1.13 |
| | | 24 महीने से अधिक | 1.80 |
| 3. | बीबी से बी | सभी | 9.00 |
| 4. | बी से कम | सभी | 13.50 |
| 5. | रेटिंग नहीं की गई | सभी | 13.50 |

## सारणी 16 - भाग ख : भारतीय और विदेशी सम्प्रभु द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी भार - बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत बैंकों द्वारा धारित प्रतिभूतियां

| **क्र. सं.** | **निवेश का स्वरूप** | **अवशिष्ट परिपक्वता** | **विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी (एक्सपोज़र के % के रूप में)** |
|---|---|---|---|
| **क.** | **भारतीय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें** | | |
| 1. | केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेश | सभी | 0.00 |
| 2. | केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश | सभी | 0.00 |
| 3 | राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश | सभी | 1.80 |
| 4. | ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में निवेश, जहां ब्याज की अदायगी तथा मूलधन की चुकौती केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत है | सभी | 0.00 |
| 5. | ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में निवेश, जहां ब्याज की अदायगी तथा मूलधन की चुकौती राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है। | सभी | 1.80 |
| **ख.** | **विदेशी केंद्र सरकारें** | | |
| 1. | एएए से एए | सभी | 0.00 |
| 2. | ए | सभी | 1.80 |
| 3. | बीबीबी | सभी | 4.50 |
| 4. | बीबी से बी | सभी | 9.00 |
| 5. | बी के नीचे | सभी | 13.50 |
| | रेटिंग न की गयी | सभी | 13.50 |

## सारणी 16 (भाग ग)
## बैंकों द्वारा जारी बांडों के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार - बैंकों द्वारा एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत धारित

| | अवशिष्ट परिपक्वता | विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सभी अनुसूचित बैंक (वाणिज्यक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक) | | सभी गैर-अनुसूचित बैंक (वाणिज्यक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक) | |
| निवेशिती बैंक के प्रयोज्य पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) (%) सहित सामान्यस ईक्विटी टियर 1 पूंजी का स्तवर (जहां लागू हो) | | पैरा 5.6.1 (i) में संदर्भित पूंजी लिखतों (ईक्विटी के अतिरिक्त#) में निवेश | सभी अन्य दावे | पैरा 5.6.1 (i) में संदर्भित पूंजी लिखतों (ईक्विटी के अतिरिक्ति#) में निवेश | सभी अन्य दावे |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| लागू न्यूनतम सामान्य ईक्विटी1 + लागू सीसीबी तथा उससे अधिक | 6माह या उससे कम | 1.75 | 0.28 | 1.75 | 1.75 |
| | 6 माह से अधिक तथा 24 माह या उससे कम | 7.06 | 1.13 | 7.06 | 7.06 |
| | 24 माह से अधिक | 11.25 | 1.8 | 11.25 | 11.25 |
| लागू न्यूनतम सामान्य ईक्विटी1+ सीसीबी = लागू सीसीबी का 75% और <100% | सभी परिपक्वताएं | 13.5 | 4.5 | 22.5 | 13.5 |
| लागू न्यूनतम सामान्य ईक्विटी1+ सीसीबी= लागू सीसीबी का 50% और <75% | सभी परिपक्वताएं | 22.5 | 9 | 31.5 | 22.5 |
| लागू न्यूनतम सामान्य ईक्विटी1+ सीसीबी= लागू सीसीबी का 0% और <50% | सभी परिपक्वताएं | 31.5 | 13.5 | 56.25 | 31.5 |
| लागू न्यूनतम से कम न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर 1पूंजी | सभी परिपक्वताएं | 56.25 | 56.25 | पूर्ण कटौती* | 56.25 |

* कटौती सामान्य ईक्विटी टियर । पूंजी से की जाए।

# ईक्विटी लिखतों पर विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार के लिए नीचे पैरा 8.4.4 देखें।

नोटः

(i) उन बैंकों के मामले में जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोई पूंजी पर्याप्तता मानक निर्धारित नहीं किए हैं, उधारदाता/निवेशकर्ता बैंक संबंधित बैंक की प्रयोज्यन सामान्य। ईक्विटी टियर I और पूंजी संरक्षण बफर की कल्पित रूप से गणना, निवेशिती बैंक से आवश्यक सूचना प्राप्तl करके तथा वाणिज्य बैंकों पर लागू पूंजी पर्याप्तता मानकों का प्रयोग करके कर सकता है। यदि इस तरह कल्पित आधार पर प्रयोज्य सामान्य ईक्विटी पूंजी तथा पूंजी संरक्षण बफर की गणना करना संभव न हो, तो निवेशकर्ता बैंक की जोखिम अभिज्ञता के अनुसार 31.5% या 56.25% का विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार निवेशकर्ता बैंक के संपूर्ण एक्सपोजर पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

(ii) ऐसे बैंकों के मामले में, जहां वर्तमान में पूंजी पर्याप्तता मानक लागू नहीं हैं, उनके पूंजी-पात्र लिखतों में निवेश का मामला फिलहाल नहीं उठेगा। तथापि, यदि वे भविष्य में ऐसा कोई पूंजी लिखत जारी करते हैं जिनमें अन्या बैंक निवेश के लिए पात्र हैं, तो उपर्युक्त सारणी उन पर लागू होगी।

(iii) 9% तक के मौजूदा विनिर्दिष्ट पूंजी प्रभारों को बढ़ा दिया गया है ताकि वे 100% की बजाए 125% के जोखिम भार के समान रूप विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार के प्रयोग को दर्शाएं। उदाहरण के लिए अनुसूचित बैंकों द्वारा जारी 9% से अधिक प्रयोज्य सामान्या ईक्विटी टियर 1 तथा पूंजी संरक्षण बफर वाले तथा 6 माह से कम अवशिष्ट परिपक्वता वाले पूंजी लिखतों के लिए मौजूदा विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार 1.4% है। इसे निम्नानुसार बढ़ा दिया गया हैः

$1.4^{*}\%125=1.75$

(iv) जब तक निवेशिती बैंक अपने बासल III पूंजी अनुपातों का सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण नहीं करते हैं, पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन – नई पूंजी पर्याप्तता संरचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों पर 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 4/21.06.001/2015-16 में निहित सारणियों/परिच्छेदों के आधार पर जोखिम भार/पूंजी प्रभार की गणना की जाए।

## सारणी 16 (भाग घ) -

## बैंकों द्वारा जारी बांडों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार-

## बैंकों द्वारा एएफएस श्रेणी के अंतर्गत धारित (पैरा 8.3.4 में निर्धारित शर्तों के अधीन)

| | विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार (%) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | सभी अनुसूचित बैंक (वाणिज्यक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक) | | सभी गैर-अनुसूचित बैंक (वाणिज्यक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक) | |
| निवेशिती बैंक के प्रयोज्य पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) % सहित सामान्य ईक्विटी टियर । पूंजी का स्तर (जहां लागू हो) | पैरा 1.1 (i) में संदर्भित पूंजी लिखतों (ईक्विटी के अतिरिक्त#) में निवेश | सभी अन्य दावे | पैरा 1.1 (i) में संदर्भित पूंजी लिखतों (ईक्विटी के अतिरिक्त#) में निवेश | सभी अन्य दावे |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| लागू न्यूनतम सामान्य ईक्विटी1 +लागू सीसीबी और उससे अधिक | 11.25 | 1.8 | 11.25 | 11.25 |
| लागू न्यूनतम सामान्य ईक्विटी1+लागू सीसीबी = लागू सीसीबी का 75% और <100% | 13.5 | 4.5 | 22.5 | 13.5 |
| लागू न्यूनतम सामान्य ईक्विटी1+लागू सीसीबी= लागू सीसीबी का 50% और <75% | 22.5 | 9 | 31.5 | 22.5 |
| लागू न्यूनतम सामान्य ईक्विटी1+लागू सीसीबी= लागू सीसीबी का 0% और <50% | 31.5 | 13.5 | 56.25 | 31.5 |
| | विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार(%) | | | |
| | सभी अनुसूचित बैंक (वाणिज्यक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक) | | सभी गैर-अनुसूचित बैंक (वाणिज्यक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक) | |
| लागू न्यूनतम से कम न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर 1पूंजी | 56.25 | 56.25 | पूर्ण कटौती* | 56.25 |

* कटौती सामान्य ईक्विटी टियर । पूंजी से की जाए

# ईक्विटी लिखतों पर विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार के लिए इस अनुबंध का पैरा 8.4.4 देखें।

**टिप्पणी**

**(i)** ऐसे बैंकों के मामले में जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोई पूंजी पर्याप्तता मानक निर्धारित नहीं किए हैं, उधारदाता/निवेशकर्ता बैंक संबंधित बैंक के पूंजी संरक्षण बफर और प्रयोज्यह सामान्यल ईक्विटी टियर I की कल्पित रूप से गणना निवेशिती बैंक से आवश्यक सूचना प्राप्त करके तथा वाणिज्य बैंकों पर लागू पूंजी पर्याप्तता मानकों का प्रयोग करके कर सकता है। यदि इस तरह कल्पित आधार पर प्रयोज्य सामान्य ईक्विटी पूंजी तथा पूंजी संरक्षण बफर की गणना करना संभव न हो, तो निवेशकर्ता बैंक की जोखिम अभिज्ञता के अनुसार 31.5% या 56.25% की विनिर्दिष्टा जोखिम पूंजी प्रभार निवेशकर्ता बैंक के संपूर्ण एक्सपोजर पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

**(ii)** जिन बैंकों के मामले में फिलहाल पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू नहीं हैं, उनके पूंजी पात्रता वाले लिखतों में निवेश करने का प्रश्न फिलहाल नहीं उठता । फिर भी, ऊपर दी गयी सारणी के स्तंभ 2 और 4 उनपर लागू होंगे, यदि वे भविष्य में ऐसे पूंजी लिखत जारी करते हैं जिनमें अन्य बैंक निवेश करने के लिए पात्र हैं।

**(iii)** जब तक निवेशिती बैंक अपने बासल III पूंजी अनुपातों का सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण नहीं करते हैं, पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन – नई पूंजी पर्याप्तता संरचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों पर 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.4/21.06.001/2015-16 में निहित सारणियों/परिच्छेदों के आधार पर जोखिम भार/पूंजी प्रभार की गणना की जाए।

**सारणी 16 - भाग ङ (i)[82] बैंकों द्वारा एचएफटी संवर्ग में धारित कंपनी बांडों (बैंक बांडों को छोड़कर) के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार**

| **ईसीएआइ द्वारा रेटिंग** | **अवशिष्ट परिपक्वता** | **विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार** |
|---|---|---|
| एएए से बीबीबी | 6 महीने या उससे कम | 0.28 |
| | 6 महीने से अधिक और 24 महीने तक | 1.14 |
| | 24 महीने से अधिक | 1.80 |
| बीबी और उसके नीचे | सभी परिपक्वता अवधि | 13.5 |
| रेटिंग न की गई (यदि अनुमत हो) | सभी परिपक्वता अवधि | 9 |

* ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेन्सियों /ईसीएआइ अथवा विदेशी रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी रेटिंग दर्शाते हैं। विदेशी ईसीएआइ के मामले में यहां प्रयुक्त रेटिंग चिह्न स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुरूप हैं। "+" अथवा " - " परिवर्तकों को मुख्य रेटिंग श्रेणी के साथ शामिल किया गया है।

[82] दिनांक 08 फरवरी 2010 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.73/21.06.001/2009-10

**सारणी 16 - भाग ङ (ii) : एएफएस संवर्ग में बैंकों द्वारा धारित कंपनी बांडों (बैंक बांडों को छोड़कर) के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार**

| *ईसीएआई द्वारा रेटिंग | कुल पूंजी प्रभार (प्रतिशत में) |
|---|---|
| एएए | 1.8 |
| एए | 2.7 |
| ए | 4.5 |
| बीबीबी | 9 |
| बीबी और उसके नीचे | 13.5 |
| रेटिंग न की गयी | 9 |

* ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेन्सियों /ईसीएआइ अथवा विदेशी रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी रेटिंग दर्शाते हैं। विदेशी ईसीएआइ के मामले में यहां प्रयुक्त रेटिंग चिह्न स्टैंडर्ड एंड पुअर के *अनुरूप* हैं। "+" अथवा " - " परिवर्तकों को मुख्य रेटिंग श्रेणी के साथ शामिल किया गया है।

**सारणी 16 – भाग एफ: प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों के लिए विनिर्दिष्टि जोखिम पूंजी प्रभार (एसडीआई) – बैंकों द्वारा एचएफटी तथा एएफएस श्रेणी के अंतर्गत धारित**

| *ईसीएआई द्वारा रेटिंग | विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार | |
|---|---|---|
| | प्रतिभूतीकरण एक्स्पोजर (प्रतिशत में) | वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजरों से संबंधित प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर (एसडीआई) |
| एएए | 1.8 | 9.0 |
| एए | 2.7 | 9.0 |
| ए | 4.5 | 9.0 |
| बीबीबी | 9.0 | 9.0 |
| बीबी | 31.5 (प्रवर्तकों के मामले में 100.0) | 31.5 (प्रवर्तकों के मामले में 100.0) |
| बी तथा उससे नीचे या अनरेटेड | 100.0 | 100.0 |

* ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेंसियों/ईसीएआई या विदेशी रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रेटिंग को दर्शाती हैं। विदेशी ईसीएआई के मामलों में प्रयोग किए गए प्रतीक स्टैंडर्ड एंड पूअर के अनुरूप हैं। '+' तथा '-' मॉडीफायरों को प्रमुख रेटिंग श्रेणी में शामिल कर लिया गया है।

**सारणी 16- भाग जी : पुनर्प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों (आरएसडीआई) के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार- बैंकों द्वारा एचएफटी और एएफएस श्रेणी के अंतर्गत धारित**

| *ईसीएआई द्वारा रेटिंग | विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार | |
|---|---|---|
| | पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर (% में) | वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर से संबंधित पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर (आरएसडीआई) (% में) |
| एएए | 3.6 | 18 |
| एए | 5.4 | 18 |
| ए | 9.0 | 18 |
| बीबीबी | 18 | 18 |
| बीबी | 63 (प्रवर्तकों के मामले में 100) | 63 (प्रवर्तकों के मामले में 100) |
| बी और उससे नीचे या अनरेटेड | 100 | 100 |

* ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेंसियों/ईसीएआई अथवा विदेशी रेटिंग एजेंसियों द्वारा दिए गए रेटिंग दर्शाते हैं। विदेशी ईसीएआई द्वारा दिए गए रेटिंग के मामले में यहां प्रयुक्त रेटिंग चिह्न स्टैन्डर्ड एन्ड पुअर के अनुरूप हैं। मॉडिफायर्स "+" या "-" को मुख्य रेटिंग श्रेणी में शामिल किया गया है।

**सारणी 16 -भाग एच : बैंकों से इतर वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी गैर-सामान्य ईक्विटी पूंजी लिखतों के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार - बैंकों द्वारा एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत धारित**

| | अवशिष्ट परिपक्वता | विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार (%) |
|---|---|---|
| | | पैरा 5.6.1(i) में संदर्भित बैंकों से इतर वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी गैर-सामान्य ईक्विटी पूंजी लिखतों के में निवेश* |
| 1 | 2 | 3 |
| विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार | 6 महीने या उससे कम | 1.75 |
| | 6 महीने से अधिक और 24 महीने तक | 7.06 |
| | 24 महीने से अधिक | 11.25 |

*पैरा 5.6.1 (ii) के अंतर्गत आने वाले निवेशों को समरूप कटौती दृष्टिकोण के अनुसार घटाया जाएगा।

**सारणी 16 - भाग आई: बैंकों से इतर वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी सामान्येतर इक्विटी पूंजी लिखतों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार - बैंकों द्वारा एएफएस श्रेणी के अंतर्गत धारित**

| | विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार |
|---|---|
| | पैरा 5.61.(i) में संदर्भित बैंकों से इतर वित्तीय संस्थाओं की सामान्येतर इक्विटी पूंजी लिखतों में निवेश |
| 1 | 2 |
| विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार | 11.25 |

8.3.6 बैंक उक्त **पैरा 5** में वर्णित मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार ऋण जोखिम के लिए पूंजी के भाग के रूप में काउंटर पर डेरिवेटिव के लिए प्रतिपक्षी ऋण जोखिम प्रभार की गणना करने के अलावा **अनुबंध 9** के अनुसार यथापेक्षित ट्रेडिंग बही में काउंटर पर डेरिवेटिव के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार की गणना करेंगे।

आ. **सामान्य बाजार जोखिम**

8.3.7 सामान्य बाजार जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं का निर्धारण बाजार ब्याज दरों में बदलावों से होने वाली हानि के जोखिम के लिए किया गया है। यह पूंजी प्रभार चार घटकों का योग है :

(i) संपूर्ण ट्रेडिंग बही में निवल शॉर्ट (भारत में डेरिवेटिव तथा केंद्र सरकार प्रतिभूतियों को छोड़कर कहीं भी शॉर्ट पोजीशन (कमी) की अनुमति नहीं है) या लाँग पोज़ीशन;

(ii) प्रत्येक टाइम-बैण्ड में संतुलित पोज़िशन का छोटा अंश (वर्टिकल डिजएलाउएन्स");

(iii) विभिन्न टाइम-बैण्ड में संतुलित पोज़िशन का बड़ा अंश ("हॉरिजॉन्टल डिजएलाउएन्स"); तथा

(iv) जहां उपयुक्त है वहां ऑप्शन्स में पोज़िशन पर निवल प्रभार;

8.3.8 प्रत्येक मुद्रा के लिए अलग परिपक्वता सोपान का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक मुद्रा के लिए पूंजी भार की गणना अलग से की जानी चाहिए तथा उसके बाद उनका योग किया जाना चाहिए और विपरीत चिह्न वाले पोजीशनों के बीच कोई प्रतिसंतुलन नहीं होना चाहिए। उन मुद्राओं के मामले में, जिनमें कारोबार महत्वपूर्ण नहीं है (जहां संबंधित मुद्रा में टर्न ओवर समग्र विदेशी मुद्रा टर्न ओवर के 5 प्रतिशत से कम है), प्रत्येक मुद्रा के लिए अलग-अलग गणना आवश्यक नहीं है। बैंक इसके बदले प्रत्येक उपयुक्त टामइ-बैंड के भीतर प्रत्येक मुद्रा के लिए निवल लांग या शार्ट पोजीशन

वर्गीकृत कर सकता है। तथापि, इन अलग-अलग निवल पोजीशनों को प्रत्येक टाइम-बैंड के भीतर जोड़ा जाना चाहिए, चाहे वे लांग या शार्ट पोजीशन हों, तथा एक सकल पोजीशन आंकड़ा प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रत्येक टाइम बैंड में सकल पोजीशन पर सारणी 18 में वर्णित प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन लागू किया जाएगा और कोई और प्रतिसंतुलन नहीं किया जाएगा।

8.3.9 बासल समिति ने बाजार जोखिमों के लिए पूंजी भार की गणना के लिए दो व्यापक पद्धतियों का सुझाव दिया है। एक है मानकीकृत पद्धति तथा दूसरी है बैंकों की आंतरिक जोखिम प्रबंधन मॉडेल पद्धति। चूंकि भारत में कार्यरत बैंक अब भी आंतरिक जोखिम प्रबंधन मॉडेलों को विकसित करने के प्रारंभिक स्तर पर हैं इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि शुरू में बैंक मानकीकृत पद्धति को अपनाएंगे। मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत बाजार जोखिम की गणना करने की दो मुख्य पद्धतियां हैं, एक `परिपक्वता पद्धति' तथा दूसरी `अवधि पद्धति'। चूंकि ब्याज दर जोखिम की माप के लिए `अवधि पद्धति' अधिक सही पद्धति है इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि पूंजी भार प्राप्त करने के लिए मानकीकृत अवधि प्रणाली का अपनाया जाए। तदनुसार, बैंकों को प्रत्येक पोज़िशन की मूल्य संवेदनशीलता (आशोधित अवधि) की अलग से गणना करके सामान्य बाजार जोखिम प्रभार की गणना करनी है। इस पद्धति में निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है :

(i) पहले प्रत्येक लिखत की मूल्य संवदेनशीलता (आशोधित अवधि) की गणना करें;

(ii) उसके बाद लिखत की परिपक्वता के आधार पर 0.6 तथा 1.0 प्रतिशत-अंकों के बीच प्रत्येक लिखत की आशोधित अवधि पर प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन को लागू करें (**सारणी - 17** देखें)

(iii) परिणामी पूंजी भार मापों को **सारणी - 17** में दिए गए अनुसार पंद्रह टाइम बैण्ड वाली परिपक्वता सीढी में वर्गीकृत करें;

(iv) प्रत्येक टाइम बैण्ड में लाँग तथा शार्ट पोजिशन्स (भारत में डेरिवेटिव तथा केंद्र सरकार प्रतिभूतियों के अलावा अन्य कहीं भी शॉर्ट पोजिशन अनुमत नहीं है) पर 5 प्रतिशत वर्टिकल डिजएलाउंस दें जिससे आधार जोखिम प्राप्त होगा; तथा

(v) **सारणी - 18** में निर्धारित डिजएलांउसिज के अधीन प्रत्येक टाइम-बैण्ड में नेट पोजिशन्स को हॉरिजॉन्टल ऑफ सेटिंग के लिए आगे लिया जाए।

**सारणी 17 - अवधि पद्धति -टाइम बैण्ड तथा प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन**

| टाइम बैण्ड | प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन | टाइम बैण्ड | प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| **क्षेत्र 1** | | **क्षेत्र 3** | |
| 1 महीना अथवा कम | 1.00 | 3.6 से 4.3 वर्ष | 0.75 |
| 1 से 3 महीने | 1.00 | 4.3 से 5.7 वर्ष | 0.70 |
| 3 से 6 महीने | 1.00 | 5.7 से 7.3 वर्ष | 0.65 |
| 6 से 12 महीने | 1.00 | 7.3 से 9.3 वर्ष | 0.60 |
| **क्षेत्र 2** | | 9.3 से 10.6 वर्ष | 0.60 |
| 1.0 से 1.9 वर्ष | 0.90 | 10.6 से 12 वर्ष | 0.60 |
| 1.9 से 2.8 वर्ष | 0.80 | 12 से 20 वर्ष | 0.60 |
| 2.8 से 3.6 वर्ष | 0.75 | 20 वर्ष से अधिक | 0.60 |

**सारणी 18 -हॉरिजॉन्टल डिजएलाउंसिस**

| क्षेत्र | टाइम बैण्ड | क्षेत्रों के भीतर | निकटस्थ क्षेत्रों के बीच | क्षेत्र 1 तथा 3 के बीच |
|---|---|---|---|---|
| **क्षेत्र 1** | 1 महीना अथवा कम | 40 प्रतिशत | 40 प्रतिशत | 100 प्रतिशत |
| | 1 से 3 महीने | | | |
| | 3 से 6 महीने | | | |
| | 6 से 12 महीने | | | |
| **क्षेत्र 2** | 1.0 से 1.9 वर्ष | 30 प्रतिशत | | |
| | 1.9 से 2.8 वर्ष | | | |
| | 2.8 से 3.6 वर्ष | | | |
| **क्षेत्र 3** | 3.6 से 4.3 वर्ष | 30 प्रतिशत | 40 प्रतिशत | |
| | 4.3 से 5.7 वर्ष | | | |
| | 5.7 से 7.3 वर्ष | | | |
| | 7.3 से 9.3 वर्ष | | | |
| | 10..6 से 12 वर्ष | | | |
| | 12 से 20 वर्ष | | | |
| | 20 वर्ष से अधिक | | | |

8.3.10 मापन प्रणाली में सभी ब्याज दर डेरिवेटिव तथा ट्रेडिंग बही में तुलनपत्र से इतर लिखत जो कि ब्याज दरों में परिवर्तन से प्रभावित होंगे (जैसे वायदा दर करार, अन्य वायदा करार, बोनस फ्यूचर्स, ब्याज दर तथा क्रॉस-करेंसी स्वैप और वायदा विदेशी मुद्रा पोज़िशन), को शामिल किया जाना चाहिए। आप्शन्स को विभिन्न तरीकों से ट्रीट किया जा सकता है, जैसाकि **अनुबंध 9** में वर्णित है।

## 8.4 ईक्विटी जोखिम के लिए पूंजी भार की माप

8.4.1 ईक्विटी पर पूंजी भार बैंक की ट्रेडिंग बही में उनके वर्तमान बाजार मूल्य पर लागू होगा। ट्रेडिंग बही में इक्विटी धारण करने अथवा उनमें पोजिशन्स लेने के जोखिम को कवर करने के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा नीचे दी गयी है। इसे इक्विटी के समान बाज़ार प्रवृत्ति दर्शाने वाले सभी लिखतों पर लागू किया जाएगा लेकिन अपरिवर्तनीय अधिमान शेयरों (जिन्हें पूर्व में वर्णित ब्याज दर जोखिम अपेक्षाओं द्वारा कवर किया जाता है) पर नहीं। कवर किए जाने वाले लिखतों में मताधिकार वाले अथवा मताधिकार रहित इक्विटी शेयर, इक्विटी जैसी प्रवृत्ति वाली परिवर्तनीय प्रतिभूतियां, उदाहरणार्थ, म्युच्युअल फंड के यूनिट, तथा इक्विटी को खरीदने अथवा बेचने की प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी।

### विनिर्दिष्ट तथा सामान्य बाज़ार जोखिम

8.4.2 बैंक के पूंजी बाजार निवेशों जिनमें सीएमई मानदंडों से छूट प्राप्त निवेश शामिल हैं के संबंध में विनिर्दिष्ट जोखिम (ऋण जोखिम के समान) के लिए पूंजी भार 11.25 प्रतिशत अथवा उससे उच्चतर (125 प्रतिशत के जोखिम भार के समतुल्य अथवा काउंटर पार्टी के बाहरी रेटिंग या उसके अभाव में लागू होनेवाला जोखिम भार, इनमें से जो भी अधिक हो) होगा तथा विनिर्दिष्ट जोखिम की गणना बैंक के सकल इक्विटी पोजिशन्स (अर्थात् सभी लाँग ईक्विटी पोजिशन्स तथा सभी शार्ट इक्विटी पोजिशन्स का योग - हालांकि भारत में बैंकों के लिए शॉर्ट इक्विटी पोजिशन की अनुमति नहीं है) पर की जाती है। सकल इक्विटी पोजिशन्स पर सामान्य बाज़ार जाखिम प्रभार भी 9 प्रतिशत होगा। ये पूंजी प्रभार सभी ट्रेडिंग बही एक्सपोजरों पर भी लागू होगाजिन्हें सीधे निवेशों के लिए पूंजी , बाजार एक्सपोजर की अधिकतम सीमाओं से छूट दी गई है।

8.4.3 प्रतिभूति प्राप्तियों में बैंकों के निवेश के लिए 13.5 प्रतिशत विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार होगा (150 प्रतिशत जोखिम भार के समकक्ष)। प्रतिभूति प्राप्तियां ज्यादातर नकद होने और सेकंडरी बाजार में इसकी बिक्री न होने के कारण इनके लिए सामान्य बाजार जोखिम पूंजी प्रभार नहीं होगा। (18 जनवरी 2010 का मेलबॉक्स स्पष्टीकरण)

8.4.4 अन्य बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं/वित्तेतर संस्थाओं की ईक्विटी में बैंक के निवेशों के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार निम्नानुसार होगाः

**सारणी 19 - भाग क: अन्य बैंकों की इक्विटी में एचएफटी और एएफएस संविभागों में धारित बैंक के निवेशों के लिए विनिर्दिष्टम जोखिम प्रभार**

| निवेशिती बैंक के प्रयोज्य पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) (%) सहित सामान्य ईक्विटी टियर । पूंजी का स्तार (जहां लागू हो) | सभी अनुसूचित बैंक (वाणिज्यक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक) | | सभी गैर-अनुसूचित बैंक (वाणिज्यक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक) (% में) | |
|---|---|---|---|---|
| | अन्य बैंकों में इक्विटी निवेश संदर्भ | अन्य बैंकों में इक्विटी निवेश संदर्भ | अन्य बैंकों में इक्विटी निवेश संदर्भ | अन्य बैंकों में इक्विटी निवेश संदर्भ |
| | पैरा 5.6.1 (i) | पैरा 5.6.1 (ii) | पैरा 5.6.1 (i) | पैरा 5.6.1 (ii) |
| लागू न्यूनतम सामान्य ईक्विटी1+ लागू सीसीबी तथा उससे अधिक | 11.25 | 22.5 | 11.25 | 27 |
| लागू न्यूनतम सामान्य इक्विटी1+ सीसीबी = लागू सीसीबी का 75% और<100% | 13.5 | 27 | 22.5 | 31.5 |
| लागू न्यूनतम सामान्य इक्विटी1+ सीसीबी = लागू सीसीबी का 50% और<75% | 22.5 | 31.5 | 31.5 | 40.5 |
| लागू न्यूनतम सामान्य इक्विटी1+ सीसीबी = लागू सीसीबी का 0% और<50% | 31.5 | 40.5 | 56.25 | पूर्ण कटौती* |
| लागू न्यूनतम से कम न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1पूंजी | 50 | पूर्ण कटौती* | पूर्ण कटौती* | पूर्ण कटौती* |

* पूर्ण कटौती सामान्य ईक्विटी टियर । पूंजी से की जाए।

**टिप्पणियां:**

जब तक निवेशिती बैंक अपने बासल III पूंजी अनुपातों का सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण नहीं करते हैं, पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन – नई पूंजी पर्याप्तता संरचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों पर 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 4/21.06.001/2015-16 में निहित सारणियों/परिच्छेदों के आधार पर जोखिम भार/पूंजी प्रभार की गणना की जाए।

**सारणी 19 - भाग ख: बैंकों से इतर अन्य वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी में बैंक के निवेशों के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार**

| | निम्न पैरा में संदर्भित बैंकों से इतर अन्य वित्तीय संस्थाओं में ईक्विटी निवेश: | |
|---|---|---|
| | पैरा 5.6.1 (i) | पैरा 5.6.1 (ii) |
| विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार (%) | 11.25 | 22.5 |

**सारणी 19 - भाग ग: गैर-वित्तीय (वाणिज्यिक) संस्थाओं की इक्विटी में बैंक के निवेशों के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार**

| | गैर-वित्तीय संस्थाओं में ईक्विटी निवेश | |
|---|---|---|
| | जहां बैंक निवेशिती कंपनियों की ईक्विटी पूंजी के 10% से अधिक का स्वामी नहीं है | जो निवेशिती कंपनियों की ईक्विटी पूंजी का 10% से अधिक है अथवा जो बैंक से संबद्ध हैं (इन एक्सपोजरों पर सामान्य  बाजार जोखिम प्रभार लागू नहीं होंगे) |
| विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार (%) | 11.25 | 100 |

## 8.5 विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए पूंजी भार की माप

प्रत्येक मुद्रा में बैंक के निवल ओपन पोजीशन की गणना निम्नलिखित के योग द्वारा की जानी चाहिए;

- निवल हाज़िर पोजीशन (अर्थात् आस्ति की सभी मदों में से सभी देयताओं की मदों, जिनमें संबंधित मुद्रा में मल्यवर्गित उपचित ब्याज भी शामिल है, को घटाकर);
- निवल वायदा पोजीशन (करेंसी फ्यूचर्स् सहित वायदा विदेशी मुद्रा लेनदेनों में प्राप्य सभी राशियों में से भुगतान की जानेवाली राशि तथा हाजिर पोजीशन में शामिल नहीं किये गये करेंसी स्वैप की मूल राशि को छोड़कर);
- गारंटी (और उसी प्रकार के लिखत) जिनका निश्चित रूप से आहवान किया जाएगा और जिनकी वसूली की संभावना नहीं है;
- निवल भावी आय/व्यय, जो अभी उपचित नहीं हुए है, लेकिन जिनकी पूरी हेजिंग की गयी है (सूचना देने वाले बैंक के विवेक पर);
- विभिन्न देशों की लेखांकन परंपरा के अनुसार कोई और मद जो विदेशी मुद्रा में लाभ या हानि दर्शाती हो;
- विदेशी मुद्रा ऑप्शन की पूरी बही की निवल डेल्टा आधारित समकक्ष राशि।

विदेशी मुद्रा में ओपन पोजिशन्स तथा स्वर्ण ओपन पोजिशन्स को वर्तमान में 100 प्रतिशत जोखिम भार दिया जाता है। अतः विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण ओपन पोजिशन की बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी भार 9 प्रतिशत है। इन ओपन पोजिशन्स की **उच्चतम सीमाएं अथवा वास्तविक राशि, इनमें से जो भी उच्चतर है,** पर 9 प्रतिशत पर पूंजी भार लगना जारी रहेगा। यह पूंजी भार विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण लेनदेन से संबंधित तुलनपत्र की मदों तथा तुलनपत्र से इतर मदों पर ऋण जोखिम के लिए लगनेवाले पूंजी भार के अतिरिक्त है।

## 8.6. व्यापार बही में क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप (सीडीएस) के लिए पूंजी प्रभार की गणना

### 8.6.1 **सामान्य बाजार जोखिम**

सामान्यतः क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप के कारण सुरक्षा क्रेता अथवा सुरक्षा विक्रेता के लिए सामान्य बाजार जोखिम की कोई स्थिति नहीं पैदा होती। तथापि, देय/प्राप्य प्रीमियम का वर्तमान मूल्य ब्याज दरों में परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होता है। प्राप्य/देय प्रीमियम में ब्याज दर जोखिम की गणना करने के लिए प्रीमियम के वर्तमान मूल्य को संबंधित परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों में सांकेतिक स्थिति के रूप माना जा सकता है। इन स्थितियों पर सामान्य बाजार जोखिम के लिए समुचित पूंजी प्रभार लगाया जाएगा। सुरक्षा क्रेता/विक्रेता देय/प्राप्य प्रीमियम के वर्तमान मूल्य को संबंधित परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों में लघु/दीर्घ स्थिति के समतुल्य मानेगा।

### 8.6.2 **संदर्भ हस्ती के एक्सपोज़र के लिए विशेष जोखिम**

सीडीएस सुरक्षा विक्रेता/सुरक्षा क्रेता के लिए संदर्भ आस्ति/दायित्व में विशेष जोखिम के लिए सांकेतिक दीर्घ/लघु स्थिति पैदा करता है। विशेष जोखिम पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए सीडीएस की सैद्धांतिक राशि तथा उसकी परिपक्वता का प्रयोग किया जाना चाहिए। सीडीएस स्थितियों के लिए विशेष जोखिम प्रभार नीचे दी गई सारणियों के अनुसार होगा।

| **सारणी** 20: **व्यापार बही में खरीदी एवं बेची गई सीडीएस स्थितियों के लिए विशेष जोखिम पूंजी प्रभार : वाणिज्यिक स्थावर संपदा कंपनियों / एनबीएफसी -एनडी - एसआई को छोड़कर अन्य संस्थाओं के प्रति एक्सपोज़र** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **90 दिन तक** | | | **90 दिन के बाद** | |
| **ईसीएआई द्वारा रेटिंग** * | **लिखत की अवशिष्ट परिपक्वता** | **पूंजी प्रभार** | **ईसीएआई द्वारा रेटिंग** | **पूंजी प्रभार** |
| एएए से बीबीबी | 6 महीने या उससे कम | 0.28 % | एएए | 1.8 % |
| | 6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक तथा उसे शामिल करते हुए | 1.14% | एए | 2.7% |
| | 24 महीने से अधिक | 1.80% | ए | 4.5% |
| | | | बीबीबी | 9.0% |
| बीबी तथा उससे कम | सभी परिपक्वताएं | 13.5% | बीबी तथा उससे कम | 13.5% |
| अनरेटेड (यदि अनुमत हों) | सभी परिपक्वताएं | 9.0% | अनरेटेड (यदि अनुमत हों) | 9.0% |

*ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेंसियों/ईसीएआई या विदेशी रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रेटिंग हैं। विदेशी ईसीएआई के मामले में, यहां प्रयुक्त रेटिंग प्रतीक स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुरूप हैं । "+" या "- " जैसे मॉडिफायरों को मुख्य श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

| **सारणी 21: व्यापार बही में खरीदी एवं बेची गई सीडीएस स्थितियों के लिए विशेष जोखिम पूंजी प्रभार : वाणिज्यिक स्थावर संपदा कंपनियों / एनबीएफसी -एनडी-एसआई# के प्रति एक्सपोज़र** | | |
|---|---|---|
| **ईसीएआई द्वारा रेटिंग** * | **लिखत की अवशिष्ट परिपक्वता** | **पूंजी प्रभार** |
| एएए से बीबीबी | 6 महीने या उससे कम | 1.4% |
| | 6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक तथा उसे शामिल करते हुए | 7.7% |
| | 24 महीने से अधिक | 9.0% |
| बीबी तथा उससे कम | सभी परिपक्वताएं | 9.0% |
| अनरेटेड (यदि अनुमत) | सभी परिपक्वताएं | 9.0% |

# उपर्युक्त सारणी 90 दिन तक के एक्सपोजरों पर लागू होगी। 90 दिन के बाद वाणिज्यिक स्थावर संपदा कंपनियों/एनबीएफसी-एनडी-एसआई के प्रति एक्सपोजरों के लिए पूंजी प्रभार 9.0% की दर से लिया जाएगा भले ही संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य दायित्व की रेटिंग कुछ भी हो।

* ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेंसियों/ईसीएआई या विदेशी रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रेटिंग हैं। विदेशी ईसीएआई के मामले में, यहां प्रयुक्त रेटिंग प्रतीक स्टैंडर्ड एंड पुअर के स्वरूप हैं। "+" या " - " जैसे मॉडिफायरों को मुख्य श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

### *8.6.2.1 सीडीएस द्वारा प्रतिरक्षित स्थितियों के लिए विशेष जोखिम पूंजी प्रभार*[83]

(i) जब दो चरणों (अर्थात सीडीएस स्थितियों में दीर्घ एवं अल्पकालिक चरण) के मूल्य सदैव विपरित दिशा में बढ़ते हों और मोटे तौर पर एक ही सीमा तक, तो बैंक विशेष जोखिम पूंजी प्रभारों को संपूर्ण रूप से पूरा कर सकते हैं। यह स्थिति तब होगी जब दो चरणों में **पूर्णतया एक समान सीडीएस** हों। ऐसे मामलों में सीडीएस स्थितियों के दोनों चरणों में कोई विशेष जोखिम पूंजी अपेक्षा लागू नहीं होती।

(ii) जब दो चरणों का मूल्य (अर्थात् दीर्घ एवं अल्पकालिक) सदैव विपरित दिशा में बढ़ता हो लेकिन मोटे तौर पर एक ही सीमा तक नहीं तो बैंक 80% विशेष जोखिम पूंजी प्रभारों को पूरा कर सकते हैं। यह स्थिति तब होगी जब किसी दीर्घकालिक अवधि का बचाव सीडीएस के द्वारा किया गया हो और संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य दायित्व तथा संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य दायित्व तथा सीडीएस दोनों की परिपक्वता बिलकुल एक समान हो। इसके अतिरिक्त, सीडीएस की प्रमुख विशेषताओं (उदाहरणार्थ क्रेडिट इवेंट परिभाषाएं, निपटान प्रणालियां) के कारण सीडीएस की कीमत में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिससे कि वह नकदी स्थिति की कीमतों में परिवर्तन से प्रत्यक्ष रूप से अलग हो। लेनदेन जिस सीमा तक जोखिम स्थानांतरित करता है उस सीमा तक उच्चतर पूंजी प्रभार के साथ लेनदेन के पक्ष पर 80% विशेष जोखिम ऑफ-सेट लगाया जाएगा जबकि दूसरी तरफ विशेष जोखिम अपेक्षा शून्य होगी।

(iii) जब दो चरणों (अर्थात् दीर्घ एवं अल्पकालिक) का मूल्य प्रायः विपरित दिशा में बढ़ता हो तो बैंक आंशिक रूप से विशेष पूंजी प्रभारों को ऑफ-सेट कर सकते हैं। यह निम्नलिखित स्थितियों में होगा :

(क) इस स्थिति का वर्णन पैराग्राफ 8.6.2.1(ii) में किया गया है लेकिन नकदी स्थिति तथा सीडीएस के बीच आस्ति असंतुलन है। तथापि, अंतर्निहित आस्ति को सीडीएस प्रलेखन में (संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य) दायित्वों के अंतर्गत शामिल किया जाता है और वह उपर्युक्त पैराग्राफ 5.17.1.3 (i) की अपेक्षाओं को पूरा करती है।

(ख) इस स्थिति का वर्णन पैराग्राफ 8.6.2.1 (ii) में किया गया है लेकिन क्रेडिट सुरक्षा तथा अंतर्निहित आस्ति के बीच परिपक्वता असंतुलन है। तथापि, अंतर्निहित आस्ति को सीडीएस प्रलेखन में (सुदर्भ/सुपुर्दगी योग्य) दायित्वों के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

---

[83] कृपया ब्योरे के लिए इन दिशानिर्देशों के अनुबंध 7 का पैराग्राफ 6.2 देखें।

(ग) उपर्युक्त पैराग्राफ (क) तथा (ख) में से प्रत्येक मामले में लेनदेन (अर्थात् क्रेडिट सुरक्षा तथा अंतर्निहित आस्ति) के प्रत्येक पक्ष पर विशेष जोखिम पूंजी अपेक्षाएं लागू करने की बजाय दोनों में से केवल उच्चतर पूंजी अपेक्षा लागू होगी।

### *8.6.2.2 सीडीएस स्थितियों में विशेष जोखिम प्रभार जो बचाव के लिए नहीं हैं*

पैराग्राफ 8.6.2.1 के अंतर्गत जिन मामलों का वर्णन किया गया है उन मामलों में स्थितियों के दोनों पक्षों के संदर्भ में विशेष जोखिम प्रभार का आकलन किया जाएगा।

### 8.6.3 **काउंटरपार्टी ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार**

ट्रेडिंग बही में सीडीएस लेनदेन के कारण काउंटरपार्टी ऋण जोखिम के प्रयोजन से ऋण एक्सपोज़र की गणना बासल ॥ ढांचे के अंतर्गत वर्तमान एक्सपोज़र विधि के अनुसार की जाएगी।[84]

### 8.6.3.1 **सुरक्षा विक्रेता**

सुरक्षा विक्रेता का सुरक्षा क्रेता के प्रति एक्सपोज़र तभी होगा जब शुल्क/प्रीमियम बकाया हो। ऐसे मामले में ट्रेडिंग बही में एकल नाम वाले सीडीएस की समस्त अधिक्रय (लॉन्ग) स्थितियों में काउंटरपार्टी ऋण जोखिम की गणना वर्तमान बाजार दर आधारित मूल्य के योग के रूप में की जाएगी, यदि वह मूल्य धनात्मक हो (शून्य, यदि बाजार दर आधारित मूल्य ऋणात्मक हो) तथा उसमें नीचे सारणी में दिये गये संभावित भावी एक्सपोज़र अतिरिक्त गुणक को जोड़ा जाएगा। तथापि, अतिरिक्त गुणक की अधिकतम सीमा अदत्त प्रीमियम तक सीमित रहेगी।

---

[84] एक सीडीएस संविदा, जिसका बाजार दर पर मूल्य दर्शाना अपेक्षित है, संविदा की पार्टियों के लिए द्विपक्षी एक्सपोजर निर्माण करती है। सीडीएस संविदा का बाजार दर पर मूल्य सुरा भुगतान के चूक-समायोजित वर्तमान मूल्य ( जो प्रोटेक्शन लेग/ क्रेडिट लेग कहलाता है) और अदायगी योग्य प्रीमियम का वर्तमान मूल्य (जो प्रीमियम लेग कहलाता है) के बीच का अंतर है। यदि क्रेडिट लेग का मूल्य प्रीमियम लेग से कम हो तो सुरक्षा विक्रेता के लिए बाजार दर पर मूल्य धनात्मक होगा। अतएव, यदि प्रीमियम लेग का मूल्य क्रेडिट लेग से अधिक हो, तो सुरक्षा विक्रेता का प्रतिपक्षकार (सुरक्षा-क्रेता) के प्रति एक्सपोजर होगा। यदि कोई प्रीमियम बकाया न हो, तो प्रीमियम लेग का मूल्य शून्य होगा और सुरक्षा विक्रेता के लिए सीडीएस संविदा का बाजार दर पर मूल्य हमेशा ऋणात्मक होगा, और इसलिए सुरक्षा विक्रेता का सुरक्षा क्रेता के प्रति कोई एक्सपोजर नहीं होगा। किसी भी मामले में सुरक्षा विक्रेता का सुरक्षा क्रेता के प्रति एक्सपोजर अदत्त प्रीमियम की राशि से अधिक नहीं हो सकता। पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंडों के प्रयोजन से ट्रेडिंग बही में धारित सीडीएस लेनदेनों के मामले में प्रतिपक्षकार एक्सपोजर का माप संभावित भावी एक्सपोजर (पीएफई) है, जिसे चालू एक्सपोजर प्रणाली के अनुसार माप और मान्यता दी जाती है।

| सारणी 22: सुरक्षा विक्रेता के लिए अतिरिक्त गुणक | |
|---|---|
| (सीडीएस की नोशनल मूल राशि के प्रतिशत के रूप में) | |
| **संदर्भित दायित्व का प्रकार** | **अतिरिक्त गुणक** |
| दायित्व - बीबीबी और उससे अधिक रेटिंग वाले | 10% |
| बीबीबी से कम और बिना रेटिंग वाले | 20% |

8.6.3.2 **सुरक्षा क्रेता**

कोई सीडीएस संविदा क्रेडिट इवेंट भुगतान के कारण सुरक्षा विक्रेता पर काउंटरपार्टी एक्सपोज़र का निर्माण करती है। ट्रेडिंग बही में सीडीएस की सभी शार्ट पोजीशनों के लिए काउंटरपार्टी ऋण जोखिम प्रभार की गणना वर्तमान बाजार दर आधारित मूल्य के योग के रूप में की जाएगी, यदि वह धनात्मक हो (शून्य, यदि बाजार दर आधारित मूल्य नकारात्मक हो) और इसमें नीचे सारणी में दिये गये संभावित भावी एक्सपोज़र के अतिरिक्त गुणक को जोड़ा जाएगा :

| सारणी 23: सुरक्षा क्रेता के लिए अतिरिक्त गुणक | |
|---|---|
| (सीडीएस की नोशनल मूल राशि के प्रतिशत के रूप में) | |
| **संदर्भित दायित्व का प्रकार** | **अतिरिक्त गुणक** |
| दायित्व - बीबीबी और उससे अधिक रेटिंग वाले | 10% |
| बीबीबी से कम और बिना रेटिंग वाले | 20% |

8.6.3.3 **सीडीएस में संपार्श्वीकृत लेनदेन के लिए काउंटरपार्टी जोखिम के लिए पूंजी प्रभार**

जैसा कि 23 मई 2011 के परिपत्र आइडीएमडी. पीसीडी. सं. 5053/14.03.04/2010-11 के पैरा 3.3 में उल्लेख किया गया है, प्रत्येक बाजार प्रतिभागी संपार्श्विक प्रतिभूति और मार्जिन रखेंगे। ओटीसी बाजार में खरीद-बिक्री होने वाले सीडीएस की गणना वर्तमान एक्सपोज़र विधि के अनुसार की जाएगी। इस विधि के अंतर्गत, किसी एक संविदा के लिए काउंटरपार्टी ऋण जोखिम प्रभार की गणना, संपार्श्विक को हिसाब में लेते हुए, निम्नानुसार की जाएगी :

काउंटरपार्टी जोखिम पूंजी प्रभार = [(आरसी + अतिरिक्त गुणक) - सीए] x आर x 9%

जहां :

आरसी = बदलने की लागत
अतिरिक्त गुणक = संभावित भावी एक्सपोज़र की राशि, जिसकी गणना उपर्युक्त पैरा 5.17.3 के अनुसार की जाएगी।

सीए= इन दिशानिर्देशों के पैरा 7.3 "ऋण जोखिम कम करने की तकनीकें - संपार्श्वीकृत लेनदेन" में निर्धारित व्यापक विधि के अंतर्गत पात्र संपाश्दिवक की अस्थिरता आधारित राशि अथवा शून्य, यदि लेनदेन पर कोई पात्र संपार्श्विक लागू नहीं किया गया है।

आर = काउंटरपार्टी का जोखिम भार

### 8.6.4 भुगतान की महत्वपूर्ण सीमा के नीचे एक्सपोज़र पर कार्रवाई

भुगतान की महत्वपूर्ण सीमा जिसके नीचे हानि की स्थिति में भुगतान नहीं किया जाता है प्रतिधारित प्रथम हानि के पोजीशन के बराबर होती है और उस पर पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन से सुरक्षा क्रेता को 1250% का जोखिम भार लगाना चाहिए।

## 8.7 बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी भार का योग

जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है योग करने से पूर्व विनिर्दिष्ट जोखिम तथा सामान्य बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी भारों की अलग से गणना की जानी है। बाज़ार जोखिमों के लिए कुल पूंजी भार तथा जोखिम भारित आस्तियों की गणना निम्नलिखित सारणी के अनुसार की जा सकती है :

**प्रोफार्मा**

(करोड़ रुपये में)

| **जोखिम श्रेणी** | **पूंजी भार** | **जोखिम भारित आस्तियां (आरडबल्यूए)** |
|---|---|---|
| **I. ब्याज दर (क + ख)** | | पूंजी प्रभार का 12.5 गुना |
| क. सामान्य बाज़ार जोखिम | | |
| i) निवल पोजिशन (पॅरलल शिफ्ट) | | |
| *ii)* हॉरिजॉटल डिजएलाऊंस (कर्वेचर) | | |
| *iii)* वर्टिकल डिजएलाऊंस (बेसिस) | | |
| iv) ऑप्शन्स | | |
| ख. विनिर्दिष्ट जोखिम | | |
| ***II.* ईक्विटी (क + ख)** | | पूंजी प्रभार का 12.5 गुना |
| क. सामान्य बाज़ार जोखिम | | |
| ख. विनिर्दिष्ट जोखिम | | |
| ***III.* विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण** | | पूंजी प्रभार का 12.5 गुना |
| **IV बाज़ार जोखिमों के लिए कुल पूंजी भार तथा आरडबल्यूए** (I+II+III) | | |

## 8.8 गैर-तरल स्थितियों के लिए कार्रवाई

### 8.8.1 विवेकपूर्ण मूल्य निर्धारण के लिए मार्गदर्शन

(i) इस खंड में उन स्थितियों के विवेकपूर्ण मूल्य निर्धारण के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है जिनका लेखांकन उचित मूल्य पर किया गया हो। यह मार्गदर्शन उन सभी स्थितियों पर लागू होगा जो उपर्युक्त **पैरा 8.2.1** में वर्णित हैं। यह मार्गदर्शन विशेष रूप से उन स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें वास्तविक बाज़ार मूल्य अथवा मूल्य निर्धारण की माप करने योग्य निविष्टियां उपलब्ध न हों अथवा जो स्थितियां आसानी से चलनिधि में परिवर्तित नहीं होती हों और जिन से उनके विवेकपूर्ण मूल्य निर्धारण के संबंध में पर्यवेक्षीय चिंता उत्पन्न होती हो। नीचे वर्णित मूल्य निर्धारण संबंधी मार्गदर्शन के कारण बैंकों को वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन से अपनायी जाने वाली मूल्य निर्धारण प्रक्रिया बदलने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) किसी विवेकपूर्ण मूल्य निर्धारण पद्धति की संरचना में कम-से-कम निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

*8.8.1.1 प्रणाली और नियंत्रण*

बैंकों को उपयुक्त प्रणाली और नियंत्रण स्थापित करना चाहिए जो प्रबंधन और पर्यवेक्षकों को विश्वस्त कर सके कि उनका मूल्य निर्धारण संबंधी अनुमान विवेकपूर्ण और विश्वसनीय है। इन प्रणालियों को संगठन के भीतर की अन्य जोखिम प्रबंध प्रणालियों (जैसे ऋण विश्लेषण) के साथ समन्वित किया जाना चाहिए। इन प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

(i) मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से संबंधित लिखित नीति और क्रियाविधि। इसके अंतर्गत मूल्य निर्धारित करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के स्पष्ट रूप से परिभाषित दायित्व, बाजार सूचना के स्रोत और उनकी उपयुक्तता की समीक्षा शामिल है। ऐसी निविष्टियों के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश, जिनकी माप नहीं की जा सकती और जो बैंक की इस धारणा को प्रकट करते हैं कि बाजार प्रतिभागी स्थिति का मूल्य निर्धारण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करेंगे, स्वतंत्र मूल्य निर्धारण की बारंबारता, अंतिम मूल्य का समय निर्धारण, निर्धारित मूल्य में परिवर्तन की क्रियाविधि, माह के अंत में तथा तदर्थ सत्यापन क्रियाविधि; और

(ii) मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी विभाग के लिए स्पष्ट और स्वतंत्र रिपोर्टिंग (अर्थात् फ्रंट कार्यालय से स्वतंत्र) व्यवस्था।

*8.8.1.2 मूल्य निर्धारण क्रियाविधि*

**बाजार दर पर मूल्य निर्धारण**

(i) बाज़ार दर पर मूल्य निर्धारण स्वतंत्र स्रोतों से प्राप्त व्यवस्थित लेनदेनों में आसानी से उपलब्ध अंतिम मूल्य पर स्थिति का दैनिक मूल्य निर्धारण है। आसानी से उपलब्ध अंतिम मूल्य के उदाहरण हैं - एक्सचेंज मूल्य, स्क्रीन मूल्य या अनेक स्वतंत्र प्रतिष्ठित दलालों से प्राप्त भाव/मूल्य।

(ii) बैंकों को यथासंभव अधिक-से-अधिक बाजार दर पर मूल्यांकन करना चाहिए। बिड/ऑफर के अधिक विवेकपूर्ण पक्ष का प्रयोग किया जाना चाहिए बशर्ते किसी खास प्रकार के पोजीशन में संस्था महत्वपूर्ण बाजार निर्माता हो और वह मिड-मार्केट में भाव बंद कर सकती हो। बैंकों को मूल्य निर्धारण तकनीक का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य का अनुमान लगाते समय माप करने योग्य इनपुट का अधिक प्रयोग करना चाहिए तथा ऐसे इनपुट का प्रयोग कम-से-कम करना चाहिए जिन्हें मापा नहीं जा सकता। तथापि, बाध्य होकर की गयी बिक्री या आपदाग्रस्त बिक्री की स्थिति में माप करने योग्य इनपुट या लेनदेन प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं या बाजार जब सक्रिय न हो, वैसी स्थितियों में लेनदेन प्रेक्षणीय नहीं हो सकते हैं। ऐसे मामलों में प्रेक्षणीय आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन उनके आधार पर निर्धारण नहीं भी हो सकता है।

**मोडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण**

(*iii*) मोडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण की परिभाषा ऐसे मूल्य निर्धारण के रूप में की गयी है जो किसी बाजार इनपुट के आधार पर बेंचमार्क की जाती है अथवा उससे निकाली जाती है या गणना की जाती है। जहां बाजार दर पर मूल्य निर्धारण संभव नहीं हो वहां बैंकों को "बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड" पर *1* जुलाई *2009* के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. *3/21.04.141/2009-10 (*समय-समय पर यथा-संशोधित) में निहित निवेशों के मूल्य निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों का अनुसरण करना चाहिए। जिन निवेश और डेरिवेटिव पोजीशन के संबंध में उक्त मास्टर परिपत्र में उल्लेख किया गया है, उनसे इतर के संबंध में बैंक द्वारा प्रयुक्त मूल्य निर्धारण मोडेल विवेकपूर्ण सिद्ध होना चाहिए। भारतीय रिज़र्व

बैंक/फिमडा दिशानिर्देशों में निर्धारित मूल्य निर्धारण मोडेल के अलावा अन्य मोडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण करते समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। मोडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण प्रणाली विवेकपूर्ण है या नहीं इसका मूल्यांकन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा :

- वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को ट्रेडिंग बही अथवा अन्य उचित मूल्य पोजीशन के उन तत्वों की जानकारी रहनी चाहिए जो मोडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण के अधीन हैं तथा इससे कारोबार के जोखिम/कार्य निष्पादन की रिपोर्टिंग में जो अनिश्चितता उत्पन्न होती है उसके महत्व को भी समझना चाहिए।
- बाजार इनपुट का स्रोत यथासंभव बाजार मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए (जैसा कि ऊपर चर्चा की गयी है)। किसी खास पोजीशन के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयुक्त मार्केट इनपुट की उपयुक्तता की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए।
- जहां उपलब्ध हो, विशेष उत्पादों के लिए सामान्य रूप से स्वीकृत मूल्य निर्धारण क्रियाविधि का यथासंभव उपयोग किया जाना चाहिए।
- जहां मोडेल स्वयं संस्था द्वारा ही तैयार किया गया हो, वहां मोडेल समुचित अवधारणाओं पर आधारित होना चाहिए, जिनका मूल्यांकन मोडेल तैयार करने से असंबद्ध सुयोग्य पार्टियों द्वारा किया गया हो। मोडेल को विकसित करने या अनुमोदित करने के कार्य में फ्रंट कार्यालय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मोडेल का स्वतंत्र परीक्षण किया जाना चाहिए। इसमें मोडेल का गणित, अवधारणा और सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन शामिल है।
- एक औपचारिक परिवर्तन नियंत्रण प्रक्रिया सुस्थापित होनी चाहिए तथा मोडेल की एक सुरक्षित प्रतिलिपि रखी जानी चाहिए और आवधिक रूप से मूल्य निर्धारण की जांच के लिए उसका प्रयोग किया जाना चाहिए।
- जोखिम प्रबंध प्रणाली को प्रयुक्त मोडेलों की कमजोरी का पता होना चाहिए तथा यह भी पता होना चाहिए कि मूल्य निर्धारण के परिणाम में उन कमजोरियों को किस तरह अच्छी नीति से प्रतिबिंबित किया जाए।
- मोडेल की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए ताकि उसके कार्य की शुद्धता निर्धारित की जा सके (उदाहरण के लिए अवधारणाओं की निरंतर उपयुक्तता का मूल्यांकन, जोखिम घटकों की तुलना में लाभ और हानि का विश्लेषण, मोडेल के परिणाम की वास्तविक अंतिम मूल्य से तुलना)
- उपयुक्त मूल्य निर्धारण समायोजन किये जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, मोडेल के मूल्य निर्धारण की अनिश्चितता को कवर करने के लिए  (कृपया पैरा 8.8.1.2 (vi), (vii) और 8.8.2.1 से 8.8.2.4 भी देखें)।

**स्वतंत्र मूल्य सत्यापन**

(iv) स्वतंत्र मूल्य सत्यापन बाजार दर पर दैनिक मूल्यांकन से अलग है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बाजार मूल्यों या मोडेल इनपुट की शुद्धता की नियमित जांच की जाती है। यद्यपि बाजार दर पर दैनिक मूल्य निर्धारण डीलर करते हैं, तथापि बाजार मूल्यों या मोडेल इनपुट का सत्यापन उस इकाई द्वारा किया जाना चाहिए जो डीलिंग रूम से स्वतंत्र हो। ऐसा माह में कम-से-कम एक बार किया जाना चाहिए (या, बाजार/ट्रेडिंग गतिविधि के स्वरूप के आधार पर एक से अधिक बार किया जाना चाहिए)। बाजार दर पर मूल्यांकन करने की आवधिकता के समान इसे बार-बार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पोजीशन के वस्तुमूलक अर्थात् स्वतंत्र मूल्य निर्धारण में कोई त्रुटि या मूल्य निर्धारण में कोई पक्षपात दिखना चाहिए, जिससे त्रुटिपूर्ण दैनिक मूल्य निर्धारण में सुधार हो सके।

(v) स्वतंत्र मूल्य सत्यापन में शुद्धता का उच्चतर मानक होना चाहिए, क्योंकि बाजार मूल्यों या मोडेल इनपुट का प्रयोग लाभ और हानि के आंकड़े निर्धारित करने में होता है, जबकि दैनिक मूल्य निर्धारण का प्रयोग मुख्यतया रिपोर्टिंग तिथियों के बीच प्रबंधन रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। ऐसे स्वतंत्र मूल्य सत्यापन के लिए जिसमें मूल्य निर्धारण के स्रोत अधिक विषयमूलक हों, उदाहरण के लिए केवल एक उपलब्ध ब्रोकर द्वारा दिया जानेवाला भाव, तब मूल्य निर्धारण समायोजन जैसे विवेकपूर्ण उपाय उपयुक्त होंगे।

**मूल्य निर्धारण समायोजन**

(vi) बाज़ार दर पर मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया के अंग के रूप में बैंकों को मूल्य निर्धारण समायोजन पर विचार करने की प्रक्रिया सुस्थापित करनी चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक थर्ड-पार्टी मूल्य निर्धारण का प्रयोग करने वाले बैंकों से विशेष रूप से अपेक्षा रखता है कि वे इस बात पर विचार करें कि मूल्य निर्धारण समायोजन आवश्यक है या नहीं। मोडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण करते समय भी इस प्रकार का विचार करना आवश्यक है।

(vii) न्यूनतम रूप में बैंकों को अपने डेरिवेटिव ,पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित मूल्यांकन समायोजनों पर विचार करना चाहिए:

- सीवीए हानि[85]

---

[85] की गई सीवीए हानियों के लिए प्रावधान ट्रेडिंग बही में धारित निवेशों के मामले में आस्तियों और मूल्यह्रास के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट प्रावधानों के समान है। ये प्रावधान धनात्मक एमटीएम मूल्यों पर अपेक्षित 0.4% की दर पर सामान्य प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे। चालू एक्सपोजर प्रणाली के अंतर्गत डीफॉल्ट जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना करते समय की गई हानियों के विरुद्ध प्रावधानों को एक्सपोजर मूल्य से नेट-आफ किया जाना चाहिए, जैसाकि पैरा 5.15.3.5 (ii) के अनुसार अपेक्षित है।

- क्लोज आउट लागत,
- परिचालनगत जोखिम,
- समय-पूर्व समाप्ति, निवेश और निधीयन लागत, तथा
- भावी प्रशासनिक लागत और
- जहां उचित हो, मॉडल जोखिम

सीवीए हानि के लिए प्रावधानों को छोड़ कर उक्त समायोजनों के परिकलन हेतु बैंक कोई भी मान्यता प्राप्त पद्धति/मॉडल अपना सकते हैं। तथापि, डेरिवेटिव सौदों में हुई हानि की गणना के लिए बैंक निम्नलिखित फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं:

$$\mathbf{ICVAL_t = Max\ [0,\{(EE_t * RP_t) - (EE_0 * RP_0)\}]}$$

जहां

$ICVAL_t$ = समय t में की गई संचयी सीवीए हानि

$EE_t$ = t के एक वर्ष बाद प्रतिपक्षकार एक्सपोजर का अनुमानित मूल्य तथा एक वर्ष तक जोखिम मुक्त बट्टा दर और सीईएम का प्रयोग करते हुए t तक वापिस बट्टाकृत

$EE_0$ = समय 0 पर सीईएम का प्रयोग करते हुए अनुमानित प्रतिपक्षकार जोखिम

$RP_t$ = किसी प्रतिपक्षकार का क्रेडिट फैलाव, जैसा कि सीडीएस या बांड कीमतों में परिलक्षित होता है।

ऐसे मामलों में जहां बाजार आधारित क्रेडिट फैलाव उपलब्ध नहीं हैं, मूल्यन/ऋण के प्रयोजन से बैंक गगकी आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली के अनुसार काउंटर पार्टी के क्रेडिट ग्रेड के अनुसार उस पर पर लागू जोखिम प्रीमियम समय t पर प्रयोग किया जाए।

**$RP_0$** = किसी प्रतिपक्षकार का क्रेडिट फैलावजैसा कि सीडीएस या बांड कीमतों में परिलक्षित होता , है।

ऐसे मामलों में जहां बाजार आधारित क्रेडिट फैलाव उपलब्ध नहीं हैं, मूल्यन/ऋण के प्रयोजन से बैंक की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली के अनुसार काउंटर पार्टी के क्रेडिट ग्रेड के अनुसार उस पर पर लागू जोखिम प्रीमियम समय 0 पर, अर्थात् सौदे की तारीख को प्रयोग किया जाए।

**टिप्पणी** : ऊपर प्रयुक्त कुछ शब्दों को नीचे स्पष्ट किया गया है :

**अंतिम लागत ( क्लोज़-आउट कॉस्ट)**

अंतिम लागत : संविभाग के बाजार जोखिम को समाप्त करने की लागत में समायोजन घटक

**निवेश और निधीयन लागत**

निवेश और निधीयन लागत मोडेल द्वारा सामान्यतया अपनायी गयी दरों से भिन्न दरों पर नकदी प्रवाह विसंगति के निधीयन और निवेश की लागत है।

**प्रशासनिक लागत समायोजन**

प्रशासनिक लागत समायोजन संविभाग के प्रशासन में होनेवाली लागत है।

8.8.2 विनियामक पूंजी प्रयोजनों से कम तरल पोजीशन के वर्तमान मूल्यांकन का समायोजन

8.8.2.1 बैंकों को विनियामक पूंजी प्रयोजनों से कम तरल पोजीशन के वर्तमान मूल्यांकन में समायोजन करने की आवश्यकता के संबंध में निर्णय लेने और समायोजन की गणना करने की प्रक्रियाएं सुस्थापित करनी चाहिए। यह समायोजन वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन से पोजीशन के मूल्य में किये गये परिवर्तन के अतिरिक्त हो सकता है और इसकी परिकल्पना पोजीशन की कम तरलता को व्यक्त करने के लिए की जानी चाहिए। किसी पोजीशन की वर्तमान कम तरलता को व्यक्त करने के लिए उक्त पोजीशन के मूल्यांकन में समायोजन पर विचार किया जाना चाहिए, चाहे वह पोजीशन बाजार मूल्यों के आधार पर अथवा माप करने योग्य इनपुट के आधार पर, थर्ड पार्टी मूल्यांकन के आधार पर या मोडेल के आधार पर मूल्यांकित किया गया हो।

8.8.2.2 यह देखते हुए कि बाजार जोखिम पूंजी प्रभार की तरलता के संबंध में किया गया पूर्वानुमान यथा उपयुक्त कम तरल पोजीशन की बिक्री पर हेज करने की बैंक की क्षमता के अनुरूप न हो, बैंकों को इन पोजीशनों के वर्तमान मूल्यांकन में समायोजन करना चाहिए और निरंतर उनकी उपयुक्तता की समीक्षा करनी चाहिए। कम तरलता बाजार घटनाओं से उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा, समायोजन तय करते समय संकेंद्रित पोजीशन और/अथवा स्टेल पोजीशन की क्लोज-आउट कीमतों पर भी विचार किया जाना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कम तरल पोजीशन के कारण मूल्य निर्धारण समायोजन की राशि की गणना के लिए किसी विशिष्ट क्रियाविधि का निर्धारण नहीं किया है। बैंकों को कम तरल पोजीशन के समायोजन की उपयुक्तता निर्धारित करते समय सभी संबंधित घटकों पर विचार करना चाहिए। इन घटकों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं (हालांकि इन्हें केवल इन मदों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता) - पोजीशन या पोजीशन के भीतर जोखिमों की हेजिंग करने में लगाने वाला समय, बिड ऑफर स्प्रेड का औसत उतार-चढ़ाव, स्वतंत्र बाजार भावों की उपलब्धता (बाजार निर्माताओं की संख्या और पहचान), ट्रेडिंग परिमाण (बाजार की दबाव स्थिति के दौरान ट्रेडिंग परिमाण सहित) का औसत तथा उतार-चढ़ाव, बाजार संकेंद्रण, पोजीशन कितना पुराना है, किस हद तक मूल्य निर्धारण मोडेल के अनुसार निर्धारण पर आधारित है और पैरा 8.8.2.2 में शामिल नहीं किये गये अन्य मोडेल जोखिमों का प्रभाव। कम तरलता के कारण मूल्य निर्धारण समायोजन पर

विचार किया जाना चाहिए चाहे फिमडा द्वारा जारी दिशानिर्देशों में मूल्यांकन के प्रयोजन से वाइटीएम /स्प्रेड तय करते समय कम तरलता के प्रीमियम को गणना में शामिल किया गया हो या नहीं।

8.8.2.3 जटिल उत्पादों के लिए, जिनमें प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के अलावा अन्य उत्पाद भी शामिल हैं, बैंकों को मूल्य निर्धारण समायोजन की आवश्यकता का स्पष्ट मूल्यांकन करना चाहिए ताकि दो प्रकार के मोडेल जोखिम प्रतिबिम्बित हो सकें :

(i) संभवतः त्रुटि-पूर्ण मूल्य निर्धारण क्रियाविधि के प्रयोग से जुड़ा मोडेल जोखिम; और

(ii) मूल्य निर्धारण मोडेल में अप्रेक्षणीय (और संभवतः त्रुटि पूर्ण) माप पैमाने के प्रयोग से जुड़ा जोखिम

8.8.2.4 पैरा 8.8.2.2 के अंतर्गत कम तरल पोजीशन के वर्तमान मूल्य निर्धारण में समायोजन को बैंक के सीआरएआर की गणना करते समय लाभ और हानि खाते में नामे नहीं डाला जाएगा, बल्कि टीयर 1 विनियामक पूंजी से घटाया जाएगा। यह समायोजन वित्तीय रिपोर्टिंग /लेखा मानक के अंतर्गत तथा पैरा 8.8.1.2 (vi) और (vii) के अंतर्गत मूल्य निर्धारण समायोजन से अधिक हो सकता है।

8.8.2.5 बाज़ार जोखिम के लिए पात्र पूंजी की गणना करने के लिए यह आवश्यक होगा कि पहले ऋण और परिचालन जोखिम के लिए बैंक के न्यूनतम पूंजी अपेक्षा की गणना की जाए और उसके बाद ही उसके बाज़ार जोखिम अपेक्षा की गणना की जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितनी टीयर 1 और टीयर 2 पूंजी बाज़ार जोखिम के लिए उपलबध है।

## 9. परिचालन जोखिम के लिए पूंजी भार

### 9.1 परिचालन जोखिम की परिभाषा

परिचालन जोखिम को अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों तथा प्रणालियों अथवा बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप होनेवाली हानि के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा में विधिक जोखिम शामिल है लेकिन कार्यनीति (स्ट्रटेजिक) तथा प्रतिष्ठागत जोखिम शामिल नहीं है। विधिक जोखिम में पर्यवेक्षी कार्रवाइयों तथा निजी निपटानों के परिणामस्वरूप जुर्माना, दंड तथा दंडात्मक क्षतिपूर्ति के प्रति एक्सपोज़र शामिल है लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है।

### 9.2 गणन पद्धतियां

9.2.1 नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे में परिचालन जोखिम पूंजी भारों की गणना के लिए उत्तरोत्तर बढ़ती हुई परिष्कृतता तथा जोखिम संवेदनशीलता के साथ तीन पद्धतियां दी गयी हैं :

i) मूल (बेसिक) निर्देशक दृष्टिकोण (बीआइए); ii) मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए); तथा

iii) उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए)।

9.2.2 बैंकों को अधिक परिष्कृत परिचालन जोखिम गणना प्रणालियों तथा प्रथाओं को विकसित करते हुए उपलब्ध दृष्टिकोणों के अनुरूप उत्तरोत्तर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

9.2.3 नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे में यह प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों तथा महत्वपूर्ण परिचालन जोखिम एक्सपोजर्स वाले बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसा दृष्टिकोण अपनाएं जो कि मूल निर्देशक दृष्टिकोण से अधिक परिष्कृत है तथा वह जो कि संस्था की जोखिम प्रोफाइल के लिए उपयुक्त है। तथापि प्रारंभ में भारत में कार्यरत बैंक परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं की गणना मूल निर्देशक दृष्टिकोण के अंतर्गत करेंगे। रिज़र्व बैंक मूल निर्देशक दृष्टिकोण से प्राप्त पूंजी अपेक्षा की सामान्य विश्वसनीयता, विशेषतः बैंक की समकक्ष संस्थाओं के बीच में विश्वसनीयता की समीक्षा करेगा तथा विश्वसनीयता के अभाव में पिलर 2 के अंतर्गत समुचित पर्यवेक्षी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

## 9.3 मूल निर्देशक दृष्टिकोण

9.3.1 मूल निर्देशक दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंकों को परिचालन जोखिम के लिए पिछले तीन वर्ष की अवधि के दौरान सकारात्मक वार्षिक सकल आय के निश्चित प्रतिशत (अल्फा के रूप में अंकित) के औसत के बराबर पूंजी रखनी होगी। औसत की गणना करते समय जिस वर्ष में वार्षिक सकल आय नकारात्मक अथवा शून्य है उस वर्ष के आंकड़ों को भाज्य तथा भाजक दोनों से निकाल देना चाहिए। यदि नकारात्मक सकल आय बैंक के स्तम्भ 1 पूंजी भार को विकृत करती है तो रिज़र्व बैंक स्तम्भ 2 के अंतर्गत उचित पर्यवेक्षी कार्रवाई पर विचार करेगा। प्रभार को निम्नानुसार व्यक्त किया जाए :

$$\mathbf{KBIA = [\ \sum (GI_{1\ldots n} \times \alpha)]/n}$$

जहां

KBIA= मूल निर्देशक दृष्टिकोण के अंतर्गत पूंजी भार

**GI** = पिछले तीन वर्ष के दौरान वार्षिक सकल आय, जहां सकारात्मक है।

n = उन पिछले तीन वर्षों की संख्या जब सकल आय सकारात्मक है।

α = 15 प्रतिशत, जिसे बीसीबीएस ने निर्धारित किया है, इससे आवश्यक पूंजी के उद्योगवार स्तर को निर्देशक के उद्योगवार स्तर से जोड़ा गया है।

9.3.2 सकल आय को `निवल ब्याज आय' और `निवल ब्याजेतर आय' के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। उद्देश्य यह है कि इस माप में :

i. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों (उदा. अदत्त ब्याज के लिए) तथा बट्टे खाते डाले गए मदों का जोड़ होना चाहिए;

ii. परिचालनगत व्ययों, जिनमें आउाटसोर्सिंग सेवा प्रदाताओं को भुगतान किए गए शुल्क शामिल हैं, का सकल योग होना चाहिए। *आऊटसोर्स की गयी सेवाओं के लिए दिए गए शुल्क के अतिरिक्त आऊटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करनेवाले बैंकों द्वारा प्राप्त शुल्क को भी सकल आय की परिभाषा में शामिल किया जाएगा;*

iii. पिछले वर्ष (वर्षों) के दौरान किए गए प्रावधानों तथा राइट-ऑफ के संबंध में वर्ष के दौरान किए गए रिवर्सल को शामिल नहीं किया जाना चाहिए;

iv. चल तथा अचल संपत्ति की मदों को बेचने से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाना चाहिए;

v. `परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानियों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए;

vi. बैंक के पक्ष में विधिक समझौतों से प्राप्त आय को न जोड़ा जाए;

vii. आय तथा व्यय की अन्य असाधारण अथवा अनियमित मदों को शमिल न करें;

viii. बीमा कार्यकलापों (अर्थात् बीमा पॉलिसियों को राइट करने से व्युत्पन्न आय) तथा बैंक के पक्ष में `बीमा दावों से व्युत्पन्न आय को शामिल न करें।

9.3.3 बैंकों को मूल निर्देशक दृष्टिकोण के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए पूंजी भार की गणना निम्नानुसार करनी चाहिए :

क) पिछले तीन वित्तीय वर्ष, जिनमें नकारात्मक अथवा शून्य सकल आय के वर्ष शामिल नहीं हैं के प्रत्येक वर्ष के (सकल आय * अल्फा) का औसत

ख) सकल आय = *निवल लाभ (+) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं* (+) *परिचालन व्यय (अनुसूची 16) (-) (पैरा 9.3.2 की मदें (iii) से (viii)*।

ग) अल्फा = 15 प्रतिशत

9.3.4 नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे में पूंजी गणना की शुरुआत करने की दृष्टि से मूल निर्देशक दृष्टिकोण के उपयोग के लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। फिर भी, इस दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले बैंकों को *परिचालन जोखिम*

*के प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण के लिए स्वस्थ प्रथाएं*, फरवरी 2003 संबंधी समिति के मार्गदर्शन तथा अक्तूबर 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिचालन जोखिम के प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

9.3.5 बैंक द्वारा बीआईए के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना कर लिए जाने के बाद बैंक को इसे 12.5 से गुणा करना चाहिए तथा परिचालन जोखिम के लिए काल्पनिक (नोशनल) जोखिम भारित आस्ति (आरडबल्यूए) प्राप्त करना चाहिए।

## भाग ख : पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी)

### 10. स्तंभ 2 के अंतर्गत पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया की भूमिका

**10.1** 27 अप्रैल 2007 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 90/20.06.001/2006-07 के द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति द्वारा विकसित बासल II ढांचे पर आधारित नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा भारत के लिए अपनाया गया है। उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध के पैरा 2.4 (iii) (ग) के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षा की गयी थी कि उनके पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) के संबंध में बोर्ड अनुमोदित नीति होनी चाहिए तथा वे आइसीएएपी के अनुसार पूंजी अपेक्षा का मूल्यांकन करें। हम यह मानते हैं कि बैंकों ने उक्त नीति बनायी होगी तथा तदनुसार पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन किया होगा।

**10.2** बासल II ढांचे के तीन घटक या तीन स्तंभ हैं। स्तंभ I न्यूनतम पूंजी अनुपात है, जबकि स्तंभ 2 और स्तंभ 3 क्रमशः पर्यवेक्षीय समीक्षा प्रक्रिया (एसआरपी) और बाजार अनुशासन है। इस खंड में एसआरपी और आइसीएएपी के संबंध में दिशानिर्देश दिये गये हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले आइसीएएपी दस्तावेज के प्रारूप का एक उदाहरण **अनुबंध-15** में दिया गया है।

**10.3** एसआरपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के पास अपने कारोबार के सभी जोखिमों से बचाव के लिए पर्याप्त पूंजी है। इसका उद्देश्य उन्हें अपने जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन के लिए बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीकें विकसित करने और उनका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। इस हेतु बैंकों के भीतर एक सुपरिभाषित आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया आवश्यक होगी, जिसके माध्यम से वे भारतीय रिज़र्व बैंक को आश्वस्त करेंगे कि बैंकों के समक्ष जो विभिन्न प्रकार के जोखिम हैं उनके लिए पर्याप्त पूंजी वस्तुतः रखी जा रही है। आश्वासन की प्रक्रिया

के अंतर्गत बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच सक्रिय संवाद भी शामिल है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर बैंक के जोखिम एक्सपोज़र को कम करने के लिए या उसकी पूंजी बढ़ाने/बहाल करने के लिए समुचित हस्तक्षेप किया जा सके। अतः आइसीएएपी पर्यवेक्षीय समीक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है।

**10.4** एसआरपी और इसलिए आइसीएएपी के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य पहलुओं को शामिल किया जाएगा :

(क) ऐसे जोखिम जिन्हें स्तंभ 1 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम पूंजी अनुपात में पूरी तरह समाविष्ट नहीं किया गया है;

(ख) ऐसे जोखिम जिन्हें स्तंभ 1 के अंतर्गत शामिल ही नहीं किया गया है; और

(ग) बैंक से बाहर के घटक

चूंकि इस ढांचे के स्तंभ 1 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात केवल विनियामक **<u>न्यूनतम</u>** स्तर पर है, तथा इसमें केवल तीन विनिर्दिष्ट जोखिमों (अर्थात् ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों) को ध्यान में रखा गया है, अतः बैंकों के लिए दो कारणों से अतिरिक्त पूंजी रखना आवश्यक हो सकता है - स्तंभ 1 के अंतर्गत जोखिमों के कुछ कम आकलन की संभावना के कारण तथा बैंक के जोखिम प्रबंधन तंत्र की गुणवत्ता की तुलना में बैंक के वास्तविक जोखिम एक्सपोज़र के कारण । **उदाहरण के लिए,** बैंकों के कुछ सामान्य जोखिम जिन्हें विनियामक सीआरएआर में समाविष्ट नहीं किया गया है या पूर्णतः समाविष्ट नहीं किया गया है, निम्नलिखित हैं -

क) बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
ख) ऋण संकेंद्रण जोखिम
ग) चलनिधि जोखिम
घ) निपटान जोखिम
ङ) प्रतिष्ठा जोखिम
च) रणनीतिगत जोखिम
छ) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के कम आकलन का जोखिम
ज) "मॉडेल जोखिम" अर्थात् आइआरबी दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के कम आकलन का जोखिम
झ) ऋण जोखिम कम करनेवाले तत्वों में कमजोरी का जोखिम
ञ) प्रतिभूतीकरण का अवशिष्ट जोखिम, आदि

मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम का परिमाणन बैंकों के आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन कार्यक्रम (आईसीएएपी) का एक भाग होगा और बैंकों से अपेक्षित है कि वे परिपूर्ण रूप से इस जोखिम का समाधान करें। आईसीएएपी में बैंक के समक्ष मौजूद मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम[86] के स्तर और साथ ही ऐसे एक्सपोजर के संकेंद्रण का आकलन होना चाहिए। बैंक आईसीएएपी के अंतर्गत विभिन्न आत्यंतिक परंतु संभव विनिमय दर परिदृश्यों के अधीन दबाव परीक्षण भी करें। आईसीएएपी के परिणाम से बैंक जोखिम में कमी, अधिक पूंजी अथवा प्रावधान करने आदि जैसे समुचित ऋण प्रबंध कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो सकते हैं।

अतः यह उचित होगा कि बैंक एक सुपरिभाषित आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने विभिन्न जोखिम एक्सपोज़र का स्वयं मूल्यांकन करें तथा ऐसे जोखिमों के लिए पर्याप्त पूंजी समर्थन बनाए रखें।

**10.5** यह सच है कि आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) संचालित करने के लिए कोई एक दृष्टिकोण नहीं है तथा आइसीएएपी संचालित करने की स्वतंत्र प्रथा के संबंध में बाजार में अभी तक सर्व सम्मति नहीं हो पायी है। क्रियाविधि और तकनीकें अभी भी विकसित ही हो रही हैं - खास कर ऐसे जोखिमों की माप के संबंध में जिन्हें मात्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए प्रतिष्ठा जोखिम और रणनीतिगत जोखिम। अतः, इन दिशानिर्देशों में केवल व्यापक सिद्धांत दिये गये हैं, जिनका अनुसरण बैंकों को अपने आइसीएएपी विकसित करने के लिए करना चाहिए।

**10.6** बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने बोर्ड के अनुमोदन से अपने आकार, जटिलता के स्तर, जोखिम प्रोफाइल तथा परिचालनों की व्याप्ति के अनुरूप आइसीएएपी विकसित करें तथा उसे लागू करें। आइसीएएपी स्तंभ 1 के अंतर्गत विनियामक पूंजी अपेक्षा संबंधी बैंक की गणना के अतिरिक्त होगा तथा विदेशी बैंकों और भारत से बाहर परिचालनात्मक मौजूदगी वाले भारतीय बैंक द्वारा 31 मार्च 2008 से तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अन्य सभी वाणिज्य बैंकों द्वारा 31 मार्च 2009 से आइसीएएपी का परिचालन किया जाना चाहिए।

**10.7** आइसीएएपी दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन, आगामी वर्ष के लिए पूंजी अपेक्षा का अनुमान तथा पूंजी अपेक्षा की पूर्ति के लिए योजना और रणनीति के ब्यौरे होने चाहिए। बैंकों के मार्गदर्शन के लिए **अनुबंध - 15** में आइसीएएपी दस्तावेज के प्रारूप का एक उदाहरण दिया गया है, हालाँकि बैंकों के आइसीएएपी दस्तावेज़ की लम्बाई और उसका प्रारूप, बैंकों के आकार,

---

[86] कृपया दिनांक 15 जनवरी 2014 तथा 03 जून 2014 के परिपत्र क्रमश: बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 तथा बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 देखें।

जटिलता के स्तर, जोखिम प्रोफाइल और परिचालनों की व्याप्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है।

**11. उन्नत जोखिम प्रबंध की आवश्यकता**[87]

**11.1** विगत वर्षों में वित्तीय संस्थाओं की कठिनाइयों के अनेक कारण रहे हैं, लेकिन गंभीर बैंकिंग समस्याओं के निम्नलिखित मुख्य कारण बने हुए हैं : उधारकर्ताओं और काउंटरपार्टियों के लिए शिथिल ऋण मानक, खराब संविभागीय जोखिम प्रबंध तथा आर्थिक और अन्य परिस्थितियों में होनेवाले उन परिवर्तनों की ओर ध्यान न देना जो किसी बैंक की काउंटरपार्टियों की साख में गिरावट ला सकते हैं। विकसित और विकासशील दोनों देशों में यह समान अनुभव रहा है।

**11.2** 2007-08 के वित्तीय बाज़ार संकट ने किसी बैंकिंग संगठन की दीर्घावधिक सफलता में प्रभावी ऋण जोखिम प्रबंध की महत्ता को रेखांकित किया है तथा उसे वित्तीय स्थिरता का एक महत्वपूर्ण अंग माना है। इस संकट ने हमें इस बात की ओर सख्त इशारा किया है कि बैंकों के लिए ऋण जोखिम को प्रभावी तरीके से पहचानना, उसकी माप करना, उसकी निगरानी और नियंत्रण करना तथा यह समझना कि ऋण जोखिम अन्य प्रकार के जोखिमों (बाज़ार, चलनिधि और प्रतिष्ठा जोखिम सहित) से कैसे प्रभावित होता है, कितना आवश्यक है। किसी परिपूर्ण ऋण जोखिम प्रबंध कार्यक्रम के महत्वपूर्ण तत्वों में निम्नलिखित शामिल हैं - (i) एक समुचित ऋण जोखिम वातावरण स्थापित करना; (*ii)* एक अच्छी ऋण मंजूरी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करना; (*iii*) एक समुचित ऋण प्रशासन, माप और निगरानी प्रक्रिया सुनिश्चित करना और (iv) 12 अक्तूबर 2002 को ऋण जोखिम पर जारी हमारे दिशानिर्देश नोट में दिये गये ब्यौरे के अनुसार ऋण जोखिम पर पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित करना।[88]

**11.3** हाल के संकट ने प्रभावी पूंजी आयोजन और दीर्घावधिक पूंजी रख-रखाव के महत्व को रेखांकित किया है। अनिश्चित बाजार परिस्थितियों का सामना करने की किसी बैंक की क्षमता एक ऐसी सुदृढ़ पूंजीगत स्थिति से बढ़ जाती है जो बैंक की रणनीति में संभावित परिवर्तनों और समय के साथ बाजार स्थितियों में होनेवाले उतार-चढ़ाव को आत्मसात् कर सके। बैंकों को प्रभावी और कुशल पूंजी आयोजन तथा दीर्घावधिक पूंजी रख-रखाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक प्रभावी पूंजी आयोजन प्रक्रिया के अंतर्गत यह आवश्यक है कि बैंक अपने जोखिमों का आकलन करे तथा उन जोखिमों को प्रबंधित करने और उन्हें कम करने के लिए जोखिम प्रबंध प्रक्रिया स्थापित करे; जोखिमों

---

[87] 8 फरवरी 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.73/21.06.001/2009-2010

[88] दिनांक 12 अक्तूबर 2002 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. 520/21.04.103/2002-03 के द्वारा जारी ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शी टिप्पणियां

की तुलना में अपनी पूंजी पर्याप्तता का आकलन करे तथा आर्थिक धीमेपन (मंदी) के दौरान आय और पूंजी पर संभावित प्रभाव पर विचार करे। किसी बैंक की पूंजी आयोजन प्रक्रिया में एक त्रुटिरहित भविष्यदर्शी दबाव परीक्षण प्रणाली शामिल होनी चाहिए, जैसा कि नीचे पैरा 12.9 में वर्णित किया गया है।

**11.4** किसी व्यावसायिक गतिविधि में तेज वृद्धि से बैंकों के समक्ष जोखिम प्रबंध की महत्वपूर्ण चुनौती उपस्थित हो सकती है। `ओरिजिनेट-टु-डिस्ट्रीब्यूट' कारोबारी मॉडल, तुलनपत्रेतर उत्पादों, चलनिधि सुविधाओं और ऋण डेरिवेटिव के व्यापक प्रयोग से ऐसा ही हुआ। ओरिजिनेट-टु-डिस्ट्रीब्यूट मॉडल और प्रतिभूतिकरण, ऋण मध्यस्थता और बैंक की लाभप्रदता में वृद्धि करता है तथा जोखिम को भी अधिक व्यापक रूप में वितरित करता है। लेकिन इनसे जुड़े जोखिमों को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। वस्तुतः ये गतिविधियां कारोबार क्षेत्र के भीतर, कंपनी और जोखिम घटकों के बीच ऐसे एक्सपोज़र उत्पन्न करती हैं जिनकी पहचान, माप, प्रबंधन, नियंत्रण और शमन करना कठिन है। यह बात विशेष रूप से बाजार चलनिधि, आस्ति कीमतों और जोखिम अभिमुखता की गिरावट के दौर में सच साबित होती है। ऐसे जोखिमों की समुचित पहचान और माप करने की असमर्थता से अनजाने में ऐसे जोखिम एक्सपोज़र और जोखिम संकेंद्रण हो सकते हैं जिनसे विभिन्न कारोबारों में और जोखिम आयामों में समान कारक-समूह के कारण सहवर्ती हानि हो सकती है। स्ट्रक्चर्ड उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण बैंकों को प्रोत्साहन मिला कि वे ओरिजिनेट-टू-डिस्ट्रीब्यूट मॉडल का प्रयोग कर ऋण दें, उदाहरण के लिए असुरक्षित बेचान मानकों का प्रयोग करते हुए सबप्राइम मॉर्टगेज दिये गये। साथ ही, स्ट्रक्चर्ड ऋण उत्पादों में निवेश करने का निर्णय लेते समय अनेक निवेशक केवल ऋण रेटिंग एजेन्सियों की रेटिंग पर ही निर्भर थे। अनेक निवेशकों ने स्ट्रक्चर्ड उत्पाद खरीदते समय स्वतंत्र रूप से कोई उचित सावधानी नहीं बरती। इसके अलावा अनेक बैंकों में उनके तुलनपत्र में धारित एक्सपोज़र तथा तुलनपत्रेतर उत्पादों, यथा आस्ति समर्थित वाणिज्यिक पत्र (एबीसीपी) सरणी तथा स्ट्रक्चर्ड निवेश माध्यम (एसआईवी) से जुड़े जोखिमों का प्रबंध करने के लिए अपर्याप्त जोखिम प्रबंध प्रक्रिया स्थापित थी।

**11.5** नवोन्मेष के कारण स्ट्रक्चर्ड ऋण उत्पादों की जटिलता और संभावित तरलता बढ़ गयी है। इससे इन उत्पादों का मूल्यांकन और हेजिंग अधिक कठिन हो सकती है और समग्र जोखिम में अनजाने में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, जटिल निवेशक-विशिष्ट उत्पादों की वृद्धि से ऐसे विरल बाज़ार उत्पन्न हो सकते हैं जो तरल न हों तथा यदि उनसे जुड़े जोखिमों को सही-सही नहीं समझा जाता है और सामयिक रूप से प्रभावी तरीके से उनका प्रबंध नहीं किया जाता है तो दबाव के समय बैंक को बड़ी हानि हो सकती है।

## 12. भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) तथा बैंकों की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) के लिए दिशानिर्देश

## 12.1 पृष्ठभूमि

12.1.1 बासल II ढाँचा निम्नलिखित तीन परस्पर समर्थक स्तंभों पर आधारित है :

स्तंभ 1 : न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएँ - इसके अंतर्गत पूंजी अपेक्षाओं की जोखिम- संवेदी गणना निर्धारित की गयी है, जिसमें पहली बार स्पष्ट रूप से बाजार और ऋण जोखिम के साथ-साथ परिचालन जोखिम को भी शामिल किया गया है।

स्तंभ 2 : पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (एसआरपी) - इसके अंतर्गत बैंकों में उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना तथा पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा उनकी समीक्षा शामिल है।

स्तंभ 3 : बाज़ार अनुशासन - इसके अंतर्गत बैंकों के लिए व्यापक प्रकटीकरण अपेक्षाओं के माध्यम से पारदर्शिता में वृद्धि करने का प्रयास किया गया है।

12.1.2 बासल समिति के बासल II दस्तावेज में स्तंभ 2 के अंतर्गत परिकल्पित एसआरपी के संबंध में निम्नलिखित चार प्रमुख सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है :

**सिद्धांत 1** : बैंकों के पास अपने जोखिम प्रोफाइल के संबंध में अपनी समग्र पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए तथा पूंजी स्तर बनाए रखने के लिए रणनीति होनी चाहिए।

**सिद्धांत 2** : पर्यवेक्षकों को बैंकों के आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकनों और रणनीतियों की तथा विनियामक पूंजी अनुपातों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अनुपालन की निगरानी करने की उनकी योग्यता की समीक्षा और मूल्यांकन करना चाहिए। पर्यवेक्षक यदि इस प्रक्रिया के परिणाम से संतुष्ट न हों, तो उन्हें उचित पर्यवेक्षी कार्रवाई करनी चाहिए।

**सिद्धांत 3** : पर्यवेक्षकों को बैंकों से यह अपेक्षा करनी चाहिए कि वे न्यूनतम विनियामक पूंजी अनुपात से उच्चतर स्तर पर परिचालन करें तथा पर्यवेक्षकों के पास यह क्षमता होनी चाहिए कि वे बैंकों से न्यूनतम से अधिक पूंजी रखने की अपेक्षा कर सकें।

**सिद्धांत 4** : पर्यवेक्षकों को किसी बैंक के जोखिम स्वरूप का समर्थन करने के लिए अपेक्षित पूंजी को न्यूनतम स्तर से नीचे गिरने से बचाने के लिए काफी पहले हस्तक्षेप करने का प्रयास करना चाहिए। यदि पूंजी बनाए रखी नहीं जाती है अथवा पुन: अपेक्षित स्तर तक नहीं लायी जाती है तो तेजी से सुधारात्मक उपाय अपनाने की अपेक्षा की जानी चाहिए।

12.1.3 यह स्पष्ट है कि सिद्धांत 1 और 3 बैंकों से पर्यवेक्षी अपेक्षाओं से संबंधित हैं, जबकि सिद्धांत 2 और 4 स्तंभ 2 के अंतर्गत पर्यवेक्षकों की भूमिका से संबद्ध हैं। स्तंभ 2 (पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया - एसआरपी) के अंतर्गत बैंकों के जोखिम प्रोफाइल से संबद्ध पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन के लिए तथा उनके पूंजी स्तर को बनाए रखने की एक रणनीति के रूप में बैंकों से एक आंतरिक प्रक्रिया कार्यान्वित करने की अपेक्षा की गयी है, जिसे आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) कहा गया है। स्तंभ 2 के अंतर्गत यह भी अपेक्षा की गयी है कि पर्यवेक्षीय प्राधिकारी सभी बैंकों पर एक मूल्यांकन प्रक्रिया लागू करे जिसे इसके बाद पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) कहा जाएगा तथा इस आधार पर ऐसे पर्यवेक्षीय कदम उठाये जिन्हें आवश्यक समझा जाता है। पूर्वोक्त सिद्धांतों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि बैंकों और पर्यवेक्षकों पर निम्नलिखित व्यापक उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं -

बैंकों का उत्तरदायित्व

क) बैंकों के पास अपने जोखिम प्रोफाइल की तुलना में अपनी समग्र पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रक्रिया तथा अपना पूंजी स्तर बनाये रखने के लिए एक रणनीति सुस्थपित होनी चाहिए (सिद्धांत 1)।

ख) बैंकों को न्यूनतम विनियामक पूंजी अनुपात के ऊपर परिचालन करना चाहिए (सिद्धांत 3)।

पर्यवेक्षकों का उत्तरदायित्व

क) पर्यवेक्षकों को बैंक के आइसीएएपी की समीक्षा और मूल्यांकन करना चाहिए। (सिद्धांत 2)

ख) यदि पर्यवेक्षक इस प्रक्रिया के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। (सिद्धांत 2)

ग) पर्यवेक्षकों को बैंक द्वारा विनियामक पूंजी अनुपातों के अनुपालन की समीक्षा और मूल्यांकन करना चाहिए (सिद्धांत 2)

घ) पर्यवेक्षकों के पास यह क्षमता होनी चाहिए कि वे बैंकों से अपेक्षा कर सकें कि वे न्यूनतम से अधिक पूंजी रखें (सिद्धांत 3)

ङ) पर्यवेक्षकों को न्यूनतम स्तर से नीचे पूंजी गिरने से रोकने के लिए काफी पहले हस्तक्षेप करने का प्रयास करना चाहिए। (सिद्धांत 4)

च) यदि पूंजी स्तर नहीं बनाए रखा जाता है तो पर्यवेक्षकों को त्वरित प्रतिकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा रखनी चाहिए (सिद्धांत 4)

12.1.4 अतः, आइसीएएपी और एसआरईपी स्तंभ 2 के दो महत्वपूर्ण घटक हैं तथा उन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है :

आइसीएएपी के अंतर्गत किसी बैंक की प्रक्रियाएं तथा निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए परिकल्पित उपाय शामिल होंगे -

क) जोखिम की समुचित पहचान और माप

ख) बैंक के जोखिम प्रोफाइल की तुलना में आंतरिक पूंजी का समुचित स्तर ; तथा

ग) बैंक में उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को लागू करना और उनका और विकास करना

एसआरईपी के अंतर्गत पर्यवेक्षक द्वारा अपनायी गयी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया आती है, जिसमें ऊपर वर्णित सिद्धांतों में परिभाषित सभी प्रक्रियाएं और उपाय शामिल हैं। वस्तुतः इसके अंतर्गत बैंक के आइसीएएपी की समीक्षा और मूल्यांकन करना, बैंक के जोखिम प्रोफाइल का एक स्वतंत्र मूल्यांकन करना तथा यदि आवश्यक हो तो समुचित विवेकपूर्ण उपाय और अन्य पर्यवेक्षीय कार्रवाई करना शामिल है।

12.1.5 इन दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक किस प्रकार एसआरईपी का संचालन करेगा, आइसीएएपी की प्रत्याशित व्याप्ति और डिज़ाइन क्या होगी तथा आइसीएएपी के कार्यान्वयन के संबंध में बैंकों से भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रत्याशाएं क्या होंगी - इनके संबंध में बैंकों को व्यापक मार्गदर्शन देने का प्रयास किया गया है।

## 12.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एसआरईपी का संचालन

12.2.1 पूंजी बैंक को दिवालिया होने से बचाती है और इस प्रकार समग्र बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने में मदद करती है। स्तंभ 1 के अंतर्गत न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षा एक स्तर निर्धारित करती है जिससे नीचे किसी सुदृढ़ बैंक की पूंजी नहीं जानी चाहिए। विनियामक पूंजी अनुपातों के कारण विनियमित बैंकिंग संस्थाओं के बीच पूंजी पर्याप्तता का कुछ तुलनात्मक विश्लेषण हो सकता है क्योंकि ये अनुपात कतिपय सामान्य क्रियाविधियों/मान्यताओं पर आधारित रहते हैं। तथापि, पर्यवेक्षकों को किसी बैंक विशेष के जोखिमों पर विचार करते समय पूंजी

पर्याप्तता के अधिक परिपूर्ण मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, जिसमें न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षाओं से परे विश्लेषण किया गया हो।

12.2.2 भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्यतः बैंकों से यह अपेक्षा करता है कि वे सभी प्रकार के महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए अपने-अपने जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप अपने न्यूनतम विनियामक पूंजी स्तरों से अधिक पूंजी रखें। एसआरईपी के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक एक व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से, जिसमें सभी संबद्ध उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखा जाता है, किसी बैंक की समग्र पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करेगा। यह निश्चित करने के लिए कि किसी बैंक को न्यूनतम विनियामक पूंजी से कितनी अधिक पूंजी रखनी चाहिए, भारतीय रिज़र्व बैंक विनियामक न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं का बैंक के द्वारा अनुपालन, बैंक के आइसीएएपी की गुणवत्ता और परिणाम, बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, नियंत्रण प्रणालियों तथा बैंक के जोखिम प्रोफाइल और पूंजी स्थिति से संबद्ध अन्य प्रासंगिक सूचनाओं के पर्यवेक्षीय मूल्यांकन के संयुक्त प्रभाव को ध्यान में रखेगा।

12.2.3 अतः बैंकों के एसआरईपी का संचालन भारतीय रिज़र्व बैंक आवधिक रूप से करेगा, जो सामान्यतः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के वार्षिक निरीक्षण (एएफआइ) के साथ होगा तथा यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों से प्राप्त होनेवाले ऑफ-साइट विवरणों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों से प्रत्येक वर्ष अपेक्षित आइसीएएसी दस्तावेज से प्राप्त सूचना के आधार पर किया जाएगा (नीचे पैरा 12.3.3.7 देखें)। एसआरईपी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के आइसीएएपी की पर्याप्तता और प्रभावशीलता तथा उससे प्राप्त पूंजी अपेक्षा का मूल्यांकन करेगा। यद्यपि मूल्यांकन के दौरान विनियामक न्यूनतम सीआरएआर और बैंक के आइसीएएपी के परिणाम के बीच के अंतर को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा (क्योंकि इन दो प्रक्रियाओं में शामिल जोखिम अलग-अलग हैं), तथापि बैंकों से यह आशा की जाएगी कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष यह सिद्ध करें कि उन्होंने जो आइसीएएपी अपनाया है वह उनके आकार, जटिलता के स्तर, परिचालनों की व्याप्ति और परिमाण तथा उससे उत्पन्न जोखिम प्रोफाइल/एक्सपोज़र के प्रति पूर्णतः सजग है तथा उनकी पूंजी अपेक्षाओं को अच्छी तरह व्यक्त करती है। आइसीएएपी की प्रभावोत्पादकता के ऐसे मूल्यांकन से भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों द्वारा अपनायी गयी पूंजी प्रबंधन प्रक्रियाओं और रणनीतियों को समझने में मदद मिलेगी। यदि आवश्यक माना गया तो एसआरईपी के अंतर्गत समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक के उच्चतम प्रबंध तंत्र के बीच संवाद भी हो सकता है। आवधिक समीक्षा के अलावा यदि आवश्यक समझा गया तो रिज़र्व बैंक, बैंक की आइसीएएपी प्रक्रिया के विशिष्ट पहलुओं पर टिप्पणी करने तथा तदर्थ समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र बाह्य विशेषज्ञ भी नियुक्त कर सकता है। ऐसी समीक्षा का स्वरूप और सीमा भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित करेगा।

12.2.4 पिलर 1 प्रणाली से जुड़ी अनिश्चितताओं के लिए, जो समस्त बैंकिंग आबादी को प्रभावित करती हैं, पिलर 1 पूंजी अपेक्षाओं में एक बफर शामिल किया जाएगा। बैंक-विशिष्ट अनिश्चितताओं को पिलर 2 के अंतर्गत ट्रीट किया जाएगा।[89] यह प्रत्याशा की जाती है कि पिलर 1 के अंतर्गत ऐसे बफर समुचित आश्वासन दे सकेंगे कि एक अच्छी आंतरिक प्रणाली और नियंत्रण युक्त बैंक, जिसका जोखिम प्रोफाइल विविधता-पूर्ण है तथा व्यवसाय प्रोफाइल पिलर 1 प्रणाली में अच्छी तरह सम्मिलित है तथा जो पिलर 1 अपेक्षा के अनुसार पूंजी रखता है, पिलर 1 में निहित सुदृढ़ता के न्यूनतम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक किसी बैंक विशेष से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसे बफर के साथ परिचालन करे जो पिलर 1 मानकों से ऊपर हो। बैंकों को निम्नलिखित संयोजन के रूप में यह बफर रखना चाहिए:

क) पिलर 1 के अंतर्गत बाज़ारों में बैंकों की ऋण-पात्रता प्राप्त करने का जो न्यूनतम स्तर निर्धारित किया गया है, वह ऋण-पात्रता के उस स्तर से कम है, जो कई बैंक अपने स्वयं के कारणों से पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश अन्तरराष्ट्रीय बैंक अन्तरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त रेटिंग एजेंसियों से उच्च रेटिग चाहते हैं। अत: बैंक संभवत: प्रतिस्पर्धात्मक कारणों से पिलर 1 न्यूनतम से अधिक स्तर पर कारोबार करना पसंद करेंगे।

ख) कारोबार के सामान्य रूप में जैसे-जैसे कार्यकलापों के प्रकार और परिमाण बदलेंगे, वैसे ही विभिन्न जोखिम एक्सपोजर भी बदलेंगे जिसके कारण समग्र पुंजी अनुपात में उतार-चढ़ाव होंगे।

ग) बैंकों के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाना महंगा हो सकता है, विशेषत: यदि इसे तुरंत करना हो या ऐसे समय में करना हो जब बाजार में स्थितियां प्रतिकूल हों।

घ) बैंकों के लिए न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षा से नीचे जाना गंभीर मामला है। इससे बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम का उल्लंघन हो सकता है तथा/अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

ङ) विशेषत: अलग-अलग बैंकों के लिए या अधिक सामान्यत: पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे जोखिम हो सकते हैं जिन्हें पिलर 1.[90] के अंतर्गत ध्यान में नहीं लिया गया है।

पिलर 2 के अंतर्गत पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईसी) के भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों द्वारा उठाए गए जोखिम प्रबंधन संबंधी उपाय और मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम[91] के

---

[89] भारत में बासल III पूंजी विनियमावली के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश' पर दिनांक 02 मई 2012 के बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 98/21.06.201/2011-12 का अनुबंध 3 ।

[90] यदि कोई बैंक उसीप्रकार की निर्धारित पिलर 2 जोखिम या अपर्याप्त रूप से पूंजीकृत पिलर 1 जोखिम का ध्यान रखने के लिए कुछ पूंजी जोड़ता है, तो इस ऐड-आन को जोखिम भारित आस्ति में रूपान्तरित किया जा सकता है, जैसाकि इस पैराग्राफ में नीचे बताया गया है, जिसे बैंक की कुल जोखिम भारित आस्तियों में जोड़ा जाना चाहिए। ऐसी निर्धारित जोखिमों के लिए कोई अतिरिक्त पिलर 2 बफर रखना आवश्यक नहीं है।

प्रबंधन में इसकी पर्याप्तता की समीक्षा कर सकता है, विशेष रूप से उस स्थिति में जब ऐसे जोखिम के प्रति उच्चतर एक्सपोजर का आकलन किया गया हो।

एसआरईपी के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात का मूल्यांकन करेगा कि क्या बैंक ने उपर्युक्त स्थितियों का ध्यान रखने हेतु पर्याप्त पूंजी कुशन रखा है। ऐसा कुशन, पूंजी संरक्षण बफर तथा प्रतिचक्रीय पूंजी बफर, यदि लागू दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा इसे रखा जाना अपेक्षित हो, के अतिरिक्त होना चाहिए। ऐसा कुशन सामान्यत: पूंजी संरक्षण बफर और प्रतिचक्रीय पूंजी बफर को हिसाब में लेने के बाद बैंकों द्वारा रखे गए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात से अधिक अनुपात के रूप में परिलक्षित होगा।

एसआरईपी के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक यह भी पता लगाने का प्रयास करेगा कि अंतर्निहित परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर बैंक की समग्र पूंजी पर्याप्तता बनी हुई है। सामान्य तौर पर जोखिम में यदि महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, जिसे किसी अन्य तरीके से कम नहीं किया जा सकता, तो उसके साथ-साथ पूंजी में भी तदनुरूप वृद्धि होनी चाहिए। इसके ठीक विपरीत, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक अपने पर्यवेक्षीय मूल्यांकन से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जोखिम में महत्वपूर्ण गिरावट आयी है या इसे समुचित रूप से कम किया गया है, तो समग्र पूंजी में कटौती (विनियामक न्यूनतम पूंजी के स्तर से फिर भी अधिक) उपयुक्त हो सकती है। ऐसे मूल्यांकन के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी पर्यवेक्षीय चिंता का निवारण करने के लिए समुचित पर्यवेक्षीय कदम उठाने पर विचार कर सकता है। इन उपायों में बैंक की जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया में परिवर्तन या वृद्धि, जोखिम एक्सपोज़र में कटौती या संबंधित पर्यवेक्षीय चिंता के निवारण के लिए आवश्यक समझी गयी कोई भी कार्रवाई आ सकती है। इन उपायों में बैंक विशेष के लिए न्यूनतम सीआरएआर की शर्त भी हो सकती है, जो स्तंभ 1 के अंतर्गत निर्धारित विनियामक न्यूनतम पूंजी अपेक्षा की तुलना में, तथ्य और परिस्थिति के अनुरूप, उच्चतर भी हो सकती है।

12.2.5 जब भी बासल II दस्तावेज में अभिकल्पित उन्नत दृष्टिकोणों को भारत में अपनाने की अनुमति मिलेगी, एसआरईपी उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने से संबंधित पात्रता मानदंडों का बैंकों द्वारा निरंतर अनुपालन किए जाने का भी मूल्यांकन करेगी।

**12.3 आइसीएएपी का संरचनात्मक पहलू**

---

[91] कृपया दिनांक 15 जनवरी 2014 तथा 03 जून 2014 के परिपत्र क्रमश: बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 तथा बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 देखें।

12.3.1 इस खंड में आइसीएएपी के व्यापक मापदंडों की रूपरेखा दी गयी है, जिनका अनुपालन बैंकों को अपने आइसीएएपी की परिकल्पना और कार्यान्वयन के दौरान करना चाहिए।

12.3.2 प्रत्येक बैंक के पास आइसीएएपी होनी चाहिए

यह देखते हुए कि बासल II ढांचा सभी वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर एकल स्तर (वैश्विक स्थिति) तथा समेकित स्तर दोनों स्तरों पर लागू है, अतः किसी बैंकिंग समूह की प्रत्येक बैंकिंग संस्था के प्रत्येक स्तर पर एकल आधार पर तथा समेकित बैंक (अर्थात् संस्थाओं का एक समूह जहां लाइसेंस प्राप्त बैंक एक नियंत्रक संस्था है) के आधार पर भी आइसीएएपी तैयार किया जाना चाहिए। यह अपेक्षा उन विदेशी बैंकों पर भी लागू होगी जिनकी भारत में शाखा है। उनके आइसीएएपी में केवल भारतीय परिचालनों को शामिल किया जाना चाहिए।

12.3.3 आइसीएएपी में पूरी फर्म का जोखिम प्रोफाइल शामिल होना चाहिए[92]

12.3.3.1 पूरी फर्म के जोखिम प्रबंध के सामान्य सिद्धांत

वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को बैंक के जोखिम एक्सपोज़र का एक समन्वित, संपूर्ण फर्म-वार परिदृश्य लेने का महत्व समझना चाहिए ताकि वह उभरनेवाले तथा बढ़ते जोखिमों को पहचानने तथा उन पर प्रतिक्रिया करने की अपनी क्षमता का समय पर तथा प्रभावी रूप से समर्थन कर सके। इस मार्गदर्शन का प्रयोजन है प्रतिभूतीकरण, तुलनपत्रेतर एक्सपोज़रों, स्ट्रक्चर्ड ऋण तथा जटिल खरीद-बिक्री संबंधी कार्यकलापों सहित बैंक के पूंजी बाजार संबंधी कार्यकलापों चारों ओर के फर्म-वार निरीक्षण, जोख्मा प्रबंधन तथा नियंत्रणों को बढ़ाने की आवश्यकता।

एक स्वस्थ जोखिम प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखिम मुख्य तत्व होने चाहिए :

- बोर्ड तथा वरिष्ठ पबंधन का सक्रिय निरीक्षण;
- समुचित नीति, क्रियाविधि तथा सीमाएं;
- जोखिमों का व्यापक तथा समय पर निर्धारण, मापन, न्यूनीकरण नियंत्रण, निगरानी तथा रिपोर्टिंग;
- कारोबार तथा पूरी फर्म के स्तर पर समुचित प्रबंधन सूचना प्रणालियां; तथा
- व्यापक आंतरिक नियंत्रण।

12.3.3.2 निदेशक बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंध तंत्र द्वारा पर्यवेक्षण

---

[92] 8 फरवरी 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं. 73/21.06.001/2009-2010

आइसीएएपी  की रचना और कार्यान्वयन का अंतिम उत्तरदायित्व बैंक के निदेशक मंडल पर होगा तथा भारत में शाखागत मौजूदगी  वाले विदेशी बैंकों के मामले में यह उत्तरदायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी पर होगा। संस्था की जोखिम लेने की क्षमता तथा प्रवृत्ति को परिभाषित करने तथा यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निदेशक बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन की है कि बैंक के जोखिम प्रबंधन के ढांचे में ऐसी विस्तृत नीतियां हैं जो बैंक के कार्यकलापों पर पूरी फर्म के लिए विशिष्ट विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करती हैं जो कि बैंक की जोखिम लेने की क्षमता तथा प्रवृत्ति के अनुरूप है। बैंक की जोखिम लेने की समग्र प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए पहले बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन के पास पूरी फर्म के आधार पर जोखिम एक्सपोज़रों की समझ होनी चाहिए। यह समझ प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन के उपयुक्त सदस्यों को कारोबार तथा नियंत्रण संबंधी मुख्य कार्यों के दृष्टिकोण को साथ मिलाना चाहिए। जोखिम के संबंध में पूरी फर्म का एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को विभिन्न कारोबारों के बीच जो संगठनात्मक अलगाव है उसे पार करना होगा और बाजार गतिविधियों, जोखिम तथा जोखिम को कम करने की तकनीकों के बार में सूचनाओं /जानकारी को बांटना होगा। जैसे-जैसे बैंकिंग  उद्योग बाजार आधारित मध्यस्थता की ओर अधिकाधिक बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शा रहा है, इस बात की संभाव्यता अधिक है कि किसी बैंक के कई क्षेत्रों से संबंधित उत्पाद, जोखिम तत्व अथवा काउंटरपार्टियां एक ही हो। वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को एक ऐसी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए जो ऋण, बाजार, चलनिधि तथा परिचालनात्मक जोखिमों तक सीमित नहीं है बल्कि जिसमें सभी भौतिक/महत्वपूर्ण जोखिमों को शामिल किया गया है। इनमें प्रतिष्ठात्मक, विधि तथा कार्यनीति संबंधी जोखिमों सहित वे जोखिम भी शामिल हैं जो कि अकेले अथवा अलग से इतने महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं  होते लेकिन जो अन्य जोखिमों के साथ मिलकर बहुत हानि पहुंचा सकते हैं।

निदेशक बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधतंत्र के पास सभी प्रमुख कारोबार क्षेत्रों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि समुचित नीतियां, नियंत्रण तथा जोखिम निगरानी प्रणालियां प्रभावी हैं। उनके पास बैंक जिन पूंजी बाजार कार्यकलापों में सक्रिय है - जैसे प्रतिभूतीकरण तथा तुलनपत्रेतर कार्यकलाप - उन्हें तथा उनसे संबद्ध जोखिमों को समझने के लिए अपेक्षित निपुणता होनी चाहिए। जैसे-जैसे वित्तीय बाजार, जोखिम प्रबंधन प्रथाएं तथा बैंक के कार्यकलाप विकसित होते है वैसे ही बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को निरंतर आधार पर इन जोखिमों के बारे में ज्ञान हासिल करते रहना चाहिए। इसके अलावा बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जवाबदेही तथा अधिकार के क्रम को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। नए अथवा जटिल उत्पादों तथा कार्यकलापों के संबंध में वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को व्यवसाय मॉडेल्स, मूल्यांकन तथा जोखिम प्रबंधन प्रथाओं से संबंधित आधारभूत धारणाओं को समझना चाहिए।  इसके अलावा, वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को, उन धारणाओं के असफल हो जाने की स्थिति में संभाव्य जोखिम एक्सपोज़र का मूल्यांकन करना चाहिए।  नए

कार्यकलाप शुरू करने अथवा जो संस्था के लिए नए हैं ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने से पहले बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को इन संभाव्य नए उत्पादों अथवा कार्यकलापों से पूरी फर्म के जोखिमों में होने वाले परिवर्तनों का निर्धारण तथा समीक्षा करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित जोखिमों के प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं तथा आंतरिक नियंत्रण स्थापित हैं। इस समीक्षा में बैंक को नए उत्पादों के मूल्यन में संभाव्य कठिनाईयों तथा दबावपूर्ण आर्थिक परिवेश में उनके कार्यनिष्पादन की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। बोर्ड को सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक का वरिष्ठ प्रबंधतंत्र निम्नलिखित कार्य करता है :

(i) बैंक के विभिन्न जोखिम एक्सपोज़रों के मूल्यांकन तथा समुचित प्रबंधन के लिए एक जोखिम ढांचा स्थापित करता है ;

(ii) बैंक के जोखिम एक्सपोज़रों की निगरानी करने तथा बैंक की पूंजी तथा आरक्षित निधियों की तुलना में उसका विचार करने के लिए एक प्रणाली विकसित करता है;

(iii) बैंक की आंतरिक नीतियों विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन के अनुपालन की निगरानी करने के लिए एक पद्धति स्थापित करता है; तथा

(iv) सभी संबंधित नीतियों तथा क्रियाविधियों को पूरे बैंक में प्रभावी रूप से संप्रेषित करता है।

बैंक का जोखिम कार्य तथा उसके मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) अथवा उसके समकक्ष पद को विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों से अलग होना चाहिए और वह मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ प्रबंध निदेशक तथा संस्था के निदेशक बोर्ड के पास सीधे रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा, जोखिम कार्य में उनको वरिष्ठ प्रबंधतंत्र तथा बोर्ड को जोखिम प्रबंधन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे जोखिम संकेंद्रीकरण तथा जोखिम प्रवृत्ति की सीमाओं के उल्लंघनों को विशिष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहिए।

12.3.3.4 नीतियां, क्रियाविधियां, सीमाएं तथा नियंत्रण

बैंक की आइसीएएपी की रचना, स्वरूप तथा विषय-वस्तु निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आइसीएएपी बैंक की प्रबंधन प्रक्रिया तथा निर्णय लेने की संस्कृति का एक अविभाज्य भाग है। पूरी फर्म के लिए तैयार किए गए जोखिम प्रबंधन कार्यक्रमों में ऐसी विस्तृत नीतियां शामिल होनी चाहिए जिनमें बैंक के कार्यकलापों से संबंधित मुख्य जोखिमों पर पूरी फर्म के लिए विशिष्ट विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गई हों। बैंक नीतियों तथा क्रियाविधियों को व्यवसाय संबंधी विस्तृत कार्यनीतियों के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए और जहां उचित हो वहां बैंक को जिन विभिन्न प्रकार के जोखिम हो सकते है उनके लिए आंतरिक सीमाएं भी स्थापित करनी चाहिए। इन सीमाओं को वित्तीय प्रणाली में बैंक की भूमिका को विचार

में लेना चाहिए तथा बैंक की पूंजी, कुल आस्तियों, अर्जन अथवा जहां पर्याप्त उपाय विद्यमान हैं, वहां उसके समग्र जोखिम स्तर के अनुरूप निर्धारित की जानी चाहिए।

बैंक की नीतियों, क्रियाविधियों तथा सीमाओं को :

- अलग-अलग व्यवसाय क्षेत्र तथा पूरी फर्म के स्तर पर बैंक के उधार देने, निवेश करने, खरीद-बिक्री, प्रतिभूतीकरण, तुलनपत्रेतर, न्यासी तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के कारण संभाव्य जोखिमों के पर्याप्त तथा सामयिक निर्धारण, मापन, निगरानी, नियंत्रण तथा न्यूनीकरण के लिए प्रावधान करना चाहिए;
- यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक के जोखिम एक्सपोज़रों के आर्थिक पहलू जिसमें प्रतिष्ठात्मक जोखिम तथा मूल्यन अनिश्चितता शामिल है को पूर्णतः निर्धारित किया गया है और बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में शामिल किया गया है;
- बैंक के कथित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों तथा उसकी समग्र वित्तीय क्षमता/शक्ति के अनुरूप होना चाहिए ;
- बैंक के विभिन्न व्यावसायिक काय्रकलापों के बीच जवाबदेही तथा प्राधिकार के क्रम को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवसाय क्षेत्रों तथा जोखिम संबंधी कार्य के बीच स्पष्ट अलगाव है।
- आंतरिक पोजीशन की सीमाओं को बढ़ाना तथा उनके उल्लंघन पर विचार करना चाहिए ;
- सभी संबंधित जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण तथा व्यवसाय क्षेत्रों को साथ लाकर नए व्यवसायों तथा उत्पादों की समीक्षा का प्रावधान करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि किसी कार्यकलाप को प्रारंभ करने से पूर्व बैंक उसके प्रबंधन तथा नियंत्रण के लिए सक्षम है; तथा
- नीतियों, क्रियाविधियों तथा सीमाओं की समीक्षा करने तथा उन्हें उचित रूप से अद्यतन करने के लिए एक कार्यक्रम तथा प्रक्रिया शामिल करनी चाहिए।

12.3.3.5 जोखिम का निर्धारण, मापन, निगरानी तथा रिपोर्टिंग

(i) बैंक की प्रबंधन सूचना प्रणाली को बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को अपनी संस्थाओं के जोखिम प्रोफाइल के बारे में समयोचित तथा संबंधित सूचना स्पष्ट तथा संक्षिप्त रूप से प्रदान करनी चाहिए। इस सूचना में सभी जोखिम एक्सपोजरों सहित तुलनपत्रेतर जोखिम एक्सपोजरों को भी शामिल किया जाना चाहिए। प्रबंधतंत्र को विशिष्ट जोखिम उपायों की आधारभूत धारणाएं तथा उनमें निहित सीमाओं को समझना चाहिए।

(ii) जोखिमों के एकत्रीकरण के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व हैं एक समुचित संरचना तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली जिसमें (i) सभी व्यवसाय क्षेत्रों में अपेक्षित एक्सपोज़रों तथा जोखिम उपायों के एकत्रीकरण पर विचार किया गया है तथा (ii) जो संकेंद्रीकरणों तथा उभरते जोखिमों के कस्टमाइज्ड निर्धारण का समर्थन करती है। इस उद्देश्य को

प्राप्त करने के लिए विकसित की गई प्रबंधन सूचना प्रणाली को संपूर्ण वित्तीय संस्था पर असर करने वाले विभिन्न प्रकार के आर्थिक तथा वित्तीय आघातों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की क्षमता का समर्थन करना चाहिए। इसके अलावा, विभिन्न संबंधित आधारभूत जोखिमों को ध्यान में लेते समय पूरी फर्म के आधार पर की जाने वाली हेजिंग तथा अन्य जोखिम न्यूनीकरण कार्रवाइयों को सम्मिलित करने के लिए बैंक की प्रणालियों को लचीला होना चाहिए।

(iii) जोखिम के सक्रिय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रबंधन सूचना प्रणाली में बैंक के सकल जोखिम प्रोफाइल तथा जोखिम एकत्रीकरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रमुख धारणाओं पर नियमित, सही तथा समयोचित सूचना देने की क्षमता है। प्रबंधन सूचना प्रणाली को बैंक की आधारभूत जोखिम संबंधी धारणाओं में हुए परिवर्तनों को अपनाने के प्रति अनुकूल तथा प्रतिक्रियाशील होना चाहिए तथा उसमें जोखिम मापन में अनिश्चितताओं को ध्यान में रखने के लिए जोखिम एक्सपोज़र के विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उसे पर्याप्त रूप से लचीला होना चाहिए ताकि संस्था पूरे बैंक के लिए प्रगामी सिनॅरियो विश्लेषण कर सकती है जिसमें उभरती हुई बाजार परिस्थितियों तथा दबाव की स्थितियों से संबंधित प्रबंधतंत्र की व्याख्या स्पष्टतः व्यक्त होती हो। अन्य पक्ष की निविष्टियों अथवा प्रबंधन सूचना प्रणाली में प्रयोग में लाए गए अन्य साधनों (उदा. क्रेडिट रेटिंग, जोखिम उपाय, मॉडेल्स) का प्रारंभिक तथा निरंतर वैधीकरण किया जाना चाहिए।

(iv) बैंक की प्रबंधन सूचना प्रणाली में सीमाओं के उल्लंघन को पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए और ऐसी क्रियाविधियां स्थापित होनी चाहिए जो कि ऐसे उल्लंघनों के बारे में वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को तुरंत रिपोर्ट करती हैं तथा यह सुनिश्चित भी करती हैं कि समुचित अनुवर्ती कार्रवाईयां की जाती हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों में समान एक्सपोज़रों (बैंकिंग तथा खरीद-बिक्री बहीयों सहित) को यह निर्धारित करने के लिए एकत्रित किया जाना चाहिए कि आंतरिक पोजीशन सीमा में संकेंद्रीकरण हुआ है अथवा उल्लंघन।

12.3.3.6 आंतरिक नियंत्रण

जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की स्वतंत्र नियंत्रण क्षेत्रों तथा आंतरिक तथा बाहरी लेखा-परीक्षकों द्वारा लगातार निगरानी तथा जांच की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि जिस सूचना के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं वह सही है ताकि प्रक्रियाओं में प्रबंधतंत्र की नीतियों को पूर्णतः

दर्शाया गया है और यह कि नियमित रिपोर्टिंग, जिसमें सीमाओं के उल्लंघन की रिपार्टिंग तथा अन्य अपवाद-आधारित रिपोर्टिंग, प्रभावी रूप से की जाती है। बैंकों का जोखिम प्रबंधन का कार्य व्यवसाय क्षेत्रों से अलग होना चाहिए ताकि दायित्वों का पर्याप्त पृथकीकरण सुनिश्चित हो और हितों के टकराव से बचा जा सके।

चूंकि एक स्वस्थ जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए आधार देती है कि बैंक पर्याप्त पूंजी बनाए रखता है इसलिए बैंक का निदेशक बोर्ड जोखिम सहनशीलता का स्तर निर्धारित करेगा।

12.3.3.7 आइसीएएपी के परिणाम के संबंध में बोर्ड और रिज़र्व बैंक को सूचित करना

चूंकि आइसीएएपी एक निरंतर प्रक्रिया है, अतः आइसीएएपी के परिणाम का एक लिखित अभिलेख बैंकों द्वारा आवधिक रूप से अपने निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपनी पूंजी पर्याप्तता के आंतरिक मूल्यांकन के ऐसे लिखित अभिलेख के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, पहचान किए गए जोखिम, इन जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन का तरीका, बैंक की पूंजी स्थिति पर बैंक के बदलते जोखिम प्रोफाइल का प्रभाव, किए गए दबाव परीक्षण /परिदृश्य विश्लेषण के ब्यौरे तथा इसके परिणामस्वरूप पूंजी अपेक्षाएँ शामिल होनी चाहिए। रिपोर्टें काफी विस्तृत होनी चाहिए ताकि निदेशक मंडल  महत्वपूर्ण जोखिम एक्सपोज़र के स्तर और उसकी प्रवृत्ति का मूल्यांकन कर सके, यह देख सके कि बैंक जोखिम एक्सपोज़र के लिए पर्याप्त पूंजी बनाए रख रहा है या नहीं तथा यदि अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी वृद्धि की क्या योजना है। निदेशक मंडल से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह रणनीतिगत योजना में यथावश्यक सामयिक फेर बदल करे।

बोर्ड को प्रस्तुत तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित आइसीएएपी के परिणाम के आधार पर, **अनुबंध 15** में दिए गए फार्मेट में आइसीएएपी दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक (अर्थात् प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विश्व व्यापार केंद्र, सेंटर 1, कोलाबा, कफ परेड, मुंबई - 400 005) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संबंधित वित्त-वर्ष के लिए उक्त दस्तावेज अधिकतम पहली तिमाही (अर्थात् अप्रैल-जून) के अंत तक भारतीय रिज़र्व बैंक को अवश्य पहुंच जाना चाहिए।

12.4 **आइसीएएपी परिणामों की समीक्षा**

निदेशक मंडल वर्ष में कम-से-कम एक बार इस तथ्य का मूल्यांकन करेगा और उसे लिपिबद्ध करेगा कि बैंक द्वारा कार्यान्वित आइसीएएपी प्रक्रिया बोर्ड द्वारा परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त कर रही है अथवा नहीं। वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को प्रमुख मान्यताओं/पूर्व धारणाओं की संवेदनशीलता का मूल्यांकन करने तथा बैंक की अनुमानित भावी पूंजी अपेक्षाओं की वैधता का मूल्यांकन करने के लिए नियमित रूप से रिपोर्टें मंगानी चाहिए और उनकी समीक्षा करनी चाहिए। ऐसे मूल्यांकन के आधार पर

आइसीएएपी में समुचित परिवर्तन लाया जाना चाहिए ताकि अंतर्निहित उद्देश्य प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सके।

## 12.5 आइसीएएपी प्रबंधन और निर्णय लेने की संस्कृति का अभिन्न अंग होगा

आइसीएएपी बैंक के प्रबंधन और निर्णय लेने की संस्कृति का एक अभिन्न (एकीकृत) अंग होगा। आइसीएएपी का यह एकीकरण विभिन्न कारोबारी इकाइयों के बीच पूंजी के आंतरिक वितरण में आइसीएएपी का उपयोग करते हुए किया जा सकता है अथवा अलग-अलग ऋण निर्णय प्रक्रिया में , उत्पादों के मूल्य निर्धारण में या अधिक सामान्य कारोबारी निर्णय, यथा, विस्तार योजना और बजट में आइसीएएपी को भूमिका देकर किया जा सकता है। एकीकरण का तात्पर्य यह भी होगा कि आइसीएएपी से बैंक का प्रबंधतंत्र निरंतर आधार पर उन जोखिमों का मूल्यांकन कर पायेगा जो उनकी गतिविधियों में अंतर्निहित हैं तथा संस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।

## 12.6 समानुपातिकता का सिद्धांत

आइसीएएपी का कार्यान्वयन समानुपातिकता के सिद्धांत से प्रेरित होना चाहिए। यद्यपि, बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि अपने आइसीएएपी की रचना करते समय उत्तरोत्तर रूप से अधिक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाएँ, तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक यह आशा रखता है कि आइसीएएपी में जोखिम की माप और प्रबंधन के संबंध में अपनाए गए आधुनिकीकरण का स्तर बैंक के कारोबारी परिचालनों की जटिलता की प्रकृति, व्याप्ति, परिमाण और स्तर के अनुरूप होगा। निम्न पैराग्राफों में उस व्यापक दृष्टिकोण के **उदाहरण** दिए गए हैं जिस पर परिचालनों की जटिलता के भिन्न-भिन्न स्तर वाले बैंक अपने आइसीएएपी की रचना करते समय विचार कर सकते हैं -

**(क)** जो बैंक अपनी गतिविधियों और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को `**सरल'** मानता है, वह अपने आइसीएएपी का परिचालन करते समय -

क) पिछले 3 से 5 वर्षों के दौरान बैंक की अधिकतम हानि की पहचान कर सकता है और उस पर विचार कर सकता है कि क्या उसे पुनः घटित होने की आशंका है।

ख) बैंक के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जोखिमों की एक छोटी सूची तैयार कर सकता है।

ग) इस बात पर विचार कर सकता है कि यदि पहचाने गये जोखिमों में से प्रत्येक जोखिम घटित हो जाए तो बैंक कैसे कार्रवाई करेगा तथा कितनी पूंजी समाविष्ट हो जाएगी।

घ) इस बात पर विचार कर सकता है कि यदि (ग) में वर्णित परिस्थति उत्पन्न हो तो बैंक की पूंजी अपेक्षा कैसे बदलेगी तथा अगले 3 से 5 वर्षों के दौरान बैंक की कारोबारी योजना के अनुसार उसकी पूंजी अपेक्षा कैसे बदलेगी; और

ङ) ऊपर निर्दिष्ट परिदृश्य में अपेक्षित पूंजी का दायरा अंकित कर सकता है तथा उस बैंक को कितनी और किस प्रकार की पूंजी रखनी चाहिए इस बारे में एक परिपूर्ण दृष्टिकोण बना सकता है तथा ऐसा करते समय यह सुनिश्चित कर सकता है कि बैंक का वरिष्ठ प्रबंध तंत्र इस प्रक्रिया में शामिल है।

**(ख)** जब कोई बैंक अपनी गतिविधियों और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को **कुछ हद तक जटिल** मानता है, तब वह बैंक अपने आइसीएएपी का संचालन करते समय :

क) प्रत्येक प्रमुख कारोबार में परिचालन प्रबंधन से परामर्श कर कारोबार के प्रमुख जोखिमों की एक परिपूर्ण सूची तैयार कर सकता है।

ख) उपर्युक्त जोखिमों में से प्रत्येक में से संभावित हानि के दायरे और वितरण का अनुमान उपलब्ध ऐतिहासिक आँकड़ों के आधार पर कर सकता है तथा जोखिम अनुमान प्रदान करने के लिए आघात दबाव परीक्षण (शाक स्ट्रेस टेस्ट) करने पर विचार कर सकता है।

ग) इस बात पर विचार कर सकता है कि बैंक की पूंजी अपेक्षा किस सीमा तक ऊपर (क) और (ख) में निर्दिष्ट जोखिमों को व्यक्त करती है।

घ) उन क्षेत्रों में जिनमें पूंजी अपेक्षा अपर्याप्त है अथवा जोखिम के अनुरूप नहीं है, जोखिम कम करने के लिए बैंक द्वारा की जाने वाली अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त बैंक और उसके ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पूंजी का अनुमान कर सकता है।

ङ) इस जोखिम पर विचार कर सकता है कि पूंजी पर्याप्तता का बैंक का अपना विश्लेषण गलत हो सकता है तथा बैंक प्रबंधन की दुर्बलता से भी ग्रस्त हो सकता है जो उसके जोखिम प्रबंधन और जोखिम कम करने की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है।

च) उस बैंक की कारोबारी गतिविधियों का एक वर्ष बाद का विस्तृत अनुमान तथा अगले 3 से 5 वर्ष में कारोबारी गतिविधियों का थोड़ा कम विस्तृत अनुमान कर सकता है तथा यह मानते हुए कि कारोबार में आशा के अनुरूप वृद्धि होगी इस

तथ्य का आकलन कर सकता है कि बैंक की पूंजी और पूंजी अपेक्षा में क्या परिवर्तन होगा।

छ) यह मानते हुए कि कारोबार में आशानुरूप वृद्धि नहीं होती है, इस बात पर विचार कर सकता है कि बैंक की पूंजी और पूंजी अपेक्षा में क्या परिवर्तन होगा तथा अनेक प्रकार के प्रतिकूल आर्थिक परिदृश्यों में बैंक की प्रतिक्रिया क्या होगी।

ज) उपर्युक्त (ख) (घ) (च) और (छ) में किए गए विश्लेषणों से प्राप्त परिणामों का बैंक के शीर्ष प्रबंधतंत्र/ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट में लिपिबद्ध कर सकता है।

झ) यह सुनिश्चित कर सकता है कि कार्यनिष्पादन /वास्तविक स्थिति की तुलना में (ख) (घ) (च) और (छ) में किए गए अनुमानों की शुद्धता की समीक्षा करने के लिए प्रणाली और प्रक्रियाएँ सुस्थापित हैं।

**(ग)** ऐसा बैंक, जो अपनी गतिविधियों और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को **जटिल** मानता है, अपनी आइसीएएपी के संचालन में बैंक के आइसीएएपी के प्रति समानुपातिक दृष्टिकोण अपना सकता है। इसमें उपर्युक्त पैरा (**ख**) के (क) से (घ) तक उल्लिखित मुद्दों को शामिल किया जा सकता है, परंतु इसमें मॉडलों का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिनमें से अधिकांश को बैंक के दिनानुदिन प्रबंधन और परिचालन में एकीकृत किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रकार के मॉडल आपस में जुड़े हो सकते हैं ताकि बैंक अपनी कारोबारी आवश्यकताओं के लिए पूंजी की जिस राशि को उपयुक्त समझता है उसका एक समग्र अनुमान प्राप्त हो सके। कोई बैंक ऐसे मॉडलों को इसलिए भी आपस में जोड़ सकता है ताकि बैंक के लिए वांछनीय आर्थिक पूंजी के संबंध में सूचना प्राप्त हो सके। ऐसा मॉडल जिसका प्रयोग बैंक अपनी आर्थिक पूंजी की लक्ष्य राशि प्राप्त करने के लिए करता है, आर्थिक पूंजी मॉडल (इसीएम) कहलाता है। आर्थिक पूंजी, पूंजी की वह लक्ष्य राशि है जो जोखिम के वांछित स्तर पर बैंक के हितधारकों के प्रतिफल को इष्टतम बनाता है। उदाहरण के लिए कोई बैंक बाजार जोखिम के लिए जोखिम-पर-मूल्य (वीएआर) मॉडल, ऋण जोखिम के लिए उन्नत मॉडलिंग दृष्टिकोण और संभवतः परिचालन जोखिम के लिए उन्नत माप दृष्टिकोण का प्रयोग कर सकता है। कोई बैंक अपने कारोबारी भविष्यवाणी और जोखिम के स्टोकैस्टिक मॉडल तैयार करने के लिए आर्थिक परिदृश्य जेनरेटरों का भी प्रयोग कर सकता है। तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक अभी बासल II ढाँचे में परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोणों की अनुमति नहीं देता है तथा बैंकों को उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।

यह भी संभावना है कि ऐसा बैंक किसी समूह का अंग हो तथा अंतरराष्ट्रीय रूप से परिचालन कर रहा हो। इस स्थिति में समूह भर में प्रयुक्त मॉडलों, उनकी पूर्वधारणाओं और उनके समग्र मापांकन पर केंद्रीकृत नियंत्रण हो सकता है।

**12.7 नियमित स्वतंत्र समीक्षा और वैधीकरण**

आइसीएएपी की आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से नियमित और स्वतंत्र समीक्षा होनी चाहिए, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित एसआरईपी से अलग होगी। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि आइसीएएपी बैंक की गतिविधियों की प्रवृत्ति, व्याप्ति, पैमाने और जटिलता के स्तर के समानुपातिक हो और परिपूर्ण हो ताकि वह बैंक के जोखिम के प्रमुख स्रोतों को सही-सही प्रतिबिम्बित कर सके। आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ बैंक के निरंतर अनुपालन की निगरानी करने के लिए बैंक समुचित एवं प्रभावी आंतरिक नियंत्रण संरचना, खासकर जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया से संबद्ध संरचना सुनिश्चित करेगा। कम से कम बैंक अपनी जोखिम प्रबंध प्रक्रियाओं की आवधिक समीक्षा करेगा, जिसमें निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाना चाहिए :

क) प्रक्रिया की अखंडता, परिशुद्धता और संगतता;

ख) बैंक की गतिविधियों की प्रवृत्ति, व्याप्ति, पैमाना और जटिलता के आधार पर बैंक की पूंजी मूल्यांकन प्रक्रिया की उपयुक्तता;

ग) यदि कोई संकेन्द्रण जोखिम हो तो उसकी सामायिक पहचान;

घ) बैंक की पूंजी मूल्यांकन प्रक्रिया में `डाटा इनपुट' की परिशुद्धता और पूर्णता;

ङ) पूंजी मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रयुक्त पूर्वधारणाओं और परिदृश्यों की तार्किकता और वैधता;

च) कि बैंक समुचित दबाव परीक्षण करता है।

**12.8 आइसीएएपी एक भविष्यमुखी प्रक्रिया होगी**

आइसीएएपी की प्रकृति भविष्यमुखी होनी चाहिए और इसलिए इसमें प्रत्याशित/अनुमानित भावी गतिविधियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उदाहरण के लिए रणनीतिगत योजना, समष्टि आर्थिक घटक आदि, जिसमें पूंजी की उपलब्धता और उपयोग में संभावित भावी दबाव शामिल हैं। बैंक का प्रबंधनतंत्र कम से कम एक उपयुक्त रणनीति विकसित करेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक अपने तुलनपत्र और तुलनपत्रेतर गतिविधियों की प्रकृति, व्याप्ति, पैमाना और जटिलता तथा उनमें अंतर्निहित जोखिमों के अनुरूप पर्याप्त पूंजी रखता है। प्रबंधतंत्र को यह सिद्ध करना चाहिए कि उक्त रणनीति किस प्रकार समष्टि आर्थिक घटकों के लिए उपयुक्त है।

इस प्रकार, बैंकों के पास एक स्पष्ट बोर्ड-अनुमोदित पूंजी योजना होगी जिसमें पूंजी के स्तर के संबंध में संस्था के उद्देश्य, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समय-सीमा तथा मोटे तौर पर पूंजी

आयोजना प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के अंतर्गत दायित्व का आबंटन होगा। इस योजना में निम्नलिखित रूपरेखा होगी :

**12.9 आइसीएएपी एक जोखिम आधारित प्रक्रिया होगी**

बैंक की पूंजी पर्याप्तता उसके जोखिम प्रोफाइल का कार्य है। अतः बैंक अपने पूंजी लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित करेंगे ताकि वे उनके जोखिम प्रोफाइल और परिचालन संबंधी वातावरण के अनुरूप हों। कम-से-कम बैंक के पास एक सुदृढ़ आइसीएएपी होना चाहिए जिसमें बैंक के सभी **महत्वपूर्ण** जोखिम एक्सपोज़र शामिल होंगे। कुछ प्रकार के जोखिमों (यथा प्रतिष्ठा जोखिम और रणनीतिगत जोखिम) को आसानी से मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सकता। ऐसे जोखिमों के लिए आइसीएएपी के अंतर्गत मात्रात्मक रूप देने के बजाय उनके गुणात्मक मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन और जोखिम कम करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। बैंकों के आइसीएएपी दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए कि किन जोखिमों के लिए मात्रात्मक माप आवश्यक समझी गयी तथा किन जोखिमों के लिए गुणात्मक माप को सही माना गया है।

**12.10 आइसीएएपी के अंतर्गत दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण शामिल होगा**

आइसीएएपी के एक अंग के रूप में बैंक का प्रबंध तंत्र कम-से-कम संबंधित दबाव परीक्षण आवधिक रूप से संचालित करेगा, खासकर बैंक के महत्वपूर्ण जोखिम एक्सपोज़रों के संबंध में। इसका उद्देश्य बैंक पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकने वाली किसी असंभावित परंतु विश्वसनीय घटनाओं अथवा बाजार परिस्थितियों में परिवर्तन के प्रति बैंक की संभावित संवेदनशीलता का मूल्यांकन करना है। दबाव परीक्षण ढांचे के प्रयोग से बैंक के प्रबंधन को संकट की परिस्थितियों में बैंक के संभावित एक्सपोज़र के संबंध में बेहतर समझ मिल सकती है। इस संदर्भ में दबाव परीक्षण पर 26 जून 2007 तथा 02 दिसंबर 2013 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्रमश: बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 101/21.04.103/2006-07 तथा बीपी. बीसी. 75/21.04.103/2013-14 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है। बैंकों से अनुरोध किया जाता है कि वे विनिर्दिष्ट तारीख तक एक उपयुक्त औपचारिक दबाव परीक्षण ढांचे को, जो बैंकों के आइसीएएपी के अंतर्गत दबाव परीक्षण अपेक्षाओं के भी अनुरूप होगा, लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठायें।

**12.11 आइसीएएपी के लिए पूंजी मॉडलों का प्रयोग**

यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों से यह आशा नहीं करता कि बैंक अपनी पूंजी आवश्यकताओं के आंतरिक मूल्यांकन के लिए जटिल और अत्याधुनिक अर्थमिति मॉडलों का प्रयोग करें तथा ऐसे मॉडल अपनाने की कोई भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अपेक्षा नहीं है, तथापि 07 अक्तूबर 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी (एससी) बीसी. 98/21.04.03/99 के पैराग्राफ 17 के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी वाले बैंकों से यह अपेक्षा की गयी थी कि वे आर्थिक पूंजी का अनुमान करने

और उसे बनाये रखने के लिए 31 मार्च 2001 तक उपयुक्त कार्यविधि विकसित करें। तथापि, कुछ ऐसे बैंक जिनके अपेक्षाकृत जटिल परिचालन हैं और जो इस संबंध में पर्याप्त रूप से तैयार हैं, अपने आइसीएएपी के अंग के रूप में ऐसे मॉडलों पर निर्भर रहना चाहेंगे। हालांकि किसी बैंक द्वारा अपने पूंजी मॉडल विकसित करने का कोई एक निर्धारित तरीका नहीं है, तथापि आइसीएएपी का मॉडल आधारित दृष्टिकोण अपनाने वाले बैंक को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित दर्शाना चाहिए -

क) सुप्रलेखित मॉडल विनिर्देशन, जिसमें मॉडल की क्रियाविधि, मेकेनिक्स और पूर्वधारणाएं, जो मॉडल की कार्य प्रणाली के मूल में हैं, शामिल होनी चाहिए;

ख) मॉडल में ऐतिहासिक आंकड़ों पर निर्भरता की सीमा तथा वास्तविक परिणाम की तुलना में मॉडल के परिणामों की वैधता का मूल्यांकन करने के लिए `बैक टेस्टिंग' की प्रणाली;

ग) मॉडल के इनपुट और आउटपुट की स्वतंत्र जांच के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली;

घ) मॉडल के दबाव परीक्षण की एक प्रणाली जो यह स्थापित करने के लिए है कि मॉडल कठिन स्थितियों/मान्यताओं के अंतर्गत भी वैध है;

ड.) मॉडल के आउटपुट पर किया गया विश्वास तथा बैंक की कारोबारी रणनीति के साथ उसका संबंध;

च) मॉडल को संचालित करने, उसे बनाए रखने और विकसित करने के लिए बैंकों के भीतर अपेक्षित दक्षता और संसाधनों की पर्याप्तता।

## 13. आइसीएएपी के चुनिंदा परिचालनात्मक पहलू

इस खंड में उन जोखिमों की अपेक्षाकृत विस्तृत रूपरेखा दी गयी है, जिनके संबंध में बैंकों से अपेक्षा है कि वे अपने आइसीएएपी में उन्हें शामिल करेंगे।

### 13.1 आइसीएएपी में महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान और उनकी माप

(i) किसी आइसीएएपी का पहला उद्देश्य सभी महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान करना है। जिन जोखिमों की विश्वनीय तरीके से माप की जा सकती हो तथा जिन्हें मात्रात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, उनके संबंध में आँकड़े और विधि के आधार पर यथोचित कार्रवाई करनी चाहिए। इन महत्वपूर्ण जोखिमों की माप और मात्रा के संबंधित उपयुक्त साधन और विधि भिन्न-भिन्न बैंकों में भिन्न-भिन्न होने की संभावना है।

(ii) बैंकों के समक्ष जो जोखिम हैं उनमें से कुछ हैं : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम, ऋण संकेंद्रण जोखिम और चलनिधि जोखिम (जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है)। भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों को आस्ति देयता प्रबंधन, देश विशेष जोखिम का प्रबंधन, ऋण जोखिम, परिचालन जोखिम आदि के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। अतः, आइसीएएपी सहित बैंकिंग की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। तथापि, कुछ अन्य प्रकार के जोखिम, जैसे प्रतिष्ठा जोखिम और कारोबार या रणनीतिगत जोखिम, बैंक के लिए उतने ही महत्व के हो सकते हैं। ऐसे मामलों में उन पर उसी प्रकार विचार किया जाना चाहिए जैसे अधिक औपचारिक रूप से परिभाषित जोखिमों पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई बैंक ऐसे कारोबारों में लगा हुआ हो जिनकी गतिविधियों के स्तर में समय-समय पर होने वाले उतार-चढ़ाव तथा अपेक्षाकृत उच्च अचल लागत के कारण अप्रत्याशित हानि उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है जिसके लिए पर्याप्त पूंजी का समर्थन होना चाहिए। इसके अलावा, कोई बैंक महत्वपूर्ण नीतिगत गतिविधियों (यथा कारोबार क्षेत्र को बढ़ाना या अभिग्रहण करना) में लगा हो सकता है, जो महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न कर सकता है और जिसके लिए अतिरिक्त पूंजी उपयुक्त होगी।

(iii) इसके अलावा, यदि बैंक जोखिम को कम करने की तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें उस जोखिम को समझना चाहिए जिसे वे कम करना चाहते हैं तथा उन तकनीकों की प्रवर्तनीयता और प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर जोखिम कम करने के संभावित प्रभाव को समझना चाहिए।

13.2 **ऋण जोखिम**[93] :

13.2.1 बैंकों के पास ऐसी पद्धतियां होनी चाहिए ताकि वे अलग-अलग उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षकारों के एक्सपोजरों के साथ -साथ पोर्टफोलियो स्तर पर क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन करने में सक्षम हो सकें। बैंकों को विशेष रूप से क्रेडिट जोखिम संकेंद्रणों पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके प्रभावों का उचित मूल्यांकन किया गया है। इसमें एक्स्पोजरों के बीच विभिन्न प्रकार की निर्भरता पर विचार करना, चरम परिणामों वाले क्रेडिट जोखिम प्रभावों को सम्मिलित करना, पोर्टफोलियो एवं एक्स्पोजर व्यवहारों के बारे में बनाई गई धारणाओं पर दबावपूर्ण घटनाओं और आघातों को शामिल करना चाहिए। बैंकों को कम तरलता वाले बाजारों में व्यापार करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम सहित, प्रतिपक्ष क्रेडिट एक्सपोजरों में

[93] भारत में बासल III पूंजी विनियमावली के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देशों पर दिनांक 02 मई 2012 के बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 98/21.06.201/2011-12 का अनुबंध 3 ।

संकेंद्रणों का भी मूल्यांकन तथा बैंक की पूंजी पर्याप्तता पर इनके संभावित प्रभावों का निर्धारण ध्यापनपूर्वक करना चाहिए।

13.2.2 एक्सपोजरों को रेट किया गया हो या नहीं[94], इस पर ध्यान न देते हुए बैंकों को उनका मूल्यांकन करना चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऐसे एक्सपोजरों पर लगाए गए जोखिम भार अपने अंतर्निहित जोखिम के लिए उचित हैं अथवा नहीं। ऐसे मामलों में, जिनमें बैंक निर्धारित करता है कि ऐसे एक्सपोजर का अंतर्निहित जोखिम, विशेषतः यदि इसको रेट न किया गया हो, उस जोखिम भार से जो इसे प्रदान किया गया हो, काफी अधिक हो, तो बैंक को इसकी समस्ता पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन में क्रेडिट जोखिम की उच्चतर श्रेणी को स्वीकार करना चाहिए। अधिक आधुनिक बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता की क्रेडिट समीक्षा मूल्यांकन के दायरे में न्यूनतम चार क्षेत्र आने चाहिएः जोखिम रेटिंग प्रणालियाँ, पोर्टफोलियो विश्लेषण/एकीकरण, प्रतिभूतीकरण/जटिल क्रेडिट डेरिवेटिव तथा दीर्घ एक्सपोजर एवं जोखिम संकेंद्रण।

13.2.3 प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम (सीसीआर)

(i) बैंक के पास ऐसी प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम प्रबंधन नीतियां, प्रक्रियाएं और प्रणालियां अवश्य होनी चाहिए जो अवधारणात्मक रूप से मजबूत हों तथा जिन्हें प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम को उत्पन्न करने वाले एक्सपोजरों की बैंक की धारिता की जटिलता के अनुरूप कार्यान्वित किया जाता है। मजबूत प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम प्रबंधन ढांचे में सीसीआर की पहचान, मापन, प्रबंधन, अनुमोदन तथा आंतरिक रिपोर्टिंग करना शामिल होंगे।

(ii) बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों में सीसीआर से जोड़ी जा सकने वाली बाजार, चलनिधि, विधिक तथा परिचालनात्मक जोखिमों तथा जहां तक व्यवहार्य हो, इन जोखिमों के बीच अंतरसंबंधों को ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिए। बैंक को किसी प्रतिपक्षकार के साथ उसकी ऋण पात्रता का मूल्यांकन किए बिना कारोबार नहीं करना चाहिए तथा निपटान और निपटान-पूर्व, दोनों ऋण जोखिमों का सम्यक ध्यान रखना चाहिए। इन जोखिमों का प्रबंधन यथासंभव उतने व्या\पक रूप में किया जाना चाहिए जितना प्रतिपक्षकार स्तर पर (प्रतिपक्षकार एक्स्पोजरों को अन्य क्रेडिट एक्सपोजरों से मिलाकर) तथा पूरी संस्था के स्तर पर व्यवहार्य हो।

(iii) सीसीआर नियंत्रण प्रक्रिया में निदेशक बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंध तंत्र का सक्रिय सहभाग होना चाहिए तथा इसे कारोबार के ऐसे अहम पहलू के रूप में देखा जाना चाहिए जिसमें

[94] ऐसे मामलों में बैंकों के लिए बाह्य रेटिंग पैमाने के अनुसार मूल्यन के प्रयोजन से उनके आंतरिक ऋण रेटिंग/ एक्सपोजर की श्रेणियों की मैपिंग करके अनरेटेड एक्सपोजरों की काल्पनिक बाह्य रेटिंग निकालना सही होगा।

महत्वपूर्ण संसाधनों को लगाना आवश्यक है। किसी फर्म के सीसीआर एक्सपोजर के संबंध में तैयार की गई दैनिक रिपोर्ट की समीक्षा पर्याप्त रूप से वरिष्ठ और प्राधिकार-प्राप्त स्तर के प्रबंधन द्वारा की जानी चाहिए, जो क्रेडिट प्रबंधकों या व्यापारियों द्वारा लिये गये पोजिशनों में कमी लागू कर सके तथा बैंक के समग्र सीसीआर एक्सपोजर में कमी ला सके।

(iv) बैंक की सीसीआर प्रबंध प्रणाली का प्रयोग आंतरिक क्रेडिट तथा व्यापार सीमाओं के साथ साथ करना चाहिए।

(v) सीसीआर की माप में ऋण व्यवस्था के दैनिक और दिन के दौरान उपयोग की निगरानी सम्मिलित होनी चाहिए। बैंक को सकल मौजूदा एक्सपोजर और धारित संपार्श्विक को घटाकर निवल मौजूदा एक्सपोजर की माप करनी चाहिए जहां ऐसी माप उपयुक्त और अर्थपूर्ण हो (उदाहरणार्थ ओटीसी डेरिवेटिव, मार्जिन उधार, इत्यादि)। पोर्टफोलियो तथा प्रतिपक्षकार दोनों स्तरों पर अधिकतम एक्सपोजर अथवा संभाव्या भावी एक्सपोजर (पीएफई) का मापन तथा निगरानी, मजबूत सीमा निगरानी प्रणाली का एक हिस्सा है। बैंकों को बड़े अथवा संकेंद्रित पोजिशनों को ध्यान में रखना चाहिए जिनमें आपस में जुड़े प्रतिपक्षकारों के समूहों के संकेंद्रण सहित उद्योगवार और बाजारवार संकेन्द्रण, ग्राहक निवेश रणनीतियाँ इत्यादि शामिल हैं।

(vi) प्रतिपक्षकार एक्सपोजरों और प्रतिपक्षकार की ऋण पात्रता में परिवर्तन करने वाले बाजार परिवर्तियों में असामान्यक अस्थिरता का प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम पर पड़नेवाले प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु बैंक में उपयुक्त दबाव परीक्षण प्रणाली सुस्थापित होनी चाहिए। इस दबाव परीक्षण के परिणामों की वरिष्ठ प्रबंध तंत्र द्वारा आवधिक समीक्षा होनी चाहिए तथा उसके परिणाम प्रबंधन एवं निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित सीसीआर नीतियों और सीमाएं में परिलक्षित होने चाहिए। जहां दबाव परीक्षण का परिणाम किन्हीं परिस्थितियों के प्रति विशेष संवेदनशीलता दर्शाता हो, वहाँ प्रबंध तंत्र को स्पष्ट रूप से उचित जोखिम प्रबंध रणनीतियों पर विचार करना चाहिए (उदाहरण के लिए उस परिणाम के लिए बचाव (हेजिंग) की व्व्यस्था कर के या संस्था के एक्स्पोजर का आकार घटाकर)।

(vii) सीसीआर प्रबंध प्रणाली के परिचालन से संबंधित आंतरिक नीतियों, नियंत्रणों तथा प्रक्रियाओं की प्रलेखीकृत प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक को नियमित व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। फर्म की सीसीआर प्रबंध प्रणाली का उचित प्रलेखन होना चाहिए, उदाहरणार्थ एक जोखिम प्रबंधन मैनुअल के द्वारा, जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रणाली के मूल सिद्धांतों का वर्णन हो तथा सीसीआर मापने के लिए प्रयुक्त अनुभवाश्रित तकनीकों की व्याख्या उपलब्ध हो।

(viii) बैंक को अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से सीसीआर प्रबंध प्रणाली की नियमित रूप से स्वतंत्र समीक्षा करनी चाहिए। इस समीक्षा में व्यवसाय ऋण और व्यापारिक इकाइयों तथा स्वतंत्र सीसीआर नियंत्रण इकाई - दोनों की गतिविधियां शामिल होनी चाहिए। समग्र सीआरआर प्रबंध प्रक्रिया की समीक्षा नियमित अंतराल पर (आदर्शतः एक वर्ष से कम नहीं) होनी चाहिए और इसमें विशिष्ट रूप से कम से कम निम्नलिखित का समावेश होना चाहिएः

- सीसीआर प्रबंध प्रणाली और प्रक्रिया के दस्तावेजीकरण की पर्याप्तता;
- संपार्श्विक प्रबंधन इकाई का गठन;
- सीसीआर नियंत्रण इकाई का गठन;
- सीसीआर उपायों का दैनिक जोखिम प्रबंध में एकीकरण;
- फ्रंट और बैक कार्यालय कर्मियों द्वारा प्रयुक्त जोखिम मूल्यांकन मॉडलों तथा मूल्य निर्धारण प्रणालियों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया;
- सीआरआर मापन प्रक्रिया में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन का वैधीकरण;
- जोखिम मापन मॉडल द्वारा कैप्चर किए गए प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम का दायरा;
- प्रबंधन सूचना प्रणाली की अखंडता;
- सीआरआर आंकड़ों की सटीकता और पूर्णता;
- संपार्श्विक और नेटिंग करारों में विधिक शर्तों का एक्सपोजर मापन में सटीक प्रतिबिंब; ऐसे डाटा स्रोतों की स्वतंत्रता सहित आंतरिक मॉडल रन करने हेतु प्रयुक्त डाटा स्रोतों की संगतता, सामयिकता और विश्वसनीयता;
- अस्थिरता और सहसंबंध पूर्वधारणाओं की सटीकता और उपयुक्तता;
- मूल्यांकन और जोखिम रूपांतरण गणनाओं की सटीकता; और
- बारंबार बैक-टेस्टिंग के द्वारा मॉडल की सटीकता का सत्यापन।

(ix) बैंकों को अपने आईसीएएपी के एक भाग के रूप में यह मूल्यांकन करना चाहिए कि जिन लेनदेनों से सीसीआर उत्पन्न होता है उनमें निहित जोखिम का बैंक द्वारा किया गया मूल्यांकन सही है तथा वर्तमान एक्सपोजर प्रणाली (सीईएम) उन जोखिमों को समुचित और संतोषजनक रूप से व्यक्त करती है । जिन मामलों में एसआरईपी के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि सीईएम बैंक के संबंधित लेनदेनों में अंतर्निहित जोखिम को व्यक्त नहीं करती है (जैसाकि संरचित, अधिक जटिल ओटीसी डेरिवेटिव के मामलों में हो सकता है) भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह सीईएम को लेनदेन-दर-लेनदेन आधार पर लागू करे (अर्थात् विधिक रूप से अनुमत होने पर भी किसी प्रकार की नेटिंग को मान्यद नहीं किया जाएगा)।

**13.3 बाज़ार जोखिम :** बैंक को बाजार मूल्यों में घटबढ़ के कारण खरीद-बिक्री संबंधी गतिविधियों में जोखिम की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। इस निर्धारण के अंतर्गत लिखतों की नकदी-अपरिवर्तनीयता, संकेंद्रित स्थितियाँ, एकतरफा बाजार, गैर-रैखिक/गहरी आउट-ऑफ -द मनी स्थितियाँ तथा अंतर्संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तन की संभावना जैसे घटकों पर विचार किया जाना चाहिए। चरम परिस्थितियों की घटनाओं और आघातों को शामिल करने वाले अभ्यास इस प्रकार बनाये जाने चाहिए ताकि प्रासंगिक बाजार घटनाओं के प्रति प्रमुख पोर्टफोलियो की संवेदनशीलता व्यक्त हो सके।

**13.4 परिचालन जोखिम** : बैंक को अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों तथा बैंक के बाहर की घटनाओं से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए। इस मूल्यांकन के अंतर्गत परिचालन जोखिम से संबद्ध चरम घटनाओं और आघातों का प्रभाव शामिल होना चाहिए। घटनाओं में विभिन्न करोबारी इकाइयों में असफल प्रक्रियाओं में अचानक वृद्धि या असफल आंतरिक नियंत्रण की कोई उल्लेखनीय घटना शमिल हो सकती है।

**13.5 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)** : बैंक को बैंकिंग बही में अपने तुलनपत्र और तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र पर बदलती ब्याज दरों से संबद्ध जोखिम की अल्पावधिक और दीर्घावधिक दोनों दृष्टियों से पहचान करनी चाहिए। इसके अंतर्गत समांतर आघात, यील्ड कर्व ट्विस्ट, यील्ड कर्व इनवर्सन, दरों के संबंध में परिवर्तन (आधार जोखिम) और अन्य प्रासंगिक परिदृश्य शामिल हो सकते हैं। बैंक को अपनी गैर-परिपक्व जमाराशियों और अन्य आस्तियों तथा देयताओं, खासकर अंतर्निहित विकल्प वाले एक्सपोज़र के उतार-चढ़ाव के संबंध में अपनी पूर्वधारणाओं का समर्थन करने में सफल होना चाहिए। ऐसी पूर्वधारणाओं की अनिश्चितता को देखते हुए ब्याज दर जोखिमों के विश्लेषण में दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण का प्रयोग करना चाहिए। आइआरआरबीबी की माप के अनेक तरीके हो सकते हैं। तथापि आइआरआरबीबी की माप के तरीके का एक **उदाहरण अनुबंध 10** में दिया गया है। बैंक आइआरआरबीबी की गणना करने /उसे मात्रात्मक रूप देने के लिए इन तरीकों के दूसरे प्रकार या पूरी तरह से अलग कार्यविधि अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते तकनीक वस्तु-मूलक, सत्यापन योग्य तथा पारदर्शी कार्यविधि और मानदंडों पर आधारित हो।

**13.6 ऋण संकेंद्रण जोखिम :** संकेंद्रण जोखिम तब होता है जब कोई एक एक्सपोज़र अथवा एक्सपोज़रों का एक समूह (बैंक की पूंजी, कुल आस्तियों, अथवा समग्र जोखिम स्तर की तुलना में) इतनी बड़ी हानि उत्पन्न करने की क्षमता रखता है कि बैंक की सुदृढ़ता अथवा मुख्य परिचालन बनाये रखने की क्षमता खतरे में पड़ सकती है। बैंकों की प्रमुख समस्याओं के पीछे संकेंद्रण जोखिम अकेला सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। संकेंद्रित संविभागों के कारण उत्पन्न होने वाला संकेंद्रण जोखिम अधिकांश बैंकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

बैंक यह सिद्ध करने के लिए कि ऋण संकेंद्रण जोखिम पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है, निम्नलिखित **गुणात्मक मानदंडों** का अनुसरण कर सकते हैं :

क) संकेंद्रण जोखिम के प्रति एक्सपोज़र का मूल्यांकन करते समय बैंक को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बासल पूंजी पर्याप्तता ढाँचे की गणना इस पूर्वधारणा पर आधारित है कि बैंक के कारोबार में काफी विविधता है।

ख) यद्यपि बैंकों के एकल उधारकर्ता एक्सपोज़र, समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र और पूंजी बाजार एक्सपोज़र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एक्सपोज़र मानदंडों से विनियमित होते हैं, तथापि इन संविभागों में भी संकेंद्रण हो सकता है। अतः ऋण संकेन्द्रण के स्तर का मूल्यांकन करते समय बैंक न केवल पूर्वोक्त एक्सपोज़रों पर ध्यान देगा बल्कि किसी विशेष आर्थिक या भौगोलिक क्षेत्र में ऋण संकेंद्रण के स्तर पर विचार करेग। शाखा नेटवर्क के स्वरूप के कारण जिन बैंकों का परिचालन संकेंद्रण कुछ भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित है, उन्हें भी उक्त क्षेत्र में प्रतिकूल आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव पर तथा आस्ति गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना चाहिए।

ग) विशेषज्ञता आधारित संविभागों का कार्यनिष्पादन, कुछ मामलों में, बैंक के महत्वपूर्ण व्यक्तियों/कर्मचारियों पर भी निर्भर करता है। ऐसी परिस्थिति संकेंद्रण जोखिम को बढ़ा सकती है, क्योंकि इन कर्मचारियों की दक्षता संकेंद्रित संविभाग से उत्पन्न होने वाले जोखिम को अंशतः कम करती है। संकेंद्रण जोखिम पर ऐसे महत्वपूर्ण कर्मचारियों/व्यक्तियों का प्रभाव छोटे बैंकों में अपेक्षाकृत अधिक होने की संभावना है। दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण करते समय बैंक को महत्वपूर्ण कार्मिकों के चले जाने पर बैंक के सामान्य रीति से परिचालन करने की क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव तथा बैंक की आय पर पड़नेवाले प्रत्यक्ष प्रभाव पर विचार करना चाहिए।

ऋण संकेंद्रण जोखिम पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त **मात्रात्मक मानदंड** का जहाँ तक संबंध है, ऋण संकेंद्रण जोखिम की गणना काउंटर पार्टी स्तर पर (अर्थात् बड़े एक्सपोज़र), संविभागीय स्तर पर (अर्थात् क्षेत्रीय और भौगोलिक संकेंद्रण) और आस्ति श्रेणी स्तर पर (अर्थात् देयता और आस्ति संकेंद्रण) की जाएगी। इस संदर्भ में बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली से संबंधित 7 अक्तूबर 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी (एससी). बीसी. 98/21.04.103/99 के अनुबंध के पैरा 3.2.2 (ग) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें बैंकों के `महत्वपूर्ण एक्सपोज़र' के संबंध में कुछ विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की गयी हैं। एक विवेकपूर्ण प्रथा के रूप में बैंक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी `बड़े उधारकर्ताओं' के प्रति उनका सकल एक्सपोज़र (गैर-निधिक एक्सपोज़र सहित) किसी भी समय उनकी `पूंजी निधि' (भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान एक्सपोज़र

मानदंडों के प्रयोजन से दी गयी परिभाषा के अनुसार) के 800 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए `बड़ा उधारकर्ता' उसे माना जा सकता है जिसके प्रति बैंक का सकल एक्सपोज़र (निधिक और गैर-निधिक) बैंक की पूंजी निधि के 10 प्रतिशत से अधिक है। यह उचित होगा कि बैंक अपने उद्योग-वार एक्सपोज़र पर विशेष ध्यान दें जहाँ किसी विशेष उद्योग के प्रति उनका एक्सपोज़र समग्र औद्योगिक क्षेत्र के प्रति उनके सकल ऋण एक्सपोज़र (निवेश एक्सपोज़र सहित) के 10 प्रतिशत से अधिक हो।

बैंकों के संविभाग में ऋण संकेंद्रण की माप के संबंध में अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण के अंतर्गत हरफिंडल हर्श मैन इंडेक्स (एचएचआइ) की गणना की जाती है। इसे ध्यान में रखा जाए कि संकेंद्रण जोखिम की माप के रूप में एचएचआइ की गणना कई संभव विधियों में से केवल एक विधि है। बैंक इस प्रयोजन के लिए कोई अन्य उपयुक्त विधि अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें ऐसी माप के लिए वस्तु मूलक और पारदर्शी मानदंड अपनाया गया हो।

जोखिम संकेंद्रण का विश्लेषण एकल और समेकित[95] दोनों आधार पर किया जाना चाहिए। जोखिम संकेंद्रण को एक या परस्पर नजदीक से जुड़े उन जोखिम कारकों के समूह के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो किसी बैंक को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। किसी बैंक के संपूर्ण जोखिम एक्सपोज़र का आकलन करते समय इन जोखिम संकेंद्रणों को समेकित किया जाना चाहिए। किसी बैंक को उन सभी संकेंद्रणों को ध्यान में रखना चाहिए जो सामान्य अथवा आपस में जुडे जोखिम कारकों पर आधारित होते हैं। ये जोखिम कारक बाजार, ऋण जोखिम तथा चलनिधि जोखिम के बीच आपसी संबंधों जैसे परंपरागत संकेंद्रणों से अधिक सूक्ष्म अथवा स्थिति विशेषी कारकों को प्रतिबिंबित करते हैं।

बाजार आधारित मध्यस्थता में वृद्धि से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि किसी बैंक के विभिन्न क्षेत्र उत्पादों, जोखिम कारकों अथवा प्रतिपक्षकारों के एक सामान्य समूह की जद में आते हैं। इससे जोखिम जमाव और संकेंद्रण प्रबंधन की नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं। अपनी जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं तथा प्रबंध सूचना प्रणाली के माध्यम से कोई भी बैंक समूचे फर्म के साथ-साथ सभी विधिक संस्थाओं, आस्ति प्रकारों (उदाहरणार्थ ऋण, डेरिवेटिव तथा संरचित उत्पाद), जोखिम क्षेत्र (उदाहरणार्थ ट्रेडिंग बुक) तथा भौगोलिक क्षेत्रों में मौजूद इस प्रकार के जोखिम एक्सपोज़रों की पहचान कर सकता है और उन्हें एकत्र कर सकता है। उपर्युक्त पैरा 13.6 (ख) में वर्णित स्थितियों के अलावा निम्न स्थितियों में जोखिम संकेंद्रण हो सकता है।

- एकल प्रतिपक्षकार अथवा परस्पर संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह को एक्सपोज़र;

[95] 8 फरवरी 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं. 73/21.06.001/2009-2010

- विनियमित तथा अविनियमित जैसे हेज फंड तथा निजी ईक्विटी फर्म दोनों प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को एक्सपोज़र;
- ट्रेडिंग एक्सपोज़र/बाजार जोखिम;
  - लेनदेन करने अथवा लेनदेन की प्रक्रिया के माध्यम से (उत्पाद अथवा सेवा) प्रतिपक्षकारों (उदाहरणार्थ हेज फंड तथा हेज प्रतिपक्षकार) को एक्सपोज़र;
  - निधीयन स्रोत;
  - बैंकिंग बही अथवा ट्रेडिंग बही में धारित आस्तियां जैसे ऋण, डेरिवेटिव तथा संरचित उत्पाद; तथा
  - तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र जिसमें गारंटी, चलनिधि तथा अन्य प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।

जोखिम संकेंद्रण इन व्यापक श्रेणियों के आर-पार मौजूद एक्सपोज़रों के गठजोड़ से भी उत्पन्न हो सकते हैं। किसी बैंक को अपने तमाम व्यवसाय क्षेत्रों में होने वाले समरूपी एक्सपोज़रों के परिणामस्वरूप अपने फर्मव्यापी जोखिम संकेंद्रण की जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार के व्यवसाय क्षेत्रों के अंतर्गत उधार बहियों में सब-प्राइम एक्सपोज़र, प्रतिपक्षकार एक्सपोज़र, कनडइट एक्सपोज़र तथा एसआईवी; संविदागत तथा गैर-संविदागत एक्सपोज़र, व्यापारिक गतिविधियां और हामीदारी पाइपलाइन्स के उदाहरण शामिल हैं। हालांकि, जोखिम संकेंद्रण प्रायः उधारकर्ताओं तथा बाध्यताधारकों को प्रत्यक्ष एक्सपोज़र के कारण उत्पन्न होते हैं फिर भी किसी बैंक को इस प्रकार की आस्तियों द्वारा समर्थित निवेश (उदा. संपार्श्विकृत ऋण बाध्यता - सीडीओ) तथा विशेष आस्ति प्रकार (उदा. मोनोलाइन बीमाकर्ता) के कार्यनिष्पादन की गारंटी देनेवाले सुरक्षा प्रदाताओं के प्रति एक्सपोज़र के माध्यम से परोक्ष रूप से एक विशेष आस्ति प्रकार के प्रति संकेंद्रण हो सकता है। इस संदर्भ में यह नोट किया जाए कि भारत में वर्तमान में बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना इस तरह के ज्यादातर व्यवसाय करने /इस प्रकार के अधिकतर एक्सपोज़र लेने की अनुमति नहीं है लेकिन उनकी विदेश स्थित शाखाएं 01 दिसंबर 2008 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 89/21.04.141/2008-09 के जारी होने से पहले इस प्रकार के एक्सपोज़र कर सकती हैं। बैंक के पास सुरक्षा प्रदाता तथा विचाराधीन एक्सपोज़रों के बाध्यताधारकों की ऋण पात्रता के बीच उच्च सह-संबंध की पहचान करने के लिए पर्याप्त, व्यवस्थित क्रियाविधियां होनी चाहिए क्योंकि सुरक्षा प्रदाताओं तथा बाध्यताधारकों के कार्यनिष्पादन प्रणालीगत जोखिम से इतर सामान्य कारकों (अर्थात् `गलत तरीके से हुआ जोखिम') पर आश्रित होता है।

जोखिम संकेंद्रण की सूचना निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंध तंत्र तक पहुंचाने की प्रणाली मौजूद होनी चाहिए। वह भी इस स्पष्टता के साथ कि उससे पता चले कि किसी जोखिम संकेंद्रण का एक-एक घटक संगठन में कहां मौजूद है। बैंकों के पास जोखिम कम करने की भरोसेमंद रणनीतियां मौजूद होनी चाहिए जिन्हें उच्च प्रबंध-तंत्र का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। ऐसी रणनीतियों में अभीष्ट

जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप व्यावसायिक रणनीतियों में उलटफेर, सीमाएं कम करना अथवा पूंजी बफर में वृद्धि करना शामिल किया जाना चाहिए। बैंकों को जोखिम कम करने वाली रणनीतियां लागू करते समय ऐसे संभावित संकेंद्रणों को खयाल में रखना चाहिए जो जोखिम कम करने के तकनीक इस्तेमाल करने के चलते पैदा हो सकते हैं।

जोखिम संकेंद्रणों की नाप-जोख के लिए बैंकों द्वारा जितना आवश्यक हो उतनी तकनीकें इस्तेमाल में लायी जानी चाहिए। इन तकनीकों में विभिन्न जोखिम कारकों का आघात परीक्षण, व्यवसाय स्तर तथा फर्म व्यापी परिदृश्य का प्रयोग और एकीकृत दबाव परीक्षण तथा आर्थिक पूंजी मॉडलों का प्रयोग शामिल है। पहचान किए गए संकेंद्रणों का मापन तमाम तरीकों से  किया जाना चाहिए जिनमें निवल एक्सपोज़र के मुकाबले सकल को हिसाब में लेना, सांकेतिक राशि का उपयोग तथा प्रतिपक्षकार के हेज सहित या उसके बिना एक्सपोज़रों का विश्लेषण शामिल हैं। बैंकों को ऐसे संकेंद्रणों की स्थिति के बारे में आंतरिक सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए जिनका जोखिम उन्हें उठाना पड़ सकता है। किसी बैंक को नियतकालिक दबाव परीक्षण करते समय सभी प्रमुख जोखिम संकेंद्रणों को उसमें शामिल करना चाहिए। साथ ही, उसे बाजार की परिस्थितियों में संभावित परिवर्तनों की पहचान करके उनके प्रति जवाबी रणनीति बनानी चाहिए जिनसे उसके कार्यनिष्पादन तथा पूंजी पर्याप्तता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

किसी बैंक के आईसीएएपी तथा पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे जोखिमों के मूल्यांकन को एक यांत्रिक प्रक्रिया न बनाकर एक ऐसी प्रक्रिया बनाना चाहिए जिसमें प्रत्येक अपने व्यवसाय मॉडल के आधार पर अपनी खास कमजोरियों को रेखांकित करे। किसी बैंक के जोखिम संकेंद्रणों के लिए पूंजी का एक उचित स्तर उसके आईसीएएपी तथा स्तंभ 2 मूल्यांकनों में शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक बैंक को ऐसे मुद्दों पर अपने पर्यवेक्षक के साथ चर्चा करनी चाहिए।

प्रत्येक बैंक के पास प्रभावी आंतरिक नीतियां, प्रणाली तथा नियंत्रण की व्यवस्था मौजूद होनी चाहिए ताकि वह अपने जोखिम संकेंद्रणों की समय से पहचान, उनकी निगरानी, उनका प्रबंधन, उनको नियंत्रित और कम कर सके। बैंकों को न केवल बाजार की सामान्य परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए बल्कि बाजार की संकटकालीन परिस्थितियों, आर्थिक मंदियों तथा बाजार के उस दौर को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जब सामान्यतः बाजार में नकदी की किल्लत हो जाती है। इसके अलावा, बैंकों को ऐसे परिदृश्य पर नजर रखनी चाहिए जिसमें संविदागत तथा गैर-संविदागत आकस्मिक दावों के चलते जोखिम संकेंद्रणों के उभरने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस परिदृश्य को भावी एक्सपोज़रों के पैदा होने की संभावना से अछूता नहीं रखना चाहिए जिसमें बाजार चलनिधि की क्षति तथा आस्ति-मूल्यों में महत्वपूर्ण गिरावट को भी शामिल करना होगा।

**13.7 चलनिधि जोखिम** : बैंक को आस्ति को चलनिधि में परिवर्तित करने में कठिनाई (बाजार चलनिधि जोखिम) या पर्याप्त निधि प्राप्त करने में कठिनाई (निधीयन चलनिधि जोखिम) के कारण समय पर दायित्व पूरा न कर पाने के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों को समझना चाहिए। इस मूल्यांकन के अंतर्गत निधियों के स्रोत और उपयोग का विश्लेषण, उन निधि बाजारों की समझ जिनमें बैंक परिचालन करता है, तथा संकटकालीन स्थितियों में आकस्मिक निधीयन योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

हाल ही के वित्तीय बाजार संकट ने इस बात को रेखांकित कर दिया है कि किसी बैंक के आईसीएएपी के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता पर चलनिधि जोखिम के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करना कितना महत्वपूर्ण है[96]। उच्च प्रबंधतंत्र को चलनिधि तथा पूंजी के बीच संबंध पर विचार करना चाहिए क्योंकि चलनिधि जोखिम, पूंजी पर्याप्तता को प्रभावित कर सकता है जो घूमकर बैंक के चलनिधि प्रोफाइल को बिगाड़ कर रख सकती है।

सितंबर 2008 में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति ने सक्षम चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर्यवेक्षण के लिए सिद्धांत प्रकाशित किए थे। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे सुदृढ़ चलनिधि स्थिति बना कर रखें ताकि वे लंबे समय तक चलने वाले बाजार के दबावों तथा चलनिधि की किल्लत का सामना कर सकें। इन मानकों के अंतर्गत वर्ष 2007 के मध्य से बाजार में हुए उथल-पुथल के दौरान बैंकिंग क्षेत्र द्वारा महसूस की गई कमियों पर विचार किया गया है जिनमें दबाव परीक्षण की प्रथाएं, आकस्मिक निधीयन योजनाएं, तुलनपत्र एवं तुलनपत्रेतर कार्यकलापों का प्रबंधन और आकस्मिक प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।

चलनिधि संबंधी दिशानिर्देश बैंकों के चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए प्रभावी प्रथाओं की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। इस संबंध में मूलभूत सिद्धांत यह है कि किसी बैंक को परिश्रमपूर्वक अपने चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करना चाहिए तथा पर्याप्त चलनिधि बनाए रखना चाहिए ताकि तमाम प्रकार की संकटकालीन स्थितियों का सामना किया जा सके। चलनिधि किसी दबाव के प्रति किसी बैंक के लचीलेपन का एक महत्वपूर्ण तत्व होती है इसलिए किसी भी बैंक को भाररहित, उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियाँ रखते हुए सुदृढ़ चलनिधि स्थिति बनाए रखना चाहिए ताकि चलनिधि संकट की किसी भी स्थिति से रक्षा की जा सके।

चलनिधि जोखिम के प्रबंधन का एक मुख्य तत्व चलनिधि जोखिम के मजबूत नियंत्रण की आवश्यकता है जिसमें बोर्ड द्वारा चलनिधि जोखिम की सहनीयता का निर्धारण शामिल है। जोखिम सहनीयता की जानकारी समूचे बैंक को होनी चाहिए तथा उस रणनीति एवं नीतियों में उसे प्रतिबिंबित

---

[96] 8 फरवरी 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं. 73/21.06.001/2009-2010

होना चाहिए जो उच्च प्रबंध तंत्र चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करने के लिए बनाते हैं। चलनिधि जोखिम प्रबंधन का एक अन्य पहलू यह भी है कि बैंकों को चलनिधि की लागत, लाभ तथा उसके जोखिमों का मूल्य निर्धारण समुचित रीति से आंतरिक मूल्य निर्धारण, कार्यनिष्पादन मापन तथा समस्त व्यावसायिक गतिविधियों की नये उत्पाद की अनुमोदन प्रक्रिया से जोड़कर करना चाहिए।

किसी भी बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह चलनिधि जोखिमों की बखूबी पहचान, उसका मापन और नियंत्रण विशेष रूप से जटिल उत्पादों तथा आकस्मिक प्रतिबद्धताओं (संविदागत तथा गैर-संविदागत दोनों) के संदर्भ में कर सके। इस प्रक्रिया में बैंक की यह क्षमता भी शामिल होनी चाहिए कि वह विभिन्न समयावधियों में आस्तियों, देयताओं तथा तुलनपत्रेतर मदों से उत्पन्न नकदी प्रवाह योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सके और वह निधीयन की समयावधि तथा स्रोत दोनों को बहुआयामी बना सके। किसी बैंक को समयपूर्व चेतावनी सूचकों का इस्तेमाल अपनी चलनिधि स्थिति अथवा निधीयन संबंधी आवश्यकताओं के मामले में जोखिम के बढ़ने अथवा कमजोरियों के उभार का पता लगाने में करना चाहिए। उसमें यह क्षमता होनी चाहिए कि वह अपने संगठन के ढांचे पर विचार किए बिना विधिक हस्तियों, व्यवसाय लाइनों तथा मुद्राओं के भीतर और उनके आर-पार चलनिधि जोखिम एक्सपोजर तथा निधीयन जरूरतों को चलनिधि की अंतरणीयता के लिए किसी भी प्रकार की वैधानिक, विनियामक तथा परिचालनात्मक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित कर सके।

आंतर दिवसीय चलनिधि के प्रभावी प्रबंधन में किसी बैंक की असफलता अपेक्षित समय पर उसके द्वारा भुगतान संबंधी दायित्वों को पूरा न कर पाने का कारण बन सकती है जिसके फलस्वरूप चलनिधि का बिखराव हो सकता है जिसका प्रभाव क्रमशः कई प्रणालियों और संस्थाओं पर पड़ सकता है। इस प्रकार, किसी बैंक द्वारा आंतर दिवसीय चलनिधि जोखिमों के प्रबंधन को चलनिधि जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाना चाहिए। बैंक को अपनी संपार्श्विक स्थितियों का भी सक्रिय रूप से प्रबंधन करना चाहिए तथा अपनी सभी संपार्श्विक स्थितियों की गणना करने में समर्थ होना चाहिए।

हालांकि बैंक "सामान्य" परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से चलनिधि का प्रबंधन करते हैं लेकिन उन्हें "संकटकालीन" परिस्थितियों में भी चलनिधि का प्रबंधन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी बैंक को संभावित चलनिधि के दबावों के प्रति अपने एक्सपोज़र की पहचान करने तथा उसका परिमाण जानने के लिए नियमित रूप से दबाव परीक्षण अथवा परिदृश्य विश्लेषण करना चाहिए जिसमें संस्थाओं के नकदी प्रवाह, चलनिधि स्थितियों, लाभप्रदता तथा शोधक्षमता पर संभावित प्रभावों का विश्लेषण किया गया हो। प्रबंध तंत्र द्वारा इन दबाव परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जानी चाहिए और उन्हें इस चर्चा के आधार पर बैंक के एक्सपोज़र को सीमित करने के लिए उपचारात्मक अथवा न्यूनकारी कार्रवाई करने के मानदंड तय करना चाहिए, चलनिधि की अतिरिक्त व्यवस्था (कूशन) करनी चाहिए और अपनी चलनिधि प्रोफाइल को अपनी जोखिम सहनशीलता के

हिसाब से व्यवस्थित करना चाहिए। दबाव परीक्षणों के परिणाम बैंक की आकस्मिक निधीयन आयोजना के निर्माण में मुख्य भूमिका भी निभाते हैं जिसमें दबाव परीक्षणों की पूरी श्रृंखला का प्रबंधन करने की नीतियों की रूपरेखा होनी चाहिए तथा आपात स्थितियों में चलनिधि की कमी से निपटने की स्पष्ट रणनीति निर्धारित होनी चाहिए।

चूंकि सार्वजनिक प्रकटीकरण से बाज़ार की निश्चितता में वृद्धि होती है, पारदर्शिता में सुधार होता है, मूल्य-निर्धारण सुविधाजनक हो जाता है और इससे बाज़ार का अनुशासन मजबूत होता है इसलिए बैंकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे नियमित रूप से सार्वजनिक तौर पर सूचना का प्रकटीकरण करें। इससे बाज़ार के सहभागियों को अपने चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे तथा चलनिधि स्थिति की सुदृढ़ता के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने में सहूलियत होगी।

## 13.8 तुलन पत्रेतर एक्सपोज़र तथा प्रतिभूतीकरण जोखिम

पिछले कई वर्षों में बैंकों द्वारा प्रतिभूतीकरण के प्रयोग में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। इसका इस्तेमाल निधीयन के वैकल्पिक स्रोत तथा निवेशकों को अंतरित करने वाली व्यवस्था के रूप में किया गया है। हालांकि प्रतिभूतीकरण के साथ जुड़े जोखिम बैंकों के लिए नए नहीं हैं लेकिन हाल ही के वित्तीय उथल-पुथल ने ऋण जोखिम, संकेंद्रण जोखिम, बाज़ार जोखिम, चलनिधि जोखिम, विधिक जोखिम तथा प्रतिष्ठा जोखिम के अप्रत्याशित पहलुओं को प्रमुखता से उजागार कर दिया है जिसका पर्याप्त समाधान ढूंढ़ने में बैंक नाकाम रहे। उदाहरणार्थ जिन बैंकों पर प्रायोजित प्रतिभूतीकरण व्यवस्था का समर्थन करने के लिए संविदागत बाध्यता नहीं थी, उनमें से कई बैंक अपने प्रतिष्ठा जोखिम तथा पूंजी बाजारों में अपनी भावी पहुंच से जुड़ी चिंताओं के कारण उन व्यवस्थाओं को असफल नहीं होने देना चाहते थे। इन ढांचों के समर्थन से बैंक अतिरिक्त तथा अप्रत्याशित ऋण, बाजार तथा चलनिधि जोखिम के दायरे में आ गए क्योंकि इन ढांचों के साथ बैंकों के तुलन पत्रों पर ऐसी आस्तियां चली आईं जिनका काफी दबाव उनके वित्तीय प्रोफाइल और पूंजी अनुपात पर पड़ा।

वित्तीय संकट के दौरान बैंकों द्वारा प्रतिभूतीकरण के जोखिम प्रबंधन तथा उनके तुलन पत्रेतर एक्सपोज़रों में कमियों के कारण बड़े पैमाने पर अप्रत्याशित हानियां हुईं। इन जोखिमों को कम करने के लिए बैंकों के तुलन पत्र तथा तुलन पत्रेतर क्रियाकलापों जैसे उत्पाद अनुमोदन, जोखिम संकेंद्रण सीमाओं तथा बाजार, ऋण और परिचालनगत जोखिमों के आकलन को उनके जोखिम प्रबंधन अनुशासन में शामिल किया जाना चाहिए।

प्रतिभूतीकरण संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ढेर सारे जोखिमों के मद्देनज़र जिनकी संख्या में प्रतिभूतीकरण तकनीकों तथा लिखतों में तीव्र नवोन्मेषीकरण के द्वारा वृद्धि हो सकती है, स्तंभ 1 के अंतर्गत न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाएं प्रायः अपर्याप्त होती हैं। प्रतिभूतीकरण से उत्पन्न होने वाले,

विशेष रूप से स्तंभ 1 के अंतर्गत पूरी तरह से शामिल नहीं किए गए सभी जोखिमों पर चर्चा बैंक के आईसीएएपी में की जानी चाहिए। इन जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- प्रत्येक एक्सपोज़र का ऋण, बाजार, चलनिधि तथा प्रतिष्ठा जोखिम;
- विचाराधीन प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़रों पर संभावित चूक और हानियां;
- विशेष प्रयोजन से स्थापित संस्थाओं को ऋण अथवा चलनिधि सुविधाओं से होने वाले एक्सपोज़र;
- एकाधिकार तथा अन्य तीसरे पक्षकारों द्वारा प्रदत्त गारंटियों से एक्सपोज़र।

प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़रों को बैंक की प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च प्रबंध तंत्र चलनिधि, आय, जोखिम संकेंद्रण तथा पूंजी के लिए इस प्रकार के एक्सपोज़रों के निहित प्रभावों को समझता है। इससे भी महत्वपूर्ण है कि बैंकों के पास बाजार के उपलब्ध आंकड़ों सहित प्रतिभूतीकरण लेनदेन संबंधी जानकारी और प्रतिभूतीकरण न्यासी अथवा सेवाप्रदाता से अद्यतन कार्यनिष्पादन आंकड़े समय से प्राप्त करने की आवश्यक प्रणालियां मौजूद होनी चाहिए।

### 13.9 **प्रतिष्ठा जोखिम तथा अस्पष्ट सहायता**[97]

### 13.9.1 **प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के लिए अस्पष्ट सहायता का प्रावधान**

(i) किसी लेनदेन के लिए अस्पष्ट सहायता का प्रावधान चाहे संविदात्मक हो (अर्थात् किसी प्रतिभूतिकृत लेनदेन की उत्पत्ति के समय उपलब्धर किया गया ऋण-वर्धन) अथवा गैर-संविदात्मक हो (अस्पष्ट सहायता) कई रूपों में हो सकता है। उदाहरण के लिए संविदात्मक समर्थन में अतिशय संपार्श्विकरण, ऋण डेरिवेटिव, स्प्रेड खाते, संविदात्मक रिकोर्स दायित्व, सबार्डिनेटेड नोट्स, किसी विशिष्ट ट्रांश को प्रदत्त क्रेडिट जोखिम कम करना, शुल्क या ब्याज आय का सबार्डिनेशन अथवा आस्थगित मार्जिन आय तथा क्लीन-अप काल्स जो आरंभिक निर्गम के 10 प्रतिशत से अधिक है। अस्पष्ट सहायता के उदाहरणों में शामिल हैं अंतर्निहित पूल से ह्रासोन्मुख क्रेडिट जोखिम एक्स्पोजर की खरीद, प्रतिभूतिकृत क्रेडिट जोखिम एक्सपोजरों के पूल में छूट प्राप्त ऋण एक्सपोजरों की बिक्री, बाजार की कीमत से अधिक कीमत पर अंतर्निहित एक्सपोजरों का क्रय तथा अंतर्निहित एक्सपोजर के ह्रास के अनुसार प्रथम हानि पोजिशन में वृद्धि।

---

[97] भारत में बासल III पूंजी विनियमावली के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देशों पर दिनांक 02 मई 2012 के बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.98/21.06.201/2011-12 का अनुबंध 3 ।

(ii) सहायता के कारण महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी चिंताएं उत्पान्ना होती हैं। पारंपरिक प्रतिभूतीकरण क्रेडिट समर्थन (अर्थात् ऋणवर्धन) के विपरीत अस्पष्ट (या गैर-संविदात्मक) सहायता के कारण महत्वर्ण पर्यवेक्षी चिंताएं उत्पन्ना होती हैं। पारंपरिक प्रतिभूतीकरण संरचनाओं के लिए अस्पष्ट सहायता के प्रावधान उस क्लीन ब्रेक मानदंड को कमजोर करता है जिसको यदि पूरा किया जाए तो वह बैंकों को विनियामक पूंजी गणनाओं में से प्रतिभूतिकृत आस्तियों को पृथक करने की अनुमति देता है। कृत्रिम प्रतिभूतीकरण संरचनाओं के लिए यह जोखिम अंतरण के महत्व का निषेध करता है। अस्पष्ट सहायता प्रदान करके बैंक बाजार को यह संदेश देता है कि जोखिम अभी भी बैंक के हिस्से में है तथा वह वास्तव में अंतरित नहीं किया गया है। अतएव संस्था की पूंजी की गणना असली जोखिम को कम करके आंकती है। तदनुसार जब कोई बैंकिंग संगठन अस्पष्ट सहायता प्रदान करता हो तो राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों से उचित कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है।

(iii) यदि कोई बैंक किसी प्रतिभूतीकरण को अस्पष्ट सहायता देते हुए पाया जायेगा तो उससे अपेक्षित होगा कि वह संरचना से संबद्ध समस्त अंतर्निहित एक्ससपोजर के विरुद्ध इस प्रकार पूंजी धारण करे, जैसे उनका प्रतिभूतीकरण किया ही नहीं गया है। यह भी अपेक्षित होगा कि वह बैंक सार्वजनिक रूप से यह प्रकट करे कि उसे गैर-संविदात्मक समर्थन प्रदान करते हुए पाया गया था तथा उसके परिणामस्वरूप उसके पूंजी प्रभार में (ऊपर नोट किए अनुसार) वृद्धि हुई थी। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा धारित ऋण जोखिम के लिए पूंजी धारण करने की अपेक्षा के साथ ही उन्हें गैर-संविदात्मक समर्थन प्रदान करने से हतोत्साहित करना है।

(iv) यदि किसी बैंक को एकाधिक बार अस्पष्ट सहायता प्रदान करते हुए पाया गया तो बैंक से अपेक्षित है कि वह इस अतिक्रमण को सार्वजनिक रूप से प्रकट करेगा और भारतीय रिज़र्व बैंक उचित कार्रवाई करेगा जिसमें निम्नसलिखित में से एक या अधिक कार्रवाई शामिल हो सकती है किंतु केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगी:

- बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समयावधि तक प्रतिभूतिकृत आस्तियों पर अनुकूल पूंजी ट्रीटमेंट प्राप्त करने से रोका जा सकता है:
- बैंक से यह अपेक्षित हो सकता है कि वह अंतर्निहित परिसंपत्तियों के जोखिम भार पर परिवर्तन गुणक प्रयुक्त करके, सभी प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों के लिए इस प्रकार पूंजी धारण करे मानो बैंक ने उनके प्रति कोई प्रतिबद्धता उत्पन्न की हो।
- पूंजी गणना के प्रयोजनों से बैंक से अपेक्षित हो सकता है कि वह सभी प्रतिभूतिकृत आस्तियों को इस प्रकार ट्रीट करे जैसे कि वे तुलनपत्र में ही बने रहे हों ;

- रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक से ये अपेक्षा हो सकती है कि बैंक न्यूनतम जोखिम आधारित पूंजी अनुपातों से अधिक विनियामक पूंजी धारण करे।

(v) एसआरईपी के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक अस्पष्ट सहायता का निर्धारण करेगा और उसके प्रभावों को कम करने के लिए उचित पर्यवेक्षी कार्रवाई कर सकता है। जांच पूरा होने तक बैंक को प्रस्तावित प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के लिए किसी पूंजी राहत (ऋण स्थगन) से वर्जित किया जा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्रवाई का लक्ष्य होगा अस्पष्ट सहायता के संबंध में उस बैंक के व्यवहार में परिवर्तन लाना और भविष्य में संविदात्मक बाध्यताओं से परे पूंजी प्रदान करने की बैंक की तत्परता के संबंध में बाजार के दृष्टिकोण में सुधार लाना।

13.9.2 **अस्पष्ट सहायता के कारण प्रतिष्ठा जोखिम**

(i) प्रतिष्ठा जोखिम को एक ऐसे जोखिम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ग्राहकों, प्रतिपक्षकारों, शेयरधारकों, निवेशकों, ऋण धारकों, बाज़ार विश्लेषकों, अन्य संबंधित पक्षकारों अथवा विनियामकों की नकारात्मक आशंका से उत्पन्न होता है और जो बैंक की मौजूदा व्यावसायिक संबंधों को बनाए रखने अथवा नए व्यावसायिक संबंध स्थापित करने तथा निधियन के स्रोतों (उदाहरण के लिए अंतर बैंक अथवा प्रतिभूतीकरण बाजारों के माध्यम से) तक अनवरत संपर्क बनाए रखने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। प्रतिष्ठा जोखिम बहुआयामी होता है तथा यह अन्य बाजार प्रतिभागियों के अनुभव को प्रतिबिम्बित करता है। इसके अलावा यह जोखिम समूचे संगठन में मौजूद होता है और प्रतिष्ठा जोखिम का एक्सपोज़र मूलतः बैंकों की आंतरिक जोखिम प्रबंधन प्रणालियों तथा बैंकिंग से जुड़े लेनदेन पर बाहरी प्रभावों से निपटने की प्रबंधतंत्र की क्षमता की पर्याप्तता से संबंधित एक कार्य है।

(ii) प्रतिष्ठा जोखिम के कारण अव्यक्त सहायता का प्रावधान करना पड़ सकता है जिससे ऋण, चलनिधि, बाजार तथा विधिक जोखिम पैदा हो सकता है - जिनका बैंक की आय, चलनिधि तथा पूंजीगत स्थिति पर सम्मिलित रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बैंक प्रतिष्ठा जोखिम के जिन संभावित स्रोतों से रू-ब-रू हो उसे उनकी पहचान करनी चाहिए। प्रतिष्ठा जोखिम में बैंकों के कारोबारी क्षेत्र, देयताएं, संबद्ध परिचालन, तुलनपत्रेतर व्यवस्थाएं तथा वे बाजार शामिल हैं जिनमें बैंक काम करते हैं। नये जोखिमों को बैंक की जोखिम प्रबंध प्रणालियों में शामिल किया जाना चाहिए और बैंकों के आईसीएएपी तथा चलनिधि आपातकालीन योजनाओं में बाकायदा उनके समाधान पर चर्चा होनी चाहिए।

(iii) वर्ष 2007 की आर्थिक मंदी से पहले अनेक बैंक अपनी तुलनपत्रेतर व्यवस्थाओं से जुड़े प्रतिष्ठा जोखिम को पहचान नहीं सके थे। संकटकालीन स्थितियों में कुछ कंपनियों को अपने प्रायोजित प्रतिभूतिकरणों तथा तुलनपत्रेतर व्यवस्थाओं का समर्थन करने के लिए संविदागत बाध्यताओं के दायरे

से भी बाहर जाना पड़ा। बैंकों को प्रतिष्ठा जोखिम को बढ़ाने वाले एक्सपोज़रों को अपने उन मूल्यांकनों में शामिल करना चाहिए जो इस बात के लिए किए जाते हैं कि क्या प्रतिभूतीकरण ढांचे के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा किया गया है और क्या अव्यक्त सहयोग प्रदान करने के संभावित प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है।

(iv) उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठा जोखिम एबीसीपी मार्ग तथा एसआईवी जैसी प्रतिभूतीकरण संरचनाओं के बैंकों द्वारा प्रायोजन तथा प्रतिभूतीकरण न्यासों को किए गए ऋण एक्सपोज़रों की बिक्री से उत्पन्न हो सकता है। यह जोखिम किसी बैंक के आस्ति अथवा निधि प्रबंधन से जुड़ाव के कारण विशेष रूप से जब वित्तीय लिखत स्वाधिकृत अथवा प्रायोजित संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं अथवा प्रायोजक बैंक के ग्राहकों के बीच वितरित किए जाते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब लिखतों का सही मूल्य निर्धारण नहीं किया गया हो अथवा मुख्य जोखिम कारकों को पर्याप्त रूप से प्रकट न किया गया हो, प्रायोजक अपने ग्राहकों के प्रति कुछ जिम्मेदारी महसूस कर सकते हैं अथवा किसी प्रकार की हानि की भरपाई करने के लिए आर्थिक रूप से बाध्य हो सकते हैं। प्रतिष्ठा जोखिम उस समय भी उत्पन्न होता है जब कोई बैंक मुद्रा बाज़ार म्यूचुअल फंड, इन-हाउस हेज फंड तथा स्थावर संपदा निवेश न्यासों जैसे क्रियाकलापों को प्रायोजित करता है। ऐसे मामलों में बैंक निवेशकों द्वारा धारित शेयरों/यूनिटों के मूल्य को समर्थन देने का निर्णय कर सकते हैं, भले ही उनके लिए उक्त समर्थन देना संविदागत रूप से अपेक्षित न हो।

(v) वित्तीय बाजार संकट से बैंकों द्वारा अपनी संविदागत बाध्यताओं के बाहर जाकर वित्तीय सहायता दिए जाने के कई उदाहरण सामने आए हैं। अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए कुछ बैंकों ने महसूस किया कि अपने एसआईवी को चलनिधि सहायता प्रदान करने के लिए वे बाध्य थे जो उनकी संविदागत बाध्यताओं की सीमा से बाहर था। अन्य मामलों में बैंकों ने बाजार चलनिधि बनाए रखने के लिए स्वयं अपने द्वारा प्रायोजित संस्थाओं द्वारा जारी एबीसीपी खरीदा था। इसके परिणामस्वरूप इन बैंकों को अतिरिक्त चलनिधि तथा ऋण जोखिम लेना पड़ा और उनके पूंजी अनुपातों पर भी दबाव पड़ा।

(vi) प्रतिष्ठा जोखिम किसी बैंक की देयताओं को भी प्रभावित कर सकता है क्योंकि बाजार का भरोसा और अपने व्यवसाय को निधि प्रदान करने की बैंक की क्षमता उसकी प्रतिष्ठा के साथ घनिष्ठता से जुड़ी है। उदाहरणार्थ कोई बैंक अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान से बचाने के लिए अपनी देयताओं में कटौती कर सकता है, यद्यपि इससे उसके चलनिधि प्रोफाइल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह विशेष रूप से मिश्र/गौण ऋण जैसी देयताओं के मामले में सही है जो विनियामक पूंजी के घटक हैं। ऐसे मामलों में किसी बैंक की पूंजीगत स्थिति को हानि पहुंचने की संभावना है।

(vii) बैंक प्रबंध तंत्र के पास नए बाजारों, उत्पादों अथवा क्रियाकलापों के नए क्षेत्रों में प्रवेश करते समय प्रतिष्ठा जोखिम के स्रोतों का पता लगाने वाली समुचित नीतियां मौजूद होनी चाहिए। इसके

अतिरिक्त, बैंकों की दबाव परीक्षण प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रतिष्ठा जोखिम को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि प्रबंध तंत्र को प्रतिष्ठा जोखिम के परिणामों तथा दूसरे चरण के प्रभावों की ठोस समझ हो।

(viii) यदि एक बार कोई बैंक प्रतिष्ठा जोखिमों से पैदा होने वाले संभावित एक्सपोज़रों की पहचान कर लेता है तो उसे प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों में अपने द्वारा दी जानेवाली सहायता (प्रतिभूतिकरणों के अंतर्निहित समर्थन सहित) अथवा हानियों की नापजोख कर लेनी चाहिए। विशेष रूप से प्रतिष्ठा को क्षति से बचाने तथा बाजार का भरोसा बनाए रखने के लिए बैंकों को उन तमाम प्रकार के जोखिमों (उदाहरणार्थ, ऋण, चलनिधि बाजार अथवा परिचालनगत जोखिम), जिनसे वे रु-ब-रू हैं, के रूप में प्रतिष्ठा जोखिम के प्रभाव को यथासंभव सटीक ढंग से मापने के लिए विधियां विकसित करनी चाहिए। इसे नियमित दबाव परीक्षणों के अंतर्गत प्रतिष्ठा जोखिम परिदृश्यों को शामिल करके किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, किसी बैंक के ऋण, बाजार तथा चलनिधि जोखिम प्रोफाइलों पर प्रभाव का निर्धारण करने के लिए गैर-संविदागत तुलनपत्रेतर एक्सपोज़रों को दबाव परीक्षणों में शामिल किया जा सकता है। विधियो में तुलनपत्र में दर्शाये गये एक्सपोज़र की वास्तविक राशि बनाम तुलनपत्रेतर धारित अधिकतम एक्सपोज़र की राशि अर्थात् बैंक के एक्सपोज़र की संभावित राशि की तुलना भी शामिल हो सकती है।

(ix) बैंकों को तुलनपत्र के आस्ति पक्ष में संभावित बढ़ोतरी तथा निधीयन पर संभावित प्रतिबंधों दोनों को ध्यान में रखकर अपनी समग्र चलनिधि स्थिति पर प्रतिष्ठा जोखिम के प्रभावों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि प्रतिष्ठा की क्षति के परिणामस्वरूप तमाम प्रतिपक्षकारों का भरोसा न टूटे।

(x) गारंटियों जैसे संविदागत ऋण एक्सपोज़रों के विपरीत अव्यक्त सहायता एक सूक्ष्म प्रकार का एक्सपोज़र है। अव्यक्त सहायता किसी बैंक द्वारा किसी संविदागत दायित्व की सीमा से आगे जाकर किसी प्रतिभूतीकरण लेनदेन को बिक्री के बाद दी जाने वाली सहायता से उत्पन्न होती है। अव्यक्त सहायता के अंतर्गत विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) की वर्तमान अथवा भावी देयताओं के संबंध में प्रवर्तक द्वारा दिए गए किसी चुकौती आश्वासन पत्र (एलसी) को शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार की गैर-संविदागत सहायता से किसी बैंक को हानि का जोखिम होता है जैसे प्रतिभूतीकरण की आधार आस्तियों की ऋण गुणवत्ता में गिरावट से उत्पन्न होने वाली हानि।

(xi) अव्यक्त सहायता प्रदान करने के माध्यम से कोई बैंक बाजार को यह संकेत भेजता है कि प्रतिभूतिकृत आस्तियों में अंतर्निहित सभी जोखिम अभी भी संगठन द्वारा धारित हैं और उन्हें अंतरित नहीं किया गया है। चूंकि अंतर्निहित सहायता के संभावित प्रावधान से उत्पन्न होने वाला जोखिम स्तंभ 1 के अंतर्गत शामिल नहीं होता अतः इसे स्तंभ 2 प्रक्रियाओं के एक हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नए उत्पादों अथवा रणनीतिक पहल कमियों के अनुमोदन की

प्रक्रियाओं के अंतर्गत अव्यक्त सहायता के संभावित प्रावधान पर विचार करना चाहिए और संबंधित बैंक के आईसीएएपी में उसे शामिल किया जाना चाहिए।

**13.10 जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन**

बैंकों को (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वार अनुमत) संरचित उत्पादों में निवेश करते समय अंतर्निहित जोखिमों का विश्लेषण करना चाहिए और उन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़रों को दी गयी क्रेडिट रेटिंगों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। बैंकों को इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि बाह्य रेटिंग क्रेडिट विश्लेषण के लिए एक उपयोगी प्रस्थान बिंदु हो सकती है लेकिन वह अंतर्निहित जोखिम को पूरी तरह और ठीक से समझने का विकल्प नहीं हो सकता विशेष रूप से तब जब कुछ आस्ति की रेटिंगों का छोटा इतिहास हो अथवा उनमें अस्थिरता देखी गयी हो। इसके अलावा, बैंकों को आस्तियों का अधिग्रहण करते समय और सतत आधार पर भी प्रतिभूतीकरण का क्रेडिट विश्लेषण करते रहना चाहिए। सभी संबंधित जोखिमों का विश्वसनीय मूल्यांकन करने के लिए बैंकों के पास आवश्यक मात्रात्मक उपकरण, मूल्यन के मॉडल तथा पर्याप्त रूप से उन्नत दबाव परीक्षण भी होने चाहिए।

प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़रों का मूल्यांकन करते समय बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी प्रकार के जोखिम संकेंद्रणों सहित संरचित क्रेडिट लेनदेन के अंतर्गत अंतर्निहित एक्सपोज़रों की ऋण-गुणवत्ता तथा जोखिम विशेषताओं को पूरी तरह समझते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकों को संभावित परिपक्वता संबंधी असंतुलन का मूल्यांकन करने के लिए बैंकों को जारी की गयी देयताओं से संबंधित ऋण लेनदेन में अंतर्निहित एक्सपोज़रों की परिपक्वता की समीक्षा करनी चाहिए।

बैंकों द्वारा लेनदेन के स्तर पर अपने प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़रों में निहित तथा अपने प्रत्येक व्यवसाय क्षेत्र के भीतर तथा विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों के स्तर पर ऋण जोखिम की पड़ताल की जानी चाहिए। उन्हें कुल जोखिमों के आकलन के लिए भरोसेमंद उपाय करने चाहिए। बैंकों को प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़रों के नाम, उत्पाद अथवा क्षेत्र जैसे सभी महत्वपूर्ण संकेंद्रणों का पता लगाना चाहिए और उसकी सूचना संपूर्ण संस्था की जोखिम संकेंद्रण प्रणालियों को देनी चाहिए जो, किसी विशेष बाध्यताधारी को होने वाले मसलन, ऋण एक्सपोज़र का पता लगाती हैं।

बैंकों द्वारा जोखिम का स्व-मूल्यांकन प्रतिभूतीकरण लेनदेन की संरचना की व्यापक समझ पर आधारित होनी चाहिए। इसके अंतर्गत तमाम तरह के खतरे के बटनों, ऋण प्रक्रिया के अहम चरणों तथा अन्य विधिक उपबंधों की पहचान की जानी चाहिए जो उनके तुलनपत्र तथा तुलनपत्रेतर एक्सपोज़रों के कार्य-निष्पादन को प्रभावित कर सकते हैं और खतरे के इन संकेतों तथा उपबंधों को उनके निधीयन/चलनिधि, ऋण तथा तुलनपत्र प्रबंधन के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। बैंकों की

चलनिधि तथा पूंजी की स्थिति पर ऋण प्रक्रिया से जुड़े घटनाक्रम अथवा खतरे के संकेतों के प्रभाव पर भी विचार किया जाना चाहिए।

विश्व स्तर पर बैंकों ने या तो इस बात को कमतर आँका या उन्हें इसका पूर्वाभास भी नहीं था कि समूचे बाजार में फैली उथल-पुथल उनके प्रस्तावित अथवा भावी एक्सपोज़रों के प्रतिभूतीकरण को रोक सकती है और वे चलनिधि, आय तथा पूंजी पर्याप्तता पर उससे पड़ने वाले प्रभाव का भी पूर्वानुमान नहीं लगा सके। बैंकों को अपनी जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के एक हिस्से के रूप में एक्सपोज़रों के प्रतिभूतीकरण की संभावना पर विचार किए बिना प्रस्तावित एक्सपोज़रों तथा भावी एक्सपोज़रों को ध्यान में रखना चाहिए और जहां उचित हो, बाजार की कीमतों पर उनका मूल्य निर्धारण करना चाहिए। बैंकों को अपने दबाव परीक्षण के एक हिस्से के रूप में ऐसे परिदृश्यों पर विचार करना चाहिए जो उनकी आस्तियों के प्रतिभूतीकरण को रोक सकते हैं और अपनी चलनिधि, आय तथा पूंजी पर्याप्तता पर ऐसे एक्सपोज़रो के भावी प्रभाव की पहचान करनी चाहिए।

बैंकों को विवेकपूर्ण आकस्मिक योजनाएं विकसित करनी चाहिए जिनमें इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि वे प्रतिभूतीकरण बाजारों तक पहुँच कम हो जाने के परिणामस्वरूप पैदा होने वाले निधीयन, पूंजी तथा अन्य दबावों से किस प्रकार निपटेंगे। आकस्मिक योजनाओं में इस बात का भी जिक्र आना चाहिए कि बिक्री अथवा व्यवसाय के लिए धारित संभावित रूप से अनकदी स्थितियों के समक्ष उत्पन्न होने वाली मूल्यन संबंधी चुनौतियों का वे किस प्रकार सामना करेंगे। जोखिम के निर्धारकों, दबाव परीक्षण परिणाम तथा आकस्मिक योजनाएं बैंकों की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों तथा उनके आईसीएएपी में समाविष्ट की जानी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम अपेक्षाओं से अधिक स्तंभ 2 के अंतर्गत पूंजी का एक समुचित स्तर निर्मित होना चाहिए।

जोखिम कम करने की तकनीकें अपनाने वाले बैंकों को कम किए जाने वाले जोखिमों, उस कमी के संभावित प्रभावों और जोखिमों में की गई कमियां पूरी तरह प्रभावी है या नहीं, की पूरी समझ होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि बैंक पूंजी के अपने मूल्यांकन में निहित वास्तविक जोखिम को कमतर नहीं आँक रहे हैं। विशेष रूप से उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या वे एक निधीयन उपकरण के रूप में प्रतिभूतीकरण पर निर्भरता के कारण कठिन परिदृश्यों में प्रतिभूतीकरण संरचनाओं को सहायता प्रदान कर सकेंगे।

### 13.11 मूल्यन की प्रथाएं

प्रतिभूतीकरण लेनदेन सहित जटिल संरचित उत्पादों की विशेषताएं आंशिक रूप से सक्रिय और नकदी बाजारों के अभाव, भारी मात्रा में नकदी प्रवाह की जटिलता तथा अद्वितीयता और आंशिक रूप से मूल्यनों तथा अंतर्निहित जोखिम कारकों के बीच संबंधों के कारण उनके मूल्यन को अंतर्निहित रूप से कठिन बना देते हैं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, वर्तमान में भारत में बैंकों को

भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना इस प्रकार के एक्सपोज़र स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। तथापि, उनकी विदेश स्थित शाखाओं में इस प्रकार के एक्सपोज़र 1 दिसंबर 2008 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 89/ 21.04.141/ 2008-09 के जारी होने से पहले दर्ज किए हो सकते हैं। किसी नकदी बाजार से पारदर्शी कीमत के अभाव का अर्थ है मूल्यन को मॉडल अथवा अनुमानित मूल्य निर्धारण की विधियों तथा विशेषज्ञों के निर्णय पर आधारित होना पड़ेगा। ऐसे मॉडलों और प्रक्रियाओं के परिणाम इन्पुट्स तथा अपनाए गए मापदंडों संबंधी मान्यताओं /अभिधारणाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं जो स्वयं अनुमान त्रुटि तथा अनिश्चितता के अधीन हो सकते हैं। इसके अलावा, मूल्यन विधियों का अंशांकन प्रायः तुरंत सुलभ बेंचमार्कों के अभाव के कारण जटिल हो जाता है। इसलिए, बैंकों से यह अपेक्षित है कि जोखिम प्रबंधन तथा वित्तीय सूचना के प्रयोजनों के लिए यथोचित मूल्य-निर्धारण एक्सपोज़रों की पर्याप्त नियंत्रण संरचनाएं तथा नियंत्रण प्रक्रियाएं उनके पास होनी चाहिए। मूल्यन नियंत्रण संरचनाएं तथा संबंधित प्रक्रियाएं बैंकों की संपूर्ण नियंत्रण संरचना में समाहित होनी चाहिए और उन्हें जोखिम प्रबंधन तथा सूचना दोनों प्रयोजनों के अनुरूप होना चाहिए। नियंत्रण संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं से अपेक्षित है कि उनमें बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका स्पष्ट रूप से शामिल हो। इसके अतिरिक्त, बोर्ड को मूल्यन ओवर साइट तथा मूल्य मॉडल कार्यनिष्पादन से जुड़े मुद्दों, जो समाधान के लिए उनके समक्ष लाए जाते हैं, तथा मूल्यन नीतियों में सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर वरिष्ठ प्रबंधन से रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए।

बैंक के पास वित्तीय लिखतों के मूल्य निर्धारण, उसके समनुदेशन और सत्यापन के लिए एक स्पष्ट और सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना होनी चाहिए। नीतियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी मूल्य निर्धारण क्रियाविधियों के अनुमोदन सुप्रलेखित हैं। इसके अलावा नीतियों और प्रक्रियाओं में आरंभिक मूल्य निर्धारण, बाज़ार दर पर/मोडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण समायोजन और आवधिक स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन के संबंध में स्वीकार्य पद्धतियों का वर्णन रहना चाहिए। नये उत्पाद की अनुमोदन प्रक्रियाओं में जोखिम माप, जोखिम नियंत्रण और वित्तीय लिखतों के मूल्य निर्धारण के समनुदेशन और सत्यापन से जुड़े सभी आंतरित स्टेक धारक शामिल होने चाहिए।

किसी बैंक के मूल्य निर्धारणों की माप और रिपोर्टिंग संबंधी नियंत्रण प्रक्रियाएं पूरे फर्म पर समान रूप से लागू की जानी चाहिए और जोखिम माप और प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ उनका एकीकरण किया जाना चाहिए। विशेष रूप से ये मूल्य निर्धारण नियंत्रणों को समान रूप से समान लिखतों (जोखिमों) और कारोबारी क्षेत्रों (बहियों) पर लागू करना चाहिए। ये नियंत्रण आंतरिक लेखा परीक्षा के अधीन होने चाहिए। नये उत्पादों का बुकिंग स्थल कहीं भी हो, मूल्य निर्धारण क्रियाविधियों की समीक्षा और अनुमोदन के पीछे विचारों/अवधारणाओं का एक न्यूनतम समूह होना चाहिए। इसके अलावा मूल्य निर्धारण/नये उत्पाद के अनुमोदन की प्रक्रिया का समर्थन उत्पाद और कारोबार की विशिष्ट स्वीकार्य मूल्य निर्धारण क्रियाविधियों की पारदर्शी और सुप्रलेखित सूची द्वारा किया जाना चाहिए।

जिन लिखतों और लेनदेन का बैंक प्रयोग करता है उनके मूल्य निर्धारण को स्थापित और सत्यापित करने के लिए, बैंक के पास पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए - दबाव की अवधि के दौरान भी। यह क्षमता संस्था के कारोबारी प्रोफाइल के संदर्भ में इन एक्सपोजरों के महत्व, जोखिम और आकार के अनुसार होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक्सपोजर महत्वपूर्ण जोखिम वाले हों उनके संबंध में बैंक के पास यह क्षमता होनी चाहिए ताकि प्राथमिक इनपुट और विधियां बाजार के गतिरोध या कम तरलता के कारण अविश्वसनीय, अनुपलब्ध या अप्रासंगिक हो जाने पर वैकल्पिक विधियों का प्रयोग कर मूल्य निर्धारण कर सकें। बैंक को अपने मोडेलों के कार्य निष्पादन की समीक्षा और परीक्षण दबाव की परिस्थितियों में करना चाहिए ताकि बैंक दबाव की परिस्थितियों के अंतर्गत मोडेलों की सीमाएं समझ सकें।

मूल्य निर्धारण की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता इनपुट की गुणवत्ता और विश्वसनीयता से सीधे जुड़ी हुई है। बैंक से यह आशा की जाती है कि मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में प्रयोग करने के लिए समुचित इनपुट का चयन करते समय किसी लिखत के उचित मूल्य पर संभावित प्रभाव डालने वाली संबंधित बाजार सूचनाओं तथा अन्य कारकों का निर्धारण करने के लिए लेखाकरण दिशानिर्देशों का प्रयोग करेंगे। जहां किसी सक्रिय बाजार में रहने के लिए मूल्यों का निर्धारण किया जाता है वहां बैंकों को मूल्यन तकनीक का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य का निर्धारण करते समय संबंधित प्रेक्षणीय सूचनाओं का प्रयोग अधिक से अधिक तथा अप्रेक्षणीय सूचनाओं का प्रयोग कम-से-कम करना चाहिए। तथापि जहां बाजार निष्क्रिय हो, वहां प्रेक्षणीय इनपुट या लेनदेन प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं, जैसा कि बाध्यकारी परिसमापन या आपदा बिक्री में हो सकता है या लेनदेन प्रेक्षणीय नहीं हो सकता है, जैसा कि जब बाजार निष्क्रिय रहते हैं। ऐसे मामलों में उचित मूल्य लेखांकन दिशानिर्देश इस संबंध में सहायता प्रदान करते हैं कि किन बातों पर विचार करना चाहिए, परंतु ये बाध्यकारी नहीं हो सकते हैं। कोई स्रोत विश्वसनीय और प्रासंगिक है या नहीं, इसका मूल्यांकन करें। बैंक को अन्य बातों के साथ निम्न पर विचार करना चाहिए :

- कीमतों/भावों की उपलब्धता और बारंबारता
- क्या ये कीमतें पर्याप्त दूरी बनाये रखने के आधार पर होने वाले वास्तविक नियमित लेनदेन का प्रतिनिधित्व करती हैं
- आंकड़ों का विस्तार और यह तथ्य कि क्या आंकड़े बाजार के संबंधित प्रतिभागियों को आम तौर पर उपलब्ध रहते हैं।
- मूल्य निर्धारण की बारंबारता की तुलना में सूचना की सामयिकता
- स्वतंत्र स्रोतों की संख्या जो कीमत/भाव बताते हैं
- क्या भाव/कीमतें वास्तविक लेनदेन से समर्थित हैं
- बाजार की परिपक्वता; और

- लेनदेन में बेचे गये वित्तीय लिखत और संस्था में धारित लिखत की समानता

बैंक की बाह्य सूचना प्रणाली द्वारा सामयिक, प्रासंगिक, विश्वसनीय और उपयोगी सूचना प्रदान की जानी चाहिए जो पारदर्शिता को संभव बनाती हो। वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को इस बात पर विचार करना चाहिए कि मूल्य निर्धारण अनिश्चितता संबंधी प्रकटीकरण को अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए बैंक मोडेलिंग तकनीकों का और उन लिखतों का वर्णन कर सकता है जिन पर वे लागू की जाती हैं अथवा बैंक मोडेलिंग इनपुट और अवधारणाओं के प्रति उचित मूल्य की संवेदनशीलता तथा मूल्य निर्धारण पर दबाव परिदृश्यों के प्रभाव का वर्णन कर सकता है। बैंक को नियमित रूप से अपनी प्रकटीकरण नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रकट की गयी सूचना उसके कारोबारी मोडेल और उत्पादों और वर्तमान बाजार स्थितियों के लिए प्रासंगिक बनी हुई है।

### 13.12 दबाव परीक्षण की अच्छी प्रथाएं

दबाव परीक्षण एक महत्वपूर्ण साधन है जिसका प्रयोग बैंक अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में करते हैं। यह साधन बैंक प्रबंधन को अनगिनत प्रकार के जोखिमों से जुड़े अप्रत्याशित दुष्परिणामों के प्रति सचेत करता है और साथ ही बैंकों को इससे इस बात का संकेत भी प्राप्त होता है कि स्थिति में नुकसान की भरपाई करने के लिए कितनी पूंजी की जरूरत होगी। इसके अलावा, दबाव परीक्षण अन्य जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोणों तथा उपायों का संपूरक होता है। दबाव परीक्षण निम्नलिखित में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है :

- जोखिम के भविष्यमुखी मूल्यांकन प्रदान करना,
- मॉडलों तथा ऐतिहासिक आंकड़ों की सीमाओं से निजात पाना,
- आंतरिक तथा बाह्य संप्रेषण को सहायता प्रदान करना,
- पूंजी तथा चलनिधि आयोजना प्रक्रियाओं को पुष्ट करना,
- बैंकों की जोखिम सहायता की स्थिति के बारे में सूचना देना,
- कंपनी के स्तर पर मौजूदा अथवा भावी संकेंद्रणों का समाधान करना, तथा
- विभिन्न प्रकार की संकटापन्न स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जोखिम में कमी अथवा आकस्मिक योजनाएं विकसित करने को सहज बनाना।

अहानिकर जोखिम के लंबे दौरे के बाद दबाव परीक्षण का विशेष महत्व होता है जब नकारात्मक आर्थिक स्थितियों की धूमिल पड़ती स्मृति से आत्म संतुष्टि का भाव पैदा हो सकता है और जोखिम का कम मूल्यांकन हो सकता है और जब नवोन्मेष के कारण नए उत्पादों में तीव्र वृद्धि होती है जिसके लिए हानि संबंधी आंकड़े सीमित हैं या फिर नहीं हैं।

यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि दबाव परीक्षण में सुधार से ही जोखिम प्रबंधन संबंधी सभी कमजोरियों का समाधान नहीं किया जा सकता लेकिन दबाव परीक्षण एक व्यापक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में बैंकों के कार्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत बनाने और बैंकों तथा वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन में प्रमुख भूमिका निभाता है।

दबाव परीक्षण को बैंकों समूचे गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबंधन संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बनना चाहिए। दबाव परीक्षण के उद्देश्य निश्चित करने, परिदृश्य परिभाषित करने, दबाव परीक्षण के परिणामों पर चर्चा करने, भावी कार्रवाईयों का मूल्यांकन करने तथा निर्णय लेने में बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन की सहभागिता बैंकों के जोखिम गवर्नेंस तथा पूंजी आयोजना में दबाव परीक्षण का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वरिष्ठ प्रबंधन को दबाव परीक्षण के विकास तथा परिचालन में सक्रिय रूचि लेनी चाहिए। दबाव परीक्षण के परिणामों से रणनीतिक निर्णयन में सहायता मिलनी चाहिए और इससे नयी पूंजी जुटाने या पोजिशन की हेजिंग या बिक्री करने के संबंध में उनकी लागत, जोखिम तथा गति जैसी अवधारणाओं के संबंध में आंतरिक बहस को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। दबाव परीक्षण कार्यक्रम के प्रभावी परिचालन के लिए आवश्यक है कि बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन उसके साथ जुड़े।

बैंकों की पूंजी आयोजना प्रक्रियाओं में कष्ट साध्य; भविष्यदर्शी दबाव परीक्षण को शामिल किया जाना चाहिए जो बैंकों पर प्रभाव डालने वाली बाजार की परिस्थितियों में संभावित घटनाओं अथवा परिवर्तनों की पहचान करता है। अपने आईसीएएपी के अंतर्गत बैंकों को विपरीत परिस्थितियों में भावी पूंजी संसाधनों तथा पूंजी अपेक्षाओं की समीक्षा करनी चाहिए। विशेष रूप से बैंकों के पूंजी बफर की पर्याप्तता का मूल्यांकन करते समय भविष्यदर्शी दबाव परीक्षण के परिणामों पर विचार किया जाना चाहिए। पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन विभिन्न प्रकार के अनुपातों, जिनमें विनियामक अनुपातों के साथ-साथ पूंजी संसाधनों की बैंकों की आंतरिक परिभाषा पर आधारित अनुपात शामिल हैं, के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस बात की संभावना पर भी गौर करना चाहिए कि किसी संकट से बहुत स्वस्थ बैंकों की भी उचित लागत पर निधि जुटाने का क्षमता को भंग कर देता है।

बैंकों को साख, चलनिधि, बाजार तथा अन्य जोखिमों जैसे अन्य जोखिम प्रकारों के रूप में प्रतिष्ठा जोखिम के प्रभाव का आकलन करने के लिए तरीके विकसित करना चाहिए जिनसे रू रू होना पड़-ब-सकता है ताकि प्रतिष्ठा से जुड़े नुकसान से बचा जा सके और बाजार का आत्म विश्वास कायम रखा जा सके। नियमित दबाव परीक्षणों में प्रतिष्ठा से जुड़े जोखिम परिदृश्यों को शामिल करके ऐसा किया जा सकता है। उदाहरणार्थ बैंकों के साख, बाजार तथा चलनिधि जोखिम प्रोफाइलों पर गैर-संविदागत तुलनपत्रेतर एक्सपोज़रों के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए उन्हें दबाव परीक्षणों में शामिल करना।

बैंकों को तुलनपत्रेतर संस्थाओं तथा संरचित ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित तीसरी पक्षकार कंपनियों के प्रति प्रतिबद्धताओं से संबंधित जोखिमों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। साथ ही, उन्हें इस संभावना का भी मूल्यांकन करना चाहिए कि प्रतिष्ठा संबंधी कारणों से आस्तियों को तुलन पत्र पर रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए, बैंकों को अपने दबाव परीक्षण कार्यक्रम में उन सभी परिदृश्यों को शामिल करना चाहिए जो उनकी अपनी वित्तीय चलनिधि तथा विनियामक पूंजी स्थितियों से संबंधित ऐसी संस्थाओं तथा कंपनियों के आकार और उनकी सक्षमता का मूल्यांकन करते है। इस विश्लेषण के अंतर्गत संरचनागत, ऋण शोधन क्षमता, चलनिधि तथा जोखिम के अन्य मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए जिनमें प्रसंविदा और जोखिम के कारणों के प्रभाव का समावेश हो।

### 13.13 सुदृढ़ क्षतिपूर्ति प्रथाएं

जोखिम प्रबंधन को बैंक संस्कृति में अनिवार्य रूप से समाहित किया जाना चाहिए। रणनीतिक तथा रोजमर्रा के निर्णय लेते समय उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक, मुख्य जोखिम अधिकरी (सीआरओ), वरिष्ठ प्रबंधन, व्यापार डेस्क तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के प्रमुखों तथा कर्मचारियों की निगाह के केंद्र में होना चाहिए। एक व्यापक और सघन जोखिम प्रबंधन संस्कृति के विकसित होने तथा एक लंबे समय तक उसे कायम रखने के लिए क्षतिपूर्ति नीतियों को अनुचित रूप से अल्पकालिक लेखाकरण लाभ के अवसर पैदा करने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। क्षतिपूर्ति नीतियों को दीर्घकालिक पूंजी संरक्षण तथा कंपनी की वित्तीय सामर्थ्य से जुड़ी होनी चाहिए और उनमें जोखिम समायोजित कार्य निष्पादन संबंधी उपायों का उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को अपने स्टेकधारकों के समक्ष अपनी क्षतिपूर्ति नीतियों का पर्याप्त प्रकटीकरण करना चाहिए। बैंकों के निदेशक मंडलों तथा वरिष्ठ प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वे वेतन नीतियों से पैदा होने वाले जोखिमों को कम करें ताकि समूची कंपनी के स्तर पर जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

विशाल वित्तीय कंपनियों में क्षतिपूर्ति प्रथाएं उन तमाम कारकों में से एक कारक रही हैं जिनके कारण 2007 में वित्तीय संकट की शुरुआत हुई थी। उच्च स्तर के अल्पकालिक लाभ के फलस्वरूप कर्मचारियों को इस बात पर पर्याप्त सोच-विचार किए बिना मुक्तहस्त बोनस का भुगतान किया गया कि इससे उनकी कंपनियों को दीर्घकालिक जोखिम उठाना पड़ा। इस प्रकार के आर्थिक प्रोत्साहनों के चलते जोखिम आमंत्रण के अतिरेक में तेजी आ गई। इसी अतिरेकी जोखिम आमंत्रण ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली की चूलें हिला दी हैं और बदहाल कंपनियों के पास इतना भी संसाधन नहीं छोड़ा कि वे जोखिम उभरने पर नुकसान को सह सके। जोखिम के प्रति सजगता की कमी के कारण भी उद्योग में भारी तथा कुछ मामलों में आत्यांतिक और चरम स्तर की क्षतिपूर्ति भी हुई। इसके परिणामस्वरूप व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण कंपनियों के लिए इस क्षेत्र में क्षतिपूर्ति प्रथाओं में सुधार लाने और

पर्यवेक्षण को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड (पूर्व में वित्तीय स्थिरता फोरम) ने अप्रैल 2009 में सुदृढ़ क्षतिपूर्ति प्रथाओं के लिए अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए।

बैंकों के निदेशक मंडल को क्षतिपूर्ति प्रणाली के स्वरूप तथा उसके परिचालन की सक्रियतापूर्वक चौकसी करनी चाहिए जिसे मुख्य रूप से मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा प्रबंध दल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। संबंधित बोर्ड सदस्यों तथा कर्मचारियों को जोखिम प्रबंधन तथा क्षतिपूर्ति के मामले में स्वतंत्र और पारंगत होना चाहिए। इसके अलावा, निदेशक मंडल को क्षतिपूर्ति प्रणाली की निगरानी और उसकी समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रणाली में पर्याप्त नियंत्रण मौजूद हैं और वह अपेक्षा के अनुरूप काम कर रही है। नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली के व्यावहारिक परिचालन की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए। प्रयोजनों की लगातार पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति के निष्कर्षों, जोखिम-मूल्यांकन तथा जोखिम परिणामों की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए।

वित्तीय तथा जोखिम नियंत्रण क्षेत्रों से जुड़े कर्मचारियों को स्वतंत्र होना चाहिए और उनके पास समुचित प्राधिकार होना चाहिए और उन्हें दी जाने वाली क्षतिपूर्ति उनकी देखरेख में आने वाले व्यवसाय क्षेत्रों से मुक्त होना चाहिए और कंपनी में उनकी प्रमुख भूमिका के अनुरूप होनी चाहिए। आर्थिक क्षतिपूर्ति पर वित्तीय तथा जोखिम प्रबंधन के प्रभाव की शुद्धता को बचाए रखने के लिए ऐसे कर्मचारियों की प्रभावी स्वतंत्रता तथा समुचित प्राधिकार आवश्यक है।

क्षतिपूर्ति का समायोजन सभी प्रकार के जोखिमों के साथ किया जाना चाहिए ताकि वेतन को अर्जित लाभ तथा लाभ पैदा करने में कल्पित जोखिम की मात्रा के बीच संतुलित किया जा सके। सामान्यतः उपयुक्त जोखिम समायोजनों का निर्धारण करने में परिमाणात्मक उपायों तथा मानवीय निर्णय दोनों की एक भूमिका होती है। इनमें वे जोखिम भी शामिल हैं जिनका निर्धारण करना कठिन है जैसे चलनिधि जोखिम तथा प्रतिष्ठा जोखिम।

क्षतिपूर्ति के निष्कर्षों को जोखिम परिणामों के तदनुरूप होना चाहिए और क्षतिपूर्ति प्रणालियों को बोनस पूल के आकार को कंपनी के संपूर्ण कार्यनिष्पादन से जोड़ देना चाहिए। कर्मचारियों के आर्थिक भुगतान को प्रत्येक कर्मचारी के योगदान तथा कंपनी के संपूर्ण कार्यनिष्पादन के व्यवसाय से जोड़ देना चाहिए।

क्षतिपूर्ति भुगतान का कार्यक्रम जोखिम के समय-चक्र के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। किसी वित्तीय कंपनी में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लाभ और हानियों का अहसास अलग-अलग समय में होता है। गतिशील क्षतिपूर्ति भुगतानों को भी तदनुसार आस्थगित किया जाना चाहिए। जब जोखिमों का अहसास लंबे समय तक होता हो तो भुगतान को कम समय के लिए अंतिम रूप नहीं

दिया जाना चाहिए। प्रबंधन को आय के लिए भुगतान पर सवाल करना चाहिए जिसकी वसूली नहीं की जा सकती अथवा भुगतान के समय वसूली की संभावना अनिश्चित बनी रहती है।

नकदी, इक्विटी तथा अन्य प्रकार की क्षतिपूर्तियों के संग्रह को जोखिम समेकन के अनुरूप होना चाहिए। यह संग्रह कर्मचारी की स्थिति तथा उसकी भूमिका के आधार पर बदलता है। कंपनी को अपने संग्रह के संबंध में उसके औचित्य का स्पष्टीकरण देना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक क्षतिपूर्ति प्रथाओं की समीक्षा कड़ाई से और लगातार करेगा और यदि कोई कमी होगी तो समुचित पर्यवेक्षी कार्रवाई के द्वारा तत्काल उसका समाधान किया जाएगा।

**13.14** ऊपर जिन जोखिम घटकों की चर्चा की गयी है उन्हें किसी बैंक को प्रभावित करने वाले जोखिमों की परिपूर्ण सूची नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी सुविकसित आइसीएएपी में उन सभी प्रासंगिक घटकों को शामिल किया जाना चाहिए जो पूंजी के लिए जोखिम के महत्वपूर्ण कारण बन सकते हैं। इसके अलावा बैंकों को प्रत्येक जोखिम श्रेणी में उत्पन्न हो सकने वाले जोखिम संकेंद्रण के पूंजी पर्याप्तता पर पड़नेवाले प्रभाव के संबंध में सचेत रहना चाहिए।

## 13.15 आइसीएएपी में गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टिकोण

(क) जोखिम की सभी मापों में गुणात्मक और मात्रात्मक तत्व रहते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो बैंक की माप प्रणाली मात्रात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। कुछ मामलों में मात्रात्मक साधनों में विशाल ऐतिहासिक आँकड़ों का प्रयोग शामिल हो सकता है, लेकिन यदि आंकड़े कम हों तो बैंक दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण के प्रयोग पर अधिक निर्भर रह सकता है। बैंकों को जोखिम की माप करते समय यह समझना चाहिए कि माप में त्रुटि हमेशा होती है और कभी-कभी त्रुटि को भी मात्रात्मक रूप देना कठिन होता है। सामान्य रूप से, मॉडल बनाने और कारोबारी जटिलता से संबंधित अनिश्चितता में वृद्धि होने से पूंजी समर्थन में वृद्धि होनी चाहिए।

(ख) बजट बनाने, भविष्यवाणी करने या कार्यनिष्पादन की माप करने के लिए अधिक संभावित परिणामों पर केंद्रित मात्रात्मक दृष्टिकोण पूंजी पर्याप्तता के लिए पूरी तरह प्रयोज्य नहीं हो सकते हैं क्योंकि आइसीएएपी में कम संभव घटनाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण ऐसी घटनाओं के परिणाम का अनुमान लगाने में प्रभावी हो सकते हैं, जिनकी संभावना कम है लेकिन जिनका बैंक की सुरक्षा और सुदृढ़ता पर भारी प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) जोखिमों को जिस सीमा तक मात्रात्मक साधनों से विश्वसनीय रीति से माप नहीं जा सकता - उदाहरण के लिए, जहाँ जोखिमों की माप कम आँकड़ों अथवा असिद्ध मात्रात्मक विधियों पर आधारित हो - वहाँ, उस सीमा तक, अनुभव और निर्णय सहित गुणात्मक साधनों का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। बैंकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि गुणात्मक दृष्टिकोण के अपने पूर्वाग्रह और

मान्यताएँ हैं जो जोखिम मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। अतः बैंकों को प्रयुक्त गुणात्मक दृष्टिकोण में अंतर्निहित पूर्वाग्रह और मान्यताओं तथा इस दृष्टिकोण की सीमाओं की पहचान करनी चाहिए।

**13.16 जोखिम समूहन और विविधीकरण प्रभाव**

(क) एक प्रभावी आइसीएएपी को पूरे बैंक में व्याप्त जोखिमों का आकलन करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जोखिमों या कारोबार क्षेत्रों में जोखिम समूहन करने वाले बैंक को ऐसे समूहन की चुनौती समझनी चाहिए। इसके अलावा, जोखिमों का समूहन करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए एक से अधिक जोखिम आयामों में व्याप्त संभावित संकेद्रणों पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि एक ही घटना या एक ही प्रकार के घटकों से एक ही समय विभिन्न जोखिम आयामों में हानि हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी एक स्थान पर प्राकृतिक आपदा एक ही समय ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों से हानि उत्पन्न कर सकती है।

(ख) विविधीकरण के संभावित प्रभाव पर विचार करते समय प्रबंध तंत्र को प्रलेखीकरण संबंधी निर्णयों में तथा जोखिम समूहन के प्रत्येक स्तर में पूर्वधारणाओं की पहचान करने में सुव्यवस्थित और सटीक होना चाहिए। विविधीकरण संबंधी पूर्वधारणाएँ विश्लेषण और प्रमाण से समर्थित होनी चाहिए। बैंक के पास ऐसी प्रणालियाँ होनी चाहिए जो बैंक की चुनिंदा पद्धति के आधार पर जोखिम समूहन कर सके। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकारों के जोखिमों के बीच अंतर्सबंध की गणना करते समय बैंक को विस्तृत अवधि में तथा कठिन बाजार परिस्थितियों में अंतर्संबंधों की अस्थिरता, आँकड़ों की गुणवत्ता और सुसंगति पर विचार करना चाहिए।

## भाग - ग : बाज़ार अनुशासन

## 14. बाजार अनुशासन के लिए दिशानिर्देश

### 14.1 सामान्य

14.1.1 बाज़ार अनुशासन का प्रयोजन है न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं (स्तम्भ 1 में दिए गए अनुसार) तथा पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (स्तम्भ 2 में वर्णित) को संपूरित करना। उसका उद्देश्य है, प्रकटीकरण अपेक्षाओं की एक सूची विकसित कर बाज़ार अनुशासन को प्रोत्साहित करना जिससे बाज़ार सहभागी संबंधित संस्था के एप्लिकेशन, पूंजी, जोखिम एक्सपोज़र, जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं की व्याप्ति संबंधी मुख्य तथा महत्वपूर्ण सूचना तथा इस प्रकार संस्था की पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन कर सकेंगे।

14.1.2 सिद्धांततः, बैंक के वरिष्ठ प्रबंध तंत्र तथा निदेशक मंडल बैंक के जोखिमों का जिस प्रकार मूल्यांकन तथा प्रबंधन करते हैं, बैंक का प्रकटीकरण उसी के अनुसार होना चाहिए। स्तम्भ 1 के अंतर्गत बैंक अपने विभिन्न जोखिमों तथा परिणामी पूंजी अपेक्षाओं की गणना के लिए विनिर्दिष्ट दृष्टिकोण/पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। यह माना जाता है कि समान ढांचे पर आधारित प्रकटीकरण देना, बैंक के उन जोखिमों के प्रति एक्सपोज़र के बारे में बाज़ार को सूचित करने का प्रभावी तरीका है तथा यह एक सुसंगत तथा व्यापक प्रकटीकरण ढांचा प्रदान करता है जो तुलनात्मकता को बढाता है।

### 14.2 उपयुक्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करना

14.2.1 बाज़ार अनुशासन सुरक्षित तथा स्वस्थ बैंकिंग परिवेश बनाने में सहायक हो सकता है। अतः, निर्धारित प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन न करने पर दंड हो सकता है, जिसमें वित्तीय दंड शामिल है। तथापि नीचे दर्शाए गए को छोड़कर, यह उद्देश्य नहीं है कि प्रकटीकरण नहीं करने पर प्रत्यक्ष अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाएं की जाएंगी।

14.2.2 सामान्य हस्तक्षेप उपायों के अतिरिक्त, बासल पूंजी पर्याप्तता ढांचे में विनिर्दिष्ट उपायों की भूमिका भी परिकल्पना की गयी है। जहां प्रकटीकरण, निम्नतर जोखिम भार प्राप्त करने तथा/ अथवा विनिर्दिष्ट पद्धतियों को लागू करने के लिए स्तम्भ 1 के अंतर्गत अर्हक मानदंड है वहां ऐसा नहीं करने पर प्रत्यक्ष शास्ति (सैंक्शन) (निम्नतर जोखिम भार अथवा विनिर्दिष्ट पद्धति को लागू करने की अनुमति नहीं देना) होगी।

### 14.3 लेखांकन प्रकटीकरण के साथ संबंध

यह माना गया है कि स्तम्भ 3 का प्रकटीकरण ढांचा अधिक व्याप्ति वाले लेखांकन मानकों की अपेक्षाओं के विरुद्ध नहीं है। बीसीबीएस ने यह सुनिश्चित करने के काफी प्रयास किए हैं कि स्तम्भ 3

का सीमित उद्देश्य, जो कि बैंक की पूंजी पर्याप्तता का प्रकटीकरण है, व्यापक लेखांकन अपेक्षाओं के विरोध में नहीं है। रिज़र्व बैंक, इस क्षेत्र की निरंतर निगरानी तथा औद्योगिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में बाज़ार अनुशासन प्रकटीकरणों में भावी संशोधनों पर विचार करेगा।

**14.4 वैधीकरण**

इस प्रकार के प्रकटीकरणों का पर्याप्त वैधीकरण किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, चूंकि वार्षिक वित्तीय विवरणों में दी गयी जानकारी सामान्यतः लेखा परीक्षित होती है इसलिए ऐसे विवरणों के साथ प्रकाशित अतिरिक्त सामग्री भी लेखा परीक्षित विवरणों से सुसंगत होनी चाहिए। इसके अलावा, जो अनुपूरक सामग्री (जैसे प्रबंध तत्र की चर्चा तथा विश्लेषण) प्रकाशित की जाती है उसकी भी वैधीकरण के प्रयोजन से पर्याप्त संवीक्षा (उदा. आंतरिक नियंत्रण मूल्यांकन आदि) की जानी चाहिए। यदि कोई सामग्री वैधीकरण व्यवस्था के अंतर्गत प्रकाशित नहीं की गयी है, जैसे किसी स्टैण्ड एलोन रिपोर्ट में अथवा वेबसाइट के किसी हिस्से में, तो प्रबंध तंत्र को सुनिश्चित करना चाहिए कि नीचे दिए गए सामान्य प्रकटीकरण सिद्धांत के अनुसार जानकारी का उचित सत्यापन किया जाता है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में स्तम्भ 3 के प्रकटीकरणों की बाह्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा कराने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि ऐसा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

**14.5 महत्ता**

बैंक को महत्ता की संकल्पना के आधार पर अपने लिए महत्वपूर्ण प्रकटीकरण निश्चित करने होंगे। उस जानकारी को महत्वपूर्ण समझा जाएगा, जिसके न होने अथवा जिसके संबंध में गलत वक्तव्य देने से आर्थिक निर्णय लेने के प्रयोजन के लिए उस जानकारी पर निर्भर करनेवाले उपयोगकर्ता के मूल्यांकन अथवा निर्णय में परिवर्तन हो सकता है अथवा वह प्रभावित हो सकता है। यह परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों तथा राष्ट्रीय लेखांकन ढांचे से सुसंगत है। रिज़र्व बैंक किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में वित्तीय जानकारी का उपयोगकर्ता उस मद को महत्वपूर्ण (यूज़र टेस्ट) समझेगा अथवा नहीं, इसके लिए गुणात्मक निर्णयक्षमता की आवश्यकता को मानता है। रिज़र्व बैंक प्रकटीकरण के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझता है क्योंकि यूजर टेस्ट पर्याप्त प्रकटीकरण प्राप्त करने के लिए एक उपयोगी न्यूनतम मानंदड है। तथापि बैंक बृहत्तर प्रकटीकरण आसानी से कर सकें इस दृष्टि से तथा बैंक के स्तम्भ 3 प्रकटीकरणों के बीच अधिक तुलनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कुछ सीमित प्रकटीकरणों के लिए महत्वपूर्णता की आरंभिक सीमाएं निर्धारित की गई हैं। उपर्युक्त के बावजूद, बैंकों को इन विनिर्दिष्ट प्रकटीकरणों पर यूजर टेस्ट लागू करने तथा जहां आवश्यक समझा जाए वहां निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से नीचे भी प्रकटीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

**14.6 स्वामित्व संबंधी (प्रोप्राइटरी) तथा गोपनीयता संबंधी सूचना**

स्वामित्व संबंधी सूचना (उदा. उत्पादनों अथवा प्रणालियों के संबंध में) ऐसी सूचना/जानकारी है जिसे यदि प्रतियोगियों के साथ बांटा जाए तो इन उत्पादनों /प्रणालियों में बैंक के निवेश का मूल्य कम मूल्यवान हो जाएगा तथा इसलिए उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। ग्राहकों से संबंधित जानकारी ज्यादातर गोपनीय होती है क्योंकि वह विधिक करार अथवा काउंटरपार्टी संबंध की शर्त पर प्रदान की जाती है। इसका प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि बैंक अपने ग्राहकों से संबंधित जानकारी तथा अपनी आंतरिक व्यवस्था के ब्यौरे, यथा, प्रयुक्त पद्धतियां, मानदंड अनुमान, आंकड़े आदि में से क्या जानकारी दे। रिज़र्व बैंक का मानना है कि नीचे निर्धारित की गयी अपेक्षाएं अर्थपूर्ण प्रकटीकरण की आवश्यकता तथा स्वामित्व तथा गोपनीयता संबंधी जानकारी की सुरक्षा के बीच उचित संतुलन स्थापित करती हैं।

### 14.7 सामान्य प्रकटीकरण सिद्धांत

बैंकों के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित औपचारिक प्रकटीकरण नीति होनी चाहिए जिसमें बैंक द्वारा किये जानेवाले प्रकटीकरण के निर्धारण के संबंध में बैंक का दृष्टिकोण तथा प्रकटीकरण प्रक्रिया पर आंतरिक नियंत्रण के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया हो। इसके अलावा, बैंकों को अपने प्रकटीकरण के औचित्य, जिसमें वैधीकरण तथा बारंबारता शामिल है, के मूल्यांकन के लिए एक प्रक्रिया लागू करनी चाहिए।

### 14.8 कार्यान्वयन तारीख

दिनांक 28 मई 2013 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.98/21.06.201/2012-13 द्वारा जारी पूंजी प्रकटन अपेक्षाओं की संरचना पर दिशानिर्देशों के अनुसार बासल III के अधीन प्रारंभ किए गए पिलर 3 प्रकटीकरण 01 जुलाई 2013 से प्रभावी हो गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा पहला प्रकटीकरण 30 सितंबर 2013 को किया जाना था (पैराग्राफ 14.12 में वर्णित 31 मार्च 2017 के बाद वाले टेम्प्लेट को छोड़कर)।

### 14.9 प्रकटीकरणों की व्याप्ति तथा बारंबारता

14.9.1 बैंकिंग समूह के उस उच्च समेकित स्तर पर पिलर 3 लागू होता है, जहां पूंजी पर्याप्तता संरचना लागू होती है। सामान्यत: मूल बैंक से यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह समूह के भीतर अलग-अलग बैंकों के संबंध में प्रकटीकरण करे। इसका अपवाद शीर्ष समेकित हस्ती द्वारा पूंजी अनुपातों का वह प्रकटन होगा जहां समूह के भीतर बैंक के महत्वपूर्ण अनुषंगियों का विश्लेषण उचित है, ताकि इन अनुषंगियों द्वारा समूह के भीतर निधियों या पूंजी के अंतरण हेतु संबंधित फ्रेमवर्क और अन्य सीमाओं के अनुपालन की आवश्यकता को स्वीकार किया जा सके। अलग-अलग बैंकों द्वारा एकल आधार पर पिलर 3 प्रकटीकरण करना तब अपेक्षित होगा, जब वे बैंकिंग समूह की शीर्ष समेकित हस्ती नहीं हैं।

14.9.2 बैंकों से अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हुई है या नहीं, इस बात पर ध्यान दिए बिना कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर पिलर 3 प्रकटीकरण[98] करें, केवल निम्नलिखित प्रकटीकरणों को छोड़ कर :

(i) सारणी डीएफ-2: पूंजी पर्याप्तता;

(ii) सारणी डीएफ-3: क्रेडिट जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण; तथा

(iii) सारणी डीएफ-4: क्रेडिट जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण।

बैंकों द्वारा ऊपर (i) ,(ii) और (iii) में दर्शाए गए प्रकटीकरण कम से कम तिमाही आधार पर किए जाएंगे।

14.9.3 सभी प्रकटीकरण बैंकों के प्रकाशित वित्तीय परिणामों/विवरणों में शामिल होने चाहिए, अथवा कम से कम बैंक की वेबसाइट पर अवश्य प्रदर्शित किए जाने चाहिए। यदि बैंक प्रकाशित वित्तीय परिणामों/विवरणों के साथ इन प्रकटीकरणों को प्रकाशित करना परिचालनगत रूप से असुविधाजनक पाते हैं, तो बैंकों को चाहिये कि इन वित्तीय परिणामों/विवरणों में एक सीधा लिंक दे दें, जहां बैंक की वेबसाइट पर ये पिलर 3 प्रकटीकरण पाए जा सकते हैं।[99]

**14.9.4** तथापि, बैंक यह नोट करें कि मुख्य विशेषताएं टेम्प्लेट (जैसा कि पैरा 7 में बताया गया है) तथा पूंजी लिखतों पर पूर्ण निबंधनों और शर्तों के प्रावधान (जैसा कि पैरा 8 में दर्शाया गया है) के मामले में बैंकों से अपेक्षित है कि वे जब भी नया पूंजी लिखत जारी करें और उसे पूंजी में शामिल करें अथवा विद्यमान पूंजी लिखत के स्वरूप में मोचन, परिवर्तन/अवलेखन या कोई अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, तो समवर्ती रूप से इन प्रकटनों को अद्यतन करते रहें।

**14.10 विनियामक प्रकटन भाग**

14.10.1 बैंकों से अपेक्षित है कि वे इस मास्टर परिपत्र के **अनुबंध 18** में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में प्रकटन करें। बैंकों को अपनी वेबसाइट पर एक 'विनियामक प्रकटन भाग' बनाना चाहिए, जहां बाजार सहभागियों को विनियामक पूंजी संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस पृष्ठ के लिए होम पेज पर सुस्पष्ट रूप में सीधा लिंक उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जो आसानी से खुलता हो। यह अपेक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि स्तंभ 3 प्रकटनों की प्रासंगिकता/ लाभ इसलिए कम न हो ,क्योंकि वे सुलभ नहीं हैं।

---

[98] कृपया विस्तृत पिलर 3 प्रकटीकरण टेम्प्लेटों के लिए अनुबंध 18 देखें।

[99] यह नोट किया जाए कि स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न किए गए तथा /अथवा जिन्हें वित्तीय परिणाम/विवरण प्रकाशित करना अपेक्षित नहीं है, ऐसे बैंकों सहित सभी बैंकों द्वारा पिलर 3 प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है। अतएव, ऐसे बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे उचित समय के भीतर अपनी वेबसाइट पर पिलर 3 प्रकटीकरण करें।

14.10.2 बैंकों द्वारा पिछली रिपोर्टिंग अवधियों से संबंधित कम से कम तीन वर्ष के सभी टेम्प्लेट के पुराने अभिलेख अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

**14.11 बासल III ढांचे के अंतर्गत पिलर 3[100]**

14.11.1 बैंकिग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) ने पूंजी प्रकटन अपेक्षाओं की संरचना पर नियमावली मसौदा[101] जारी किया है। तदनुसार, इसके बाद के पैराग्राफों में बासल III के अंतर्गत प्रारंभ की गई पिलर 3 प्रकटन अपेक्षाओं के साथ उचित संशोधनों/संवर्धनों के साथ पहले की प्रकटन अपेक्षाओं का वर्णन किया गया है।

14.11.2 विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों की पूंजी पर्याप्तता की तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विनियामक पूंजी और उसके विभिन्न समायोजनों की मदों का ब्योरा प्रकट किया जाए। इसके अलावा, पूंजी संरचना से संबंधित प्रकटनों के प्रयोग की सहजता और सुसंगति में सुधार लाने तथा वर्धित प्रकटनों के लक्ष्य को कमजोर करने वाले असंगत रिपोर्टिंग फॉर्मेट के जोखिम को घटाने हेतु बासल सदस्यों के क्षेत्राधिकारों के बैंकों से अपेक्षित है कि वे सामान्य टेम्प्लेट के अनुसार अपनी पूंजी स्थितियों का प्रकाशन करें। प्रकटन अपेक्षाओं का निर्धारण निम्नलिखित टेम्प्लेट के रूप में किया गया है:

**(i) 31 मार्च 2017 के बाद प्रकटीकरण टेम्प्लेट**

बैंकों द्वारा 31मार्च 2017, अर्थात् क्रमिक रूप में कटौतियां लागू होने की संक्रमण अवधि की समाप्ति के बाद अपनी विनियामक पूंजी के ब्यौरे रिपोर्ट करने के लिए एक सामान्य टेम्प्लेट का प्रयोग किया जाएगा। इसे बासल III के सभी विनियामक समायोजनों के प्रकटीकरण की अपेक्षा पूर्ण करने की दृष्टि से बनाया गया है। टेम्प्लेट में बैंकों के बीच तथा विभिन्न क्षेत्राधिकारों के बीच पूंजी के तत्वों के प्रकटीकरण में सुसंगति और तुलनीयता में वृद्धि हुई है।

**(ii) संक्रमण अवधि के दौरान टेम्प्लेट**

भारत में बासल III के विनियामक समायोजनों को क्रमिक रूप में लागू करने की संक्रमण अवधि, अर्थात् 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2017 के दौरान बैंक 31 मार्च 2017 के बाद वाले टेम्प्लेट के

---

[100] पूंजी प्रकटीकरण अपेक्षाओं पर दिशानिर्देशों पर दिनांक 28 मई 2013 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 98/21.06.201/2012-13 द्वारा प्रारंभ की गई पूंजी प्रकटीकरण अपेक्षाएं। ये दिशानिर्देश 01 जुलाई 2013 से प्रभावी हैं। अतएव, बैंकों द्वारा इन दिशानिर्देशों द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरणों का पहला सेट 30 सितंबर 2013 को किया जाएगा। ये नई प्रकटीकरण अपेक्षाएं एनसीएएफ में निहित पिलर 3 अपेक्षाओं के अतिरिक्त हैं।

[101] नियमावली का पाठ http://www.bis.org/publ/bcbs221.htm पर उपलब्ध है।

एक परिवर्तित रूप का प्रयोग करेंगे। इस टेम्प्लेट को पूंजी के उन तत्वों के प्रकटीकरण की बासल III की अपेक्षा पूर्ण करने की दृष्टि से बनाया गया है, जिन्हें संक्रमण की व्यवस्थाओं से लाभ होगा।

**(iii) समाधान संबंधी अपेक्षाएं**

जैसा कि बासल III के अंतर्गत परिकल्पित है, समाधान संबंधी अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु एक तीन चरण वाली योजना बनाई गई है। समाधान हेतु इस चरणबद्ध पद्धति से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी विनियामक पूंजी तत्वों का प्रकाशित वित्तीय विवरणों से सुसंगत तरीके से पूर्ण समाधान की बासल III की अपेक्षा पूरी हो सके।

**(iv) मुख्य विशेषताएं टेम्प्लेट**

किसी बैंक द्वारा जारी सभी विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं को एक स्थान पर व्यक्त करने हेतु एक सामान्य टेम्प्लेट बनाया गया है। इस प्रकटीकरण आवश्यकता का उद्देश्य पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन उपलब्ध कराने की बासल III अपेक्षा को पूर्ण करना है।

**(v) अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं**

यह प्रकटीकरण पूंजी लिखतों के सभी निबंधनों और शर्तों को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की बासल III की अपेक्षा पूर्ण करने में बैंकों की सहायता करता है।

**(vi)** पिलर 3 प्रकटन अपेक्षाओं में कुछ ऐसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है जो पिलर 1 के अंतर्गत पूंजी अपेक्षाओं की गणना में विशेष रूप से अपेक्षित नहीं हैं।[102] यह नोट किया जाए कि इन दिशानिर्देशों में निर्धारित की गई प्रकटन अपेक्षाओं के अतिरिक्त बैंक बाजार सहभागियों को अपना वास्तविक जोखिम प्रोफाइल सूचित करने के लिए उत्तरदायी हैं। बैंकों द्वारा प्रकट की गई सूचना इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इन दिशानिर्देशों में निर्धारित की गई विशिष्ट प्रकटन अपेक्षाओं के अतिरिक्त, भारत में परिचालन करने वाले बैंकों को निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटन भी करने चाहिए:

(i) ट्रेडिंग बही में प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर;
(ii) तुलनपत्र से बाहर के साधनों का प्रवर्तन;
(iii) प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों के सम्बन्ध में मूल्यांकन;
(iv) प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों के संबंध में प्रक्रियाधीन और भंडारण जोखिम।

## 14.12 31 मार्च 2017 के बाद प्रकटन टेम्प्लेट

[102] दिनांक 8 फरवरी 2010 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 73/21.06.001/2009-10.

14.12.1 बैंकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सामान्य टेम्प्लेट **अनुबंध 18 की सारणी डीएफ-11, भाग 1** में स्पष्टीकरणों सहित दिया गया है। यह टेम्प्लेट 31 मार्च 2017 को कटौतियां चरणबद्ध रूप से लागू करने की संक्रमण अवधि पूर्ण होने के बाद बैंकों की पूंजी स्थिति जानने के लिए बनाया गया है। बैंकों को 31 मार्च 2017 के बाद सभी रिपोर्टिंग अवधियों के लिए इस टेम्प्लेट का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

14.12.2 यह नोट किया जाए कि सामान्य रिपोर्टिंग टेम्प्लेट में बैंकों को कोई कॉलम/पंक्ति जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए। ऐसा करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न बैंकों और विभिन्न क्षेत्राधिकारों के बीच रिपोर्टिंग टेम्प्लेटों में भिन्नता न हो, जो बैंक की विनियामक पूंजी की सुसंगति और तुलनीयता के उद्देश्य को प्रभावित कर सकती है। टेम्प्लेट में पहले कॉलम में प्रयुक्त पंक्ति संख्या को वैसे ही रखा जाएगा, ताकि बाजार सहभागी बासल समिति द्वारा बनाए गए सामान्य संस्करण टेम्प्लेट के अनुसार भारतीय संस्करण बना सकें।

14.12.3 बासल समिति ने सुझाव दिया है कि ऐसे मामलों में, जहां बासल III नियमों[103] के राष्ट्रीय कार्यान्वयन में तत्वों की अधिक रूढ़िवादी परिभाषा अपनाई जाती है (उदाहरणार्थ, विनियामक पूंजी, विनियामक समायोजन आदि के घटक और मानदंड आदि), राष्ट्रीय प्राधिकारी प्रकटन के प्रयोजन से नीचे सूचीबद्ध किए गए दो दृष्टिकोणों में से एक को चुन सकते हैं:

*दृष्टिकोण 1:* टेम्प्लेट के राष्ट्रीय संस्करण में बैंकों से अपेक्षित है कि सभी पंक्तियों में वही परिभाषा[104] बनाए रखें। साथ ही, बैंकों को राष्ट्रीय समायोजनों के लिए अनन्य रूप से बनाई गई पंक्तियों में अधिक रूढ़िवादी राष्ट्रीय परिभाषा का प्रभाव रिपोर्ट करना होगा।

*दृष्टिकोण 2*: टेम्प्लेट के राष्ट्रीय संस्करण में बैंकों से अपेक्षित है कि तत्वों की उस क्षेत्राधिकार[105] में लागू परिभाषाओं का प्रयोग करें तथा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें कि वे बासल III न्यूनतम परिभाषा[106] से अलग हैं। साथ ही, बैंकों से अपेक्षित है कि टेम्प्लेट की टिप्पणियों में इन अलग परिभाषाओं में से प्रत्येक के प्रभाव का अलग से प्रकटन करें।

14.12.4 इन दोनों दृष्टिकोणों का उद्देश्य बाजार सहभागियों को सामान्य आधार पर बैंकों की पूंजी की गणना करने हेतु सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना है। भारतीय संदर्भ में बैंकों के लिए

---

[103] भारत में बासल III पूंजी विनियमावली के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देशों पर दिनांक 02 मई 2012 के बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 98/21.06.201/2011-12 में यथा-परिभाषित।

[104] बासल III: अधिक आघातसह्य बैंकों तथा बैंकिंग प्रणालियों के लिए वैश्विक विनियामक ढांचा, दिसंबर 2010 (जून 2011 में संशोधित)

[105] भारत में बासल III पूंजी विनियमावली के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देशों पर दिनांक 02 मई 2012 के बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 98/21.06.201/2011-12 में यथा-परिभाषित।

[106] बासल III: अधिक आघातसह्य बैंकों तथा बैंकिंग प्रणालियों के लिए वैश्विक विनियामक ढांचा, दिसंबर 2010 (जून 2011 में संशोधित)

दृष्टिकोण 1 से दृष्टिकोण 2 ज्यादा व्यावहारिक और कम कष्टदायक प्रतीत होता है। दृष्टिकोण 2 के अंतर्गत बैंकों को पूंजी/विनियामक समायोजनों की भारत में लागू परिभाषा के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। बासल III न्यूनतम से अंतर का अलग से प्रकटन और टेम्प्लेट की टिप्पणियों में स्पष्टीकरण किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रकटन उपयोगकर्ताओं की बड़ी संख्या, विशेषत: घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक प्रासंगिक और सुग्राह्य होगा। साथ ही, यदि उपयोगकर्ता चाहें, तो टेम्प्लेट की टिप्पणियों में उपलब्ध कराई गई जानकारी, जो बासल III न्यूनतम से अंतर दर्शाती है, बैंकों की पूंजी की विभिन्न क्षेत्राधिकारों के बीच तुलना में भी सहायता देगी। तदनुसार, प्रकटनों की सुसंगति और तुलनीयता को ध्यान में रखते हुए प्रकटन टेम्प्लेटों को विशेष रूप से तैयार किया गया है।

**14.13 संक्रमण अवधि के दौरान टेम्प्लेट**

14.13.1 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं ने पूंजी की संरचना में जटिलता की अतिरिक्त परत उत्पन्न की है, विशेषत: अवशिष्टी विनियामक समायोजनों के विद्यमान ट्रीटमेन्ट[107] (बासल III ढांचे पर आधारित) के कारण। इससे इस अवधि के दौरान इस प्रकार विस्तृत प्रकटन अपेक्षाएं निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है जो सभी प्रयोगकर्ताओं और प्रकटनकर्ताओं के लिए सुग्राह्य और लाभदायक हो।

14.13.2 तदनुसार, बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे 31 मार्च 2017 के बाद के प्रकटन टेम्प्लेट के संशोधित संस्करण का प्रयोग करें (ऊपर पैरा 14.12 में निर्धारित)। इस संशोधित टेम्प्लेट में संक्रमण अवधि में विनियामक समायोजनों का विद्यमान ट्रीटमेंट लिया गया है। 31 मार्च 2017 के बाद के टेम्प्लेट में दो प्रकार से संशोधन किये गये हैं:

(i) विनियामक समायोजनों की राशि, जो विद्यमान ट्रीटमेंट के अधीन होगी, दर्शाने के लिए एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ा गया है; तथा

(ii) अतिरिक्त कॉलम में रिपोर्ट की गई समायोजन राशि संक्रमण अवधि में पूंजी को जहां वास्तव में प्रभावित करती है, उसे दर्शाने के लिए चार अलग-अलग स्थानों पर अतिरिक्त पंक्तियां जोड़ी गई हैं।

14.13.3 बैंकों द्वारा संक्रमण अवधि में प्रयोग किए जाने वाले सामान्य टेम्प्लेट **अनुबंध 18 की सारणी डीएफ 11, भाग II** में दिए गए हैं। यदि कोई बैंक 31 मार्च 2017 से पहले बासल III पूंजी विनियमन में पूर्ण संक्रमण करने का निर्णय लेता है, तो ऐसा बैंक **अनुबंध 18 की सारणी डीएफ 11,**

[107] मौजूदा ट्रीटमेंट का तात्पर्य है लागू दिशानिर्देशों पर आधा से पहले 2013 अप्रैल 1रित ट्रीटमेंट कृपया मौजूदा ट्रीटमेंट के लिए दिनांक 1 जुलाई 2015 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.4/ 21.06.001/2015-16 देखें।

**भाग I** में निर्धारित प्रकटन प्रारंभ कर सकता है। तथापि, बैंक को **सारणी डीएफ 11, भाग I** (अर्थात् 31 मार्च 2017 के बाद का टेम्प्लेट) के प्रयोग के कारणों को प्रकटन में स्पष्ट रूप से बताने होंगे।

**14.14 समाधान संबंधी अपेक्षाएं**

14.14.1 बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे लेखा परीक्षित (या लेखा परीक्षा न किए गए) सभी विनियामक पूंजी तत्वों का फिर से तुलनपत्र से पूर्ण मिलान कर प्रकटीकरण करें। इस अपेक्षा का उद्देश्य बैंक के प्रकटीकरण में विनियामक पूंजी की गणना के लिए प्रयुक्त संख्या और तुलन-पत्र में प्रयुक्त संख्या के बीच किसी असंबद्धता पर ध्यान देना है।

14.14.2 बैंकों को अपने तुलन-पत्र और **अनुबंध 18 ( सारणी डीएफ 11, भाग I/भाग II**, जो भी लागू हो) में निर्धारित पूंजी प्रकटन टेम्पलेट की संरचना में प्रयुक्त संख्या के बीच लिंक दिखाने के लिए एक तीन चरण वाले दृष्टिकोण का पालन करना होगा। ये तीन चरण नीचे स्पष्ट किए गए हैं तथा **अनुबंध 18 की सारणी डीएफ-12** में भी दर्शाए गए हैं:

चरण1: बैंकों से अपेक्षित है कि वे समेकन के विनियामक दायरे[108] के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए तुलन-पत्र का प्रकटन करें **(अनुबंध 18 की सारणी डीएफ-12);**

चरण 2: बैंकों को पूंजी प्रकटन टेम्प्लेट की संरचना में प्रयुक्त सभी घटकों के प्रदर्शन हेतु समेकन के विनियामक दायरे **(अनुबंध 18 की सारणी डीएफ-12**) के अंतर्गत तुलन-पत्र की पंक्तियों का विस्तार करना होगा (**अनुबंध 18 की सारणी डीएफ 11, भाग I/भाग II**); तथा

चरण 3: अंत में, बैंकों को अनुबंध18 की सारणी डीएफ 11, भाग I/भाग II, जो भी लागू हो, में निर्धारित पूंजी प्रकटन टेम्प्लेट की संरचना के अनुसार चरण 2 में प्रकट किए गए घटकों में से प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करना होगा।

14.14.3 *चरण 1: समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए तुलन-पत्र का प्रकटन*

(i) अक्सर लेखांकन के प्रयोजन से किया गया समेकन विनियामक प्रयोजनार्थ प्रयुक्त समेकन के दायरे से अलग होता है। सामान्यत: किसी बैंक के वित्तीय विवरण में, विशेषत: बैंक के प्रकाशित वित्तीय विवरणों में तुलन-पत्र और विनियामक पूंजी की गणना के लिए बनाए गए तुलनपत्र में अंतर होगा। अतएव, जब समेकित आधार पर विनियामक पूंजी की गणना के लिए समेकन का विनियामक दायरा प्रयुक्त होता है, तब तुलन-पत्र किस प्रकार परिवर्तित होता है, इसका प्रकटन मिलान की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है।

[108] इस मास्टर परिपत्र के पैरा 3 में समेकन के विनियामक दायरे को स्पष्ट किया गया है।

(ii) तदनुसार, बैंकों से अपेक्षित है कि वे उन विधिक हस्तियों की सूची का प्रकटन करें जो समेकन के लेखांकन दायरे में शामिल किंतु समेकन के विनियामक दायरे से बाहर हैं। इसका उद्देश्य यह है कि बाजार के प्रतिभागी और पर्यवेक्षक असमेकित संस्थाओं (उदाहरणार्थ असमेकित सहायक कंपनियों) से उत्पन्न जोखिमों की जांच कर सकें। इसी प्रकार, बैंकों से अपेक्षित है कि वे विनियामक समेकन में शामिल, किंतु समेकन के लेखांकन दायरे से बाहर की विधिक संस्थाओं को सूचीबद्ध करें। अंत में, यह संभव है कि कुछ कंपनियां विनियामक समेकन के दायरे तथा समेकन के लेखांकन दायरे, दोनों में शामिल हों, किंतु इन दोनों दायरों के बीच समेकन की पद्धति अलग हो। ऐसे मामलों में बैंकों से अपेक्षित है कि इन विधिक कंपनियों को सूचीबद्ध करें और समेकन की पद्धतियों में अंतर को स्पष्ट करें।

(iii) यदि किसी विशिष्ट बैंकिंग समूह के लिए विनियामक समेकन और लेखांकन समेकन का दायरा एक समान हो, तो चरण 1 का पालन करना अपेक्षित नहीं है। बैंकिंग समूह को यह कहना होगा कि विनियामक समेकन और लेखांकन समेकन में कोई अंतर नहीं है और उसे चरण 2 की ओर बढ़ना चाहिए।

(iv) उपर्युक्त अपेक्षाओं के अतिरिक्त, बैंकों को प्रत्येक विधिक कंपनी के लिए उसकी कुल तुलन-पत्र आस्तियां, कुल तुलन-पत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक कंपनी के लेखांकन तुलन-पत्र में कहा गया है), समेकन की पद्धति तथा कंपनी की प्रधान गतिविधियों के वर्णन का प्रकटन करना चाहिए। ये प्रकटन संशोधित टेम्प्लेट, यानी **सारणी डीएफ-1: अनुबंध 18 में कार्यान्वयन का दायरा** में दर्शाए गए अनुसार किया जाना चाहिए।

*14.14.4 चरण 2: पूंजी प्रकटन की परिभाषा (***अनुबंध 18की सारणी डीएफ 11, भाग I / भाग II** *(में प्रयुक्त सभी घटकों के प्रदर्शन हेतु विनियामक तुलन-पत्र की पंक्तियों का विस्तार करें।*

(i) तुलन-पत्र को देखते ही विनियामक पूंजी की गणना में प्रयुक्त अनेक घटकों को तुरंत पहचाना नहीं जा सकता है। अत: यह आवश्यक है कि समेकन के दायरे के अन्तर्गत तुलन पत्र की पंक्तियों का इस प्रकार विस्तार करना चाहिए ताकि पूंजी प्रकटीकरण टेम्पलेट **(अनुबंध 18 की सारणी डीएफ11, भाग I / भाग II)** की परिभाषा में प्रयुक्त सभी घटक अलग-अलग प्रदर्शित हों।

(ii) उदाहरणार्थ, चुकता शेयर पूंजी को तुलन-पत्र में एक पंक्ति में रिपोर्ट किया जा सकता है। तथापि, इसके कुछ घटक कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) में शामिल करने की अपेक्षाओं को पूर्ण कर सकते हैं और अन्य घटक केवल अतिरिक्त टियर1 (एटी1) या टियर2 (टी2) पूंजी अपेक्षाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अथवा विनियामक पूंजी में शामिल करने की अपेक्षा को

बिल्कुल भी पूर्ण नहीं कर सकते। अतएव, यदि किसी बैंक की चुकता पूंजी की कुछ राशि सीईटी1 की गणना में ली जाती है, और कुछ राशि एटी1 की गणना में ली जाती है, तो उसे अपने तुलन-पत्र में चुकता शेयर पूंजी वाली पंक्ति का निम्नानुसार विस्तार करना चाहिए:

| चुकता शेयर पूंजी | | संदर्भ |
|---|---|---|
| इसमें से सीईटी1 के लिए पात्र राशि | | ङ |
| इसमें से एटी1 के लिए पात्र राशि | | च |

(iii) इसके अतिरिक्त, विस्तारित तुलन-पत्र के प्रत्येक घटक को चरण 3 में उपयोग के लिए एक संदर्भ संख्या/अक्षर दिया जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है।

(iv) एक अन्य उदाहरण अमूर्त आस्तियों की कटौतियों में विनियामक समायोजन का है। पहला, यह संभावना हो सकती है कि तुलन-पत्र में अमूर्त आस्तियां तुरंत पहचानने लायक न हों। यह संभावना है कि तुलन-पत्र में दर्शाई गई राशि में सुनाम (goodwill) और अन्य अमूर्त आस्तियां संयुक्त रूप से हों। दूसरा, कटौती की जाने वाली राशि किसी संबंधित आस्थगित कर देयता को घटाने के बाद की हो सकती है। इस आस्थगित कर देयता को अन्य आस्थगित कर देयताओं के साथ संयुक्त रूप से रिपोर्ट किए जाने की भी संभावना है, जिनका साख या अमूर्त आस्तियों से कोई संबंध नहीं है। अतएव, बैंक को तुलन-पत्र का निम्नानुसार विस्तार करना चाहिए:

| गुडविल और अमूर्त आस्तियां | | संदर्भ |
|---|---|---|
| इसमें से गुडविल | | ए |
| इसमें से अन्य अमूर्त आस्तियां | | बी |

| वर्तमान और आस्थगित कर देयताएं) डीटीएल) | | संदर्भ |
|---|---|---|
| इसमें से गुडविल से संबंधित डीटीएल | | सी |
| इसमें से अन्य अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल | | डी |

(v) बैंकों को अपने तुलन-पत्र का विस्तार केवल उसी सीमा तक करना आवश्यक है, जितना पूंजी प्रकटन टेम्प्लेट की परिभाषा में प्रयुक्त घटकों तक पहुंचने के लिए अपेक्षित है। उदाहरणार्थ, यदि बैंक की संपूर्ण चुकता पूंजी सीईटी1 में शामिल किए जाने की अपेक्षाएं पूर्ण करती हो, तो बैंक को उस पंक्ति का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

14.14.5 *चरण 3: पूंजी प्रकटन टेम्प्लेट की संरचना के अनुसार चरण 2 में प्रकटन किए गए घटकों में से प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करना*

(i) प्रकटन टेम्प्लेट (अर्थात् **अनुबंध 18 की सारणी डीएफ 11, भाग I/भाग II)** की रिपोर्टिंग करते समय बैंक से अपेक्षित है कि वे चरण 2 की संदर्भ संख्या/अक्षरों का प्रयोग कर प्रत्येक इन्पुट का स्रोत दर्शाएं।

(ii) उदाहरणार्थ, यदि पूंजी प्रकटन टेम्प्लेट की संरचना **(भाग I/भाग II)** में "संबंधित आस्थगित कर देयताएं घटाने के बाद गुडविल" पंक्ति शामिल हो, तो इस मद के बाद बैंक को 'ए – सी' रखना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है ताकि यह दर्शाया जा सके कि प्रकटन टेम्प्लेट में इस मद की गणना के लिए तुलन-पत्र के इन घटकों का समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत किस प्रकार उपयोग किया गया है।

14.14.6 तीन चरण वाला यह दृष्टिकोण लचीला है और इसके निम्नलिखित लाभ हैं:

(i) प्रकटन का स्तर आनुपातिक है, रिपोर्ट करने वाले बैंक के तुलन-पत्र की जटिलता के अनुसार घटता-बढ़ता है (अर्थात् बैंकों के लिए नियत टेम्प्लेट नहीं है। बैंक किसी चरण को छोड़ सकता है, यदि उस चरण से कोई अतिरिक्त सूचना नहीं देनी हो) ;

(ii) पर्यवेक्षक और बाजार के प्रतिभागी समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत विनियामक पूंजी के घटकों के मूल स्रोत को तुलन-पत्र में उनके सटीक स्थल तक ढूंढ सकते हैं; तथा

(iii) यह दृष्टिकोण किसी भी लेखांकन मानकों में प्रयोग किए जाने के लिए पर्याप्त लचीला है। बैंकों से अपेक्षित है कि वे विनियामक पूंजी प्रकटन टेम्प्लेट के सभी घटकों को समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन-पत्र में विनिर्दिष्ट करें, इस बात पर ध्यान न देते हुए कि लेखांकन मानकों में तुलन-पत्र में स्रोत को रिपोर्ट करना अपेक्षित है या नहीं।

**14.14.7 मुख्य विशेषताएं टेम्प्लेट**

14.14.7.1 बैंकों से अपेक्षित है कि पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं के प्रकटन में सुसंगति और तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए 'मुख्य विशेषताएं टेम्प्लेट' को पूर्ण करें। बैंकों से अपेक्षा की गई है कि वे उनके द्वारा जारी पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं के वर्णन का प्रकटन करें। इसके

अलावा, बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे अपने पूंजी लिखतों के पूर्ण निबंधनों और शर्तों को उपलब्ध कराएं (नीचे पैराग्राफ 14.14.8)। पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं के अलग से प्रकटन की आवश्यकता का उद्देश्य बैंक के पूंजी ढांचे का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराना है। कई बार उपयोगकर्ताओं के लिए बैंकों द्वारा किए गए पूंजी लिखतों के निबंधनों और शर्तों के पूर्ण प्रकटन में से पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं को आसानी से ढूंढना संभव नहीं होता।

14.14.7.2 यह टेम्पलेट सारांश प्रकटीकरण के उस न्यूनतम स्तर को व्यक्त करता है जिसका बैंकों की ओर से जारी किए गए **प्रत्येक** विनियामक पूंजी लिखत के संबंध में रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है। **अनुबंध 18 की सारणी डीएफ-13** में रिपोर्ट की जाने वाली प्रत्येक मद के विवरण के साथ-साथ मुख्य विशेषता प्रकटीकरण टेम्पलेट दिया गया है। 'मुख्य विशेषता टेम्पलेट' के कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नानुसार हैं :

(i) इसे बासल III पूंजी विनियम लागू होने की तिथि अर्थात् 01 अप्रैल 2013 से बैंकों द्वारा भरे जाने के लिए बनाया गया है। इसलिए इसमें उन लिखतों से संबंधित प्रकटीकरण शामिल हैं जो संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं के अधीन हैं।

(ii) बैंकों से अपेक्षित है कि वे टेम्लेकि के एक अलग कॉलम में (सामान्या शेयरों सहित) प्रत्येक पूंजी लिखत को इस प्रकार रिपोर्ट करें कि भरा गया टेम्पलेट ऐसी 'मुख्या विशेषताएं रिपोर्ट' उपलब्ध कराएगा जो बैंकिंग समूह के सभी विनियामक पूंजी लिखतों को सार-रूप में प्रस्तुत करता हो।

14.14.7.3 बैंकों से अपेक्षित है कि वे भरी गयी 'मुख्य विशेषताएं रिपोर्ट' को अद्यतन रखें। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब भी कोई बैंक कोई पूंजी लिखत जारी करता है अथवा उसकी चुकौती करता है तथा जब भी किसी मौजूदा पूंजी लिखत की भुनाई, परिवर्तन/राइट-डाउन किया जाता है अथवा उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाते हैं, तब इस रिपोर्ट को अद्यतन किया जाए तथा उससे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए।

14.14.8 **अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं**

उक्त पैराग्राफों में दी गयी प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अतिरिक्त पूंजी की संरचना के बारे में निम्नलिखित प्रकटीकरण बैंकों से अपेक्षित हैं।

(i) समस्त नियम एवं शर्तें : बैंकों से विनियामक पूंजी में शामिल सभी लिखतों से संबंधित समस्त नियमों एवं शर्तों को अपनी वेबसाइट[109] पर उपलब्ध कराना अपेक्षित है। वेबसाइटों पर बैंकों द्वारा समस्त नियमों एवं शर्तों को उपलब्ध कराने की अपेक्षा से पर्यवेक्षकों एवं बाजार के प्रतिभागियों को किसी लिखत विशेष की खास विशेषताओं के बारे में जानकारी मिल पाएगी।

---

[109] कृपया इन दिशानिर्देशों का पैरा 3 देखें।

(ii) बैंकों से अपेक्षित है कि वे सभी पूंजी लिखतों के नियम एवं शर्तों को अद्यतन रखें (**अनुबंध 18 की सारणी डीएफ-14**) । जब कभी भी परिवर्तन होता है, बैंकों को उन्हें तुरंत अद्यतन करना चाहिए और ऐसे अद्यतनीकृत प्रकटीकरणों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना चाहिए।

### 14.15 प्रकटीकरण टेम्प्लेट

इन दिशानिर्देशों में निर्धारित सभी पिलर 3 प्रकटीकरण टेम्प्लेटों को **अनुबंध 18** में सारणी के रूप में दिया गया है। पिलर 3 प्रकटीकरण के लिए अतिरिक्त प्रासंगिक परिभाषाएं और स्पष्टीकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं।

## भाग घ: पूंजी संरक्षण बफर संरचना[110]

### 15. पूंजी संरक्षण बफर

### 15.1 उद्देश्य

15.1.1 पूंजी संरक्षण बफर यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि बैंक सामान्य समय (अर्थात् दबाव मुक्त अवधियों) के दौरान पूंजी बफर निर्मित करते हैं जिनमें से दबावग्रस्त अवधि के दौरान हानि उठाने पर पूंजी ली जा सकती है। यह अपेक्षा सामान्य संरक्षण नियमों पर आधारित है और इसे न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं के उल्लंघन से बचने के लिए तैयार किया गया है।

15.1.2 दबावमुक्त अवधियों के दौरान बैंकों को विनियामक न्यूनतम से अधिक पूंजी के बफर धारण करने चाहिए। जब बफर से पूंजी का सहारा लिया गया हो, तो बैंकों को उसके पुनर्निर्माण का एक रास्ता अर्जनों के विवेकाधीन वितरणों को कम करने के माध्यम से होना चाहिए। इसमें लाभांश भुगतान, शेयरों की वापसी-खरीद तथा कर्मचारियों को बोनस भुगतान कम करना शामिल है। आंतरिक स्तर पर उत्पन्न की गई पूंजी को संरक्षित करने के एक विकल्प के रूप में बैंक बाजार से नई पूंजी जुटा सकते हैं। तथापि यदि कोई बैंक ऊपर वर्णित प्रतिबंधों से अधिक राशि का भुगतान करना चाहता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से बैंक को प्रतिबंध से ऊपर की उस राशि को, जिसे वह वितरित करना चाहता है, बाजार से जुटाने के विकल्प का प्रयोग करना होगा।

15.1.3 यदि बाजार से पूंजी नहीं जुटाई जाती है तो उस स्थिति में बैंक का वास्तविक पूंजी स्तर न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं के जितना निकट होगा उनके द्वारा अपने बफर को पुनर्निर्मित करने के

[110] भारत में बासल III पूंजी विनियमावली के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देशों पर दिनांक 02 मई 2012 के बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 98/21.06.201/2011-12 का अनुबंध 4.

प्रयोजन से रोककर रखे गए अर्जनों का अंश उतना ही अधिक बढ़ना चाहिए। जिन बैंकों ने अपने पूंजी बफर को खाली कर दिया है उनके लिए यह उचित नहीं होगा कि वे भविष्य में स्थिति सामान्य होने की भविष्यवाणियों का प्रयोग शेयरधारकों, अन्य पूंजी प्रदाताओं को तथा कर्मचारियों को उदारतापूर्वक वितरित करते रहने के औचित्य के रूप में करें। यह उन बैंकों के संबंध में भी स्वीकार्य नहीं है जिन्होंने अपनी वित्तीय शक्ति को दर्शाने के एक माध्यम के रूप में पूंजी वितरण का उपयोग करने के लिए अपने पूंजी बफर को खाली किया है। यह केवल किसी एक बैंक के नजरिये से ही गैर-जिम्मेदाराना नहीं है जिसमें शेयरधारकों के हितों को जमाकर्ताओं के हितों से ऊपर रखा गया है , बल्कि इससे अन्य बैंक भी अनुकरण करने हेतु प्रोत्साहित हो सकते हैं। परिणामस्वरूप, बैंकों की यह स्थिति हो सकती है कि  वे समग्र रूप से ठीक उसी समय वितरणों में वृद्धि कर रहे हों जब उन्हें अर्जनों की सुरक्षा करनी चाहिए।

15.1.4 पूंजी संरक्षण बफर का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कोई बैंक प्रणालीगत जोखिम या विशेष प्रकार के दबाव का सामना कर रहा हो। सामान्य हालात में बैंक को बफर के दायरे में परिचालन करने का चुनाव केवल अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने और बाजार शेयर पाने के लिए नहीं करना चाहिए। पर्यवेक्षणीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस पहलू पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि किसी बैंक ने सामान्य परिस्थितियों में अपने पूंजी संरक्षण बफर को घटने दिया है, विशेषत: सामान्य ईक्विटी टियर 1 अनुपात में समानुपातिक वृद्धि के बिना अपनी जोखिम भारित आस्तियों को बढ़ाकर (भले ही वितरणों पर प्रतिबंधों का पालन करते हुए), तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बफर को वांछित स्तर तक लाना होगा। जो बैंक दबावग्रस्त अवधि के दौरान अपनी संरक्षण पूंजी बफर से पूंजी प्राप्त करते हैं उन्हें आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बफर की फिर से भरपाई करने की सुनिश्चित योजना भी तैयार रखनी चाहिए और पर्यवेक्षणीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक को दी गई सहमति के अनुसार एक समय सीमा के अंतर्गत बफर को वांछित स्तर पर लाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

15.1.5 पूंजी संरक्षण ढाँचा बैंकों को प्रतिकूल आर्थिक माहौल की परिस्थितियों से लड़ने की ताकत प्रदान करेगा, मंदी के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की आघात सहने की क्षमता बढ़ाएगा तथा आर्थिक सुदृढ़ीकरण के आरम्भिक दौर में पूंजी पुनर्निर्माण की प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। अत:, धीमी वृद्धि के दौरान अर्जन का महत्तर अंश रखकर बैंक दबाव की अवधि के दौरान यह सुनिश्चित कर पायेंगे कि चालू कारोबार परिचालनों / ऋण देने की गतिविधियों को समर्थन देने के लिए पूंजी उपलब्ध है।

**15.2 ढांचा**

15.2.1 बैंकों से अपेक्षा है कि वे 9% की विनियामक न्यूनतम पूंजी अपेक्षा[111] के अतिरिक्त. 2.5% का पूंजी संरक्षण बफर रखें जो सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी से बना हो। जब पूंजी का स्तर इस दायरे से नीचे चला जाता है, तब बैंक पर पूंजी वितरण प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तथापि, हानि होने पर जब उनकी पूंजी कम होकर संरक्षण पूंजी के दायरे में आ जाए तो वे सामान्य) रूप से अपना कारोबार चलाते रह पाएंगे। अतएव लगाए गए प्रतिबंध केवल वितरण से ही संबंधित हैं और बैंकों के परिचालन से संबंधित नहीं हैं। जब बैंकों की पूंजी का स्तर इस दायरे से नीचे आ जाता है तो उन पर वितरण संबंधी प्रतिबंध उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं जिस अनुपात में बैंक की पूंजी का स्तर न्यूनतम अपेक्षाओं के निकट चला जाता है। नीचे दी गई सारणी 24 में न्यूनतम पूंजी संरक्षण के उन अनुपातों को दर्शाया गया है जिसका पालन बैंक के लिए सामान्यम ईक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपातों के विभिन्नप स्तरों पर करना आवश्यक है।

| **सारणी 24: प्रत्येक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी संरक्षण मानक** | |
|---|---|
| वर्तमान अवधि के रोककर रखे गए अर्जनों को शामिल करने के बाद सामान्यो ईक्विटी टियर 1 अनुपात | न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात (अर्जनों के % के रूप में व्यक्त) |
| 5.5% - 6.125% | 100% |
| >6.125% - 6.75% | 80% |
| >6.75% - 7.375% | 60% |
| >7.375% - 8.0% | 40% |
| >8.0% | 0% |

उदाहरण के लिए 6.125% से 6.75% तक के दायरे वाले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात वाले बैंक से अपेक्षित है कि वह बाद के वित्तीय वर्ष में अपने अर्जनों का 80% संरक्षित करे (अर्थात् लाभांशों, शेयर वापसी खरीद और विवेकाधिकार आधारित बोनस के रूप में 20% से अधिक भुगतान करना अनुमत नहीं है)।

[111] सामान्य ईक्विटी टियर 1 का पहला प्रयोग न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए (यदि आवश्यक हो तो उसमें 7% टियर 1 और 9% कुल पूंजी अपेक्षाओं को शामिल किया जाना चाहिए) और उसके बाद शेष राशि पूंजी संरक्षण बफर अपेक्षा में योगदान कर सकती है।

15.2.2 बासल III न्यूनतम पूंजी संरक्षण मानक प्रयोज्य न्यूनतम सीईटी 1 पूंजी तथा प्रयोज्य सीसीबी के संदर्भ में लागू है। अतएव, बासल III संक्रमण अवधि के दौरान सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपातों के विभिन्न स्तरों पर न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपातों को पूर्ण करने हेतु बैंक सारणी 25 देख सकते हैं:

| **सारणी 25: प्रत्येक बैंक के लिए न्यूमनतम पूंजी संरक्षण मानक**[112] | | | |
|---|---|---|---|
| वर्तमान अवधि के रोककर रखे गए अर्जनों को शामिल करने के बाद सामान्या ईक्विटी टियर 1 अनुपात | | | न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात (अर्जनों के % के रूप में व्यक्त) |
| 31 मार्च 2016 को | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2018 को | |
| 5.5% - 5.65625% | 5.5% - 5.8125% | 5.5% - 5.96875% | 100% |
| >5.65625% -5.8125% | >5.8125%-6.125% | >5.96875%-6.4375% | 80% |
| >5.8125%- 5.96875% | >6.125%- 6.4375% | >6.4375%- 6.90625% | 60% |
| >5.96875%-6.125% | >6.4375%-6.75% | >6.90625%-7.375% | 40% |
| >6.125% | >6.75% | >7.375% | 0% |

15.2.3 सामान्य ईक्विटी टियर 1 अनुपात में 5.5% की न्यूथनतम सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी अपेक्षा को पूरा करने के लिए प्रयुक्त राशि शामिल है किन्तु 7% की टियर I तथा 9% की कुल पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कोई अतिरिक्त सामान्य ईक्विटी टियर 1 शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए कोई बैंक 9% की सामान्य ईक्विटी टियर I पूंजी कायम रखता है और उसके पास कोई अतिरिक्त टियर I या टियर 2 पूंजी नहीं रहती है। अतएव बैंक समस्त न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं को पूरा तो करेगा किंतु उसका संरक्षण बफर शून्य रहेगा और इसलिए लाभांशों, शेयर की वापसी तथा विवेकाधीन बोनसों के रूप में पूंजी वितरणों पर बैंक 100% प्रतिबंध के अधीन रहेगा।

15.2.4 पूंजी संरक्षण बफर अपेक्षाओं के अन्य महत्वपूर्ण आयामों को निम्नलिखित में दर्शाया गया है:

(i) **वितरणों पर प्रतिबंधों के अधीन तत्व:** लाभ एवं शेयर की वापसी खरीद, अन्य टियर 1 लिखतों पर विवेकाधीन भुगतान तथा स्टाफ को विवेकाधीन बोनस भुगतान वितरण के लिए विचारणीय मदों में शामिल रहेंगे। जिन भुगतानों के परिणामस्वरूप सामान्य ईक्विटी

[112] कृपया 27 मार्च 2014 का परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.102/21.06.201/2013-14 देखें।

टियर I पूंजी खाली नहीं हो जाता (उदाहरण के लिए इसमें कतिपय स्क्रिप लाभांशों[113] को शामिल कीजिए) उन्हें वितरण नहीं माना जाता है।

(ii) **अर्जनों की परिभाषाः** अर्जन को उक्त (i) में बताए गए वितरण पर प्रतिबंधों के अधीन तत्वों की कटौती के पूर्व वितरण योग्य लाभ के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि किसी वितरण-योग्य मद की अदायगी नहीं की गई होती, तब जो कर रिपोर्ट किया जाता, उसे घटाने के बाद अर्जनों की गणना की जाती है। ऐसे में, इस प्रकार के वितरणों का किसी प्रकार का टैक्स प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि किसी बैंक का धनात्मक अर्जन नहीं है तथा उसका सामान्य ईक्विटी टियर 1 अनुपात 8% से कम है तो उसे धनात्मक निवल वितरण नहीं करने चाहिए।

(iii) **एकल या समेकित प्रयोज्यता**: पूंजी संरक्षण बफर एकल स्तर (वैश्विक स्थिति) के साथ-साथ समेकित स्तर दोनों स्तरों पर लागू है अर्थात् वितरणों पर प्रतिबंध एकल बैंक एवं समेकित समूह दोनों स्तरों पर लगाए जाएंगे। उन सभी मामलों में जहां बैंक समूह का मूल बैंक है, इसका मतलब होगा कि बैंक द्वारा वितरण केवल एकल स्तर पर या समेकित स्तर पर बैंक की सामान्य ईक्विटी टियर I अनुपातों में से न्यूनतर अनुपात के अनुसार ही किया जा सकता है[114]। उदाहरण के लिए यदि एकल स्तर पर किसी बैंक का सामान्य ईक्विटी टियर I अनुपात 6.8% है और यह समेकित स्तर पर 7.4% है। उक्त पैरा 15.2.1 में दी गई सारणी 24 के अनुसार सामान्य ईक्विटी टियर I के >6.75% - 7.375% के दायरे के अनुरूप यह 60% की पूंजी संरक्षण आवश्यकता के अधीन होगा। मान लीजिए एकल स्तर पर किसी बैंक का सामान्य ईक्विटी टियर I अनुपात 6.6% है और यह समेकित स्तर पर 6% है तो प्रत्येक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी संरक्षण मानकों पर सारणी के अनुसार यह सामान्य ईक्विटी टियर I के >5.5% - 6.125% के दायरे के अनुरूप 100% के पूंजी संरक्षण अपेक्षा के अधीन होगा।

---

[113] स्क्रिप लाभांश वह स्क्रिप इश्यू है जो नकद लाभांश के बदले में किया जाता है। 'स्क्रिप लाभांश' पदावली में बोनस शेयर भी शामिल हैं।

[114] यदि कोई सहायक कंपनी बैंक है, यह स्वभाविक रूप से पूंजी संरक्षण बफर के प्रावधानों के अधीन हो जाएगी। यदि यह बैंक नहीं है तो भी मूल बैंक को चाहिए कि वह अपने अनुषंगी कंपनी को ऐसा लाभांश वितरित न करने दे जो समेकित स्तर पर सीसीबी की स्थिति से असंगत हों।

**15.3** जिन बैंकों ने अनुबंध I के खंड (ड.) के पैरा 6 में इंगित किए गए अनुसार संक्रमण अवधि के दौरान न्यूनतम अनुपात अपेक्षा को पहले ही पूरा कर लिया हो लेकिन जो सामान्य टियर I पूंजी अनुपात के 8% (न्यूनतम 5.5% तथा 2.5% का संरक्षण बफर) के लक्ष्य से नीचे रहता हो, उसे चाहिए कि वह पूंजी रोकने की विवेकपूर्ण अर्जन नीतियां बनाए ताकि यथाशीघ्र संरक्षण बफर को पूरा किया जा सके। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक अगर स्थिति की मांग हो तो पूंजी संरक्षण बफर के निर्माण को त्वरा प्रदान करने और संक्रमण के समय को कम करने पर विचार कर सकता है।

## भाग ङ: लीवरेज अनुपात ढांचा[115]

### 16. लीवरेज अनुपात

### 16.1 औचित्य और उद्देश्य

वैश्विक वित्तीय संकट के अंतर्निहित कारणों में एक कारण था बैंकिंग प्रणाली में तुलन पत्र एवं तुलनपत्रेतर लीवरेज का अतिशय निर्माण। कई मामलों में बैंक जोखिम आधारित सशक्त पूंजी अनुपातों के रहते हुए भी अतिशय लीवरेज निर्मित करते हैं। संकट के सबसे भीषणतम समय के दौरान, बाजार ने बैंकिंग सेक्टर को अपना लीवरेज कम करने के लिए इस कदर बाध्य कर दिया कि इसके परिणामस्वरूप आस्ति कीमतों पर अधोमुखी दबाव पड़ा। इस डिलीवरेजिंग प्रक्रिया के कारण घाटे, गिरती बैंक पूंजी और ऋण उपलब्धता में संकुचन के बीच प्रतिगामी संबंध और भी बिगड़ गया। अतएव, बासल III के अंतर्गत एक सरल, पारदर्शी, गैर-जोखिम आधारित लीवरेज अनुपात शुरू किया गया है। इस लीवरेज अनुपात को जोखिम धारित पूंजी अपेक्षाओं के एक विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए अंकित किया गया है तथा इससे निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य है:

(क) अस्थिरता उत्पन्न करने वाली डिलीवरेज प्रक्रिया से बचने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में लीवरेज के अतिशय निर्माण को नियंत्रित करना, जो समग्र वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचा सकती है; और

(ख) जोखिम आधारित अपेक्षाओं को सरल, गैर-जोखिम आधारित 'बैक स्टॉप' उपाय की सहायता से सुदृढ़ करना।

### 16.2 लीवरेज अनुपात की परिभाषा, न्यूनतम अपेक्षा तथा कार्यान्वयन का दायरा

#### परिभाषा और न्यूनतम अपेक्षा

बासल III लीवरेज अनुपात को पूंजी मापक (गणक) को एक्सपोजर मापक (भाजक) द्वारा विभाजित करके परिभाषित किया गया है, जिसका यह अनुपात प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

$$\text{लीवरेज अनुपात} = \frac{\text{पूंजी मापक}}{\text{एक्सपोजर मापक}}$$

[115] कृपया भारत में बासल III पूंजी विनियमावली का कार्यान्वयन पर जारी दिनांक 02 मई 2012 के परिपत्र बैंपविवि.बीसी.98/21.06.201/2011-12 का अनुबंध 5 देखें।

16.2.1 बासल समिति 01 जनवरी 2017 तक के पैरलल रन पीरियड के दौरान 3% का न्यूनतम टियर 1 लीवरेज अनुपात का परीक्षण करने के लिए संशोधित संरचना[116] का प्रयोग करेगी। बासल समिति लीवरेज के अनुपात के लिए पूंजी आकलन के रूप में सामान्य इक्विटी टीयर 1 (सीइटी 1) अथवा कुल विनियामक पूंजी के प्रयोग के प्रभाव पर नजर रखना जारी रखेगी। 01 जनवरी 2018 को पिलर 1 ट्रीटमेंट में अंतरण करने की दृष्टि से इस परिभाषा में अंतिम बदलाव तथा आगे अन्य कोई भी समायोजन 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा।

16.2.2. वर्तमान में भारतीय बैंकिंग प्रणाली 4.5% से अधिक लीवरेज अनुपात पर परिचालन कर रही है। बासल समिति द्वारा 2017 के अंत तक निर्धारित अंतिम नियमों को ध्यान में रखते हुए अंतिम न्यूनतम लीवरेज अनुपात का निर्धारण किया जाएगा। इस बीच, ये दिशानिर्देश बैंकों द्वारा पैरेलल रन तथा नीचे पैरा 6.6 में रेखांकित प्रकटीकरण में प्रयोजन के लिए आधार का काम करेंगे। इस अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक 4.5% के निर्देशात्मक लीवरेज अनुपात पर अलग-अलग बैंकों की निगरानी करेगा। संक्रमणकालीन अन्य व्यवस्थाओं का उल्लेख नीचे पैराग्राफ 16.5 में किया गया है।

**समेकन का दायरा**

16.2.3 बासल III लीवरेज अनुपात संरचना में उसी विनियामक समेकन के दायरे का पालन किया जाएगा, जो जोखिम आधारित पूंजी संरचना[117] के लिए प्रयुक्त होता है।

16.2.4 *उन बैंकिंग, वित्तीय, बीमा और वाणिज्यिक संस्थाओं की पूंजी में निवेशों का ट्रीटमेंट, जो समेकन के विनियामक दायरे से बाहर हैं:* ऐसे मामलो में, जहां कोई बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक संस्था विनियामक समेकन के दायरे के बाहर है, केवल ऐसी संस्थाओं की पूंजी में निवेश (अर्थात निवेशक की आधारभूत आस्तियों तथा अन्य एक्सपोजरों में से निवेश का केवल बही मूल्य) को लीवरेज अनुपात एक्सपोजर मापन में शामिल किया जाना चाहिए। तथापि, बासल III पूंजी विनियमावली पर पैरा 4.4 मास्टर परिपत्र के विनियामक समायोजन/कटौतियां[118] में निर्धारित किए अनुसार ऐसी संस्थाओं की पूंजी में निवेश, जिन्हें टियर 1 पूंजी में से घटाया गया है (अर्थात तदनुरूप कटौती विधि के अनुसार सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी में से घटाए गए अथवा अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में से घटाए गए), को लीवरेज अनुपात एक्सपोजर के मापन में शामिल नहीं किया जाए।

---

[116] कृपया बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति द्वारा जनवरी 2014 में जारी ' बासल III लीवरेज अनुपात संरचना और प्रकटीकरण अपेक्षएं " देखें । ये अपेक्षाएं बासल III के खंड V: अधिक लचीले बैंकों और बैंकिंग प्रणालियों के लिए वैश्विक विनियामक ढांचा, दिसंबर 2010 (संशोधित जून 2011) में की गई अपेक्षाओं का अधिक्रमण करती हैं।

[117] कृपया बासल पूंजी पर्याप्तता ढांचा लागू करने का दायरा देखें। कृपया दिनांक .25 फरवरी 2003 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.72/21.04.018/2001-02 तथा दिनांक 12 दिसंबर 2006 का परिपत्र बैंपविवि. सं.एफएसडी. बीसी.46/24.01.028/2006-07 भी देखें।

[118] पैरा 4.4 में दर्शाए गए अनुसार सभी विनियामक समायोजन / कटौतियाँ।

16.3 **पूंजी आकलन**

लीवरेज अनुपात के लिए पूंजी आकलन जोखिम आधारित पूंजी संरचना 5 की टियर 1 पूंजी है[119], जिसमें विभिन्न विनियामक समायोजन/ कटौतियों और संक्रमण कालीन व्यवस्थाओं को ध्यान में लिया गया है। दूसरे शब्दों में, किसी भी विशिष्ट समय पर लीवरेज अनुपात के लिए प्रयुक्त पूंजी आकलन उस समय जोखिम आधारित संरचना के अंतर्गत लागू टियर 1 पूंजी आकलन होगा।

16.4 **एक्सपोजर आकलन**

16.4.1 **आकलन के सामान्य सिद्धान्त**

(i) लीवरेज अनुपात के लिए एक्सपोजर आकलन में सामान्यत: लेखांकन मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए, बशर्ते:

- एक्सपोजर आकलन में विनिर्दिष्ट प्रावधानों या लेखांकन मूल्यांकन समायोजन (उदाहरणार्थ लेखांकन ऋण मूल्यांकन समायोजन, उदा. एएफ़एस और एचएफटी पोजीशनों के लिए विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन) को घटा कर तुलनपत्र में गैर डेरिवेटिव एक्सपोजरों को शामिल किया जाता है।
- ऋणों और जमाराशियों के समायोजन की अनुमति नहीं है।

(ii) जब तक कि नीचे भिन्न रूप में विनिर्दिष्ट न किया जाए, बैंकों को एक्सपोजर आकलन को कम करने के लिए भौतिक या वित्तीय संपार्श्विक, गारंटियां या ऋण जोखिम कम करने की अन्य तकनीकों को नहीं अपनाना चाहिए।

(iii) किसी बैंक का समग्र एक्सपोजर आकलन निम्नलिखित एक्सपोजरों का योग होगा:

(क) तुलनपत्र में शामिल एक्सपोजर;
(ख) डेरिवेटिव एक्सपोजर;
(ग) प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन (एसएफटी) एक्सपोजर और
(घ) तुलनपत्रेतर (ओबीएस) मदें।

इन चार मुख्य एक्सपोजर प्रकारों के लिए किए जाने वाले विनिर्दिष्ट ट्रीटमेंट को नीचे पैरा 16.4.2 से 16.4.5 में परिभाषित किया गया है।

16.4.2 **तुलन पत्र में शामिल एक्सपोजर**

---

[119] पैरा 4: विनियामक पूंजी की बनावट में यथापरिभाषित टियर 1 पूंजी।

16.4.2.1 बैंकों को अपने तुलनपत्र में शामिल डेरिवेटिव संपार्श्विक तथा एसएफटी के लिए संपार्श्विक सहित तुलनपत्र में मौजूद सभी आस्तियों को अपने एक्सपोजर आकलन में शामिल करना चाहिए। इसका अपवाद केवल ऐसे तुलनपत्र में मौजूद डेरिवेटिव और एसएफटी आस्तियां होंगी, जिन्हें नीचे पैरा 16.4.3 और 16.4.4 में कवर किया गया है[120]।

16.4.2.2 तथापि, सुसंगति सुनिश्चित करने के लिए पैरा 4.4 - विनियामक समायोजन / कटौतियाँ[7] में निर्धारित किए गए अनुसार टियर 1 पूंजी में से घटाई गई तुलनपत्र आस्तियों को एक्सपोजर आकलन में से घटाया जा सकता है। नीचे दो उदाहरण दिए गए हैं :

- जहां किसी बैंकिंग, वित्तीय या बीमा संस्था को समेकन के विनियामक दायरे में शामिल नहीं किया गया है (जैसाकि पैरा 16.2.3 में दिया गया है), उस संस्था की पूंजी में निवेश की गई किसी भी राशि राशि, जिसे बैंक की सीईटी1 पूंजी या अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में से पूर्णत: या आंशिक रूप से काटा गया है (बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैरा 3.3.2 और 4.4.9.2 (ग) के अनुसार), को एक्सपोजर आकलन में से भी घटा दिया जाए।

- ऋण जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं के निर्धारण हेतु आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) विधि का प्रयोग करने वाले बैंकों के लिए पैरा 4.4.4 में यह अपेक्षित है कि वे संभावित हानियों से संबंधित पात्र प्रावधानों के स्टॉक में किसी भी कमी की कटौती सीईटी 1 पूंजी में से करें। वही राशि एक्सपोजर आकलन में से भी घटा दी जानी चाहिए।

16.4.2.3 एक्सपोजर आकलन में से देयता मदों की कटौती नहीं की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ पैरा 4.4.6 में दिए गए अनुसार बैंक के अपने ऋण जोखिम में बदलाव के कारण उचित मूल्य की देयताओं पर लाभ / हानि अथवा डेरिवेटिव देयताओं पर लेखांकन मूल्य समायोजन के लिए एक्सपोजर आकलन में से कटौती नहीं की जानी चाहिए।

16.4.3 **डेरिवेटिव एक्सपोजर**

16.4.3.1 ***डेरिवेटिव का ट्रीटमेंट***: डेरिवेटिव दो प्रकार के एक्सपोजर का निर्माण करते हैं।

---

[120] जहाँ कोई बैंक अपनी परिचालनात्मक लेखांकन संरचना के अनुसार तुलनपत्र में प्रत्ययी (fiduciary) आस्तियों को मान्यता देता है, वहाँ इन आस्तियों को लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में से छोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि ये आस्तियां मान्यता समाप्त करने के लिए आईएस - 39 मानकों को पूरा करती हों और असमेकन के लिए आईएफआरएस 10 मानदंडो को पूरा करती हों। लीवरेज अनुपात का प्रकटीकरण करते समय बैंकों को पैरा 16.7.4 में निर्धारित किए गए अनुसार ऐसी अ-मान्य प्रत्ययी मदों की सीमा का भी प्रकटन करना चाहिए।

(क) डेरिवेटिव संविदा के तहत उत्पन्न होनेवाला एक्सपोजर; तथा

(ख) प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) एक्सपोजर।

लीवरेज अनुपात संरचना में इन दोनों प्रकार के एक्सपोजर का पता लगाने हेतु नीचे दिए गए तरीके का प्रयोग किया जाता है।

16.4.3.2 ऋण डेरिवेटिव का प्रयोग करते हुए संरक्षण की बिक्री सहित बैंकों को वर्तमान एक्सपोजरों के लिए प्रतिस्थापना लागत (आरसी)[122] के रूप में अपने डेरिवेटिव एक्सपोजरों की गणना करनी चाहिए, [123] (पैरा 16.4.3.3 में दिए गए अनुसार)। यदि अनुबंध 20 (भाग ख) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार यदि डेरिवेटिव एक्सपोजर पात्र द्विपक्षीय नेटिंग करार द्वारा कवर होता है,[124] तो नीचे पैरा 6.4.3.4 में दर्शाये गए वैकल्पिक ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाए[125]। लिखित ऋण डेरिवेटिव, नीचे पैरा 16.4.3.11 से 16.4.3.14 में निर्धारित किए गए अनुसार एक अतिरिक्त ट्रीटमेंट के अधीन होंगे।

16.4.3.3 किसी एकल डेरिवेटिव करार के लिए एक्सपोजर आकलन में शामिल की जाने वली राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :

एक्स्पोजर आकलन = प्रतिस्थापन की लागत (आरसी) + एड-आन

जहां, आरसी -करार की प्रतिस्थापना लागत (बाजार दर पर प्राप्त), जहां करार का धनात्मक मूल्य है।

एड-आन = करार की  शेष अवधि पर पीएफई की राशि, जिसकी गणना डेरिवेटिव की अनुमानित मूल राशि पर एड-आन तत्व का प्रयोग करके की गई है। एड-आन कारक पैरा 5.15.3.5 की सारणी 9 तथा पैरा 8.6.3 की सारणी 22 तथा 23 में दिए गए हैं।

---

[122] यह पद्धति डेरिवेटिव एक्सपोजर संबंधित सीसीआर एक्सपोजर राशियों की गणना के लिए चालू एक्सपोजर प्रणाली (सीईएम) के संदर्भ में है। बासल समिति इस पर विचार करेगी कि क्या पैरा 16.4.3.1 में वर्णित डेरिवेटिव द्वारा निर्मित दोनों प्रकार के एक्सपोजरों का पता लगाने की आवश्यकता के संदर्भ में सीसीआर के लिए चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) के आकलन के लिए हाल ही में जारी की गई मानकीकृत विधि उपयुक्त है या नहीं। भारत में परिचालन करने वाले बैंक तब तक सीईएम का प्रयोग करना जारी रख सकते हैं, जब तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्यथा सूचित नहीं किया जाता।

[123] यदि संबंधित लेखांकन मानकों के अधीन कतिपय डेरिवेटिव लिखतों के एक्सपोजर के आकलन के लिए कोई लेखांकन माप न हो, क्योंकि उन्हें (पूर्णतः) तुलनपत्रेतर धारित किया गया है, तो बैंक को प्रतिस्थापन लागत के रूप में इन डेरिवेटिव के धनात्मक उचित मूल्य के जोड़ का प्रयोग करना चाहिए।

[124] वर्तमान में, पैरा 5.15.3.9 में उल्लिखित शर्तों के अधीन केवल बैंक के अर्हताप्राप्त केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (क्यूसीसीपी) के प्रति बैंक के एक्सपोजरों के मामले में प्रासंगिक है। ओटीसी डेरिवेटिव के मामले में कृपया बैंक के तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - प्रतिपक्षी ऋण एक्सपोजरों की द्विपक्षीय नेटिंग पर 01 अक्तूबर 2010 का परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.48/21.06.001/2010-11 देखें। उसमेंदर्शाए गए अनुसार डेरिवेटिव संविदाओं के कारण उत्पन्न बाजार दर पर (MTM) मूल्यों के द्वीपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं है।

[125] ये नेटिंग के नियम क्रॉस -प्रोडक्ट नेटिंग को छोड़ कर हैं, अर्थात लीवरेज़ अनुपात एक्सपोजर के आकलन के लिए क्रॉस -प्रोडक्ट नेटिंग की अनुमति नहीं है।

16.4.3.4 द्विपक्षीय निवल निर्धारण: पैरा 5.15.3.9 (i) तथा अनुबंध 20 (भाग ख) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार यदि कोई पात्र द्विपक्षीय निवल निर्धारण करार अस्तित्व में हो तो ऊपर पैरा 16.4.3.3 में दिए गए अनुसार करार में शामिल डेरिवेटिव एक्सपोजर के सेट के लिए प्रतिस्थापन लागत, निवल प्रतिस्थापन लागत तथा एड-आन कारकों का जोड़ होगी।

16.4.3.5 संबंधित संपार्श्विक का ट्रीटमेंट: डेरिवेटिव करारों के संबंध में प्राप्त संपार्श्विक के लीवरेज पर दो प्रतिकारी प्रभाव होते हैं:

- यह प्रतिपक्षी एक्सपोजर को घटाता है, किंतु
- यह बैंक को उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को बढ़ा भी सकता है, क्योंकि बैंक स्वयं के लाभ/लीवरेज के लिए उक्त संपार्श्विक का उपयोग कर सकता है।

16.4.3.6 ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव करारों के संबंध में प्राप्त संपार्श्विक से बैंक की डेरिवेटिव स्थिति में अंतर्निहित  लीवरेज में कमी आ जाए, लेकिन यदि अंतर्निहित डेरिवेटिव करार से उत्पन्न निपटान एक्सपोजर को कम नहीं किया जाए तो ऐसा हो भी सकता है। आम तौर पर प्राप्त संपार्श्विक की डेरिवेटिव  एक्सपोजरों पर नेटिंग नहीं की जा सकती, चाहे बैंक के परिचालनगत लेखांकन अथवा जोखिम आधारित संरचना के अंतर्गत नेटिंग की अनुमति हो या नहीं हो। अतएव, यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त पैरा 6.4.3.2 से 16.4.3.4 का प्रयोग करते हुए एक्सपोजर राशि की गणना करते समय बैंक को प्रतिपक्षकार से प्राप्त किसी संपार्श्विक से एक्सपोजर राशि को घटाना नहीं चाहिए।

16.4.3.7 इसी प्रकार, प्रदान किए गए संपार्श्विक के संबंध में बैंकों को चाहिए कि वे जहाँ संपार्श्विक प्रदान करने के परिणामस्वरूप उनके परिचालनगत लेखांकन संरचना के अंतर्गत उनकी तुलनपत्र की आस्तियों का मूल्य कम हुआ हो, वहां वे प्रदान किए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक की राशि तक अपने एक्सपोजरका आकलन करें।

16.4.3.8 **नकद घट  बढ़ मार्जिन का ट्रीटमेंट**

लीवरेज अनुपात के प्रयोजन से डेरिवेटिव एक्सपोजर के ट्रीटमेंट में प्रतिपक्षकारों के बीच घट- बढ़ (variation) मार्जिन के नकद भाग को  निपटान -पूर्व भुगतान के प्रकार के रूप में देखा जाना चाहिए, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई हों-

(i) किसी अर्हताप्राप्त केंद्रीय प्रतिपक्षकर (क्यूसीसीपी) [126] के माध्यम से निपटाए न गए सौदों के लिए प्राप्तकर्ता प्रतिपक्षकार द्वारा प्राप्त की गई नकद राशि को पृथक नहीं किया जाता। [127]

(ii) डेरिवेटिव पोजीशनों [128] के बाजार-दर पर मूल्यांकन के आधार पर घट-बढ़ मार्जिन की दैनिक आधार पर गणना और विनिमय किया जाता है।

(iii) नकद घट-बढ़ मार्जिन को उसी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है, जिस मुद्रा में डेरिवेटिव करार का निपटान किया गया है। [129]

(iv) प्रतिपक्षकार पर लागू प्रारंभिक सीमा और न्यूनतम अंतरण राशियों की शर्त पर विनियम किया गया घट-बढ़ मार्जिन डेरिवेटिव के बाजार दर पर एक्सपोजर को पूर्णतः समाप्त करने के लिए आवश्यक पूर्ण राशि है। [130]

(v) डेरिवेटिव लेनदेनों की प्रतिपक्षकार विधिक संस्थाओं के बीच एक एकल मास्टर नेटिंग करार (एमएनए) [131], [132] के द्वारा डेरिवेटिव लेनदेनों और घट-बढ़ मार्जिन को कवर किया जाता है। एमएनए में यह स्पष्ट कहा गया हो कि यदि किसी भी प्रतिपक्षकार के संबंध में कोई क्रेडिट घटना होती है, अथवा प्राप्त अथवा उपलब्ध कराए गए घट-बढ़ मार्जिन को हिसाब में लेते हुए प्रतिपक्षकार ऐसे नेटिंग करार में शामिल किसी भुगतान दायित्व का निवल निपटान करने के लिए सहमत हैं। चूक और ऋण शोधन क्षमता अथवा

---

[126] क्यूसीसीपी पैरा 5.15.3.3 में यथापरिभाषित।

[127] नकद घट-बढ़ मार्जिन ए-पृथक्करण मानदंडों का पूरा करेगा, यदि प्राप्तकर्ता प्रतिपक्षकर के प्राप्त नकद का उपयोग करने की क्षमता पर कोई प्रतिबंध न हों (अर्थात प्राप्त नकद घट-बढ़ मार्जिन का प्रयोग अपनी स्वयं की नकद राशि की तरह किया जाता हो)। इसके अतिरिक्त इस मानदंड को तभी पूरा किया जा सकेगा, जब प्राप्तकर्ता प्रतिपक्षकार को प्राप्त

[128] इस मानदंड को पूरा करने हेतु डेरिवेटिव स्थितियों का दैनिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा नकद घट-बढ़ मार्जिन को दैनिक रूप से प्रतिपक्षकार को अथवा प्रतिपक्षकार के खाते, में जैसा उचित हो, अंतरित किया जाना चाहिए।

[129] इस पैराग्राफ के लिए निपटान की मुद्रा का आशय डेरिवेटिव संविदा में विनिर्दिष्ट निपटान की मुद्रा से है, जो अर्हताप्राप्त मास्टर नेटिंग करार (एमएनए) अथवा अर्हताप्राप्त एमएनए की ऋण सहायता अनुसूची (सीएसए) का संचालन करती है। बासल समिति इस संबंध में उचित ट्रीटमेंट के लिए इस मामले की आगे और समीक्षा करेगी।

[130] पिछले दिन के अंत में बाजार मूल्यों के आधार पर उसके बाद वाले कारोबारी दिन की सुबह विनिमय किए गए नकद घट-बढ़ मार्जिन इस मानदंड को पूरा करेगा, बशर्ते कि लागू प्रारंभिक सीमा और न्यूनतम अंतरण राशियों के अधीन विनिमय की गई घट-बढ़ मार्जिन राशि ऐसी पूर्ण राशि हो, जो डेरिवेटिव के बाजार दर पर एक्सपोजर को पूर्णतः समाप्त करने के लिए आवश्यक है।

[131] इस प्रयोजन के लिए एक मास्टर एमएनए को एकल एमएनए माना जा सकता है।

[132] इस पैराग्राफ में "मास्टर नेटिंग करार" का मानदंड जिस सीमा तक शामिल किया गया है, एक पारिभाषिक शब्द को इसप्रकार पढ़ा जाए जिसमें किसी 'नेटिंग करार' को शामिल किया गया हो, जो ऑफसेट के विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध करता हो। इसमें इस तथ्य को ध्यान में लिया जाना चाहिए कि केंद्रीय प्रतिपक्षकारों द्वारा किए गए नेटिंग करारों के लिए वर्तमान में कोई मानकीकरण नहीं किया गया है।

दीवालियापन की स्थितियों सहित सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में एमएनए विधिक रूप से प्रवर्तनीय और प्रभावी[133] होना चाहिए।

16.4.3.9 यदि पैराग्राफ 16.4.3.8 मे दी गई शर्तें पूरी हों, तो प्राप्त घट-बढ़ मार्जिन के नकद भाग को लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन के प्रतिस्थापन लागत अनुपात को घटाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तथा प्रावधानित नकद घट-बढ़ मार्जिन में से प्राप्य आस्तियों को लीवरेज अनुपात एक्सपोजर माप में से निम्नानुसार घटाया जा सकता है।

- प्राप्त नकद घट-बढ़ मार्जिन के मामले में प्राप्तकर्ता बैंक को चाहिए कि यदि डेरिवेटिव करार (रों) के धनात्मक बाजार मूल्य को बैंक के परिचालनगत लेखांकन मानक के अंतर्गत प्राप्त नकद घट-बढ़ मार्जिन के समतुल्य राशि के बराबर पहले से घटाया न गया हो तो वह प्राप्त नकद राशि की सीमा तक डेरिवेटिव आस्ति की एक्सपोजर राशि की प्रतिस्थापन लागत को घटा दे (लेकिन पूरक भाग नहीं)।
- किसी प्रतिपक्षकार को उपलब्ध कराए गए घट-बढ़ मार्जिन के मामले में जहाँ बैंक के परिचालनात्मक लेखांकन ढांचे के अंतर्गत नकद घट-बढ़ मार्जिन को आस्ति के रूप में मान्यता दी गई है वहां प्रविष्टि करने वाला बैंक अपने लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में से परिणामी प्राप्य राशियों को घटा सकता है।

पीएफई राशि को घटाने के लिए नकद घट-बढ़ मार्जिन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

16.4.3.10 **समाशोधन सेवाओं का ट्रीटमेंट:** जहाँ समाशोधन सदस्य (सीएम)[134] के रूप में कार्य करते हुए कोई बैंक ग्राहकों को समाशोधन सेवाएँ देता है, वहां समाशोधन सदस्य का केंद्रीय प्रतिपक्षकार के प्रति व्यापार (trade) एक्सपोजर[135] तब उत्पन्न होता है, जब सीसीपी के चूक कर जाने की स्थिति में समाशोधन सदस्य लेनदेन के मूल्य मे परिवर्तन के कारण हुई हानियों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों को करने के लिए बाध्य होता है।

इसे उसी प्रकार के ट्रीटमेंट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, जो डेरिवेटिव लेनदेनों के अन्य किसी प्रकार के लिए की जाती है। तथापि, ग्राहक के साथ की गई करार व्यवस्था के आधार पर यदि क्यूसीसीपी चूकों की स्थिति में लेनदेनों के मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाली किसी भी हानि के लिए ग्राहक को प्रतिपूर्ति करना समाशोधन सदस्य का दायित्व नहीं हो, तो समाशोधन सदस्य के लिए

---

[133] एक मास्टर नेटिंग करार द्वारा मानदंड को पूरा किया माना जाएगा, यदि यह पैरा 5.15.3.9 (i) तथा अनुबंध 20 (भाग ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

[134] समाशोधन सदस्य (सीएम) पैरा 3.15.3.3 में यथापरिभाषित है।

[135] पैरा 16.4.3.9 तथा 16.4.3.10 के प्रयोजन से "व्यापार-एक्सपोजर ' में प्रारंभिक मार्जिन शामिल है, चाहे उसकी प्रविष्टि इस तरह से की गई हो या नहीं, जो उसे केंद्रीय प्रतिपक्षकार के दिवालियेपन से अलग रखे।

लीवरेज़ अनुपात एक्सपोजर आकलन[136] में क्यूसीसीपी के परिणामी व्यापार एक्सपोजर को शामिल करने की जरूरत नहीं है।

16.4.3.11 जहाँ ग्राहक केंद्रीय प्रतिपक्षकार  के साथ सीधे ही डेरिवेटिव लेनदेन करता है तथा समाशोधन सदस्य सीसीपी को अपने ग्राहक के डेरिवेटिव व्यापार एक्सपोजर के निष्पादन की गारंटी देता है, वहां सीसीपी के ग्राहक के समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य करने वाले बैंक को पैरा 16.4.3.2 से 16.4.3.9 में निर्धारित किए गए अनुसार डेरिवेटिव एक्सपोजर के रूप में गारंटी के परिणामस्वरूप संबंधित लीवरेज अनुपात एक्सपोजर की गणना इस प्रकार करनी चाहिए, जैसे कि वह नकद घट-बढ़ मार्जिन की प्राप्ति या प्रावधान सहित, ग्राहक के साथ सीधे लेनदेन में शामिल रहा हो।

16.4.3.12 **लिखित ऋण डेरिवेटिव के लिए अतिरिक्त ट्रीटमेंट**

करारों के उचित मूल्य से उत्पन्न होने वाले सीसीआर एक्सपोजर के साथ ही, लिखित ऋण डेरिवेटिव निर्दिष्ट (reference) संस्था की ऋणपात्रता से उत्पन्न कल्पित ऋण  एक्सपोजर का निर्माण करते हैं। अतएव यह उचित होगा की एक्सपोजर आकलन के लिए लिखित ऋण डेरिवेटिव को लगातार नकद लिखतों (जैसे ऋण, बांड) के साथ ट्रीट किया जाए।

16.4.3.13 डेरिवेटिव और अन्य संपार्श्विक के लिए  उपर्युक्त सीसीआर ट्रीटमेंट के साथ ही अंतर्निहित निर्दिष्ट संस्था के ऋण एक्सपोजर का पता लगाने हेतु एक्सपोजर आकलन में लिखित  ऋण डेरिवेटिव द्वारा निर्दिष्ट प्रभावी कल्पित राशि[137] को शामिल किया जाना चाहिए। लिखित लिखित ऋण डेरिवेटिव की प्रभावी कल्पित राशि को टियर 1 पूंजी की गणना में लिखित ऋण डेरिवेटिव[138] के

---

[136] बैंक से संलग्न किसी संस्था, जो समाशोधन सदस्य (सीएम) का कार्य करती हो, को बासल III लीवरेज अनुपात संरचना के इस पैराग्राफ के प्रयोजन से एक ग्राहक माना जा सकता है यदि वह बासल III लीवरेज अनुपात को लागू किए जाने वाले स्तर पर संबंधित विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हो। इसके विपरीत, यदि कोई संलग्न संस्था विनियमक समेकन के दायरे के भीतर  आती हो, तो संलग्न संस्था और समाशोधन सदस्य के बीच व्यापार समेकन के दौरान समाप्त हो जाता है, किंतु समाशोधन सदस्य का अब भी अर्हताप्राप्त केंद्रीय प्रतिपक्षकार के प्रति व्यापार एक्सपोजर रहता है, जिसे मालिकाना माना जाएगा और इस पैराग्राफ में बताया गया अपवाद उस पर लागू नहीं होगा।

[137] लेनदेन के स्वरूप के द्वारा लीवरेज किए गए अथवा अन्यथा बढ़ाए गए करारों के सही एक्सपोजर को दर्शानेवाली कल्पित राशि के समायोजन से प्राप्त की गई प्रभावी कल्पित राशि।

[138] उचित मूल्य में ऋणात्मक परिवर्तन का आशय है टियर 1 पूंजी में मान्यता प्राप्त ऋण डेरिवेटिव का ऋणात्मक उचित मूल्य। यह ट्रीटमेंट इस तर्क के अनुरूप है कि एक्सपोजर आकलन में शामिल प्रभावी कल्पित राशियों की अधिकतम सीमा अधिकतम संभाव्य हानि के स्तर पर होगी। इसका अर्थ यह है कि रिपोर्टिंग तारीख को अधिकतम संभाव्य हानि ऋण डेरिवेटिव कि कल्पित राशि में से ऐसे ऋणात्मक उचित मूल्य को घटा कर प्राप्त की जाएगी, जिसने पहले ही टियर 1 पूंजी को घटा दिया है। उदाहरणार्थ, यदि किसी तारीख को लिखित ऋण डेरिवेटिव का धनात्मक उचित मूल्य 20 है, तथा उसके बाद की रिपोर्टिंग तारीख को उसका ऋणात्मक उचित मूल्य 10 है, तो उस ऋण डेरिवेटिव की प्रभावी कल्पित राशि को 10 तक घटा दिया जाना चाहिए। प्रभावी कल्पित राशि को 30 तक नहीं घटाया जा सकता। तथापि, यदि बाद की किसी रिपोर्टिंग तारीख को उस ऋण डेरिवेटिव का धनात्मक उचित मूल्य 5 हो, तो प्रभावी कल्पित राशि को बिल्कुल भी नहीं घटाया जाना चाहिए।

संबंध में शामिल की गई उचित मूल्य राशि में किसी ऋणात्मक परिवर्तन तक घटाया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त राशि को आगे उसी निर्दिष्ट नाम[139, 8] पर खरीदे गए ऋण डेरिवेटिव की प्रभावी कल्पित राशि तक घटाया जा सकता है, बशर्ते

- एकल नाम पर ऋण डेरिवेटिव[9] के मामले में खरीदा गया ऋण संरक्षण ऐसे निर्दिष्ट दायित्व पर हो, जो लिखित ऋण डेरिवेटिव के अंतर्निहित निर्दिष्ट दायित्व के समरूप या उससे कनिष्ठ हो, तथा
- खरीदे गए ऋण संरक्षण की अवशिष्ट परिपक्वता लिखित ऋण डेरिवेटिव की अवशिष्ट परिपक्वता के समान अथवा उससे अधिक होनी चाहिए।

16.4.3.14 चूंकि लिखित ऋण डेरिवेटिव को उनकी प्रभावी कल्पित राशि पर एक्सपोजर आकलन में शामिल किया गया है, तथा वे पीएफई के लिए जोड़ी गई राशियों के भी अधीन हैं, अतः लिखित ऋण डेरिवेटिव के लिए एक्सपोजर आकलन बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया हो सकता है। अतएव, बैंक यदि चाहें तो पैरा 16.4.3.2 से 16.4.3.4[10] में अपने सकल एड-ऑन में से लिखित ऋण डेरिवेटिव के संबंध में अलग-अलग पीएफई के साथ जोड़ी गई राशि को घटा सकते हैं (जो पैरा 16.4.3.13 के अनुसार समंजित (offset) नहीं है तथा जिसकी प्रभावी कल्पित राशि एक्सपोजर आकलन में शामिल की गई है)।

16.4.4 **प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर**

16.4.4.1 निम्नलिखित परिच्छेदों में वर्णित ट्रीटमेंट के अनुसार एक्सपोजर आकलन में एसटीएफ[11] शामिल किए गए हैं। उक्त ट्रीटमेंट यह स्वीकार करता है कि एसटीएफ के रूप में प्रतिभूत ऋण देना और उधार लेना लीवरेज का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तथा यह परिचालनगत लेखांकन संरचनाओं में

---

[139]दो निर्दिष्ट नाम तभी एक जैसे माने जाएंगे जब वे एक ही विधिक इकाई के संदर्भ में हों। एकल नाम वाले क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए खरीदा गया संरक्षण जो द्वितीयक वरीयता प्रतिबद्धता से संबंधित होउसे उसी विनिर्दिष्ट इकाई को , अधिक सुरक्षा प्राप्त प्रतिबद्दता के प्रति बेचे गए संरक्षण से समंजित किया जा सकता है, जबकि अधिक सुरक्षा प्राप्त वाली आस्ति के संदर्भित आस्ति के संबंध में हुए किसी क्रेडिट इवेंट की वजह से द्वितीयक वरीयताप्रति भी क्रेडिट इवेंट उत्पन्न हो जाए।

[8] लिखित ऋण डेरिवेटिव की प्रभावी कल्पित राशि को उचित मूल्य में किसी ऋणात्मक परिवर्तन, जो बैंक की टियर 1 पूंजी में प्रतिबिंबित होता है, के द्वारा घटाया जा सकता है, बशर्ते कि खरीदे गए ऋण संरक्षण के ऑफसेटिंग की प्रभावी कल्पित राशि को भी टियर 1 पूंजी में प्रतिबिंबित उचित मूल्य में परिणामी धनात्मक परिवर्तन से घटाया जाए।

[9] उत्पादों के अंश पर यदि लागू हो, तो उनके लिए खरीदे गए संरक्षण उसी स्तर की वरीयता के लिए निर्दिष्ट दायित्व होना चाहिए।

[10] इस परिच्छेद में वर्णित दोहरी गणना से बचने की दृष्टि से पीएफई एड-ऑन शून्य पर निर्धारित करें।

[11] एसएफटी जैसे पुनर्खरीद करार, प्रतिवर्ती पुनर्खरीद करार, प्रतिभूति उधर देना और उधार लेना, तथा मार्जिन उधार देने जैसे लेनदेन हैं, जहाँ लेनदेन का मूल्य बाजार मूल्यांकन पर निर्भर करता है तथा ये लेनदेन अक्सर मार्जिन करारों के अंतर्गत किए जाते हैं।

प्रमुख अंतरों के संबंध में एक सामान्य आकलन उपलब्ध करा कर सुसंगत अंतरराष्ट्रीय कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

16.4.4.2 **सामान्य ट्रीटमेंट (प्रमुख के रूप में कार्य कर रहा बैंक):**

निम्नांकित उप-पैरा (क) और (ख) की राशियों के योग को लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल किया जाना चाहिए :

(अ) लेखांकन के प्रयोजन से मान्यता प्राप्त सकल एसएफटी आस्तियों[12] (अर्थात् लेखांकन नेटिंग के लिए मान्यता प्राप्त नहीं)[13] को निम्नानुसार समायोजित किया गया -

(i) जहाँ बैंक ने अपने तुलनपत्र पर ऐसी प्रतिभूतियों को एक आस्ति के रूप में मान्यता दी हो,[14] वहां एक्सपोजर आकलन में से एसएफटी के अंतर्गत प्राप्त किसी भी प्रतिभूति के मूल्य को शामिल नहीं किया जाए; तथा

(ii) यदि निम्नलिखित मानदंड पूरे किए जाते हैं तो एक ही प्रतिपक्षकार से एसएफटी के अंतर्गत देय तथा प्राप्य नकद राशि का निवल मापा जाए:

(क) लेनदेनों की सुनिश्चित अंतिम निपटान की तारीख एक ही हो;

(ख) प्रतिपक्षकार को बकाया राशि का प्रतिपक्षकार की ओर से बकाया राशि का समंजन करने का अधिकार सामान्य कारोबार के दौरान तथा (i) चूक (ii) ऋणशोधन; (iii) दिवालियापन, दोनों ही स्थितियों में कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय है; तथा

(ग) जो प्रतिपक्षकार निवल (net) निपटान करना चाहें, वे निपटान एक साथ कर सकते हैं अथवा लेनदेन एक निपटान प्रणाली के अंतर्गत होंगे, जिसका परिणाम निवल निपटान के बराबर होगा; अर्थात लेनदेनों के नकद प्रवाह एक समान होंगे, परिणामत: एक निपटान तारीख को एक ही एकल निवल राशि होगी। यह समानता प्राप्त करने के लिए दोनों

---

[12] क्यूसीसीपी के माध्यम से समाशोधित और नवीयन के अधीन एसएफटी के लिए "लेखांकन प्रयोजन से मान्यताप्राप्त सकाल एसएफटी आस्तियों "को अंतिम संविदात्मक एक्सपोजर द्वारा बदला जाता है, यह मानते हुए कि पहले से मौजूद संविदाओं को नवीयन प्रक्रिया के द्वारा नए विधिक दायित्वों में बदला गया है।

[13] लेखांकन प्रयोजन के लिए मान्य सकल एसएफटी आस्तियों में देय नकद राशि के विरुद्ध प्राप्य नकद के किसी लेखांकन निवल को शामिल नहीं किया जाना चाहिए (उदा. जैसा कि वर्तमान में आईएफआरएस और यूएसजीएएपी लेखांकन ढांचों के अंतर्गत अनुमत है)। इस विनियामक ट्रीटमेंट का लाभ यह है कि इससे विभिन्न लेखांकन व्यवस्थाओं में उत्पन्न होने वाली नेटिंग असंगतियों से बचा जा सकता है।

[14] उदाहरणार्थ, यह यूएसजीएएपी के अंतर्गत प्रयुक्त हो सकता है, जहाँ किसी एसएफटी के अंतर्गत प्राप्त प्रतिभूतियों को ऐसी आस्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है, मानों प्राप्तकर्ता को पुनःबंधक रखने का अधिकार है, किंतु उसने ऐसा नहीं किया है ।

लेनदेनों का निपटान एक ही निपटान प्रणाली द्वारा किया जाएगा तथा निपटान व्यवस्था नकद तथा / अथवा अंत:दिवसिय ऋण सुविधाओं द्वरा समर्थित होगी, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों लेनदेनों कनिपटन कारोबार दिवस की समाप्ति तक किया जाए तथा संपार्श्विक प्रवाहों के लिंकेज का परिणाम निवल नकद निपटान में शिथिलता नहीं होना चाहिए ।[15, 16]

(आ) पीएफई के लिए बिना किसी एड-ऑन के चालू एक्सपोजर के रूप में गिने गए सीसीआर के आकलन की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

(i) जहाँ एक अर्हता प्राप्त एमएनए[17] मौजूद हो, चालू एक्सपोजर (E∗) शून्य से बड़ा होगा तथा प्रतिभूतियों तथा किसी प्रतिपक्षकार को अर्हताप्राप्त एमएनए (<Ei) में शामिल सभी लेनदेनों सहित उधार दी गई राशि में से प्रतिपक्षकार से उन लेनदेनों (<Ci) के लिए प्राप्त नकद और प्रतिभूतियों का उचित मूल्य घटाया जाए। इसे निम्नलिखित फॉर्मूला में दर्शाया गया है -

$$E^* = \max \{0, [\sum E_i - \sum C_i]\}$$

(iii) जहाँ कोई अर्हताप्राप्त एमएनए नहीं हो वहाँ प्रतिपक्षकार के साथ लेनदेनों के वर्तमान एक्सपोजर की गणना लेनदेन दर लेनदेन आधार पर की जानी चाहिए, अर्थात प्रत्येक लेनदेन को अपने स्वयं के नेटिंग के रूप में माना जाना चाहिए, जैसा कि निम्नलिखित फॉर्मूला में दर्शाया गया है।

$$E_{i*} = \max \{0, [E_i - C_i]\}$$

---

[15] इस बाद वाली शर्त से यह सुनिश्चित किया जाता है कि एसएफटी के प्रतिभूति वाले हिस्से के कारण उत्पन्न होने वाले कोई भी मुद्दे प्राप्य और देय नकद के निवल निपटान के पूर्ण होने में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

[16] कार्यात्मक समानता पाने के लिए सभी लेनदेनों का निपटान एक ही निपटान प्रणाली द्वारा किया जाना चाहिए। निपटान प्रणाली में किसी एकल प्रतिभूति लेनदेन असफल होने पर केवल उससे मेल खाने वाले नकद भाग में विलंब होना चाहिए, अथवा निपटान प्रणाली में किसी सहयोगी ऋण सुविधा द्वारा समर्पित दायित्व निर्माण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि निपटान प्रणाली में निपटान के लिए विंडो के अंत में किसी लेनदेन के प्रतिभूति भाग का निपटान असफल होता है, तो इस लेनदेन तथा उससे मेल खाने वाले नकद भाग को नेटिंग सेट से अलग कर देना चाहिए तथा बासल III लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन के प्रयोजन से उसे सकल माना जाना चाहिए। विशेष रूप से, इस पैरा के मानदंड का उद्देश्य एक सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीवीपी) निपटान प्रणाली में बाधा डालना नहीं है, बशर्ते कि निपटान प्रणाली इस पैरा में निर्धारित कार्यात्मक अपेक्षाओं को पूरा करती हो। उदाहरणार्थ, एक निपटान प्रणाली इन कार्यात्मक अपेक्षाओं को पूर्ण कर सकती है, यदि किसी असफल लेनदेन (अर्थात अंतरण में असफल प्रतिभूतियां और संबंधित प्राप्य या भुगतान योग्य नकद राशि ) का निपटान किए जाने तक उसे निपटान प्रणाली में पुनः प्रविष्ट किया जा सके।

[17] "अर्हता प्राप्त " एमएनए वह है, जो बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैरा 5.15.3.9 (क्यूसीसीपी के प्रति एक्सपोजर) तथा अनुबंध 20, भाग ए के अंतर्गत निहित अपेक्षाओं को पूर्ण करता है।

16.4.4.3 **बिक्री लेखांकन लेनदेन :**

किसी एसएफटी में लीवरेज प्रतिभूति उधर देने वाले के पास रह सकता है, चाहे परिचालनगत लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत बिक्री लेखांकन प्राप्त हुआ हो या नहीं। इसलिए, जहाँ बैंक के परिचालनगत लेखांकन ढांचे में एसएफटी के लिए बिक्री लेखांकन प्राप्त किया गया हो, वहाँ बैंक को सभी बिक्री संबंधी लेखा प्रविष्टियों की प्रति-प्रविष्टि करने के बाद अपने एक्सपोजर की गणना इस प्रकार करनी चाहिए मानो एक्सपोजर आकलन के निर्धारण के लिए परिचालनगत लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत एसएफटी को एक वित्तीयन लेनदेन के रूप में माना गया हो (अर्थात् ऐसे एसएफटी के लिए बैंक को पैराग्राफ 16.4.4.2 के उप-पैरा (अ) और (आ) की राशियों का जोड़ शामिल करना चाहिए)।

16.4.4.4 **एजेंट के रूप में कार्य कर रहा बैंक:**

एसएफटी में एजेंट के रूप में कार्य करने वाला बैंक सामान्यतः इसमें शामिल दो पार्टियों में से किसी एक को क्षतिपूर्ति या गारंटी उपलब्ध कराता है, तथा वह केवल उसके ग्राहक द्वारा उधार दी गई प्रतिभूति या नकद के मूल्य तथा उधारकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए संपार्श्विक के मूल्य के बीच अंतर की सीमा तक ही होती है। इस स्थिति में, बैंक अपने ग्राहक के प्रतिपक्षकार के प्रति मूल्यों में अंतर के लिए एक्सपोज होता है, न कि लेनदेन में अंतर्निहित प्रतिभूति या नकद के पूर्ण एक्सपोजर के लिए (जैसकि उस मामले में होता है जब बैंक लेनदेन में मुख्य पार्टियों में से एक हो)। जहाँ बैंक अंतर्निहित नकद या प्रतिभूति संसाधनों का स्वामी या नियंत्रक नहीं हो, तो ऐसे संसाधनों को बैंक द्वारा लीवरेज नहीं किया जा सकता।

16.4.4.5 जहाँ एसएफटी में एजेंट के रूप में कार्य करने वाला बैंक ग्राहक या प्रतिपक्षकार को ग्राहक द्वारा उधार दी गई प्रतिभूति या नकद राशि के मूल्य और उधारकर्ता द्वारा दिए गए संपार्श्विक के मूल्य के अंतर के लिए क्षतिपूर्ति या गारंटी उपलब्ध कराता है, वहाँ बैंक से अपेक्षित है कि वह अपने एक्सपोजर आकलन की गणना पैरा 16.4.4.2 के उप-पैरा (आ) के अनुसार ही करे।[18]

16.4.4.6 एसएफटी में एजेंट के रूप में कार्य करने वाले तथा ग्राहक या प्रतिपक्षकार को क्षतिपूर्ति या गारंटी देने वाले बैंक को पैरा 16.4.4.5 में निर्धारित अपवादात्मक ट्रीटमेंट के लिए पात्र तभी माना जा सकता है, जब लेनदेन में बैंक का एक्सपोजर अपने ग्राहक द्वारा उधार दी गई प्रतिभूति या नकद मूल्य तथा उधारकर्ता द्वारा दिए गए संपार्श्विक के मूल्य के बीच गारंटीकृत अंतर तक सीमित हो। ऐसी स्थितियों में, जहाँ बैंक लेनदेन में अंतर्निहित प्रतिभूति या नकद से आगे आर्थिक दृष्टि से

[18] पैरा 16.6.6.4 से 16.4.4.6 में दी गई शर्तों के अतिरिक्त, जहाँ एसएफटी के एजेंट के रूप में कार्य करने वाला बैंक शामिल पार्टियों में से किसी को भी क्षतिपूर्ति या गारंटी नहीं देता है, वहाँ बैंक एसएफटी के प्रति एक्सपोज नहीं है, और इसलिए उसे अपने एक्सपोजर आकलन में ऐसे एसएफटी को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

एक्सपोज है[19] (अर्थात् अंतर की गारंटी से ज्यादा), वहाँ एक्सपोजर आकलन में प्रतिभूति या नकद की पूर्ण राशि के बराबर और अधिक एक्सपोजर को शामिल किया जाना चाहिए।

16.4.4.7 एसएफटी लेनदेनों के लिए एक्सपोजर आकलन के दृष्टान्त के रूप में एक उदाहरण **अनुबंध 14** में दिया गया है।

16.4.5 **तुलन पत्रेतर मदें**

16.4.5.1 इस पैरा में लीवरेज अनुपात एक्सपोजर माप में तुलनपत्रेतर (ओबीएस) मदों के ट्रीटमेंट को स्पष्ट किया गया है। तुलनपत्रेतर मदों में प्रतिबद्धताएँ (चलनिधि सुविधाओं सहित) शामिल हैं, चाहे वे बिनाशर्त निरस्त करने योग्य, सीधे ऋण स्थानापन्न, स्वीकृतियां, अतिरिक्त साखपत्र, व्यापार साखपत्र आदि हों या ना हों।

16.4.5.2 जोखिम आधारित पूंजी संरचना में तुलनपत्रेतर मदों को मानकीकृत विधि के अंतर्गत ऋण परिवर्तन कारकों (सीसीएफ)[20] के द्वारा ऋण एक्सपोजर के समकक्ष रूपांतरित किया जाता है। लीवरेज अनुपात के लिए तुलनपत्रेतर मदों की एक्सपोजर राशि का निर्धारण करने के प्रयोजन से निम्नलिखित पैराग्राफों में निर्धारित सीसीएफ को कल्पित राशि में प्रयोग किया जाना चाहिए।[21]

(i) प्रतिभूतिकरण चलनिधि सुविधा से इतर एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि प्रतिबद्धताएं तथा एक वर्ष से अधिक मूल परिपक्वता अवधि वाली प्रतिबद्धता क्रमशः 20% तथा 50% सीसीएफ प्राप्त करेंगी। तथापि, बैंक द्वारा बिना पूर्व-सूचना के किसी भी समय बिना शर्त निरस्त की जा सकने वाली प्रतिबद्धताएँ, अथवा उधारकर्ता की ऋणशोधनक्षमता में होने के कारण जहाँ स्वतः निरस्तीकरण प्रभावी रूप में उपलब्ध है, वहां 10% सीसीएफ प्राप्त होगा।

(ii) सीधे ऋण स्थानापन्न, जैसे ऋणगस्तता के लिए सामान्य गारंटी (ऋण और प्रतिभूतियाँ के लिए वित्तीय गारंटी के रूप में कार्य करने वाले अतिरिक्त साखपत्रों सहित) तथा स्वीकृतियाँ (स्वीकृतियाँ के स्वरूप वाले पृष्ठांकनों सहित) 100% सीसीएफ प्राप्त करेंगे।

---

[19] उदारहरणार्थ, प्राप्त संपार्श्विक का प्रबंधन ग्राहक या उधारकर्ता के खाते के बजाए बैंक के बैंक के नाम पर अथवा बैंक के स्वयं के खाते में करने के कारण (उदा. आगे उधार देकर या अपृथक संपार्श्विक, नकद या प्रतिभूतियों का प्रबंधन करके)।
[20] कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र का पैरा 5.15.1 देखें।
[21] ये बासल आईआईआई पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैर 5.15.2 (सारणी 8 सहित) के अंतर्गत 10% के निम्नतम सीमा के अधीन ऋण जोखिम के लिए सीसीएफ की मानकीकृत विधि के अनुरूप है। 10% की निम्नतम सीमा ऐसी प्रतिबद्धताओं को प्रभावित करेगी, जो बैंक के द्वारा बिना किसी पूर्व-सूचना के किसी भी समय बिना शर्त निरस्त की जा सकती है, अथवा जिसमें उधारकर्ता की ऋणशोधन क्षमता में गिरावट आने के कारण स्वतः निरस्तीकरण का प्रभावी प्रावधान है। जोखिम आधारित पूंजी संरचना के अंतर्गत इन्हें 0% सीसीएफ प्राप्त होगा। ऐसी सभी तुलनपत्रेतर मदों, जिनका पैरा 16.4.5.2 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, के लिए सीसीएफ उपर्युक्त पैरा 5.15.2 में बताए अनुसार होगा।

(iii) फॉरवर्ड आस्ति खरीद, फॉरवर्ड जमाराशियां तथा आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर और प्रतिभूतियां, जो कतिपय गिरावट के साथ प्रतिबद्धताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, 100% सीसीएफ प्राप्त करेंगे।

(iv) कुछ लेनदेन संबंधी आकस्मिक मदें (जैसे विशिष्ट लेनदेनों के संबंध में निष्पादन बांड, बोली बांड, वारंटियां और अतिरिक्त साखपत्र) 50% सीसीएफ प्राप्त करेंगे।

(v) नोट निर्गमन सुविधाएं (एनआईएफ) तथा आवर्ती (revolving) अंडरराइटिंग सुविधाएं (आरयूएफ) 50% सीसीएफ प्राप्त करेंगी।

(vi) माल की आवाजाही से उत्पन्न होने वाले (उदा. अंतर्निहित पोतलदान द्वारा संपार्श्विक किया गया दस्तावेजी क्रेडिट) अल्पकालीन स्वयं परिसमापनशील व्यापार साख पत्र के लिए जारीकर्ता और पुष्टि करनेवाले बैंक दोनों पर 20% सीसीएफ लागू होगा।

(vii) जहां ओबीएस मदों के लिए प्रतिबद्धता का दायित्व है वहां बैंकों को प्रयोज्य दो सीसीएफएस में से कमतम सीसीएफ को लागू करना होगा।

(viii) सभी तुलनपत्रेतर प्रतिभूति एक्सपोजर परिवर्तन कारक के 100 प्रतिशत सीसीएफ प्राप्त करेंगे। सभी पात्र चलनिधि सुविधाओं को 50 प्रतिशत का सीसीएफ प्राप्त होगा।

**16.5 संक्रमणकालीन व्यवस्था**

16.5.1 एक पूर्णकालिक ऋण चक्र और भिन्न प्रकार के व्यवसाय मॉडल के लिए लीवरेज अनुपात की रचना और मानकीकारण के उद्देश्य से बासल समिति अर्ध वार्षिक आधार पर बैंकों के लीवरेज आंकड़ों की निगरानी कर रही है। साथ ही, उक्त समिति लीवरेज अनुपात की व्याख्या और गणना के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लेखांकन संरचना की किसी भी भिन्नता का निवारण करने के लिए लेखांकन मानकों और कार्यप्रणाली की कड़ी निगरानी करेगी। लीवरेज अनुपात का सार्वजनिक प्रकटीकरण 01 जनवरी 2015 से आरंभ हो गया है और बासल समिति इन प्रकटीकरण अपेक्षाओं के प्रभाव की समीक्षा करेगी।

16.5.2 तदनुसार भारत में परिचालित बैंकों से अपेक्षित है कि वे 1 अप्रैल 2015 से लीवरेज अनुपात और उसके घटकों का तिमाही आधार पर और पिलर 3 प्रकटीकरण के साथ ही पैरा 16.7 में दिए गए प्रकटीकरण टेम्प्लेट के अनुसार प्रकटीकरण करें। बैंकों को अगली सूचना मिलने तक पूंजी की गणना और एक्सपोजर आकलन के बारे में ब्योरों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग विनियमन विभाग तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को तिमाही आधार पर लीवरेज अनुपात भी रिपोर्ट करना चाहिए।

16.6 **प्रकटीकरण अपेक्षाएं**

16.6.1 दिनांक 01 अप्रैल 2015 से बैंकों को अपना समेकित बासल III लीवरेज अनुपात सार्वजनिक रूप से प्रकट करना होगा।

16.6.2 बाजार सहभागियों को एक अवधि से दूसरी अवधि तक बैंक के प्रकाशित वित्तीय विवरणों के साथ लीवरेज अनुपात प्रकटीकरण का समाधान करने के लिए तथा बैंक की पूंजी पर्याप्तता की तुलना करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बैंक अपने प्रकाशित वित्तीय विवरणों के साथ इन प्रकटीकरणों का मिलान करने के साथ ही लीवरेज अनुपात के प्रमुख घटकों के संगत और सामान्य प्रकटीकरण को चुनें।

16.6.3 लीवरेज अनुपात के घटकों से संबंधित में प्रकटीकरण को संगत और सुगम बनाने के लिए तथा परिष्कृत प्रकटीकरण के उद्देश्यों को कमजोर करने वाले असंगत फॉर्मेट के जोखिम को कम करने के लिए, बैंकों से अपेक्षित है कि वे टेम्प्लेट्स के सामान्य सेट के अनुसार लीवरेज अनुपात प्रकाशित करें।

16.6.4 सामान्य प्रकटीकरण अपेक्षाओं में ये शामिल हैं :

- बैंक की कुल लेखांकित आस्तियों की राशि तथा लीवरेज अनुपात एक्सपोजर की तुलना दर्शानेवाली **तुलनात्मक सारांश** सारणी;
- प्रमुख लीवरेज अनुपात विनियामक तत्वों का ब्योरा दर्शानेवाला **सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट**;
- बैंक के वित्तीय विवरणों में कुल तुलन पत्र आस्तियों तथा सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट में तुलनपत्र में मौजूद एक्सपोजर के बीच के तात्विक अंतर के स्रोत को दर्शाने वाली **मिलान अपेक्षाएं**;
- नीचे दिए गए अनुसार **अन्य प्रकटीकरण**

16.6.5 **प्रकटीकरण के कार्यान्वयन की तिथि, बारंबारता और स्थान**

16.6.5.1 भारत में कार्यरत बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद प्रकाशित होने वाले उनके पहले वित्तीय विवरण/परिणाम की तारीख से लीवरेज अनुपात तथा उसके घटकों का प्रकटीकरण करें। तद्नुसार, इस प्रकार का पहला प्रकटीकरण 30 जून 2015 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए किया जाना चाहिए।

16.6.5.2 नीचे पैरा 16.6.5.3 में दी गई अनिवार्य तिमाही बारंबारता के अपवाद को छोड़ कर बैंकों को कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर (अर्थात् वित्तीय वर्ष के लिए 30 सितंबर और 31 मार्च की स्थिति) पैरा 14.9 के अनुसार अपेक्षित पिलर 3 के अन्य प्रकटीकरण के साथ ही पैरा 16.7 के अनुसार अपेक्षित विस्तृत प्रकटीकरण करना होगा, चाहे वित्तीय विवरणों कि लेखा परीक्षा की गई हो या या नहीं।

16.6.5.3 चूंकि जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं के लिए लीवरेज अनुपात एक महत्वपूर्ण अनुपूरक

उपाय है, अत: पिलर III प्रकटीकरण की वही अपेक्षाएं लीवरेज अनुपात पर भी लागू हैं। अत: बैंकों को इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वित्तीय विवरण लेखा-परीक्षित है या नहीं, कम से कम निम्नलिखित 3 मदों का तिमाही आधार पर प्रकटीकरण करना चाहिए:

(i) टियर 1 पूंजी (पैरा 16.3 के अनुसार)

(ii) एक्सपोजर आकलन (पैरा 16.4 के अनुसार) तथा

(iii) लीवरेज अनुपात (पैरा 16.2 के अनुसार)

इन प्रकटीकरणों को कम से कम तिमाही के अंत (अर्थात् वित्तीय वर्ष के लिए 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च की स्थिति) के आधार पर पूर्ववर्ती तीन तिमाहियों के अंत के आंकड़ों के साथ किया जाना चाहिए।

16.6.5.4 लीवरेज अनुपात के प्रकटीकरण का स्थान पैरा 14.9.3 तथा 14.10 के अनुसार पिलर 3 के प्रकटीकरणों के लिए निर्धारित किए गए अनुसार होना चाहिए। तथापि पिलर 3 प्रकटीकरण के मामले में अपेक्षित कम से कम 3 साल के पुरालेख के स्थान पर विशेष रूप से लीवरेज अनुपात प्रकटीकरण के मामले में बैंकों को सभी मिलान टेम्प्लेटों से संबंधित चालू पुरालेख, पिछली सूचना अवधि के संबंध में प्रकटीकरण टेम्प्लेट्स तथा व्याख्यात्मक सारणियाँ अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा।

16.7 **प्रकटीकरण टेम्प्लेट्स**

16.7.1 तुलनात्मक सारांश सारणी (सारणी डीएफ-17), सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट(सारणी डीएफ-18) तथा व्याख्यात्मक सारणी, गुणात्मक मिलान और अन्य अपेक्षाएं अनुबंध 18: पिलर 3 प्रकटीकरण अपेक्षाएं में वर्णित की गयी हैं। कुल मिलाकर इससे बासल III लीवरेज अनुपात की गणना करने के लिए प्रयुक्त मूल्यों तथा बैंकों के प्रकाशित वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त मूल्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है।

## भाग च: प्रतिचक्रीय पूंजी बफर संरचना

## 17. प्रतिचक्रीय पूंजी बफर

### 17.1 उद्देश्य

प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीसीबी) व्यवस्था का दोहरा उद्देश्य है। पहला, इसमें बैंकों से अपेक्षित है कि वे अच्छे समय के दौरान पूंजी बफर का निर्माण करें, जिसे कठिन समय में वस्तु क्षेत्र (real sector) में ऋण का प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, इससे अत्यधिक ऋण संवृद्धि के समय बैंकिंग क्षेत्र को अंधाधुंध /अविवेकी उधार देने से रोकने का अधिक व्यापक समष्टि विवेकपूर्ण उद्देश्य पूर्ण होता है, जिसके कारण अक्सर प्रणालीगत जोखिम निर्माण होता है।

### 17.2 संरचना

सीसीसीबी को केवल सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी के रूप में ही रखा जा सकता है, तथा सीसीसीबी की राशि बैंक की कुल जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्लूए) के 0 से 2.5% के बीच हो सकती है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार बैंकों से किसी विशिष्ट समय पर सीसीसीबी रखे जाने की अपेक्षा हो, तो उक्त को बासल III मास्टर परिपत्र के अनुबंध 18 की सारणी डीएफ-11 में प्रकट किया जाए।

17.2.2 सामान्यतया, सीसीसीबी निर्णय की घोषणा चार तिमाहियों की समय सीमा के साथ पहले ही कर दी जाएगी। तथापि, सीसीसीबी संकेतकों के आधार पर बैंकों को अल्पावधि में भी अपेक्षित बफर तैयार करने हेतु कहा जा सकता है।

17.2.3 भारत में सीसीसीबी संरचना में सकल घरेलू उत्पाद अंतराल के अनुपात में ऋण (क्रेडिट टू जीडीपी गैप[154]) मुख्य संकेतक होगा। तथापि, यह एकमात्र संदर्भ बिंदु नहीं होगा और सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) में वृद्धि के साथ प्रयोग में लाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीसीसीबी निर्णय के लिए अन्य अनुपूरक संकेतकों जैसे तीन वर्ष की अस्थिर अवधि के लिए ऋण जमा अनुपात (इसके क्रेडिट टू जीडीपी गैप तथा जीएनपीए वृद्धि से सह-संबंध के साथ), औद्योगिक परिदृश्य (आईओ) मूल्यांकन सूचकांक (इसके जीएनपीए वृद्धि से सह-संबंध के साथ) तथा ब्याज व्याप्ति

---

[154] क्रेडिट टू जीडीपी गैप किसी विशिष्ट समय पर क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात और क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात की दीर्घावधि प्रवृत्ति मूल्य का अंतर है।

अनुपात (इसके क्रेडिट टू जीडीपी गैप के सह-संबंध के साथ) पर भी विचार किया जाएगा। सीसीसीबी के संबंध में अंतिम निर्णय लेते समय भारतीय रिजर्व बैंक क्रेडिट टू जीडीपी गैप के साथ ही सभी या कुछ संकेतकों का प्रयोग करने के बारे में अपने विवेकाधिकार से निर्णय ले सकता है।

17.2.4 सीसीसीबी संरचना में क्रेडिट टू जीडीपी गैप के संबंध में दो सीमाएं रहेंगी, यथा- न्यून सीमा और उपरि सीमा।

क. जहां सीसीसीबी सक्रिय है वहां क्रेडिट टू जीडीपी गैप की न्यून सीमा 3 (एल)प्रतिशत अंक पर निर्धारित की जा सकती है, बशर्ते इसका जीएनपीए के साथ संबंध सार्थक बना रहे। बफर को सक्रिय करने का निर्णय पैरा में दिए गए अन्य अनुपूरक 4 संकेतकों पर भी निर्भर करेगा।

ख. जहां सीसीसीबी अपने उच्चतम स्तर पर होक्रेडिट टू जीडीपी (एच) वहां उपरि सीमा , प्रतिशत अंक तक रखी जा सकती है। क्रेडिट टू जीडीपी गै 15 गैप केप की उपरि सीमा पर पहुंचने के बाद, सीसीसीबी जोखिम धारित आस्तियों के प्रतिशत के 2.5 ब तक कि भारतीय रिज़र्व बैंक अपने उच्चतम मूल्यमान पर तब तक बना रहेगा ज द्वारा निकासी का संकेत न दे दिया जाए।

ग. क्रेडिट टू जीडीपी गैप के प्रतिशत अंकों के बीच 15 और 3, सीसीसीबी धीरेधीरे बैंक - प्रतिशत तक बढ़ेगा किंतु वृद्धि दर क्रेडिट 2.5 से 0 की जोखिम भारित आस्तियों के स्थिति/रटू जीडीपी गैप के स्त[155] के आधार पर प्रतिशत अंकों के बीच 15 और 3 प्रतिशत अंकों के नीचे है तो 3 अलग रहेगी। यदि क्रेडिट टू जीडीपी गैप-अलग सीसीसीबी की कोई अपेक्षा नहीं होगी।

17.2.5 सीसीसीबी को सक्रिय करने में उपयोग किए जाने वाले वही संकेतक (पैराग्राफ चार में दिए गए अनुसार) सीसीसीबी के रिलीज चरण की शुरुआत का निर्णय लेने हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। तथापि, सीसीसीबी के रिलीज चरण की शुरुआत को

---

[155] जब क्रेडिट टू जीडीपी गैप 3 से 7 प्रतिशत अंकों तक बढ़ेगा तब सीसीसीबी अपेक्षा में वृद्धि रेखीय रूप में 0 से 20 आधार अंकों तक होगी। इसी तरह, क्रेडिट टू जीडीपी गैप के लिए 7 से अधिक परंतु 11 प्रतिशत अंकों की रेंज के लिए सीसीसीबी अपेक्षा में वृद्धि रेखीय रूप से 20 से अधिक किंतु 90 आधार अंकों तक होगी। अंतत:, क्रेडिट टू जीडीपी गैप की 11 से अधिक और 15 प्रतिशत अंकों की रेंज के लिए सीसीसीबी अपेक्षा में वृद्धि रेखीय रूप से 90 से अधिक किंतु 250 आधार अंकों तक होगी। तथापि, यदि क्रेडिट टू जीडीपी गैप 15 प्रतिशत अंकों से अधिक हो जाता है, तो बफर जोखिम भारित आस्तियों के 2.5 प्रतिशत पर बना रहेगा।

कार्यान्वित करने का निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकाधीन रहेगा। इसके अतिरिक्त संचित किया गया सारा सीसीसीबी किसी समय एक साथ रिलीज किया जा सकता है लेकिन इसका प्रयोग बैंकों द्वारा स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकेगा और इस बारे में निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार-विमर्श के बाद ही किया जाएगा।

17.2.6 भारत में परिचालित सभी बैंकों के लिए सीसीसीबी एकल आधार और समेकित आधार पर बनाए रखना होगा।

17.2.7 भारत में परिचालित सभी बैंकों (विदेशी और देशी बैंक दोनों) को सीसीसीबी सरंचना के तहत भारतीय परिचालनों के लिए पूंजी उनके भारत में एक्सपोजर के आधार पर बनाए रखनी होगी।

17.2.8 भारत में निगमित तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी रखने वाले बैंकों को सीसीसीबी के तहत संबंधित क्षेत्राधिकारों के मेजबान पर्यवेक्षकों द्वारा की गई अपेक्षानुसार पर्याप्त पूंजी बनाए रखनी होगी। बैंक अपनी जोखिम भारित आस्तियों के भौगोलिक वितरण के आधार पर अपने बैंक से संबंधित सीसीसीबी अपेक्षा की गणना करेंगेजो संबंधित , लागू की जा रही अपेक्षाओं के औसत भार क्षेत्राधिकार के लिए[156] के रूप में होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय बैंकों को उनके द्वारा परिचालन किए जाने वाले किसी मेजबान देश में एक्सपोजर के प्रति सीसीसीबी संरचना के अंतर्गत अतिरिक्त पूंजी रखने को भी कह सकता है यदि यह महसूस किया जाए कि मेजबान देश में सीसीसीबी अपेक्षा पर्याप्त नहीं है।

17.2.9 बैंक यदि प्रतिचक्रीय पूंजी बफर जो कि पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) अपेक्षा का ही विस्तार है, की अपेक्षाओं को पूरा नहीँ कर पाते हैं तो उनके विवेकाधिकार से किए जाने वाले वितरणों (जिसमें लाभांश भुगतानों, शेयर पुर्नखरीद और स्टाफ को बोनस भुगतान शामिल होंगे) पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह मानते हुए कि सीसीबी अपेक्षा कुल जोखिम भारित आस्तियों का 2.5 प्रतिशत और सीसीसीबी अपेक्षा 2.5 प्रतिशत निरंतर आधार पर बनी हुई हैं, तो विभिन्न स्तरों पर धारित सीईटी1 पूंजी के लिए किसी बैंक के लिए अपेक्षित संरक्षण अनुपात (स्वविवेकाधीन वितरण पर प्रतिबंध) को सारणी - 26 में दर्शाया गया है।

---

[156] भार = (बैंक का कुल ऋण जोखिम प्रभार, जो उस क्षेत्राधिकार में निजी क्षेत्र ऋण एक्सपोजरों से संबंधित है/ बैंक का कुल ऋण जोखिम प्रभार, जो सभी क्षेत्राधिकारों में निजी क्षेत्र ऋण एक्सपोजरों से संबंधित हैं), जहां ऋण में ऐसे सभी निजी क्षेत्र ऋण जोखिम शामिल होंगे, जो विनिर्दिष्ट जोखिम, आईआरसी और प्रतिभूतिकरण के लिए ऋण जोखिम पूंजी प्रभार या उसके बराबर जोखिम भारित ट्रेडिंग बही पूंजी प्रभार को आकर्षित करते हैं।

| सारणी 26: एकल बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात, यह मानते हुए कि पूंजी संरक्षण बफर और सीसीसीबी प्रत्येक के लिए 2.5 प्रतिशत की अपेक्षा की गई हो | |
|---|---|
| कॉमन इक्विटी टियर 1 अनुपात बैंड | न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात (अर्जन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त) |
| ➢ 5.5 % - 6.75% | 100% |
| ➢ 6.75 % - 8.00 % | 80% |
| ➢ 8.0 % - 9.25% | 60% |
| ➢ 9.25% - 10.50 % | 40% |
| ➢ 10.50% | 0% |

सीईटी अनुपात बैंड तत्समय 1[157] भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीसीबी और सीसीसीबी अपेक्षा के %25वृद्धि के रूप में संरचित किया गया है। सीसीसीबी अपेक्षा को 1 प्रतिशत मानते हुए उदाहरणार्थ एक अलग सारणी नीचे दी गई है।

एकल बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी संरक्षण मानक, जब बैंक के लिए 2.5% सीसीबी और 1% सीसीसीबी की अपेक्षा की गई हो।

| सारणी 27: एकल बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी संरक्षण मानक, जब बैंक के लिए 2.5% सीसीबी और 1% सीसीसीबी की अपेक्षा की गई हो। | |
|---|---|
| कामन इक्विटी टियर 1 अनुपात बैंड | न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात (अर्जन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त) |
| ➢ 5.5% - 6.375% ⁎ | 100% |
| ➢ 6.375% - 7.25% | 80% |
| ➢ 7.25% - 8.125 % | 60% |
| ➢ 8.125% - 9.00% | 40 % |
| ➢ 9.00 % | 0% |

**⁎(6.375=5.50+0.625+0.250)**

---

[157] पहला सीईटी1 अनुपात बैंड = न्यूनतम सीईटी 1 अनुपात + सीसीबी का 25% + लागू सीसीसीबी का 25% । अनुवर्ती बैंडों के लिए शुरुआती बिंदु पिछले बैंड की उच्चतम सीमा होगी। तथापि, यह भी उल्लेखनीय है कि सीईटी 1 अनुपात बैंड में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विभिन्न पूंजी/बफर अपेक्षाओं (उदाहरणार्थ डी - एसआईबी बफर) के आधार पर परिवर्तन हो सकते हैं। तदनुसार, सारणी -1 में दिए गए बैंडों के निम्नतम और उच्चतम मान परिवर्तन के अधीन रहेंगे।

चूंकि सीसीबी और सीसीसीबी की कुल अपेक्षा क्रमशः 2.5% तथा 1% है, अतः प्रत्येक बैंड पर सीसीबी और सीसीसीबी के लिए क्रमश: जोखिम भारित आस्तियों का 0.625% तथा 0.250% जोड़ा गया है।

17.2.10 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सीसीसीबी अपेक्षाओं की गणना और सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण कम से कम उसी अंतराल पर किया जाए जो विभिन्न क्षेत्राधिकारों में उनकी न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं के लिए लागू है। बफर संबंधित क्षेत्राधिकारों पर लागू ऐसी नवीनतम सीसीसीबी अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए जो उनके द्वारा न्यूनतम पूंजी अपेक्षा की गणना किए जाने की तारीख को लागू हो। इसके अलावा, बैंकों को उनकी बफर अपेक्षा को प्रकट करते समय बफर अपेक्षा की गणना हेतु प्रयोग में ली गई अपनी जोखिम भारित आस्तियों के भौगोलिक वितरण के ब्योरे भी प्रकट करने होंगे।

17.3 सीसीसीबी निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य का भाग होगा । तथापि, आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव के चलते यदि जरूरी हो तो भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में बार-बार संप्रेषण कर सकता है।

17.4 सीसीसीबी निर्णयों के लिए ऊपर वर्णित संकेतक और सीमाएं इनकी उपयुक्तता हेतु निरंतर समीक्षा और अनुभवजन्य परीक्षण के अधीन होंगी तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीसीसीबी निर्णयों के समर्थन हेतु अन्य संकेतकों का प्रयोग भी किया जा सकेगा।

**अनुबंध 1**

**(संदर्भ: पैरा 4.2.3.1)**

**विनियामक प्रयोजनों के लिए सामान्य शेयरों (प्रदत्त ईक्विटी पूंजी) के रूप में वर्गीकरण के मानदंड –भारतीय बैंक**

1. सभी सामान्य शेयरों को आदर्शतः वोटिंग शेयर होना चाहिए। तथापि, विरले मामलों में जहां बैंकों को साझा ईक्विटी टियर 1 पूंजी के भाग के रूप में गैर-वोटिंग साधारण शेयर जारी करने पड़ते हैं, वहां वे शेयर वोटिंग अधिकारों के न होने के तथ्य को छोड़कर शेष सभी मामलों में जारीकर्ता बैंक के वोटिंग सामान्य शेयरों के समान होने चाहिए। वोटिंग अधिकारों की सीमा अलग-अलग बैंकों पर लागू सम्बन्धित कानून के प्रावधानों पर आधारित होगी {बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में, एसबीआई अधिनियम, 1955 तथा भारतीय स्टेट बैंक (समानुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के अनुसार क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक तथा उसकी सहयोगी बैंकों के मामले में तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार निजी क्षेत्रों के बैंकों के मामले में ।}

2. बैंक के परिसमापन में सबसे अधिक अधीनस्थ दावे का प्रतिनिधित्व करते हों।

3. परिसमापन में सभी वरिष्ठ दावों की चुकौती किए जाने के बाद अवशिष्ट आस्तियों पर प्रदत्त पूंजी के उसके भाग के समानुपातिक दावे के लिए पात्र (अर्थात् यह एक असीमित तथा परिवर्ती दावा है और निश्चित अथवा सीमित नहीं है)।

4. मूलधन स्थायी है तथा परिसमापन के अलावा कभी चुकाया नहीं जाएगा (विवेकपूर्ण पुनः खरीद/बाइ बैक अथवा इस मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित कानून के दिशानिर्देश, यदि हों, अंतर्गत अनुमत विवेकपूर्ण पद्धति से कारगर रूप से पूंजी कम करने के अन्य साधनों को छोड़कर)।

5. निर्गम के समय बैंक ऐसा कुछ भी नहीं करता है जिससे यह अपेक्षा निर्माण हो कि उक्त लिखत की पुनर्खरीद, मोचन अथवा निरसन किया जाएगा और न ही उसकी संविदा की शर्तों में ऐसा कोई तथ्य होगा जिससे ऐसी कोई आशा निर्माण हो।

6. वितरण योग्य मदों में से वितरण किए जाते हैं । वितरणों का स्तर किसी भी प्रकार से निर्गम के समय प्रदत्त राशि से जुड़ा अथवा सहलग्न नहीं है और किसी संविदागत उच्चतम सीमा के अधीन नहीं है (केवल उस हद तक जहां बैंक वितरण योग्य मदों के स्तर से अधिक होने वाले वितरण का भुगतान करने में असमर्थ हो)।'वितरण योग्य मदों' के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य शेयरों पर लाभांश केवल चालू वर्ष के लाभ में से ही अदा किया जाएगा।

7. ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं हैं जिनमें वितरण अनिवार्य हो। अतः भुगतान न करना चूक नहीं माना जाएगा।

8. सभी विधिक तथा संविदागत बाध्यताओं को पूरा करने तथा अधिक वरीय पूंजी लिखतों पर भुगतान करने के बाद ही वितरणों का भुगतान किया जाता है। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार के अधिमान्य वितरण नहीं किए जाते हैं और इनमें सर्वोच्च गुणवत्ता वाली निर्गमित पूंजी के रूप में वर्गीकृत अन्य तत्वों से संबंधित वितरण भी शामिल हैं।

9. जब कभी हानि होती है तो प्रदत्त पूंजी को उसमें से पहले तथा अनुपातिक रूप में सबसे बड़े हिस्से की हानि उठानी होगी।[158] सर्वोच्च गुणवत्ता वाली पूंजी के भीतर, प्रत्येक लिखत लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर अनुपातिक रूप में तथा सभी अन्यों के साथ समान रूप में हानि को आत्मसात् करते हैं।

10. तुलन पत्र दिवालियापन के निर्धारण के लिए प्रदत्त पूंजी का ईक्विटी पूंजी के रूप में वर्गीकरण किया गया है (अर्थात् उसे देयता के रूप में माना नहीं गया है)।

11. संबंधित लेखा मानकों के अंतर्गत प्रदत्त राशि को ईक्विटी पूंजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

12. उसका सीधे निर्गम किया गया है और प्रदत्त है और बैंक ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लिखत की खरीद का निधीयन न किया हो [159] । बैंकों को अपने स्वयं के शेयरों की जमानत पर भी ऋण प्रदान नहीं करने चाहिए।

13. प्रदत्त राशि न तो निर्गमकर्ता अथवा संबंधित संस्था[160] की गारंटी द्वारा प्रतिभूतीकृत अथवा कवर की गई है और न ही ऐसी किसी अन्य व्यवस्था के अधीन है जो कि दावे की वरीयता को विधिक अथवा आर्थिक रूप से वर्धित करती है ।

14. प्रदत्त पूंजी केवल निर्गमकर्ता बैंक के मालिकों के अनुमोदन से ही जारी की गई है । यह अनुमोदन प्रत्यक्ष मालिकों द्वारा दिया गया हो अथवा यदि यथालागू कानून द्वारा अनुमत हो तो निदेशक बोर्ड अथवा मालिकों द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत किए गए अन्य व्यक्तियों द्वारा दिया गया हो ।

15. बैंक के तुलन पत्र में प्रदत्त पूंजी का स्पष्ट तथा पृथक प्रकटीकरण किया गया है ।

---

[158] उन मामलों में जहां पूंजी लिखतों में स्थायी राइट डाउन तत्व है, वहां अब भी यह माना जाता है कि इस मानदंड को सामान्य शेयर पूर्ण करते हैं।

[159] बैंकों को अपने स्वयं के शेयरों की जमानत पर अग्रिम प्रदान नहीं करने चाहिए क्यांकि इसका अर्थ यह होगा कि बैंक अपनी ही पूंजी का अप्रत्यक्ष निधियन कर रहे हैं।

[160] संबंधित संस्था में मूल कंपनी, सहयोगी संस्था, सहायक अथवा कोई अन्य संबद्ध संस्था शामिल हो सकती है। नियंत्रक कंपनी इस बात पर ध्यान दिए बिना संबंधित संस्था है कि वह समेकित बैंकिंग समूह का एक हिस्सा है अथवा नहीं।

**अनुबंध 2**

(संदर्भ: पैरा 4.2.3.2)

**विनियामक प्रयोजनों के लिए सामान्य ईक्विटी के रूप में वर्गीकरण के लिए मानदंड - विदेशी बैंक**

1. बैंक के भारतीय परिचालनों के परिसमापन में सबसे अधिक अधीनस्थ दावे का प्रतिनिधित्व करती हो ।
2. परिसमापन में सभी वरिष्ठ दावों की चुकौती किये जाने के बाद अवशिष्ट आस्तियों पर प्रदत्त पूंजी के उसके भाग के समानुपातिक दावे के लिए पात्र (अर्थात् एक असीमित तथा परिवर्ती दावा है और निश्चित अथवा सीमित नहीं)
3. मूलधन स्थायी है और परिसमापन के परे उसकी कभी भी चुकौती नहीं होगी (केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से ऐसा किया जा सकता है)।
4. बैंक के मुख्यालय को वितरण योग्य मदों में से वितरण किए जाते हैं । वितरणों का स्तर किसी भी प्रकार से निर्गम के समय प्रदत्त राशि से जुड़ा अथवा सहलग्न नहीं है और किसी संविदागत उच्चतम सीमा के अधीन नहीं है (केवल उस हद तक जहां बैंक वितरण योग्य मदों के स्तर से अधिक होने वाले वितरण का भुगतान करने में असमर्थ हो)।'वितरण योग्य मदों' के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य शेयरों/इक्विटी पर लाभांश केवल चालू वर्ष के लाभ में से ही अदा किया जाएगा।
5. बैंक के मुख्यालय को सभी विधिक तथा संविदागत बाध्यताओं को पूरा करने तथा अधिक वरीय पूंजी लिखतों पर भुगतान करने के बाद ही वितरणों का भुगतान किया जाता है। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार के अधिमान्य वितरण नहीं किए जाते हैं और इनमें सर्वोच्च गुणवत्ता वाली निर्गमित पूंजी के रूप में वर्गीकृत अन्य तत्वों से संबंधित वितरण भी शामिल हैं।
6. जब कभी हानि होती है तो यह पूंजी उसमें से पहले और अनुपातिक रूप में सबसे बड़े हिस्से की हानि उठाती है ।[161]
7. बैंक के तुलन पत्र में इसका स्पष्ट तथा पृथक प्रकटीकरण किया गया है ।

[161] उन मामलों में जहां पूंजी लिखतों में एक स्थायी राइट डाउन तत्व है, वहां अब भी यहां माना जाता है कि इस मानदंड का सामान्य शेयर पूर्ण करते हैं।

**अनुबंध 3**
(संदर्भ: पैरा 4.2.4.1)

**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयरों (पीएनसीपीएस) को शामिल करने के मानदंड**

पीएनसीपीएस भारतीय बैंकों द्वारा मौजूदा विधिक प्रावधानों के अधीन केवल भारतीय रुपये में जारी किए जाएंगे तथा पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में शामिल होने के लिए अर्हक होने के लिए उन्हें निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना होगा :

**1. लिखतों के निर्गम की शर्तें**

**1.1 प्रदत्त स्तर**

लिखत बैंक द्वारा जारी किए जाने चाहिए (अर्थात् इस प्रयोजन से बैंक द्वारा स्थापित किसी 'एसपीवी' द्वारा नहीं) और पूर्णतः प्रदत्त होने चाहिए ।

**1.2 राशि**

पीएनसीपीएस की कितनी राशि जुटानी है इस संबंध में बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

**1.3 सीमाएं**

जोखिम भारित आस्तियों के 7 प्रतिशत के न्यूनतम टियर 1 का अनुपालन करते समय, कोई बैंक अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर तथा स्थायी ऋण लिखतों को मिलाकर, जोखिम भारित आस्तियों के 1.5 प्रतिशत से अधिक शामिल नहीं कर सकते हैं। तथापि, एक बार इस कुल टियर 1 पूंजी का अनुपालन करने के बाद, बैंक द्वारा जारी किए गए कोई अतिरिक्त पीएनसीपीएस और पीडीआई को रिपोर्ट की गई कुल टियर 1 पूंजी में शामिल किया जा सकता है। यदि टियर 2 पूंजी जोखिम भारित आस्तियों के 2 प्रतिशत से कम है, अर्थात् जोखिम भारित आस्तियों के 9% की न्यूनतम कुल पूंजी की पूर्ति करते समय, तो टियर 2 के अनुपालन के लिए अतिरिक्त पीएनसीपीएस तथा पीडीआई की गणना की जा सकती है।

**1.4 परिपक्वता अवधि**

पीएनसीपीएस स्थायी स्वरूप के होंगे अर्थात् उनकी कोई परिपक्वता अवधि नहीं है और मोचन के लिए कोई स्टेप-अप अथवा अन्य प्रोत्साहन नहीं होंगे।

**1.5 लाभांश की दर**

निवेशकों को देय लाभांश की दर नियत दर अथवा बाजार निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर से जुड़ी अस्थायी दर होगी।

**1.6 वैकल्पिकता**

पीएनसीपीएस विक्रय विकल्प (पुट ऑप्शन) के साथ जारी नहीं किये जाएंगे। तथापि, बैंक इन लिखतों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी विशिष्ट तारीख को क्रय विकल्प (कॉल ऑप्शन) के साथ जारी कर सकते हैं :

क. लिखत की कम-से-कम पांच साल की अवधि पूर्ण होने के बाद ही उस पर क्रय विकल्प अनुमत है;

ख. क्रय विकल्प के प्रयोग के लिए बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग विनियमन विभाग) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है; तथा

ग. बैंक को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे यह अपेक्षा निर्माण होगा कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा।[162] उदाहरणार्थ, लिखत को 'कॉल' करने की आशा निर्मित न होने देने के लिए लाभांश/कूपन की पुनर्निर्धारित तारीख और कॉल तिथि एक ही न हो। बैंक अपने विवेक के अनुसार लाभांश/कूपन पुनर्निर्धारित तारीख तथा 'कॉल' तारीख के बीच उचित अंतर रखने पर विचार कर सकते हैं; तथा

घ. बैंक को तब तक क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जब तक

(i) वे खरीदे गये (कॉल्ड) लिखत की जगह पर उसी अथवा उससे बेहतर गुणवत्ता वाली पूंजी प्रतिस्थापित करते हैं और इस पूंजी की प्रतिस्थापना उन शर्तों पर की जाती है जो कि बैंक की आय क्षमता के लिए वहनीय है [163]अथवा

(ii) कॉल विकल्प का प्रयोग करने के बाद बैंक यह सिद्ध करता है कि उसकी पूंजी की स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से काफी अधिक है ।[164]

---

[162] यदि कोई बैंक पूजी लिखत को कॉल करता है और उसे किसी ऐसे लिखत से प्रतिस्थापित करता है बजट अधिक महंगा है (उदा. जिसका उच्चतर क्रेडिट स्प्रेड है) तो उससे यह अपेक्षा निर्माण होगी कि बैंक अपने अन्य पूंजी लिखतों को भी कॉल करेगा। अतः बैंक को किसी लिखत को कॉल करने की अनुमति तब नहीं दी जाएगी जब बैंक उसे उच्चतर क्रेडिट स्प्रेड पर जारी किए गए लिखत से प्रतिस्थापित करना चाहता है। यह सभी अतिरिक्त टियर 1 तथा टियर 2 लिखतों के मामलों में लागू होगा।

[163] प्रतिस्थापना मामले लिखत के साथ लेकिन लिखत को कॉल करने के बाद समवर्ती नहीं हो सकते हैं।

[164] यहां न्यूनतम का अर्थ है बजटखिम भारित आस्तियों के 8% की सामान्य ईक्विटी टियर 1 (आरडब्ल्यूए के 2.5% का पूंजी संरक्षण बफर (कॅपिटल कॉन्सर्वेशन बफर) सहित) तथा आरडब्ल्यूए के 11.5 प्रतिशत की कुल पूंजी जिसमें पिलर 2 के अंतर्गत निर्धारित कोई अतिरिक्त पूंजी अपेक्षा शामिल है।

कर संबंधी घटना तथा विनियामक घटनाओं के चलते कॉल करने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, इन घटनाओं के कारण कॉल का प्रयोग करना, मानदंड 1.6 की (ख) से (घ) तक की मदों में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक कॉल का प्रयोग करने की अनुमति केवल तब देगा जब भारतीय रिज़र्व बैंक को इस बात का विश्वास होगा कि पीएनसीपीएस के निर्गम के समय बैंक इन घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की स्थिति में नहीं था।

उदाहरण के तौर पर, यदि कर के व्यवहार में कोई परिवर्तन हुआ है जिससे कर कटौती योग्य कूपन वाला पूंजी लिखत कर कटौती रहित कूपन वाला लिखत बन गया है, तो बैंक के पास लिखत की पुनः खरीद का विकल्प (बाध्यता नहीं) रहेगा। ऐसी परिस्थिति में बैंक को पूंजी लिखत को ऐसे पूंजी लिखत से प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाएगी जिसमें संभवतः कर कटौती योग्य कूपन हो सकते हैं। उसी प्रकार, यदि विनियामक वर्गीकरण में किसी लिखत का दर्जा घटाया जाता है (उदाहरण, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी लिखत को विनियामक पूंजी से हटाने का निर्णय लिया गया हो) तो बैंक के पास भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेकर उस लिखत को कॉल करने तथा उसे बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले लिखत से अथवा समान विनियामक वर्गीकरण वाले निम्न कूपन से प्रतिस्थापित करने का विकल्प है। तथापि, बैंक विनियामक पूंजी लिखत के समय पूर्व मोचन/परिपक्वता की कोई अपेक्षा निर्माण/उसका संकेत नहीं देंगे।

**1.7 पुनर्खरीद/बाय-बॅक/मोचन**

(i) लिखतों की मूल राशि की चुकौती (उदाहरण पुनः खरीद अथवा मोचन के माध्यम से) केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से की जाए तथा बैंकों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए और न ही ऐसी बाजार अपेक्षाएं निर्माण करनी चाहिए कि पर्यवेक्षी अनुमोदन दिया जाएगा (मूल धन की ऐसी पुनः खरीद/बाय-बॅक/मोचन, बैंक द्वारा कॉल ऑप्शन के प्रयोग की घटना से इतर परिस्थिति में होती है । इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले मामले में लिखत की पुनः खरीद/बाय-बॅक/मोचन के निर्णय की घोषणा करने पर लिखत को चुकौती के लिए प्रस्तुत करने का विकल्प निवेशकों के पास रहेगा जबकि दूसरे मामले में यह विकल्प बैंक के पास रहेगा।)

(ii) बैंक लिखतों की पुनः खरीद/बाय-बॅक/मोचन केवल निम्न परिस्थितियों में कर सकते हैं :

(क) वे खरीदे गये (कॉल्ड) लिखत की जगह पर उसी अथवा उससे बेहतर गुणवत्ता वाली पूंजी प्रतिस्थापित करते हैं और इस पूंजी की प्रतिस्थापना उन शर्तों पर की जाती है जो कि बैंक की आय क्षमता के लिए वहनीय है; अथवा

(ख) पुनः खरीद/बाय-बॅक/मोचन का प्रयोग करने के बाद बैंक यह सिद्ध करता है कि उसकी पूंजी की स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से काफी अधिक है।

**1.8 लाभांश विवेक/अधिकार**

(i) बैंक के पास वितरण/अदायगियों को रद्द करने का हर समय पूर्ण विवेकाधिकार होना चाहिए.[165];

(ii) विवेकाधीन अदायगियों का निरसन चूक की घटना नहीं होनी चाहिए;

(iii) बैंकों की निरस्त अदायगियों तक पूर्ण पहुंच होनी चाहिए ताकि वे बाध्यताएं देय होते ही उन्हें पूरा कर सकें;

(iv) वितरणों/अदायगियों के निरसन के कारण सामान्य हितधारकों को किए जाने वाले वितरण से संबंधित प्रतिबंधों को छोड़कर बैंक पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए; तथा

(v) लाभांश का भुगतान वितरणयोग्य मदों में से किया जाना चाहिए। 'वितरण योग्य मदों' के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि बेमीयादी असंचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस) पर लाभांश केवल चालू वर्ष के लाभ में से ही अदा किया जाएगा।

(vi) लाभांश संचयी नहीं होगा, अर्थात् किसी वर्ष में लाभांश भुगतान नहीं हुआ हो तो पर्याप्त लाभ उपलब्ध होने तथा सीआरएआर का स्तर न्यूनतम विनियामक अपेक्षा के अनुरूप होने के बावजूद भावी वर्षों में उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। जब लाभांश का भुगतान निर्धारित दर से कम दर पर किया गया हो तो पर्याप्त लाभ उपलब्ध होने तथा सीआरएआर का स्तर न्यूनतम विनियामक अपेक्षा के अनुरूप होने के बावजूद अदत्त राशि का भावी वर्षों में भुगतान नहीं किया जाएगा।

(vii) लिखत में क्रेडिट सेंसिटिव कूपन विशेषता नहीं हो सकती, अर्थात् उसका लाभांश इस प्रकार का नहीं हो सकता जिसे आवधिक रूप से बैंक के साख स्तर के आधार पर पूर्णतः अथवा अंशतः पुनर्निर्धारित किया जाता हो। इस प्रयोजन से कोई भी संदर्भ दर जो बैंक की अपनी ऋण पात्रता में होने वाले परिवर्तनों तथा/अथवा व्यापक बैंकिंग क्षेत्र की ऋण पात्रता में परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है को ऋण संवेदनशील संदर्भ दर माना जाएगा। जो बैंक अस्थायी संदर्भ दर प्रस्तावित करना चाहते हैं उन्हें ऐसी संदर्भ दरों की स्वीकार्यता के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंविवि) का पूर्वानुमोदन लेना होगा।

---

[165] वितरणों/भुगतानों को रद्द करने का हर समय विवेकाधिकार होने के परिणामस्वरूप 'डिविडंड पुशर्स' पर निषेद लग जाता है। डिविडंड पुशर वाला लिखत जारीकर्ता बैंक ने यदि अन्य (सामान्यतः बैंक द्वारा और कनिष्ठ) पूंजी लिखत अथवा शेयर पर भुगतान किया है तो उस लिखत पर लाभांश/कूपन भुगतान करने में सहायता करता है । यह बाध्यता सभी समय संपूर्ण विवेकाधिकार की अपेक्षा से असंगत है । इसके अतिरिक्त 'वितरण/भुगतान रद्द करें' इस बात का अर्थ है इन भुगतानों को समाप्त/नष्ट करें। इसमें बैंक द्वारा वस्तु के रूप में वितरण/भुगतान करना अपेक्षित हो ऐसी विशेषताएं अनुमत नहीं हैं।

(viii) सामान्यतः बैंकों के लिए यह उचित होगा कि उनके पास लाभांश को रोकने (डिविडंड स्टॉपर) की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो एटी1 लिखतों के धारकों को लाभांश/कूपन का भुगतान न करने की स्थिति में सामान्य शेयरों पर लाभांश भुगतानों को रोकती हो। तथापि, डिविडंड स्टॉपर्स को अतिरिक्त टियर 1 लिखत पर वितरणों/भुगतानों को रद्द करने का पूर्ण विवेकाधिकार जो बैंक के पास हर समय होना चाहिए में बाधा नहीं डालनी चाहिए और न ही उनको ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे बैंक के पुनः पंजीकरण में बाधा आए। उदाहरण के लिए, अतिरिक्त टियर 1 पर स्टॉपर को निम्नलिखित की अनुमति नहीं होगी :

- किसी अन्य लिखत पर भुगतान को रोकने का प्रयास करना जहां इस अन्य लिखत पर किए जाने वाले भुगतान भी पूर्णतः विवेकाधिकार वाले नहीं थे;
- शेयरधारकों को वितरण उस अवधि तक रोकना जो अतिरिक्त टियर 1 लिखतों पर लाभांश/कूपन पुनः आरंभ करने के बाद भी जारी रहती है;
- बैंक के सामान्य परिचालन अथवा किसी पुनर्रचना कार्य (जिसमें अभिग्रहण/बिक्री शामिल है) में बाधा डालना ।

यदि स्टॉपर को ऐसी अनुमति दी गई हो तो वह लाभांश का भुगतान करने के समतुल्य कार्यों के लिए जैसे बैंक द्वारा विवेकाधीन शेयर बाय बैक को निषिद्ध करने का कार्य कर सकता है।

**1.9 दिवालियापन में ट्रीटमेंट**

किसी कानून के अंतर्गत अथवा अन्य प्रकार से दिवालियापन सिद्ध करने के लिए एक आवश्यकता के भाग के रूप में यदि ऐसा तुलन पत्र परीक्षण आवश्यक है तो यह लिखत, आस्तियों से अधिक देयताओं में योगदान नहीं दे सकता है।

**1.10 हानि को आत्मसात् करने के तत्व**

पीएनसीपीएस को या तो i) एक वस्तुनिष्ठ पूर्व निर्धारित सतर्कता बिंदु पर सामान्य शेयरों में परिवर्तन के माद्यम से अथवा ii) एक राइट डाउन (राइट डाउन) व्यवस्था के माध्यम से ,जो कि पूर्व निर्धारित सतर्कता बिंदु पर लिखत में हानि का विनिधान करता है, मूलधन हानि आत्मसात् करना चाहिए। राइट डाउन के निम्नलिखित परिणाम होंगे :

क) परिसमापन में लिखत के दावे घट जाएंगे;

ख) जब कॉल का प्रयोग किया जाता है तो चुकौती की राशि कम हो जाएगी; और

ग) लिखत पर लाभांश के भुगतानअंशतः अथवा पूर्णतः कम हो जाएंगे।

पूर्व निर्धारित सतर्कता बिंदु के पार होने तथा अलाभप्रदता के बिंदु पर परिवर्तन/राइट डाउन/बट्टे खाते डालने के माध्यम से हानि को आत्मसात् करने के विभिन्न मानदंड **अनुबंध 16** में दिए गए हैं।

### 1.11 पीएनसीपीएस की खरीद/निधीयन पर रोक

किसी भी बैंक या बैंक के नियंत्रणाधीन अथवा जिस पर बैंक का अत्यधिक प्रभाव है, ऐसी संबंधित पार्टी (संबंधित लेखा मानकों के अंतर्गत परिभाषित किए गए अनुसार) को पीएनसीपीएस नहीं खरीदना चाहिए और न ही बैंक को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लिखत की खरीद के लिए धन देना चाहिए। बैंकों को उनके द्वारा जारी किए गए पीएनसीपीएस की जमानत पर अग्रिम भी प्रदान नहीं करने चाहिए।

### 1.12 पुनः पूंजीकरण

लिखत में ऐसे कोई तत्व नहीं होने चाहिए जिनसे पुनः पूंजीकरण में बाधा आए जैसे ऐसे प्रावधान जिनके अनुसार किसी निर्दिष्ट समयावधि के दौरान किसी नए लिखत को निम्नतर कीमत पर जारी किया जाता है तो जारीकर्ता को निवेशकों को हरजाना देना पड़े।

### 1.13 लाभांशों का भुगतान न करने की रिपोर्टिंग

लाभांश का भुगतान न करने के सभी मामलों के बारे में जारीकर्ता बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन विभाग और बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, मुंबई के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधकों को सूचित करना चाहिए।

### 1.14 दावों की वरीयता

लिखतों में निवेशकों के दावे

(i) ईक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ होंगे;

(ii) पीडीआई, सभी टियर 2 विनियामक पूंजी लिखतों, बैंक के जमाकर्ताओं तथा सामान्य ऋणदाताओं के दावों से गौण होंगे;

(iii) निर्गमकर्ता अथवा संबंधित संस्था की गारंटी अथवा ऐसी कोई अन्य व्यवस्था जो कि बैंक के ऋणदाताओं की तुलना में दावे की वरीयता को विधिक अथवा आर्थिक रूप से बढ़ाते है द्वारा न तो प्रतिभूतिकृत हैं और न ही कवर किए गए हैं।

### 1.15 विदेशी संस्थाओं/अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय रुपये में जुटाए गए लिखतों में निवेश

(i) विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश निर्गम के क्रमशः 49 प्रतिशत तथा 24% की समग्र सीमा के भीतर होगा और यह प्रत्येक विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा निवेश निर्गम के 10 प्रतिशत से और प्रत्येक अनिवासी भारतीय का निवेश निर्गम के 5 प्रतिशत से अधिक न होने की शर्त के अधीन होगा। इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार रुपये में अंकित कार्पोरेट ऋण के लिए ईसीबी सीमा के बाहर होगा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिमान शेयर तथा ईक्विटी शेयरों की समग्र अनिवासी धारिता सांविधिक/विनियामक सीमा के अधीन होगी।

(ii) बैंकों को लिखतों के निर्गम के संबंध में सेबी/अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तों यदि कोई हो, का अनुपालन करना चाहिए।

**1.16 आरक्षित निधि अपेक्षाओं का अनुपालन**

(i) निर्गम के लिए बैंक की विभिन्न शाखाओं अथवा अन्य बैंकों द्वारा जमा की गयी और अतिरिक्त टियर 1 अधिमान शेयरों के आबंटन को अंतिम रूप दिए जाने तक लंबित रूप से रखी गई निधियों को आरक्षित निधि अपेक्षाओं की गणना करने के प्रयोजन से शामिल करना होगा।

(ii) तथापि पीएनसीपीएस के निर्गम से बैंक द्वारा जुटायी गई कुल राशि को आरक्षित निधि अपेक्षाओं के प्रयोजन से निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना के लिए देयता के रूप में गिना नहीं जाएगा और इसलिए उस पर सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी।

**1.17 निर्गमों की रिपोर्टिंग**

(i) पीएनसीपीएस जारी करने वाले बैंक प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को निर्गम पूरा होने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें उपर्युक्त पैराग्राफों में निर्दिष्ट निर्गम की शर्तों सहित जुटाए गए ऋण के ब्यौरे तथा प्रस्ताव के दस्तावेज की प्रतिलिपि होगी।

(ii) बैंक द्वारा विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों से अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के लिए अर्हक पीएनसीपीएस के रूप में जुटाई गई राशि के निर्गम-वार ब्योरे इस **अनुबंध** के अंत में दिए गए **प्रोफार्मा** में मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई - 400 001 को निर्गम के 30 दिन के भीतर रिपोर्ट करने चाहिए । विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में की गई इन लिखतों की द्वितीयक बाजार बिक्री/खरीद के बारे में

क्रमशः अभिरक्षकों तथा नामित बैंकों द्वारा 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20 की अनुसूची 2 तथा 3, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है, में निर्धारित किए गए अनुसार दैनिक आधार पर एलईसी विवरणियों की सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किया जाएगा।

**1.18 अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी अतिरिक्त टियर 1 लिखत( पीएनसीपीएस) में निवेश**

(i) अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए पीएनसीपीएस में किसी बैंक के निवेश को 6 जुलाई 2004 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 3/21.01.002/2004-05 में निर्धारित किए गए अनुसार निवेशकर्ता बैंक की पूंजीगत निधियों के 10 प्रतिशत की समग्र सीमा के अनुपालन की गणना करते समय पूंजी स्तर के लिए पात्र अन्य लिखतों में निवेश के साथ गणना की जाएगी।

(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी पीएनसीपीएस में बैंक के निवेशों पर पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से इस मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.6 तथा 8.3.5, इनमें से जो भी लागू हो, में दिए गए अनुसार जोखिम भार लागू होगा।

(iii) अन्य बैंकों के पीएनसीपीएस में किसी बैंक के निवेशों को पूंजी बाजार में एक्सपोजर माना जाएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार पूंजी बाजार एक्सपोजर के लिए विवेकपूर्ण सीमा के अनुपालन के प्रयोजन के लिए ध्यान में लिया जाएगा।

**1.19 तुलन पत्र में वर्गीकरण**

पीएनसीपीएस का पूंजी के रूप में वर्गीकरण किया जाएगा और तुलन पत्र की 'अनुसूची I - पूंजी' के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

**1.20 खुदरा निवेशकों के लिए पीएनसीपीएस**[166]

विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की जोखिम विशेषताओं के संबंध में निवेशक शिक्षण में वृद्धि करने की दृष्टि से खुदरा निवेशकों को पीएनसीपीएस जारी करने वाले बैंकों को, अपने बोर्ड के अनुमोदनके अधीन, निम्नलिखित शर्तों का पालनकरना चाहिए:

---

[166] कृपया भारत में बासल IIIपूंजी विनियमावली का कार्यान्वयन- संशोधन पर 01 सितंबर 2014 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.38/21.06.201/2014-15 देखें।

(क) निवेशक द्वारा लिखत की विशेषताएं और जोखिमें समझी हैं, के लिए नीचे उद्धृत किए अनुसार विनिर्दिष्ट हस्ताक्षर (साइन आफ) की अपेक्षा को प्रस्तावित निर्गम के सामान्य आवेदन फॉर्म में शामिल किया जाए।

> **"*इस आवेदन के द्वारा मैं/ हम यह स्वीकार करते हैं कि हमने (बैंक का नाम डालें) निर्गम (निर्गम किए जाने वाले लिखत का नाम डालें) के निबंधनों और शर्तों को समझ लिया है, जैसा कि ड्राफ्ट शेल्फ विवरण पत्रिका (* shelf prospectus)*, शेल्फ विवरण पत्रिका तथा श्रृंखला (*Tranche*) दस्तावेज में प्रकट किया गया है।*".**

*(ग)* सभी प्रचार सामग्री, आवेदन फॉर्म तथा निवेशक के साथ अन्य पत्राचार में बड़े अक्षरों में (फांट साइज़ 14 में) यह स्पष्ट कहा जाना चाहिए कि पीएनसीपीएस सामान्य शेयरों से किस प्रकार भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त, लिखत की हानि अवशोषण विशेषताएं स्पष्ट रूप से समझानी चाहिए तथा इन विशेषताओं तथा लिखत के अन्य निबंधन और शर्तों को स्पष्टत: समझ लेने के लिए निवेशक का साइन आफ प्राप्त किया जाना चाहिए।

## रिपोर्टिंग फॉर्मेट

**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के रूप में अर्हक स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयरों में विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेशों के ब्योरे**

(क) बैंक का नाम :

(ख) निर्गम का कुल परिमाण/जुटाई गई कुल राशि (रुपये में) :

(ग) निर्गम की तारीख :

| विदेशी संस्थागत निवेशक | | | अनिवासी भारतीय | | |
|---|---|---|---|---|---|
| विदेशी संस्थागत निवेशकों की संख्या | जुटाई गई राशि | | अनिवासी भारतीयों की संख्या | जुटाई गई राशि | |
| | रुपये में | निर्गम के कुल परिमाण के प्रतिशत के रूप में | | रुपये में | निर्गम के कुल परिमाण के प्रतिशत के रूप में |
| | | | | | |
| | | | | | |

यह प्रमाणित किया जाता है कि

(i) सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कुल निवेश निर्गम के परिमाण/आकार के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं है और किसी भी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा निवेश निर्गम के आकार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(ii) यह प्रमाणित किया जाता है कि सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा कुल निवेश निर्गम के आकार के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं है और किसी एकल अनिवासी भारतीय द्वारा निवेश निर्गम के आकार के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

तारीख

बैंक की मोहर

**अनुबंध 4**

(संदर्भ. पैरा 4.2.4)

## अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में बेमीयादी ऋण लिखत (पीडीआई) शामिल करने हेतु मानदंड

भारतीय बैंकों द्वारा बांड या डिबेंचर के रूप में जारी किए जा सकने वाले बेमीयादी ऋण लिखतों को पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनों से अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में शामिल करने की पात्रता के लिए निम्नलिखित निबंधन और शर्तें पूरी करनी होंगी:

### 1. भारतीय रुपये में अंकित लिखत जारी करने के लिए शर्तें

**1.1 प्रदत्त स्थिति**

लिखत बैंक द्वारा जारी किए जाने चाहिए ( अर्थात् बैंक द्वारा इस प्रयोजन से गठित किसी एसपीवी आदि के द्वारा नहीं) और पूर्णत: प्रदत्त होने चाहिए।

**1.2 राशि**

पीडीआई द्वारा जुटाई जाने वाली राशि बैंकों के निदेशक बोर्ड द्वारा तय की जानी चाहिए।

**1.3 सीमाएं**

जोखिम भारित आस्तियों के 7 प्रतिशत के न्यूनतम टियर 1 का अनुपालन करते समय, कोई बैंक अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में बेमीयादी ऋण लिखत (पीडीआई) तथा बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान शेयरों को मिलाकर, जोखिम भारित आस्तियों के 1.5 प्रतिशत से अधिक शामिल नहीं कर सकते हैं । तथापि, एक बार इस न्यूनतम कुल टियर 1 पूंजी का अनुपालन करने के बाद, बैंक द्वारा जारी किए गए कोई अतिरिक्त पीएनसीपीएस और पीडीआई को रिपोर्ट की गई कुल टियर 1 पूंजी में शामिल किया जा सकता है। यदि टियर 2 पूंजी जोखिम भारित आस्तियों के 2 प्रतिशत से कम है, अर्थात् जोखिम भारित आस्तियों के 9% की न्यूनतम कुल पूंजी का पालन करते समय, तो उसके अनुपालन के लिए अतिरिक्त पीएनसीपीएस तथा पीडीआई की गणना की जा सकती है।

**1.4 परिपक्वता अवधि**

पीडीआई बेमीयादी होगी, अर्थात् उसकी कोई परिपक्वता तारीख नहीं होगी, और पुन: प्राप्ति हेतु स्टेप-अप्स अथवा अन्य प्रोत्साहन नहीं होंगे।

**1.5 ब्याज दर**

निवेशकों को अदा किया जाने वाला ब्याज नियत दर पर अथवा बाजार निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर से संदर्भित अस्थिर दर पर हो सकता है।

**1.6 वैकल्पिकता**

पीडीआई के लिए कोई पुट-आप्शन नहीं होगा। तथापि, बैंक निम्नलिखित शर्तों पर किसी विशिष्ट तारीख को कॉल आप्शन के साथ लिखत जारी कर सकते हैं:

क. लिखत के कम से कम पांच वर्ष तक चलने के बाद लिखत पर कॉल आप्शन अनुमत है;
ख. कॉल आप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंक को भारिबैंक (बैंकिंग विनियमन विभाग) से पूर्वानुमति प्राप्त करनी चाहिए।
ग. बैंक को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जिससे यह आशा उत्पन्न हो कि कॉल का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरणार्थ, लिखत को 'कॉल' करने की आशा निर्मित न होने देने के लिए लाभांश/कूपन की पुनर्निर्धारित तारीख और कॉल तिथि एक ही न हो। बैंक अपने विवेक के अनुसार लाभांश/कूपन पुनर्निर्धारित तारीख तथा 'कॉल' तारीख के बीच उचित अंतर रखने पर विचार कर सकते हैं; तथा

घ. बैंक को कॉल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जब तक कि:

(i) वे कॉल किए गए लिखत की जगह समान या बेहतर स्तर की पूंजी रखेंगे तथा यह पूंजी बदलाव ऐसी शर्तों पर किया जाएगा, जो बैंक की आय क्षमता के लिए वहनीय हो[167], अथवा

(ii) बैंक यह दर्शाए कि इस कॉल आप्शन का प्रयोग[168] करने के बाद भी बैंक की पूंजी की स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षा से काफी ऊपर है।

कर इवेन्ट और विनियामक इवेन्ट के कारण कॉल के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, इन घटनाओं के कारण कॉल का प्रयोग करना मानदंड 1.6 के बिंदु (ख) से (घ) में निर्धारित

---

[167] लिखत का एवजी निर्गम कॉल के साथ हो सकता है, किंतु कॉल करने के बाद में नहीं।

[168] न्यूनतम का आशय आरडबल्यूए के 8% के सामान्य इक्विटी टियर 1 (आरडबल्यूए के 2.5% के पूंजी संरक्षण बफर सहित) तथा आरडबल्यूए के 11.5% की कुल पूंजी से है, जिसमें पिलर 2 के अंतर्गत निर्धारित अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाएं शामिल हैं।

अपेक्षाओं के अधीन होगा। बैंक को कॉल का प्रयोग करने की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक केवल तभी देगा, जब भारतीय रिज़र्व बैंक को यह विश्वास होगा कि बैंक पीडीआई के निर्गम के समय इन घटनाओं का पूर्वानुमान करने की स्थिति में नहीं था।

उदाहरणार्थ, यदि कर व्यवहार में कोई परिवर्तन हो, जिसके कारण कर कटौती योग्य कूपन वाले पूंजी लिखत कर कटौती न किए जाने योग्य कूपन वाले पूंजी लिखत बन जाते हैं, तो बैंक के पास यह विकल्प (कर्तव्य नहीं) होगा कि वह लिखत की पुनर्खरीद करे। ऐसी स्थिति में बैंक को पूंजी लिखत को किसी अन्य पूंजी लिखत में बदलने की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें कर -कटौती योग्य कूपन न हों। इसी प्रकार, यदि विनियामक वर्गीकरण में किसी लिखत का दर्जा घटा दिया जाए (उदाहरणार्थ यदि आरबीआई द्वारा किसी लिखत को विनियामक पूंजी में शामिल न करने का निर्णय लिया जाए) तो बैंक के पास आरबीआई के पूर्वानुमोदन से लिखत को कॉल करने और उसकी जगह बेहतर विनियामक वर्गीकरण वाले, अथवा समान विनियामक वर्गीकरण के निम्न कूपन वाले लिखत लाने का विकल्प होगा। तथापि, बैंकों को विनियामक पूंजी लिखतों की अवधि-पूर्व चुकौती/परिपक्वता के बारे में कोई आशा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए।

### 1.7 पुनर्खरीद/वापसी खरीद/चुकौती

(i) लिखतों के मूलधन की चुकौती (जैसे, पुनर्खरीद या चुकौती द्वारा) केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से की जाए तथा बैंकों को यह नहीं मान लेना चाहिए, अथवा बाजार-अपेक्षाएं उत्पन्न नहीं करनी चाहिए कि पर्यवेक्षी अनुमोदन मिल ही जाएगा (यह मूलधन की पुनर्खरीद/वापसी खरीद/चुकौती बैंक द्वारा कॉल आप्शन का प्रयोग करने से इतर स्थिति में है। इसमें एक मुख्य अंतर यह है कि पहली स्थिति में लिखत की पुनर्खरीद/वापसी खरीद/चुकौती का निर्णय घोषित होने पर लिखत को चुकौती के लिए प्रस्तुत करने का विकल्प निवेशकों के पास होता है, जबकि बाद वाले मामले में यह बैंक के पास होता है)।

(ii) बैंक पुनर्खरीद/वापसी खरीद/चुकौती केवल तभी कर सकते हैं यदि:

क) वे ऐसे लिखत को उसी या बेहतर गुणवत्ता वाली पूंजी से बदल दें और इस पूंजी का बदलाव ऐसी शर्तों पर किया जाए, जो बैंक की आय क्षमता के लिए वहनीय हो; अथवा

ख) बैंक यह दर्शाए कि पुनर्खरीद/वापसी खरीद/चुकौती के बाद उसकी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से काफी ऊपर है।

### 1.8 कूपन विवेकाधिकार

क) बैंक के पास हर समय वितरण/ भुगतान[169] रद्द करने का पूर्ण विवेकाधिकार होना चाहिए।

ख) विवेकाधीन अदायगियों का निरसन चूक की घटना नहीं होनी चाहिए;

ग) बैंकों की निरस्त अदायगियों तक पूर्ण पहुंच होनी चाहिए ताकि वे बाध्यताएं देय होते ही उन्हें पूरा कर सकें;

घ) वितरणों/अदायगियों के निरसन से सामान्य हितधारकों को किए जाने वाले वितरण से संबंधित प्रतिबंधों को छोड़कर बैंक पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए।

ङ) कूपन की अदायगी वितरण योग्य मदों में से की जानी चाहिए। इस संबंध मेंकूपन की , अदायगी चालू वर्ष के लाभों में से की जानी चाहिए।तथापियदि चालू वर्ष के लाभ , की संभावना अर्थात् कूपन अदायगी के परिणाम से चालू वर्ष में हानि होने ,पर्याप्त न हों अर्थात् ऐसी राजस्व ) तो कूपन की शेष राशि की अदायगी राजस्व आरक्षित निधियों ,हो जो बैंक द्वारा विशिष्ट प्रयोजन के लिए निर्मित न हो ,आरक्षित निधियां अथवा/तथा ( लाभमें से की जाए। ,यदि हो ,हानि खाते में जमा शेष-

तथापि, राजस्व आरक्षित निधियों में से पीडीआई पर कूपन का भुगतान इस शर्त पर है कि जारीकर्ता बैंक हर समय सीईटी 1, टियर 1 और कुल पूंजी अनुपातों के लिए न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं की पूर्ति करता है तथा पूंजी बफर संरचनाओं (अर्थात् पूंजी संरक्षण बफर, प्रतिचक्रीय पूंजी बफर और देशी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक) की अपेक्षाओं के अधीन होगा।

बैंकों को प्रस्ताव प्रलेख में ही यह सुनिश्चित करना और बताना चाहिए कि शाश्वत ऋण लिखतों के लिए पात्रता मानदंड पूर्ण करने की दृष्टि से उनके पास हर समय वितरण/भुगतान रद्द करने का पूर्ण विवेकाधिकार है।

---

[169] हर समय वितरण/ भुगतान रद्द करने के लिए पूर्ण विवेक के परिणामस्वरूप "डिविडेंड पुशर" को प्रतिबंधित किया गया है। डिविडेंड पुशर के साथ लिखत जारीकर्ता बैंक को लिखत पर डिविडेंड/ ब्याज दर भुगतान के लिए बाध्य करता है यदि बैंक ने अन्य (विशेषत: अछिक कनिष्ठ) पूंजी लिखत या शेयर पर भुगतान किया है। यह बाध्यता सभी समय पर पूर्ण विवेकाधिकार से असंगत है। साथ ही, "वितरण/ भुगतान रद्द" अभिव्यक्ति का अर्थ है इन भुगतानों को समाप्त करना। यह ऐसी विशेषताओं की अनुमति नहीं देता जिससे बैंक द्वारा वस्तु के रूप में वितरण /भुगतान करना अपेक्षित हो।

च) ब्याज संचयी नहीं होना चाहिए।

छ) लिखत में क्रेडिट सेंसिटिव कूपन विशेषता नहीं हो सकती है, अर्थात् ऐसा लाभांश जिसे आवधिक रूप से बैंक के ऋण स्तर के आधार पर पूर्णतः अथवा अंशतः पुनर्निर्धारित किया जाता है। इस प्रयोजन से कोई भी संदर्भ दर जिसमें बैंक की अपनी ऋण पात्रता में होने वाले परिवर्तनों तथा/अथवा व्यापक बैंकिंग क्षेत्र की ऋण पात्रता में परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है को ऋण संवेदनशील संदर्भ दर माना जाएगा। जो बैंक अस्थायी संदर्भ दर प्रस्तावित करना चाहते हैं उन्हें ऐसी संदर्भ दरों की स्वीकार्यता के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंविवि) का पूर्वानुमोदन लेना होगा।

ज) सामान्यतः बैंकों के लिए यह उचित होगा कि उनके पास लाभांश को रोकने (डिविडंड स्टॉपर) की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो एटी1 लिखतों के धारकों को लाभांश/कूपन का भुगतान न करने की स्थिति में सामान्य शेयरों पर लाभांश भेगतानों को रोकती हो। तथापि, डिविडंड स्टॉपर्स को अतिरिक्त टियर 1 लिखत पर वितरणों/भुगतानों को रद्द करने का पूर्ण विवेकाधिकार, जो बैंक के पास हर समय होना चाहिए, में बाधा नहीं डालनी चाहिए और न ही उनको ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे बैंक के पुनः पूंजीकरण में बाधा आए। उदाहरण के लिए, अतिरिक्त टियर 1 पर स्टॉपर को निम्नलिखित की अनुमति नहीं होगी :

- किसी अन्य लिखत पर भुगतान को रोकने का प्रयास करना जहां इस अन्य लिखत पर किए जाने वाले भुगतान भी पूर्णतः विवेकाधिकार वाले नहीं थे;

- शेयरधारकों को वितरण उस अवधि तक रोकना जो अतिरिक्त टियर 1 लिखतों पर लाभांश/कूपन पुनः आरंभ करने के बाद भी जारी रहती है;

- बैंक के सामान्य परिचालन अथवा किसी पुनर्रचना कार्य (जिसमें अभिग्रहण/बिक्री शामिल है) में बाधा डालना।

यदि स्टॉपर को **ऐसी अनुमति दी गई हो** तो वह लाभांश का भुगतान करने के समतुल्य कार्यों के लिए जैसे बैंक द्वारा विवेकाधीन शेयर बाय बैक को निषिद्ध करने का कार्य कर सकता है।

**1.9 दिवालियापन में ट्रीटमेंट**

किसी कानून के अंतर्गत अथवा अन्य प्रकार से दिवालियापन सिद्ध करने के लिए एक आवश्यकता के भाग के रूप में यदि ऐसा तुलन पत्र परीक्षण आवश्यक है तो यह लिखत, आस्तियों से अधिक देयताओं में योगदान नहीं दे सकता है।

### 1.10 हानि को आत्मसात् करने के तत्व

पीडीआई को या तो i) एक वस्तुनिष्ठ पूर्व निर्धारित सतर्कता बिंदु पर सामान्य शेयरों में परिवर्तन के माद्यम से अथवा ii) एक राइट डाउन (राइट डाउन) व्यवस्था के माध्यम से, जो कि पूर्व निर्धारित सतर्कता बिंदु पर लिखत में हानि का विनिधान करता है, मूलधन हानि आत्मसात् करना चाहिए। राइट डाउन के निम्नलिखित परिणाम होंगे :

क) परिसमापन में लिखत के दावे घट जाएंगे;

ख) जब कॉल का प्रयोग किया जाता है तो चुकौती की राशि कम हो जाएगी; और

ग) लिखत पर लाभांश के भुगतानअंशतः अथवा पूर्णतः कम हो जाएंगे।

पूर्व निर्धारित सतर्कता बिंदु के पार होने तथा अलाभप्रदता के बिंदु पर परिवर्तन/राइट डाउन/बट्टे खाते डालने के माध्यम से हानि को आत्मसात् करने के विभिन्न मानदंड **अनुबंध 16** में दिए गए हैं।

### 1.11 लिखतों की खरीद/निधीयन पर रोक

किसी भी बैंक या बैंक के नियंत्रणाधीन अथवा जिस पर बैंक का अत्यधिक प्रभाव है, ऐसी संबंधित पार्टी (संबंधित लेखा मानकों के अंतर्गत परिभाषित किए गए अनुसार) को लिखत नहीं खरीदना चाहिए और न ही बैंक को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लिखत की खरीद के लिए धन देना चाहिए। बैंकों को उनके द्वारा जारी किए गए लिखतों की जमानत पर अग्रिम भी प्रदान नहीं करने चाहिए।

### 1.12 पुनः पूंजीकरण

लिखत में ऐसे कोई तत्व नहीं होने चाहिए जिनसे पुनः पूंजीकरण में बाधा आए जैसे ऐसे प्रावधान जिनके अनुसार किसी निर्दिष्ट समयावधि के दौरान किसी नए लिखत को निम्नतर कीमत पर जारी किया जाता है तो जारीकर्ता को निवेशकों को हरजाना देना पड़े।

### 1.13 कूपन का भुगतान न करने की रिपोर्टिंग

लाभांश का भुगतान न करने के सभी मामलों के बारे में जारीकर्ता बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के बैंकिंग विनियमन विभाग और बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधकों को सूचित करना चाहिए।

### 1.14 दावों की वरीयता

लिखतों में निवेशकों के दावे

i. ईक्विटी शेयरों तथा बेमीयादी गैरसंचयी अधिमान शेयरों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ होंगे;

ii. जमाकर्ताओं, सामान्य ऋणदाताओं तथा बैंक के गौण ऋणों के दावों से गौण होंगे;

iii. जारीकर्ता अथवा संबंधित संस्था की गारंटी अथवा ऐसी कोई अन्य व्यवस्था जो कि बैंक के ऋणदाताओं की तुलना में दावे की वरीयता को विधिक अथवा आर्थिक रूप से बढ़ाते हैं ,द्वारा न तो प्रतिभूतिकृत है और न ही कवर किए गए हैं।

**1.15 विदेशी संस्थाओं/अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय रुपये में जुटाए गए लिखतों में निवेश**

i. भारतीय रुपये में जुटाए गए लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार रुपये में अंकित कार्पोरेट ऋण लिखतों के लिए ईसीबी सीमा के बाहर होगा। विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश निर्गम के क्रमशः 49 प्रतिशत तथा 24% की समग्र सीमा के भीतर होगा और यह प्रत्येक विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा निवेश निर्गम के 10 प्रतिशत से और प्रत्येक अनिवासी भारतीय का निवेश निर्गम के 5 प्रतिशत से अधिक न होने की शर्त के अधीन होगा।

ii. बैंकों को लिखतों के निर्गम के संबंध में सेबी/अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तों यदि कोई हो, का अनुपालन करना चाहिए।

**1.16 विदेशी मुद्रा में अंकित लिखतों को जारी करने की शर्तें**

बैंक निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करने की शर्त पर भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लिए बिना विदेशी मुद्रा में पीडीआई जारी करके अपनी पूंजी निधियों में वृद्धि कर सकते हैं :

(i) विदेशी मुद्रा में जारी लिखतों को उन सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करना होगा, जो भारतीय रुपये में जारी लिखतों पर लागू हैं।

(ii) पात्र राशि के 49 % से अधिक राशि विदेशी मुद्रा में जारी नहीं की जा सकती।[170]

[170] विदेशी बैंकों की शाखाओं पर लागू नहीं।

(iii) विदेशी मुद्रा में जारी लिखत जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक सौदों पर 01 जुलाई 2006 के मास्टर परिपत्र सं भारिबैं/2006-07/24 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा उधारों की वर्तमान सीमा के अतिरिक्त होगी।

**1.17 आरक्षित निधि अपेक्षाओं का अनुपालन**

बैंक द्वारा ऋण लिखतों के माध्यम से बैंक द्वारा जुटायी गई कुल राशि को आरक्षित निधि अपेक्षाओं के प्रयोजन से निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना के लिए देयता के रूप में गिना नहीं जाएगा और इसलिए उस पर सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी।

**1.18 निर्गमों की रिपोर्टिंग**

पीडीआई जारी करने वाले बैंक प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को निर्गम पूरा होने के बाद तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट निर्गम की शर्तों सहित जुटाए गए ऋण के ब्यौरे तथा प्रस्ताव के दस्तावेज की प्रतिलिपि होगी।

**1.19 अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी अतिरिक्त टियर 1 ऋण पूंजी लिखत (पीडीआई) में निवेश**

(i) 6 जुलाई 2004 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 3/21.01.002/2004-05 में निर्धारित किए गए अनुसार बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के बीच परस्पर पूंजी धारिता की 10 प्रतिशत की समग्र सीमा के अनुपालन की गणना करते समय अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए ऋण लिखतों में किसी बैंक के निवेश की गणना पूंजी स्तर के लिए पात्र अन्य लिखतों में निवेश के साथ की जाएगी तथा यह परस्पर धारिता सीमाओं के भी अधीन होगा।

(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी ऋण लिखतों में बैंक के निवेशों पर पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से इस मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.6 तथा 8.3.5 में से जो भी लागू हो, में दिए गए अनुसार जोखिम भार लागू होगा।

**1.20 तुलन पत्र में वर्गीकरण**

ऋण पूंजी लिखत जारी करके जुटाई गई राशि को तुलन पत्र[171] की 'अनुसूची 4 -उधार' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

---

[171] कृपया दिनांक 30 मार्च 2010 का परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 81/21.01.002/2009-10 देखें।

**1.21 भारत में विदेशी बैंकों द्वारा अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के रूप में शामिल करने हेतु लिखत जुटाना**

भारत में विदेशी बैंक ऊपर मद 1.1 से 1.18 में भारतीय बैंकों के लिए उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के रूप में शामिल करने हेतु विदेशी मुद्रा में प्रधान कार्यालय उधार जुटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित निबंधन और शर्तें भी लागू होंगी:

क) *परिपक्वता अवधि* : प्रधान कार्यालय उधार के रूप में जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि बेमीयादी आधार पर भारत में रखी जाएगी।

ख) *ब्याज दर* :प्रधान कार्यालय उधार के रूप में जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि पर ब्याज दर चालू बाजार दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ब्याज की अदायगी अर्धवार्षिक अंतराल पर की जानी चाहिए।

ग) *कर काटना:* प्रधान कार्यालय उधार पर ब्याज की अदायगी लागू कर काटने के अधीन होगी।

घ) *प्रलेखीकरण:* प्रधान कार्यालय उधार के रूप में अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जुटाने वाले विदेशी बैंक को अपने प्रधान कार्यालय से एक पत्र प्राप्त करना चाहिए, जिसमें विदेशी बैंक के भारत में परिचालन के लिए पूंजी आधार बढ़ाने के लिए ऋण देने की सहमति दी गई हो। ऋण प्रलेखीकरण में यह पुष्टि होनी चाहिए कि प्रधान कार्यालय द्वारा दिया गया ऋण भारतीय बैंकों द्वारा जारी ऋण पूंजी लिखतों के निवेशकों के समान स्तर के दावे की वरीयता के लिए पात्र होगा। ऋण करार का शासन और अन्वय भारतीय कानून के अनुसार किया जाएगा।

ङ) *प्रकटन:* प्रधान कार्यालय उधार की कुल पात्र राशि का प्रकटन तुलन-पत्र में 'विदेशी मुद्रा में प्रधान कार्यालय उधार के रूप में जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि' शीर्ष के अंतर्गत किया जाएगा।

च) *बचाव (हेजिंग) :* प्रधान कार्यालय उधार की कुल पात्र राशि हर समय बैंक के पास भारतीय रुपये में पूर्णत: अदला-बदली करके रखी जाएगी।

छ) *रिपोर्टिंग और प्रमाणीकरण:* प्रधान कार्यालय उधार के रूप में जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की कुल राशि के संबंध में ब्योरे के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र कि उधारी इन दिशानिर्देशों के अनुसरण में है, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग), बाहय निवेश और परिचालन विभाग तथा वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक , मुंबई को सूचित किया जाए।

**1.22 खुदरा निवेशकों को स्थायी ऋण पूंजी लिखत [172]**

---

[172] कृपया भारत में बासल III पूंजी विनियमावली का कार्यान्वयन - संशोधन पर 1 सितंबर 2014 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 38/21.06.201/2014-15 देखें।

विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की जोखिम विशेषताओं के संबंध में निवेशकों को अधिक  शिक्षित करने की दृष्टि से खुदरा निवेशकों को गौण ऋण जारी करने वाले बैंकों को अपने बोर्ड के अनुमोदन के अधीन निम्नलिखित शर्तों का पालन करना चाहिए:

क) अस्थिर दर वाले लिखतों के लिए बैंकों को बेंचमार्क के रूप में अपनी मीयादी जमा दर का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

ख) यह अपेक्षा कि प्रस्तावित ऋण निर्गम के आवेदन फॉर्म में निवेशक से नीचे उद्धृत किए अनुसार विशिष्ट साइन आफ शामिल किया जाए कि लिखत की विशेषताएं और जोखिमों को समझ लिया गया है।

***"इस आवेदन के द्वारा मैं/हम मानते हैं कि मैंने/हमने [बैंक का नाम] द्वारा [जारी किए जाने वाले लिखत का नाम डालें] लिखत के निबंधनों और शर्तों को समझ लिया है, जिनका प्रकटन ड्राफ्ट शेल्फ प्रॉस्पेक्टस (विवरण पत्र), शेल्फ प्रॉस्पेक्टस तथा ट्रैन्च दस्तावेज में किया गया है।"***

ग) सभी प्रचार सामग्री, आवेदन फॉर्म तथा निवेशक के साथ अन्य पत्राचार में यह मोटे अक्षरों में (फांट साइज 14 में) स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि गौण बांड मीयादी जमाराशियों से किस प्रकार भिन्न हैं, विशेषत: यह कि इनके लिए निक्षेप बीमा  कवर नहीं है। इसके अतिरिक्त, लिखत की हानि अवशोषण विशेषताओं को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए तथा निवेशक को ये विशेषताएं और लिखत के अन्य निबंधन और शर्तें समझ में आई हैं, इसके लिए निवेशक के हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिए।

**अनुबंध 5**

(संदर्भ. पैरा 4.2.5)

## ऋण पूंजी लिखतों को टियर 2 पूंजी के रूप में शामिल करने हेतु मानदंड

भारतीय बैंकों द्वारा बांड या डिबेंचर के रूप में जारी किए जा सकने वाले टियर 2 ऋण पूंजी लिखतों को पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनों[173] से टियर 2 पूंजी में शामिल करने की पात्रता के लिए निम्नलिखित निबंधन और शर्तें पूरी करनी होंगी:

### 1. भारतीय रुपये में अंकित लिखतें जारी करने के लिए शर्तें

#### 1.1 प्रदत्त स्थिति

लिखत बैंक द्वारा जारी किए जाने चाहिए (अर्थात् बैंक द्वारा इस प्रयोजन से गठित किसी एसपीवी आदि के द्वारा नहीं) और पूर्णत: प्रदत्त होने चाहिए।

#### 1.2 राशि

इन ऋण लिखतों द्वारा जुटाई जाने वाली राशि बैंकों के निदेशक बोर्ड द्वारा तय की जानी चाहिए।

#### 1.3 परिपक्वता अवधि

ऋण लिखतों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि 10 वर्ष होगी, और पुन: प्राप्ति हेतु स्टेप-अप्स अथवा अन्य प्रोत्साहन नहीं होंगे।

#### 1.4 बट्टा काटना

पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से इन ऋण लिखतों पर प्रगामी बट्टा काटा जाएगा। जैसे-जैसे इनकी परिपक्वता अवधि पास में आएगी, टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्रता हेतु इन लिखतों पर प्रगामी बट्टा काटा जाएगा, जैसा कि नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

| लिखतों की शेष परिपक्वता | बट्टे की दर (%) |
|---|---|
| एक वर्ष से कम | 100 |
| एक वर्ष और उससे अधिक किंतु दो वर्ष से कम | 80 |
| दो वर्ष और उससे अधिक किंतु तीन वर्ष से कम | 60 |
| तीन वर्ष और उससे अधिक किंतु चार वर्ष से कम | 40 |
| चार वर्ष और उससे अधिक किंतु पाँच वर्ष से कम | 20 |

[173] अव्यवहार्यता बिंदु पर संपरिवर्तन/अवलेखन/राइट आफ के माध्यम से हानि अवशोषण के लिए मानदंड **अनुबंध 16** में दिए गए हैं।

**1.5 ब्याज दर**

(i) निवेशकों को अदा किया जाने वाला ब्याज नियत दर पर अथवा बाजार निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर से संदर्भित अस्थिर दर पर हो सकता है।

(ii) इन लिखतों में ऋण संवेदी लाभांश विशेषता नहीं हो सकती है, अर्थात् ऐसा लाभांश, जिसे बैंक की क्रेडिट स्थिति के आधार पर आवधिक रूप से पूर्ण या आंशिक रूप से पुनर्निर्धारित किया जा सकता हो। अस्थिर संदर्भ दर का प्रस्ताव देने के इच्छुक बैंक ऐसी संदर्भ दरों की अनुमेयता के बारे में आरबीआई (बैंविवि) का पूर्वानुमोदन ले सकते हैं।

**1.6 वैकल्पिकता**

ऋण लिखत के लिए कोई पुट-आप्शन नहीं होगा। तथापि, जारीकर्ता की पहल पर न्यूनतम पाँच वर्ष पूर्ण होने के बाद ही इसे कॉल किया जा सकता है:

क. कॉल आप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंक को भारिबैंक (बैंकिंग विनियमन विभाग) से पूर्वानुमति प्राप्त करनी चाहिए, तथा

ख. बैंक को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जिससे यह आशा उत्पन्न हो कि कॉल का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरणार्थ, लिखत को 'कॉल' करने की आशा निर्मित न होने देने के लिए लाभांश/कूपन की पुनर्निर्धारित तारीख और कॉल तिथि एक ही न हो। बैंक अपने विवेक के अनुसार लाभांश/कूपन पुनर्निर्धारित तारीख तथा 'कॉल' तारीख के बीच उचित अंतर रखने पर विचार कर सकते हैं; तथा

ग. बैंक को कॉल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जब तक कि:

(i) (i) वे कॉल किए गए लिखत की जगह समान या बेहतर स्तर की पूंजी रखेंगे तथा यह पूंजी बदलाव ऐसी शर्तों पर किया जाएगा, जो बैंक की आय क्षमता के लिए वहनीय हो[174], अथवा

(ii) बैंक यह दर्शाए कि इस कॉल आप्शन का प्रयोग करने के बाद भी बैंक की पूंजी की स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षा से काफी ऊपर है[175]।

---

[174] लिखत का एवजी निर्गम कॉल के साथ हो सकता है, किंतु कॉल करने के बाद में नहीं।

[175] न्यूनतम का आशय आरडबल्यूए के 8% के सामान्य इक्विटी टियर 1 (आरडबल्यूए के 2.5% के पूंजी संरक्षण बफर सहित) तथा आरडबल्यूए के 11.5% की कुल पूंजी से है, जिसमें पिलर 2 के अंतर्गत निर्धारित अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाएं शामिल हैं।

कर इवेन्ट और विनियामक इवेन्ट के कारण कॉल के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, इन इवेन्ट्स के कारण कॉल का प्रयोग करना मानदंड 1.6 के बिंदु (क) से (ग) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन होगा। बैंक को कॉल का प्रयोग करने की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक केवल तभी देगा, जब भारतीय रिज़र्व बैंक को यह विश्वास होगा कि बैंक इन लिखतों के निर्गम के समय इन घटनाओं का पूर्वानुमान करने की स्थिति में नहीं था, जैसा कि अतिरिक्त टियर 1 लिखतों के मामले में स्पष्ट किया गया है।

**1.7 दिवालियापन/ परिसमापन में ट्रीटमेंट**

दिवालियापन या परिसमापन को छोड़ कर निवेशक को भविष्य में निर्धारित भुगतान (लाभांश या मूलधन) की गति बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।

**1.8 लिखतों की खरीद/ निधीयन पर प्रतिबंध**

न तो बैंक और न ही कोई संबंधित पार्टी, जिस पर बैंक नियंत्रण या बहुत प्रभाव का इस्तेमाल करता हो (जैसा कि संबंधित लेखांकन मानकों में परिभाषित किया गया है) को ये लिखत खरीदने चाहिए ,न ही बैंक को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लिखतों की खरीद के लिए निधीयन करना चाहिए। बैंकों को अपने द्वारा जारी किए गए ऋण लिखतों की जमानत पर अग्रिम भी प्रदान नहीं करने चाहिए।

**1.9 लाभांश की अदायगी न करने की रिपोर्टिंग**

जारीकर्ता बैंक द्वारा लाभांश की अदायगी न करने के सभी मामले प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को रिपोर्ट किए जाने चाहिए।

**1.10 दावों की वरीयता**

लिखतों में निवेशकों के दावे

(i) टियर 1 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ होंगे;
(ii) सभी जमाकर्ताओं, तथा बैंक के सामान्य ऋणदाताओं के दावों से गौण होंगे;
(iii) जारीकर्ता अथवा संबंधित संस्था की गारंटी अथवा ऐसी कोई अन्य व्यवस्था जो कि बैंक के ऋणदाताओं की तुलना में दावे की वरीयता को विधिक अथवा आर्थिक रूप से बढ़ाते हैं, द्वारा न तो प्रतिभूतिकृत है और न ही कवर किए गए हैं।

**1.11 विदेशी संस्थाओं/अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय रुपये में जुटाए गए लिखतों में निवेश**

(i) भारतीय रुपये में जुटाए गए टियर 2 लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार रुपये में अंकित कार्पोरेट ऋण लिखतों के लिए ईसीबी सीमा के बाहर होगा। तथापि, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इन लिखतों में निवेश यूएसडी 500 मिलियन की एक अलग अधिकतम सीमा के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त, वर्तमान नीति के अनुसार अनिवासी भारतीय भी इन लिखतों में निवेश के लिए पात्र होंगे।

(ii) बैंकों को लिखतों के निर्गम के संबंध में सेबी/अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तों, यदि हों, का अनुपालन करना चाहिए।

## 1.12 विदेशी मुद्रा में टियर 2 ऋण लिखतों को जारी करने की शर्तें

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लिए बिना विदेशी मुद्रा में टियर 2 ऋण लिखत जारी कर सकते हैं, बशर्ते कि निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए:

(i) विदेशी मुद्रा में जारी टियर 2 लिखतों को उन सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करना होगा, जो भारतीय रुपये में जारी लिखतों पर लागू हैं।

(ii) विदेशी मुद्रा में टियर 2 लिखतों की कुल बकाया राशि अक्षुण्ण टियर 1 पूंजी[176] के 25% से अधिक नहीं होगी। इस मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 4.4.9 के अनुसार इस पात्र राशि की गणना पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च को सुनाम तथा अन्य अमूर्त आस्तियों को घटाने के बाद, किंतु निवेशों को घटाने से पहले, टियर 1 पूंजी के संदर्भ में की जाएगी।

(iii) यह जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक सौदों पर 01 जुलाई 2010 के मास्टर परिपत्र सं 14/2010-11 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा उधारों की वर्तमान सीमा के अतिरिक्त होगी।

## 1.13 आरक्षित निधि अपेक्षाओं का अनुपालन

(i) निर्गम के लिए बैंक की विभिन्न शाखाओं अथवा अन्य बैंकों द्वारा एकत्रित की गई तथा टियर 2 पूंजी लिखतों के आवंटन को अंतिम रूप दिए जाना लंबित होने के कारण धारित निधियों को आरक्षित निधि अपेक्षाओं की गणना के प्रयोजन से हिसाब में लिया जाएगा।

(ii) टियर 2 लिखत के माध्यम से बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित निधि अपेक्षाओं के प्रयोजन से निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना के लिए देयता के रूप में गिना नहीं जाएगा और इसलिए उस पर सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाएं लागू होंगी।

---

[176] विदेशी बैंकों की शाखाओं पर लागू नहीं।

## 1.14 निर्गमों की रिपोर्टिंग

ऋण लिखत जारी करने वाले बैंक प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को निर्गम पूरा होने के बाद तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें उपर्युक्त पैराग्राफ1 में विनिर्दिष्ट निर्गम की शर्तों सहित जुटाए गए ऋण के ब्यौरे तथा प्रस्ताव के दस्तावेज की प्रतिलिपि होगी।

## 1.15 अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी टियर 2 पूंजी लिखतों में निवेश

(i) अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए टियर 2 ऋण लिखतों में किसी बैंक के निवेश को 6 जुलाई 2004 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 3/21.01.002/2004-05 में निर्धारित किए गए अनुसार निवेशकर्ता बैंक की पूंजीगत निधियों के 10 प्रतिशत की समग्र सीमा के अनुपालन की गणना करते समय पूंजी स्तर के लिए पात्र अन्य लिखतों में निवेश के साथ गणना की जाएगी।

(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी टियर 2 लिखतों में बैंक के निवेशों पर पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से इस मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.6 तथा 8.3.5, में से जो भी लागू हो में दिए गए अनुसार जोखिम भार लागू होगा।

## 1.16 तुलन पत्र में वर्गीकरण

टियर 2 ऋण पूंजी लिखत जारी करके जुटाई गई राशि को तुलन पत्र की 'अनुसूची 4 -उधार' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

## 1.17 खुदरा निवेशकों को ऋण पूंजी लिखत[177], [178]

[177] कृपया दिनांक 13 जनवरी 2010 का परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 69/21.01.002/2009-10 देखें।

[178] कृपया टियर 2 पूंजी जुटाने के लिए गौण ऋणों का खुदरा निर्गम विषय पर दिनांक 24 जनवरी 2013 का परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 72/21.01.002/2012-13 भी देखें, जिसके अनुसार बैंकों को सूचित किया गया था कि भारत में बढती हुई खुदरा सहभागिता के द्वारा कॉर्पोरेट बाजार के विस्तार की दृष्टि से बैंकों को टियर 2 पूंजी जुटाने के लिए गौण ऋण जारी करते समय खुदरा निवेशकों को पब्लिक इशू जारी करके ऐसी निधियां जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तथापि, बैंकों को सूचित किया जाता है कि ऐसा करते समय 13 जनवरी 2010 के परिपत्र में निर्धारित शर्तों का पालन करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेशक विनियामक पूंजी लिखतों की जोखिम विशेषताओं के बारे में जागरुक हैं।

विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की जोखिम विशेषताओं के संबंध में निवेशकों को अधिक शिक्षित करने की दृष्टि से खुदरा निवेशकों को गौण ऋण जारी करने वाले बैंकों को अपने बोर्ड के अनुमोदन के अधीन निम्नलिखित शर्तों का पालन करना चाहिए:

क) अस्थिर दर वाले लिखतों के लिए बैंकों को बेंचमार्क के रूप में अपनी मीयादी जमा दर का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

ख) यह अपेक्षा कि प्रस्तावित ऋण निर्गम के आवेदन फॉर्म में निवेशक से नीचे उद्धृत किए अनुसार विशिष्ट साइन आफ शामिल किया जाए कि लिखत की विशेषताएं और जोखिमों को समझ लिया गया है।

***"इस आवेदन के द्वारा मैं/हम मानते हैं कि मैंने/हमने [बैंक का नाम] द्वारा [जारी किए जाने वाले लिखत का नाम डालें] लिखत के निबंधनों और शर्तों को समझ लिया है, जिनका प्रकटन ड्राफ्ट शेल्फ प्रॉस्पेक्टस (विवरण पत्र), शेल्फ प्रॉस्पेक्टस तथा ट्रैन्च दस्तावेज में किया गया है।"***

ग) सभी प्रचार सामग्री, आवेदन फॉर्म तथा निवेशक के साथ अन्य पत्राचार में यह मोटे अक्षरों में (फांट साइज 14 में) स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि गौण बांड मीयादी जमाराशियों से किस प्रकार भिन्न हैं, विशेषत: यह कि इनके लिए निक्षेप बीमा कवर नहीं है। इसके अतिरिक्त, लिखत की हानि अवशोषण विशेषताओं को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए तथा निवेशक को ये विशेषताएं और लिखत के अन्य निबंधन और शर्तें समझ में आई हैं, इसके लिए निवेशक के हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिए।

### 1.18 भारत में विदेशी बैंकों द्वारा टियर 2 पूंजी के रूप में शामिल करने हेतु लिखत जुटाना

भारत में विदेशी बैंक ऊपर मद 1.1 से 1.17 में भारतीय बैंकों के लिए उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन टियर 2 पूंजी के रूप में शामिल करने हेतु विदेशी मुद्रा में प्रधान कार्यालय उधार जुटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित निबंधन और शर्तें भी लागू होंगी:

क) <u>परिपक्वता अवधि</u> : यदि प्रधान कार्यालय उधार के रूप में जुटाई गई टियर 2 ऋण पूंजी की राशि ट्रैन्चेज़ में है, तो प्रत्येक ट्रैन्च न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए भारत में रखा जाएगा।

ख) <u>ब्याज दर</u> :प्रधान कार्यालय उधार के रूप में जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि पर ब्याज दर चालू बाजार दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ब्याज की अदायगी अर्धवार्षिक अंतराल पर की जानी चाहिए।

ग) <u>कर काटना:</u> प्रधान कार्यालय उधार पर ब्याज की अदायगी लागू कर कटौती के अधीन होगी।

घ) *प्रलेखीकरण:* प्रधान कार्यालय उधार के रूप में टियर 2 पूंजी जुटाने वाले विदेशी बैंक को अपने प्रधान कार्यालय से एक पत्र प्राप्त करना चाहिए, जिसमें विदेशी बैंक के भारत में परिचालन के लिए पूंजी आधार बढ़ाने के लिए ऋण देने की सहमति दी गई हो। ऋण प्रलेखीकरण में यह पुष्टि होनी चाहिए कि प्रधान कार्यालय द्वारा दिया गया ऋण भारतीय बैंकों द्वारा जारी ऋण पूंजी लिखतों के निवेशकों के समान स्तर के दावे की वरीयता के लिए पात्र होगा। ऋण करार का शासन और अर्थ भारतीय कानून के अनुसार किया जाएगा।

ङ) *प्रकटन:* प्रधान कार्यालय उधार की कुल पात्र राशि का प्रकटन तुलन-पत्र में 'विदेशी मुद्रा में प्रधान कार्यालय उधार के रूप में जुटाई गई टियर 2 ऋण पूंजी की राशि' शीर्ष के अंतर्गत किया जाएगा।

च) *बचाव (हेजिंग) :* प्रधान कार्यालय उधार की कुल पात्र राशि बैंक के पास हर समय भारतीय रुपये में पूर्णत: अदला-बदली करके रखी जाएगी।

छ) *रिपोर्टिंग और प्रमाणीकरण:* प्रधान कार्यालय उधार के रूप में जुटाई गई टियर 2 ऋण पूंजी की कुल राशि के संबंध में ब्योरे के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र कि उधारी इन दिशानिर्देशों के अनुसरण में है, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग), बाह्य निवेश और परिचालन विभाग तथा वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को सूचित किया जाए।

ज) *विशेषताएं* : प्रधान कार्यालय उधार पूर्णत: चुकता होने चाहिए ,अर्थात् उधार के प्रत्येक भाग की संपूर्ण उधार राशि भारत में स्थित शाखा के पास पूर्णत: उपलब्ध होनी चाहिए। यह बेजमानती, भारत में विदेशी बैंक के अन्य जमाकर्ताओं के दावों के लिए गौण, प्रतिबंधक शर्तों से मुक्त होनी चाहिए तथा प्रधान कार्यालय के कहने पर विमोचन योग्य नहीं होनी चाहिए।

झ) *बट्टा काटने की दर* **:** प्रधान कार्यालय उधारों की परिपक्वता अवधि जैसे-जैसे पास आएगी, उन पर प्रगामी बट्टा काटा जाएगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

| **लिखतों की शेष परिपक्वता** | **बट्टे की दर (%)** |
|---|---|
| पाँच वर्ष से अधिक | लागू नहीं<br>(टियर 2 पूंजी के लिए संपूर्ण राशि गौण ऋण मानी जा सकती है) |
| चार वर्ष से अधिक किंतु पाँच वर्ष से कम | 20 |
| तीन वर्ष से अधिक किंतु चार वर्ष से कम | 40 |
| दो वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष से कम | 60 |
| एक वर्ष से अधिक किंतु दो वर्ष से कम | 80 |
| एक वर्ष से कम | 100<br>(टियर 2 पूंजी के लिए कोई भी राशि गौण ऋण नहीं मानी जा सकती) |

## 1.19 अपेक्षाएं

प्रधान कार्यालय उधार की कुल राशि को आरक्षित निधि अपेक्षाओं के प्रयोजन से निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना के लिए देयता के रूप में गिना जाएगा और इसलिए उस पर सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाएं लागू होंगी।

**1.20 बचाव (हेजिंग)**

प्रधान कार्यालय उधार की कुल राशि बैंक के पास हर समय पूर्णत: अदला-बदली करके रखी जाएगी। यह अदला-बदली भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

**1.21 रिपोर्टिंग और प्रमाणीकरण**

ऊपर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में की गईं ऐसी उधारियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं है। तथापि, इस अनुबंध के अंतर्गत प्रधान कार्यालय उधार के रूप में जुटाई गई कुल राशि के संबंध में सूचना, इस आशय के प्रमाणपत्र के साथ, कि उधारी इन दिशानिर्देशों के अनुसार है, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग), बाह्य निवेश और परिचालन विभाग तथा वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को सूचित की जाए।

**अनुबंध 6**

(संदर्भ. पैरा 4.2.5.1.क (iii))

**स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/ मोचनीय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)/ मोचनीय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस) को टियर 2 पूंजी के भाग के रूप में शामिल करने हेतु मानदंड**

**1. लिखत जारी करने की शर्तें**[179]

**1.1 प्रदत्त स्थिति**

लिखत बैंक द्वारा जारी किए जाने चाहिए (अर्थात् बैंक द्वारा इस प्रयोजन से गठित किसी एसपीवी आदि के द्वारा नहीं) और पूर्णत: प्रदत्त होने चाहिए।

**1.2 राशि**

इन ऋण लिखतों द्वारा जुटाई जाने वाली राशि बैंकों के निदेशक बोर्ड द्वारा तय की जानी चाहिए।

**1.3 परिपक्वता अवधि**

ये लिखत या तो स्थायी (पीसीपीएस) हो सकते हैं या न्यूनतम पांच वर्ष की परिपक्वता वाले दिनांकित (आरएनसीपीएस तथा आरसीपीएस) लिखत और पुन:प्राप्ति हेतु स्टेप-अप्स अथवा अन्य प्रोत्साहन नहीं होंगे। स्थायी लिखत संचयी होंगे। दिनांकित लिखत संचयी अथवा असंचयी हो सकते हैं।

**1.4 परिशोधन**

पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से मोचनीय अधिमानी शेयरों को टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्रता हेतु उन पर उनकी परिपक्वता अवधि के अंतिम पाँच वर्षों में प्रगामी बट्टा काटा जाएगा, जैसे-जैसे इनकी परिपक्वता अवधि पास में आएगी, जैसा कि नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

| लिखतों की शेष परिपक्वता | बट्टे की दर (%) |
|---|---|
| एक वर्ष से कम | 100 |
| एक वर्ष और उससे अधिक किंतु दो वर्ष से कम | 80 |
| दो वर्ष और उससे अधिक किंतु तीन वर्ष से कम | 60 |
| तीन वर्ष और उससे अधिक किंतु चार वर्ष से कम | 40 |
| चार वर्ष और उससे अधिक किंतु पाँच वर्ष से कम | 20 |

[179] अव्यवहार्यता बिंदु पर संपरिवर्तन/ अवलेखन/ राइट आफ के द्वारा हानि अवशोषण के संबंध में मानदंड अनुबंध 16 में दिए गए हैं।

### 1.5 कूपन

निवेशकों को अदा किया जाने वाला कूपन नियत दर पर अथवा बाजार निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर से संदर्भित अस्थिर दर पर हो सकता है। अस्थिर संदर्भ दर का प्रस्ताव देने के इच्छुक बैंक ऐसी संदर्भ दरों की अनुमेयता के बारे में आरबीआई (बैंविवि) का पूर्वानुमोदन ले सकते हैं।

### 1.6 वैकल्पिकता

इन लिखतों के लिए कोई पुट-आप्शन नहीं होगा। तथापि, बैंक इन्हें निम्नलिखित शर्तों पर किसी विशिष्ट तारीख को कॅल-आप्शन के साथ जारी कर सकते हैं:

(क) लिखत के कम से कम पाँच वर्ष तक चलने के बाद ही लिखत पर कॅल आप्शन की अनुमति दी जाएगी।

(ख) कॉल आप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंक को भारिबैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) से पूर्वानुमति प्राप्त करनी चाहिए, तथा

(ग) बैंक को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जिससे यह आशा उत्पन्न हो कि कॉल का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरणार्थ, लिखत को 'कॉल' करने की आशा निर्मित न होने देने के लिए लाभांश/कूपन की पुनर्निर्धारित तारीख और कॉल तिथि एक ही न हो। बैंक अपने विवेक के अनुसार लाभांश/कूपन पुनर्निर्धारित तारीख तथा 'कॉल' तारीख के बीच उचित अंतर रखने पर विचार कर सकते हैं; तथा

(घ) बैंक को कॉल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जब तक कि:

(i) वे कॉल किए गए लिखत की जगह समान या बेहतर स्तर की पूंजी रखेंगे तथा यह पूंजी बदलाव ऐसी शर्तों पर किया जाएगा, जो बैंक की आय क्षमता के लिए वहनीय हो[180], अथवा

(ii) बैंक यह दर्शाए कि इस कॉल आप्शन का प्रयोग करने के बाद भी बैंक की पूंजी की स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षा से काफी ऊपर है[181]।

---

[180] लिखत का एवजी निर्गम कॉल के साथ हो सकता है, किंतु कॉल करने के बाद में नहीं।

[181] न्यूनतम का आशय आरडबल्यूए के 8% के सामान्य इक्विटी टियर 1 (आरडबल्यूए के 2.5% के पूंजी संरक्षण बफर सहित) तथा आरडबल्यूए के 11.5% की कुल पूंजी से है, जिसमें पिलर 2 के अंतर्गत निर्धारित अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाएं शामिल हैं।

कर इवेन्ट और विनियामक इवेन्ट कॉल के प्रयोग की अनुमति है। तथापि, इन इवेन्ट्स के कारण कॉल का प्रयोग करना मानदंड 1.6 के बिंदु (ख) से (घ) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन होगा। बैंक को कॉल का प्रयोग करने की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक केवल तभी देगा, जब भारतीय रिज़र्व बैंक को यह विश्वास होगा कि बैंक इन लिखतों के निर्गम के समय इन घटनाओं का पूर्वानुमान करने की स्थिति में नहीं था, जैसा कि अतिरिक्त टियर 1 लिखतों के मामले में स्पष्ट किया गया है।

**1.7 दिवालियापन/ परिसमापन में ट्रीटमेंट**

दिवालियापन या परिसमापन को छोड़ कर निवेशक को भविष्य में निर्धारित भुगतान (लाभांश या मूलधन) की गति बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।

**1.8 लिखतों की खरीद/ निधीयन पर प्रतिबंध**

न तो बैंक और न ही कोई संबंधित पार्टी, जिस पर बैंक नियंत्रण या बहुत प्रभाव का इस्तेमाल करता हो (जैसा कि संबंधित लेखांकन मानकों में परिभाषित किया गया है) को ये लिखत खरीदने चाहिएं, न ही बैंक को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लिखतों की खरीद के लिए निधीयन करना चाहिए। बैंकों को अपने द्वारा जारी किए गए ऋण लिखतों की जमानत पर अग्रिम भी प्रदान नहीं करने चाहिए।

**1.9 कूपन की अदायगी न करने की रिपोर्टिंग**

जारीकर्ता बैंक द्वारा कूपन की अदायगी न करने के सभी मामले प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को रिपोर्ट किए जाने चाहिए।

**1.10 दावों की वरीयता**

लिखतों में निवेशकों के दावे

(i) टियर 1 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ होंगे;
(ii) सभी जमाकर्ताओं, तथा बैंक के सामान्य ऋणदाताओं के दावों से गौण होंगे;
(iii) जारीकर्ता अथवा संबंधित संस्था की गारंटी अथवा ऐसी कोई अन्य व्यवस्था जो कि बैंक के ऋणदाताओं की तुलना में दावे की वरीयता को विधिक अथवा आर्थिक रूप से बढ़ाते हैं, द्वारा न तो गारंटीकृत है और न ही कवर किए गए हैं।

**1.11 विदेशी संस्थाओं/अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय रुपये में जुटाए गए लिखतों में निवेश**

(i) विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश निर्गम के क्रमशः 49 प्रतिशत तथा 24% की समग्र सीमा के भीतर होगा और यह प्रत्येक विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा निवेश निर्गम के 10 प्रतिशत से और प्रत्येक अनिवासी भारतीय का निवेश निर्गम के 5 प्रतिशत से अधिक न होने की शर्त के अधीन होगा। भारतीय रुपये में जुटाए गए लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार रुपये में अंकित कार्पोरेट ऋण लिखतों के लिए ईसीबी सीमा के बाहर होगा। तथापि, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इन लिखतों में निवेश यूएसडी 500 मिलियन की एक अलग अधिकतम सीमा के अधीन होगा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिमानी शेयरों तथा इक्विटी शेयरों में समग्र अनिवासी धारिताएं सांविधिक/ विनियामक सीमा के अधीन होंगी।

(ii) बैंकों को इन लिखतों के निर्गम के संबंध में सेबी/अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तों यदि कोई हो, का अनुपालन करना चाहिए।

**1.12 आरक्षित निधि अपेक्षाओं का अनुपालन**

क) निर्गम के लिए बैंक की विभिन्न शाखाओं अथवा अन्य बैंकों द्वारा एकत्रित की गई तथा लिखतों के आवंटन को अंतिम रूप दिए जाना लंबित होने के कारण धारित निधियों को आरक्षित निधि अपेक्षाओं की गणना के प्रयोजन से हिसाब में लिया जाएगा।

ख) इन लिखतों के माध्यम से बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित निधि अपेक्षाओं के प्रयोजन से निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना के लिए देयता के रूप में गिना जाएगा और इसलिए उस पर सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाएं लागू होंगी।

**1.13 निर्गमों की रिपोर्टिंग**

इन लिखतों को जारी करने वाले बैंक प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को निर्गम पूरा होने के बाद तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें ऊपर विनिर्दिष्ट निर्गम की शर्तों (पैराग्राफ 1.1 से 1.14) सहित जुटाए गए ऋण के ब्यौरे तथा प्रस्ताव के दस्तावेज की प्रतिलिपि होगी।

1.14 अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी इन लिखतों में निवेश

(i) अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए इन लिखतों में किसी बैंक के निवेश को 6 जुलाई 2004 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 3/21.01.002/2004-05 में निर्धारित किए गए अनुसार निवेशकर्ता बैंक की पूंजीगत निधियों के 10 प्रतिशत की

समग्र सीमा के अनुपालन की गणना करते समय पूंजी स्तर के लिए पात्र अन्य लिखतों में निवेश के साथ गणना की जाएगी।

(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी इन लिखतों में बैंक के निवेशों पर पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से इस मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.6 तथा 8.3.5, में से जो भी लागू हो, में दिए गए अनुसार जोखिम भार लागू होगा।

**1.15 तुलन पत्र में वर्गीकरण**

इन लिखतों को तुलन पत्र की 'अनुसूची 4 -उधार' की मद संख्या 1 के अंतर्गत "उधार" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

**1.16** खुदरा निवेशकों को पीसीपीएस/आरएनसीपीएस/आरसीपीएस[182]

विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की जोखिम विशेषताओं के संबंध में निवेशकों को अधिक शिक्षित करने की दृष्टि से खुदरा निवेशकों को पीसीपीएस/आरएनसीपीएस/आरसीपीएस जारी करने वाले बैंकों को अपने बोर्ड के अनुमोदन के अधीन निम्नलिखित शर्तों का पालन करना चाहिए:

क) यह अपेक्षा कि प्रस्तावित ऋण निर्गम के आवेदन फॉर्म में निवेशक से नीचे उद्धृत किए अनुसार विशिष्ट साइन आफ शामिल किया जाए कि लिखत की विशेषताएं और जोखिमों को समझ लिया गया है।

> ***"इस आवेदन के द्वारा मैं/हम मानते हैं कि मैंने/हमने [बैंक का नाम] द्वारा [जारी किए जाने वाले लिखत का नाम डालें] लिखत के निबंधनों और शर्तों को समझ लिया है, जिनका प्रकटन ड्राफ्ट शेल्फ प्रॉस्पेक्टस (विवरण पत्र), शेल्फ प्रॉस्पेक्टस तथा ट्रैन्च दस्तावेज में किया गया है।"***

ख) सभी प्रचार सामग्री, आवेदन फॉर्म तथा निवेशक के साथ अन्य पत्राचार में यह मोटे अक्षरों में (फांट साइज 14 में) स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि गौण बांड मीयादी जमाराशियों से किस प्रकार भिन्न हैं, विशेषत: यह कि इनके लिए निक्षेप बीमा कवर नहीं है। इसके अतिरिक्त, लिखत की हानि अवशोषण विशेषताओं को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए तथा निवेशक को ये विशेषताएं और लिखत के अन्य निबंधन और शर्तें समझ में आई हैं, इसके लिए निवेशक के हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिए।

---

[182] कृपया भारत में बासल III पूंजी विनियमावली का कार्यान्वयन - संशोधन पर 1 सितंबर 2014 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 38/21.06.201/2014-15 देखें।

**अनुबंध 7**

**(संदर्भ पैरा 5.17)**

**क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप (सीडीएस) पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश**

(दिनांक 30 नवंबर 2011 का बैपविवि.बीपी.बीसी.सं. 61/21.06.203/2011-12)

**1. परिचय**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाजार सहभागियों के लिए कार्पोरेट बांडों पर एकल नाम सीडीएस की शुरूआत की है ताकि वे एक साधन के रूप में इसके द्वारा कार्पोरेट बांडों के साथ जुड़े जोखिम का अंतरण एवं प्रबंधन कर सकें। बैंक ऐसे सीडीएस लेनदेन बाजार निर्माताओं (मार्केट मेकर्स) तथा उपयोगकर्ता दोनों रूपों में कर सकते हैं। उपयोगकर्ता के रूप में बैंक अपनी बैंकिंग बही अथवा व्यापार बही एक्सपोज़र के बचाव के लिए सीडीएस खरीद सकते हैं। सीडीएस से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का विवरण नीचे पैराग्राफों में दिया गया है।

**2. परिभाषाएँ**

इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निम्नलिखित परिभाषाओं का प्रयोग किया गया है :

(i) **क्रेडिट इवेंट भुगतान -** यह क्रेडिट इवेंट के घटने के बाद क्रेडिट डेरिवेटिव संविदा के अनुसार क्रेडिट सुरक्षा प्रदाता द्वारा क्रेडिट सुरक्षा क्रेता को भुगतान की जाने वाली राशि है। यह भुगतान भौतिक निपटान (संदर्भाधीन हस्ती के सुपुर्दगीयोग्य दायित्व की प्रत्यक्ष सुपुर्दगी के बदले उसके बराबर का भुगतान) अथवा नकद भुगतान (सममूल्य-घटा वसूली आधार पर निर्धारित अर्थात् दायित्व का वसूली मूल्य घटाकर संदर्भ दायित्व के सममूल्य का प्रयोग करते हुए निर्धारित अथवा एक निर्धारित राशि अथवा सम राशि की समतुल्य प्रतिशतता) के रूप में हो सकता है।

(ii) **सुपुर्दगी योग्य आस्ति/दायित्व -** किसी क्रेडिट इवेंट के घटित होने की स्थिति में संविदा के अनुसार सुपुर्दगी योग्य संदर्भ हस्ती का कोई दायित्व[183] । [सुपुर्दगीयोग्य दायित्व क्रेडिट डेरिवेटिवों से संबंधित हैं जिनका समायोजन भौतिक रूप से किया जाना है।]

---

[183] वर्तमान में केवल सीडीएस पर दिशानिर्देशों पर दिनांक 23 मई 2011 का परिपत्र आईडीएमडी.पीसीडी.सं. 5053 /14.03.04/2010-11 में विनिर्दिष्ट सुपुर्दगी-योग्य दायित्वों की अनुमति दी जाएगी।

(iii) **संदर्भ दायित्व -** जब कोई क्रेडिट इवेंट होता है तो क्रेडिट डेरिवेटिव संविदा के अनुसार देय राशि की गणना करने में प्रयुक्त दायित्व[184]। [संदर्भ दायित्व/दायित्वों के लिए प्रासंगिक है जिनका नकद समायोजन किया जाना है सममूल्य-घटा वसूली के आधार पर) ]

(iv) **विचाराधीन आस्ति/दायित्व -** वह आस्ति[185] जिसे सुरक्षा क्रेता बचाना चाहता है।

## 3. सीडीएस का व्यापार बही तथा बैंकिंग बही स्थितियों में वर्गीकरण

सीडीएस लेनदेन के लिए पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से व्यापार बही में *व्यापार के लिए* धारित स्थितियां तथा बैंकिंग बही में *परिपक्वता* तक धारित एवं *बिक्री के लिए उपलब्ध* स्थितियां शामिल होंगी। एक वित्तीय डेरिवेटिव होने के नाते किसी सीडीएस को व्यापार बही के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा सिवाय इसके कि उसे किसी बैंकिंग बही एक्सपोज़र के लिए एक बचाव के रूप में संविदाकृत तथा विनिर्दिष्ट किया जाता हो। इस प्रकार व्यापार बही के अंतर्गत धारित सीडीएस स्थितियों में निम्नलिखित स्थितियां शामिल होंगी जो

(क) बाजार-निर्माण से उत्पन्न होती हैं;

(ख) व्यापार बही के अंतर्गत एक्सपोजरों के बचाव के लिए होती हैं;

(ग) अल्पकालिक पुनः बिक्री के लिए धारित की जाती हैं; तथा

(घ) बैंक द्वारा उनकी खरीद तथा बिक्री कीमतों के बीच के वास्तविक तथा/अथवा संभावित अंतरों से कम समय में फायदा उठाने के मंशे से की जाती हैं।

बैंकिंग बही एक्सपोजरों के बचाव के लिए सीडीएस स्थितियों को बैंकिंग बही के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। तथापि, सभी सीडीएस स्थितियों को चाहे वे बैंकिंग बही में हों या व्यापार बही में, कीमतों का निर्धारण बाज़ार के आधार पर किया जाएगा। सभी सीडीएस स्थितियों को नीचे पैरा 4 में दी गई परिचालनगत अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए।

## 4. व्यापार बही तथा बैंकिंग बही के लिए पात्र बाह्य/तृतीय पक्षकार बचाव के रूप में मान्य होने हेतु सीडीएस के लिए परिचालनगत अपेक्षाएं

[184] कृपया दिनांक 23 मई 2011 का परिपत्र आईडीएमडी.पीसीडी.सं. 5053 /14.03.04/2010-11 का पैरा 2.4 देखें।

[185] कृपया दिनांक 23 मई 2011 का परिपत्र आईडीएमडी. पीसीडी. सं. 5053 /14.03.04/2010-11 का पैरा 2.4 देखें।

(क) सीडीएस संविदा को सुरक्षा प्रदाता पर प्रत्यक्ष दावा प्रदर्शित करना चाहिए तथा उसे स्पष्ट रूप से विशेष एक्सपोज़र के साथ संबद्ध होना चाहिए ताकि उसकी व्याप्ति (कवर) की परिधि स्पष्ट रूप से परिभाषित हो सके और उसे अपरिवर्तनीय होना चाहिए।

(ख) क्रेडिट सुरक्षा संविदा के संबंध में किसी सुरक्षा क्रेता द्वारा प्रीमियम का भुगतान न किए जाने की स्थिति को छोड़कर इसे अविकल्पी होना चाहिए।

(ग) संविदा में ऐसा कोई खंड नहीं होना चाहिए जो सुरक्षा प्रदाता को क्रेडिट कवर समाप्त करने की एकपक्षीय अनुमति देता हो अथवा जिसके कारण प्रतिरक्षित एक्सपोज़र की बिगड़ती क्रेडिट गुणवत्ता के परिणामस्वरूप कवर की प्रभावी कीमत में वृद्धि होगी।

(घ) सीडीएस संविदा बेशर्त होनी चाहिए। सुरक्षा संविदा में बैंक के प्रत्यक्ष नियंत्रण (सुरक्षा क्रेता) से बाहर ऐसा कोई खंड नहीं होना चाहिए जो मूल प्रतिपक्षकार द्वारा देय राशि का भुगतान न करने की स्थिति में समय पर भुगतान करने का दायित्व पूरा करने से सुरक्षा प्रदाता को रोके।

(ङ) संविदाकर्ता पक्षकारों द्वारा विनिर्दिष्ट क्रेडिट इवेंट के अंतग्रत कम से कम निम्नलिखित को कवर किया जाना चाहिए:

(i) अंतर्निहित दायित्व के अनुसार देय राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति जो इस प्रकार की स्थिति के समय लागू हो (अनुग्रह अवधि सहित जो अंतर्निहित दायित्व में उल्लिखित अनुग्रह अवधि के काफी अनुरूप हो);

(ii) दिवालियापन अथवा बाध्यताधारी द्वारा अपना कर्ज चुकता करने में असमर्थता अथवा कर्ज के देय होने पर सामान्यतः उनका भुगतान कर पाने के प्रति बाध्यताधारी द्वारा लिखित रूप से दी गई असमर्थता अथवा उसकी स्वीकारोक्ति तथा उससे जुड़ी स्थितियां; तथा

(iii) अंतर्निहित दायित्व की पुनर्रचना (जैसा कि 23 मई 2011 के सीडीएस पर आईडीएमडी दिशानिर्देशों में वर्णित है) जिसमें मूलधन, ब्याज अथवा शुल्क जो क्रेडिट हानि की स्थिति में देय होता है, को माफ करना या उनका स्थगन शामिल है (अर्थात् चार्ज-ऑफ, विशेष प्रावधान अथवा लाभ-हानि खाता के नामे इसी प्रकार के डेबिट);

(iv) जब अंतर्निहित दायित्व की पुनर्रचना सीडीएस द्वारा कवर नहीं की जाती है लेकिन पैराग्राफ 4 में दी गई अन्य अपेक्षाएं पूरी की जाती हों तो सीडीएस का आंशिक निर्धारण किया जाएगा। यदि सीडीएस की राशि अंतर्निहित दायित्व की राशि से एक या उसके बराबर

हो तो बचाव के राशि के 60% हिस्से को कवर के अंतर्गत माना जाएगा। यदि सीडीएस की राशि अंतर्निहित दायित्व की राशि से बड़ी हो तो अंतर्निहित दायित्व की अधिकतम 60% राशि पात्र बचाव के रूप में निर्धारित की जाती है।

(च) यदि सीडीएस में ऐसे सुपुर्दगी योग्य दायित्वों का निर्धारण किया गया हो जो अंतर्निहित दायित्व से भिन्न हैं तो उसके कारण हुए असंतुलन पर निम्नलिखित पैराग्राफ (ट) लागू होगा।

(छ) सीडीएस भुगतान न होने के फलस्वरूप[186] अंतर्निहित दायित्व में होने वाली चूक के लिए अपेक्षित किसी अनुग्रह अवधि के समाप्त होने से पहले समाप्त नहीं होगा।

(ज) नकदी लेनदेन की अनुमति देने वाले सीडीएस का निर्धारण पूंजी प्रयोजनों के लिए किया जाता है क्योंकि हानि का विश्वसनीय रूप से आकलन करने के लिए एक सुदृढ़ मूल्यांकन प्रक्रिया मौजूद है। क्रेडिट इवेंट के बाद अंतर्निहित दायित्व का मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित समय सीमा होनी चाहिए। यदि नकद निपटान के प्रयोजन के लिए सीडीएस में निर्धारित संदर्भ दायित्व अंतर्निहित दायित्व से भिन्न है तो उसके फलस्वरूप हुए असंतुलन पर निम्नलिखित (ट) लागू होगा।

(झ) यदि निपटान के लिए सुरक्षा क्रेता का अंतर्निहित दायित्व सुरक्षा प्रदाता को अंतरित करने का अधिकार/योग्यता अपेक्षित है तो अंतर्निहित दायित्व की शर्तों के अंतर्गत इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि इस प्रकार के अंतरण के लिए अपेक्षित किसी सहमति को बेतुके ढंग से नहीं रोका जाएगा।

(ञ) उन पक्षकारों की पहचान को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए जो यह तय करते हैं कि क्या कोई क्रेडिट इवेंट हुआ है। यह तय करना केवल सुरक्षा विक्रेता की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा क्रेता को किसी क्रेडिट इवेंट होने के बारे में सुरक्षा प्रदाता को सूचित करने का अधिकार/योग्यता होनी चाहिए।

(ट) सीडीएस के अंतर्गत अंतर्निहित दायित्व एवं संदर्भ दायित्व अथवा सुपुर्दगी योग्य दायित्व के बीच असंतुलन (अर्थात् नकद निपटान मूल्य अथवा सुपुर्दगी योग्य दायित्व निर्धारित करने के

---

[186] अंतर्निहित एक्सपोजरों की परिपक्वता और बचाव की परिपक्वता को सतर्कता से परिभाषित किया जाना चाहिए। किसी लागू छूट अवधि को हिसाब में लेते हुए अंतर्निहित की प्रभावी परिपक्वता को प्रतिपक्षकार द्वारा अपना दायित्व पूरा करने की निर्धारित तिथि से पहले दीर्घतम संभव शेष समय के रूप में आंकना चाहिए।

प्रयोजन के लिए प्रयुक्त दायित्व) मान्य है यदि (1) संदर्भ दायित्व अथवा सुपुर्दगी योग्य दायित्व का स्तर अंतर्निहित दायित्व के समान अथवा उससे छोटा हो तथा (2) अंतर्निहित दायित्व तथा संदर्भ दायित्व अथवा सुपुर्दगी योग्य दायित्व का हिस्सा एक ही बाध्यताधारी (अर्थात् एक ही विधिक हस्ती) के पास हो तथा कानूनी रूप से लागू किए जाने वाले परस्पर-चूक या परस्पर तीव्रता संबंधी खंड मौजूद हों।

(ठ) अंतर्निहित दायित्व तथा यह निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त दायित्व कि क्या कोई क्रेडिट इवेंट हुआ है, के बीच कोई असंतुलन मान्य होगा यदि (1) परवर्ती दायित्व का स्तर अंतर्निहित के समान अथवा उससे छोटा हो तथा (2) अंतर्निहित दायित्व तथा संदर्भ दायित्व एक ही बाध्यताधारी (अर्थात् एक ही विधिक हस्ती) के साथ जुड़े हों और कानूनी रूप से लागू किए जाने वाले परस्पर-चूक या परस्पर-तीव्रता संबंधी खंड मौजूद हों।

## 5. बैंकिंग बही में सीडीएस स्थितियों के लिए पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षा

### 5.1 बाह्य/तृतीय पक्षकार सीडीएस बचाव का निर्धारण

5.1.1 खरीदी गई सीडीएस स्थितियों द्वारा प्रतिरक्षित बैंकिंग बही स्थितियों के मामले में प्रतिरक्षित एक्सपोज़र के संबंध में संदर्भ हस्ती /अंतर्निहित आस्ति के लिए किसी एक्सपोज़र को हिसाब में नहीं लिया जाएगा एवं एक्सपोज़र को माना जाएगा कि उसे सुरक्षा विक्रेता के द्वारा हिसाब में ले लिया गया है बशर्ते :

(क) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत निर्दिष्ट परिचालनात्मक अपेक्षाओं को पूरा किया जाता हो;

(ख) क्रेडिट जोखिम के लिए बासल II के मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत सुरक्षा विक्रेता पर लागू जोखिम भार[187] अंतर्निहित आस्ति के जोखिम भार से कम हो; तथा

(ग) अंतर्निहित आस्ति तथा संदर्भ /सुपुर्दगी योग्य दायित्व के बीच कोई असंतुलन न हो। यदि यह शर्त पूरी नहीं की जाती है तो निर्धारित की जाने वाली क्रेडिट सुरक्षा की राशि की गणना निम्नलिखित पैराग्राफ 5.1.3 (ii) के अनुसार की जानी चाहिए।

---

[187] बासल II ढांचे को बासल III पूंजी विनियमावली के द्वार संशोधित और परिष्कृत किया गया है। अतएव, इस अनुबंध में बासल II ढांचे के संदर्भ को अब इस मास्टर परिपत्र में बासल III दिशानिर्देशों के संदर्भ के रूप में माना जाना चाहिए।

5.1.2 यदि उपर्युक्त शर्तों (क) तथा (ग) को पूरा नहीं किया जाता हो या बैंक इनमें से किसी भी शर्त का बाद में उल्लंघन करता हो तो बैंक अंतर्निहित आस्ति पर एक्सपोज़र की गणना करेगा तथा सीडीएस स्थिति को व्यापार बही में अंतरित कर दिया जाएगा जहां वह विशिष्ट जोखिम, प्रतिपक्षकार जोखिम तथा व्यापार बही पर यथा लागू सामान्य बाजार जोखिम (जहां लागू हो) के अधीन होगा।

5.1.3 अंतर्निहित एक्सपोज़र के असुरक्षित हिस्से को बासल ॥ ढांचे के अंतर्गत यथालागू जोखिम-भारित किया जाएगा। यदि अंतर्निहित आस्ति/दायित्व तथा संदर्भ/सुपुर्दगीयोग्य आस्ति/दायित्व के बीच कोई असंतुलन हो तो क्रेडिट सुरक्षा की राशि को आस्ति अथवा परिपक्वता के संबंध में समायोजित किया जाएगा। इनका ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

(i) **आस्ति असंतुलन**

यदि अंतर्निहित आस्ति संदर्भ आस्ति अथवा सुपुर्दगी योग्य दायित्व से भिन्न है तो आस्ति असंतुलन उत्पन्न होगा। सुरक्षा क्रेता द्वारा सुरक्षा को केवल तभी उपलब्ध माना जाएगा जब असंतुलित आस्तियां पैराग्राफ उपर्युक्त 4 (ट) में यथानिर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करती हैं।

(ii) **परिपक्वता असंतुलन**

यदि क्रेडिट डेरिवेटिव संविदा की परिपक्वता अंतर्निहित आस्ति की परिपक्वता के समतुल्य अथवा उससे अधिक हो तो सुरक्षा क्रेता सुरक्षा की राशि की गणना करने का पात्र होगा। तथापि, यदि सीडीएस संविदा की परिपक्वता अंतर्निहित आस्ति की परिपक्वता से कम हो तो उसे परिपक्वता असंतुलन माना जाएगा। परिपक्वता अंसतुलन के मामले में, सुरक्षा की राशि का निर्धारण निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा :

क. यदि क्रेडिट डेरिवेटिव उत्पाद की अवशिष्ट परिपक्वता **तीन महीने** से कम हो तो सुरक्षा का निर्धारण नहीं किया जाएगा।

ख. यदि क्रेडिट डेरवेटिव संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता **तीन महीने** या उससे अधिक हो तो जिस अवधि के लिए सुरक्षा उपलब्ध है उसके अनुपात में सुरक्षा का निर्धारण किया जाएगा। जब परिपक्वता असंतुलन हो तो निम्नलिखित समायोजन लागू किया जाएगा।

$$Pa = P \times (t - .25) \div (T - .25)$$

जहां

Pa = परिपक्वता असंतुलन के लिए समायोजित किए गए क्रेडिट सुरक्षा का मूल्य

P = क्रेडिट सुरक्षा

t = Min (T, क्रेडिट सुरक्षा व्यवस्था की अवशिष्ट परिपक्वता) वर्ष में प्रदर्शित

T = Min (5, वर्ष में प्रदर्शित अंतर्निहित एक्सपोज़र की अवशिष्ट परिपक्वता)

***उदाहरण*** *: मान लीजिए अंतर्निहित आस्ति कोई कार्पोरेट बांड है जिसका अंकित मूल्य ` 100/- है और उसकी अवशिष्ट परिपक्वता 5 वर्ष तथा सीडीएस की अवशिष्ट परिपक्वता 4 वर्ष है। क्रेडिट सुरक्षा राशि की गणना निम्नलिखित विधि से की जाएगा :*

*100* { (4 -.25) ÷ (5-.25)} ö= 100* (3.75 ÷ 4.75) =78.95*

ग. सीडीएस संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के तीन महीना होते ही सुरक्षा का निर्धारण करना बंद कर दिया जाएगा।

**5.2 आंतरिक बचाव (हेजेज)**

बैंक अपने मौजूदा कॉर्पोरेट बांड संविभागों में क्रेडिट जोखिम के बचाव के लिए सीडीएस संविदाओं का प्रयोग कर सकते हैं। कोई बैंक किसी बैंकिंग बही क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र का बचाव आंतरिक बचाव (बैंक के व्यापार डेस्क से खरीदी गई तथा व्यापार बही में धारित सुरक्षा) या बाह्य बचाव (किसी पात्र तृतीय पक्षकार सुरक्षा प्रदाता से खरीदी गई सुरक्षा) के द्वारा कर सकता है। जब कोई बैंक अपनी व्यापार बही में दर्ज किसी सीडीएस का प्रयोग करते हुए किसी बैंकिंग क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र (कार्पोरेट बांड) का बचाव (अर्थात् किसी आंतरिक बचाव का प्रयोग करते हुए) करता है तो बैंकिंग बही एक्सपोज़र का बचाव पूंजी प्रयोजनों के लिए तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि बैंक किसी सीडीएस के माध्यम से क्रेडिट जोखिम को व्यापार बही से किसी पात्र तृतीय पक्षकार सुरक्षा प्रदाता को स्थानांतरित न कर दे। इस सीडीएस को बैंकिंग बही एक्सपोज़र के परिप्रेक्ष्य में पैराग्राफ 5.1 की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। जहां इस प्रकार की तृतीय पक्षकार सुरक्षा की खरीद की जाती है और उसका निर्धारण विनियामक पूंजी प्रयोजनों के लिए किसी बैंकिंग बही एक्सपोज़र के बचाव के रूप में किया जाता है तो आंतरिक एवं बाह्य सीडीएस बचाव के लिए कोई पूंजी बनाए रखना अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार के मामलों में बाह्य सीडीएस बैंकिंग बही एक्सपोज़र के लिए परोक्ष बचाव के रूप में कार्य करेगा तथा बाह्य/तृतीय पक्षकार बचाव के मामले में लागू पैराग्राफ 5.1 के अनुसार पूंजी पर्याप्तता लागू होगी।

**6. व्यापार बही में सीडीएस के लिए पूंजी पर्याप्तता**

### 6.1 सामान्य बाजार जोखिम

सामान्यतः क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप के कारण सुरक्षा क्रेता अथवा सुरक्षा विक्रेता के लिए सामान्य बाजार जोखिम की कोई स्थिति नहीं पैदा होती। तथापि, देय/प्राप्य प्रीमियम का वर्तमान मूल्य ब्याज दरों में परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होता है। प्राप्य/देय प्रीमियम में ब्याज दर जोखिम की गणना करने के लिए प्रीमियम के वर्तमान मूल्य को संबंधित परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों में सांकेतिक स्थिति के रूप माना जा सकता है। इन स्थितियों पर सामान्य बाजार जोखिम के लिए समुचित पूंजी प्रभार लगाया जाएगा। सुरक्षा क्रेता/विक्रेता देय/प्राप्य प्रीमियम के वर्तमान मूल्य को संबंधित परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों में लघु/दीर्घ स्थिति के समतुल्य मानेगा।

### 6.2 संदर्भ हस्ती के एक्सपोज़र के लिए विशेष जोखिम

सीडीएस सुरक्षा विक्रेता/सुरक्षा क्रेता के लिए संदर्भ आस्ति/दायित्व में विशेष जोखिम के लिए सांकेतिक दीर्घ/लघु स्थिति पैदा करता है। विशेष जोखिम पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए सीडीएस की सैद्धांतिक राशि तथा उसकी परिपक्वता का प्रयोग किया जाना चाहिए। सीडीएस स्थितियों के लिए विशेष जोखिम प्रभार नीचे दी गई सारणी - 1 तथा सारणी -2 के अनुसार होगा।

**सारणी -1 : व्यापार बही में खरीदी एवं बेची गई सीडीएस स्थितियों के लिए विशेष जोखिम पूंजी प्रभार : वाणिज्यिक स्थावर संपदा कंपनियों / एनबीएफसी -एनडी - एसआई को छोड़कर अन्य संस्थाओं के प्रति एक्सपोज़र**

| 90 दिन | | | 90 दिन के बाद[188] | |
|---|---|---|---|---|
| **ईसीएआई द्वारा रेटिंग *** | **लिखत की अवशिष्ट परिपक्वता** | **पूंजी प्रभार** | **ईसीएआई द्वारा रेटिंग** | **पूंजी प्रभार** |
| एएए से बीबीबी | 6 महीने या उससे कम | 0.28 % | एएए | 1.8 % |
| | 6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक तथा उसे शामिल करते हुए | 1.14% | एए | 2.7% |

[188] बासल II के अंतर्गत, ट्रेडिंग बही के सामान्यतः अल्पकालिक क्षितिज को देखते हुए ट्रेडिंग बही में धारित कॉर्पोरेट बांड, सीडीएस संविदाएं आदि के जोखिम एक्सपोजरों के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार अंशांकित किए गए हैं। यदि ऐसी पोजीशन ट्रेडिंग बही में लंबी समय सीमाओं के लिए रहती हैं, तो ये उच्चतर ऋण जोखिम के प्रति एक्सपोज होंगी। ऐसे मामलों में सामान्य विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार अपर्याप्त होंगे। अतएव, ट्रेडिंग बही में 90 दिन से ज्यादा रहने वाले एक्सपोजरों के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार उपयुक्त रूप से बढ़ा दिए गए हैं।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 24 महीने से अधिक | 1.80% | ए | 4.5% |
| | | | बीबीबी | 9.0% |
| बीबी तथा उससे कम | सभी परिपक्वताएं | 13.5% | बीबी तथा उससे कम | 13.5% |
| अनरेटेड (यदि अनुमत) | सभी परिपक्वताएं | 9.0% | अनरेटेड (यदि अनुमत) | 9.0% |

*ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेंसियों/ईसीएआई या विदेशी रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रेटिंग हैं। विदेशी ईसीएआई के मामले में, यहां प्रयुक्त रेटिंग प्रतीक स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुरूप हैं। "+" या "-" जैसे मॉडिफायरों को मुख्य श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

**सारणी- 2 : व्यापार बही में खरीद एवं बेची गई सीडीएस स्थितियों के लिए विशेष जोखिम पूंजी प्रभार : वाणिज्यिक स्थावर संपदा कंपनियों / एनबीएफसी -एनडी-एसआई के प्रति एक्सपोज़र #**

| ईसीएआई द्वारा रेटिंग * | लिखत की अवशिष्ट परिपक्वता | पूंजी प्रभार |
|---|---|---|
| | 6 महीने या उससे कम | 1.4% |
| | 6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक तथा उसे शामिल करते हुए | 7.7% |
| एएए से बीबीबी | 24 महीने से अधिक | 9.0% |
| बीबी तथा उससे कम | सभी परिपक्वताएं | 9.0% |
| अनरेटेड (यदि अनुमत) | सभी परिपक्वताएं | 9.0% |

# उपर्युक्त सारणी 90 दिन तक के एक्सपोजरों पर लागू होगी। 90 दिन के बाद वाणिज्यिक स्थावर संपदा कंपनियों/एनबीएफसी-एनडी-एसआई के प्रति एक्सपोजरों के लिए पूंजी प्रभार 9.0% की दर से लिया जाएगा भले ही संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य दायित्व की रेटिंग कुछ भी हो।

* ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेंसियों/ईसीएआई या विदेशी रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रेटिंग हैं। विदेशी ईसीएआई के मामले में, यहां प्रयुक्त रेटिंग प्रतीक स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुरूप हैं। "+" या " - " जैसे मॉडिफायरों को मुख्य श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

### 6.2.1 सीडीएस द्वारा प्रतिरक्षित स्थितियों के लिए विशेष जोखिम पूंजी प्रभार[189]

[189] यह पैरा केवल ऐसे मामलों में लागू होगा, जहां सीडीएस पोजीशन का मतलब सुस्पष्ट रूप से ट्रेडिंग बही एक्सपोजर के बचाव के लिए है। दूसरे शब्दों में, कोई बैंक सीडीएस पोजीशन को किसी अन्य ट्रेडिंग बही एक्सपोजर के बचाव के लिए ट्रीट नहीं कर सकता है, यदि शुरुआत से ही उसका ऐसा इरादा नहीं था।

(i) जब दो चरणों (अर्थात सीडीएस स्थितियों में दीर्घ एवं अल्पकालिक चरण) के मूल्य सदैव विपरित दिशा में बढ़ते हों और व्यापक रूप से एक ही सीमा तक, तो बैंक विशेष जोखिम पूंजी प्रभारों को संपूर्ण रूप से पूरा कर सकते हैं। यह स्थिति तब होगी जब दो चरणों में **पूर्णतया एक समान सीडीएस** हों। ऐसे मामलों में सीडीएस स्थितियों के दोनों चरणों में कोई विशेष जोखिम पूंजी अपेक्षा लागू नहीं होती।

(ii) जब दो चरणों का मूल्य (अर्थात् दीर्घ एवं अल्पकालिक) सदैव विपरित दिशा में बढ़ता हो लेकिन व्यापक रूप से एक ही सीमा तक नहीं तो बैंक 80% विशेष जोखिम पूंजी प्रभारों को पूरा कर सकते हैं[190] । यह स्थिति तब होगी जब किसी दीर्घकालिक अवधि का बचाव सीडीएस के द्वारा किया गया हो और संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य दायित्व तथा संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य दायित्व तथा सीडीएस दोनों की परिपक्वता बिलकुल एक समान हो। इसके अतिरिक्त, सीडीएस की प्रमुख विशेषताओं (उदाहरणार्थ क्रेडिट इवेंट परिभाषाएं, निपटान प्रणालियां) के कारण सीडीएस की कीमत में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिससे कि वह नकदी स्थिति की कीमतों में परिवर्तन से प्रत्यक्ष रूप से अलग हो। लेनदेन जिस सीमा तक जोखिम स्थानांतरित करता है उस सीमा तक उच्चतर पूंजी प्रभार के साथ लेनदेन के पक्ष पर 80% विशेष जोखिम ऑफ-सेट लगाया जाएगा जबकि दूसरी तरफ विशेष जोखिम अपेक्षा शून्य होगी।[191]

(iii) जब दो चरणों (अर्थात् दीर्घ एवं अल्पकालिक) का मूल्य प्रायः विपरित दिशा में बढ़ता हो तो बैंक आंशिक रूप से विशेष पूंजी प्रभारों को ऑफ-सेट कर सकते हैं। यह निम्नलिखित स्थितियों में होगा:

(क) इस स्थिति का वर्णन पैराग्राफ 6.2.1(ii) में किया गया है लेकिन नकदी स्थिति तथा सीडीएस के बीच आस्ति असंतुलन है। तथापि, अंतर्निहित आस्ति को सीडीएस प्रलेखन में

---

[190] ट्रेडिंग बही में कॉर्पोरेट बांड में सीडीएस पोजीशन द्वारा बचाव की गई नकदी पोजीशन, जहां संदर्भ दायित्व और अंतर्निहित बांड समान हों, तो भी 100% आप सेट के लिए अर्हक नहीं होंगे, क्योंकि एक सीडीएस सभी समयों पर सीडीएस के बाजार मूल्य और अंतर्निहित बांड में मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास में मेल की 100% गारंटी नहीं दे सकता। यह पैरा तभी लागू होगा जब दो चरणों में पूर्णत: एकसमान सिडीएस लिखत निहित होंगे।

[191] उदाहरणार्थ, यदि लौंग पोजीशन्स (कॉर्पोरेट बांड) पर विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार 1000 रुपये आता हो तथा शॉर्ट पोजीशन (सीडीएस के माध्यम से खरीदी गई ऋण पोजीशन्स) पर 700 रुपये आता हो, शॉर्ट पोजीशन पर कोई पूंजी बदलाव नहीं होगा तथा लौंग पोजीशन पर 200 रुपये (1000-1000 का 80%) विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार लगाया जाएगा। बैंकों को दो विरुद्ध सीडीएस पोजीशनों, जो पूर्णत: एक समान नहीं हैं, के बीच विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार को आफसेट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य) दायित्वों के अंतर्गत शामिल किया जाता है और वह पैराग्राफ 4 (ट) की अपेक्षाओं को पूरा करती है।

(ख) इस स्थिति का वर्णन पैराग्राफ 6.2.1 (ii) में किया गया है लेकिन क्रेडिट सुरक्षा तथा अंतर्निहित आस्ति के बीच परिपक्वता असंतुलन है। तथापि, अंतर्निहित आस्ति को सीडीएस प्रलेखन में (सुदर्भ/सुपुर्दगी योग्य) दायित्वों के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त पैराग्राफ (क) तथा (ख) में से प्रत्येक मामले में लेनदेन (अर्थात् क्रेडिट सुरक्षा तथा अंतर्निहित आस्ति) के प्रत्येक पक्ष पर विशेष जोखिम पूंजी अपेक्षाएं लागू करने की बजाय दोनों में से केवल उच्चतर पूंजी अपेक्षा लागू होगी।

**6.2.2 सीडीएस स्थितियों में विशेष जोखिम प्रभार जो बचाव के लिए नहीं हैं**

पैराग्राफ 6.2.1 के अंतर्गत जिन मामलों का वर्णन किया गया है उन मामलों में स्थितियों के दोनों पक्षों के संदर्भ में विशेष जोखिम प्रभार का आकलन किया जाएगा।

**7. काउंटरपार्टी ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार**

ट्रेडिंग बही में सीडीएस लेनदेन के कारण काउंटरपार्टी ऋण जोखिम के प्रयोजन से ऋण एक्सपोज़र की गणना बासल II ढांचे के अंतर्गत वर्तमान एक्सपोज़र विधि[192] के अनुसार की जाएगी।

**7.1 सुरक्षा विक्रेता**

सुरक्षा विक्रेता का सुरक्षा क्रेता के प्रति एक्सपोज़र तभी होगा जब शुल्क/प्रीमियम बकाया हो। ऐसे मामले में ट्रेडिंग बही में एकल नाम वाले सीडीएस की समस्त अधिक्रय (लॉन्ग) स्थितियों में काउंटरपार्टी ऋण जोखिम की गणना वर्तमान बाजार दर आधारित मूल्य के योग के रूप में की जाएगी, यदि वह मूल्य धनात्मक हो (शून्य, यदि बाजार दर आधारित मूल्य ऋणात्मक हो) तथा

---

[192] एक सीडीएस संविदा, जिसका बाजार दर पर मूल्य दर्शाना अपेक्षित है, संविदा की पार्टियों के लिए द्विपक्षी एक्सपोजर निर्माण करती है। सीडीएस संविदा का बाजार दर पर मूल्य सुरक्षा भुगतान के चूक-समायोजित वर्तमान मूल्य ( जो प्रोटेक्शन लेग/ क्रेडिट लेग कहलाता है) और अदायगी योग्य प्रीमियम का वर्तमान मूल्य (जो प्रीमियम लेग कहलाता है) के बीच का अंतर है। यदि क्रेडिट लेग का मूल्य प्रीमियम लेग से कम हो तो सुरक्षा विक्रेता के लिए बाजार दर पर मूल्य धनात्मक होगा। अतएव, यदि प्रीमियम लेग का मूल्य क्रेडिट लेग से अधिक हो, तो सुरक्षा विक्रेता का प्रतिपक्षकार (सुरक्षा-क्रेता) के प्रति एक्सपोजर होगा। यदि कोई प्रीमियम बकाया न हो, तो प्रीमियम लेग का मूल्य शून्य होगा और सुरक्षा विक्रेता के लिए सीडीएस संविदा का बाजार दर पर मूल्य हमेशा ऋणात्मक होगा, और इसलिए सुरक्षा विक्रेता का सुरक्षा क्रेता के प्रति कोई एक्सपोजर नहीं होगा। किसी भी मामले में सुरक्षा विक्रेता का सुरक्षा क्रेता के प्रति एक्सपोजर अदत्त प्रीमियम की राशि से अधिक नहीं हो सकता। पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंडों के प्रयोजन से ट्रेडिंग बही में धारित सीडीएस लेनदेनों के मामले में प्रतिपक्षकार एक्सपोजर का माप संभावित भावी एक्सपोजर (पीएफई) है, जिसे चालू एक्सपोजर प्रणाली के अनुसार माप और मान्यता दी जाती है।

उसमें नीचे सारणी 3 में दिये गये संभावित भावी एक्सपोज़र अतिरिक्त गुणक को जोड़ा जाएगा। तथापि, अतिरिक्त गुणक की अधिकतम सीमा अदत्त प्रीमियम तक सीमित रहेगी।

**सारणी 3 : सुरक्षा विक्रेता के लिए अतिरिक्त गुणक**

(सीडीएस की नोशनल मूल राशि के प्रतिशत के रूप में)

| संदर्भित दायित्व का प्रकार[193] | अतिरिक्त गुणक |
|---|---|
| दायित्व - बीबीबी और उससे अधिक रेटिंग वाले | 10% |
| बीबीबी से कम और बिना रेटिंग वाले | 20% |

## 7.2 सुरक्षा क्रेता

कोई सीडीएस संविदा क्रेडिट इवेंट भुगतान के कारण सुरक्षा विक्रेता पर काउंटरपार्टी एक्सपोज़र का निर्माण करती है। ट्रेडिंग बही में सीडीएस की सभी शार्ट पोजीशनों के लिए काउंटरपार्टी ऋण जोखिम प्रभार की गणना वर्तमान बाजार दर आधारित मूल्य के योग के रूप में की जाएगी, यदि वह धनात्मक हो (शून्य, यदि बाजार दर आधारित मूल्य नकारात्मक हो) और इसमें नीचे सारणी 4 में दिये गये संभावित भावी एक्सपोज़र के अतिरिक्त गुणक को जोड़ा जाएगा :

**सारणी 4 : सुरक्षा क्रेता के लिए अतिरिक्त गुणक**

(सीडीएस की नोशनल मूल राशि के प्रतिशत के रूप में)

| संदर्भित दायित्व का प्रकार[194] | अतिरिक्त गुणक |
|---|---|
| दायित्व - बीबीबी और उससे अधिक रेटिंग वाले | 10% |
| बीबीबी से कम और बिना रेटिंग वाले | 20% |

## 7.3 सीडीएस में संपार्श्वीकृत लेनदेन के लिए काउंटरपार्टी जोखिम के लिए पूंजी प्रभार

जैसा कि 23 मई 2011 के परिपत्र आइडीएमडी. पीसीडी. सं. 5053/14.03.04/2010-11 के पैरा 3.3 में उल्लेख किया गया है, प्रत्येक बाजार प्रतिभागी संपार्श्विक प्रतिभूति और मार्जिन रखेंगे। ओटीसी

[193] सीडीएस संविदाओं के संदर्भ दायित्वों की परिपक्वता पर ध्यान दिए बिना एड-आन कारक समान रहेगा।

[194] सीडीएस संविदाओं के संदर्भ दायित्वों की परिपक्वता पर ध्यान दिए बिना एड-आन कारक समान रहेगा।

बाजार में खरीद-बिक्री होने वाले सीडीएस की गणना वर्तमान एक्सपोज़र विधि के अनुसार की जाएगी। इस विधि के अंतर्गत, किसी एक संविदा के लिए काउंटरपार्टी ऋण जोखिम प्रभार की गणना, संपार्श्विक को हिसाब में लेते हुए, निम्नानुसार की जाएगी :

काउंटरपार्टी जोखिम पूंजी प्रभार = [(आरसी + अतिरिक्त गुणक) - सीए] X आर X 9%

जहां :

आरसी = बदलने की लागत

अतिरिक्त गुणक = संभावित भावी एक्सपोज़र की राशि, जिसकी गणना उपर्युक्त पैरा 7 के अनुसार की जाएगी।

सीए= नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे पर 1 जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र के पैरा 7.3 "ऋण जोखिम कम करने की तकनीकें - संपार्श्वीकृत लेनदेन" में निर्धारित व्यापक विधि के अंतर्गत पात्र संपार्श्विक की अस्थिरता आधारित राशि अथवा शून्य, यदि लेनदेन पर कोई पात्र संपार्श्विक लागू नहीं किया गया है।

आर = काउंटरपार्टी का जोखिम भार

**8. भुगतान की महत्वपूर्ण सीमा के नीचे एक्सपोज़र पर कार्रवाई**

भुगतान की महत्वपूर्ण सीमा जिसके नीचे हानि की स्थिति में भुगतान नहीं किया जाता है प्रतिधारित प्रथम हानि की पोजीशन के बराबर होती है और उस पर पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन से सुरक्षा क्रेता को 1250% का जोखिम भार लगाना चाहिए।

**9. सामान्य प्रावधान अपेक्षा**

वर्तमान में केवल ऋणों और अग्रिमों के लिए तथा डेरिवेटिव संविदाओं के धनात्मक बाजार दर आधारित मूल्य के लिए सामान्य प्रावधान (मानक आस्ति प्रावधान) अपेक्षित हैं। हेज किये गये पोजीशन सहित सभी सीडीएस पोजीशनों के लिए बैंकों को बैंकिंग बही और ट्रेडिंग बही दोनों में सीडीएस संविदाओं के सकल धनात्मक बाजार दर आधारित मूल्यों के लिए सामान्य प्रावधान रखना चाहिए।

**10. क्रेडिट इवेंट के बाद विवेकपूर्ण कार्रवाई**

**10.1 सुरक्षा क्रेता**

यदि सीडीएस संविदा में निर्धारित अवधि के भीतर क्रेडिट इवेंट का भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो सुरक्षा क्रेता सीडीएस की ऋण सुरक्षा की उपेक्षा करेगा और अंतर्निहित आस्ति के ऋण एक्सपोज़र की गणना करेगा और एक्सपोज़र के अनुरूप पूंजी और प्रावधानों का समुचित स्तर बनाये रखेगा। क्रेडिट इवेंट का भुगतान प्राप्त करने के बाद (क) अंतर्निहित आस्ति बहियों से हटा दी जाएगी, यदि वह सुरक्षा विक्रेता को सौंप दी गयी है अथवा (ख) यदि क्रेडिट इवेंट का भुगतान अंतर्निहित आस्ति के बही मूल्य को पूरी तरह कवर नहीं करता हो तो बही मूल्य को उस हद तक घटाया जाएगा जिस हद तक क्रेडिट इवेंट का भुगतान प्राप्त हुआ है और घटे हुए मूल्य के लिए समुचित प्रावधान किया जाएगा।

## 10.2 सुरक्षा क्रेता

**10.2.1** क्रेडिट इवेंट की तारीख से और सीडीएस संविदा के अनुरूप क्रेडिट इवेंट भुगतान होने तक, सुरक्षा विक्रेता लाभ और हानि खाते में संविदा के उचित मूल्य के बराबर राशि (ऋण सुरक्षा में प्रत्याशित वसूली मूल्य को घटाकर प्राप्त होने वाली नोशनल राशि) नामे डालेगा और सुरक्षा क्रेता को भुगतान करने की देयता निर्धारित करेगा। (भौतिक निपटान के मामले में) देने योग्य दायित्व का/(नकदी निपटान के मामले में) संदर्भित दायित्व का उचित मूल्य क्रेडिट इवेंट की तारीख के बाद उपलब्ध न हो तो, जब तक वह मूल्य उपलब्ध हो जाए, सुरक्षा विक्रेता को लाभ और हानि खाते में बेची गयी सुरक्षा की पूरी राशि नामे डालनी चाहिए और उस राशि के बराबर राशि सुरक्षा क्रेता को अदा करने की देयता निर्धारित करनी चाहिए।

**10.2.2** भौतिक निपटान के मामले में, क्रेडिट इवेंट के भुगतान के बाद, सुरक्षा क्रेता से प्राप्त आस्ति, यदि कोई हो, को उचित मूल्य पर सुरक्षा विक्रेता द्वारा आकलन करना चाहिए। इन निवेशों को अनर्जक निवेश माना जाएगा और इनका मूल्य निर्धारण "बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड" पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 3.10 के अनुसार करना चाहिए। उसके बाद, सुरक्षा विक्रेता इन आस्तियों पर कार्पोरेट बांडों पर लागू समुचित विवेकपूर्ण कार्रवाई करेगा।

## 11. एक्सपोज़र मानदंड

**11.1** वर्तमान में सीडीएस का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को कार्पोरेट बांडों में निवेश करने के बाद उन बांडों के ऋण जोखिम से बचाव करने का एक माध्यम प्रदान करना है। अतः सीडीएस का प्रयोग बैंक गारंटी के स्थानापन्न के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, किसी बैंक को प्राथमिक बाजार में कार्पोरेट बांड के जारी होने की तारीख को उस बांड पर सीडीएस लिखकर ऋण सुरक्षा नहीं बेचना

चाहिए या बांड निर्गम के समय या उससे पहले यह वचन नहीं देना चाहिए कि उस पर भविष्य में इस प्रकार की सुरक्षा दी जाएगी।[196]

**11.2** सभी सीडीएस संविदाओं के कारण होने वाले एक्सपोज़र को जोड़ा जाएगा और उन्हें एक्सपोज़र मानदंड के अनुपालन के प्रयोजन से संबंधित व्यक्ति/संस्था के प्रति अन्य तुलन पत्र व तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र में जोड़ा जाएगा।

**11.3 सुरक्षा विक्रेता**

**(i)** सुरक्षा विक्रेता सीडीएस संविदा के संदर्भित व्यक्ति/संस्था के प्रति एक्सपोज़र का निर्धारण बेची गयी ऋण सुरक्षा की राशि के बराबर करेगा, लेकिन यह नीचे पैरा (ii) के अधीन होगा।

**(ii)** यदि किसी बाजार निर्माता के पास सीडीएस में पूर्णतया एक जैसे 2 प्रतिकूल पोजीशन हैं जिनसे बचाव या सुरक्षा के पोजीशन बनते हैं जो पैरा 6.2.1 के अनुसार पूंजी पर्याप्तता कार्रवाई के पात्र हैं तो उस संदर्भित व्यक्ति/ संस्था के प्रति कोई एक्सपोज़र नहीं माना जाएगा।

**(iii)** सुरक्षा विक्रेता ट्रेडिंग बही में सभी सीडीएस पोजीशनों के मामले में बासल ॥ ढांचा में निर्धारित वर्तमान एक्सपोज़र विधि के अंतर्गत गणना किये गये कुल ऋण एक्सपोज़र के बराबर काउंटरपार्टी के प्रति एक्सपोज़र निर्धारित करेंगे।

**11.4 सुरक्षा क्रेता**

(i) पैरा 5.1 में निर्दिष्ट बैंकिंग बही में और पैरा 6.2.1(ii) में निर्दिष्ट ट्रेडिंग बही में निर्दिष्ट हेज किये गये दायित्वों के संबंध में सुरक्षा क्रेता संदर्भित व्यक्ति/संस्था के प्रति किसी एक्सपोज़र की गणना नहीं करेगा। यह माना जाएगा कि प्राप्त सुरक्षा की सीमा तक एक्सपोज़र सुरक्षा विक्रेता को अंतरित हो गया है।

(ii) अन्य सभी मामलों में जहां बैंकिंग बही अथवा ट्रेडिंग बही में दायित्व सीडीएस पोजीशनों से हेज किये गये हैं, सुरक्षा क्रेता अंतर्निहित आस्ति की बकाया स्थिति के बराबर एक्सपोज़र की गणना संबंधित व्यक्ति/संस्था के प्रति करता रहेगा।

---

[196] भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान अनुदेशों के अनुसार बैंकों को कॉर्पोरेट बांडों के मूलधन तथा/अथवा देय ब्याज की चुकौती की गारंटी देने की अनुमति नहीं है। इस प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट बांडों के निर्गम या वचन की तारीख को, निर्गम से पहले या निर्गम के समय सीडीएस के द्वारा ऋण सुरक्षा लिखने, या भविष्य में ऐसी सुरक्षा लिखने को उक्त अनुदेशों का उल्लंघन माना जाएगा।

(iii) ट्रेडिंग बही में रखे गये सभी क्रय किये गये सीडीएस पोजीशनों (हेज किये गये अथवा नहीं किये गये) के लिए सुरक्षा क्रेता सीडीएस संविदाओं के काउंटरपार्टियों के प्रति वर्तमान एक्सपोज़र विधि के अंतर्गत परिकल्पित एक्सपोज़र मानेगा।

(iv) यह आवश्यक है कि सुरक्षा क्रेता ऊपर पैरा (i) के अनुसार निरंतर आधार पर पूरे एक्सपोज़र सुरक्षा विक्रेता को अंतरित करने के लिए अपेक्षित सभी मापदंडों का पालन करे ताकि वह अंतर्निहित आस्ति पर एक्सपोज़र राहत का पात्र बन सके। यदि इनमें से कोई मापदंड बाद में पूरा नहीं किया जाता है, तो बैंक को अंतर्निहित आस्ति पर एक्सपोजर की गणना करनी पड़ेगी। अतः बैंकों को किसी बाध्यताधारी के प्रति कुल एक्सपोज़र को, जिसमें विविध निधि रहित ऋण सुरक्षा (गारंटी, एलसी, स्टैंडबाय एलसी, सीडीएस, आदि) भी शामिल हैं, बैंक के बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझी गयी आंतरिक एक्सपोज़र सीमा के भीतर इस प्रकार सीमित करना चाहिए ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन न हो। यदि एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र सीमा में कोई उल्लंघन होता है, तो सीमा से अधिक एक्सपोज़र की पूरी राशि पर 1250% का जोखिम भार लगाया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी कार्रवाई के बाद बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूंजी अपेक्षा का उल्लंघन नहीं करता है, बैंक को सामान्य एक्सपोज़र सीमा से अधिक एक्सपोज़र देने पर पर्याप्त रूप से अतिरिक्त पूंजी रखनी चाहिए।

(v) ट्रेडिंग बही में रखे गये क्रय किये गये सीडीएस पोजीशनों के बारे में, जिन्हें हेजिंग के उद्देश्य से नहीं रखा जाता है, सुरक्षा क्रेता संदर्भित व्यक्ति/संस्था के प्रति किसी एक्सपोज़र की गणना नहीं करेगा।[197]

## 12. एक्सपोज़र की नेटिंग (जोड़ना)

1 अक्तूबर 2010 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 48/21.06.001/2010-11 के अनुसार काउंटरपार्टी ऋण जोखिम के लिए पूंजी पर्याप्तता, प्रावधानीकरण और एक्सपोज़र मानदंडों के प्रयोजन से, हेज पोजीशनों के मामलों के साथ-साथ एक ही काउंटरपार्टी से होने वाली संविदाओं के धनात्मक और ऋणात्मक बाजार दर आधारित मूल्यों की नेटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

## 13. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

[197] सीडीएस लेनदेन में जब संदर्भ संस्था चूक करती है, तब सुरक्षा क्रेता को हानि नहीं होती, बल्कि उसे ऐसी स्थिति में लाभ ही होता है।

बैंकों को सीडीएस, गारंटी या ऋण जोखिम अंतरण के किसी अन्य लिखत द्वारा प्राप्त ऋण सुरक्षा के कारण उधारकर्ताओं के प्रति सामान्य एकल/समूह एक्सपोज़र सीमाओं से अधिक लिये गये एक्सपोजर के सभी मामलों में "कुल एक्सपोज़र" की सूचना तिमाही आधार पर हमारे बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को भेजनी चाहिए।

**अनुबंध 8**

(देखें पैरा 7.3.6)

**<u>भाग - क</u>**

**ऋण जोखिम कम करने के संबंध में उदाहरण (ऋण एक्सपोजर)**
**संपार्श्विकीकृत लेनदेनों के लिए एक्सपोजर राशि की गणना**

$E^* = \max\{0, [E \times (1+H_e) - C \times (1-H_c - H_{FX})]\}$

जहां

$E^*$ = जोखिम कम करने के बाद एक्सपोज़र का मूल्य

E= एक्सपोज़र का वर्तमान मूल्य

$H_e$= एक्सपोज़र के लिए उपयुक्त हेयरकट

C = प्राप्त संपार्श्विक का वर्तमान मूल्य

$H_c$= संपार्श्विक के लिए उपयुक्त हेयरकट

$H_{FX}$ = संपार्श्विक और एक्सपोज़र के बीच में मुद्रा विसंगति के लिए उपयुक्त हेयरकट

| **क्र.सं.** | **विवरण** | **मामला 1** | **मामला 2** | **मामला 3** | **मामला 4** | **मामला 5** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| 1 | **एक्सपोजर** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 2 | एक्सपोजर की परिपक्वता अवधि | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | एक्सपोजर का स्वरूप | कंपनी ऋण | कंपनी ऋण | कंपनी ऋण | कंपनी ऋण | कंपनी ऋण |
| 4 | मुद्रा | भारतीय रुपये | भारतीय रुपये | अमेरिकी डालर | भारतीय रुपये | भारतीय रुपये |
| 5 | रुपये में एक्सपोजर | 100 | 100 | 4000 (पंक्ति 1 x विनिमय दर ##) | 100 | 100 |
| 6 | एक्सपोजर की रेटिंग | बीबी | ए | बीबीबी - | एए | बी- |
| | लागू जोखिम भार | 150 | 50 | 100@ | 30 | 150 |
| 7 | एक्सपोजर के लिए हेयरकट* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | **संपार्श्विक** | 100 | 100 | 4000 | 2 | 100 |
| 9 | मुद्रा | भारतीय रुपये | भारतीय रुपये | अमेरिकी डालर | भारतीय रुपये | भारतीय रुपये |
| 10 | **रुपये में संपार्श्विक** | **100** | **100** | **4000** | **80** (पंक्ति 1 x | **100** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | विनिमय दर) | |
| 11 | संपार्श्विक की अवशिष्ट परिपक्वता (वर्ष) | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 |
| 12 | संपार्श्विक का स्वरूप | संप्रभु (भारत सरकार) प्रतिभूति | बैंक बांड | कंपनी बांड | विदेशी कंपनी बांड | म्युच्युअल फंड के यूनिट |
| 13 | संपार्श्विक की रेटिंग | लागू नहीं | रेटिंग नहीं की गयी | बीबीबी | एएए (एस एंड पी) | एए |
| 14 | संपार्श्विक के लिए हेयरकट (%) | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.08 |
| 15 | मुद्रा विसंगति के लिए हेयरकट (%) [देखें परिपत्र का पैरा 7.3.7 (vi)] | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 |
| 16 | संपार्श्विक पर कुल हेयरकट [10वीं पंक्ति x (14वीं + 15वीं पंक्ति)] | 2 | 6 | 800 | 9.6 | 8.0 |
| 17 | हेयरकट के बाद संपार्श्विक (10वीं पंक्ति - 16वीं पंक्ति) | 98 | 94 | 3200 | 70.4 | 92 |
| 18 | **निवल एक्सपोजर (पंक्ति 5 - पंक्ति 17)** | **2** | **6** | **800** | **29.6** | **8** |
| 19 | जोखिम भार (%) | 150 | 50 | 100@ | 30 | 150 |
| 20 | **जोखिम भारित परिसंपत्ति (पंक्ति 18 x 19)** | **3** | **3** | **800** | **8.88** | **12** |

## 1 अमरीकी डॉलर = 40 रु. विनिमय दर माना गया है।

# लागू नहीं

@ परिपत्र के पैरा 6.4.2 के अनुसार दीर्घावधि रेटिंग के मामले में जहां रेटिंग के साथ "+" अथवा "-" नोटेशन है वहां तदनुरूपी मुख्य रेटिंग श्रेणी के जोखिम भार का प्रयोग किया जाना है। अतः जोखिम भार 100% है।

(*) एक्सपोजर के लिए हेयरकट शून्य लिया गया है क्योंकि ऋण बाजार मूल्य पर अंकित नहीं किये जाते हैं और अतः वे अस्थिर नहीं हैं।

मामला 4 : हेयरकट बासल III पूंजी विनियमावली सारणी-14 के अनुसार लागू

मामला 5 : यह मान लिया गया है कि म्युच्युअल फंड पैरा 7.3.5 (viii) में विनिर्दिष्ट मानदंडों की पूर्ति करते हैं और उनके ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश हैं जिनकी 5 वर्ष से अधिक

परिपक्वता शेष है और जो एए अथवा उससे अधिक रेटिंग वाले हैं जिन पर सारणी 14 के अनुसार 8 प्रतिशत का हेयरकट लागू किया जाएगा।

**भाग - ख**

**प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) के लिए पूंजी भार की गणना संबंधी उदाहरण - रिपो लेनदेन**

बासल II के अधीन आधारभूत प्रतिभूति के लिए ऋण/बाजार जोखिम तथा प्रतिपक्षी ऋण जोखिम के लिए पूंजी भार सहित रिपो लेनदेन के लिए कुल पूंजी भार की गणना दर्शानेवाला एक उदाहरण नीचे दिया गया है :

**क. रिपो लेनदेन के ब्योरे**

यह मान लिया जाए कि एक परिकल्पित रिपो लेनदेन के निम्नलिखित परिमाप हैं :

| | |
|---|---|
| प्रतिभूति का प्रकार | भारत सरकार की प्रतिभूति |
| अवशिष्ट परिपक्वता | 5 वर्ष |
| कूपन | 6% |
| वर्तमान बाजार मूल्य | 1050 रु. |
| उधार ली गयी नकदी | 1000 रु. |
| प्रतिभूति की आशोधित अवधि | 4.5 वर्ष |
| मार्जिन करने की परिकल्पित बारंबारता | दैनिक |
| प्रतिभूति के लिए हेयरकट | 2%<br>(देखें परिपत्र की सारणी 14 मद क (i)) |
| नकदी पर हेयरकट | शून्य<br>(देखें परिपत्र की सारणी 14 की मद ग) |
| न्यूनतम धारण अवधि | 5 कारोबारी दिन<br>(देखें परिपत्र का पैरा 7.3.7 (ix)) |
| सामान्य बाजार जोखिम के लिए पूंजी भार की गणना के लिए प्रतिफल में परिवर्तन | 0.7% वार्षिक<br>(देखें परिपत्र की सारणी 17 का क्षेत्र 3) |

**ख. आधारभूत प्रतिभूति के लिए प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) और ऋण/बाजार जोखिम के लिए पूंजी भार सहित कुल पूंजी भार की गणना**

**ख 1. निधि उधार लेने वाले की बहियों में (रिपो के अधीन प्रतिभूति को उधार दिए जाने के कारण तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के लिए)**

(इस मामले में उधार दी गई प्रतिभूति उधार देने वाले का एक्सपोजर है, जबकि उधार ली गयी नकदी संपार्श्विक है।)

| क्रम सं. | मद | विवरण | राशि (रु. में) |
|---|---|---|---|
| **क.** | **सीसीआर के लिए पूंजी भार** | | |
| 1. | एक्सपोजर | प्रतिभूति का बाजार मूल्य | 1050 |
| 2. | एक्सपोजर के लिए सीसीएफ | 100% | |
| 3. | तुलनपत्र में ऋण समतुल्य | 1050* 100% | 1050 |
| 4. | हेयरकट | **1.4%@** | |
| 5. | परिपत्र की सारणी 14 के अनुसार हेयरकट समायोजित करने के बाद एक्सपोजर | 1050* 1.014 | 1064.70 |
| 6. | उधार दी गई प्रतिभूति के लिए संपार्श्विक | नकदी | 1000 |
| 7. | एक्सपोजर के लिए हेयरकट | 0% | |
| 8. | हेयरकट समायोजित करने के बाद संपार्श्विक | 1000* 1.00 | 1000 |
| 9. | निवल एक्सपोजर (5-8) | 1064.70 - 1000 | 64.70 |
| 10. | जोखिम भार (अनुसूचित सीआरएआर - अनुपालक बैंक के लिए) | 20% | |
| 11. | सीसीआर के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियां (9 x 10) | **64.70* 20%** | **12.94** |
| 12. | सीसीआर के लिए पूंजी भार (11 x 9%) | 12.94* 0.09 | 1.16 |
| **ख.** | **प्रतिभूति के ऋण/बाजार जोखिम के लिए पूंजी** | | |
| 1. | ऋण जोखिम के लिए पूंजी (यदि प्रतिभूति परिपक्व होने तक रखी जाती है।) | ऋण जोखिम | शून्य (सरकारी प्रतिभूति होने के कारण) |
| 2. | बाजार जोखिम के लिए पूंजी (यदि प्रतिभूति `बिक्री के लिए उपलब्ध'/`व्यापार के लिए रखी गयी' के तहत रखी जाती है) | विनिर्दिष्ट जोखिम | शून्य (सरकारी प्रतिभूति होने के कारण) |
| | | सामान्य बाजार जोखिम (4.5* 0.7%* 1050) आशोधित अवधि* परिकल्पित प्रतिफल परिवर्तन (%)* प्रतिभूति का बाजार मूल्य | 33.07 |
| **कुल अपेक्षित पूंजी (सीसीआर + ऋण जोखिम + विनिर्दिष्ट जोखिम + सामान्य बाजार जोखिम)** | | | 34.23 |

@ परिपत्र के पैरा 7.3.7 में दर्शाये गये फार्मूले का उपयोग करते हुए 2% का पर्यवेक्षी हेयरकट कम किया गया है।

**ख. 2 निधि उधार देने वाले की बहियों में (रिपो के अधीन निधि उधार दिये जाने के कारण तुलन पत्र में शामिल एक्सपोज़र के लिए)**

(इस मामले में उधार दी गई नकदी एक्सपोज़र है और उधार ली गयी प्रतिभूति संपार्श्विक है)

| क्र. सं. | मद | विवरण | राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| **क.** | **सीसीआर के लिए पूंजी भार** | | |
| 1. | एक्सपोज़र | नकदी | 1000 |
| 2. | एक्सपोज़र के हेयरकट | 0% | |
| 3. | *परिपत्र की सारणी 14 के अनुसार हेयरकट के लिए समायोजित एक्सपोज़र* | 1000 * 1.00 | 1000 |
| 4. | उधार दी गई नकदी के लिए संपार्श्विक | प्रतिभूति का बाज़ार मूल्य | 1050 |
| 5. | संपार्श्विक के लिए हेयरकट | 1.4 % @ | |
| 6. | *हेयरकट के लिए समायोजित संपार्श्विक* | 1050 * 0.986 | 1035.30 |
| 7. | निवल एक्सपोज़र (3 - 6) | अधिकतम {1000 -1035.30} | 0 |
| 8. | जोखिम भार (अनुसूचित सीआरएआर - अनुपालक बैंक के लिए) | 20% | |
| 9. | सीसीआर के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियां (7 x 8) | **0* 20 %** | **0** |
| 10. | सीसीआर के लिए पूंजी भार | 0 | **0** |
| **ख.** | **प्रतिभूति के ऋण /बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी** | | |
| 1. | ऋण जोखिम के लिए पूंजी (यदि प्रतिभूति परिपक्वता तक रखी जाती है) | ऋण जोखिम | निधि उधार लेने वाले द्वारा रखी जाती है, अतः लागू नहीं |
| 2. | बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी (यदि प्रतिभूति `बिक्री के लिए उपलब्ध'/`व्यापार के लिए रखी गयी' के अधीन रखी जाती है) | विनिर्दिष्ट जोखिम | निधि उधार लेने वाले द्वारा रखी जाती है, अतः लागू नहीं |
| | | सामान्य बाज़ार जोखिम | निधि उधार लेने वाले द्वारा रखी जाती है, अतः लागू नहीं |

@ परिपत्र के पैरा 7.3.7 में दर्शाये गये फार्मूले का उपयोग करते हुए पर्यवेक्षी हेयरकट 2% कम किया गया है।

**अनुबंध - 9**

(देखें पैरा 8.3.10)

**ब्याज दर डेरिवेटिव और ऑप्शन के संबंध में बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी भार की माप**

**क.** <u>ब्याज दर डेरिवेटिव</u>

माप पद्धति में व्यापार बही में सभी ब्याज दर डेरिवेटिव और तुलनपत्रेतर लिखतों का समावेश होना चाहिए, जो ब्याज दरों के परिवर्तनों के अनुरूप बदलती है (उदाहरण के लिए, वायदा दर करार (एफआरए), अन्य वायदा संविदा, बांड फ्यूचर्स, ब्याज दर स्वैप और दो मुद्राओं में स्वैप तथा वायदा विदेशी मुद्रा पोजिशन)। ऑप्शन्स को निम्न आ- 1 में वर्णन किए गए अनुसार विभिन्न तरीकों से माना जा सकता है। ब्याज दर डेरिवेटिव पर विचार करने के लिए इस भाग के अंत में दी गई सारणी में नियमों का सारांश दिया गया है।

**1. पोजिशन की गणना**

डेरिवेटिव को संगत अंतर्निहित में पोजिशन में परिवर्तित किया जाना चाहिए तथा उन पर दिशानिर्देशों में यथावर्णित, निर्दिष्ट और सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभारों को लागू करना चाहिए। पूंजी भार की गणना के लिए रिपोर्ट की गई राशि अंतर्निहित की अथवा कल्पित अंतर्निहित की मूल राशि का बाज़ार मूल्य होनी चाहिए। जिन लिखतों के संबंध में कल्पित राशि प्रभावी कल्पित राशि से भिन्न दिखाई देती है वहाँ <u>बैंकों को प्रभावी कल्पित राशि का उपयोग करना होगा।</u>

**(क) वायदा दर करारों सहित फ्यूचर्स और वायदा संविदा**

ये लिखत किसी नोशनल सरकारी प्रतिभूति में दीर्घ अथवा अल्प पोजिशन के संयोग के रूप में समझे जाएंगे। फ्यूचर अथवा वायदा दर संविदा की परिपक्वता, सुपुर्दगी या उक्त संविदा के प्रयोग तक की अवधि, तथा जहां लागू हो वहां, अंतर्निहित लिखत की अवधि सहित अवधि होगी। उदाहरण के लिए, जून तीन-माह ब्याज दर फ्यूचर (अप्रैल में लिया हुआ) में दीर्घ पोजिशन को पांच माह की परिपक्वतावाली किसी सरकारी प्रतिभूति में दीर्घ पोजिशन तथा दो माह की परिपक्वतावाली किसी सरकारी प्रतिभूति में अल्प पोजिशन के रूप में सूचित किया जाएगा। जहां सुपुर्दगी योग्य लिखतों को संबंधित संविदा की पूर्ति के लिए सुपुर्द किया जा सकता है, वहां संबंधित बैंक को यह चुनने का लचीलापन प्राप्त है कि कौनसी सुपुर्दगी योग्य प्रतिभूति अवधि क्रम (ड्यूरेशन लैडर) में जाती है। परंतु यदि शेयर बाजार ने किसी परिवर्तन गुणक की परिभाषा की है तो बैंक को उसे ध्यान में लेना होगा।

**(ख) स्वैप**

स्वैप को संगत परिपक्वतावाली सरकारी प्रतिभूतियों में दो परिकल्पित (नोशनल) पोजिशन के रूप में माना जाएगा। उदाहरण के लिए, जिस ब्याज दर स्वैप के तहत बैंक अस्थिर दर ब्याज प्राप्त कर रहा है और नियत दर अदा कर रहा है, उसे आगामी ब्याज निर्धारण तक की अवधि के बराबर परिपक्वता वाले अस्थिर दर लिखत में दीर्घ पोजिशन के रूप में और संबंधित स्वैप की अवशिष्ट अवधि के बराबर परिपक्वता वाले नियत-दर लिखत में अल्प पोजिशन के रूप में समझा जाएगा। किसी अन्य संदर्भ मूल्य उदाहरण के लिए स्टॉक इंडेक्स के संदर्भ में नियत या अस्थिर ब्याज दर अदा करने या प्राप्त करनेवाले स्वैप के लिए, ब्याज दर घटक ईक्विटी ढांचे में शामिल किए जा रहे ईक्विटी घटक के साथ समुचित पुनर्मूल्यन परिपक्वता श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

भिन्न मुद्रा स्वैप के अलग चरणों को संबंधित मुद्राओं के लिए संगत परिपक्वता क्रम में रिपोर्ट किया जाना है।

## 2. मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत डेरिवेटिव के लिए पूंजी भारों की गणना

### (क) संतुलित पोजिशन का अनुमत प्रतिसंतुलन

बैंक ब्याज दर परिपक्वता ढांचे से निम्नलिखित को पूर्णतः बाहर रख सकते हैं (विनिर्दिष्ट और सामान्य बाजार जोखिम दोनों के लिए);

- एक ही जारीकर्ता, कूपन, मुद्रा और परिपक्वता वाले एक जैसे लिखतों में दीर्घ और अल्प पोजिशन (वास्तविक और परिकल्पित दोनों)।
- फ्यूचर अथवा वायदा और उसके तदनुरूपी अंतर्निहित में संतुलित पोजिशन को भी पूर्णतः प्रतिसंतुलित किया जाए, (तथापि, फ्यूचर की समाप्ति के समय का प्रतिनिधित्व करनेवाले चरण की रिपोर्ट की जानी चाहिए) और इस प्रकार गणना से बाहर रखा जाए।

जब फ्यूचर अथवा वायदा में अनेक सुपुर्दगी योग्य लिखत हों, फ्यूचर अथवा वायदा संविदा और उसके अंतर्निहित में पोजिशन का प्रतिसंतुलन केवल उन मामलों में लागू होगा जहां तत्काल पहचानी जाने योग्य ऐसी अंतर्निहित प्रतिभूति है जो सुपुर्दगी के लिए अल्प पोजिशन का व्यापार करनेवाले के लिए सर्वाधिक फायदेमंद है। इस प्रतिभूति के मूल्य को कभी-कभी `सुपुर्दगी के लिए सबसे सस्ता' कहा जाता है, और फ्यूचर अथवा वायदा संविदा का मूल्य ऐसे मामलों में इसके निकट होना चाहिए।

दो भिन्न मुद्राओं की पोजिशन में प्रतिसंतुलन अनुमत नहीं होगा। दो भिन्न मुद्राओं के स्वैप या वायदा विदेशी मुद्रा लेनदेन के अलग-अलग चरणों को भी संबद्ध लिखतों में परिकल्पित पोजिशन के रूप में समझा जाए और प्रत्येक मुद्रा के लिए समुचित गणना में शामिल किया जाए।

इसके अलावा, एक ही श्रेणी के लिखतों के विपरीत पोजिशन विशिष्ट परिस्थितियों में संतुलित समझे जा सकते हैं और उनको पूर्णतः प्रतिसंतुलित करने की अनुमति दी जा सकती है। इस व्यवहार के लिए पात्र होने हेतु संबंधित पोजिशन एक ही अंतर्निहित लिखतों से संबद्ध होनी ही चाहिए तथा उनका एक ही अंकित मूल्य होना चाहिए और एक ही मुद्रा में मूल्यवर्गित होनी चाहिए। साथ ही :

- <u>फ्यूचर के लिए</u> : परिकल्पित या आधारभूत लिखतों जिनसे फ्यूचर संविदाएं संबद्ध हैं, में पोजिशन को प्रतिसंतुलित करना समान उत्पादों के लिए ही हो और एक दूसरे के 7 दिन के भीतर परिपक्व हो;
- <u>स्वैप और एफआरए के लिए</u> : संदर्भ दर (अस्थायी दर पोजिशन के लिए) एक जैसी हो और कूपन अधिकतर मिलते-जुलते हो (अर्थात् 15 आधार बिंदुओं के भीतर); और
- <u>स्वैप, एफआरए और वायदा के लिए</u> : अगली ब्याज निर्धारण तीरख या नियत कूपन पोजिशन अथवा वायदा के लिए अवशिष्ट परिपक्वता निम्नलिखित सीमाओं में तदनुरूप हो :

  0 अब से एक महीने से कम अतः उसी दिन;

  0 एक माह और एक वर्ष के बीच अतः सात दिन के भीतर

  0 एक वर्ष से अधिक अतः तीस दिन के भीतर

बड़ी स्वैप बहियों वाले बैंक, अवधि-क्रम में शामिल किए जानेवाले पोजिशन की गणना हेतु इन स्वैप के लिए वैकल्पिक फॉर्म्यूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी विधि यह होगी कि उक्त अवधि पद्धति में प्रयुक्त आय में परिवर्तन में निहित निवल वर्तमान मूल्य की संवेदनशीलता की गणना की जाए तथा इन संवेदनशीलताओं को इस मास्टर परिपत्र के पैरा 8.3 की सारणी 17 में वर्णित टाइम-बैंड में आबंटित किया जाए।

**(ख) विशिष्ट जोखिम**

ब्याज दर और मुद्रा स्वैप, एफआरए, वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं और ब्याज दर फ्यूचर किसी विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार के अधीन नहीं होंगे। यह छूट ब्याज दर सूचकांक (उदाहरणार्थ लाइबोर) से संबंधित फ्यूचर पर भी लागू होगी। तथापि, फ्यूचर संविदाओं के मामले में, जहां कोई ऋण प्रतिभूति

अंतर्निहित है, या ऋण प्रतिभूतियों के किसी समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई सूचकांक आधारभूत है तो विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार जारीकर्ता के ऋण जोखिम के अनुसार लागू होगा जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफों में दिया गया है।

**(ग) सामान्य बाज़ार जोखिम**

सामान्य बाज़ार जोखिम सभी डेरिवेटिव उत्पादों में पोज़ीशन्स पर उसी तरह लागू होता है जैसे कि नकदी पोज़ीशन्स पर, केवल ऊपर के पैराग्राफों मे यथा परिभाषित समान लिखतों में पूर्णतः या काफी हदतक मैच होनेवाली पोज़ीशनों के लिए छूट की शर्त है। लिखतों की विभिन्न श्रेणियों को परिपक्वता सोपान (लेडर) में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और पहले निर्दिष्ट किये गये नियमों के अनुसार उनके संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए।

**सारणी - ब्याज दर डेरिवेटिव के व्यवहार का सारांश**

| लिखत | विनिर्दिष्ट जोखिम भार | सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभार |
|---|---|---|
| एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किये जानेवाले फ्यूचर | | |
| -सरकारी ऋण प्रतिभूति | नहीं | हां, दो पोज़ीशनों के रूप में |
| -कंपनी ऋण प्रतिभूति | हां | हां, दो पोज़ीशनों के रूप में |
| -ब्याज दर संबंधी सूचकांक (जैसे माइबोर) | नहीं | हां, दो पोज़ीशनों के रूप में |
| ओटीसी फॉरवर्ड | | |
| -सरकारी ऋण प्रतिभूति | नहीं | हां, दो पोज़ीशनों के रूप में |
| -कंपनी ऋण प्रतिभूति | हां | हां, दो पोज़ीशनों के रूप में |
| -ब्याज दर संबंधी सूचकांक (जैसे माइबोर) | नहीं | हां, दो पोज़ीशनों के रूप में |
| एफआरए, स्वैप | नहीं | हां, दो पोज़ीशनों के रूप में |
| वायदा विदेशी मुद्रा | नहीं | हां, प्रत्येक मुद्रा में एक पोज़िशन के रूप में |
| ऑपशन्स | | |
| -सरकारी ऋण प्रतिभूति | नहीं | |
| -कंपनी ऋण प्रतिभूति | हां | |
| -ब्याज दर संबंधी सूचकांक (जैसे माइबोर) | नहीं | |
| -एफआरए, स्वैप | नहीं | |

**आ. ऑपशन्स का ट्रीटमेंट**

1. ऑप्शन में बैंकों की गतिविधियों की व्यापक विविधता तथा ऑप्शन के लिए मूल्य जोखिम मापने की कठिनाइयों को देखते हुए, निम्नानुसार वैकल्पिक दृष्टिकोण की अनुमति है:

- जो बैंक सिर्फ क्रय किये गये ऑपशन[198] का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें नीचे खंड 1 में बताये गये सरलीकृत दृष्टिकोण का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता होगी;
- जो बैंक ऑप्शन लिखते भी हैं, उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे नीचे खंड II में दिये गये मध्यवर्ती दृष्टिकोणों में से एक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करेंगे।

2. ***सरलीकृत दृष्टिकोण*** *में*, ऑपशन के लिए पोजीशन तथा उनसे संबद्ध अंडरलाइंग, चाहे वह नकद हो या वायदा, मानकीकृत पद्धति के अधीन नहीं होंगे बल्कि उन पर अलग से परिगणित ऐसे प्रभार लागू होंगे जिसमें सामान्य बाज़ार जोखिम और निर्दिष्ट जोखिम दोनों शामिल हैं। इस प्रकार प्राप्त जोखिम आंकड़ों को संबंधित श्रेणी अर्थात् ब्याज दर संबद्ध लिखतों, इक्विटी तथा विदेशी मुद्रा के पूंजी भारों में जोड़ा जाता है जैसा कि बासल ।।। पूंजी विनियमावली के पैरा 8.3 से 8.5 में बताया गया है। डेल्टा-प्लस पद्धति में संवदेनशीलता पेरामीटरों या ऑप्शन्स से संबद्ध "ग्रीक लेटर्स" का उपयोग उनके बाज़ार जोखिम तथा पूंजीगत आवश्यकताओं को मापने के लिए किया जता है। इस पद्धति के अधीन प्रत्येक ऑप्शन की डेल्टा-समतुल्य स्थिति बासल ।।। पूंजी विनियमावली के पैरा 8.3 से 8.5 में में दी गयी मानकीकृत पद्धति का भाग बन जाती हैं तथा डेल्टा समतुल्य राशि लागू सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभारों के अधीन है। उसके बाद ऑप्शन पोज़िशनों के गामा और वेगा जोखिमों पर पृथक पूंजी भार लागू किये जाते हैं। सिनेरियो दृष्टिकोण में ऑपशन पोर्टफोलियों से संबद्ध अंडरलाइंग के स्तर और अस्थिरता में बदलाव के लिए पोर्टफोलियो के मूल्य में परिवर्तन की गणना के लिए सिमुलेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभार `ग्रिड` परिदृश्य (अर्थात् अंडरलाइंग तथा स्थिरता परिवर्तनों के उनके निर्दिष्ट संयोग) द्वारा निर्धारित होता है जो सर्वाधिक हानि उत्पन्न करता है। डेल्टा-प्लस पद्धति तथा सिनेरियो दृष्टिकोण के लिए निर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार बासल ।।। पूंजी विनियमावली के पैरा 8.3 से 8.4 में दिये गये विनिर्दिष्ट जोखिम भार द्वारा प्रत्येक ऑप्शन के डेल्टा-समतुल्य राशि को गुणा कर अलग से निश्चित किया जाता है।

### 1. सरलीकृत दृष्टिकोण

3. जो बैंक सिर्फ क्रय किए गए ऑप्शन का सीमित इस्तेमाल करते हैं नीचे सारणी क में वर्णित सरलीकृत दृष्टिकोण का खरीद-बिक्री के लिए प्रयोग कर सकते हैं। गणना के एक उदाहरण के रूप में, यदि किसी धारक के पास 100 शेयर हैं जिनका वर्तमान मूल्य 10 रुपया प्रति शेयर है तथा

---

[198] जब तक उनकी सभी लिखित विकल्प स्थितियों को ठीक उसी पोजीशन में पूर्णत: बराबरी की दीर्घ पोजीशनों द्वारा बचाव नहीं किया जाता, ऐसे मामलए में बाजार जोखिम के लिए कोई पूंजी प्रभार अपेक्षित नहीं है।

यदि उसके पास 11 रुपये के स्ट्राइक प्राइस का समान पुट ऑप्शन है तो पूंजी भार =1000 रुपये x 18 प्रतिशत (अर्थात् 9 प्रतिशत विनिर्दिष्ट जोखिम तथा 9 प्रतिशत सामान्य बाज़ार जोखिम) = 180 तथा उसमें वह राशि घटायी जाएगी जितने से ऑप्शन 'इन द मनी है अर्थात् (11 रुपये - 10 रुपये) x 100=100 रुपये। अर्थात् पूंजी भार 80 रुपये होगा। जिन ऑप्शनों का अंडरलाइंग विदेशी मुद्रा पर ब्याज दर आधारित लिखत है उन पर भी वही विधि लागू होगी।

**सारणी क - *सरलीकृत दृष्टिकोण : पूंजी भार***

| **पोज़िशन** | **ट्रीटमेंट** |
|---|---|
| लौंग कैश और लौंग पुट<br>अथवा<br>शार्ट कैश और लोंग कॉल | पूंजी भार आधारभूत प्रतिभूति[199] के बाज़ार मूल्य को आधारभूत प्रतिभूति के विनिर्दिष्ट और सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभारों[200] के योग से गुणा कर तथा उसमें से ऑप्शन की इन-द-मनी राशि (यदि कोई हो) को घटाकर प्राप्त की जाएगी । इन-द-मनी की सीमा शून्य होगी[201]। |
| लौंग कॉल<br>या<br>लौंग पुट | पूंजी भार इनमें से न्यूनतर होगा :<br>(i) आधारभूत प्रतिभूति के बाज़ार मूल्य को आधारभूत प्रतिभूति के विनिर्दिष्ट और सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभारों के योग से गुणा कर प्राप्त राशि<br>(ii) ऑप्शन का बाज़ार मूल्य[202] |

## II. मध्यवर्ती दृष्टिकोण

### (क) डेल्टा प्लस विधि

4. ऑप्शन लिखनेवाले बैंकों को यह अनुमति होगी कि वे इस मास्टर परिपत्र के पैरा 8.3 से 8.5 में वर्णित मानकीकृत क्रियाविधि के अंतर्गत डेल्टा भारित ऑप्शन पोजिशन शामिल कर सकते

---

[199] विदेशी मुद्रा जैसे कुछ मामलों में यह अस्पष्ट हो सकता है कि कौनस पक्ष अंतर्निहित प्रतिभूति है; इसे ऐसी आस्ति माना जाना चाहिए जो यदि विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो प्राप्य हो। इसके अतिरिक्त नाममात्र मूल्य को ऐसी मदों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए जहां अंतर्निहित लिखत का बाजार मूल्य शून्य हो सकता है, जैसे, अधिकतम और आधारभूत सीमाएं, अदलाबदलियां आदि।

[200] कुछ विकल्पों (उदाहरणार्थ जहां अंतर्निहित कोई ब्याज दर या कोई मुद्रा हो) पर कोई विनिर्दिष्ट जोखिम नहीं है, किंतु कुछ ब्याज दर संबंधी लिखतों के विकल्पों (उदाहरणार्थ कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूति या कॉर्पोरेट बांड सूचकांक पर विकल्प; संबंधित पूंजी प्रभारों के लिए भाग ख देखें) तथा इक्विटी और स्टॉक सूचियों (भाग ग देखें) के मामले में विनिर्दिष्ट जोखिम उपस्थित होगा। मुद्रा विकल्प के इस माप के अंतर्गत प्रभार 9 प्रतिशत होगा।

[201] छ: माह से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले विकल्पों के लिए स्ट्राइक कीमत की तुलना भावी कीमत से की जानी चाहिए, न कि चालू कीमत से। ऐसा करने में असमर्थ बैंक को "इन द मनी" राशि को शून्य लेना चाहिए।

[202] जहां पोजीशन ट्रेडिंग बही के अंतर्गत नहीं आती है (जैसे कुछ विदेशी मुद्रा या कमोडिटी पोजीशन पर विकल्प, जो ट्रेडिंग बही से संबंधित नहीं हैं), इसके बजाए बही मूल्य का प्रयोग करना स्वीकार्य हो सकता है।

हैं। ऐसे ऑप्शन को आधारभूत प्रतिभूति के बाज़ार मूल्य को डेल्टा से गुणा कर प्राप्त राशि के बराबर पोजिशन के रूप में सूचित किया जाना चाहिए।

तथापि, चूंकि ऑप्शन पोज़िशन से जुड़े जोखिमों को डेल्टा पर्याप्त रूप से कवर नहीं करता है, अतः बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वे कुल पूंजी भार की गणना करने के लिए गामा (जो डेल्टा में परिवर्तन की दर मापता है) और वेगा (जो अस्थिरता में परिवर्तन के प्रति ऑप्शन के मूल्य की संवेदनशीलता मापता है) संवेदनशीलताओं की भी माप करें। इन संवेदनशीलताओं की गणना अनुमोदित एक्सचेंज मॉडल अथवा बैंक की प्रोपराइटरी ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के अनुसार की जाएगी तथा यह भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण के अधीन होगा[203]।

5. ऋण प्रतिभूतियों अथवा ब्याज दरों के रूप में आधारभूत प्रतिभूति से संबंधित डेल्टा-भारित पोज़िशन को निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार ब्याज दर अवधि-बैंड में विभाजित किया जाएगा, जैसा कि इस मास्टर परिपत्र के पैरा 8.3 की **सारणी 17** में दर्शाया गया है। अन्य डेरिवेटिव की तरह ही इसमें दोतरफा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जिसमें आधारभूत संविदा प्रभावी होने के समय एक प्रविष्टि तथा आधारभूत संविदा की परिपक्वता के समय दूसरी प्रविष्टि होगी। उदाहरण के लिए, जून त्रिमासिक ब्याज दर फ्यूचर से संबंधित खरीदा गया कॉल ऑप्शन अप्रैल में, उसके डेल्टा-सममूल्य के आधार पर, 5 महीने की परिपक्वता अवधि के साथ लोंग पोज़िशन तथा 2 महीने की परिपक्वता अवधि के साथ शार्ट पोज़िशन माना जाएगा[204]। इसी प्रकार लिखित ऑप्शन का वर्गीकरण दो महीने की परिपक्वता के साथ लोंग पोज़िशन के रूप में तथा पांच महीनों की परिपक्वता के साथ शॉर्ट पोज़िशन के रूप में किया जाएगा। कैप्स या फ्लोर्स के साथ फ्लोटिंग रेट लिखतों को फ्लोटिंग रेट प्रतिभूति और यूरोपीय शैली के ऑप्शन की शृंखला के मिले-जुले रूप में माना जाएगा। उदाहरण के लिए 15% कैप के साथ छह महीने के लाइबोर के आधार पर सूचकांकित त्रिवर्षीय फ्लोटिंग रेट बांड के धारक उसे निम्नानुसार मानेंगे -

(i) एक ऋण प्रतिभूति जिसका छह महीने में पुनर्मूल्यन होता है; और

(ii) एफआरए पर पांच लिखित कॉल ऑप्शन की एक शृंखला जिसकी संदर्भ दर 15% होगी तथा प्रत्येक ऑप्शन में आधारभूत एफआरए लागू होते समय

---

[203] भारतीय रिज़र्व बैंक आकर्षक आप्शनों की कुछ श्रेणियों (जैसे बैरियर, डिजिटल) में या "एट द मनी" आप्शनों, जो समापन के समीप हैं, में कारोबार करने वाले बैंकों से यह अपेक्षा रख सकता है कि वे या तो परिदृश्य दृष्टिकोण अथवा आंतरिक मॉडल विकल्प का प्रयोग करें, इनमें से दोनों ही अधिक विस्तृत पुनर्मूल्यांकन दृष्टिकोणों का समायोजन कर सकते हैं।

[204] बांड फ्यूचर्स पर दो माह का कॉल आप्शन, जहां बांडों की सुपुर्दगी सितंबर में होती है, को अप्रैल में लौंग द बांड एंड शॉर्ट ए फाइव मंथ डिपॉजिट माना जाएगा, दोनों पोजीशनें डेल्टा-भारित होंगी।

नकारात्मक चिह्न तथा आधारभूत प्रतिभूति परिपक्व होते समय सकारात्मक चिह्न होगा[205]।

6. ईक्विटी के रूप में आधारभूत प्रतिभूति वाले ऑप्शन पर पूंजी भार की गणना भी डेल्टा-भारित पोज़िशनों पर आधारित होगी, जिसे बासल III पूंजी विनियमावली के पैरा 8.4 में वर्णित बाज़ार जोखिम की माप में शामिल किया जाएगा। इस गणना के प्रयोजन से प्रत्येक राष्ट्रीय बाज़ार को पृथक आधारभूत माना जाएगा। विदेशी मुद्रा पर ऑप्शन तथा गोल्ड पोज़िशन के लिए पूंजी भार खंड घ में वर्णित क्रियाविधि पर आधारित होगा। डेल्टा जोखिम के लिए संबंधित मुद्रा (अथवा स्वर्ण पोज़िशन) के एक्सपोज़र की माप में विदेशी मुद्रा और स्वर्ण पोज़िशन का निवल डेल्टा-आधारित समतुल्य शामिल किया जाएगा।

7. डेल्टा जोखिम के लिए उपर्युक्त पूंजी भार के अलावा गामा और वेगा जोखिम के लिए और पूंजी भार होंगे। जो बैंक डेल्टा प्लस विधि का प्रयोग करेंगे उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे प्रत्येक ऑप्शन पोज़िशन (हेज पोज़िशन सहित) के लिए गामा और वेगा की भी अलग से गणना करें। पूंजी भारों की गणना निम्नलिखित रूप में की जानी चाहिए -

(i) ***प्रत्येक ऑप्शन*** के `गामा प्रभाव' की गणना टेलर सिरीज़ एक्सपेंशन के अनुसार निम्नवत् की जानी चाहिए

गामा प्रभाव = ½ X गामा X $VU^2$

जहां VU = ऑप्शन के आधारभूत में अंतर

(ii) VU की गणना निम्नानुसार की जाएगी -

- ब्याज दर ऑप्शन में यदि आधारभूत प्रतिभूति बांड है तो पहले वर्णित विधि के अनुसार मूल्य संवेदनशीलता की गणना की जानी चाहिए। जहां आधारभूत ब्याज दर हो वहां समतुल्य गणना की जानी चाहिए।
- इक्विटी और इक्विटी सूचकांकों पर आधारित ऑप्शनों, जिनकी अभी अनुमति नहीं है, की गणना के लिए आधारभूत प्रतिभूति के बाज़ार मूल्य को 9% से गुणा किया जाना चाहिए[206] ;

---

[205] इस अनुबंध के पैरा 2(क) में वर्णित क्लोजली-मैच्ड पोज़िशन पर लागू नियम इस संबंध में भी लागू होंगे।

- विदेशी मुद्रा और स्वर्ण पोज़िशन के लिए आधारभूत प्रतिभूति के बाज़ार मूल्य को 9% से गुणा किया जाना चाहिए।

(iii) इस गणना के प्रयोजन से निम्नलिखित पोज़िशनों में **एक ही आधारभूत** माना जाना चाहिए

- ब्याज दरों के लिए[207] दिशानिर्देशों की सारणी 17 में दिया गया प्रत्येक अवधि बैंड[208]
- इक्विटी और स्टॉक सूचकांकों के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय बाज़ार
- विदेशी मुद्रा और स्वर्ण के लिए प्रत्येक मुद्रा द्वय और स्वर्ण

(iv) एक ही आधारभूत वाले प्रत्येक ऑप्शन का गामा प्रभाव होगा जो या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक। इन गामा प्रभावों को जोड़ा जाएगा जिससे प्रत्येक आधारभूत के लिए निवल गामा प्रभाव प्राप्त होगा जो या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक। केवल वही निवल गामा प्रभाव जो नकारात्मक हैं पूंजी की गणना में शामिल किया जाएगा।

(v) कुल गामा पूंजी भार उपर्युक्त रीति से की गयी गणना से प्राप्त निवल नकारात्मक गामा प्रभाव के निरपेक्ष मूल्य का योग होगा।

(vi) **अस्थिरता जोखिम** के लिए बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे पूंजी भार की गणना ऊपर दी गयी परिभाषा के अनुसार एक ही आधारभूत पर सभी ऑप्शन के लिए वेगा के योग को अस्थिरता में ±25% के अनुपातिक अंतर से गुणा कर करें।

(vii) वेगा जोखिम के लिए **कुल पूंजी भार** वेगा जोखिम के लिए गणना किये गये सभी पूंजी भारों के निरपेक्ष मूल्य का योग होगा।

**ख) परिदृश्य दृष्टिकोण**

8. अत्याधुनिक बैंकों को यह भी अधिकार होगा कि वे ऑप्शन पोर्टफोलियो तथा संबद्ध हेजिंग पोज़िशन के लिए बाज़ार जोखिम पूंजी भार परिदृश्य मैट्रिक्स विश्लेषण पर आधारित करें। ऐसा

---

[206] ब्याज दरों और इक्विटी ऑप्शन के लिए यहां वर्णित बुनियादी नियमों में, गामा पूंजी प्रभार की गणना के समय विनिर्दिष्ट जोखिम को शामिल करने का प्रयास नहीं किया गया है। तथापि रिज़र्व बैंक विनिर्दिष्ट बैंकों को ऐसा करने के लिए कह सकता है।

[207] पोज़िशन की मुद्रा के अनुसार अलग परिपक्वता सोपानों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

[208] अवधि पद्धति का प्रयोग करनेवाले बैंकों को दिशानिर्देश की सारणी 18 में वर्णित अवधि बैंडों का प्रयोग करना चाहिए।

ऑप्शन पोर्टफोलियो के जोखिम घटकों में परिवर्तनों के नियत दायरे को विनिर्दिष्ट कर तथा इस "ग्रिड" के विभिन्न बिन्दुओं पर ऑप्शन पोर्टफोलियो के मूल्य में परिवर्तन की गणना कर किया जाएगा। पूंजी भार की गणना के प्रयोजन से बैंक ऑप्शन की आधारभूत दर अथवा मूल्य और उक्त दर अथवा मूल्य की अस्थिरता में साथ-साथ होने वाले परिवर्तनों के लिए मैट्रिक्स का प्रयोग करते हुए ऑप्शन पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यन करेगा। जैसा कि ऊपर पैरा 7 में परिभाषित किया गया है प्रत्येक आधारभूत के लिए अलग मैट्रिक्स स्थापित किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से प्रत्येक राष्ट्रीय प्राधिकार के विवेकाधिकार के अनुसार ब्याज दर ऑप्शन में महत्वपूर्ण ऑप्शन व्यापार करनेवाले बैंकों को यह अनुमति दी जाएगी कि वे अवधि बैंडों के न्यूनतम छह समूहों के आधार पर गणना करें। इस अवधि का प्रयोग करते समय इस मास्टर परिपत्र के पैरा 8.3 में परिभाषित अधिक से अधिक तीन अवधि बैंडों को एक समूह में शामिल किया जाना चाहिए।

9. ऑप्शन और संबद्ध हेजिंग पोज़िशन का मूल्यांकन आधारभूत के वर्तमान मूल्य से ऊपर और नीचे एक विनिर्दिष्ट दायरे में किया जाएगा। ब्याज दरों के लिए दायरा इस मास्टर परिपत्र के पैरा 8.3 में सारणी 17 में प्रतिफल के लिए परिकल्पित परिवर्तनों के अनुरूप है। जो बैंक ऊपर पैरा 8 में वर्णित ब्याज दर ऑप्शन के लिए वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे, उन्हें प्रत्येक अवधि बैंड के समूह के लिए, संबंधित समूह पर लागू प्रतिफल में परिकल्पित उच्चतम परिवर्तन का प्रयोग करना चाहिए[209]। अन्य दायरे हैं - इक्विटी के लिए ±9% और विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण के लिए ±9%। सभी जोखिम संवर्गों के लिए दायरे को समान अंतरालों में विभाजित करने के लिए कम-से-कम सात प्रेक्षण (वर्तमान प्रेक्षण सहित) का प्रयोग करना चाहिए।

10. मैट्रिक्स के दूसरे आयाम के कारण आधारभूत दर या मूल्य की अस्थिरता में परिवर्तन होगा। अधिकांश मामलों में आधारभूत दर या मूल्य की अस्थिरता में + 25% और - 25% का परिवर्तन पर्याप्त होने की आशा है। परिस्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक यह अपेक्षा कर सकता है कि अस्थिरता में अलग परिवर्तन का प्रयोग किया जाए और/अथवा ग्रिड में मध्यवर्ती बिन्दुओं की गणना की जाए।

11. मैट्रिक्स की गणना करने के बाद प्रत्येक सेल में ऑप्शन तथा आधारभूत हेज लिखत का निवल लाभ या हानि होगी। इसके बाद प्रत्येक आधारभूत के पूंजी भार की गणना मैट्रिक्स में निहित अधिकतम हानि के रूप में की जाएगी।

---

[209] उदाहरण के लिए, यदि 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष और 5 से 7 वर्षों के अवधि बैंडों को मिलाया जाए तो इन तीन बैंडों की आय का उच्चतम परिकल्पित परिवर्तन 0.75 होगा।

12. इन मध्यवर्ती दृष्टिकोणों की रचना करते समय यह प्रयास किया गया है कि ऑप्शन से जुड़े प्रमुख जोखिमों को कवर किया जाए। ऐसा करते समय यह तथ्य ध्यान में है कि जहां तक विनिर्दिष्ट जोखिम का संबंध है केवल डेल्टा-संबद्ध तत्वों को शामिल किया गया है। अन्य जोखिमों को शामिल करने के लिए अधिक जटिल प्रणाली की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर, अन्य क्षेत्रों में सरलीकृत परिकल्पना का प्रयोग करने के फलस्वरूप कुछ ऑप्शन पोज़िशन का अपेक्षाकृत पारंपरिक ट्रीटमेंट हुआ है।

13. उपर्युक्त ऑप्शन जोखिम के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ऑप्शन से जुड़े अन्य जोखिमों के संबंध में सचेत है। उदाहरण के लिए रो (ब्याज दर की तुलना में ऑप्शन के मूल्य में परिवर्तन की दर) और थेटा (समय की तुलना में ऑप्शन के मूल्य में परिवर्तन की दर)। अभी उन जोखिमों की माप प्रणाली के संबंध में प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है, तथापि ऐसी आशा की जाती है कि ऑप्शन कारोबार करने वाले बैंक ऐसे जोखिमों की कम-से-कम निरंतर निगरानी करेंगे। इसके अलावा यदि बैंक चाहें तो उन्हें ब्याज दर जोखिम के लिए अपनी पूंजी की गणना में `रो' को शामिल करने की अनुमति दी जाएगी।

**अनुबंध - 10**

(देखें पैरा 13.5)

## स्तंभ II के अंतर्गत बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी) की माप की विधि का एक उदाहरण

बासल II ढांचे[210] (पैरा 739 और 762) में यह अपेक्षा की गयी है कि बैंक बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबी) की माप करेंगे तथा उसके अनुरूप पूंजी रखेंगे। यदि पर्यवेक्षक यह पाते हैं कि बैंक ब्याज दर जोखिम के स्तर के अनुरूप पूंजी नहीं रख रहे हैं तो उन्हें बैंक से यह अपेक्षा करनी चाहिए कि वे अपना जोखिम कम करें, पूंजी की विनिर्दिष्ट अतिरिक्त राशि रखें अथवा दोनों का मिला-जुला रूप रखें। आइआरआरबीबी से संबंधित स्तंभ II की अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए अनेक विनियामकों द्वारा स्तंभ II के संबंध में जारी दिशानिर्देशों में ऐसे निश्चित प्रावधान हैं जिनमें बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा अपनायी गयी विधि और यदि ब्याज दर जोखिम का स्तर उल्लेखनीय है तो की जानेवाली कार्रवाई निर्दिष्ट की गयी है।

बासल II ढांचे के पैरा 764 के अनुसार बैंक आइआरआरबीबी के लिए पूंजी की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए बीसीबीएस द्वारा जारी "ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के सिद्धांत" नामक समर्थक दस्तावेज में निर्धारित निदर्शात्मक विधि का अनुसरण कर सकते हैं।

### 2. "ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के सिद्धांत" नामक <u>बीसीबीएस के पर्चे में निर्धारित विधि</u>

उपर्युक्त समर्थक दस्तावेज में उल्लिखित विधि के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं :

क) मूल्यांकन में ब्याज दर जोखिम का आय दृष्टिकोण और आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण दोनों को ध्यान में रखना चाहिए।

ख) आय अथवा ईक्विटी के आर्थिक मूल्य के प्रभाव की गणना 200 आधार अंकों का एक कल्पित (नोशनल) ब्याज दर आघात लागू करके की जानी चाहिए।

ग) ब्याज दर जोखिम की माप करने की सामान्य विधियां इस प्रकार हैं :

***क) आय दृष्टिकोण***

---

[210] बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति द्वारा जारी पूंजी मापन और पूंजी मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसरण (जून 2006).

अंतराल (गेप) विश्लेषण, अनुरूपण (सिमुलेशन) तकनीकें और जोखिम पर मूल्य के आधार पर आंतरिक मॉडल

**ख) इकॉनॉमिक दृष्टिकोण**

अवधि अंतराल विश्लेषण, अनुरूपण तकनीकें और जोखिम मूल्य के आधार पर आंतरिक मॉडल सहित अंतराल (गेप) विश्लेषण

## 3. आईआरआरबीबी की माप की विधियां

### 3.1 आय पर प्रभाव

आय पर प्रभाव की गणना करने की प्रमुख विधियां अंतराल विश्लेषण, अनुरूपपण और जोखिम पर मूल्य आधारित तकनीकें हैं। भारत में बैंक अंतराल विधि के माध्यम से आय पर ब्याज दर की प्रतिकूल घट-बढ़ के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अंतराल रिपोर्ट का प्रयोग करते आ रहे हैं। बैंक इसे जारी रख सकते हैं। तथापि, बैंक अनुरूपण का भी प्रयोग कर सकते हैं। बैंक एक वर्ष में प्रतिफल में 200 आधार अंकों का परिवर्तन मानते हुए अंतराल विश्लेषण या किसी अन्य विधि से आय पर प्रभाव की गणना कर सकते हैं। तथापि, आय पर प्रभाव के लिए कोई पूंजी आबंटित करने की आवश्यकता नहीं है।

### 3.2 ईक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) पर आइआरआरबीबी का प्रभाव

बैंक एमवीई पर ब्याज दर आघात के प्रभाव की गणना के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति के पर्चे "ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के सिद्धांत" (जुलाई 2004) में निर्दिष्ट विधि का प्रयोग कर सकते हैं।

3.2.1 *"ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के सिद्धांत" नामक बीसीबीएस के पर्चे में निर्दिष्ट विधि*

इस विधि में निम्नलिखित चरण हैं :

क) आस्ति/देयता की प्रत्येक मद (आस्ति/देयता की प्रत्येक श्रेणी) के लिए परिपक्वता/पुनर्मूल्यन की तारीख, कूपन दर, बारंबारता और मूल धन जैसे आंकड़े प्राप्त किये जाते हैं।

ख) हर एक टाइम-बैंड में `लांग' और `शार्ट' को प्रतिसंतुलित किया जाता है।

ग) इसके परिणामस्वरूप जो `शार्ट' और `लांग' पोजीशन उत्पन्न होती हैं उन्हें एक ऐसे घटक द्वारा भारांकित किया जाता है जिसे ब्याज दर में माने गये परिवर्तन के प्रति विभिन्न टाइम बैंड में पोजिशन की संवेदनशीलता दर्शाने के लिए बनाया गया है। ये घटक पूरे समय परिदृश्य के दौरान 200 आधार अंकों के कल्पित समांतर परिवर्तन तथा प्रत्येक टाइम बैंड के मध्यमें स्थित पोजीशनों के परिवर्तित ड्यूरेशन की प्रोक्सी और 5 प्रतिशत प्रतिफल पर आधारित हैं।

घ) इसके परिणामस्वरूप भारित पोजीशनों को जोड़ा जाता है, लांग और शार्ट को प्रतिसंतुलित किया जाता है जिससे निवल शार्ट - या लांग - भारित स्थितियां प्राप्त होती हैं।

ङ) भारित पोजीशन की तुलना पूंजी से की जाती है।

ब्योरे के लिए बैंक बीसीबीएल द्वारा जारी उपर्युक्त पर्चे का **अनुबंध 3 और 4** देखें।[211]

<u>3.2.2 ब्याज दर जोखिम माप की अन्य तकनीकें</u>

बैंक आइआरआरबीबी की माप करने के लिए उपर्युक्त के अलग प्रकार/रूप अपना सकते हैं या पूरी तरह से अलग तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं बशर्ते वे उन्हें धारणात्मक दृष्टि से त्रुटिहीन पायें। बीसीबीएस के पर्चे के उपर्युक्त **अनुबंध 1 और 2** में ब्याज दर जोखिम माप की तकनीकों के सामान्य ब्योरे दिये गये हैं तथा ब्याज दर जोखिम के प्रति किसी बैंक के एक्सपोज़र के संबंध में सूचना प्राप्त करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए जिन कुछ घटकों पर पर्यवेक्षीय प्राधिकारी विचार कर सकते हैं उनका एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।

## 4. पूंजी पर आइआरआरबीबी के प्रभाव की माप के लिए सुझायी गयी विधि

**4.1** बासल II ढांचे के अनुसार, यदि पर्यवेक्षक यह महसूस करता है कि बैंक आइआरआरबीबी के स्तर के अनुरूप पूंजी नहीं रख रहा है तो बैंक को जोखिम कम करने या अतिरिक्त पूंजी आबंटित करने या इन दोनों की मिली-जुली अपेक्षा का पालन करने के लिए कहा जा सकता है।

**4.2** बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के उस समुचित स्तर के संबंध में निर्णय ले सकते हैं, जिसे वे अपने पूंजी स्तर, ब्याज दर प्रबंधन दक्षता और ब्याज दरों में प्रतिकूल घट-बढ़ के मामले में बैंकिंग बही संविभाग को पुनः संतुलित करने की क्षमता को ध्यान में

[211] ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए सिद्धान्त (जुलाई 2004).

रखते हुए रखना चाहते हैं। किसी भी हालत में, ब्याज दर जोखिम का वह स्तर उच्च माना जाएगा जिसमें 200 आधार अंकों के ब्याज दर आघात से एमवीई में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आ जाए। सामान्यतः भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे बैंकों से यह अपेक्षा करेगा कि आइआरआरबीबी के लिए अतिरिक्त पूंजी रखे, जिसे एसआरईपी के दौरान निर्धारित किया गया हो। जिन बैंकों का आइआरआरबीबी एक्सपोजर एमवीई में 20 प्रतिशत गिरावट से कम के बराबर हो उनसे भी अतिरिक्त पूंजी रखने के लिए कहा जा सकता है यदि भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार में बैंक के पूंजी स्तर अथवा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन ढांचे की गुणवत्ता की तुलना में ब्याज दर जोखिम का स्तर उच्चतर है। यद्यपि बैंक अपने एमवीई में संभावित गिरावट, ब्याज दर जोखिम प्रबंधन दक्षता और ब्याज दरों में प्रतिकूल घट-बढ़ के मामले में संविभागों को शीघ्र पुनः संतुलित करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए आइआरआरबीबी के लिए अतिरिक्त पूंजी रखने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं, तथापि अतिरिक्त पूंजी, यदि आवश्यक समझी गयी, की वास्तविक राशि का निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के साथ विचार-विमर्श करते हुए एसआरईपी के एक अंग के रूप में किया जाएगा।

**5. <u>सीमा निर्धारण</u>**

यह उचित होगा कि बैंक अपने आइआरआरबीबी को नियंत्रित करने के लिए आंतरिक सीमाएं निर्धारित करे। सीमा निर्धारित करने के कुछ संकेतात्मक तरीके नीचे दिये गये हैं -

क) आंतरिक सीमाएं 200 या 300 आधार अंकों के ब्याज दर आघात के परिणामस्वरूप आय में अधिकतम गिरावट (आधारभूत आय परिदृश्य के प्रतिशत के रूप में) अथवा पूंजी में अधिकतम गिरावट(आधारभूत पूंजी स्थिति परिदृश्य के प्रतिशत के रूप में) के रूप में निर्धारित की जा सकती है।

ख) सीमाएं बैंक की निवल मालियत/पूंजी के प्रतिशत के रूप में बैंक की निवल स्थिति के PV01 मूल्य (एक आधार अंक का वर्तमान मूल्य) के रूप में निर्धारित की जा सकती है।

**अनुबंध 11**
**(देखें पैरा 4.4.9.2)**

## बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं

### भाग क: बैंक की विनियामक पूंजी संरचना का ब्योरा

(करोड़ रुपये में)

| | |
|---|---|
| प्रदत्त इक्विटी पूंजी | 300 |
| पात्र आरक्षित निधि और बेशी | 100 |
| **कुल सामान्य इक्विटी** | **400** |
| पात्र अतिरिक्त टियर पूंजी 1 | 15 |
| **कुल टियर पूंजी 1** | **415** |
| पात्र टियर पूंजी 2 | 135 |
| **कुल पात्र पूंजी** | **550** |

### भाग ख: असमेकित संस्थाओं में पूंजी संरचना और बैंक के निवेशों का ब्योरा

| **संस्था** | **निवेशिती संस्थाओं की कुल पूंजी** | | | | **इन संस्थाओं में बैंक के निवेश** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सामान्य इक्विटी | अतिरिक्त टियर 1 | टियर 2 | कुल पूंजी | सामान्य इक्विटी | अतिरिक्त टियर 1 | टियर 2 | कुल निवेश |
| **बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं तथा जहां बैंक के पास संस्था की जारीकृत सामान्य शेयर पूंजी के 10%से अधिक का स्वामित्व नहीं है।** | | | | | | | | |
| **क** | 250 | 0 | 80 | **330** | 12 | 0 | 15 | **27** |
| **ख** | 300 | 10 | 0 | **310** | 14 | 10 | 0 | **24** |
| **कुल** | **550** | **10** | **80** | **640** | **26** | **10** | **15** | **51** |
| **बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं** | | | | | | | | |
| **ग** | 150 | 20 | 10 | **180** | 20 | 10 | 0 | **30** |
| **घ** | 200 | 10 | 5 | **215** | 25 | 5 | 5 | **35** |
| **कुल** | **350** | **30** | **15** | **395** | **45** | **15** | **5** | **65** |

**भाग ग: ऐसी संस्थाओं में निवेश के कारण विनियामक समायोजन, जहां बैंक के पास संस्था के जारीकृत सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है**

| **सी-1: बैंक के निवेश का व्यापार और बैंकिंग बहियों में विभाजन** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | सामान्य इक्विटी | अतिरिक्त टियर 1 | टियर 2 | कुल निवेश |
| बैंकिंग बही में धारित क और ख में कुल निवेश | 11 | 6 | 10 | 27 |
| व्यापार बही में धारित क और ख में कुल निवेश | 15 | 4 | 5 | 24 |
| बैंकिंग तथा व्यापार बहियों में धारित क और ख में कुल निवेश | **26** | **10** | **15** | **51** |

| **सी-2 : विनियामक समायोजन** | |
|---|---|
| सामान्य इक्विटी क और ख में बैंक के समग्र निवेश | 26 |
| अतिरिक्त टियर पूंजी क और ख में बैंक के समग्र निवेश 1 | 10 |
| टियर पूंजी क और ख में बैंक के समग्र निवेश 2 | 15 |
| **क और ख में बैंक के कुल निवेश** | **51** |
| बैंक की सामान्य इक्विटी | 400 |
| बैंक की सामान्य इक्विटी का 10% | 40 |
| बैंक की सामान्य इक्विटी 10 के (40-51)% के आधिक्य में पूंजी लिखत क और ख में बैंक की कुल धारित राशि | 11 |
| नोट: क और ख दोनों में निवेश वैयक्तिक रूप से इस ट्रीटमेंट के लिए अर्हक होंगे, दोनों ही संबंधित संस्था की शेयर पूंजी के 10% से कम हैं। ग और घ के निवेश अर्हक नहीं हैं, क्योंकि बैंक के निवेश उनकी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक हैं। | |

| **सी-3: विनियामक समायोजनों का सारांश** | | **बैंकिंग बही** | **व्यापार बही** |
|---|---|---|---|
| बैंक की सामान्य इक्विटी में से घटाई जाने वाली राशि (26/51)*11 | 5.60 | | |
| बैंक की अतिरिक्त टियर 1 में से घटाई जाने वाली राशि (10/51)*11 | 2.16 | | |
| बैंक की टियर 2 में से घटाई जाने वाली राशि (15/51)*11 | 3.24 | | |
| **कुल कटौतियां** | **11.00** | | |
| बैंक के जोखिम भारित किए जाने वाले क और ख में सामान्य इक्विटी निवेश | 20.40 (26-5.60) | 8.63 (11/26)*20.40 | 11.77 |
| बैंक के जोखिम भारित किए जाने वाले क और ख में अतिरिक्त टियर 1 पूंजी निवेश | 7.84 (10-2.16) | 4.70 | 3.14 |
| बैंक के जोखिम भारित किए जाने वाले क और ख में टियर 2 पूंजी निवेश | 11.76 (15-3.24) | 7.84 | 3.92 |
| **जोखिम भार के लिए कुल आवंटन** | **40.00** | **21.17** | **18.83** |

**भाग घ: बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के कारण विनियामक समायोजन**

| | |
|---|---|
| ग और घ की सामान्य इक्विटी में बैंक का सकल निवेश | 45 |
| ग और घ की सामान्य इक्विटी में बैंक का सकल निवेश | 15 |
| ग और घ की सामान्य इक्विटी में बैंक का सकल निवेश | 5 |
| **ग और घ में बैंक का कुल निवेश** | **65** |
| बैंक की सामान्य इक्विटी | 400 |
| बैंक की सामान्य इक्विटी का 10% | 40 |
| बैंक की सामान्य इक्विटी के 10% के आधिक्य में पूंजी लिखत ग और घ में बैंक के निवेश (45-40) | 5 |

| **घ-1: विनियामक समायोजनों का सारांश** | |
|---|---|
| बैंक की सामान्य इक्विटी में से घटाई जाने वाली राशि (10% के आधिक्य में) | 5 |
| बैंक की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में से घटाई जाने वाली राशि (सभी अतिरिक्त टियर 1 निवेश घटाए जाएं) | 15 |
| बैंक की टियर 2 पूंजी में से घटाई जाने वाली राशि (सभी टियर 2 निवेश घटाए जाएं) | 5 |
| **कुल कटौतियां** | **25** |
| बैंक के जोखिम भारित किए जाने वाले ग और घ में सामान्य इक्विटी निवेश (10% तक) | 40 |

**भाग ङ: विनियामक समायोजनों के बाद बैंक की कुल विनियामक पूंजी**

| | कटौती से पहले | सारणी सी 3-के अनुसार कटौतियां | सारणी डी 1-के अनुसार कटौतियां | कटौतियों के बाद |
|---|---|---|---|---|
| सामान्य इक्विटी | 400.00 | 5.61 | 5.00 | 387.24∗ |
| अतिरिक्त टियर 1 पूंजी | 15.00 | 2.16 | 15.00 | 0.00 |
| टियर पूंजी 2 | 135.00 | 3.24 | 5.00 | 126.76 |
| **कुल विनियामक पूंजी** | **550.00** | **11.00** | **25.00** | **514.00** |
| ∗चूंकि कटौतियों के बाद बैंक की टियर 1 पूंजी में 2.16 की कमी है, जिसकी कटौती पूंजी की अगली उच्चतर श्रेणी, अर्थात् सामान्य ईक्विटी में से की जानी है। | | | | |

**अनुबंध 12**

**(देखें पैरा 4.5.6)**

## संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं का उदाहरण - ऐसे पूंजी लिखत जो अब गैर-सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अथवा टियर 2 पूंजी के रूप में पात्र नहीं रह गए हैं

जारी करने की तारीख : 14 अप्रैल 2005

ऋण पूंजी लिखत: काल्पनिक राशि =1000 करोड़ रुपये

परिपक्वता की तारीख: 15 अप्रैल 2022

कॉल की तारीख: 15 अप्रैल 2015

विशेषताएं:

1. स्टेप-अप के साथ कॉल तथा परिवर्तन/बट्टे खाते डालने हेतु अव्यवहार्यता मानदंड पूर्ण करने वाले
2. कोई स्टेप-अप या मोचन के अन्य प्रोत्साहन नहीं, किंतु अव्यवहार्यता मानदंड पूर्ण करने वाले

| **निम्न तारीख को लिखतों की अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)** | | **परिशोधित राशि** | **पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन से मान्य की जाने वाली राशि** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **विशेषता 1** | **विशेषता 2** |
| 1 जनवरी 2013 | 9 से अधिक किंतु 10 से कम | 1000 | 900 | 900 |
| 31 मार्च 2014 | 8 से अधिक किंतु 9 से कम | 1000 | 800 | 800 |
| 31 मार्च 2015 | 7 से अधिक किंतु 8 से कम | 1000 | 700 | 700 |
| 31 मार्च 2016 | 6 से अधिक किंतु 7 से कम | 1000 | 1000 (पुन:स्थापित - कॉल का प्रयोग नहीं) | 600 (कॉल का प्रयोग नहीं) |
| 31 मार्च 2017 | 5 से अधिक किंतु 6 से कम | 1000 | 1000 | 500 |
| 31 मार्च 2018 | 4 से अधिक किंतु 5 से कम | 800 | 800 | 400 |
| 31 मार्च 2019 | 3 से अधिक किंतु 4 से कम | 600 | 600 | 300 |
| 31 मार्च 2020 | 2 से अधिक किंतु 3 से कम | 400 | 400 | 200 |
| 31 मार्च 2021 | 1 से अधिक किंतु 2 से कम | 200 | 200 | 100 |
| 31 मार्च 2022 | 1 से कम | 0 | 0 | 0 |

**अनुबंध 13**
**(देखें पैरा 5.15.3.6)**

## सीवीए जोखिम पूंजी प्रभार की गणना

| व्युत्पन्नी | प्रति-पक्षकार | सौदों का काल्पनिक मूलधन, जिनका एमटीएम ऋणात्मक है | सौदों का काल्पनिक मूलधन, जिनका एमटीएम धनात्मक है | कुल काल्पनिक मूलधन कॉलम) 3+4) | भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता | सौदों का धनात्मक एमटीएम मूल्य (कॉलम 4) | पीएफई | सीईएम के अनुसार कुल चालू क्रेडिट एक्सपोजर | प्रतिपक्षकार की बाह्य रेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ब्याज दर स्वैप | क | 150 | 150 | 300 | 1.85 वर्ष | 1.5 | 1% | 4.5 | ए (जोखिम भार 50%) |
| करेंसी स्वैप | ख | 300 | 200 | 500 | 5.01 वर्ष | 2.8 | 10% | 52.8 | एएए (जोखिम भार 20%) |

**सीवीए जोखिम की गणना के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्मूला:**

$$K = 2.33 \cdot \sqrt{h} \cdot \sqrt{\left(\sum_i 0.5 \cdot w_i \cdot \left(M_i \cdot EAD_i^{total} - M_i^{hedge} B_i\right) - \sum_{ind} w_{ind} \cdot M_{ind} \cdot B_{ind}\right)^2 + \sum_i 0.75 \cdot w_i^2 \cdot \left(M_i \cdot EAD_i^{total} - M_i^{hedge} B_i\right)^2}$$

**$B_i$ यह खरीदे गए एकल नाम सीडीएस हेजेस का नोशनल है - शून्य**

**$B_{ind}$ यह सीवीए जोखिम से बचाव के लिए प्रयुक्त खरीदे गए संरक्षण के एक या अधिक इन्डेक्स सीडीएस का पूर्ण नोशनल है - शून्य**

**$W_{ind}$ यह इन्डेक्स हेजेस पर लागू भार है - शून्य**

**$Mi^{hedge}$ यह नोशनल $B_i$ वाले हेज लिखतों की परिपक्वता है।**

**$M_i$ यह प्रतिपक्षकार 'i' के साथ सौदों की प्रभावी परिपक्वता है।**

**EADitotal यह प्रतिपक्षकार 'i' की चूक पर एक्सपोजर है (इसके नेटिंग सेट का योग है)। गैर-आईएमएम बैंकों के लिए एक्सपोजर को इस गुणज का प्रयोग करके बट्टा काटना चाहिए: (1-exp(-0.05*Mi)/(0.05*Mi)**

**h =1 वर्ष**

**अनुमान:**

प्रतिपक्षकार ए के साथ वार्षिक अंतराल पर लाभांश विनिमय हेतु स्वैप के दोनों चरणों पर लागू लाभांश दर = 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष

प्रतिपक्षकार के साथ वार्षिक अंतराल पर लाभांश विनिमय हेतु स्वैप के दोनों चरणों पर लागू लाभांश दर = 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष

गणना:

प्रतिपक्षकार ए के लिए लागू बट्टा गुणज: (1-exp)

= 0.95551

बट्टाकृत ईएडीए 4.50.95551 4.2981

प्रतिपक्षकार बी के लिए लागू बट्टा गुणज: (1-exp (-0.05∗MB))/(0.05∗MB)

=0.8846

बट्टाकृत ईएडीबी = 52.8∗0.8846=46.7061

K= *2.33∗1∗[{(0.5∗.008∗(1.85∗4.2981-0) + (0.5∗0.007∗(5.01∗46.7061-0))-0}2+*

*(0.75∗0.0082∗(1.85∗4.2981-0)2 + (0.75∗0.0072∗(5.01∗46.7061-0)2]1/2*

= 2.33∗1.66 = 3.86

अतएव, पोर्टफोलियो आधार पर सीवीए जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार = रु. 3.86 करोड़

**अनुबंध 14**

(देखें पैरा 16.4.4)

## लीवरेज अनुपात के प्रयोजन से एसएफटी एक्सपोजर की गणना

**बैंकों का उदाहरणात्मक तुलन-पत्र**

| **बैंक ए** | | | | **बैंक बी** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **देयताएं** | | **आस्तियां** | | **देयताएं** | | **आस्तियां** | |
| मद | राशि | मद | राशि | मद | राशि | मद | राशि |
| | | नकद | 100 | | | नकद | 0 |
| पूंजी | 153 | प्रतिभूतियां | 53 | पूंजी | 104 | प्रतिभूतियां | 104 |
| **कुल** | **153** | **कुल** | **153** | **कुल** | **104** | **कुल** | **104** |

**एसएफटी लेनदेन**

| **बैंक ए का बैंक बी के साथ रिवर्स रिपो** | **बैंक ए 104 की प्रतिभूतियों पर बैंक बी को नकद 100 उधार देता है** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पूंजी | 153 | नकद | 0 | | पूंजी | 104 | नकद | 100 |
| | | | प्रतिभूतियां | 53 | | | | प्रतिभूतियां | 104 |
| | | | प्राप्य एसएफटी | 100 | | प्राप्य एसएफटी | 100 | | |
| | **कुल** | **153** | **कुल** | **153** | | **कुल** | **100** | **कुल** | **204** |

| **बैंक ए का बैंक बी के साथ रिपो** | **बैंक ए 53 की प्रतिभूतियों पर बैंक बी से नकद 50 उधार लेता है** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पूंजी | 153 | नकद | 50 | | पूंजी | 104 | नकद | 50 |
| | | | प्रतिभूतियां | 53 | | | | प्रतिभूतियां | 104 |
| | देय एसएफटी | 50 | प्राप्य एसएफटी | 100 | | देय एसएफटी | 100 | प्राप्य एसएफटी | 50 |
| | **कुल** | **203** | **कुल** | **203** | | **कुल** | **204** | **कुल** | **204** |

| | लीवरेज अनुपात एक्सपोजर | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **बैंक ए** | | **Bank B** | |
| मद | एक्सपोजर, जहां एसएफटी एक्सपोजर की नेटिंग अनुमत नहीं है | एक्सपोजर, जहां एसएफटी एक्सपोजर की नेटिंग अनुमत है | एक्सपोजर, जहां एसएफटी एक्सपोजर की नेटिंग अनुमत नहीं है | एक्सपोजर, जहां एसएफटी एक्सपोजर की नेटिंग अनुमत है |
| तुलन-पत्र की मदें | **103** | **103** | **154** | **154** |
| सकल एसएफटी आस्तियां | **100** | 100 | **50** | 50 |
| सकल एसएफटी आस्तियों की निवल की गई राशि | | **50*** | | **0*** |
| एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर | **3** | **0 #** | **4** | **1#** |
| **कुल एसएफटी एक्सपोजर** | **103** | **50** | **54** | **1** |
| **कुल एक्सपोजर** | **206** | **153** | **208** | **155** |

* अधिकतम ((प्राप्य एसएफटी - देय एसएफटी ), 0))

# सीसीआर एक्सपोजर = अधिकतम ((कुल नकद/ प्राप्य प्रतिभूतियां - कुल नकद/ देय प्रतिभूतियां ),0))

**अनुबंध 15**

(देखें पैरा 12.3.3.7)

## आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) प्रलेख की सोदाहरण रूपरेखा

### 1. आईसीएएपी प्रलेख क्या है?

आईसीएएपी प्रलेख एक विस्तृत पेपर होगा जिसमें बैंक की जोखिमों के संपूर्ण विस्तार के निरंतर मूल्यांकन पर विस्तृत जानकारी होगी, बैंक उन जोखिमों को कैसे कम करने की मंशा रखता है तथा जोखिम करने वाले अन्य तत्वों को हिसाब में लेते हुए बैंक के लिए वर्तमान और भविष्य में कितनी पूंजी आवश्यक है। आईसीएएपी प्रलेख का प्रयोजन बैंक के बोर्ड को इन पहलुओं के बारे में अवगत कराना है और साथ ही बैंक की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया तथा पूंजी प्रबंध के प्रति बैंक का दृष्टिकोण भारतीय रिज़र्व बैंक को स्पष्ट करना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत आईसीएएपी प्रलेख बैंक के बोर्ड द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित होना चाहिए। यह अपेक्षा की जाती है कि प्रलेख ऐसे प्रारूप में होना चाहिए जिसे प्रबंधन के वरिष्ठ स्तरों पर आसानी से समझा जाए तथा जिसमें ऐसी सभी प्रासंगिक सूचना निहित हो, जो बैंक का उचित पूंजी स्तर तथा उसके जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण के बारे में बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए आवश्यक हो। जहां उचित हो, आईसीएएपी दस्तावेज के परिशिष्ट के रूप में जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया पर तकनीकी जानकारी, प्रयुक्त पूंजी मॉडेल, यदि कोई हों, तथा दृष्टिकोण के वैधीकरण हेतु किए गए अन्य सभी कार्य (जैसे बोर्ड के कागजात और कार्यवृत्त, आंतरिक और बाह्य समीक्षा) भी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाएं।

### 2. विषयवस्तु

आईसीएएपी दस्तावेज में निम्नलिखित खंड होने चाहिएं:

I. कार्यपालक सारांश
II. पृष्ठभूमि
III. वर्तमान और प्रस्तावित वित्तीय और पूंजी स्थितियों का सारांश
IV. पूंजी पर्याप्तता
V. मुख्य संवेदनशीलता तथा भावी परिदृश्य
VI. एकत्रीकरण और विविधीकरण
VII. आईसीएएपी को जांचना और अपनाना
VIII. बैंक के भीतर आईसीएएपी का प्रयोग

## I. कार्यपालक सारांश

कार्यपालक सारांश का उद्देश्य आईसीएएपी प्रक्रिया और परिणामों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना है। इस संक्षिप्त विवरण में विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल होंगेः

क) रिपोर्ट का प्रयोजन तथा बैंकिंग समूह के भीतर विनियमित हस्तियां, जो आईसीएएपी में शामिल हैं।

ख) आईसीएएपी विश्लेषण के मुख्य निष्कर्षः
   i. बैंक के विचार में उसे 'पिलर I' गणना के अंतर्गत न्यूनतम सीआरएआर अपेक्षाओं की तुलना में कितनी आंतरिक पूंजी किस प्रकार की संरचना में रखनी चाहिए, तथा
   ii. बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की पर्याप्तता;

ग) बैंक की रणनीतिगत स्थिति, उसके तुलनपत्र की मजबूती और भावी लाभप्रदता सहित बैंक की वित्तीय स्थिति का सारांश

घ) बैंक के पूंजी जुटाने और लाभांश योजना के संक्षिप्त वर्णन के साथ ही आने वाले दिनों में बैंक अपनी पूंजी का प्रबंधन किस प्रकार और किन प्रयोजनों से करने का विचार रखता है।

ङ) जिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जोखिमों के प्रति बैंक का एक्सपोजर है, उन पर टिप्पणी, जोखिमों के स्तर को स्वीकार्य क्यों माना गया है, या यदि नहीं, तो उसे कम करने के लिए क्या कार्रवाई करने की योजना है;

च) ऐसे महत्वपूर्ण मामलों, जहां और अधिक विश्लेषण और निर्णय की अपेक्षा है, पर टिप्पणी; तथा

छ) मूल्यांकन किसने किया, उसका कैसे विरोध/वैधीकरण/दबाव जांच की गई तथा किसने अनुमोदन किया।

## II. पृष्ठभूमि

इस भाग में बैंक के प्रासंगिक संगठनात्मक और ऐतिहासिक वित्तीय आंकड़ों को शामिल किया जाएगा, जैसे समूह का ढांचा (विधिक और परिचालनगत), परिचालनगत लाभ, कर से पूर्व लाभ, कर के बाद लाभ, लाभांश, शेयरहोल्डरों की निधि, धारित पूंजी निधियां बनाम विनियामक अपेक्षाएं, ग्राहकों की जमाराशियां, बैंकों द्वारा जमाराशियां, कुल आस्तियां तथा आंकड़ों के आधार पर निकाले जा सकने वाले कोई निष्कर्ष, जिनका बैंक के भविष्य के साथ संबंध हो सकता है।

## III. चालू और प्रस्तावित वित्तीय और पूंजी स्थितियों का सारांश

इस भाग में बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति तथा चालू बिजनेस प्रोफाइल में अपेक्षित बदलावों, जिस वातावरण में उसके परिचालन की आशा है, उसके प्रस्तावित बिजनेस प्लान (कारोबार की उचित

लाइन के द्वारा), प्रस्तावित वित्तीय पोजीशन तथा पूंजी के भावी नियोजित स्रोतों को स्पष्ट किया जाएगा।

संदर्भ के रूप में प्रयुक्त प्रारंभिक तुलनपत्र तथा मूल्यांकन जिस तारीख को किया गया, उसका उल्लेख किया जाए।

प्रस्तावित वित्तीय स्थिति में प्रस्तावित उपलब्ध पूंजी तथा प्रस्तावित पूंजी अपेक्षाओं को गिना जाना चाहिए, जो संभावित कारोबार योजना पर आधारित हो। तब इनसे ऐसा आधार उपलब्ध हो सकेगा, जिससे प्रतिकूल परिदृश्यों की तुलना की जा सके।

## IV. <u>पूंजी पर्याप्तता</u>

इस भाग की शुरुआत बैंक की जोखिम प्रवृत्ति (मात्रात्मक रूप में) के वर्णन से होगी, जैसा कि बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित और आईसीएएपी में प्रयुक्त है। दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक होगा कि जो प्रस्तुत किया जा रहा है, वह न्यूनतम **विनियामक आवश्यकताओं** को पूरा करने हेतु अपेक्षित पूंजी की राशि के प्रति बैंक के नजरिए को वर्णन करता है, या पूंजी की उस राशि को दर्शाता है, जो बैंक **व्यावसायिक योजनाओं की पूर्ति** करने के लिए आवश्यक समझता है। उदाहरणार्थ, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या अपेक्षित पूंजी बैंक द्वारा इच्छित किसी विशिष्ट क्रेडिट रेटिंग पर आधारित है या उसमें रणनैतिक प्रयोजनों से बफर शामिल हैं, या इसमें विनियामक अपेक्षाओं के उल्लंघन के मौके कम करने की कोशिश की गई है। जहां आंतरिक पूंजी मूल्यांकन के लिए आर्थिक पूंजी मॉडेलों का प्रयोग किया गया है, वहां विश्वास का स्तर, समय सीमा, तथा विश्वास से संबंधित घटना का वर्णन भी शामिल होना चाहिए। जहां पूंजी मूल्यांकन के लिए परिदृश्य विश्लेषण या अन्य साधनों का प्रयोग किया गया है, वहां प्रयुक्त परिदृश्यों की चयनित सख्ती को चुनने का औचित्य भी शामिल किया जाए।

इसके बाद इस भाग में बैंक की पूंजी पर्याप्तता की विस्तृत समीक्षा शामिल की जाएगी। उपलब्ध कराई गई सूचना में निम्नलिखित तत्व शामिल किए जाएंगेः

**समय**

- आईसीएएपी गणना की प्रभावी तारीख के साथ ही इस तारीख और बोर्ड/आरबीआई को प्रस्तुति की तारीख के बीच कोई ऐसी घटनाएं, जो आईसीएएपी गणनाओं पर गहरा असर डाले तथा उनका प्रभाव; और

- पूंजी अपेक्षाओं के मूल्यांकन के लिए चुनी गई समयावधि का ब्योरा और औचित्य।

**विश्लेषित जोखिमें**

- बैंक द्‌वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रेणी में बैंक द्‌वारा सामना की गई प्रमुख जोखिमों की पहचानः

  क) ऋण जोखिम
  ख) बाजार जोखिम
  ग) परिचालनगत जोखिम
  घ) चलनिधि जोखिम
  ङ) संकेंद्रण जोखिम
  च) बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
  छ) प्रतिभूतिकरण का अवशिष्ट जोखिम
  ज) रणनीतिगत जोखिम
  झ) कारोबार जोखिम
  ञ) प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम
  ट) पेंशन बाध्यता जोखिम
  ठ) अन्य अवशिष्ट जोखिम; और
  ड) अन्य कोई जोखिम, जिसकी पहचान की गई है

- इनमें से प्रत्येक जोखिम के लिए स्पष्टीकरण, कि जोखिम का मूल्यांकन कैसे किया गया और जहां तक संभव हो, उक्त मूल्यांकन के मात्रात्मक परिणाम;
- जहां इन जोखिमों को आरबीआई द्‌वारा बैंक के प्रत्यक्ष निरीक्षण की रिपोर्ट में शामिल किया गया है, वहां स्पष्टीकरण कि बैंक ने इन्हें कैसे कम किया;
- जहां प्रासंगिक हो, प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान आरबीआई द्‌वारा मूल्यांकित सीआरएआर के साथ आईसीएएपी के अंतर्गत बैंक के सीआरएआर गणनाओं के परिणामों की तुलना;
- बैंक की जोखिम प्रवृत्ति की मात्रात्मक रूप से स्पष्ट अभिव्यक्ति जिसमें जोखिम श्रेणियां और उनकी संगतता (उपयुक्तता) की सीमा के साथ ही बैंक की विभिन्न जोखिमों का समग्र मूल्यांकन; तथा
- जहां प्रासंगिक हो, पूंजी के अतिरिक्त बैंक द्‌वारा जोखिम कम करने के लिए प्रयुक्त किन्हीं अन्य तरीकों का स्पष्टीकरण।

**कार्यप्रणाली और पूर्वधारणाएं**

मुख्य जोखिमों में प्रत्येक का मूल्यांकन किस प्रकार किया गया तथा मुख्य पूर्वानुमान कैसे लगाए गए, इसका वर्णन।

उदाहरणार्थ, बैंक सीआरएआर गणनाओं के परिणामों के अतिरिक्त जोखिमों (जैसे, संकेंद्रण जोखिम, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम आदि) का अलग से मूल्यांकन करके तथा पिलर I गणनाओं में जोड़

कर उसके आधार पर आईसीएएपी बनाना चुन सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, बैंक सीआरएआर में शामिल अर्थात् ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों सहित सभी जोखिमों के लिए आंतरिक मॉडेल के आधार पर अपना आईसीएएपी चुन सकता है।

यहां दिए गए वर्णन से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से जोखिम किस मॉडेलिंग या गणना दृष्टिकोण में शामिल किए गए हैं। इसमें प्रत्येक निर्धारित श्रेणी में जोखिमों की गणना के लिए प्रयुक्त तरीके और प्रक्रिया का वर्णन होगा तथा प्रत्येक मामले में प्रयुक्त तरीके को चुनने के कारण देने होंगे।

जहां बैंक अपने जोखिमों के प्रमात्रीकरण के लिए आंतरिक मॉडेल का प्रयोग करेगा, इस भाग में उनमें से प्रत्येक मॉडल का स्पष्टीकरण देना चाहिएः

- पूंजी मॉडलिंग कार्य के भीतर मुख्य पूर्वानुमान और मापदंड तथा किसी मुख्य पूर्वानुमान से व्युत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में सूचना;
- मापदंडों का चयन कैसे किया गया, इसमें प्रयुक्त ऐतिहासिक अवधि और अंशांकन (कैलीब्रेशन) प्रक्रिया शामिल होंगे;
- मॉडल की सीमाएं;
- चयनित उन मुख्य पूर्वधारणाओं या मापदंड़ों में परिवर्तन के प्रति मॉडल की संवेदनशीलता; तथा
- मॉडल की निरंतर पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए  किया गया वैधीकरण का कार्य

जहां अन्य मॉडलिंग दृष्टिकोणों के परिणामों के वैधीकरण, पूर्ति या जांच करने हेतु दबाव परीक्षण या परिदृश्य विश्लेषण का प्रयोग किया गया है, वहां इस भाग में निम्नलिखित उपलब्ध कराया जाएगा:

- बैंक के आंतरिक पूंजी मॉडल द्वारा उचित अनुमान न लगाए गए जोखिमों को पकड़ने के लिए नकल (सिमुलेशन्स) का ब्योरा (जैसे अरेखिक (नॉन-लीनियर) उत्पाद, संकेंद्रण, अतरलता तथा संकट की अवधि में सह-संबंधों में बदलाव)
- बैंक द्वारा किए गए दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण के मात्रात्मक ब्योरे तथा विश्वास का स्तर और मुख्य अलग-अलग जोखिम तत्वों के लिए प्राप्त नतीजों के विभाजन सहित इन विश्लेषणों के पीछे मुख्य पूर्वानुमान;
- लागू किए गए संयुक्त प्रतिकूल परिदृश्यों की श्रेणी का ब्योरा, उन्हें कैसे निकाला और परिणामी पूंजी अपेक्षाएं; तथा
- जहां लागू हो, चयनित विशिष्ट व्यवसाय यूनिट या विशिष्ट व्यवसाय योजना के लिए किसी अतिरिक्त दबाव परीक्षण का ब्योरा।

**पूंजी अंतरणीयता**

संमिश्र ढांचे वाले बैंकों के मामले में बैंकिंग कारोबार(रों) में अथवा उसके बाहर पूंजी के अंतरण पर प्रबंधन की योग्यता पर कोई प्रतिबंध हो, उदाहरणार्थ, संविदा द्वारा, वाणिज्यिक, विनियामक अथवा

सांविधिक प्रतिबंध, जो भी लागू हों, का ब्योरा प्रस्तुत किया जाए। यदि समूह की हस्तियों द्वारा लाभांश के वितरण पर लागू कोई प्रतिबंध और लचीलापन हो, तो उसका भी वर्णन किया जाए। बैंक के विदेश में सहायक कंपनियों के मामले में विनियामक प्रतिबंधों में सहायक कंपनी के मेजबान देश के विनियामक को लाभांश की घोषणा के बाद स्वीकार्य न्यूनतम विनियामक पूंजी का स्तर शामिल होगा।

## V. पूरी फर्म में व्याप्त जोखिम निगरानी तथा जोखिम प्रबंधन के विशिष्ट पहलू[212]

V.1 बैंक में जोखिम प्रबंध प्रणाली

इस भाग में बैंक के भीतर पूंजी प्रबंधन ढांचे का वर्णन निम्नलिखित शैली में किया जाएगाः

- बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा चौकसी
- नीतियां, क्रियाविधियां और सीमाएं
- जोखिमों का निर्धारण, मापन, घटाव, नियंत्रण और रिपोर्ट करना
- पूरी फर्म में व्याप्त स्तर पर एमआईएस
- आंतरिक नियंत्रण

V.2 प्रतिभूतिकरण पर फोकस के साथ तुलनपत्रेतर एक्सपोजर

इस भाग में तुलनपत्रेतर एक्सपोजर, विशेषतः संरचित उत्पादों में बुनियादी अंतर्निहित जोखिमों पर विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया जाएगा। प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों का मूल्यांकन करते समय बैंक को आधारभूत एक्सपोजरों की क्रेडिट गुणवत्ता और जोखिम विशेषताओं का अच्छी तरह विश्लेषण करना चाहिए। इस भाग में निर्गमित देयताओं के संबंध में प्रतिभूतिकरण लेनदेनों में अंतर्निहित एक्सपोजरों की परिपक्वता भी विस्तार से स्पष्ट की जानी चाहिए ताकि संभावित परिपक्वता असंतुलनका मूल्यांकन किया जा सके।

V.3 प्रतिष्ठा जोखिम और अंतर्निहित समर्थन का मूल्यांकन

इस भाग में अंतर्निहित समर्थन की ओर ले जाने वाली प्रतिष्ठा जोखिम की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी, जिससे ऋण, बाजार और कानूनी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। इस भाग में बैंक की प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम के स्रोतों पर गहन चर्चा की जाएगी।

V.4 मूल्यन और चलनिधि जोखिम का मूल्यांकन

---

[212] दिनांक 8 फरवरी 2010 का मास्टर परिपत्र बैंपविव सं. बीपी. बीसी. 73/21.06.001/2009-10

इस भाग में जोखिम प्रबंधन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के एक्सपोजर के मूल्यन हेतु शासन संरचना और नियंत्रण प्रणालियों का वर्णन किया जाएगा, जिसमें अतरल स्थितियों के मूल्यन पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। इस भाग में बैंक जिन लिखतों और लेनदेनों में लगा है, उसके मूल्यन की स्थापना और सत्यापन के संबंध में प्रासंगिक ब्योरा होगा।

V.5 <u>दबाव परीक्षण प्रथाएं</u>

इस भाग में दबाव परीक्षण के उद्देश्यों के निर्धारण, परिदृश्यों को परिभाषित करने, दबाव परीक्षणों के परिणामों पर चर्चा करने, संभावित कार्रवाई का मूल्यांकन करने तथा दबाव परीक्षण के परिणामों के आधार पर निर्णय लेने में वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका को स्पष्ट किया जाएगा। इस भाग में सख्त और भविष्य-दर्शी दबाव परीक्षण का भी वर्णन किया जाएगा, जो ऐसी संभावित घटनाओं या बाजार स्थितियों में परिवर्तन की पहचान करते हैं, जो बैंक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक संबंधित अति-संवेदनशीलताओं की पहचान करने में बैंक के दबाव परीक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन करेगा।

V.6 <u>स्वस्थ क्षतिपूर्ति कार्यप्रणालियां</u>

इस भाग में बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली क्षतिपूर्ति प्रथाओं तथा वे दीर्घकालिक पूंजी संरक्षण और फर्म की वित्तीय मजबूती से किस प्रकार जुड़ी हैं, उसका वर्णन होगा। इस भाग में कर्मचारियों के लिए जोखिम समायोजित कार्य निष्पादन की गणना तथा क्षतिपूर्ति के साथ उसका संबंध, यदि हो, का स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।

## VI. <u>मुख्य संवेदनशीलताएं और भावी परिदृश्य</u>

इस भाग में यह स्पष्ट किया जाएगा कि कोई बैंक आर्थिक मंदी या व्यवसाय चक्र या बाजार में उसके क्रियाकलापों के संबंध में उतार की स्थिति में किस प्रकार प्रभावित होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक को अवगत कराना होगा कि बैंक न्यूनतम विनियामक स्तर को बनाए रखते हुए अपने कारोबार और पूंजी का किस प्रकार प्रबंध करेगा कि आर्थिक मंदी में उसका गुजारा चल सके। इस विश्लेषण में व्यवसाय योजना और ऋण शोधन क्षमता की गणना पर आधारित भावी, अर्थात् तीन से पांच वर्ष के लिए वित्तीय अनुमान शामिल होने चाहिएं।

इस विश्लेषण के प्रयोजन से आर्थिक मंदी की गंभीरता इतनी मानी जानी चाहिए, जो विशेष रूप से 25 वर्ष की अवधि में एक बार आती है। इसकी समय-सीमा आईसीएएपी गणना की तारीख से कल्पित आर्थिक मंदी के तीव्रतम भाग तक तो की ही जानी चाहिए।

विशिष्ट परिदृश्यों में निम्नलिखित शामिल होंगेः

- आर्थिक मंदी का प्रभाव कैसा होगा;
    - बैंक की पूंजी निधियों और भावी अर्जन पर;
    - बैंक के प्रस्तावित तुलनपत्र में भावी परिवर्तनों को हिसाब में लेते हुए बैंक के सीआरएआर पर;

- दोनों ही मामलों में यदि इन अनुमानों में बैंक की कारोबारी रणनीति में बदलाव करने के लिए प्रबंधन की कार्रवाई तथा आकस्मिकता योजनाओं को लागू करने के प्रभावों को अलग से दर्शाना उपयोगी होगा;
- भावी सीआरएआर के अनुमानों में बैंक के ऋण जोखिम प्रतिपक्षकारों (आर्थिक मंदी के दौरान उनके रेटिंग में प्रवासन सहित) के ऋणों की गुणवत्ता में परिवर्तनों का प्रभाव तथा बैंक की पूंजी और उसकी ऋण जोखिम पूंजी अपेक्षाएं शामिल होंगी;
- बैंक द्वारा अन्य किसी पूंजी आयोजना कार्रवाई का मूल्यांकन, ताकि वह पूरी आर्थिक मंदी के दौरान अपनी विनियामक पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करना जारी रख सके, जैसे संबंधित कंपनियों में से नई पूंजी का अंतःक्षेपण या नए शेयरों का निर्गमन;
- इस भाग में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि कौन से समष्टि आर्थिक कारकों पर दबाव पड़ रहा है और कैसे उन्हें बैंक के अर्जनों के चालकों के रूप में निर्धारित किया गया है। बैंक यह भी स्पष्ट करेगा कि समष्टि आर्थिक कारक किस प्रकार आंतरिक मॉडल के प्रमुख मापदंडों को प्रभावित करते हैं, उदाहरणार्थ इन दोनों के बीच संबंध कैसे स्थापित किया गया, यह व्यक्त करके।

**प्रबंधन के कार्य**

इस भाग में आईसीएएपी निकालने के लिए माने गए प्रबंधन के कार्यों का विस्तार से वर्णन किया जाएगा, विशेषतः

- प्रबंधन के कार्यों का मात्रात्मक प्रभाव - प्रमुख प्रबंधन कार्यों का संवेदनशीलता परीक्षण तथा प्रबंधन कार्यों को शामिल न करते हुए संशोधित आईसीएएपी आंकड़े।
- भूतकाल में आर्थिक दबाव को इसी प्रकार की अवधि के दौरान लागू किए गए प्रबंधन कार्यों का सबूत।

**VII. एकत्रीकरण और विविधीकरण**

इस भाग में यह वर्णन किया जाएगा कि विभिन्न अलग-अलग जोखिम मूल्यांकनों के परिणामों को कैसे एकत्र किया जाएगा और पूंजी पर्याप्तता पर एक समग्र दृष्टिकोण लिया जाएगा। अतएव, तकनीकी स्तर पर विभिन्न जोखिमों को जोड़ने के लिए किसी उचित मात्रात्मक तकनीक का प्रयोग करके कोई तरीका अपनाना आवश्यक होगा। व्यापक स्तर पर विस्तृत प्रमात्रीकरण दृष्टिकोणों के समग्र औचित्य की तुलना पूंजी आयोजना के विश्लेषण के परिणामों से की जा सकती है तथा वरिष्ठ

प्रबंधन द्वारा यह रुख लिया जा सकता है कि पूंजी का समग्र स्तर क्या हो, जिसे समुचित माना जा सकता है।

- तकनीकी एकत्रीकरण की प्रणाली की गणना में निम्नलिखित् पहलू शामिल किए जा सकते हैं:

i) जोखिमों के भीतर और जोखिमों के बीच कोई माना हुआ सह-संबंध तथा इस सह-संबंध का कितना मूल्यांकन किया गया है (दबाव की स्थितियों में सहित), को शामिल करते हुए विविधीकरण के लिए कोई गुंजाइश;

ii) कानूनी संस्थाओं के बीच विविधीकरण लाभों के लिए लिए गए किसी ऋण का औचित्य और वित्तीय दबाव के दौर में उनके बीच पूंजी की मुक्त गतिविधि, यदि कोई मानी जाए;

iii) प्रबंधन कार्यों को शामिल न करते हुए विविधीकरण लाभों का असर। सभी सह-संबंधों को '1' पर निर्धारित करके संशोधित आईसीएएपी आंकड़ों की गणना करना उपयोगी होगा, अर्थात् कोई विविधीकरण नहीं; और समान आंकड़े सह-संबंध '0' पर निर्धारित करके, अर्थात् यह मान कर कि सभी जोखिमें अलग-अलग हैं, अर्थात् पूर्ण विविधीकरण।

- समग्र मूल्यांकन के संबंध में, इसमें यह वर्णित होना चाहिए कि निम्नलिखित जैसे मामलों को हिसाब में लेते हुए बैंक ने अपनी आवश्यकता के अनुसार पूंजी का समग्र मूल्यांकन कैसे किया:

  i) किसी मॉडलिंग दृष्टिकोण की बुनियादी अनिश्चितता;

  ii) बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, प्रणालियों या नियंत्रणों में कमजोरियां;

  iii) विनियामक पूंजी और आंतरिक पूंजी के बीच अंतर; तथा

  iv) पूंजी द्वारा पूर्ति किए जाने वाले विभिन्न प्रयोजन शेयरहोल्डर प्रतिफल, पूरे बैंक या बैंक द्वारा जारी कुछ ऋण लिखतों के लिए रेटिंग लक्ष्य, विनियामक हस्तक्षेप से बचना, अनिश्चित घटनाओं के विरुद्ध संरक्षण, जमाकर्ता संरक्षण, कार्यशील पूंजी, रणनीतिगत अधिग्रहणों के लिए धारित पूंजी, आदि।

**VIII. आईसीएएपी का परीक्षण और अपनाना**

इस भाग में आईसीएएपी का कितना विरोध और परीक्षण किया गया, उसका वर्णन किया जाएगा। इसलिए, इसमें आईसीएएपी मॉडलों और गणनाओं में प्रयुक्त परीक्षण और नियंत्रण प्रक्रियाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें वरिष्ठ प्रबंधन या बोर्ड द्वारा परीक्षण के परिणामों की समीक्षा की प्रक्रिया तथा परिणामों के अनुमोदन का भी वर्णन किया जाना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजे गए आईसीएएपी प्रलेख के साथ इस संबंध में बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किसी संबंधित रिपोर्ट के साथ ही उनका प्रत्युत्तर भी संलग्न किया जाना चाहिए।

परीक्षण प्रक्रिया में किसी बाहरी सेवा प्रदाता या परामर्शदाता पर भरोसा किया गया हो, उदाहरणार्थ, आर्थिक परिदृश्य उत्पन्न करने हेतु, तो उसका ब्योरा भी यहां दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, यदि बाहरी समीक्षक या आंतरिक लेखा परीक्षक से कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई हो, तो उसकी प्रतिलिपि भी भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जानी चाहिए।

### IX. बैंक के भीतर आईसीएएपी का प्रयोग

इस भाग में यह दर्शाने वाली सूचना निहित होगी, कि बैंक की पूंजी प्रबंधन नीति के भीतर पूंजी मॉडलिंग या परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण की सीमा और प्रयोग सहित बैंक के भीतर पूंजी प्रबंधन की अवधारणा किस सीमा तक सन्निहित है। उदाहरणार्थ, मूल्यांकन और प्रभारों और भावी कारोबार का स्तर और प्रकृति निर्धारित करने में आईसीएएपी का प्रयोग इस संबंध में एक संकेतक हो सकता है।

इस भाग में पूंजी प्रबंधन पर बैंक के वास्तविक परिचालनात्मक तर्कशास्त्र/तत्वज्ञान तथा प्रस्तुत आईसीएएपी प्रलेख में यह कैसे ठीक बैठता है, के बारे में एक विवरण भी शामिल होगा। उदाहरणार्थ आईसीएएपी प्रलेख तैयार करते समय प्रयुक्त जोखिम प्रवृत्ति की तुलना में व्यावसायिक निर्णयों के लिए प्रयुक्त जोखिम प्रवृत्ति पर चर्चा की जा सकती है।

अंत में, बैंकों को आईसीएएपी में यदि किन्हीं भावी संशोधनों का पूर्वानुमान हो (चालू कार्यों के पहलुओं को रेखांकित करते हुए) तो उसका ब्योरा तथा अन्य कोई सूचना, जो बैंक के मतानुसार आईसीएएपी प्रलेख की समीक्षा करने में भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए उपयोगी होगी, भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

**अनुबंध 16**
**(देखें पैरा 4.2)**

## अतिरिक्त टियर 1 पूंजी लिखतों की पूर्व-विनिर्दिष्ट ट्रिगर पर तथा सभी गैर-इक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों की अव्यवहार्यता बिंदु पर हानि अवशोषणता सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम अपेक्षाएं[213]

1. परिचय

**1.1** जैसा कि बासल III पूंजी विनियमावली के पैरा 4.2.4 में बताया गया है, बासल III के अंतर्गत जब बैंक लाभप्रद स्थिति में हो, टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने वाले गैर-सामान्य इक्विटी तत्वों को हानि अवशोषण करना चाहिए। इस संबंध में अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड यह है कि इन लिखतों में प्रमुख हानि अवशोषण (i) सामान्य शेयरों में परिवर्तन अथवा (ii) राइट-डाउन प्रणाली द्वारा होना चाहिए, जो इन लिखतों के बीच वस्तुगत पूर्व-विनिर्दिष्ट ट्रिगर बिंदु पर हानियों का बंटवारा करता है।

**1.2** वित्तीय संकट के दौरान अनेक विपदाग्रस्त बैंकों को सरकारी क्षेत्र द्वारा सामान्य इक्विटी तथा टियर1 पूंजी के अन्य रूपों में निधियों का अतःक्षेपण करके राहत दी गई थी। हालांकि इसके प्रभाव से जमाकर्ताओं को सहायता मिली थी, किंतु इसका अर्थ यह भी था कि टियर 2 पूंजी लिखत (मुख्यतः गौण ऋण) और कुछ मामलों में टियर 1 लिखतों ने कतिपय बड़े अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों द्वारा की गई हानियों का अवशोषण नहीं किया। यदि सरकारी क्षेत्र ने सहायता उपलब्ध नहीं कराई होती, तो वे डूब जाते/दिवालिया हो जाते। अतएव बासल III की अपेक्षा है कि किसी बैंक द्वारा जारी किए गए सभी गैर-सामान्य टियर 1 और टियर 2 पूंजी लिखतों के निबंधनों और शर्तों में यह उपबंध अवश्य होना चाहिए जिसमें ट्रिगर घटना होने पर संबंधित प्राधिकारी के विकल्प के द्वारा ऐसे लिखतों को राइट-ऑफ अथवा सामान्य इक्विटी में परिवर्तित किया जा सकता है।

**1.3** अतएव, बैंक द्वारा जारी किए गए किसी लिखत को अतिरिक्त (अर्थात् गैर-सामान्य) टियर 1 अथवा टियर 2 पूंजी में शामिल करने की दृष्टि से **अनुबंध 3, 4, 5 और 6** में उल्लिखित अलग-अलग प्रकार के गैर-इक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों के लिए मानदंडों के अलावा उसे निम्नलिखित पैराग्राफों में निर्धारित की गई न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति या उससे अधिक करनी होगी।

---

[213] कृपया 'भारत में बासल III पूंजी विनियमावली का कार्यान्वयन - संशोधन' पर दिनांक **1** सितंबर **2014 के परिपत्र** बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 38/21.06.201/2014-15 का पैरा 2 देखें।

## 2. अतिरिक्त टियर 1 (एटी1) लिखतों का पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर पर हानि अवशोषण

### *1. हानि अवशोषण विशेषताएं*

**2.1** एटी 1 पूंजी लिखतों[214] के मानदंडों में से एक यह है कि इन लिखतों में या तो

(i) सामान्य शेयरों में परिवर्तन, अथवा

(ii) राइट-डाउन पद्धति, जो लिखतों को हानियों का बंटवारा करती है,

के द्वारा एक वस्तुनिष्ठ पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर बिंदु पर मुख्य हानि अवशोषण होना चाहिए। राइट डाउन के निम्नलिखित प्रभाव होंगे :

(क) परिसमापन में लिखत का दावा कम करना;

(ख) जब क्रय (call) का प्रयोग किया जाता है तब चुकौती की राशि घटाना; और

(ग) लिखत पर कूपन/लाभांश के भुगतान को आंशिक या पूर्ण रूप से कम करना।

**2.2** तदनुसार, बैंक संपरिवर्तन[215] अथवा राइट-डाउन (अस्थायी या स्थायी)[216] प्रणाली के साथ एटी1 लिखत जारी कर सकते हैं।

### ***II. संपरिवर्तन/राइट-डाउन के द्वारा निर्मित पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर का स्तर तथा इक्विटी की राशि***

**2.3** अतिरिक्त टियर I लिखतों (पीएनसीपीएस तथा पीडीआई) पर संपरिवर्तन/राइट-डाउन के माध्यम से पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर पर हानि अवशोषण कम से कम जोखिम भारित आस्तियों[217] के 6.125% सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी का होना चाहिए। किसी अतिरिक्त टियर 1 पूंजी लिखत के राइट-डाउन से पहले किसी भी सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजीका राइट-डाउन करना अपेक्षित नहीं होगा।

---

[214] कृपया "भारत में बासल III पूंजीविनियमावली के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश" पर दिनांक 02 मई 2012 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 98/21.06.201/2011-12 के परिशिष्ट 4 और 5 देखें।

[215] संपरिवर्तन का मतलब है सामान्य शेयरों में परिवर्तन।

[216] जब किसी प्रदत्त लिखत को पूर्णतः और स्थायी रूप से रिटन डाउन किया जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक की देयता (एक गैर-सामान्य इक्विटी लिखत) समाप्त हो जाती है और सीईटी 1 उत्पन्न होती है। एक अस्थायी राइट-डाउन किसी संपरिवर्तन और स्थायी राइट-डाउन से अलग होता है, अर्थात् इसमें मूल लिखत पूर्णतः समाप्त नहीं होता। सामान्यतः लिखत का सम-मूल्य ट्रिगर घटना के घटित होने पर रिटर्न-डाउन किया जाता है (घटा दिया जाता है) तथा उसे भविष्य में उसके मूल मूल्य तक रिर्टन-अप (बढ़ाया) जा सकता है। यह लिखत में निर्धारित निबंधनों और शर्तों पर निर्भर करता है। अस्थायी राइट-डाउन के बाद तुलनपत्र में दर्शाई गई राशि लिखत को स्पष्ट विशेषताओं तथा प्रचलित लेखांकन मानकों पर निर्भर करेगी।

[217] 31 मार्च 2019, अर्थात् बासल III के पूर्ण कार्यान्वयन से पूर्व जारी किए गए सभी एटी 1 लिखतों में दो पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर होंगे। आरडब्ल्यूएएस के 5.5% की सीईटी 1 पर न्यूनतम पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर 31 मार्च 2019 से पहले लागू और प्रभावी होगा; इस तारीख के बाद ऐसे सभी लिखतों के लिए ट्रिगर को आरडब्ल्यूएएस के 6.125% की सीईटी 1 तक बढ़ा दिया जाएगा। 31 मार्च 2019 को या उसके बाद जारी एटी 1 लिखतों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर आरएलएएस के 6.125% की सीईटी 1 पर ही होगा।

**2.4** संपरिवर्तन/राइट-डाउन पद्धति (अस्थायी या स्थायी), जो अतिरिक्त टियर 1 लिखतों (एटी 1) पर हानियों का बंटवारा करती है, को लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत सामान्य इक्विटी टियर I (सीईटी 1) अवश्य उत्पन्न करना चाहिए। इन लिखतों को एटी 1 पूंजी में मान्यता लिखतों के पूर्ण राइट-डाउन/संपरिवर्तन के द्वारा केवल उत्पन्न सीईटी 1 (अर्थात् भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त आकस्मिक देयता, संभावित कर देयताओं आदि, यदि हों,को घटा कर) के न्यूनतम स्तर की सीमा तक ही प्राप्त होगी।

**2.5** बैंकों को सांविधिक लेखा-परीक्षकों से एक प्रमाण पत्र लेना चाहिए, जिसमें स्पष्ट कहा गया हो कि बैंक द्वारा एक विशिष्ट एटी 1 निर्गम के लिए चुनी गई संपरिवर्तन/राइट-डाउन पद्धति मौजूदा लेखांकन मानकों[218] के अंतर्गत सीईटी 1 उत्पन्न करने में समर्थ है। इसके अतिरिक्त, बैंकों केा एक बाहरी कानूनी सलाह भी प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें पुष्टि की गई हो कि जारीकर्ता बैंक द्वारा पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर पर अतिरिक्त टियर 1 पूंजी लिखत का संपरिवर्तन या राइट-डाउन करना कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है। प्रचालन के संबंधित ब्योरों की रिपोर्टिंग के साथ ही दोनों रिपोर्टें भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग विनियमन विभाग) को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**2.6** ट्रिगर स्तर का उल्लंघन होने पर राइट-डाउन/संपरिवर्तन किए जाने वाले सभी एटी 1 लिखतों की समग्र राशि कम से कम उतनी तो होनी ही चाहिए, जितनी बैंक को सीईटी 1 अनुपात के ट्रिगर स्तर पर लौटाने के लिए तत्काल आवश्यकता है अथवा यदि यह संभव न हो, तो लिखतों की पूर्ण मूल मूल्य तक होनी चाहिए। इसके अलावा, जारीकर्ता के पास संपरिवर्तन/राइट डाउन किए जाने वाले एटी 1 लिखतों की राशि निर्धारित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होना चाहिए, बशर्ते संपरिवर्तन/राइट-डाउन की राशि उस रशि से अधिक न हो, जो सीईटी1 अनुपात को आरडब्ल्यूए के 8% (5.5% की न्यूनतम सीईटी 1 + 2.5% का पूंजी संरक्षण बफर) पर लाने के लिए आवश्यक हो।

**2.7** जब कोई बैंक एटी 1 के हानि अवशोषण के पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर का उल्लंघन करता है और संपरिवर्तन अथवा राइट-डाउन के द्वारा इक्विटी की पुनः पूर्ति की जाती है, तो पूंजी

---

[218] केवल लिखत जारी करते समय ही नहीं, बल्कि जब भी लेखांकन मानदंड/मानक, जो साईटी 1 उत्पन्न करने हेतु लिखत की हानि अवशोषण प्रणाली की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, में परिवर्तन होता है, लेखा-परीक्षकों का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

संरक्षण बफर का रख-रखाव करने के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार लाभांश की अदायगी करने के लिए आमदनी के अनुपात का निर्धारण करने के प्रयोजन से इक्विटी की ऐसी पुनः पूर्ति की राशि को बैंक की कुल इक्विटी में शामिल नहीं किया जाएगा। तथापि, एक बार जब बैंक पुनः पूर्ति की गई इक्विटी पूंजी को गिने बिना 8% का कुल सामान्य इक्विटी अनुपात प्राप्त कर लेता है, तो उस बिंदु से आगे बैंक सभी प्रयोजनों से पुनःपूर्तित इक्विटी पूंजी को शामिल कर सकता है[219]।

**2.8** यदि पहले संपरिवर्तन/राइट-डाउन, जो आंशिक था, के बाद बैंक पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर स्तर पर पहुंच जाता है, तो एक से अधिक बार संपरिवर्तन/राइट-डाउन की अनुमति दी जा सकती है।

**2.9** एटी 1 लिखतों के संपरिवर्तन/राइट-डाउन का प्राथमिक उद्देश्य हानियों के द्वारा जर्जर होने की स्थिति में इक्विटी की पुनः पूर्ति करना है। अतएव, बैंकों को अतिरिक्त दायित्व उठाकर आस्तियों की बुकिंग करके तुलन पत्र के विस्तार को संभालने के लिए संपरिवर्तन/राइट-डाउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तदनुसार, कोई बैंक जिसका सामान्य इक्विटी अनुपात हानियों के कारण 8% से नीचे गिर गया हो, किंतु अब भी 6.125%, अर्थात् ट्रिगर बिंदु से ऊपर हो को केवल अपने विद्यमान शेयरधारकों या बाजार और आंतरिक उपचय के द्वारा नई इक्विटी जुटा कर अपने तुलन पत्र के विस्तार का प्रयास करना चाहिए। तथापि, नए एक्सपोजर विद्यमान एक्सपोजरों के परिशोधन की सीमा तक ही लिए जा सकते हैं। यदि एक्सपोजरों में कोई विस्तार, जैसे स्वीकृत उधार सीमाओं के आहरण द्वारा गिरावट के कारण, अपरिहार्य हो, तो अन्य एक्सपोजरों में कमी करके अल्पतम संभव समय में इसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए[220]। बैंक को उचित अभिलेख रखने चाहिए, ताकि आंतरिक लेखा-परीक्षकों, सांविधिक लेखा-परीक्षकों और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा इन लेनदेनों के सत्यापन में सुविधा हो।

---

[219] यदि बैंक का कुल साईटी 1 अनुपात दुबारा 8% से नीचे गिर जाता है, तो पूंजी संरक्षण बफर संरचना लागू करने के प्रयोजन से वह पुनः पूर्ति की गई पूंजी को शामिल करेगा।

[220] ट्रिगर के उल्लंघन के निर्धारण के प्रयोजन से सीईटी 1के 8% के नीचे गिर जाने के बाद जुटाई गई नई इक्विटी, यदि कोई हो, को घटाया नहीं जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि बैंक का सीईटी 1 अब ट्रिगर स्तर से ऊपर है, जबकि यदि नई इक्विटी नहीं जुटाई गई होती तो यह ट्रिगर से नीचे होता तो ट्रिगर का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

***III. बैंक के ठप्प होने, समामेलन, अधिग्रहण, पुनर्रचना आदि स्थितियों में एटी 1 लिखतों का ट्रीटमेंट***

**2.10** यदि एटी 1 लिखतों का राइट-डाउन/संपरिवर्तन करने से पहले बैंक परिसमापन में जाता है तो ये लिखत प्रस्ताव प्रलेख में उल्लिखित वरीयता के क्रम तथा प्रभारों की प्राथमिकता शासित करने वाले सामान्य विधिक प्रावधानों के अनुसार हानि अवशोषण करेंगे।

**2.11** यदि बैंक एटी 1 लिखतों को राइट-डाउन करने के बाद परिसमापन में जाता है, तो इन लिखतों के धारकों का परिसमापन की आय पर कोई दावा नहीं रहेगा।

*(क) बैंकिंग कंपनी का समामेलन: (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44 क)*

**2.12** यदि एक बैंक का किसी अन्य बैंक के साथ समामेलन एटी 1 लिखतों के राइट-डाउन/संपरिवर्तन से पहले होता है, तो ये लिखत विलयन के बाद उभरने वाले नए बैंक की विनियामक पूंजी के अनुरूप श्रेणियों का एक भाग बन जाएंगी।

**2.13** यदि एटी 1 लिखतों के अस्थायी राइट-डाउन के बाद कोई बैंक किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित होता है, तो समामेलित संस्था अपने विवेकाधिकार के अनुसार इन लिखतों को राइट-अप कर सकती है।

**2.14** यदि गैर-इक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों को स्थायी रूप से राइट डाउन करने के बाद कोई बैंक किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित होता है, तो समामेलित संस्था द्वारा इन्हें राइट -अप नहीं किया जा सकता।

*(ख)* बैंकिंग कंपनी के पुनर्गठन या समामेलन की योजना *(बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45)*

**2.15** यदि संबंधित प्राधिकारी बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 45 के अधीन किसी बैंक का पुनर्गठन या किसी अन्य बैंक के साथ समामेलन करने का निर्णय लेते हैं तो ऐसे

बैंक को अव्यवहार्य अथवा अव्यवहार्यता की ओर अग्रसर माना जाएगा तथा एटी 1 लिखतों के संपरिवर्तन/राइट-डाउन के लिए पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर तथा अव्यवहार्यता बिंदु पर ट्रिगर[221], दोनों सक्रिय हो जाएंगे। तदनुसार, इन नियमों के अनुसरण में समामेलन/पुनर्गठन से पहले एटी 1 लिखतों को पूर्णतः संपरिवर्तन/स्थायी रूप से राइट डाउन कर दिया जाएगा।

### *IV. संपरिवर्तन मूल्य का निर्धारण, शेयरों/मताधिकारों की संख्या की अधिकतम सीमा तय करना/कैपिंग*

**2.16** बैंक संपरिवर्तन विशेषताओं के साथ एटी 1 लिखत जारी कर सकते हैं, जो या तो जारी करते समय नियत कीमत के आधार पर होंगे या संपरिवर्तन के समय प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर होंगे[222]।

**2.17** यह संभावना होगी कि संपरिवर्तन के समय शेयरों का मूल्य बहुत कम होने की स्थिति में ऋण धारक बड़ी संख्या में शेयर प्राप्त करेंगे। इस प्रकार, ऋण धारकों के पास विधिक रूप से अनुमत सीमाओं से अधिक बड़ी संख्या में शेयर और संलग्न मताधिकार होंगे। अतएव, बैंकों को किसी सांविधिक/विनियामक अधिकतम सीमा, विशेषतः प्रति निवेशक/संबंधित निवेशकों के समूह के लिए अधिकतम निजी शेयर धारिताओं और अधिकतम मताधिकारोंसे संबंधित, का उल्लंघन किए बिना संपरिवर्तन के कारण अतिरिक्त इक्विटी का समायोजन करने के लिए हमेशा पर्याप्त गुंजाइश रखनी चाहिए। इसे हासिल करने की दृष्टि से बैंकों को शेयरों तथा/अथवा मताधिकारों की संख्या पर बैंकों के स्वामित्व और शासन से संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार अधिकतम सीमा तय करनी चाहिए। बैंकों को लिखत के प्रस्ताव प्रलेख के निबंधनों और शर्तों में इन विशेषताओं को समुचित रूप से शामिल करना चाहिए। अपवादात्मक परिस्थितियों में, यदि उल्लंघन अपरिहार्य हो, तो बैंक को इस बार में तत्काल भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करना चाहिए। निवेशकों से अपेक्षित होगा कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग विनियमन विभाग) द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपनी शेयरधारिताओं को सांविधिक विनियामक अधिकतम सीमाओं से नीचे ले आएं।

---

[221] जैसाकि इस अनुबंध के आगामी पैरा 3 में वर्णित है।

[222] यहां बाजार कीमत का आशय संपरिवर्तन की तारीख को प्रचलित कीमत नहीं है; बैंक संपरिवर्तन से पहले किसी विशिष्ट अवधि के दौरान किसी भी मूल्य निर्धारण फॉर्मूला, जैसे शेयरों का भारित औसत मूल्य का प्रयोग कर सकते हैं।

**2.18** असूचीबद्ध बैंकों के मामले में संपरिवर्तन मूल्य का निर्धारण बैंक के सामान्य शेयरों के उचित मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसका अनुमान परस्पर स्वीकार्य पद्धति के अनुसार हो, जो असूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के मूल्यन के लिए मानक बाजार व्यवहार के अनुकूल होना चाहिए।

**2.19** यह मानदंड सुनिश्चित करने के लिए कि यदि ट्रिगर घटना होती है, तो जारीकर्ता बैंक द्वारा हर समय लिखत के निबंधनों और शर्तों में विनिर्दिष्ट प्रासंगिक संख्या में तत्काल शेयर जारी करने के लिए सभी आवश्यक पूर्व-प्राधिकार रखे जाने चाहिए, संपरिवर्तन पहलुओं का ध्यान रखने के लिए प्रत्येक बैंक के पूंजी उपनियम (clause) को उचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

*V. विभिन्न प्रकार के एटी 1 लिखतों के संपरिवर्तन/राइट डाउन का क्रम*

**2.20** बैंकों को अपने कानूनी सलाहकारों की सलाह के आधार पर प्रस्ताव प्रलेख में ही संबंधित लिखत बनाम अन्य पूंजी लिखत, जिन्हें बैंक पहले ही जारी कर चुका है, अथवा भविष्य में जारी कर सकता है के संपरिवर्तन/राइट डाउन के क्रम का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।

## 3. गैर-इक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों के अव्यवहार्यता बिंदु पर हानि - अवशोषकता सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं

*I. हानि अवशोषण के प्रकार और ट्रिगर घटना*

**3.1** भारत में बैंकों द्वारा जारी किए गए सभी गैर-सामान्य इक्विटी टियर 1 और टियर 2 पूंजी लिखतों के निबंधनों और शर्तों में एक उपबंध/प्रावधान होना चाहिए जिसमें यह अपेक्षित हो कि नीचे निर्धारित ट्रिगर घटना, जिसे अव्यवहार्यता बिंदु (पीओएनवी) ट्रिगर कहा जाता है, के घटित होने पर ऐसे लिखत भारतीय रिज़र्व बैंक की इच्छानुसार/के विकल्प पर या तो राइट ऑफ किए जाएंगे, या सामान्य इक्विटी में संपरिवर्तित किए जाएंगे।

*(i) पीओएनवी ट्रिगर घटना निम्नलिखित से पहले है:*

क) यह निर्णय कि संपरिवर्तन[223] या राइट ऑफ[224] आवश्यक है, जिसके बिना फर्म अव्यवहार्य बन जाएगी, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है, तथा

ख) यह निर्णय कि सरकारी क्षेत्र से पूंजी का अंतःक्षेपण किया जाए अथवा उसके समान सहायता दी जाए, जिसके बिना फर्म अव्यवहार्य बन जाएगी, जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है।

किसी भी गैर-इक्विटी (अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2) विनियामक पूंजी लिखत को राइट ऑफ करने से पहले किसी सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी को राइट ऑफ करना अपेक्षित नहीं होगा।

(ii) ऐसे निर्णय का निरपवाद रूप से मतलब यह होगा कि ट्रिगर घटना के उपरांत संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप राइट ऑफ या कोई नए शेयर जारी करना सरकारी क्षेत्र से किसी पूंजी के अंतःक्षेपण से पहले किया जाना चाहिए, ताकि सरकारी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई पूंजी कम न हो जाए। इसलिए, लिखत के संविदात्मक निबंधनों और शर्तों में जारीकर्ता पर किन्हीं अवशिष्ट दावों की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जो ट्रिगर घटना के बाद और जब संपरिवर्तन या राइट ऑफ किया जाए, बैंक (या बैंकिंग समूह हस्ती, जहां लागू हो) के सामान्य शेयरों से वरीय हों।

(iii) राइट ऑफ[225] के परिणामस्वरूप लिखत धारकों को अदा की जाने वाली कोई क्षतिपूर्ति सामान्य शेयरों के रूप में तत्काल अदा की जानी चाहिए।

(iv) यदि ट्रिगर घटना होती है, तो जारीकर्ता बैंक द्वारा हर समय लिखत के निबंधनों और शर्तों में विनिर्दिष्ट प्रासंगिक संख्या में तत्काल शेयर जारी करने के लिए सभी आवश्यक पूर्व-प्राधिकार रखे जाने चाहिए।

---

[223] संपरिवर्तन का आशय है सामान्य शेयरों में पूर्ण संपरिवर्तन।

[224] राइट-ऑफ का आशय है पूर्णतः और स्थायी रूप से राइट-ऑफ।

[225] सामान्य शेयरों के रूप में प्रतिपूर्ति को (क) मूल लिखत के स्थायी राइट-ऑफ तथा (ख) गैर-इक्विटी पूंजी लिखत जिन्हें राइट ऑफ किया गया, के एवज में उनकी समाप्ति की क्षतिपूर्ति के रूप में जारी नए सामान्य शेयरों के निर्माण को समकालीन घटनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। लेखांकन मानकों के अंतर्गत सूक्ष्म पद्धतियां अलग हो सकती हैं। पूर्ण और स्थायी राइट-ऑफ के मामले में कोई क्षतिपूर्ति (अर्थात् शून्य सामान्य शेयर) अदा नहीं की जाती।

(v) इन अपेक्षाओं की पूर्ति की गई है यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग विनियमन विभाग) को एक बाह्य विधिक मत प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अव्यवहार्यता बिंदु पर गैर-इक्विटी पूंजी लिखतों (अतिरिक्त टियर 1 अथवा टियर 2) का संपरिवर्तन या राइट ऑफ करना विधिक रूप से प्रवर्तनीय है[226]। इसके अतिरिक्त, विधिक मत में यह भी पुष्टि की जानी चाहिए कि ट्रिगर घटना होने पर लिखतों को बैंक (अथवा एक बैंकिंग समूह संस्था, जहां लागू हो) के साधारण शेयरों में संपरिवर्तित करने या राइट ऑफ करने में कोई कानूनी बाधाएं नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों से अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा भी कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे लिखत विनियामक पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं।

### *II. एक अव्यवहार्य बैंक*

**3.2** इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन से अव्यवहार्य बैंक होगाः

ऐसा बैंक, जो अपनी वित्तीय और अन्य कठिनाइयों के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक के मत में लाभप्रद संस्था न रह गया हो, जब तक कि इसके परिचालनों को पुनर्जीवित करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए जाते और इस प्रकार इसे लाभप्रद संस्था के रूप में बनाए नहीं रखा जाता। बैंक द्वारा जिन कठिनाइयेां का सामना किया जा रहा है, वे ऐसी होनी चाहिए जिनका संभाव्य परिणाम वित्तीय हानियां हो, तथा बैंक को अव्यवहार्य होने से बचाने के लिए बैंक की सामान्य इक्विटी 1 पूंजी जुटाना सबसे उचित तरीका माना जाना चाहिए। ऐसे उपायों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उचित माने गए अन्य उपायों के साथ या उनके बिना गैर-इक्विटी विनियामक पूंजी का राइट ऑफ/सामान्य शेयरों में संपरिवर्तन शामिल किया जाना चाहिए[227]।

### ***III. व्यवहार्यता बहाल करना***

---

[226] बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को पूंजी लिखत जारी करने संबंधी ब्योरा रिपोर्ट करते समय इसे प्रस्तुत किया जाए।

[227] बिरली/असामान्य स्थितियों में कोई बैंक वित्तेतर समस्याओं के कारण भी अव्यवहार्य बन सकता है, जैसे बैंक के कार्य इस तरीके से करना, जो जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल हो, गंभीर कॉर्पोरेट गवर्नेंस समस्याएं आदि। ऐसी स्थितियों में पूंजी जुटाने को समाधान को भाग नहीं माना जाता और इसलिए, इस संरचना के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

**3.3** वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाले और पीओएनवी की ओर अग्रसर बैंक को व्यवहार्यता प्राप्त माना जाएगा यदि उसे पुनर्जीवित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और यदि रिज़र्व बैंक के मत में उचित समय के भीतर वह वर्तमान कठिनाइयों से बाहर आ जाता है। राइट ऑफ/संपरिवर्तन/सरकारी क्षेत्र से निधियों के अंतक्षेपण के माध्यम से इक्विटी पूंजी के संवर्धन सहित उपायों के कारणः

क. जमाकर्ताओं/निवेशकों का विश्वास पुनः स्थापित करने;
ख. बैंक की रेटिंग/ऋण पात्रता में सुधार लाना और उसके द्वारा बैंक की उधार क्षमता और चलनिधि में सुधार और निधियों की लागत में कमी होने; तथा
ग. निधियों के नए अंतक्षेपण के मामले में तुलन पत्र विकास के निधीयन हेतु संसाधन आधार बढ़ने की संभावना है।

### *IV. पीओएनवी पर हानि अवशोषण करने की दृष्टि से गैर-सामान्य इक्विटी पूंजी लिखतों द्वारा पूरी की जाने वाली अन्य अपेक्षाएं*

**3.4** लिखतों को निम्नलिखित में से किसी एक विशेषता के साथ जारी किया जा सकता हैः

क. संपरिवर्तन; अथवा
ख. स्थायी रूप से राइट ऑफ

**3.5** संपरिवर्तित/राइट ऑफ की जाने वाली गैर-इक्विटी पूंजी की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तय की जाएगी।

**3.6** जब कोई बैंक पीओएनवी ट्रिगर का उल्लंघन करता है और संपरिवर्तन अथवा राइट ऑफ के माध्यम से इक्विटी की पुनः पूर्ति की गई हो, तो पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखने के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार लाभांश के रूप में अदायगी के लिए आमदनी का अनुपात तय करने के प्रयोजन से बैंक की कुल इक्विटी में ऐसी पुनः पूर्ति की गई इक्विटी को शामिल नहीं किया जाएगा। तथापि, एक बार जब बैंक ने पुनः पूरित इक्विटी पूंजी को गिने

बिना सामान्य इक्विटी का 8% अनुपात प्राप्त कर लिया, तो उस बिंदु के बाद बैंक सभी प्रयोजनों के लिए पुनःपूरित इक्विटी पूंजी को शामिल कर सकता है[228]।

**3.7** बैंक के ठप्प होने, समामेलन, अधिग्रहण, पुनर्गठन आदि स्थितियों में एटी 1 लिखतों के ट्रीटमेंट के संबंध में प्रावधान, जो कि पैराग्राफ 2.10 से 2.15 में दिए गए हैं, सभी गैर-सामान्य इक्विटी पूंजी लिखतों (एटी 1 और टियर 2 पूंजी लिखत) पर भी लागू होंगे, जब पीओएनवी पर संपरिवर्तन/राइट ऑफ के बाद ये घटनाएं होंगी।

**3.8** ऊपर पैरा 2.16 से 2.19 तक दिए गए संपरिवर्तन मूल्य, एटी 1 लिखतों पर लागू शेयरों की संख्या/मताधिकारों की अधिकतम सीमा तय करने के संबंध में प्रावधान सभी गैर-सामान्य इक्विटी पूंजी लिखतों (एटी 1 और टियर 2 पूंजी लिखत) के पीओएनवी पर संपरिवर्तन के संबंध में भी लागू होंगे।

**3.9** एटी1 लिखतों के संपरिवर्तन/राइट-डाउन के क्रम के संबंध में प्रावधान, जैसे कि ऊपर पैराग्राफ 2.20 में दिए गए हैं, सभी गैर-सामान्य इक्विटी पूंजी लिखतों (एटी 1 और टियर 2 पूंजी लिखतों) के पीओएनवी पर संपरिवर्तन/राइट-ऑफ के लिए भी लागू होंगे।

## *V. पीओएनवी का निर्धारण करने हेतु मानदंड*

**3.10** उक्त संरचना का अवलंब लिया जाएगा जब भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी बैंक को अव्यवहार्यता बिंदु तक पहुंचने वाला अथवा अव्यवहार्यता बिंदु तक पहुंच चुका घोषित किया जाता है किंतु भारतीय रिज़र्व बैंक के मत में :

क) ऐसी संभावना हो कि अन्य सहायक हस्तक्षेपों सहित या अनेक पूंजी सहायता के रूप में समय से हस्तक्षेप करने से बैंक का बचाव हो सकता है; तथा
ख) यदि उसे उपेक्षित किया जाए तो इन कमजोरियों के कारण बैंक को वित्तीय हानि पहुंचेगी और इस प्रकार उसके सामान्य इक्विटी स्तर में कमी आएगी।

---

[228] यदि बैंक का कुल सीईटी 1 अनुपात दुबारा 8% के कुल सामान्य इक्विटी अनुपात से नीचे गिर जाता है, तो पूंजी संरक्षण बफर संरचना लागू करने के प्रयोजन से वह पुनःपूर्ति की गई पूंजी को शामिल करेगा।

**3.11** गैर-इक्विटी विनियामक पूंजी तत्वों के राइट-ऑफ तथा/अथवा संपरिवर्तन का उद्देश्य बैंक के पूंजी स्तर को मजबूत करना है। बैंक की अव्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दो चरण वाली विधि अपनाएगा। **चरण 1** मूल्यांकन में पूर्णतः वस्तुनिष्ठ और मात्रा निर्धारित करने योग्य मापदंड निहित होंगे, जो यह दर्शाये या कि प्रथमदृष्टया बैंक द्वारा अव्यवहार्यता तक पहुंचने का मामला बनता है और इसलिए बैंक की वित्तीय स्थिति की गहनतर जांच आवश्यक है। **चरण 2** मूल्यांकन में पूरक व्यक्तिपरक मानदंड निहित होंगे, जो चरण 1 सूचना के साथ मिलकर यह निर्णय करने में सहायक होंगे कि क्या बैंक अव्यवहार्य बनने वाला है। इन मानदंडों का मूल्यांकन एक साथ किया जाएगा, न कि अलग-अलग।

**3.12** जैसे ही पीओएनवी की पुष्टि होगी, अगले कदम में यह तय करना होगा कि बैंक का बचाव केवल राइट-ऑफ/संपरिवर्तन के द्वारा होगा या सरकारी क्षेत्र से निधियों के अंतःक्षेपण के साथ राइट-ऑफ/संपरिवर्तन के द्वारा।

**3.13** पीओएनवी पर ट्रिगर का मूल्यांकन समेकित और एकल दोनों स्तरों पर किया जाएगा तथा किसी भी स्तर पर उल्लंघन संपरिवर्तन/राइट-ऑफ की शुरुआत करेगा।

**3.14** चूंकि पूंजी पर्याप्तता एकल और समेकित, दोनों स्तरों पर लागू है, बैंकों की सहायक कंपनियों, जिसमें विदेशों में स्थित सहायक कंपनियां शामिल हैं, द्वारा जारी किए गए पूंजी लिखतों के संबंध में अल्पमत वाले हितों को बैंकिंग समूह की समेकित पूंजी में केवल तभी शामिल किया जा सकता है, यदि इन लिखतों में पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर (एटी 1पूंजी लिखतों के मामले में)/पीओएनवी[229] पर हानि अवशोषण (सभी गैर-सामान्य इक्विटी पूंजी लिखतों के लिए) हो। इसके अतिरिक्त, जहां बैंक अपनी एकल पूंजी के अलावा अपनी सहायक कंपनी

---

[229] प्रत्येक सहायक कंपनी में निवेश करने की तारीख को मूल बैंक द्वारा प्रत्येक सहायक कंपनी में निवेश की लागू तथा प्रत्येक सहायक कंपनी की इक्विटी में मूल बैंक के भाग को एएस-21 के अनुसार निकाल दिया गया है। अतएव, पूर्ण-स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें बैंक की पूंजी के समान विशेषताएं हैं या नहीं। तथापि, पूर्णतः से कम स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के मामले में (अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की गैर-इक्विटी विनियामक पूंजी यदि तीसरी पार्टियों को जारी की हो तो, के मामले में) अल्पमत वाले हित बैंकिंग समूह के लिए उनके एकल स्तर पर गिनी गई पूंजी के ऊपर अतिरिक्त पूंजी का निर्माण करते हैं; अतः इसे केवल तभी शामिल किया जाना चाहिए जब इसमें (और परिणामस्वरूप उस श्रेणी की संपूर्ण पूंजी में) बैंक की पूंजी के समान विशेषताएं हों।

द्वारा जारी लिखतों को समेकित समूह की पूंजी में शामिल करना चाहता है, तो उस लिखत के निबंधनों और शर्तों में एक अतिरिक्त ट्रिगर घटना को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

*यह अतिरिक्त ट्रिगर घटना निम्नलिखित से पहले होगी :*

(1) यह निर्णय कि संपरिवर्तन या राइट-ऑफ, जिसके बिना बैंक या सहायक कंपनी अव्यवहार्य बन जाएगी आवश्यक है, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है; तथा

(2) सरकारी क्षेत्र द्वारा पूंजी डालने या उसके समान सहायता लेने का निर्णय, जिसके बिना बैंक या सहायक कंपनी अव्यवहार्य बन जाएगी, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है। ऐसे निर्णय में अपरिहार्य रूप से यह माना जाएगा कि ट्रिगर घटना होने के परिणामस्वरूप संपरिवर्तन या राइट-ऑफ या नये शेयर जारी करना सरकारी क्षेत्र से पूंजी के किसी अंतःक्षेपण से पहले होना चाहिए, ताकि सरकारी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई पूंजी कम न हो जाए।

**3.15** ऐसे मामलों में सहायक कंपनी को ऊपर पैरा 3.14 में बताए गए अनुसार अतिरिक्त ट्रिगर बिंदु पर पूंजी लिखतों के संपरिवर्तन/राइट-ऑफ करने के लिए विनियामक से अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त करना चाहिए।

**3.16** लिखत के धारकों को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किए गए कोई सामान्य शेयर जारीकर्ता सहायक कंपनी अथवा मूल बैंक (संकल्प में वर्णित किसी वारिस सहित) के सामान्य शेयर होने चाहिए।

**अनुबंध 17**

(देखें पैरा 4.3.5)

**अल्पमत हित की गणना -उदाहरण**

इस अनुबंध में तृतीय पक्ष की अनुषंगी में से जारी अल्पमत हित और अन्य पूंजी का ट्रीटमेंट दर्शाया गया है, जो बासल III पूंजी विनियमावली के परिच्छेद 4.3 में निर्धारित किए गए हैं।

इस प्रयोजन से किसी बैंकिंग समूह में दो विधिक संस्थाएं होती हैं और दोनों ही बैंक होते हैं। बैंक पी मूल बैंक है और बैंक एस अनुषंगी है तथा उनके असमेकित तुलनपत्र नीचे दर्शाए गए हैं :

| **बैंक पी तुलन-पत्र** | | **बैंक एस तुलन-पत्र** | |
|---|---|---|---|
| **आस्तियां** | | **आस्तियां** | |
| ग्राहकों को ऋण | 100 | ग्राहकों को ऋण | 150 |
| बैंक एस की सीईटी1 में निवेश | 7 | | |
| बैंक एस की एटी1 में निवेश | 4 | | |
| बैंक एस की टी2 में निवेश | 2 | | |
| **कुल** | **113** | **कुल** | **150** |
| **देयताएं और इक्विटी** | | **देयताएं और इक्विटी** | |
| जमाकर्ता | 70 | जमाकर्ता | 127 |
| टियर 2 | 10 | टियर 2 | 8 |
| अतिरिक्त टियर 1 | 7 | अतिरिक्त टियर 1 | 5 |
| सामान्य इक्विटी | 26 | सामान्य इक्विटी | 10 |
| **कुल** | **113** | **कुल** | **150** |

बैंक पी का तुलनपत्र यह दर्शाता है कि ग्राहकों के ऋणों के अतिरिक्त उसके पास बैंक एस के सामान्य शेयरों के 70%, बैंक एस के अतिरिक्त टियर 1 का 80% तथा बैंक एस की टियर 2 पूंजी के 25% का स्वामित्व है।

अतएव, बैंक एस के पास पूंजी का स्वामित्व निम्नानुसार है

| **बैंक एस द्वारा जारी पूंजी** | | | |
|---|---|---|---|
| | **मूल को जारी राशि (बैंक पी)** | **तीसरी पार्टी को जारी राशि** | **कुल** |
| सामान्य इक्विटी टियर1 (सीईटी1) | 7 | 3 | 10 |
| अतिरिक्त टियर1 (एटी1) | 4 | 1 | 5 |
| ***टियर1 (टी1)*** | ***11*** | ***4*** | ***15*** |
| टियर2 (टी2) | 2 | 6 | 8 |
| ***कुल पूंजी (टीसी)*** | ***13*** | ***10*** | ***23*** |

| समेकित तुलनपत्र | | |
|---|---|---|
| **आस्तियां** | | **टिप्पणियां** |
| ग्राहकों को ऋण | 250 | एस में पी के सकल निवेश रु 13. लेखांकन समेकन के दौरान निरस्त किए जाएंगे। |
| **देयताएं और इक्विटी** | | |
| जमाकर्ता | 197 | |
| अनुषंगियों द्वारा तृतीय पक्षों को जारी टियर2 | 6 | (8-2) |
| मूल बैंक द्वारा जारी टियर 2 | 10 | |
| अनुषंगी द्वारा तृतीय पक्षों को जारी अतिरिक्त टियर 1 | 1 | (5-4) |
| मूल बैंक द्वारा जारी अतिरिक्त टियर 1 | 7 | |
| अनुषंगियों द्वारा तृतीय पक्षों को जारी टियर 2 अनुषंगी द्वारा तृतीय पक्षों को जारी सामान्य इक्विटी (अर्थात् अल्पमत हित) | 3 | (10-7) |
| मूल बैंक द्वारा जारी सामान्य इक्विटी | 26 | |
| **कुल** | **250** | |

दृष्टान्त के प्रयोजन से बैंक की आस्तियों के वास्तविक मूल्य 150 पर बैंक की जोखिम भारित आस्तियों का मूल्य 100 माना गया है। इस उदाहरण में बैंक एस की न्यूनतम पूंजी अपेक्षा तथा समेकित अपेक्षाओं में अनुषंगी का योगदान एकसमान है। इसका अर्थ है कि यह निम्नलिखित न्यूनतम व पूंजी संरक्षण बफर अपेक्षाओं के अधीन है तथा इसके पास निम्नलिखित अधिशेष पूंजी है:

| बैंक एस की न्यूनतम और अधिशेष पूंजी | | | |
|---|---|---|---|
| | न्यूनतम तथा अपेक्षित पूंजी संरक्षण बफर[230] | उपलब्ध वास्तविक पूंजी | अधिशेष (3-2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| सामान्य इक्विटी टियर पूंजी 1 | 7.0 (=100 का 7.0%) | 10 | 3.0 |
| टियर पूंजी 1 | 8.5 (=100 का 8.5%) | 15 (10+5) | 6.5 |
| कुल पूंजी | 10.5 (=100 का 10.5%) | 23 (10+5+8) | 12.5 |

[230] उदाहरण बासल III न्यूनतम पर आधारित है, जैसा कि बीसीबीएस दस्तावेज ' दिसंबर 2010 (संशोधन जून 2011) में जारी बासल III: अधिक लचीले बैंकों और बैंकिंग प्रणालियों के लिए वैश्विक विनियामक संरचना' में बाया गया है। उदाहरण में सामान्य इक्विटी टियर 1 को निर्गमित सामान्य शेयर तथा बैंक एस में रखी गई अर्जित राशि और आरक्षित निधियां शामिल करके पढ़ा जाए।

निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है कि बासल ॥। पूंजी विनियमावली के पैरा 4.3.4 में निर्धारित गणना प्रक्रिया का पालन करते हुए समेकित पूंजी में शामिल करने हेतु बैंक एस द्वारा जारी पूंजी की राशि की गणना कैसे की जाए:

| **बैंक एस: समेकित पूंजी मे शामिल तृतीय पक्षों को जारी पूंजी की राशि** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | जारी की गई कुल राशि (क) | तृतीय पक्षों को जारी राशि (ख) | बेशी (ग) | तृतीय पक्षों से संबंधित बेशी (अर्थात् समेकित पूंजी में से निकाली गई राशि) (घ)=(ग)*(ख)/(क) | समेकित पूंजी में शामिल राशि (ङ) = (ख) - (घ) |
| सामान्य इक्विटी टियर पूंजी 1 | 10 | 3 | 3.0 | 0.90 | 2.10 |
| टियर पूंजी 1 | 15 | 4 | 6.5 | 1.73 | 2.27 |
| कुल पूंजी | 23 | 10 | 12 | 5.43 | 4.57 |

निम्नलिखित सारणी में समेकित समूह के लिए पूंजी के घटकों का सारांश दिया गया है जो उपर्युक्त सारणी में परिकलित राशियों पर आधारित है। अतिरिक्त टियर 1 की गणना सामान्य इक्विटी टियर 1 तथा टियर 1 के अंतर के रूप में की गई है और टियर 2 कुल पूंजी और टियर 1 के बीच का अंतर है।

| | **मूल बैंक द्वारा जारी की गई कुल राशि (जो सब समेकित पूंजी में शामिल की जानी है)** | **अनुषंगियों द्वारा तृतीय पक्षों को जारी राशि, जो समेकित पूंजी में शामिल की जानी है** | **मूल बैंक तथा अनुषंगी द्वारा जारी कुल राशि जो समेकित पूंजी में शामिल की जानी है** |
|---|---|---|---|
| सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी | 26 | 2.10 | 28.10 |
| अतिरिक्त टियर 1 पूंजी | 7 | 0.17 | 7.17 |
| टियर 1 पूंजी | 33 | 2.27 | 35.27 |
| टियर 2 पूंजी | 10 | 2.30 | 12.30 |
| कुल पूंजी | 43 | 4.57 | 47.57 |

**अनुबंध 18**

(देखें पैरा 14.15 तथा 16.7)

**स्तम्भ 3 प्रकटीकरण अपेक्षाएं**

1. लागू करने का दायरा और पूंजी पर्याप्तता

**सारणी डीएफ - 1 : लागू किये जाने का दायरा**

**बैंकिंग समूह के प्रधान का नाम, जिस पर यह ढांचा लागू होता है-------------------**

**(i) गुणात्मक प्रकटीकरण**

| संस्था का नाम/ निगमन देश | क्या उस हस्ती को समेकन के लेखांकन दायरे के अंतर्गत मिल किया गया है (हां/नहीं) | समेकन के तरीके को स्पष्ट करें | क्या उस हस्ती को समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत मिल किया गया है (हां/नहीं)[231] | समेकन के तरीके को स्पष्ट करें | समेकन के तरीके में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें। | यदि समेकन के केवल एक ही दायरे में समेकित किया गया हो, तो उसके कारण स्पष्ट करें।[232] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**(क) समेकन हेतु विचार में लिए गए समूह हस्तियों की सूची**

**(ख) समेकन के लेखांकन और विनियामक दोनों दायरों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार में न लिए गए समूह हस्तियों की सूची**

| संस्था का नाम/निगमन देश | हस्ती का प्रधान कार्य | तुलन-पत्र की कुल इक्विटी (जैसा कि विधिक हस्ती के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है) | कुल इक्विटी में बैंक की कुल धारित राशि का प्रतिशत | हस्ती के पूंजी लिखतों में बैंक के निवेशों को विनियामक ट्रीटमेंट | तुलनपत्र की कुल आस्तियां (जैसा कि विधिक हस्ती के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

[231] यदि हस्ती को इस प्रकार समेकित नहीं किया गया है, जिसके परिणाम से उसकी आस्तियों की गणना समूह की जोखिम भारित आस्तियों में की जाए, तो ऐसी हस्ती को समेकन के विनियामक दायरे से बाहर माना जाएगा।

[232] दिए गए ट्रीटमेंट को भी स्पष्ट करें, अर्थात् समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत निवेशों को घटाना या जोखिम भारण।

**(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण**

**(ग) समेकन हेतु विचार में लिए गए समूह हस्तियों की सूची**

| संस्था का नाम/निगमन देश (जैसाकि ऊपर (i) क में शामिल किया गया है) | संस्था की प्रधान गतिविधि | कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसाकि कानूनी हस्ती की लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है) | कुल तुलनपत्र आस्तियां (जैसाकि कानूनी हस्ती की लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**(घ) सभी अनुषंगियों में पूंजी में कमियों की सकल राशि[233] जिसे समेकन के विनियामक दायरे में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् जिसे घटाया गया है:**

| अनुषंगियों का नाम/ निगमन देश | संस्था की प्रधान गतिविधि | कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसाकि कानूनी हस्ती की लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है) | कुल इक्विटी में बैंक की धारित राशि का प्रतिशत | पूंजी में कमियां |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

**(ङ) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की सकल राशियां (जैसे वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं :**

| बीमा संस्थाओं का नाम /निगमन देश | संस्था की प्रधान गतिविधि | कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसाकि कानूनी हस्ती की लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है) | कुल इक्विटी/ मताधिकार के अनुपात में बैंक की धारित राशि का प्रतिशत | विनियामक पूंजी पर जोखिम भारण विधि की तुलना में पूर्ण कटौती विधि का प्रयोग करने का मात्रात्मक प्रभाव |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

[233] पूंजी-अभाव वह राशि है, जिससे वास्तविक पूंजी विनियामक पूंजी अपेक्षा से कम है। कोई भी पूंजी अभाव, जिन्हें ऐसी अनुषंगियों में निवेश के अतिरिक्त समूह के स्तर पर घटाया गया है, को सकल पूंजी- अभाव में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

**(च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियां या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं**

**सारणी डीएफ -2 : पूंजी पर्याप्तता**

| |
|---|
| **गुणात्मक प्रकटीकरण**<br><br>(क) वर्तमान और भावी गतिविधियों के समर्थन के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन के लिए बैंक के दृष्टिकोण की सारांश चर्चा |
| **मात्रात्मक प्रकटीकरण**<br><br>(ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं:<br>• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभाग<br>• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर |
| (ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं<br>• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण;<br>- ब्याज दर जोखिम<br>- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)<br>- इक्विटी जोखिम |
| (घ) परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं<br>• मूल संकेतक दृष्टिकोण<br>• मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो) |
| (ङ) सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात:<br>• शीर्ष समेकित समूह के लिए<br>• महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों के लिए (स्टैंड-लोन या उप-समेकित, ढांचा कैसे लागू किया है, इस पर निर्भर करेगा) |

## 2. जोखिम एक्सपोज़र और मूल्यांकन

बाज़ार के सहभागी किसी संस्था का मूल्यांकन करते समय बैंक के जोखिमों और उन जोखिमों का पता लगाने, उनका मापन करने, निगरानी करने तथा नियंत्रण करने के लिए बैंक द्वारा प्रयुक्त तकनीकों पर विचार करते हैं। इस खंड में कई महत्वपूर्ण बैंकिंग जोखिमों पर विचार किया गया है : ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, और बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम तथा परिचालनगत जोखिम। इस भाग में ऋण जोखिम कम करने संबंधी तथा आस्ति प्रतिभूतीकरण संबंधी प्रकटीकरण का भी समावेश है। ये दोनों संस्था का जोखिम प्रोफाइल परिवर्तित करते हैं। विनियामक पूंजी के मूल्यांकन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग करने वाले बैंकों के लिए जहां लागू हो, अलग प्रकटीकरण का निर्धारण किया गया है।

### 2.1 सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा

प्रत्येक अलग जोखिम क्षेत्र (अर्थात् ऋण, बाज़ार, परिचालन, बैंकिंग बही ब्याज दर जोखिम) के लिए बैंकों को अपने जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों और नीतियों का वर्णन करना होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे;

(i) कार्यनीतियां और प्रक्रियाएं;

(ii) संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य का ढांचा और गठन;

(iii) जोखिम रिपोर्टिंग और /या मापन प्रणाली का दायरा और स्वरूप;

(iv) जोखिम बचाव और/या उसे कम करने के लिए नीतियां और बचाव/कम करने वाले कारक की निरंतर कारगरता की निगरानी करने के लिए कार्यनीतियाँ और प्रक्रियाएं।

**ऋण जोखिम**

ऋण जोखिम के सामान्य प्रकटीकरण से बाज़ार के सहभागियों को समग्र ऋण एक्सपोज़र के संबंध में जानकारी मिलती है और यह आवश्यक नहीं है कि यह विनियामक प्रयोजनों के लिए तैयार की गई जानकारी पर अनिवार्यतः आधारित हो। पूंजी मूल्यांकन तकनीकों संबंधी प्रकटीकरण, एक्सपोज़र के विशिष्ट स्वरूप, पूंजी मूल्यांकन के साधन और प्रकट की गई जानकारी की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने हेतु डाटा संबंधी जानकारी देते हैं।

**सारणी डीएफ - 3**

**ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण**

| |
|---|
| **गुणात्मक प्रकटीकरण**<br>(क) ऋण जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :<br>• विगत देय और क्षतिग्रस्त (लेखाकंन प्रयोजनों के लिए) की परिभाषाएं;<br>• बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति की चर्चा; |
| **मात्रात्मक प्रकटीकरण**<br>(ख) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोज़र[234], निधि आधारित और निधीतर आधारित अलग से।<br>(ग) एक्सपोज़रों का भौगोलिक वितरण[235], निधि आधारित और निधीतर आधारित अलग से<br>• ओवरसीज<br>• देशी<br>(घ) एक्सपोज़रों का उद्योग[236] के प्रकार के अनुसार वितरण, निधि आधारित और निधीतर आधारित अलग से |

[234] अर्थात् लागू लेखांकन दौर के अनुसार लेखांकन समंजन करने के बाद और ऋण जोखिम कम करने की तकनीकों के प्रभाव, जैसे संपार्श्विक और नेटिंग को हिसाब में लिए बिना।

[235] अर्थात् उसी आधार पर, जो एएस 17 के अनुपालन के लिए अपनाई गई सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए अपनाया गया है।

[236] उद्योगवार ब्रेक अप उसी तरह किया जाना चाहिए, जो डीएसबी विवरणियों के लिए निर्धारित किया गया है। यदि किसी विशिष्ट उद्योग के लिए एक्सपोजर ऊपर (ख) के अंतर्गत परिकलित एक्सपोजर के 5 प्रतिशत से अधिक हो, तो उसका प्रकटन अलग से किया जाना चाहिए।

(ङ) परिसंपत्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विश्लेषण[237],

(च) अनर्जक परिसंपत्तियों की राशि (सकल)

- अवमानक
- संदिग्ध 1
- संदिग्ध 2
- संदिग्ध 3
- हानि

(छ) निवल अनर्जक परिसंपत्तियां

(ज) अनर्जक परिसंपत्ति अनुपात

- सकल अग्रिमों के प्रति सकल अनर्जक परिसंपत्तियां
- निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक परिसंपत्तियां

(झ) अनर्जक परिसंपत्त्यों (सकल) की घट-बढ़

- प्रारंभिक शेष
- जोड़
- कटौतियां
- इति शेष

(ञ) प्रावधानों में घट-बढ़ (बैंक द्वारा धारित विनिर्दिष्ट प्रावधानों और सामान्य प्रावधानों के लिए, बैंक द्वारा धारित प्रत्येक प्रकार के प्रावधानों के वर्णन सहित अलग प्रकटीकरण किए जाएंगे)

- प्रारंभिक शेष
- संबंधित अवधि में किए गए प्रावधान
- बट्टे खाते
- अतिरिक्त प्रावधानों को निकाल देना
- प्रावधानों के बीच अंतरणों सहित कोई अन्य समायोजन
- इति शेष

इसके अतिरिक्त, आय विवरण में सीधे बुक किए गए राइट-आफ और वसूलियों का प्रकटीकरण अलग से किया जाए।

(ट) अनर्जक निवेशों की राशि

(ठ) अनर्जक निवेशों के लिए रखे गए प्रावधानों की राशि

(ड) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों की राशि

- प्रारंभिक शेष
- संबंधित अवधि में किए गए प्रावधान
- बट्टे खाते
- अतिरिक्त प्रावधानों को निकाल देना
- इति शेष

(ढ) मुख्य उद्योग द्वारा या प्रतिपक्षकार प्रकार:

- एनपीए तथा पिछले बकाया ऋणों की राशि, यदि उपलब्ध हो, अलग से दी जाए;
- विनिर्दिष्ट और सामान्य प्रावधान; तथा

[237] बैंक उन्हीं परिपक्वता बैंकों का प्रयोग करेंगे, जिन्हें एएलएम विवरणियों में पोजीशन रिपोर्ट करने हेतु प्रयोग किया गया है।

- वर्तमान अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट प्रावधान और बट्टा खाता डालना

इसके अतिरिक्त, बैंकों को पिछले बकाया ऋणों की अवधि का विश्लेषण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

(ण) एनपीए तथा पिछले बकाया ऋणों की राशियदि उपलब्ध , होअलग से दी जाए ,, जिसे महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाए, जिसमें यदि व्यावहारिक हो, तो प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित विनिर्दिष्ट और सामान्य प्रावधानोंकी राशियां शामिल की जाएं। सामान्य प्रावधानों का जो हिस्सा किसी भौगोलिक क्षेत्र को आवंटित नहीं किया गया है, उसका प्रकटीकरण अलग से किया जाए।

## सारणी डीएफ - 4

## ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए प्रकटीकरण

**गुणात्मक प्रकटीकरण**

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए :

- प्रयुक्त ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सियों के नाम, तथा यदि कोई परिवर्तन है तो उसके कारण;
- एक्सपोज़रों के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया; और
- सार्वजनिक निर्गम पात्रता निर्धारणों को बैंकिंग बही में तुलनीय परिसंपत्तियों पर अंतरित करने हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया का वर्णन;

**मात्रात्मक प्रकटीकरण**

(ख) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम कम करने के बाद एक्सपोज़र[238] की राशियों के लिए, निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूहों में बैंक की बकाया (पात्रता निर्धारण किए तथा पात्रता निर्धारण न किए) राशि तथा वे जिनकी कटौती की गयी है;

- 100% जोखिम भार से नीचे
- 100% जोखिम भार
- 100% से अधिक जोखिम भार
- कटौती की गई

[238] सारणी 4 में प्रकटीकरण के लिए यथा परिभाषित

**सारणी डीएफ - 5**

**ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोणों के लिए प्रकटीकरण**[239]

| |
|---|
| **गुणात्मक प्रकटीकरण**<br><br>(क) ऋण जोखिम कम करने के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा में निम्नलिखित शामिल हैं :<br>• ***बैंक किस हद तक तुलन पत्र और तुलनपत्रेतर नेटिंग का प्रयोग करते हैं उसके संबंध में नीतियां और प्रक्रियाएं***<br>• संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं;<br>• बैंक द्वारा ली गई संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों का वर्णन;<br>• गारंटीकर्ता काउंटर पार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी विश्वसनीयता; और<br>• जोखिम कम करने हेतु किए गए उपायों में (बाज़ार या ऋण) जोखिम संकेंद्रणों के संबंध में जानकारी |
| ***मात्रात्मक प्रकटीकरण***<br><br>***(ख) अलग से प्रकट किये गये प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोज़र (जहां लागू हो वहां तुलन पत्र या तुलन पत्रेतर नेटिंग के बाद) जिसे हेयरकट लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया गया हो।***<br>***(ग) अलग से प्रकट किये गये प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोज़र (जहां लागू हो वहां तुलन पत्र या तुलनपत्रेतर नेटिंग के बाद) जो गारंटी/ऋण डेरिवेटिव (जहां भारतीय रिज़र्व बैंक की विनिर्दिष्ट अनुमति हो)द्वारा कवर हो।*** |

**सारणी डीएफ - 6**

**प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र : मानकीकृत विधि के लिए प्रकटीकरण**

| *गुणात्मक प्रकटीकरण* | |
|---|---|
| *(क)* | प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्म्क प्रकटीकरण जिसमें निम्नलिखित की चर्चा हो :<br>• प्रतिभूतिकरण गतिविधि के संबंध में बैंक का उद्देश्य,किस हद तक ये गतिविधियां आधारभूत प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र के ऋण जोखिम को बैंक से दूसरी संस्थाओं को अंतरित करती हैं।<br>• प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निहित अन्य जोखिम (उदाहरण के लिए चलनिधि |

[239] न्यूनतम के रूप में, बैंकों को इस सारणी में ऋण जोखिम कम करने के संबंध में ऐसे प्रकटीकरण करने चाहिएं, जिन्हें इस संरचना के अंतर्गत पूंजी अपेक्षाओं को घटाने के प्रयोजन से मान्यता दी गई है। जहां प्रासंगिक हो, बैंकों को ऐसे घटावों के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिन्हें उस प्रयोजन से मान्यता नहीं दी गई हो।

| | |
|---|---|
| | जोखिम) की प्रकृति<br>• प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक की विभिन्न भूमिका (उदाहरण के लिए, प्रवर्तक, निवेशक, सेवा प्रदाता, ऋण संवर्धन प्रदाता, चलनिधि प्रदाता, स्वैप प्रदाता@, सुरक्षा प्रदाता#) तथा प्रत्येक भूमिका में बैंक किस हद तक शामिल है।<br>• प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के ऋण और बाजार जोखिम में परिवर्तन की निगरानी करने के लिए स्थापित प्रणाली का वर्णन (उदाहरण के लिए, आधारभूत आस्तियों का उतार-चढ़ाव किस प्रकार प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को प्रभावित करता है, जैसा कि बासल III पूंजी विनियमावली के पैरा 5.16.1 में परिभाषित किया गया है)।<br>• प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के माध्यम से धारित जोखिम को कम करने के लिए ऋण जोखिम कम करने वाले तत्वों के प्रयोग से संबंधित बैंक की नीति का वर्णन<br><br>@ यदि विनियामक नियमों के अंतर्गत अनुमति दी गयी हो तो कोई बैंक ब्याज दर/मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर स्वैप या मुद्रा स्वैप के रूप में प्रतिभूतिकरण संरचना को समर्थन दे सकता है।<br># यदि विनियामक नियमों के अंतर्गत अनुमति दी गयी हो तो कोई बैंक गारंटी, ऋण डेरिवेटिव या अन्य समान उत्पाद के माध्यम से किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन को ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है। |
| **(ख)** | **प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के लिए बैंक की लेखांकन नीतियों का संक्षेप, जिनमें निम्नलिखित सूचना भी हो :**<br>• क्या लेनदेन बिक्री है या वित्तपोषण<br>• धारित या खरीदी गयी स्थितियों (पोजीशन) के मूल्यांकन में प्रयुक्त विधि और मुख्य अवधारणाएं (इनपुट सहित)<br>• पिछली अवधि की तुलना में विधियों और मुख्य अवधारणाओं में परिवर्तन और उन परिवर्तनों का प्रभाव<br>• यदि किसी व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों को वित्तीय समर्थन देने की बैंक से अपेक्षा की जाती है तो तुलन पत्र में देयता में उसे दर्शाने संबंधी नीति |
| ***(ग)*** | बैंकिंग बही में प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त ईसीएआई के नाम तथा प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेंसी की सहायता ली गयी है। |
| **मात्रात्मक प्रकटीकरण: बैंकिंग बही** | |
| (घ) | बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र की कुल राशि |
| (ङ) | एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार (उदाहरण के लिए क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि आधारभूत प्रतिभूति के ब्यौरे सहित) वर्तमान अवधि के दौरान बैंक द्वारा मान्य प्रतिभूतिकृत हानि एक्सपोज़र के लिए |
| (च) | एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि |
| (छ ) | (छ) में से प्रतिभूतिकरण के पहले एक वर्ष के भीतर ओरिजिनेट होने वाली आस्तियों की राशि |
| (ज) | प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र (एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार) की कुल राशि तथा एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार लाभ हानि जिसे नहीं दर्शाया गया है। |
| (झ) | निम्नलिखित की कुल राशि : |

| | |
|---|---|
| | • धारित या खरीदा गया तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र, जो एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत हो ,तथा<br>• एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत तुलनपत्रेतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र |
| (ञ) | (i) धारित अथवा खरीदे गये प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र की कुल राशि तथा उससे जुड़ा पूंजी प्रभार, जिसका एक्सपोज़र के अनुसार वर्गीकरण किया गया हो और प्रत्येक विनियामक पूंजी विधि के लिए विभिन्न जोखिम भार बांडों में भी वर्गीकरण किया गया हो ।<br>(ii) टीयर 1 पूंजी से एक्सपोज़र, कुल पूंजी से घटाये गये ऋण संवर्द्धक आई/ओ तथा कुल पूंजी से घटाये गये अन्य एक्सपोज़र (एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार) |
| **मात्रात्मक प्रकटीकरण : ट्रेडिंग बही** | |
| (ट) | बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र की कुल राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोज़र धारित किया है और जो बाजार जोखिम विधि के अधीन है -- एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार विवरण |
| (ठ) | निम्नलिखित की कुल राशि :<br>• धारित या खरीदा गया तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र, जो एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत हो ,तथा<br>• एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत तुलनपत्रेतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र |
| (ड) | **निम्नलिखित के लिए अलग-अलग धारित या खरीदे गये प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र की कुल राशि :**<br>• धारित या खरीदे गये प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र जो विनिर्दिष्ट जोखिम के लिए समग्र जोखिम माप के अधीन हैं; और<br>• प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र जो विनिर्दिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन हैं और जिन्हें विभिन्न जोखिम भार बैंडों में वर्गीकृत किया गया है। |
| (ढ) | निम्नलिखित की कुल राशि :<br>• उन प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के लिए पूंजी अपेक्षा, जो प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन हैं और जिन्हें विभिन्न जोखिम भार बैंडों में वर्गीकृत किया गया है।<br>• प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र जिन्हें पूरी तरह टीयर I पूंजी से घटाया गया है, कुल पूंजी से घटये गये ऋण संवर्धक आई/ओ तथा कुल पूंजी से घटाये गये अन्य एक्सपोज़र (एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार) |

## सारणी - डीएफ - 7
## ट्रेडिंग बही में बाज़ार जोखिम

| **गुणात्मक प्रकटीकरण** |
|---|
| (क) मानकीकृत दृष्टिकोण द्वारा कवर किए गए संविभागों सहित बाज़ार जोखिम के लिए सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा |
| **मात्रात्मक प्रकटीकरण** |
| (ख) निम्नलिखित के लिए पूंजी अपेक्षाएं<br>• ब्याज दर जोखिम;<br>• ईक्विटी पोजिशन जोखिम; और<br>• विदेशी मुद्रा जोखिम |

## सारणी डीएफ - 8: परिचालन जोखिम

| **गुणात्मक प्रकटीकरण** |
|---|
| • सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा के अतिरिक्त, परिचालनगत जोखिम पूंजी मूल्यांकन दृष्टिकोण जिसके (जिनके) लिए बैंक पात्र है। |

## सारणी डीएफ - 9
## बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)

| **गुणात्मक प्रकटीकरण** |
|---|
| (क) आइआरआरबीबी के स्वरूप तथा ऋण चुकौतियों और परिपक्वता रहित जमाराशियों के व्यवहार के संबंध में धारणाओं सहित महत्वपूर्ण धारणाओं, और आइआरआरबी के मापन की बारंबारता के साथ सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा |
| **मात्रात्मक प्रकटीकरण** |
| (ख) आइआरआरबी का मापन करने की प्रबंध तंत्र की पद्धति के अनुसार दरों के अत्यधिक उतार-चढ़ाव के झटकों के लिए अर्जन और आर्थिक मूल्य (या प्रबंध तंत्र द्वारा प्रयुक्त संगत मापन) में वृद्धि (गिरावट) जो मुद्रावार वर्गीकृत हो (जहां आवर्त कुल आवर्त के 5 प्रतिशत से अधिक है)। |

## सारणी डीएफ-10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोज़रों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

| | | |
|---|---|---|
| **गुणात्मक प्रकटीकरण** | (क) | व्युत्पन्नी और सीआरआर के संबंध में सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षाएं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:<br>• प्रतिपक्षकार ऋण एक्सपोजरों के लिए आर्थिक पूंजी और ऋण सीमाएं निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया पर चर्चा;<br>• संपार्श्विक प्राप्त करने और ऋण आरक्षित निधियां स्थापित करने के लिए नीतियों पर चर्चा;<br>• गलत रास्ते से जोखिम एक्सपोजर के संबंध में नीतियों पर चर्चा;<br>• यदि ऋण रेटिंग का दर्जा घटता है ,तो बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले संपार्श्विक की राशि के प्रभाव पर चर्चा। |
| **मात्रात्मक प्रकटीकरण** | (ख) | संविदाएं, नेटिंग लाभ[240] नेटेड चालू ऋण एक्सपोजर, धारित संपार्श्विक (प्रकारों, जैसे, नकद, सरकारी प्रतिभूति आदि सहित) तथा निवल व्युत्पन्नी ऋण एक्सपोजरों[241] का सकल धनात्मक उचित मूल्य। साथ ही गलती से एक्सपोजर,या सीईएम के अंतर्गत एक्सपोजर की राशि की माप भी रिपोर्ट की जाए। ऋण व्यत्पन्नी बचाव का कल्पित मूल्य, तथा क्रेडिट एक्सपोजर के प्रकारों के अनुसार वर्तमान ऋण एक्सपोजरों का वितरण।[242] |
| | (ग) | संस्था के स्वयं के ऋण संविभाग और प्रयुक्त ऋण व्युत्पन्नी उत्पादों के वितरण[243] सहित उसके मध्यस्थता क्रियाकलापों के बीच प्रयोग के लिए पृथक किए गए ऋण व्युत्पन्नी लेनदेन, जिनसे सीआरआर (कल्पित मूल्य) के लिए एक्सपोजर उत्पन्न होते हैं, को प्रत्येक उत्पाद समूह के लिए खरीदे गए और बेचे गए संरक्षण में आगे और विभाजित करते हुए। |

### 3. पूंजी प्रकटीकरण टेम्प्लेट की संरचना

### 3.1 31 मार्च 2017 के बाद प्रकटीकरण टेम्प्लेट

(i) इस टेम्प्लेट को कटौतियों को चरणबद्ध रूप से लागू करने की संक्रमण अवधि 31 मार्च 2017 को समाप्त होने के बाद बैंक की पूंजी स्थितियों को दर्शाने के लिए बनाया गया है।

---

[240] कृपया दिनांक 01 अक्तूबर 2010 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 48/21.06.001 देखें।

[241] निवल ऋण एक्सपोजर विधिक रूप से लागू किए जाने वाले नेटिंग करार और संपार्श्विक करार, दोनों के लाभों को विचार में लेने के बाद व्युत्पन्नी लेनदेनों पर ऋण एक्सपोजर है। ऋण व्युत्पन्नी बचाव की काल्पनिक राशि बाजार के सहभागियों को ऋण जोखिम कम करने के एक अतिरिक्त स्रोत के प्रति सचेत करती है।

[242] उदाहरणार्थ, ब्याज दर संविदाएं, विदेशी मुद्रा संविदाएं, ऋण व्युत्पन्नी,तथा अन्य संविदाएं।

[243] उदाहरणार्थ, ऋण चूक अदला-बदली.

इसमें कुछ पंक्तियां तिरछे अक्षरों में हैं। सभी अपात्र पूंजी लिखतों को चरणबद्ध रूप से पूर्णत: हटाए जाने के बाद (अर्थात् 01 अप्रैल 2022 से) इन पंक्तियों को निकाल दिया जाएगा।

(ii) बासल III पूंजी विनियमावली के पैरा 14.14 के अनुसार मिलान संबंधी अपेक्षाओं के परिणामस्वरूप कुछ विनियामक समायोजनों में अपघटन  होता है। उदाहरणार्थ नीचे दिए गए प्रकटीकरण टेम्प्लेट में संबंधित कर देयता का गुडविल नेट का समायोजन शामिल है। इस अपेक्षा के कारण इस समायोजन के सुनाम (गुडविल) घटक तथा संबंधित कर देयता घटक, दोनों का प्रकटीकरण करना होगा।

(iii) टेम्पलेट की कुछ पंक्तियों को चिह्नांकित (शेडेड) किया गया है, जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है:

क. गहरे भूरे रंग की प्रत्येक पंक्तिमें विनियामक पूंजी के कतिपय घटकों का ब्योरा दर्शाने वाला नया भाग प्रारंभ किया गया है।

ख. बिना मोटी बॉर्डर के हल्के भूरे रंग की पंक्तियां संबंधित भाग में योग के खाने को दर्शाती हैं।

ग. मोटी बॉर्डर वाली हल्के भूरे रंग की पंक्तियां विनियामक पूंजी के मुख्य घटकों और पूंजी अनुपातों को दर्शाती हैं।

(iv) सारणी के साथ टेम्प्लेट की प्रत्येक पंक्ति के लिए स्पष्टीकरण भी दिया गया है, जिसमें बासल III पूंजी विनियमावली के पाठ के उचित पैराग्राफ का संदर्भ दिया गया है।

## सारणी डीएफ-11 : पूंजी की संरचना

### भाग I : केवल 31 मार्च 2017 से प्रयोग में लाये जाने वाला टेम्प्लेट

(मिलियन रु.)

| दिनांक 31 मार्च 2017 से प्रयोग में लाये जाने वाला बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट | | | संदर्भ सं. |
|---|---|---|---|
| सामान्य ईक्विटी टियर I पूंजीः लिखत एवं रिज़र्व | | | |
| 1 | सीधे जारी की गयी अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) | | |
| 2 | प्रतिधारित आय | | |
| 3 | संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियां) | | |
| 4 | *सीईटी1 से धीरे-धीरे समाप्त होने के अधीन सीधे जारी की गयी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू [221])* | | |
| 5 | सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गयी और तीसरे पक्ष (सीईटी1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी | | |
| 6 | विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी | | |
| सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजीः विनियामक समायोजन | | | |
| 7 | विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन | | |
| 8 | गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल) | | |
| 9 | अमूर्त आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल) | | |
| 10 | आस्थगित कर संपत्ति [2] | | |
| 11 | नकदी-प्रवाह बचाव रिज़र्व | | |
| 12 | अपेक्षित हानि के लिए प्रावधानों की कमी | | |
| 13 | विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ | | |
| 14 | उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि | | |
| 15 | परिभाषित-लाभ पेंशन कोष निवल आस्तियां | | |
| 16 | निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो) | | |
| 17 | सामान्य ईक्विटी में परस्पर क्रॉस-होल्डिंग | | |
| 18 | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक | | |

[1] भारत में वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू नहीं।

[2] बासल समिति (दिसंबर 2010) द्वारा जारी नियमावली पाठ के अनुसार जो डीटीए वसूली के लिए बैंक की भविष्य की लाभप्रदता पर निर्भर है वही घटाये जाने हैं। जो डीटीए अस्थायी भिन्नताओं से संबंधित हैं उनको पैराग्राफ 87 में दर्शाए गए अनुसार 'सीमांत कटौतियां' के अंतर्गत ट्रीट किया जाना है। तथापि, भारत में बैंकों से अपेक्षित है कि वे सीईटी1 पूंजी से सभी डीटीए को घटाएं चाहे उनका स्रोत कुछ भी हो।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | राशि)। | | |
| 19 | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) का निवल[3]। | | |
| 20 | मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार[4] (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) | | |
| 21 | अस्थायी भिन्नता[5] से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि, संबंधित कर देयता का निवल) | | |
| 22 | 15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि[6] | | |
| 23 | *जिसमें सेः वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश* | | |
| 24 | *जिसमें सेः मॉर्टगेज सर्विसिंग अधिकार* | | |
| 25 | *जिसमें सेः अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां* | | |
| 26 | राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन[7] (26क+26ख+ 6ग + 26 घ) | | |
| 26 क | *जिनमें सेः* असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश | | |
| 26 ख | *जिनमें सेः* असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों[8] के ईक्विटी पूंजी में निवेश | | |
| 26 ग | *जिनमें सेः* बैंक[9] के साथ गैर-समेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं के ईक्विटी पूंजी में कमी | | |
| 26 घ | *जिनमें सेः* अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय | | |
| 27 | अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन | | |
| 28 | **सामान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन** | | |
| 29 | **सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)** | | |
| | **अतिरिक्त टियर 1 पूंजीः लिखत** | | |
| 30 | सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32) | | |
| 31 | जिनमें सेः लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत | | |

[3] बीमा और गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों को छोड़कर अन्य में किये गये महत्वपूर्ण निवेश ही केवल यहां रिपोर्ट किये जाने चाहिए। बीमा और गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों को पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य हेतु समेकित नहीं किया गया है। बीमा सहायक कंपनियों में ईक्विटी तथा अन्य विनियामक पूंजी निवेशों को बैंकिंग समूह की समेकित विनियामक पूंजी से संपूर्ण रूप सेप घटाया गया है। तथा बासल समिति के बासल III नियमावली पाठ के अनुसार बीमा सहायक कंपनियां महत्वपूर्ण निवेशों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसलिए उनको पूरी तरह घटाने के बजाय 10 प्रतिशत सीमांत नियम के आधार पर घटाया गया है।

[4] भारतीय संदर्भ में लागू नहीं।

5 कृपया उक्त फुट नोट 2 देखें।

6 भारतीय संदर्भ में लागू नहीं।

7 जो समायोजन विशेष रूप से (बासल समिति द्वारा निर्धारित) बासल III विनियामक समायोजनों के लिए नहीं है उन्हें इस पंक्ति के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाएगा। तथापि, जो भी विनियामक समायोजन बासल III से संबद्ध है अर्थात जहां बासल III विनियामक समायोजनों की परिभाषा में कोई बदलाव है, इन बदलावों के प्रभाव की व्याख्या प्रकटीकरण टेम्पलेट की टिप्पणियों में की जाएगी।

8 पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्यय के लिए गैर-वित्तीय सहायक कंपनियां समेकित नहीं की गई हैं। गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों में ईक्विटी तथा अन्य विनियामक पूंजी निवेश समूह के समेकित विनियामक पूंजी से घटाए गए हैं। बासल समिति के बासल III नियमावली पाठ के अंतर्गत इन निवेशों का पूंजी से पूरी तरह घटाया जाना अपेक्षित नहीं है।

9 कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र का पैरा 3.3.5 देखें। कृपया बासल समिति (जून 2006) द्वारा जारी किए गए बासल II फ्रेमवर्क का पैरा 34 भी देखें। यद्यपि यह राष्ट्र विशिष्ट समायोजन नहीं है, इसको यहां रिपोर्ट किया गया है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयर) | | |
| 32 | जिनमें सेः लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत) | | |
| 33 | *अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत* | | |
| 34 | सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी1 लिखत) | | |
| 35 | *जिनमें से; चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत* | | |
| 36 | **विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1** | | |
| **अतिरिक्त टियर पूंजी 1 : विनियामक समायोजन** | | | |
| 37 | निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश | | |
| 38 | अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग्स | | |
| 39 | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है। | | |
| 40 | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश (का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल[10]) । | | |
| 41 | राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41 क + 41ख) | | |
| 41क | *जिनमें से;* गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश | | |
| 41ख | *जिनमें से;* बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है। | | |
| 42 | कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन | | |
| 43 | **अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन** | | |
| 44 | **अतिरिक्त टियर 1 पूंजी** | | |
| 45 | **टियर 1 पूंजी (टी1=सीईटी1+ एटी1) (29+44)** | | |
| | **टियर 2 पूंजीः लिखत एवं प्रावधान** | | |
| 46 | सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष | | |
| 47 | *टियर 2 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत* | | |
| 48 | सहायक कंपनियों द्वारा जारी किये गये एवं तृतीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह टियर 2 में अनुमत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और | | |

[10] कृपया उक्त फुटनोट 3 देखें।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 34 में शामिल नहीं किये गये सीईटी1 और एटी1 लिखत) | | |
| 49 | *जिनमें से; सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन लिखत* | | |
| 50 | प्रावधान[12] | | |
| 51 | **विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूंजी** | | |
| | **टियर 2 पूंजीः विनियामक समायोजन** | | |
| 52 | निजी टियर 2 लिखत में निवेश | | |
| 53 | टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग्स | | |
| 54 | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शॉर्टपोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है। | | |
| 55 | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश[13] का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल। | | |
| 56 | राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क + 56ख) | | |
| 56क | *जिनमें से;* गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश | | |
| 56ख | *जिनमें से;* बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है। | | |
| 57 | **टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन** | | |
| 58 | **टियर 2 पूंजी (टी 2)** | | |
| 59 | **कुल पूंजी (टीसी = टी1+ टी2) (45+58)** | | |
| 60 | **कुल जोखिम भारित आस्तियां (60 क + 60 ख + 60 ग)** | | |
| 60 क | *जिसमें सेः कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां* | | |
| 60 ख | *जिसमें सेः कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां* | | |
| 60 ग | *जिसमें सेः कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां* | | |
| | **पूंजी अनुपात और बफर** | | |
| 61 | सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) | | |
| 62 | टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) | | |
| 63 | कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) | | |
| 64 | जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त संस्था विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी1 अपेक्षा और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं और जी-एसआईबी बफर अपेक्षाएं | | |
| 65 | जिसमें सेः पूंजी संरक्षण बफर अपेक्षाएं | | |
| 66 | जिसमें सेः बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं | | |
| 67 | जिसमें सेः जी-एसआईबी बफर अपेक्षाएं | | |

[12] बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.5.1 के अनुसार पात्र प्रावधान तथा पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व दोनों रिपोर्ट किये जाने हैं तथा इन दो मदों का ब्रेक-अप टिप्पणियों में दिया जाना है।

[13] कृपया उक्त फुटनोट 3 देखें।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 68 | बफर की अपेक्षा पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) | | |
| **राष्ट्रीय मिनिमा (बासेल III से भिन्न हो तो)** | | | |
| 69 | राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो तो) | | |
| 70 | राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो तो) | | |
| 71 | राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो तो) | | |
| **कटौती के लिए अधिकतम सीमा के नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले)** | | | |
| 72 | अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश | | |
| 73 | वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश | | |
| 74 | मार्टगेज सर्विसिंग राइट्स (संबंधित कर देयता का निवल) | | |
| 75 | अस्थायी भिन्नताओं से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल) | | |
| **टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने पर लागू सीमाएं (कैप्स)** | | | |
| 76 | मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोज़र के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व) | | |
| 77 | मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा (पर कैप) | | |
| 78 | आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोज़र के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व) | | |
| 79 | आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा | | |
| **फेज आऊट व्यवस्थाओं के अधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)** | | | |
| 80 | फेज आऊट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी1 लिखतों पर मौजूदा कैप | | |
| 81 | कैप के कारण सीईटी1 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद अतिरिक्त) | | |
| 82 | फेज आऊट व्यवस्थाओं के अधीन एटी1 लिखतों पर मौजूदा कैप | | |
| 83 | कैप के कारण एटी1 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद अतिरिक्त) | | |
| 84 | फेज आऊट व्यवस्थाओं के अधीन टी2 लिखतों पर मौजूदा कैप | | |
| 85 | कैप के कारण टी2 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद अतिरिक्त) | | |

**टेम्प्लेट के लिए नोट**

| टेम्प्लेट की पंक्ति | विवरण | मिलियन रुपया |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| सं. | | |
| 10 | संचित हानियों से संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां | |
| | आस्थगित कर देयता से घटाई गई (संचित हानियों से जुड़ी हुई को छोड़कर) आस्थगित कर आस्तियां | |
| | पंक्ति 10 में इंगित किये गये अनुसार कुल | |
| 19 | यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों को पूंजी से पूरी तरह नहीं घटाया गया और उसकी बजाय कटौती की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत मान्य किया गया तो बैंक की पूंजी में परिणामी वृद्धि | |
| | जिसमें से : सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि | |
| | जिसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि | |
| | जिसमें से : टियर 2 पूंजी में वृद्धि | |
| 26 ख | यदि गैर-समेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश को नहीं घटाया गया और इसलिए जोखिम भार लगाया गया तो: | |
| | (i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि | |
| | (ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि | |
| 50 | टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान | |
| | टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व | |
| | पंक्ति 50 का योग | |
| | | |

| | **सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट की प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या** |
|---|---|
| **पंक्ति सं.** | **व्याख्या** |
| 1. | रिपोर्ट करनेवाले बैंकिंग समूह के अभिभावक बैंक द्वारा जारी लिखत, जो सीईटी1 में प्रवेश पाने हेतु मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 4.2.3 (अनुबंध 1/अनुबंध 2 के साथ पठित) में दर्शाये गये मानदंड पूर्ण करते हैं। यह सामान्य शेयरों (और संबंधित अधिशेष मात्र) के योग के बराबर होना चाहिए और इसे सामान्य शेयर मानदंड को पूरा करना चाहिए। इसे खज़ाना स्टॉक और स्वयं के शेयरों में अन्य निवेशों का निवल इस सीमा तक होना चाहिए कि इन्हें संबंधित लेखांकन मानकों के अंतर्गत तुलनपत्र में पहले ही डी-रेकग्नाइज्ड किया गया हो। अन्य चुकता पूंजी के अवयवों को अवश्य निकाल देना चाहिए। सभी अल्पमत हित भी निकाले जाने चाहिए। |
| 2. | मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 4.2.3 के अनुसार सभी विनियामक समायोजनों से पूर्व प्रतिधारित आय |
| 3. | सभी विनियामक समायोजनों से पूर्व संचयी अन्य व्यापक आय तथा अन्य प्रकटीकृत रिज़र्व। |
| 4. | बैंकों को इस पंक्ति में शून्य रिपोर्ट करना अनिवार्य है। |
| 5. | सहायक कंपनियों द्वारा जारी और थर्ड पार्टी द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी। इसमें केवल उसी राशि को रिपोर्ट किया जाना चाहिए जो मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 4.3.4 के प्रयोग द्वारा निर्धारित समूह सीईटी1 में शामिल किये जाने हेतु पात्र है (उदाहरण के लिए मास्टर परिपत्र का अनुबंध 17 भी देखें)। |
| 6. | पंक्तियों 1 से 5 का योग। |
| 7. | मास्टर परिपत्र के पैरा 8.8 की अपेक्षाओं के अनुसार मूल्यांकन समायोजन। |
| 8. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.1 में दर्शाये गये अनुसार संबंधित कर देयता का निवल गुडविल |

| | |
|---|---|
| 9. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.2 में दर्शाये गये अनुसार अमूर्त आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल) |
| 10. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.2 में दर्शाये गये अनुसार आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल) |
| 11. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.3 में व्यक्त कैश फ्लो हेज रिज़र्व का तत्व |
| 12. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.4 में यथावर्णित अपेक्षित हानियों के लिए किये गये प्रावधानों में कमी |
| 13. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.5 में दर्शाये गये अनुसार में यथावर्णित विक्रय पर प्रतिभूतीकरण लाभ |
| 14. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.6 में यथावर्णित उचित रूप से मूल्यांकित देयताओं पर स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ एवं हानियां |
| 15. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.7 में यथावर्णित परिभाषित लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियां, कटौती की जानेवाली राशि |
| 16. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.8 में दर्शाये गये अनुसार निजी शेयरों (यदि रिपोर्ट किये गये तुलन पत्र पर चुकता पूंजी का निवल पहले नहीं किया गया तो) में निवेश |
| 17. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.9.2 में यथावर्णित सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक क्रॉस होल्डिंग |
| 18. | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के पूंजी में निवेश जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), राशि को सीईटी 1 से मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.9.2(ख) के अनुसार घटाया जाये। |
| 19. | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य स्टॉक में निवेश जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.9.2(ग) के अनुसार घटाया जाये। |
| 20. | अप्रासंगिक |
| 21. | अप्रासंगिक |
| 22. | अप्रासंगिक |
| 23. | अप्रासंगिक |
| 24. | अप्रासंगिक |
| 25. | अप्रासंगिक |
| 26. | कोई राष्ट्र विशेष विनियामक समायोजन जो बासल III न्यूनतम समायोजन समुचय के अतिरिक्त सीईटी1 के लिए प्रयोग करना राष्ट्रीय प्राधिकारों द्वारा अपेक्षित है [अर्थात् बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति द्वारा जारी किये गये दिसंबर 2010 (जून 2011 में संशोधित) दस्तावेज के अनुसार]। |
| 27. | कटौतियों को कवर करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 के कारण सामान्य ईक्वटी टियर 1 में प्रयुक्त विनियामक समायोजन। यदि पंक्ति 43 में रिपोर्ट की गई राशि पंक्ति 36 में रिपोर्ट की गई राशि से अधिक है, तो वह आधिक्य यहां रिपोर्ट किया जाए। |
| 28. | सामान्य ईक्वटी टियर 1 में प्रयुक्त कुल विनियामक समायोजन, जिसकी गणना पंक्तियों 7 से 22 और 26 से 27 के संपूर्ण योग के रूप में की जानी है। |
| 29. | सामान्य ईक्वटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1) जिसकी गणना पंक्ति 6 से पंक्ति 28 को घटाकर की जानी है। |
| 30. | पैरा 4.2.4 में निर्धारित सभी एटी1 प्रवेश मानदंडों को पूर्ण करने वाले लिखत। समेकित समूह की सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत इस पंक्ति में शामिल न किए जाएं। |
| 31. | पंक्ति 30 की राशि को लागू लेखांकन मानकों के अधीन इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। |
| 32. | पंक्ति 30 की राशि को लागू लेखांकन मानकों के अधीन देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। |
| 33. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.5.4 की अपेक्षाओं के अनुसार अतिरिक्त टियर 1 में से चरणबद्ध रूप से |

| | |
|---|---|
| | हटाने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत |
| 34. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.3.4 के अनुसार सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए तथा तीसरे पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा 5वीं पंक्ति में शामिल न किए गए सीईटी1 लिखत) (कृपया उदाहरण के लिए मास्टर परिपत्र का अनुबंध 17 भी देखें)। |
| 35. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.5.4 की अपेक्षाओं के अंतर्गत एटी1 से फेज आउट होने के अधीन लिखतों से संबंधित पंक्ति 34 में रिपोर्ट की गई राशि |
| 36. | पंक्तियों 30, 33 और 34 का योग |
| 37. | स्वयं के टियर 1 लिखतों में निवेश, "दिशा-निर्देशों" के अनुबंध 1 के भाग ग के पैरा 4.8 के अनुसार यह राशि एटी1 में से घटाई जाए। |
| 38. | टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस होल्डिंग्स, मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.9.2 (क) के अनुसार एटी1 में से घटाई जाने वाली राशि। |
| 39. | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं में (पात्र शॉर्ट पोजीशन्स को घटा कर) निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, जहां बैंक के स्वामित्व में संस्था की जारी की गई सामान्य शेयर पूंजी के 10% से ज्यादा नहीं है, मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.9.2 (ख) के अनुसार टियर 2 में से घटाई जाने वाली राशि। |
| 40. | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं में (पात्र कमी की स्थितियों को घटा कर) महत्वपूर्ण निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.9.2 (ग) के अनुसार एटी1 में से घटाई जाने वाली राशि। |
| 41. | अतिरिक्त टियर 1 में बासल III न्यूनतम समायोजनों के सेट के अलावा लागू किए जाने वाले राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित कोई राष्ट्रीय विनिर्दिष्ट विनियामक समायोजन है [अर्थात् बासल समिति द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण पर जारी दिसंबर 2010 (जून 2011 में संशोधित दस्तावेज ) |
| 42. | कटौतियों को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन। यदि पंक्ति 57 में रिपोर्ट की गई राशि पंक्ति 51 में रिपोर्ट की गई राशि से अधिक है, अधिक हो तो इस आधिक्य को यहां रिपोर्ट किया जाए। |
| 43. | पंक्तियों 37 से 42 का योग। |
| 44. | अतिरिक्त टियर 1 पूंजी, अतिरिक्त टियर 1 पूंजी पंक्ति 36 में से पंक्ति 43 घटाने के रूप में गणना की जाए। |
| 45. | टियर 1 पूंजी पंक्ति 29 +पंक्ति 44 ए के रूप में गणना की जाए। |
| 46. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.5 में टियर 2 प्रवेश निर्धारित सभी मानदंडों को पूर्ण करने वाले लिखत। समेकित समूह की सहायक संस्थाओं द्वारा जारी सभी लिखतों को इस पंक्ति से निकाल देना चाहिए। प्रावधान और पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों को इस पंक्ति के टियर 2 में शामिल नहीं करना चाहिए। |
| 47. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.7.4 की अपेक्षाओं के अनुसार टियर 2 में से फेज-आउट के अधीन सीधे जारी पूंजी लिखत। |
| 48. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.3.4 के अनुसार सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा धारित (टियर 2 समूह में अनुमत राशि) टियर 2 लिखत (तथा पंक्ति 5 या 32 में शामिल न किए गए सीईटी1 और एटी1 लिखत)। |
| 49. | पंक्ति 48 में रिपोर्ट की गई राशि मास्टर परिपत्र के पैरा 4.5.4 के अनुसार टियर 2 में से फेज-आउट के अधीन लिखतों से संबंधित है। |
| 50. | टियर 2 में शामिल प्रवधान और पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां, जिनकी गणना मास्टर परिपत्र के पैरा |

| | |
|---|---|
| | 4.2.5 के अनुसार की गई। |
| 51. | पंक्ति 46 से 48 तथा पंक्ति 50 का योग |
| 52. | स्वयं के टियर 2 लिखतों में निवेश, मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.8 के अनुसार यह राशि टियर 2 में से घटाई जाए। |
| 53. | टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस होल्डिंग्स, मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.9.2 (क) के अनुसार यह राशि टियर 2 में से घटाई जाए। |
| 54. | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं में निवेश, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, जहां बैंक के स्वामित्व में संस्था की जारी की गई सामान्य शेयर पूंजी के 10 % से ज्यादा नहीं है (पात्र कमी की स्थितियों को घटा कर), मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.9.2 (ख) के अनुसार टियर 2 में से घटाई जाने वाली राशि। |
| 55. | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं में महत्वपूर्ण निवेश, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है (पात्र कमी की स्थितियों को घटा कर), मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.9.2 (ग) के अनुसार टियर 2 में से घटाई जाने वाली राशि। |
| 56. | कोई राष्ट्र-विनिर्दिष्ट विनियामक समायोजन, जो राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा बासल III न्यूनतम समायोजनों के सेट के अतिरिक्त टियर2 में लागू करना अपेक्षित है [अर्थात् बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति द्वारा जारी दिसंबर 2010 (जून 2011 में संशोधित) दस्तावेज ] |
| 57. | पंक्तियों 52 से 56 तक का योग। |
| 58. | टियर 2 पूंजी, पंक्ति 51 में से पंक्ति 57 घटा कर गणना की जाए। |
| 59. | कुल पूंजी पंक्ति 45 + पंक्ति 58 सी के रूप में गणना की जाए। |
| 60. | रिपोर्ट करने वाले समूह की कुल जोखिम भारित आस्तियां। ब्यौरा पंक्तियों 60ए, 60बी और 60सी में प्रस्तुत किया जाए। |
| 61. | कॉमन इक्विटी टियर1 (जोखिम-भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त), पंक्ति 29 को पंक्ति 60 से भाग देकर गणना की जाए (प्रतिशत के रूप में व्यक्त)। |
| 62. | टियर1 अनुपात (जोखिम-भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त), पंक्ति 45 को पंक्ति 60 से भाग देकर गणना की जाए (प्रतिशत के रूप में व्यक्त)। |
| 63. | कुल पूंजी अनुपात (जोखिम-भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त), पंक्ति 59 को पंक्ति 60 से भाग देकर गणना की जाए (प्रतिशत के रूप में व्यक्त)। |
| 64. | संस्था- विशिष्ट की बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी1 अपेक्षा और पूंजी संरक्षण बफर + प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं + जी-एसआईबी अपेक्षाएं, जिन्हें जोखिम-भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है)। गणना 5.5%+2.5% पूंजी संरक्षण बफर + जब भी सक्रिय और लागू हो बैंक, विशिष्ट की प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षा+ बासल समिति द्वारा जारी *ग्लोबल सिस्टमटिकली इंपोर्टेंट बैंक्स: असेस्मेंट मेथडोलोजी अँड द अड़िश्नल लॉस अब्सोर्बेंसी रिकवाइरमेंट: रूल्स टेक्स्ट* (नवंबर 2011) में यथानिर्धारित बैंक जी-एसआईबी अपेक्षाएं। यह पंक्ति उस सीईटी1 अनुपात को दर्शाएगी जिससे नीचे बैंक वितरणों पर पाबंदियों के अधीन हो जाएगा। |
| 65. | पंक्ति 64 की राशि (जोखिम-भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त), जो पूंजी संरक्षण बफर से संबंधित है, अर्थात् बैंक यहां 2.5% रिपोर्ट करेंगे। |
| 66. | पंक्ति 64 में राशि, जो बैंक के विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षा से संबंधित है (जोखिम-भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त) |
| 67. | पंक्ति 64 में राशि, जो बैंक की जी-एसआईबी अपेक्षा से संबंधित है (जोखिम-भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त) |

| | |
|---|---|
| 68. | बफर्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध कॉमन इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)। बैंक का सीईटी1 अनुपात के रूप में गणना की जाए, जिसमें से बैंक की कोई सामान्य इक्विटी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में), जिसे बैंक की न्यूनतम सीईटी1, न्यूनतम टियर1 तथा न्यूनतम कुल पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया हो, घटाया जाए। |
| 69. | राष्ट्रीय कॉमन इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से भिन्न हो)। 5.5% को रिपोर्ट किया जाए। |
| 70. | राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से भिन्न हो)। 7% को रिपोर्ट किया जाए। |
| 71. | राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से भिन्न हो)। 9% को रिपोर्ट किया जाए। |
| 72. | अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में अमहत्वपूर्ण निवेश, ऐसी धारित राशियों की कुल राशि, जो पंक्ति 18, पंक्ति 39 और पंक्ति 54 में रिपोर्ट नहीं की गई। |
| 73. | वित्तीय संस्थाओं के सामान्य सटॉक में महत्वपूर्ण निवेश, ऐसी धारित राशियों की कुल राशि, जो पंक्ति 19 में रिपोर्ट नहीं की गई। |
| 74. | मॉर्टगेज सर्विसिंग राइट्स, ऐसी धारित राशियों की कुल राशि, जो पंक्ति 19 और पंक्ति 23 में रिपोर्ट नहीं की गई - भारत में लागू नहीं। |
| 75. | अस्थायी अंतरों के कारण उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियां, ऐसी धारित राशियों की कुल राशि, जो पंक्ति 21 और पंक्ति 25 में रिपोर्ट नहीं की गई - भारत में लागू नहीं। |
| 76. | मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिमों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान, जिनकी गणना मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.5 के अनुसार की गई। |
| 77. | मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर 2 में प्रावधानों में शामिल करने हेतु अधिकतम सीमा, जिनकी गणना मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.5 के अनुसार की गई। |
| 78. | आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिमों के संबंध में टियर 2 मं शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान, जिनकी मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.5 के अनुसार की गई। |
| 79. | आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन प्रावधानों को टियर 2 में शामिल करने की अधिकतम सीमा, जिनकी गणना मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.5 के अनुसार की गई। |
| 80. | फेज-आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी1 लिखतों पर चालू अधिकतम सीमा, देखें मास्टर परिपत्र के पैरा 4.5.5 |
| 81. | अधिकतम सीमा के कारण सीईटी1 में से निकाली गई राशि (मोचनों और परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से आधिक्य), देखें मास्टर परिपत्र का पैरा 4.2.5 |
| 82. | फेज-आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी1 लिखतों पर चालू अधिकतम सीमा, देखें मास्टर परिपत्र का पैरा 4.5.4 |
| 83. | अधिकतम सीमा के कारण एटी1 में से निकाली गई राशि (मोचनों और परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से आधिक्य), देखें मास्टर परिपत्र का पैरा 4.5.4 |
| 84. | चरणबद्ध रूप से हटाने की व्यवस्था के अधीन टी2 लिखतों पर चालू उच्चतम सीमा, देखें मास्टर परिपत्र का पैरा 4.5.4 |
| 85. | उच्चतम सीमा के कारण टी2 में से निकाली गई राशि (मोचनों और परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से आधिक्य) देखें मास्टर परिपत्र का पैरा 4.5.4 |

**3.2** बासल III **संक्रमण काल के दौरान प्रकटीकरण टेम्प्लेट (अर्थात् 31 मार्च 2017 से पहले)**

(i) संक्रमण काल के दौरान बैंकों को जो टेम्प्लेट प्रयोग करने चाहिए वे ऊपर भाग 1 में निर्धारित 31 मार्च 2017 के बाद वाले टेम्प्लेट के समान ही हैं, केवल निम्नलिखित

इजाफों को छोड़ कर (जिनमें से सभी को नीचे टेम्प्लेट में बिंदु वाली बॉर्डर से रेखांकित किया गया है):

• बैंकों द्वारा संक्रमण काल के दौरान मौजूदा राष्ट्रीय ट्रीटमेंट के अंतर्गत प्रत्येक विनियामक समयोजन की राशि रिपोर्ट किए जाने हेतु एक नया कॉलम जोड़ा गया है (जिस पर "बासल III पूर्व ट्रीटमेंट" का लेबल लगा है)।

- उदाहरण 1: 2013 में बासल III पूंजी विनियमन के अनुसार बैंकों से अपेक्षित था कि वे उपलब्ध विनियामक समायोजनों का 20% समायोजन संक्रमणकालिक व्यवस्था के अनुसार करें। मान लीजिए, किसी बैंक का 'संबंधित कर देयता को घटाने के बाद गुडविल' 10 मिलियन रूपये है। वर्तमान में इसको सामान्य इक्विटी टियर 1 से घटाया जाना अपेक्षित नहीं है। अतएव, बैंक पंक्ति 8 के दो रिक्त खानों में से पहले में 2 मिलियन रुपया रिपोर्ट करेंगे और पंक्ति 8 के दूसरे रिक्त खाने में 8 मिलियन रुपया रिपोर्ट करेंगे। अतएव दो खानों का योग कुल बासल III विनियामक समायोजन के बराबर हो जाएगा।

• यद्यपि नया कॉलम उस प्रत्येक विनियामक समायोजन की राशि को दर्शाता है जो मौजूदा ट्रीटमेंट के अधीन है, यह दर्शाना आवश्यक है कि विनियामक पूंजी की गणना में मौजूदा ट्रीटमेंट के अंतर्गत इस राशि को कैसे शामिल किया जाता है। अतएव मौजूदा ट्रीटमेंट में नई पंक्तियां जोड़ी गई हैं।

- उदाहरण 2: उक्त उदाहरण के क्रम में, मौजूदा ट्रीटमेंट के अनुसार टियर I पूंजी से गुडविल को घटाया जाना होगा। इसलिए पंक्तियां 41 और 42 (कृपया सारणी 1 एवं 2 देखें) के मध्य एक नई पंक्ति यह दर्शाने के लिए प्रविष्ट की गई है कि संक्रमण अवधि के दौरान कुछ गुडविल टियर I (वास्तव में अतिरिक्ति टियर I) से घटाया जाता रहेगा। अतएव 8 मिलियन रुपया जो पंक्ति 8 के अंतिम खाने में रिपोर्ट किया गया है उसे पंक्तियों 4.1 और 4.2 के बीच प्रविष्ट की गई इस नयी पंक्ति में रिपोर्ट किया जाएगा।

(ii) ऊपर बताए गए कुछ विनियामक समायोजनों के चरणबद्ध प्रारंभ के अतिरिक्त, कुछ मामलों में बासल III के संक्रमण काल में परिणामस्वरूप पूर्व के विवेकपूर्ण समायोजनों का चरणबद्ध रूप से समापन हो जाएगा। इन मामलों में विनियामक समायोजनों पर तीन भागों में वे प्रत्येक में जोड़ी गई नई पंक्तियां फेज-आउट के प्रभाव को दर्शाने के लिए क्षेत्राधिकारों द्वारा प्रयोग में लायी जाएंगी।

- उदाहरण 3 : मान लीजिये एक अधिकार क्षेत्र है जो वर्तमान में एएफ़एस ऋण प्रतिभूतियों की होल्डिंग्स में अप्राप्त लाभों और हानियों को गणना में शामिल नहीं करता है तथा मान लीजिये उस अधिकारक्षेत्र में एक बैंक है जिसकी $50 मिलयन की अप्राप्त हानि है। बासल समिति द्वारा किए गए संक्रमणकालिक व्यवस्थाओं में इस बैंक से अपेक्षित है कि वह 2014 में इस हानि के 20% (अर्थात $10 मिलयन) को मान्य करे। इसका यह अर्थ है कि इस हानि में से 80% हानि (अर्थात् $40 मिलयन) को मान्य नहीं किया गया है। अत: क्षेत्राधिकार में 26 और 27 पंक्तियों के बीच यह जोड़ा जाएगा जिससे बैंकों को अपनी अवसूलनीय हानि को वापस जोड़ने का अवसर मिलेगा। इसके बाद बैंक इस पंक्ति में 40 मिलियन को सामान्य इक्विटी टियर 1 के अतिरिक्त के रूप में रिपोर्ट करेंगे।

- बासल III विनियामक समायोजन के मौजूदा ट्रीटमेंट पर जोखिम भार लागू करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, जोखिम भारित आस्तियों पर पंक्ति (पंक्ति 60) से तुरंत पहले नई पंक्तियाँ शामिल की गयी हैं।

- उदाहरण 4: मान लीजिए कि कोई बैंक वर्तमान में परिभाषित लाभ पेंशन कोष में निवल आस्तियों को 100% जोखिम भार देता है। वर्ष 2013 में बैंक के पास इस प्रकार की रु. 50 मिलियन डालर परिसंपत्ति है। संक्रमणकालीन व्यवस्था में इस बैंक से अपेक्षित है कि वर्ष 2013 में संपत्ति से 20% घटाए। अर्थात बैंक 15वीं पंक्ति के पहले रिक्त स्थान में 10 मिलियन रुपये और 40 मिलियन रुपये दूसरे रिक्त स्थान में रिपोर्ट करेगा (अत: दो स्थानों का जोड़ कुल बासल III विनियामक समायोजन के बराबर होगा)। पंक्ति 59 और 60 के बीच शामिल पंक्तियों में से एक पंक्ति में बैंक यह घोषित करेगा कि संक्रमणकालीन चरण में इस प्रकार की संपत्ति 100% जोखिम भारित हैं। इसके बाद बैंक उस पंक्ति में 40 मिलियन रुपये रिपोर्ट करेगा (40 मिलियन रुपए * 100%)।

- उदाहरण 5: मान लीजिए कि एक मामले में किसी वित्तीय संस्था की पूंजी में किया गया निवेश 100 मिलियन रुपए है जो वर्तमान पद्धति के अंतर्गत 125% जोखिम भार के लिए पात्र है। मान लीजिए कि यह निवेश बासल III के अंतर्गत सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी से घटाया जाएगा। वर्ष 2013 में संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं के अंतर्गत बैंक को चाहिए कि वे 20 मिलियन रुपए घटाए और 18 नंबर पंक्ति के पहले रिक्त स्थान में रिपोर्ट करे तथा 80 मिलियन रुपए दूसरे रिक्त स्थान में रिपोर्ट करे। इसके बाद बैंक 59 और 60 पंक्ति के बीच शामिल पंक्तियों में से एक पंक्ति में घोषित करेगा कि ऐसी संपत्ति संक्रमणकालीन चरण के दौरान जोखिम भारित हैं। बाद में बैंक उस पंक्ति में 100 मिलियन रुपये रिपोर्ट करेगा (80 मिलियन रुपए ∗100%)।

- जैसा कि ऊपर उदाहरण में स्पष्ट किया गया है और रिपोर्टिंग टेम्पलेट (सारणी 2) से देखा जा सकता है मौजूदा ट्रीटमेंट दर्शाने के लिए विनियामक समायोजन पर तीन अनुभागों में से प्रत्येक अनुभाग में नयी पंक्तियाँ जोड़ी गयी हैं। यह तीन अनुभाग 26 और 27 पंक्ति, 41 और 42 पंक्ति और 56 और 57 पंक्ति के बीच हैं। बैंकों को संक्रमण अवधि के दौरान बासल III पूर्व (अर्थात मौजूदा ट्रीटमेंट) ट्रीटमेंट दर्शाने के लिए जितनी भी चाहिए पंक्तियाँ जोड़ने का स्वातंत्र्य है।

- इसी प्रकार, जोखिम भारित आस्तियों की जोखिम भारिता की मौजूदा ट्रीटमेंट दिखाने के लिए 59 और 60 पंक्ति के बीच एक और अनुभाग जोड़ा गया है। बैंकों को संक्रमण अवधि के दौरान बासल III पूर्व (अर्थात् 01 अप्रैल 2013 से पहले के) ट्रीटमेंट दर्शाने के लिए जितनी भी चाहिए पंक्तियाँ जोड़ने की स्वतन्त्रता है।

## सारणी डीएफ - 11: पूंजी की संरचना

## भाग II 31 : मार्च 2017 से पहले प्रयोग किया जाने वाला टेम्प्लेट (अर्थात् बासल III विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान)

**(रू. मिलियन में)**

| विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयोग किया जाने वाला बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) | | बासल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि | संदर्भ सं. |
|---|---|---|---|
| **सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजीः लिखत और आरक्षित निधियाँ** | | | |
| 1 | सीधे जारी की गयी अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) | | |
| 2 | प्रतिधारित आय | | |
| 3 | संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियां) | | |
| 4 | सीईटी1 से धीरे-धीरे समाप्त होने के अधीन सीधे जारी की गयी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू[1]) | | |
| | ***सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूंजी डालने को 1 जनवरी 2018 तक पुराने नियम के अनुसार मान्य करना (ग्रांडफादर्ड)*** | | |
| 5 | सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गयी और तीसरे पक्ष (सीईटी1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी | | |
| 6 | विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी | | |
| सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजीः विनियामक समायोजन | | | |
| 7 | विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन | | |
| 8 | गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल) | | |
| 9 | मॉर्टगेज-सर्विसिंग अधिकार के अलावा अमूर्त आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल) | | |
| 10 | आस्थगित कर संपत्ति[2] | | |
| 11 | नकदी-प्रवाह बचाव रिज़र्व | | |
| 12 | अपेक्षित हानि के लिए प्रावधानों की कमी | | |
| 13 | विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ | | |
| 14 | उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि | | |
| 15 | परिभाषित-लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति | | |
| 16 | निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो) | | |
| 17 | सामान्य ईक्विटी में परस्पर क्रॉस-होल्डिंग | | |

[1] भारत में वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू नहीं।

[2] बासल समिति (दिसंबर 2010) द्वारा जारी नियमावली पाठ के अनुसार जो डीटीए वसूली के लिए बैंक की भविष्य की लाभप्रदता पर निर्भर है वही घटाये जाने हैं। जो डीटीए अस्थायी भिन्नताओं से संबंधित हैं उनको पैराग्राफ 87 में दर्शाए गए अनुसार 'सीमांत कटौतियां' के अंतर्गत ट्रीट किया जाना है। तथापि, भारत में बैंकों से अपेक्षित है कि वे सीईटी1 पूंजी से सभी डीटीए को घटाएं चाहे उनका स्रोत कुछ भी हो।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)। | | |
| 19 | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्टपोजिशन (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि).[3] निवल। | | |
| 20 | मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार.[4] (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) | | |
| 21 | अस्थायी भिन्नता.[5] से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि, संबंधित कर देयता का निवल) | | |
| 22 | 15% की प्रारंभिक सीमा.[6] से अधिक राशि | | |
| 23 | *जिनमें से: वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश* | | |
| 24 | *जिनमें से: मॉर्टगेज सर्विसिंग अधिकार* | | |
| 25 | *जिनमें से: अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां* | | |
| 26 | राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन.[7] (26क + 26ख + 26ग + 26 घ) | | |
| 26 क | *जिसमें से:* असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश | | |
| 26 ख | *जिसमें से:* असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों.[8] के ईक्विटी पूंजी में निवेश | | |
| 26 ग | *जिसमें से:* बैंक के साथ गैर-समेकित.[9] प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं के ईक्विटी पूंजी में कमी | | |
| 26 घ | *जिसमें से:* अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय | | |
| | बासल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के संबंध में सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन | | |
| | *जिसमें से: [समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें]*<br>उदाहरण के लिए : एएफ़एस ऋण प्रतिभूतियों पर अवसूल हानियों को बाहर निकाल देना (भारतीय संदर्भ में अप्रासंगिक ) | | |
| | *जिसमें से: [समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें]* | | |

[3] बीमा और गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों को छोड़कर अन्य में किये गये महत्वपूर्ण निवेश ही केवल यहां रिपोर्ट किये जाने चाहिए। बीमा और गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों को पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य हेतु समेकित नहीं किया गया है। बीमा सहायक कंपनियों में ईक्विटी तथा अन्य- विनियामक पूंजी निवेशों को बैंकिंग समूह की समेकित विनियामक पूंजी से संपूर्ण रूप से घटाया गया है। तथापि, बासल समिति के बासल III नियमावली पाठ के अनुसार बीमा सहायक कंपनियां महत्वपपूर्ण निवेशों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसलिए उनको पूरी तरह घटाने के बजाय 10 प्रतिशत सीमांत नियम के आधार पर घटाया गया है।

[4] भारतीय संदर्भ में लागू नहीं।

[5] कृपया उक्त फुट नोट 2 देखें।

[6] भारतीय संदर्भ में लागू नहीं।

[7] जो समायोजन विशेष रूप से (बासल समिति द्वारा निर्धारित) बासल III विनियामक समायोजनों के लिए नहीं है उन्हें इस पंक्ति के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाएगा। तथापि, जो भी विनियामक समायोजन बासल III से संबद्ध है अर्थात् जहां बासल III विनियामक समायोजनों की परिभाषा में कोई बदलाव है, इन बदलावों के प्रभाव की व्याख्या प्रकटीकरण टेम्पलेट की टिप्पणियों में की जाएगी।

[8] पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य के लिए गैर-वित्तीय सहायक कंपनियां समेकित नहीं की गई हैं। गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों में ईक्विटी तथा अन्य विनियामक पूंजी निवेश समूह के समेकित विनियामक पूंजी से घटाए गए हैं। बासल समिति के बासल III नियमावली पाठ के अंतर्गत इन निवेशों का पूंजी से पूरी तरह घटाया जाना अपेक्षित नहीं है।

[9] कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र का पैरा 3.3.5 देखें। कृपया बासल समिति (जून 2006) द्वारा जारी किए गए बासल 2 फ्रेमवर्क का पैरा 34 भी देखें। यद्यपि यह राष्ट्र विशिष्ट समायोजन नहीं है, इसको यहां रिपोर्ट किया गया है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *जिसमें सेः [समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें]* | | |
| 27 | अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन | | |
| 28 | **सामान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन** | | |
| 29 | **सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)** | | |
| | **अतिरिक्त टियर 1 पूंजीः लिखत** | | |
| 30 | सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32) | | |
| 31 | जिसमें सेः लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयर) | | |
| 32 | जिसमें सेः लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत) | | |
| 33 | *अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत* | | |
| 34 | सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी1 लिखत) | | |
| 35 | *जिसमें से; चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत* | | |
| 36 | **विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1** | | |
| | **अतिरिक्त टियर पूंजी 1 : विनियामक समायोजन** | | |
| 37 | निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश | | |
| 38 | अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग्स | | |
| 39 | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शॉर्टपोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है। | | |
| 40 | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्टपोजिशन[10] निवल। | | |
| 41 | राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41 क + 41 ख) | | |
| 41क | *जिनमें से;* गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश | | |
| 41ख | बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है। | | |
| | बासल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीनराशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 को लागू किए गए विनियामक समायोजन | | |
| | जिसमें से [समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें, जैसे डीटीए] | | |
| | जिसमें से [समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें, जैसे विद्यमान समायोजन, | | |

[10] कृपया उक्त फुट नोट 3 देखें।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | जिनकी टियर 1 में से 50 प्रतिशत पर कटौती की गई है] | | |
| | जिसमें से [समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें] | | |
| 42 | कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन | | |
| 43 | **अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन** | | |
| 44 | अतिरिक्त टियर 1 पूंजी | | |
| 45 | टियर 1 पूंजी (टी1=सीईटी1+ स्वीकार्य एटी1) (29+44क) | | |
| | **टियर 2 पूंजीः लिखत एवं प्रावधान** | | |
| 46 | सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष | | |
| 47 | टियर 2 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत | | |
| 48 | सहायक कंपनियों द्वारा जारी किये गये एवं तृतीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह टियर 2 में अनुमत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सीईटी1 और एटी1 लिखत) | | |
| 49 | *जिनमें से; चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत* | | |
| 50 | प्रावधान[12] | | |
| 51 | **विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूंजी** | | |
| | **टियर 2 पूंजीः विनियामक समायोजन** | | |
| 52 | निजी टियर 2 लिखत में निवेश | | |
| 53 | टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग्स | | |
| 54 | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शॉर्टपोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है। | | |
| 55 | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश[13] का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल। | | |
| 56 | राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क + 56ख) | | |
| 56क | *जिसमें से;* गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश | | |
| 56ख | *जिसमें से;* बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है। | | |
| | बासल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के संबंध में सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन | | |
| | *जिनमें सेः [*समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें, जैसे विद्यमान समायोजन, जिनकी टियर 2 में से 50 प्रतिशत पर कटौती की गई है*]* | | |
| | *जिनमें सेः [समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें]* | | |

[12] अनुबंध I मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.5.1 के अनुसार पात्र प्रावधान तथा पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व दोनों रिपोर्ट किये जाने हैं तथा इन दो मदों का ब्रेक-अप टिप्पणियों में दिया जाना है।

[13] कृपया उक्त फुट नोट 3 देखें।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 57 | **टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन** | | |
| 58 | **टियर 2 पूंजी (टी 2)** | | |
| 59 | **कुल पूंजी (टीसी = टी1+ टी2) (45+58ग)** | | |
| | बासल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां | | |
| | *जिसमें सेः [समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें]* | | |
| | *जिसमें सेः .....* | | |
| 60 | **कुल जोखिम भारित आस्तियां (60 क + 60 ख + 60 ग)** | | |
| 60 क | *जिसमें सेः कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां* | | |
| 60 ख | *जिसमें सेः कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां* | | |
| 60 ग | *जिसमें सेः कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां* | | |
| | **पूंजी अनुपात** | | |
| 61 | सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) | | |
| 62 | टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) | | |
| 63 | कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) | | |
| 64 | संस्था विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी1 अपेक्षा और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त) | | |
| 65 | जिसमें सेः पूंजी संरक्षण बफर अपेक्षाएं | | |
| 66 | जिसमें सेः बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं | | |
| 67 | जिसमें सेः जी-एसआईबी बफर अपेक्षाएं | | |
| 68 | बफर की अपेक्षा पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) | | |
| | **राष्ट्रीय न्यूनतम (बासेल III से भिन्न हो तो)** | | |
| 69 | राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से भिन्न हो तो) | | |
| 70 | राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो तो) | | |
| 71 | राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो तो) | | |
| | **कटौती के लिए अधिकतम सीमा के नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले)** | | |
| 72 | अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश | | |
| 73 | वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश | | |
| 74 | मार्टगेज सर्विसिंग राइट्स (संबंधित कर देयता का निवल) | | |
| 75 | अस्थायी भिन्नताओं से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल) | | |
| | **टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने पर लागू सीमाएं (कैप्स)** | | |
| 76 | मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोज़र के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व) | | |
| 77 | मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा (पर कैप) | | |
| 78 | आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोज़र के संबंध में टियर 2 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व) | | |
| 79 | आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा | | |
| **फेज आऊट व्यवस्थाओं के अधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)** | | | |
| 80 | फेज आऊट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी1 लिखतों पर मौजूदा कैप | | |
| 81 | कैप के कारण सीईटी1 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त) | | |
| 82 | फेज आऊट व्यवस्थाओं के अधीन एटी1 लिखतों पर मौजूदा कैप | | |
| 83 | कैप के कारण एटी1 में शामिल नहीं की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त) | | |
| 84 | फेज आऊट व्यवस्थाओं के अधीन टी2 लिखतों पर मौजूदा कैप | | |
| 85 | *कैप के कारण टी 2 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)* | | |

**टेम्प्लेट के लिए नोट**

| टेम्प्लेट की पंक्ति सं. | विवरण | मिलियन रुपया |
|---|---|---|
| 10 | संचित हानियों से संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां | |
| | आस्थगित कर देयता से घटाई गई (संचित हानियों से जुड़ी हुई को छोड़कर) आस्थगित कर आस्तियां | |
| | पंक्ति 10 में इंगित किये गये अनुसार कुल | |
| 19 | यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों को पूंजी से पूरी तरह नहीं घटाया गया और उसकी बजाय कटौती की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत मान्य किया गया तो बैंक की पूंजी में परिणामी वृद्धि | |
| | जिसमें से : सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि | |
| | जिसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि | |
| | जिसमें से : टियर 2 पूंजी में वृद्धि | |
| 26 ख | यदि गैर-समेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश को नहीं घटाया गया और इसलिए जोखिम भार लगाया गया तो: | |
| | (i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि | |
| | (i i) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि | |
| 50 | टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान | |
| | टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व | |
| | पंक्ति 50 का कुल | |

| सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट के प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या | |
|---|---|
| पंक्ति सं. | व्याख्या |
| 1. | रिपोर्ट करनेवाले बैंकिंग समूह के अभिभावक बैंक द्वारा जारी लिखत, जो सीईटी1 में प्रवेश पाने हेतु मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 4.2.3 में दर्शाया गया मानदंड पूरा करते हैं; (अनुबंध 1/ अनुबंध 2 के साथ पठित) का यथालागू। यह सामान्य शेयरों (और संबंधित अधिशेष मात्र) के योग के बराबर होना चाहिए और इसे सामान्य शेयर मानदंड को पूरा करना चाहिए। इसे खज़ाना स्टॉक और स्वयं के शेयरों में अन्य निवेशों का निवल इस सीमा तक होना चाहिए कि इन्हें संबंधित लेखांकन मानकों के अंतर्गत तुलनपत्र में पहले ही डी-रेकगनाईज्ड किया गया हो। अन्य चुकता पूंजी के अवयवों को अवश्य निकाल देना चाहिए। सभी अल्पमत हित भी निकाले जाने चाहिए। |
| 2. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.3 के अनुसार सभी विनियामक समायोजनों से पूर्व प्रतिधारित आय |
| 3. | सभी विनियामक समायोजनों से पूर्व संचयी अन्य व्यापक आय तथा अन्य प्रकटीकृत रिज़र्व |
| 4. | बैंकों को इस पंक्ति में शून्य रिपोर्ट करना अनिवार्य है। |
| 5. | सहायक कंपनियों द्वारा जारी और थर्ड पार्टी द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी। इसमें केवल उसी राशि को रिपोर्ट किया जाना चाहिए जो पैरा 4.3.4 के प्रयोग द्वारा निर्धारित समूह सीईटी1 में शामिल किये जाने हेतु पात्र है (उदाहरण के लिए अनुबंध 17 भी देखें)। |
| 6. | पंक्तियों 1 से 5 का योग। |
| 7. | मास्टर परिपत्र के पैरा 8.8 की अपेक्षाओं के अनुसार मूल्यांकन समायोजन। |
| 8. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.1 में दर्शाये गये अनुसार संबंधित कर देयता का निवल गुडविल |
| 9. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.1 में दर्शाये गये अनुसार अमूर्त आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल |
| 10. | आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल), जैसाकि मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.2 में निर्धारित किया गया है |
| 11. | पैरा 4.3 में व्यक्त कैश फ्लो हेज रिज़र्व का तत्व, जैसाकि मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.3 में निर्धारित किया गया है |
| 12. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.4 में यथावर्णित अपेक्षित हानियों के लिए किये गये प्रावधानों में कमी |
| 13. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.5 में यथावर्णित विक्रय पर प्रतिभूतीकरण लाभ |
| 14. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.6 में यथावर्णित उचित रूप से मूल्यांकित देयताओं पर स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ एवं हानियां |
| 15. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.7 में यथावर्णित कटौती की जानेवाली राशि, परिभाषित लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियां |
| 16. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.8 में यथावर्णित निजी शेयरों (यदि रिपोर्ट किये गये तुलन पत्र पर चुकता पूंजी का निवल पहले नहीं किया गया तो) में निवेश |
| 17. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.9.2 में यथावर्णित सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक क्रॉस होल्डिंग |
| 18. | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के पूंजी में निवेश जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), राशि को सीईटी 1 से 'दिशानिर्देशों' के अनुबंध 1 का खंड ग पैरा 4.9.2.2 के अनुसार घटाया जाये। |
| 19. | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य |

| | |
|---|---|
| | स्टॉक में निवेश जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), राशि को सीईटी 1 से मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.9.2 के अनुसार घटाया जाये। |
| 20. | अप्रासंगिक |
| 21. | अप्रासंगिक |
| 22. | अप्रासंगिक |
| 23. | अप्रासंगिक |
| 24. | अप्रासंगिक |
| 25. | अप्रासंगिक |
| 26. | कोई राष्ट्र विशेष विनियामक समायोजन जो बासल III न्यूनतम समायोजन समुचय के अतिरिक्त सीईटी1 के लिए प्रयोग करना राष्ट्रीय प्राधिकारों द्वारा अपेक्षित है [अर्थात् बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति द्वारा जारी किये गये दिसंबर 2010 (जून 2011 में संशोधित) दस्तावेज के अनुसार]। |
| 27. | कटौतियों को कवर करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 के कारण सामान्य ईक्वटी टियर 1 में प्रयुक्त विनियामक समायोजन। यदि पंक्ति 43 में रिपोर्ट की गई राशि पंक्ति 36 में रिपोर्ट की गई राशि से अधिक है, तो यह आधिक्य यहां रिपोर्ट किया जाना चाहिए। |
| 28. | सामान्य ईक्वटी टियर 1 में प्रयुक्त कुल विनियामक समायोजन, जिसकी गणना पंक्तियों 7 से 22 और 26 से 27 के संपूर्ण योग के रूप में की जानी है। |
| 29. | सामान्य ईक्वटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1) जिसकी गणना पंक्ति 6 से पंक्ति 28 को घटाकर की जानी है। |
| 30. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.4 में निर्धारित सभी एटी1 प्रवेश मानदंडों को पूर्ण करने वाले लिखत। समेकित समूह की सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत इस पंक्ति में शामिल न किए जाएं। |
| 31. | पंक्ति 30 की राशि को लागू लेखांकन मानकों के अधीन इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। |
| 32. | पंक्ति 30 की राशि को लागू लेखांकन मानकों के अधीन देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। |
| 33. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.5.4 की अपेक्षाओं के अनुसार अतिरिक्त टियर 1 में से चरणबद्ध रूप से हटाने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत |
| 34. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.3.4 के अनुसार सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए तथा तीसरे पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा 5वीं पंक्ति में शामिल न किए गए सीईटी1 लिखत) (कृपया उदाहरण के लिए अनुबंध 17 देखें) |
| 35. | मास्टर परिपत्र के पैरा 6.4 की अपेक्षाओं के अंतर्गत एटी1 से फेज आउट होने के अधीन लिखतों से संबंधित पंक्ति 34 में रिपोर्ट की गई राशि |
| 36. | पंक्तियों 30, 33 और 34 का योग |
| 37. | स्वयं के टियर 1 लिखतों में निवेश, मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.8 के अनुसार यह राशि एटी1 में से घटाई जाए। |
| 38. | टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस होल्डिंग्स, मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.9.2 के अनुसार एटी1 में से घटाई जाने वाली राशि |
| 39. | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं में (पात्र शॉर्ट पोजीशन्स को घटा कर) निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, जहां बैंक के स्वामित्व में संस्था की जारी की गई सामान्य शेयर पूंजी के 10% से ज्यादा नहीं है, मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.9.2 (ख) के अनुसार टियर 2 में से |

| | |
|---|---|
| | घटाई जाने वाली राशि। |
| 40. | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं में (पात्र कमी की स्थितियों को घटा कर) महत्वपूर्ण निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.9.2 (ग) के अनुसार एटी1 में से घटाई जाने वाली राशि। |
| 41. | अतिरिक्त टियर 1 में बासल III न्यूनतम समायोजनों के सेट के अलावा लागू किए जाने वाले राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित कोई राष्ट्रीय विनिर्दिष्ट विनियामक समायोजन है [अर्थात् बासल समिति द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण पर जारी दिसंबर 2010 ( संशोधित जून 2011) दस्तावेज ] |
| 42. | कटौतियों को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन। यदि पंक्ति 57 में रिपोर्ट की गई राशि पंक्ति 51 में रिपोर्ट की गई राशि से अधिक है, अधिक हो तो इस आधिक्य को यहां रिपोर्ट किया जाए। |
| 43. | पंक्तियां 37 से 42 का योग। |
| 44. | अतिरिक्त टियर 1 पूंजी, अतिरिक्त टियर 1 पूंजी पंक्ति 36 में से पंक्ति 43 घटाने के रूप में गणना की जाए। |
| 45. | टियर 1 पूंजी पंक्ति 29+पंक्ति 44 ए के रूप में गणना की जाए। |
| 46. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.5 में टियर 2 प्रवेश निर्धारित सभी मानदंडों को पूर्ण करने वाले लिखत। समेकित समूह की सहायक संस्थाओं द्वारा जारी सभी लिखतों को इस पंक्ति से निकाल देना चाहिए। प्रावधान और पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों को इस पंक्ति के टियर 2 में शामिल नहीं करना चाहिए। |
| 47. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.5.4 की अपेक्षाओं के अनुसार टियर 2 में से फेज-आउट के अधीन सीधे जारी पूंजी लिखत। |
| 48. | मास्टर परिपत्र के पैरा 4.3.4 के अनुसार सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा धारित (टियर 2 समूह में अनुमत राशि) टियर 2 लिखत (तथा पंक्ति 5 या 32 में शामिल न किए गए सीईटी1 और एटी1 लिखत)। |
| 49. | पंक्ति 48 में रिपोर्ट की गई राशि मास्टर परिपत्र के पैरा 4.5.4 के अनुसार टियर 2 में से फेज-आउट के अधीन लिखतों से संबंधित है। |
| 50. | टियर 2 में शामिल प्रवधान और पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां, जिनकी मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.5 के अनुसार की गई। |
| 51. | पंक्ति 46 से 48 तथा पंक्ति 50 का योग |
| 52. | स्वयं के टियर 2 लिखतों में निवेश, मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.8 के अनुसार यह राशि टियर 2 में से घटाई जाए। |
| 53. | टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस होल्डिंग्स, मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.9.2 के अनुसार यह राशि टियर 2 में से घटाई जाए। |
| 54. | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं में निवेश, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, जहां बैंक के स्वामित्व में संस्था की जारी की गई सामान्य शेयर पूंजी के 10% से ज्यादा नहीं है (पात्र कमी की स्थितियों को घटा कर), मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.9.2 (ख) के अनुसार टियर 2 में से घटाई जाने वाली राशि। |
| 55. | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं में महत्वपूर्ण निवेश, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है (पात्र कमी की स्थितियों को घटा कर), मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.9.2 (ग) के अनुसार टियर 2 में से घटाई जाने वाली राशि। |

| | |
|---|---|
| 56. | कोई राष्ट्र-विनिर्दिष्ट विनियामक समायोजन, जो राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा बासल III न्यूनतम समायोजनों के सेट के अतिरिक्त टियर 2 में लागू करना अपेक्षित है [अर्थात् बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति द्वारा जारी दिसंबर 2010 (जून 2011 में संशोधित) दस्तावेज ] |
| 57. | पंक्तियों 52 से 56 तक का योग। |
| 58. | टियर 2 पूंजी, पंक्ति 51 में से पंक्ति 57 घटा कर गणना की जाए। |
| 59. | कुल पूंजी पंक्ति 45 + पंक्ति 58 सी के रूप में गणना की जाए। |
| 60. | रिपोर्ट करने वाले समूह की कुल जोखिम भारित आस्तियां। ब्यौरा पंक्तियों 60ए, 60बी और 60सी में प्रस्तुत किया जाए। |
| 61. | कॉमन इक्विटी टियर1 (जोखिम-भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त), पंक्ति 29 को पंक्ति 60 से भाग देकर गणना की जाए (प्रतिशत के रूप में व्यक्त)। |
| 62. | टियर1 अनुपात (जोखिम-भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त), पंक्ति 45 को पंक्ति 60 से भाग देकर गणना की जाए (प्रतिशत के रूप में व्यक्त)। |
| 63. | कुल पूंजी अनुपात (जोखिम-भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त), पंक्ति 59 को पंक्ति 60 से भाग देकर गणना की जाए (प्रतिशत के रूप में व्यक्त)। |
| 64. | संस्था- विशिष्ट की बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी1 अपेक्षा और पूंजी संरक्षण बफर + प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं + जी-एसआईबी अपेक्षाएं, जिन्हें जोखिम-भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। गणना 5.5%+2.5% पूंजी संरक्षण बफर + जब भी सक्रिय और लागू हो बैंक-विशिष्ट की प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षा+ बासल समिति द्वारा जारी *ग्लोबल सिस्टमटिकली इंपोर्टेंट बैंक्स: असेस्मेंट मेथडोलोजी अँड द अड्शिनल लॉस अब्सोर्बेंसी रिकवाइरमेंट: रूल्स टेक्स्ट* (नवंबर 2011) में यथानिर्धारित बैंक जी-एसआईबी अपेक्षाएं। यह पंक्ति उस सीईटी1 अनुपात को दर्शाएगी जिससे नीचे बैंक वितरणों पर पाबंदियों के अधीन हो जाएगा। |
| 65. | पंक्ति 64 की राशि (जोखिम-भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त), जो पूंजी संरक्षण बफर से संबंधित है, अर्थात् बैंक यहां 2.5% रिपोर्ट करेंगे। |
| 66. | पंक्ति 64 में राशि, जो बैंक के विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षा से संबंधित है (जोखिम-भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त) |
| 67. | पंक्ति 64 में राशि, जो बैंक की जी-एसआईबी अपेक्षा से संबंधित है (जोखिम-भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त) |
| 68. | बफर्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध कॉमन इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)। बैंक का सीईटी1 अनुपात के रूप में इसकी गणना करने कए लिए इसमें से बैंक की न्यूनतम सीईटी1, न्यूनतम टियर 1 और न्यूनतम कुल पूंजी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए प्रयुक्त कोइ सामान्य इक्विटी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) घटा दी जाए। |
| 69. | राष्ट्रीय कॉमन इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से भिन्न हो)। 5.5% को रिपोर्ट किया जाए। |
| 70. | राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से भिन्न हो)। 7% को रिपोर्ट किया जाए। |
| 71. | राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से भिन्न हो)। 9% को रिपोर्ट किया जाए। |
| 72. | अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में अमहत्वपूर्ण निवेश, ऐसी धारित राशियों की कुल राशि, जो पंक्ति 18, पंक्ति 39 और पंक्ति 54 में रिपोर्ट नहीं की गई। |
| 73. | वित्तीय संस्थाओं के सामान्य सटॉक में महत्वपूर्ण निवेश, ऐसी धारित राशियों की कुल राशि, जो |

| | |
|---|---|
| | पंक्ति 19 में रिपोर्ट नहीं की गई। |
| 74. | मॉर्टगेज सर्विसिंग राइट्स, ऐसी धारित राशियों की कुल राशि, जो पंक्ति 19 और पंक्ति 23 में रिपोर्ट नहीं की गई - भारत में लागू नहीं। |
| 75. | अस्थायी अंतरों के कारण उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियां, ऐसी धारित राशियों की कुल राशि, जो पंक्ति 21 और पंक्ति 25 में रिपोर्ट नहीं की गई - भारत में लागू नहीं। |
| 76. | मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिमों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान, जिनकी गणना मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.5 के अनुसार की गई। |
| 77. | मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर2 में प्रावधानों में शामिल करने हेतु अधिकतम सीमा, जिनकी गणना मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.5 के अनुसार की गई। |
| 78. | आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिमों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान, जिनकी गणना मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.5 के अनुसार की गई। |
| 79. | आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन प्रावधानों को टियर 2 में शामिल करने की अधिकतम सीमा, जिनकी मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.5 के अनुसार की गई। |
| 80. | फेज-आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी1 लिखतों पर चालू अधिकतम सीमा, देखें पैरा 4.5.5 |
| 81. | अधिकतम सीमा के कारण सीईटी1 में से निकाली गई राशि (मोचनों और परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से आधिक्य), देखें मास्टर परिपत्र का पैरा 4.5.5 |
| 82. | फेज-आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी1 लिखतों पर चालू अधिकतम सीमा, देखें मास्टर परिपत्र का पैरा 4.5.4 |
| 83. | अधिकतम सीमा के कारण एटी1 में से निकाली गई राशि (मोचनों और परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से आधिक्य), देखें मास्टर परिपत्र का पैरा 4.5.4 |
| 84. | चरणबद्ध रूप से हटाने की व्यवस्था के अधीन टी2 लिखतों पर चालू उच्चतम सीमा, देखें मास्टर परिपत्र का पैरा 4.5.4 |
| 85. | उच्चतम सीमा के कारण टी2 में से निकाली गई राशि (मोचनों और परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से आधिक्य) देखें मास्टर परिपत्र का पैरा 4.5.4 |

**3.3 समाधान अपेक्षाओं के लिए त्रिचरणीय दृष्टिकोण का उदाहरण**

**चरण 1**

पहले चरण के अंतर्गत बैंकों को अपने वित्तीय विवरणों )नीचे मध्य स्तंभ में रिपोर्ट किए गए संख्या) में अपने तुलन पत्र को लेना है तथा समेकन का दायरा लागू किए जाने पर अंकों को रिपोर्ट किया जाए (संख्या नीचे दायें स्तंभ में रिपोर्ट किए जाएं)। यदि विनियामक समेकन तुलन पत्र में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो कि प्रकाशित वित्तीय विवरणों में मौजूद नहीं हैं तो बैंकों को मध्य स्तंभ में शून्य का मूल्य देना है और समेकन के विनियामक दायरे के लिए विनिर्दिष्ट स्तंभ में तदनुरूप राशि प्रस्तुत की जाए। तथापि बैंकों को चाहिए कि वे तुलन पत्र में ऐसी राशि पर उनके द्वारा किए गए वास्तविक ट्रीटमेंट को दर्शाएं।

## सारणी डीएफ-12: पूंजी की संरचना - मिलान संबंधी अपेक्षाएं

**(राशि करोड़ रुपयों में)**

| | | **वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र** | **समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र** |
|---|---|---|---|
| | | **रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार** | **रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार** |
| **क** | **पूंजी तथा देयताएं** | | |
| **i** | प्रदत्त पूंजी | | |
| | आरक्षित निधि तथा अधिशेष | | |
| | अल्प शेयर धारियों को ब्याज | | |
| | कुल पूंजी | | |
| **ii** | जमाराशियां | | |
| | *जिनमें से* : बैंकों की जमाराशियां | | |
| | *जिनमें से* : ग्राहकों की जमाराशियाँ | | |
| | *जिनमें से :* अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें) | | |
| **iii** | उधार | | |
| | *जिनमें से :* भारतीय रिजर्व बैंक से | | |
| | *जिनमें से:* बैंकों से | | |
| | *जिनमें से*: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से | | |
| | *जिनमें से:* अन्य (कृपया स्पष्ट करें) | | |
| | *जिनमें से* : पूंजी लिखत | | |
| **iv** | अन्य देयताएं एवं प्रावधान | | |
| | **कुल** | | |
| | | | |
| **ख** | **आस्तियां** | | |
| **i** | भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष | | |
| | बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | | |
| **ii** | निवेश : | | |
| | *जिनमें से* : सरकारी प्रतिभूतियां | | |
| | *जिनमें से* : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | | |
| | *जिनमें से* : शेयर | | |
| | *जिनमें से* : डिबेंचर तथा बॉण्ड | | |
| | *जिनमें से* : अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम / सहयोगी संस्थाएं | | |
| | *जिनमें से* : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड आदि) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| iii | ऋण तथा अग्रिम | | |
| | *जिनमें से* : बैंकों को ऋण तथा अग्रिम | | |
| | *जिनमें से* : ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम | | |
| iv | अचल आस्तियां | | |
| v | अन्य आस्तियां | | |
| | *जिनमें से : साख (गुड्विल) तथा अमूर्त आस्तियां* | | |
| | *जिनमें से :* आस्थगित कर आस्तियां | | |
| | | | |
| vi | समेकन पर गुडविल | | |
| vii | लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष | | |
| | **कुल आस्तियां** | | |

**चरण 2**

चरण 2: सारणी डीएफ-11 (भाग I/ भाग II, जो भी लागू हो) में दी गई पूंजी प्रकटीकरण टेंप्लेट की परिभाषा में प्रयोग में लाए जानेवाले सभी तत्वों को निर्धारित करने के लिए तुलन पत्र के विनियामक दायरे (चरण I में बताया गया है) को विस्तारित करना होगा। नीचे कुछ ऐसे तत्वों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें किसी विशिष्ट बैंकिंग समूह के लिए विस्तारित करना आवश्यक होगा। बैंक का तुलन पत्र जितना जटिल होगा, उतनी अधिक मदों को प्रकट करना आवश्यक होगा। प्रत्येक तत्व को एक संदर्भ संख्या/अक्षर दिया जाना चाहिए जिसे चरण 3 में उपयोग में लाया जा सकेगा।

(राशि मिलियन रुपयों में)

| | | **वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र** | **समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र** |
|---|---|---|---|
| | | **रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार** | **रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार** |
| **क** | **पूंजी तथा देयताएं** | | |
| i | प्रदत्त पूंजी | | |
| | *जिसमें से: सीईटी 1 के लिए पात्र राशि* | | ङ |
| | *जिसमें से: एटी 1 के लिए पात्र राशि* | | च |
| | आरक्षित निधि तथा अधिशेष | | |
| | अल्प शेयर धरियों को ब्याज | | |
| | कुल पूंजी | | |
| ii | जमाराशियां | | |
| | *जिनमें से:* बैंकों की जमाराशियां | | |
| | *जिनमें से:* ग्राहक जमाराशियां | | |
| | *जिनमें से:* अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें) | | |
| iii | उधार | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | जिनमें सेः भारतीय रिज़र्व बैंक से | | |
| | जिनमें सेः बैंकों से | | |
| | *जिनमें सेः* अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से | | |
| | *जिनमें सेः* अन्य (कृपया स्पष्ट करें) | | |
| | *जिनमें सेः* पूंजी लिखत | | |
| **iv** | अन्य देयताएं एवं प्रावधान | | |
| | *जिनमें सेः* गुडविल से संबंधित डीटीएल | | ग |
| | *जिनमें सेः* अमूर्त आस्तियों से संबंधित मांग तथा मीयादी देयताएं | | घ |
| | **कुल** | | |
| | | | |
| **ख** | **आस्तियां** | | |
| **i** | भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष | | |
| | बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | | |
| **ii** | निवेश : | | |
| | *जिनमें से* : सरकारी प्रतिभूतियां | | |
| | *जिनमें से* : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | | |
| | *जिनमें से* : शेयर | | |
| | जिनमें से : डिबेंचर तथा बॉण्ड | | |
| | *जिनमें से* : अनुषंगी कंपनियां /संयुक्त उद्यम/ सहयोगी संस्थाएं | | |
| | *जिनमें सेः* अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड आदि) | | |
| **iii** | ऋण तथा अग्रिम | | |
| | *जिनमें से* : बैंकों को ऋण तथा अग्रिम | | |
| | *जिनमें से* : ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम | | |
| **iv** | अचल आस्तियां | | |
| **v** | अन्य आस्तियां | | |
| | *जिनमें सेः* गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां<br>*जिनमें सेः* | | |
| | (गुडविल) | | क |
| | अन्य अमूर्त तत्व (एमआरएस को छोडकर) | | ख |
| | जिनमें से : आस्थगित कर आस्तियां | | |
| **vi** | समेकन पर गुडविल | | |
| **vii** | लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष | | |
| | **कुल आस्तियां** | | |

**चरण 3 :** चरण 3 के अंतर्गत बैंकों को प्रत्येक निविष्टि (इनपुट) के स्रोत को दर्शाने के लिए सारणी डीएफ-11 (भाग I/II, जो भी लागू हो) में जोड़े गए स्तंभ को पूरा करना है।

(iii) उदाहरण के लिएः पूंजी प्रकटीकरण टेंप्लेट की परिभाषा में 'संबंधित आस्थगित कर देयता को हटाने के बाद गुडविल' शामिल है। सारणी डीएफ-11 (भाग I/II, जो भी लागू हो) के अंतर्गत प्रकटीकरण टेंप्लेट में इस मद के प्रकटीकरण के सामने बैंकों को क-ग डालना होगा ताकि यह दर्शाया जा सके कि टेंप्लेट की 8वीं पंक्ति की गणना समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र के घटक 'क' तथा घटक 'ग' के बीच के अंतर के रूप में की गई है जिसे घटक 'ग' तथा चरण 2 में दर्शाया गया है।

| बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेंप्लेट (जोड़े गए स्तंभ सहित) का उद्धरण - सारणी डीएफ-11 (भाग I/II, जो भी लागू हो) | | | |
|---|---|---|---|
| **सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत तथा आरक्षित निधियां*** | | | |
| | | बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक | चरण 2 से समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के संदर्भ संख्या/ पत्रों पर आधारित स्रोत |
| 1 | सीधे निर्गमित की गई अर्हक सामान्य शेयर (तथा संयुक्त-गैर-स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टॉक अधिशेष का जोड़ | | ङ. |
| 2 | प्रतिधारित आय | | |
| 3 | संचयित अन्य व्यापक आय आरक्षित (तथा अन्य निधियां) | | |
| 4 | सीईटी1 से हटाए जाने के अधीन सीधे निर्गमित पूंजी (केवल असंयुक्त नॉन स्टॉक कंपनियों पर लागू) | | |
| 5 | अनुषंगी संस्थाओं द्वारा निर्गमित तथा थर्ड पार्टी द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि) | | |
| 6 | विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी | | |
| 7 | विवेकपूर्ण मूल्यन समायोजन | | |
| 8 | गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल) | | क-ग |

*यह सारणी एक अलग प्रकटीकरण अपेक्षा नहीं है, बल्कि यह उद्धरण दर्शाता है कि सारणी डीएफ-11 में चरण 3 किस प्रकार प्रतिबिंबित होगा।

### 3.2 मुख्य विशेषताओं का टेम्प्लेट

(i) विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए जो टेम्प्लेट प्रयोग किए जाने हैं, उनका ब्योरा नीचे दिया गया है। बैंकों द्वारा प्रत्येक बकाया विनियामक पूंजी लिखत के लिए सभी छायांकित खानों को पूर्ण करना है (यदि प्रश्न लागू नहीं है तो बैंकों द्वारा "लागू नहीं" अंकित किया जाए)।

**सारणी डीएफ-13- विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं**

| विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों के प्रकटीकरण के लिए टेम्प्लेट | | |
|---|---|---|
| 1 | जारीकर्ता | |
| 2 | विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा: सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी नियुक्तियों के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता) | |
| 3 | लिखतों का नियंत्रण करने वाले नियम | |
| | *विनियामक ट्रीटमेंट* | |
| 4 | संक्रमणकालिक बासल III नियम | |
| 5 | उत्तर- संक्रमणकालिक बासल III नियम | |
| 6 | एकल/समूह/समूह एवं एकल स्तर पर पात्र | |
| 7 | लिखत का प्रकार | |
| 8 | विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (मिलियन रूपये में, अद्यतन रिपोर्ट की गई तिथि के अनुसार) | |
| 9 | लिखत का सम मूल्य | |
| 10 | लेखांकन वर्गीकरण | |
| 11 | जारी करने की मूल तिथि | |
| 12 | सतत अथवा दिनांकित | |
| 13 | मूल परिपक्वता तिथि | |
| 14 | पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल | |
| 15 | वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि | |
| 16 | अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो | |
| | *लाभांश/ कूपन* | |
| 17 | स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/ कूपन | |
| 18 | कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक | |
| 19 | लाभांश रोधक का अस्तित्व | |
| 20 | पूर्ण विवेकोधकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य | |
| 21 | भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व | |
| 22 | गैर-संचयी अथवा संचयी | |
| 23 | परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय | |
| 24 | यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर | |
| 25 | यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः | |
| 26 | यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर | |
| 27 | यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन | |
| 28 | यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें | |

| | | |
|---|---|---|
| 29 | यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें | |
| 30 | अवलेखन विशेषताएं | |
| 31 | यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर | |
| 32 | यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः | |
| 33 | यदि अवलिखित है तो, स्थाई अथवा अस्थाई | |
| 34 | यदि अस्थाई अवलेखन है तो, राईट अप प्रणाली का विवरण | |
| 35 | परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें) | |
| 36 | गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं | |
| 37 | यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना | |

(ii) उपर्युक्त तालिका के बायें कॉलम की संदर्भ संख्याओं का उपयोग करते हुए, जिसमें स्प्रेड शीट के ड्रॉप डाउन मेनु में शामिल विकल्पों की सूची जहां पर भी प्रासंगिक हो, प्रत्येक भूरे खाने में बैंक द्वारा क्या रिपोर्ट किया जाना है, इससे संबंधित और विस्तृत विवरण निम्नांकित तालिका से प्राप्त होंगे।

| मुख्य विशेषताएं प्रकटीकरण वाले टेम्प्लेट के मदों का और स्पष्टीकरण | |
|---|---|
| 1 | जारीकर्ता के विधिक हस्ती की पहचान करता है।<br>मुक्त पाठ |
| 2 | विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा: सीयूएसआईपी,आईएसआईएन अथवा निजी नियुक्तियों के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)।<br>मुक्त पाठ |
| 3 | लिखत के नियंत्रक नियम को विनिर्दिष्ट करता है।<br>मुक्त पाठ |
| 4 | संक्रमणकालिक बासल III विनियामक पूंजी के ट्रीटमेंट को विनिर्दिष्ट करता है।<br>मेनू से चयन करें: [ सामान्य इक्विटी टियर 1] [अतिरिक्त टियर 1] [टियर 2] |
| 5 | संक्रमणकालिक ट्रीटमेंट को शामिल न करते हुए बासल III नियमों के अंतर्गत विनियामक पूंजी ट्रीटमेंट को विनिर्दिष्ट करता है।<br>मेनू से चयन करें: [ सामान्य इक्विटी टियर 1] [अतिरिक्त टियर 1] [टियर 2][अपात्र] |
| 6 | समूह के भीतर ही उस स्तर (स्तरों) को विनिर्दिष्ट करता है जहां पर लिखत को पूंजी में शामिल किया गया<br>मेनू से चयन करें: [ एकल] [समूह] [एकल एवं समूह] |
| 7 | क्षेत्राधिकार की भिन्नता के आधार पर लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करता है। विशिष्टताओं की, खासतौर पर संक्रमण काल के दौरान, और सूक्ष्म समझ उपलब्ध कराता है।<br>*मेनू से चयन करें: [सामान्य शेयर] [सतत गैर-संचयी शेयर] [सतत ऋण लिखत] [उच्चतर टियर 2 पूंजी लिखत] [सतत संचयी अधिमानी शेयर] [भुनाने योग्य गैर-संचयी अधिमानी शेयर] [भुनाने योग्य संचयी अधिमानी शेयर] [टियर 2 ऋण लिखत] [अन्य - विनिर्दिष्ट करें]* |

| | |
|---|---|
| 8 | विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि को विनिर्दिष्ट करता है<br>मुक्त पाठ |
| 9 | लिखत का सममूल्य<br>मुक्त पाठ |
| 10 | लेखांकन वर्गीकरण को विनिर्दिष्ट करता है। हानि अवशोषकता का मूल्यांकन करने में सहायक है।<br>मेनू से चयन करें:<br>[शेयरधारक की ईक्विटी] [देयता] [समेकित सहायक कंपनी में गैर-नियंत्रक ब्याज (हित)] |
| 11 | जारी करने की तिथि विनिर्दिष्ट करता है<br>मुक्त पाठ |
| 12 | यह निर्धारित करता है कि दिनांकित है अथवा सतत<br>मेनू से चयन करें: [सतत] [दिनांकित] |
| 13 | दिनांकित लिखत के लिए मूल परिपक्पवता तिथि (दिन माह और वर्ष) विनिर्दिष्ट करता है। सतत लिखत के लिए 'कोई परिपक्वता नहीं' रखें।<br>मुक्त पाठ |
| 14 | यह विनिर्दिष्ट करता है कि जारीकर्ता कॉल ऑप्शन है अथवा नहीं। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में सहायक है।<br>मेनू से चयन करें: [हां] [नहीं] |
| 15 | जारीकर्ता कॉल ऑप्शन वाले लिखतों के साथ कॉल की पहली तिथि विनिर्दिष्ट करता है यदि लिखत का कॉल ऑप्शन किसी विनिर्दिष्ट तिथि (दिन माह और वर्ष) में हो और इसके अतिरिक्त यह विनिर्दिष्ट करता है कि लिखत में कर और/अथवा विनियामक घटना कॉल है अथवा नहीं। भुनाई का मूल्य भी विनिर्दिष्ट करता है।<br>कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में सहायक है।<br>मुक्त पाठ |
| 16 | यदि लागू हो तो अनुवर्ती कॉल तिथियों के अस्तित्व और उनकी आवर्तता को विनिर्दिष्ट करता है।<br>कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में सहायक है।<br>मुक्त पाठ |
| 17 | यह निर्धारित करता है कि कूपन/लाभांश लिखत के जीवन काल तक स्थिर रहता है अथवा अस्थिर रहता है, वर्तमान में स्थिर लेकिन भविष्य में अस्थिर, वर्तमान में अस्थिर लेकिन भविष्य में स्थिर।<br>मेनू से चयन करें: [स्थिर], [अस्थिर], [स्थिर से अस्थिर], [अस्थिर से स्थिर] |
| 18 | लिखत की कूपन दर विनिर्दिष्ट करता है और उसे संबंधित कोई सूची जो कूपन/लाभांश दर संदर्भित करती है। |

| | |
|---|---|
| | मुक्त पाठ |
| 19 | यह विनिर्दिष्ट करता है कि लिखत पर किसी कूपन या लाभांश का गैर-भुगतान सामान्य शेयरों (अर्थात् क्या लाभांशरोधक मौजूद है) पर लाभांशों के भुगतान को निषेध करता है।<br>मेनू से चयन करें: [हां], [नहीं] |
| 20 | यह विनिर्दिष्ट करता है कि जारीकर्ता को किसी कूपन/ लाभांश का भुगतान किया जाता है अथवा नहीं इस पर पूर्ण विवेकाधिकार है, आंशिक विवेकाधिकार है अथवा कोई विवेकाधिकार नहीं है। यदि बैंक को प्रत्येक परिस्थिति में कूपन/लाभांश भुगतानों को निरस्त करने का पूर्ण विवेकाधिकार हो तो इसे 'पूर्ण रूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत' ही चुनना चाहिए (ऐसे लाभांशरोधक के मौजूद रहने पर जिसका प्रभाव वैसा नहीं होता जो लिखत पर भुगतान को निरस्त करने से बैंक को रोके)। यदि भुगतान को निरस्त करने से पहले कुछ शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी हो (उदाहरण के लिए एक निश्चित अधिकतम सीमा से कम पूंजी) तो बैंक को 'आंशिक रूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत' ही चुनना चाहिए। यदि बैंक दिवाला के बाहर भुगतान निरस्त करने में अक्षम है तो बैंक को 'अनिवार्य' चुनना चाहिए।<br><br>मेनू से चयन करें: [पूर्ण रूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत] [आंशिक रूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत] [अनिवार्य] |
| 21 | यह विनिर्दिष्ट करता है कि भुनाने के लिए स्टेप-अप है या अन्य आर्थिक प्रोत्साहन (इंसेंटिव)<br>मेनू से चयन करें: [हां] [नहीं] |
| 22 | यह विनिर्दिष्ट करता है कि लाभांश/कूपन संचयी है अथवा गैर-संचयी।<br>मेनू से चयन करें: [संचयी] [गैर-संचयी] |
| 23 | यह विनिर्दिष्ट करता है कि लिखत परिवर्तनीय है अथवा नहीं। हानि अवशोषकता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है।<br>मेनू से चयन करें: [परिवर्तनीय] [अपरिवर्तनीय] |
| 24 | उन परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके अंतर्गत लिखत गैर-व्यवहार्यता के बिंदु सहित परिवर्तित हो जाएगा। जहां परिवर्तन लाने के लिए एक से अधिक प्राधिकारी सक्षम हैं, उन प्राधिकारियों की सूची बनायी जानी चाहिए। प्रत्येक प्राधिकारी के लिए यह बताया जाना चाहिए कि परिवर्तन को अंजाम देने के लिए लिखत के संविदा की शर्तें (जो संविदात्मक दृष्टिकोण है) विधिक आधार प्रदान करती हैं अथवा सांविधिक उपाय (जो सांविधिक दृष्टिकोण है) विधिक आधार प्रदान करती हैं।<br>मुक्त पाठ |
| 25 | यह विनिर्दिष्ट करता है कि लिखत सदैव पूर्ण रूप से परिवर्तित होगा, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से परिवर्तित हो सकता है अथवा सदैव आंशिक रूप से परिवर्तित होगा।<br>मेनू से चयन करें: [सदैव पूर्ण रूप से] [पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से] [सदैव आंशिक रूप से] |
| 26 | अधिक हानि अवशोषी लिखत में परिवर्तन की दर विनिर्दिष्ट करता है। हानि अवशोषण की डिग्री का मूल्यांकन करने में सहायता करता है।<br>मुक्त पाठ |
| 27 | परिवर्तनीय लिखतों के लिए यह विनिर्दिष्ट करता है कि परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक है। |

| | |
|---|---|
| | हानि अवशोषकता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है।<br>*मेनू से चयन करें: [अनिवार्य] [वैकल्पिक ] [लागू नहीं]* |
| 28 | परिवर्तनीय लिखतों के लिए यह विनिर्दिष्ट करता है कि वह किस प्रकार के लिखत के रूप में परिवर्तनीय हैं। हानि अवशोषकता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है।<br>*मेनू से चयन करें: [ सामान्य इक्विटी टियर 1] [अतिरिक्त टियर 1] [टियर 2] [अन्य]* |
| 29 | यदि परिवर्तनीय, उस लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें जिस लिखत के रूप में यह परिवर्तित हो जाता है।<br>*मुक्त पाठ* |
| 30 | यह विनिर्दिष्ट करता है कि राइट डाउन फीचर है अथवा नहीं।<br>*मेनू से चयन करें: [ हाँ ] [ नहीं ]* |
| 31 | लिखत गैर-व्यवहार्यता के बिंदु सहित ट्रिगर को विनिर्दिष्ट करता है। जहां परिवर्तन को अंजाम देने के लिए एक से अधिक प्राधिकारी सक्षम हैं, उन प्राधिकारियों की सूची बनायी जानी चाहिए। राइट डाउन की गति को प्रत्येक प्राधिकारी के लिए यह बताया जाना चाहिए कि परिवर्तन को अंजाम देने के लिए लिखत के संविदा की शर्तें (जो संविदात्मक दृष्टिकोण है) विधिक आधार प्रदान करती हैं अथवा सांविधिक उपाय (जो सांविधिक दृष्टिकोण है) विधिक आधार प्रदान करती हैं।<br>*मुक्त पाठ* |
| 32 | यह विनिर्दिष्ट करता है कि लिखत सदैव पूरी तरह से राइट डाउन किया जाएगा, आंशिक रूप से राइट डाउन किया जा सकेगा अथवा सदैव आंशिक रूप से राइट डाउन किया जाएगा<br>मेनू से चयन करें: [सदैव पूर्ण रूप से] [पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से] [सदैव आंशिक रूप से] |
| 33 | राइट डाउन लिखत के लिए, यह विनिर्दिष्ट करता है कि राइट डाउन स्थायी है अथवा अस्थायी<br>*मेनू से चयन करें: [स्थायी] [अस्थायी ] [लागू नहीं]* |
| 34 | जिस लिखत का अस्थायी राइट डाउन हो उसके लिए राइट-अप प्रणाली का विवरण।<br>मुक्त पाठ |
| 35 | उस लिखत को विनिर्दिष्ट करता है जिससे यह सर्वाधिक निकटता से अधीनस्थ है। गॉन कंसर्न आधार पर हानि अवशोषकता के मूल्यांकन में सहायक है। जहां लागू हो वहाँ बैंकों को पूर्ण किए गए मुख्य विशेषताओं वाले टेम्पलेट में लिखतों की उस कॉलम संख्या को विनिर्दिष्ट करता है जिससे यह लिखत सर्वाधिक निकटता से अधीनस्थ है।<br>*मुक्त पाठ* |
| 36 | यह निर्धारित करता है कि गैर-अनुपालक विशिष्टताएं हैं अथवा नहीं।<br>मेनू से चयन करें: [हां] [नहीं]<br>*मुक्त पाठ* |
| 37 | यदि गैर-अनुपालक विशिष्टताएं हैं तो बैंक विनिर्दिष्ट करें कि वे कौन सी हैं। हानि अवशोषकता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है।<br>*मुक्त पाठ* |

### 3.3 विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण निबंधन और शर्तें

इस टेम्प्लेट के अधीन बैंकों से अपेक्षित है कि विनियामक पूंजी में शामिल किए गए सभी लिखतों के पूर्ण निबंधनों और शर्तों का प्रकटीकरण करें।

**सारणी डीएफ-14: विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण निबंधन और शर्तें**

| लिखत | पूर्ण निबंधन और शर्तें |
|---|---|
| | |
| | |

### 3.6 पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण अपेक्षाएं

कृपया पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ अन्य जोखिम लेने वालों को पारिश्रमिक पर दिशानिर्देशों पर सभी निजी क्षेत्र के बैंकों और भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंकों को संबोधित दिनांक 13 जनवरी 2012 का परिपत्र बैंपविवि.सं.बीसी. 72/29.67.001/2011-12 देखें। निजी क्षेत्र के बैंकों और भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में निम्नलिखित टेम्प्लेट में पारिश्रमिक का कम से कम वार्षिक आधार पर प्रकटीकरण करें।

**सारणी डीएफ-15: पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण अपेक्षाएं**

| पारिश्रमिक | | |
|---|---|---|
| **गुणात्मक प्रकटीकरण** | (क) | पारिश्रमिक का प्रबंध करने वाली समिति के संबंध में सूचना । प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल होगा:<br>• पारिश्रमिक का प्रबंध करने वाली समिति का नाम, संरचना और अधिदेश<br>• बाहरी परामर्शदाता, जिनकी सलाह मांगी गई है, समिति, जिनके द्वारा तथा पारिश्रमिक प्रक्रिया के किन क्षेत्रों में उन्हें अधिकृत किया गया।<br>• विदेशी सहायक कंपनियों और शाखाओं पर जिस सीमा तक लागू है, सहित बैंक की पारिश्रमिक नीति के दायरे का वर्णन (उदा. क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र)।<br>• इसमें शामिल कर्मचारियों का प्रकार और ऐसे कर्मचारियों की संख्या का वर्णन |
| | (ख) | पारिश्रमिक संबंधी प्रक्रियाओं के डिजाइन और बनावट के संबंध में सूचना। प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:<br>• पारिश्रमिक संबंधी नीति की मुख्य विशेषताओं तथा उद्देश्यों का विवरण<br>• क्या पारिश्रमिक समिति ने पिछले वर्ष के दौरान फर्म की पारिश्रमिक नीति की समीक्षा की है, यदि हां, तो यदि कोई बदलाव किए हों, तो उसका संक्षिप्त विवरण |

| | | |
|---|---|---|
| | | • जोखिम और अनुपालन से संबद्ध कर्मचारियों को उनके द्वारा देखे जाने वाले कारोबार के लिए स्वतंत्र रूप से पारिश्रमिक देना कैसे सुनिश्चित किया गया है, इस पर चर्चा। |
| | (ग) | उन तरीकों का वर्णन, जिनके द्वारा पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान और भावी जोखिमों को हिसाब में लिया गया है। प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:<br><br>• पारिश्रमिक उपायों को लागू करते समय बैंक द्वारा हिसाब में ली गई मुख्य जोखिमों का विवरण<br>• ऐसे जोखिम, जिन्हें मापना कठिन है, सहित इन जोखिमों का ध्यान रखने के लिए प्रयुक्त प्रमुख उपायों का स्वरूप और प्रकार ( मूल्यों का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है)<br>• ये उपाय पारिश्रमिक को किसप्रकार प्रभावित करते हैं, इस पर चर्चा।<br>• पिछले वर्ष के दौरान इन उपायों का स्वरूप और प्रकार किस प्रकार परिवर्तित हुआ है, तथा इन परिवर्तनों के कारणों और पारिश्रमिक पर इसके प्रभाव पर चर्चा।<br>• |
| | (घ) | उन तरीकों का वर्णन, जिनके द्वारा बैंक कार्य-निष्पादन मापन अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन और पारिश्रमिक के स्तर को जोड़ना चाहता है। प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:<br>• बैंक के लिए मुख्य कार्य-निष्पादन मीट्रिक, शीर्ष स्तर की कारोबारी लाइनें तथा वैयक्तिक का विवरण।<br>• वैयक्तिक पारिश्रमिकों की राशियां पूरे बैंक में व्याप्त और वैयक्तिक कार्य-निष्पादन से किस प्रकार जुड़ी हैं, इस पर चर्चा।<br>• उन उपायों पर चर्चा, जो बैंक सामान्यत: कार्यनिष्पादन मीट्रिक कमजोर होने की दशा में पारिश्रमिक का समायोजन करने के लिए लागू करेगा। इसमें कमजोर कार्यनिष्पादन मीट्रिक का निर्धारण करने के लिए बैंक के मानदंड भी शामिल होने चाहिए। |
| | (ङ) | उन तरीकों का वर्णन, जिनके द्वारा बैंक अपने दीर्घ-कालीन कार्यनिष्पादन का ध्यान रखने के लिए पारिश्रमिक का समायोजन करना चाहता है। प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:<br><br>• आस्थगित अदायगी पर बैंक की नीति और परिवर्तनीय पारिश्रमिक को अधिकृत करने पर चर्चा, और यदि परिवर्तनीय पारिश्रमिक का एक भाग, जो आस्थगित है, कर्मचारियों या कर्मचारी समूहों के बीच भिन्न है, तो ऐसे भाग |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | का निर्धारण करने वाले तत्वों और उनके महत्व का विवरण<br>• अधिकृत करने से पहले तथा (यदि राष्ट्रीय विधि द्वारा अनुमत हो) बाद में आस्थगित पारिश्रमिक का समायोजन करने के लिए बैंक की नीति और मानदंडों पर चर्चा । |
| | (च) | | परिवर्तनशील पारिश्रमिक के विभिन्न रूपों का वर्णन, जिनका बैंक उपयोग करते हैं, तथा इन विभिन्न रूपों का प्रयोग करने का औचित्य। प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:<br>• प्रस्तावित परिवर्तनशील पारिश्रमिक के स्वरूपों का विवरण<br>• परिवर्तनशील पारिश्रमिक के विभिन्न स्वरूपों के प्रयोग पर चर्चा, और यदि कर्मचारियों या कर्मचारी -समूहों के बीच प्रयुक्त परिवर्तनशील पारिश्रमिक के विभिन्न स्वरूपों के मिश्रण में अंतर हो, तो ऐसे मिश्रण का निर्धारण करने वाले तत्वों और उनके महत्व का विवरण |
| **मात्रात्मक प्रकटीकरण** (मात्रात्मक प्रकटीकरण में केवल पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ अन्य जोखिम लेने वालों को शामिल करें) | (छ) | * | वित्त वर्ष के दौरान पारिश्रमिक का प्रबंध करने वाली समिति द्वारा की गई की बैठकों की संख्या और उसके सदस्यों को अदा किया गया पारिश्रमिक। |
| | (ज) | * | उन कर्मचारियों की संख्या, जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान परिवर्तनशील पारिश्रमिक प्रदान किया गया। |
| | | * | वित्त वर्ष के दौरान दर्ज किए गए साइन-आन अवार्डों की संख्या और कुल राशि |
| | | * | वित्त वर्ष के दौरान प्रदान किए गए गारंटीकृत बोनस की संख्या और कुल राशि |
| | | * | उपचित लाभों के अतिरिक्त पृथक्करण वेतन (severance pay) ,यदि कोई हो, का ब्योरा |
| | (झ) | * | नकद, शेयर, शेयर से जुड़े लिखतों और अन्य रूपों में विभाजित बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि |
| | | * | वित्त वर्ष के दौरान अदा किए गए आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि |
| | (ञ) | * | वित्त वर्ष के लिए प्रदान किए जाने वाले पारिश्रमिक की राशि का निम्नलिखित को दर्शाने के लिए विभाजन<br>• नियत और परिवर्तनशील,<br>• आस्थगित तथा आस्थगित से इतर<br>• प्रयुक्त विभिन्न स्वरूप। |
| | (ट) | * | एक्स-पोस्ट प्रकट तथा/अथवा अप्रकट समायोजनों को एक्सपोज किए गए बकाया आस्थगित की कुल राशि |
| | | * | एक्स-पोस्ट प्रकट समायोजनों के कारण वित्त वर्ष के दौरान कटौतियों की कुल राशि |
| | | * | एक्स-पोस्ट अप्रकट समायोजनों के कारण वित्त वर्ष के दौरान कटौतियों की कुल राशि |

**सारणी डीएफ-16: इक्विटी - बैंकिंग बही पोजीशन्स के लिए प्रकटीकरण**

| | |
|---|---|
| गुणात्मक प्रकटीकरण | |
| 1 | इक्विटी जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षाएं (इस अनुबंध का पैरा 2.1), जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:<br>• जिन पर पूंजी लाभ अपेक्षित हैं, और जिन्हें संबंधों तथा नीतिगत कारणों सहित अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत लिया गया है, ऐसी धारिताओं के बीच भेद भाव; तथा<br>• बैंकिंग बही में इक्विटी धारिताओं के मूल्यांकन संबंधी महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इसमें महत्वपूर्ण पूर्व-धारणाओं तथा मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली प्रथाओं तथा इन प्रथाओं में हुए महत्वपूर्ण बदलावों सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीकें और मूल्यांकन प्रणालियां शामिल होनी चाहिए। |
| मात्रात्मक प्रकटीकरण | |
| 1 | कोटेड प्रतिभूतियों के लिए निवेशों का तुलन-पत्र में प्रकटन किया गया मूल्य तथा उन निवेशों का उचित मूल्य, सार्वजनिक रूप से कोटेड शेयर मूल्यों की तुलना, जहां शेयर की कीमत उचित मूल्य से वास्तव में अलग है। |
| 2 | निवेशों के प्रकार और स्वरूप, जिसमें निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत की जा सकने वाली राशि शामिल है:<br>• सार्वजनिक रूप से लेनदेन किए गए; तथा<br>• निजी रूप से धारित. |
| 3 | रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न संचयी प्राप्त लाभ (हानियां) |
| 4 | कुल अप्राप्त लाभ (हानियां)[23] |
| 5 | कुल प्रच्छन्न पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियां)[24] |
| 6 | उपर्युक्त में से टियर 1 तथा/अथवा टियर 2 में शामिल की गई राशियां। |
| 7 | बैंक की कार्यपद्धति के अनुरूप उपयुक्त इक्विटी समूहन द्वारा विभाजित पूंजी अपेक्षाएं और सकल राशियां तथा इक्विटी निवेशों का प्रकार, जो विनियामक पूंजी अपेक्षाओं के संबंध में किन्हीं पर्यवेक्षी संक्रमण या ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन हो। |

[23] अप्राप्त लाभ (हानियां) जिन्हें तुलन-पत्र में मान्यता दी गई है, किंतु लाभ-हानि खाता के माध्यम से मान्यता नहीं दी गई है।

[24] अप्राप्त लाभ (हानियां) जिन्हें तुलन-पत्र अथवा लाभ-हानि खाता के माध्यम से मान्यता नहीं दी गई है।

## 4. लीवरेज अनुपात का प्रकटीकरण

(i) पैरा 16.2.3 में वर्णित बासल III लीवरेज अनुपात के समेकन का दायरा प्रकाशित वित्तीय विवरण के समेकन के दायरे से अलग होगा। साथ ही, आस्तियों के मापन की कसौटी की तुलना में प्रकाशित वित्तीय विवरणों के तुलनपत्र लेखांकन में संबंधित लीवरेज अनुपात के मापन की कसौटी में अंतर हो सकता है (उदाहरण के लिए पात्र बचाव निधि (हेजेस), निवल निर्धारण या क्रेडिट जोखिम कम करने के अभिज्ञान में अंतर के कारण)। इसके अलावा, सन्निहित लीवरेज का समुचित रूप में पता लगाने के लिए इस संरचना में तुलनपत्र में शामिल और तुलनपत्रेतर दोनों एक्सपोजरों को शामिल किया गया है।

(ii) नीचे वर्णित टेम्प्लेट लचीले बनाए गए है जिन्हें किसी भी लेखांकन मानक के अंतर्गत उपयोग किया जा सकता है तथा वे आनुपातिक होने के साथ ही सुसंगत हैं, रेपोर्टिंग बैंक के तुलन पत्र की जटिलता के अनुसार परिवर्तनीय हैं।[25].

### 4.1 **तुलनात्मक सारांश सारणी**

4.1.1 सारणी डीएफ-17 में दर्शाए गए अनुसार अवधि के अंत में (उदा. तिमाही के अंत में) मूल्यों का प्रयोग करते हुए, बैंकों को उनके लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन के साथ प्रकाशित वित्तीय विवरणों की तुलनपत्र आस्तियों का मिलान रिपोर्ट करना चाहिए। विशेष रूप से:

- पहली पंक्ति में प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक की कुल समेकित आस्तियां दर्शायी जाएं।
- दूसरी पंक्ति में बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या व्यावसायिक संस्था में निवेश से संबंधित समायोजनों को दर्शाया जाए, जिन्हें लेखांकन हेतु समेकित किया गया है, लेकिन जो पैरा 16.2.4 तथा 16.4.2.2 के अनुसार विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं।
- तीसरी पंक्ति में बैंक के परिचालनगत लेखांकन संरचना के अनुरूप तुलनपत्र में पाई गई

[25]विशेष रूप से, एक सामान्य टेम्प्लेट निर्धारित किया गया है। तथापि, मिलान के संबंध में, बैंकों को अपने रिपोर्ट किए गए वित्तीय विवरण की कुल तुलन पत्र आस्तियों तथा लीवरेज अनुपात में निर्धारित किए गए अनुसार तुलन पत्र में मौजूद एक्सपोजर के तात्विक अंतर का गुणात्मक मिलान करना होगा।

प्रत्ययी आस्तियों, लेकिन जिन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर में शामिल नहीं किया गया है, के संबंध में फुटनोट 6 में दिए गए अनुसार समायोजन दर्शाए जाएं।

- चौथी और पाँचवी पंक्ति में क्रमश: डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों और प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेन-देन (अर्थात रिपो और इस प्रकार के अन्य सुरक्षित उधार) के संबंध में समायोजन दर्शाए जाएं।
- छठी पंक्ति में पैरा 16.4.5.2 मे निर्धारित किए गए अनुसार ओबीएस मदों के समकक्ष क्रेडिट राशि दर्शायी जाए।
- सातवीं पंक्ति में अन्य समायोजन दर्शाए जाएं तथा
- आठवीं पंक्ति में लीवरेज़ अनुपात एक्सपोजर दर्शाया जाए जो पिछली मदों का जोड़ होना चाहिए। यह नीचे दी गयी सारणी 2 की 22वी पंक्ति से सुसंगत होना चाहिए।

| **सारणी डीएफ** 17- **लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन का तुलनात्मक सारांश** | | |
|---|---|---|
| | मद | रुपए (मिलियन में) |
| 1 | प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां | |
| 2 | बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में ऐसे निवेश के लिए समायोजन जो विनियामक समेकन के दायरे के बाहर हैं तथापि लेखांकन प्रयोजनों के लिए जिनका समेकन किया गया है | |
| 3 | प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुसार तुलन पत्र की मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन लेकिन जिन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल नहीं किया गया है | |
| 4 | डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन | |
| 5 | प्रतिभूतियों के वित्तीयन संबंधी लेनदनों के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और इसी तरह की सुरक्षित उधार) | |
| 6 | तुलनपत्रेतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की राशि के समकक्ष क्रेडिट में रूपांतरण) | |
| 7 | अन्य समायोजन | |
| **8** | लीवरेज अनुपात एक्सपोजर | |

4.2 **सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट और व्याख्यात्मक सारणी, मिलान और अन्य अपेक्षाएं**

4.2.1 1 बैंकों को नीचे दी गई सारणी डीएफ-18 के अनुसार तथा मान्यताओं को लागू करते हुए अवधि के अंत में (उदाहरणार्थ तिमाही के अंत में) लीवरेज अनुपात संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित एक्सपोजरों का ब्यौरा देते हुए रिपोर्ट करना होगा: (i) तुलनपत्र में मौजूद एक्सपोजर; (ii) डेरिवेटिव एक्सपोजर (iii) एसएफटी एक्सपोजर तथा (iv) ओबीएस मदें। बैंकों को अपनी टियर1 पूंजी, कुल एक्सपोजर तथा लीवरेज अनुपात भी रिपोर्ट करना होगा।

4.2.2 पैरा 16.2 के अनुसार तिमाही के लिए गणना किए और प्रतिशत के रूप में व्यक्त बासेल III लीवरेज अनुपात, को पंक्ति संख्या 22 में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

4.2.3 *घोषित वित्तीय विवरणों से मिलान:* बैंकों को अपने वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई तुलनपत्र की कुल आस्तियों (तुलन पत्र में मौजूद डेरिवेटिव और एसएफटी आस्तियों का कुल जोड) तथा तुलनपत्र में मौजूद एक्सपोजर के बीच महत्वपूर्ण अंतर के स्रोत को सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट की पंक्ति संख्या 1 में दर्शाना होगा।

4.2.4 *लीवरेज अनुपात में महत्वपूर्ण आवधिक परिवर्तन*: बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे अपने बासेल III लीवरेज अनुपात में पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत से चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक देखे गए प्रमुख कारकों (चाहे ये परिवर्तन गणक में हुए परिवर्तन से और अथवा विभाजक में हुए परिवर्तन से उत्पन्न हुए हों) की व्याख्या करें।

| **सारणी DF-18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट** | | |
|---|---|---|
| | मद | लीवरेज अनुपात संरचना |
| तुलनपत्र पर मौजूद एक्सपोजर | | |
| 1 | तुलनपत्र पर मौजूद मदें (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोडकर परंतु संपार्श्विक को शामिल करते हुए) | |
| 2 | ( बासेल III टियर 1 पूंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्तियों की राशि) | |
| 3 | **तुलनपत्र पर मौजूद कुल एक्सपोजर** ( डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोडकर) (पंक्ति 1 और 2 का योग) | |
| डेरिवेटिव एक्सपोजर | | |
| 4 | समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुडी प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी रुपांतरण मार्जिन का कुल जोड) | |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुडे पीएफई के लिए पूरक राशि | |
| 6 | प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुरूप तुलनपत्र आस्तियों से घटाए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए समग्र प्रावधान | |
| 7 | (डेरिवेटिव लेनदेनों में दर्शाए गए नकदी घट-बढ़ मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती) | |
| 8 | (ग्राहक - समाशोधित कारोबारी एक्सपोजर के लिए छूट प्राप्त सीसीपी लेग) | |
| 9 | लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि | |
| 10 | (लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियां) | |
| 11 | **कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर** (**पंक्ति सं. 4 से 10 का जोड**) | |
| | प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर | |
| 12 | सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग के लिए मान्य नहीं), बिक्री लेखांकन लेनदेनों को समायोजित करने के बाद | |
| 13 | (सकल एसएफटी आस्तियों के लिए नकद देयराशियों तथा नकद प्राप्य राशियों की निवल राशि) | |
| 14 | एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर | |
| 15 | एजेंट लेनदेन एक्सपोजर | |
| 16 | **कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (पंक्ति सं 12 से 15 का जोड)** | |
| | अन्य **तुलनपत्रेतर एक्सपोजर** | |
| 17 | सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्रेतर एक्सपोजर | |
| 18 | (ऋण समतुल्य राशि के रूपांतरण के लिए समायोजन) | |
| 19 | **तुलनपत्रेतर मदें (पंक्ति संख्या 17 और 18 का जोड)** | |
| | पूंजी और कुल एक्सपोजर | |
| 20 | **टियर1 पूंजी** | |
| 21 | **कुल एक्सपोजर** (**पंक्ति संख्या** 3,11,16 **और**19 **का जोड**) | |
| | लीवरेज अनुपात | |
| 22 | **बासेल III लीवरेज अनुपात** | |

4.2.6 इस दस्तावेज में दी गई बासेल III लीवरेज अनुपात संरचना के संबंधित पैरा का हवाला देते हुए निम्नलिखित सारणी में प्रकटीकरण टेम्प्लेट की प्रत्येक पंक्ति के लिए स्पष्टीकरण दिया गया है -

**सारणी 21 – सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट के लिए व्याख्यात्मक सारणी**

**सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट की प्रत्येक पंक्ति के लिए व्याख्या**

| पंक्ति संख्या | व्याख्या |
|---|---|
| 1 | पैरा 16.4.2.1.के अनुसार तुलन पत्र की आस्तियां |
| 2 | पैरा 16.2.4 तथा 16.4.2.2 के अनुसार निर्धारित तथा लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल नहीं बासेल III टियर 1 पूंजी में से की गई कटौतियां, जिनकी राशि ऋणात्मक रिपोर्ट की गई है |
| 3 | पंक्ति संख्या 1 और 2 का जोड |
| 4 | सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से संबंधित प्रतिस्थापन लागत (आरसी) (जिनमें पैरा 16.4.3.11 में वर्णित लेनेदेनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न एक्सपोजर शामिल हैं), नकद रूपांतर मार्जिन के रूप में प्राप्त कुल राशि के साथ पैरा 16.4.3.2-16.4.3.4 तथा 16.4.3.9 के अनुसार जहां भी अपेक्षित हो, द्विपक्षीय नेटिंग |
| 5 | पैरा 16.4.3.2-16.4.3.4 के अनुसार समस्त डेरिवेटिव एक्सपोजर के लिए पूरक राशि |
| 6 | पैरा 16.4.3.7 के अनुसार उपलब्ध कराए गए संपार्श्विक के लिए सकल प्रावधानित राशि |
| 7 | पैरा 16.4.3.9 के अनुसार डेरिवेटिव लेनदेनों के लिए उपलब्ध कराए गए नकद घट-बढ़ मार्जिन में से प्राप्य आस्तियों की कटौती, जिनकी राशि ऋणात्मक रिपोर्ट की गई है |
| 8 | पैराग्राफ 16.4.3.10 के अनुसार ग्राहक-समाशोधित लेनदेनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न डेरिवेटिव लेनदेनों के सीसीपी लेग से संबंधित छूट प्राप्त कारोबारी एक्सपोजर, जिनकी राशि ऋणात्मक रिपोर्ट की गई है |
| 9 | पैरा 16.4.3.13 के अनुसार लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि (अर्थात प्रभावी अनुमानित राशि जिसमें उचित मूल्य में हुआ ऋणात्मक परिवर्तन घटाया गया हो) |
| 10 | पैरा 16.4.3.13 के अनुसार लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित संमजन और पैरा 16.4.3.14 के अनुसार लिखित क्रेडिट |

| | |
|---|---|
| | डेरिवेटिव के लिए घटाई गई पूरक राशि, जिसे ऋणात्मक राशि के रूप में रिपोर्ट किया गया हो |
| 11 | पंक्ति 4–10 का जोड |
| 12 | फुटनोट 30 में दिए गए अनुसार सकल एसएफटी आस्तियां जिनको क्यूसीसीपी के साथ नवीयन के अलावा किसी अन्य निवलीकरण के लिए मान्यता नहीं दी गई है, पैरा 16.4.4.2 (क) के अनुसार निर्धारित कुछ प्राप्त प्रतिभूतियों को हटाकर तथा पैरा 16.4.4.3 के अनुसार निर्धारित किसी विक्रय लेखांकन लेनदेनों के प्रति समायोजन करते हुए |
| 13 | पैरा 16.4.4.2 (क) के अनुसार एसएफटी आस्तियों के लिए ऐसी निवलीकृत नकद देयराशियां तथा नकद प्राप्य राशियां, जिनकी राशि ऋणात्मक रिपोर्ट की गई है |
| 14 | पैरा 16.4.4.2 (ख) के अनुसार निर्धारित एसएफटी के लिए प्रतिपक्षी ऋण जोखिम का आकलन |
| 15 | पैराग्राफ 16.4.4.4-16.4.4.6 के अनुसार निर्धारित एजेंट लेनदेन एक्सपोजर की राशि |
| 16 | पंक्ति 12 -15 का जोड |
| 17 | पैरा 16.4.5.2 के अनुसार ऋण संपरिवर्तन कारकों के लिए समायोजन से पूर्व सकल अनुमानित आधार पर कुल तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की राशि |
| 18 | पैरा 16.4.5.2 के अनुसार ऋण संपरिवर्तन कारकों को लागू किए जाने के कारण तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की सकल राशि में कमी |
| 19 | पंक्ति संख्या 17 और18 का जोड |
| 20 | पैरा 16.3. के अनुसार निर्धारित टियर 1 पूंजी |
| 21 | पंक्ति संख्या 3, 11,16 तथा 19 का जोड |
| 22 | पैरा 16.7.5.2. के अनुसार बासेल-III लीवरेज अनुपात |

4.2.6 यह सुनिश्चित करने के लिए कि, तुलनात्मक सारांश सारणी, सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट और व्याख्यात्मक सारणी सभी क्षेत्राधिकारों में तुलना करने योग्य बनी रहे, बैंकों द्वारा अपना लीवेरेज अनुपात प्रकट करते समय किसी भी प्रकार के समायोजन नहीं किए जाने चाहिए। बैंकों को उनके क्षेत्राधिकारों के लिए लागू तुलनात्मक सारांश सारणी, सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट की किसी भी पंक्ति की परिभाषा को बढाने, घटाने अथवा परिवर्तित किए जाने की अनुमति नहीं है। इससे सारणी और टेम्प्लेट में विचलन को रोका जा सकेगा जिससे संगतता और तुलनात्मकता के उद्देश्य कमजोर हो सकते हैं।

## गैर-ईक्विटी पूंजी लिखतों के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं#

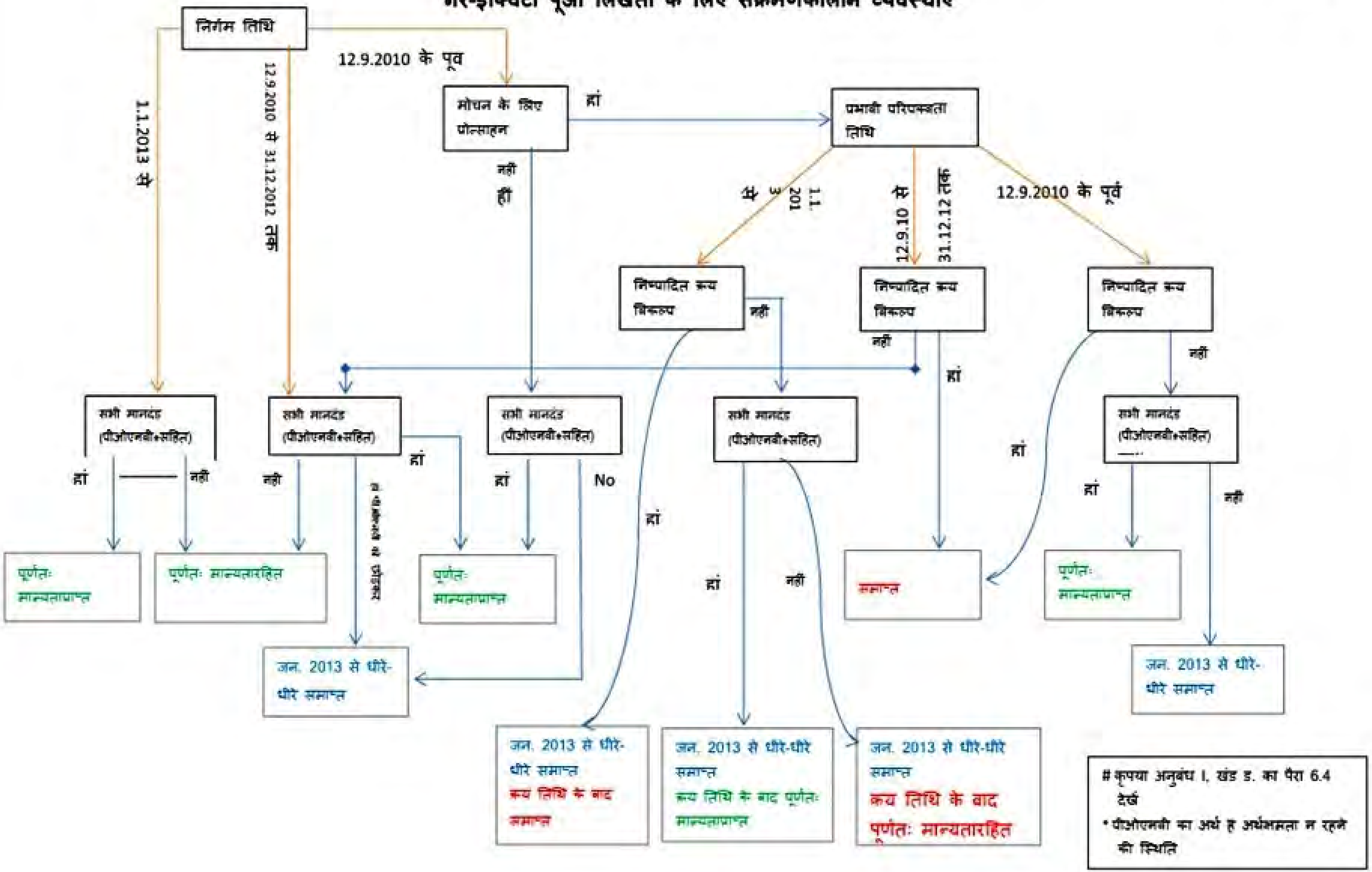

**अनुबंध 20**

**क्लोज आउट नेटिंग सेट्स में निवल प्रतिस्थापन लागत को शामिल करने के लिए अपेक्षाएं**[1]

**क. रिपो-स्टाइल लेनदेनों के लिए**

यदि करार डिफाल्ट की घटना घटित होने पर प्रत्येक संबंधित अधिकार क्षेत्र में विधिक रूप से प्रवर्तनीय हैं भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया हो या शोधक्षम हो तो रिपो-स्टाइल लेनदेनों को कवर करने वाले द्विपक्षीय नेटिंग समझौतों के प्रभावों को प्रतिपक्षकार -दर-प्रतिपक्षकार आधार पर शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नेटिंग करारों के लिए

(क) डिफाल्ट न करने वाले पक्ष को प्रतिपक्षकार के दिवालियापन या शोधाक्षम होने की घटना सहित डिफाल्ट के घटित होने पर करार के अंतर्गत सभी लेनदेनों को समयबद्ध तरीके से समाप्त कर देने तथा बंद करने के अधिकार का प्रावधान करना आवश्यक है;

(ख) उन लेनदेनों पर लाभों तथा हानियों की नेटिंग करने का प्रावधान करना आवश्यक है जो समाप्त कर दी गई है तथा बंद कर ही गई हों (किसी संपार्श्विक के मूल्य सहित) ताकि एक पार्टी द्वारा दूसरे पार्टी के प्रति एक ही निवल राशि बकाया रहे;

(ग) डिफाल्ट घटित होने पर संपार्श्विक के तुरंत परिसमापन एवं प्रतितुलन की अनुमति देना आवश्यक है तथा;

(घ) उक्त (क) तथा (ग) में अपेक्षित प्रावधानों से उत्पन्न अधिकारों समेत, डिफाल्ट की स्थिति में प्रत्येक संबंधित न्याय क्षेत्र में विधिक रूप से प्रवर्तनीय होना चाहिए चाहे प्रतिपक्षकार शोधाक्षम या दिवालिया हो अथवा न हो।

**ख. डेरिवेटिव लेनदेनों के लिए**

(क) बैंक उस नवीयन के अधीन लेनदेनों की नेटिंग कर सकते हैं जिसके अंतर्गत किसी बैंक और उसके प्रतिपक्षकार के बीच किसी दिए हुए मूल्य तिथि में किसी दी हुई मुद्रा की सुपुर्दगी करने का

---

[1] कृपया 02 जुलाई 2013 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.28/21.06.201/2013-14 देखें।

दायित्व उसी मुद्रा के लिए अन्य सभी दायित्वों के साथ स्वतः सम्मिलित हो जाती है, जिसमें पूर्व के सकल दायित्वों का स्थान विधिक रूप से एकल राशि ले लेती है।

(ख) नवीयन के अन्य स्वरूपों सहित उक्त (क) में कवर नहीं किए गए किसी द्विपक्षीय नेटिंग के विधिक रूप से वैध स्वरूप के अंतर्गत लेनदेनों को भी बैंक निवल कर सकते हैं।

(ग) उक्त दोनों मामलों (क) तथा (ख) में, बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकाः

(i) वह नेटिंग करार या संविदा जो प्रतिपक्ष के साथ एकल विधिक दायित्व उत्पन्न करने वाला है तथा जिसमें सभी शामिल लेनदेन आ जाते हैं ताकि यदि कोई प्रतिपक्षकार निम्नलिखित में से किसी एक कारण से कार्य-निष्पादन में असमर्थ रहता है तो बैंक के पास शामिल किए गए अलग-अलग लेनदेनों के बाजार दर आधारित धनात्मक एवं ऋणात्मक मूल्यों के निवल योग को या तो प्राप्त करने का दावा रहे या भुगतान करने का दायित्व रहे; चूक (डिफाल्ट), दिवालियापन, परिसमापन या समान परिस्थितियां;

(ii) लिखित तथा तर्कयुक्त विधिक राय जो, विधिक चुनौती मिलने की स्थिति में, संबंधित अदालतें तथा प्रशासकीय प्राधिकारी बैंक के एक्सपोजर को ऐसी निवल राशि को जिसके अंतर्गत पाएंगे:

- जिन क्षेत्राधिकार में प्रतिपक्ष को चार्टर्ड किया गया है उसके कानून और, यदि किसी प्रतिपक्ष की विदेशी शाखा शामिल हो, तो उस क्षेत्राधिकर का कानून भी जिसके अंतर्गत शाखा स्थित है;
- अलग-अलग लेनदेनों को नियंत्रित करने वाला कानून; और
- नेटिंग को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी संविदा पर करार को नियंत्रित करने वाला कानून।

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियायें स्थापित करना कि नेटिंग व्यवस्थाओं की विधिक विशिष्टताएं संबंधित कानून में संभावी परिवर्तनों के आलोक में समीक्षाधीन रखी जाती हैं।

(घ) इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत पूंजी अपेक्षाओं की गणना करने के उद्देश्य से नेटिंग करने के लिए वाकअवे क्लाज वाली संविदाएं पात्र नहीं होंगी। वाकअवे क्लाज वह प्रावधान है जो किसी गैर-

डिफाल्टिंग प्रतिपक्षकार को यह अनुमति प्रदान करती है कि वह किसी चूककर्ता की संपदा को केवल सीमित भुगतान करे या बिल्कुल ही कोई भुगतान न करे भले ही चूककर्ता निवल उधारदाता हो।

**अनुबंध 21**

**शब्दावली**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **परिसंपत्ति/आस्ति** | किसी व्यक्ति अथवा कारोबार के स्वामित्व वाली कोई भी ऐसी वस्तु जिसका मूल्य है, परिसंपत्ति अथवा आस्ति कहलाती है। |
| | **बिक्री के लिए उपलब्ध** | बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियां वे प्रतिभूतियां हैं जहां बैंक का उद्देश्य न तो व्यापार का है न ही परिपक्वता तक धारण करने का। इन प्रतिभूतियों को उचित मूल्य पर मूल्यन किया जाता है। यह उचित मूल्य चालू बाज़ार भाव अथवा चालू मूल्य से संबंधित अन्य आंकड़ों के उपलब्ध सर्वोत्तम स्रोत के आधार पर निर्धारित किया जाता है। |
| | **तुलन पत्र** | तुलन पत्र किसी विशिष्ट समय पर अभिलेखबद्ध किसी व्यापारी संस्था की आस्तियों तथा देयताओं का वित्तीय विवरण है। |
| | **बैंकिंग बही** | बैंकिंग बही में ऐसी आस्तियां तथा देयताएं होती हैं जिन्हें मूलतः संबंधों के कारण अथवा नियमित आय तथा सांविधिक बाध्यताओं के लिए संविदाकृत किया जाता है और सामान्यतः परिपक्वता तक रखा जाता है। |
| | **बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति** | बासल समिति, बैंक पर्यवेक्षकों की ऐसी समिति है जिसमें जी-10 देशों में से प्रत्येक देश के सदस्य शामिल हैं। यह समिति विशिष्ट पर्यवेक्षी समस्याओं के निपटान पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच है। यह समिति बैंकों के विश्व व्यापी गतिविधियों का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों के विदेशी प्रतिष्ठानों के संबंध में राष्ट्रीय प्राधिकरणों के बीच पर्यवेक्षी जिम्मेदारियों को आपस में बांटने के लिए समन्वय करती है। |
| | **मूल संकेतक दृष्टिकोण** | बासेल II के अंतर्गत अनुमत परिचालनगत जोखिम की माप की तकनीक है। यह दृष्टिकोण एकल संकेतक के सुनिश्चित प्रतिशत (अल्फा फैक्टर) के रूप में परिचालनगत जोखिम के लिए भार निर्धारित करता है। यह संकेतक बैंक के जोखिम एक्सपोज़र के लिए परोक्षी (प्रोक्सि) का कार्य करता है। |
| **1.** | **आधार जोखिम** | विभिन्न आस्तियों, देयताओं तथा तुलन पत्र से इतर मदों की ब्याज दर अलग-अलग परिमाण में परिवर्तित हो सकने के जोखिम को आधार जोखिम कहते हैं। |
| | **पूंजी** | कारोबार चलाने, निवेश करने तथा भावी आय निर्माण करने के लिए उपलब्ध निधियों (उदा. मुद्रा, ऋण तथा ईक्विटी) को पूंजी कहते हैं। पूंजी उन भौतिक आस्तियों को भी कहते हैं जिनका उपयोग भावी आय निर्माण करने के लिए किया जाता है। |
| | **पूंजी पर्याप्तता** | किसी संस्था की वर्तमान देयताओं की तुलना में तथा उसकी आस्तियां से संबद्ध जोखिमों की तुलना में उसके पूंजीगत संसाधनों की पर्याप्तता की माप। पूंजी पर्याप्तता का उचित स्तर यह सुनिश्चित करता है कि किसी संस्था के पास उसकी गतिविधियों के समर्थन के लिए पर्याप्त पूंजी है तथा उसकी निवल मालियत उसकी आस्तियों के मूल्य में होनेवाले प्रतिकूल परिवर्तनों को दिवालिया न होते हुए आत्मसात करने के लिए पर्याप्त है। उदाहरण के लिए, |

| | | |
|---|---|---|
| | | बीआइएस (बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट्स) के नियमों के अंतर्गत बैंकों को अपने जोखिम समायोजित आस्तियों के लिए पूंजी का एक निर्धारित स्तर बनाए रखना अपेक्षित है। |
| | **पूंजी आरक्षित निधियां** | कंपनी के लाभों का वह हिस्सा जिसका शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान नहीं किया गया है। उन्हें अवितरणीय आरक्षित निधि भी कहा जाता है। |
| | **परिवर्तनीय बॉण्ड** | ऐसा बॉण्ड जो निवेशक को निश्चित परिवर्तन कीमत पर अथवा पूर्व-निर्धारित कीमत निर्धारण फॉर्म्यूला के अनुसार बॉण्ड को ईक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प देता है। |
| | **ऋण जोखिम** | यह जोखिम कि संविदात्मक करार अथवा लेनदेन करनेवाली कोई पार्टी, अपनी बाध्यताएं पूर्ण नहीं कर सकेगी अथवा बाध्यताएं पूर्ण करने में चूक करेगी। ऋण जोखिम लगभग किसी भी लेनदेन अथवा लिखत, यथा स्वैप्स, रिपो, सीडी, विदेशी मुद्रा लेनदेन आदि से संबद्ध हो सकता है।<br>विशिष्ट प्रकार के ऋण जोखिमों में सम्प्रभु (सोवरिन) जोखिम, देश जोखिम, विधिक अथवा नियंत्रण से बाहर वाला जोखिम, सीमांत (मार्जिनल) जोखिम तथा निपटान जोखिम शामिल हैं। |
| | **डिबेंचर** | कंपनी द्वारा जारी किए गए ऐसे बांड जिनपर समान्यतः विनिर्दिष्ट तारीखों को छमाही आधार पर नियत ब्याज दर देय होता है तथा जिनकी मूल राशि की डिबेंचर के मोचन पर किसी विनिर्दिष्ट तारीख को चुकौती की जाती है। |
| | **आस्थगित कर आस्तियां** | अनवशोषित मूल्यहास तथा अगले लाभ से घाटे की पूर्ति, जिसे भावी कर योग्य आय के प्रति प्रतिसंतुलित किया जा सकता है और जिसे समय निर्धारण में अंतर माना जाता है, आस्थगित कर आस्तियां माना जाता है। आस्थगित कर आस्तियों का लेखांकन मानक 22 के अनुसार लेखांकन किया जाता है।<br>आस्थगित कर आस्तियों से भावी आय कर भुगतान कम हो जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे पूर्वदत्त आय कर हैं और आस्तियों की परिभाषा पूर्ण करते हैं। इसके विपरीत आस्थगित कर देयताओं से भावी वर्ष के आय कर भुगतान में वृद्धि होती है, जिसका अर्थ है कि वे उपचित आय कर हैं और देयताओं की परिभाषा पूर्ण करते हैं। |
| | **डेल्टा ( Δ)** | किसी ऑप्शन या ऑप्शनों के पोर्टफोलियो का डेल्टा ऑप्शन (ऑप्शनों) की अंतर्निहित आस्ति (आस्तियों) के मूल्य में परिवर्तन की तुलना में ऑप्शन/पोर्टफोलियो के मूल्य में परिवर्तन की दर है । |
| | **डेरिवेटिव** | कोई भी डेरिवेटिव लिखत अपना ज्यादातर मूल्य किसी आधारभूत उत्पाद से प्राप्त करता है। डेरिवेटिव के उदाहरणों में फ्यूचर्स, ऑप्शन्स, फॉर्वर्डस् तथा स्वैप्स शामिल होते है। उदाहरण के लिए एक वायदा संविदा हाज़िर मुद्रा बाज़ार तथा उधार लेने तथा देने के लिए हाज़िर बाज़ारों से व्युत्पन्न की जा सकती है। पूर्व में डेरिवेटिव लिखत ज्यादातर केवल उन उत्पादों तक सीमित |

| | | |
|---|---|---|
| | | थे, जिन्हें हाज़िर बाज़ारों से व्युत्पन्न किया जा सकता था। तथापि, आज यह शब्द किसी भी ऐसे उत्पाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिसे किसी अन्य उत्पाद से व्युत्पन्न किया जा सकता है। |
| | **अवधि (ड्यूरेशन)** | अवधि (मैकॅले अवधि) नियत आय प्रतिभूतियों की मूल्य अस्थिरता की माप करती है। यह अक्सर विभिन्न कूपनों तथा विभिन्न परिपक्वताओं वाली प्रतिभूतियों के बीच ब्याज दर जोखिम की तुलना में प्रयोग में लाया जता है। यह किसी नियत आय प्रतिभूति से संबद्ध सभी नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य का भारित औसत है। इसे वर्षों में अभिव्यक्त किया जाता है। नियत आय प्रतिभूति की अवधि हमेशा उसकी परिपक्वता की अवधि से कम होती है।केवल शून्य प्रतिभूतियों के मामले में अवधि और परिपक्वता अवधि समान होती है। |
| | **विदेशी संस्थागत निवेशक** | भारत के बाहर स्थापित अथवा निगमित कोई संस्था जिसका भारत में प्रतिभूतियों में निवेश करने का प्रस्ताव हैं, बशर्ते कोई देशी आस्ति प्रबंधन कंपनी अथवा देशी संविभाग प्रबंधक जो किसी उप-खाते की ओर से, भारत में निवेश के लिए भारत के बाहर से जुटाई अथवा एकत्रित अथवा लाई गयी निधियों का प्रबंधन करता है, को विदेशी संस्थागत निवेशक समझा जाएगा। |
| | **वायदा संविदा** | एक वायदा संविदा दो पार्टियों के बीच सहमत भावी तारीख को सुपुर्दगी के लिए किसी सहमत मूल्य पर किसी वस्तु अथवा वित्तीय लिखत की सहमत मात्रा को खरीदने अथवा बेचने का करार है। फ्युचर्स संविदा के विपरीत, एक वायदा संविदा हस्तांतरणीय नहीं है अथवा उसकी स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद-बिक्री नहीं हो सकती, उसकी शर्तें मानक नहीं हैं और किसी भी मार्जिन का लेनदेन नहीं होता है। वायदा संविदा के खरीददार को लाँग द कॉन्ट्रक्ट कहते हैं और बेचने वाले को शार्ट द कॉन्ट्रक्ट कहते हैं। |
| | **गामा (Γ )** | किसी ऑप्शन/ऑप्शनों के पोर्टफोलियो का गामा ऑप्शन (ऑप्शनों) की अंतर्निहित आस्ति (आस्तियों) के मूल्य में परिवर्तन की तुलना में ऑप्शन/पोर्टफोलियो के डेल्टा में परिवर्तन की दर है। |
| | **सामान्य प्रावधान तथा हानि आरक्षित निधि** | ऐसी निधियां जो किसी विशिष्ट आस्ति के मूल्य में वास्तविक गिरावट अथवा इंगित करने योग्य संभाव्य हानि के लिए न हो और अप्रत्याशित हानि को पूरा करने के लिए उपलब्ध हो तो उन्हें टीयर II पूंजी में शामिल किया जा सकता है। |
| | **सामान्य बाज़ार जोखिम** | वह जोखिम जो समग्र बाज़ार परिस्थितियों से संबंधित है, जबकि विशिष्ट जोखिम वह जोखिम है जो किसी विशिष्ट प्रतिभूति के जारीकर्ता से संबंधित है। |
| | **प्रतिरक्षा या बचाव (हेजिंग)** | जोखिम के प्रति एक्सपाज़र को हटाने अथवा कम करने के लिए कोई कदम उठाना। |
| | **खरीद-बिक्री के लिए धारित** | ऐसी प्रतिभूतियां जहाँ मूल्य/ब्याज दर में अल्पावधि उतार-चढ़ावों का लाभ उठाते हुए खरीद-बिक्री करने का उद्देश्य है। |

| | | |
|---|---|---|
| | **क्षैतिज अस्वीकृति (हॉरिज़ॉटल डिजएलाउंस)** | अपेक्षित पूंजी में प्रतिसंतुलन करने की अस्वीकृति जिसका उपयोग विनियामक पूंजी के लिए बाज़ार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बीआइएस पद्धति में किया जाता है। ट्रेडिंग संविभाग पर ब्याज दर जोखिम के लिए अपेक्षित पूंजी के अभिकलन के लिए बीआइएस पद्धति में लॉंग तथा शार्ट पोज़िशन्स का प्रतिसंतुलन अनुमत है। फिर भी प्रतिफल वक्र के विभिन्न क्षैतिज बिंदुओं पर लिखतों के ब्याज दरों का जोखिम पूर्णतः सहसंबंधित नहीं है। इसलिए, बीआइएस पद्धति में इन प्रतिसंतुलनों के कुछ हिस्से को अस्वीकृत किया जाता है। |
| | **ब्याज दर जोखिम** | यह जोखिम कि ब्याज दरों में उतार-चढ़ावों के कारण आस्तियों अथवा देयताओं (अथवा आगमनों /बहिर्गमनों) के वित्तीय मूल्य में परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए यह जोखिम कि भावी निवेश निम्नतर दरों पर करने होंगे अथवा भावी उधार उच्चतर दरों पर लेने होंगे। |
| | **लॉंग पोज़िशन** | लॉंग पोज़िशन उस स्थिति (पोज़िशन) को कहते हैं जहां आधारभूत प्रतिभूति के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण लाभों में वृद्धि होती है। |
| | **बाज़ार जोखिम** | किसी लेनदेन अथवा समझौते में निर्धारित दरों अथवा कीमतों की अपेक्षा बाज़ार कीमतों अथवा दरों में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि का जोखिम। |
| | **आशोधित अवधि** | आशोधित अवधि अथवा किसी ब्याज वाहक प्रतिभ्झाति की अस्थिरता उसकी मैकॉल अवधि को प्रतिभूति की कूपन दर जोड़ एक से भाग देकर प्राप्त की जाती है। यह प्रतिफल में हुए 100 आधार अंकों के परिवर्तन के लिए प्रतिभूति की कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाती है। यह सामान्यतः केवल प्रतिफल में अल्प परिवर्तनों के मामले में सही होती है।<br><br>$MD = -\frac{dP}{dY}\cdot\frac{1}{P}$<br>जहां<br>एमडी = आशोधित अवधि<br>पी = सकल कीमत (अर्थात् स्पष्ट कीमत जोड़ उपचित ब्याज)<br>डीपी = कीमत में तदनुरूप अल्प परिवर्तन<br>डीवाई = प्रतिफल में अल्प परिवर्तन के साथ कूपन भुगतान की बारंबारता। |
| | **बंधक-समर्थित प्रतिभूति** | एक बॉण्ड जैसी प्रतिभूति जिसमें बंधकों के समूह द्वारा संपार्श्विक प्रदान किया जाता है। आधारभूत बंधकों से प्राप्त आय का ब्याज तथा मूलधन की चुकौतियों के लिए उपयोग किया जाता है। |
| | **म्युच्युअल फंड** | म्युच्युअल फंड, निवेशकों को यूनिट जारी करके संसाधनों को एकत्रित करने तथा प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट किए गए उद्देश्यों के अनुसार प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करने का एक तंत्र है। यह मुद्रा बाज़ार लिखतों सहित प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए एक अथवा उससे अधिक योजनाओं के |

| | | |
|---|---|---|
| | | अंतर्गत आम लोगों अथवा उनके एक वर्ग को यूनिटों की बिक्री के माध्यम से धन राशि जुटाने के लिए न्यास के रूप में स्थापित निधि है । |
| | **निवल ब्याज मार्जिन** | निवल ब्याज मार्जिन है औसत ब्याज अर्जक आस्तियों द्वारा विभाजित निवल ब्याज आय। |
| | **निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए)** | निवल एनपीए = सकल एनपीए - (ब्याज उचंत खाते में शेष + समायोजन होने तक प्राप्त तथा धारित डीआइसीजीसी/ ईसीजीसी दावे + उचंत खाते में रखा गया प्राप्त आंशिक भुगतान + धारित कुल प्रावधान) |
| | **नॉस्ट्रो खाते** | विदेशी मुद्रा निपटान खाते जो एक बैंक अपने विदेशी प्रतिनिधि बैंकों के पास रखते हैं। ये खाते देशी बैंक की आस्तियां हैं। |
| | **तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र** | तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र बैंक की उन व्यवसायिक गतिविधियों को कहा जाता है जिनमें सामान्यतः आस्तियों (ऋण) को दर्ज करना तथा जमाराशियां स्वीकार करना शामिल नहीं होता। तुलन-पत्रेतर गतिविधियों से सामान्यतः शुल्क मिलता है लेकिन उनसे आस्थगित अथवा आकस्मिक देयताएं अथवा आस्तियां निर्माण होती है और इसलिए वे वास्तविक आस्तियां अथवा देयताएं बनने तक संस्था के तुलन पत्र में प्रकट नहीं होती हैं। |
| | **ओपन पोज़िशन** | किसी लिखत अथवा पण्य में देय तथा प्राप्य राशियों के बीच का निवल अंतर ओपन पोजिशन है । यह अंतर किसी लिखत अथवा पण्य में निवल लाँग अथवा निवल शॉर्ट पोज़िशन के आस्तित्व के कारण निर्माण होता है। |
| | **ऑप्शन** | ऑप्शन एक ऐसी संविदा है जो खरीदार को सहमत तारीख (समाप्ति अथवा निपटान की तारीख) को अथवा उससे पूर्व सहमत दर (निष्पादन दर) पर किसी आस्ति, पण्य, मुद्रा अथवा वित्तीय लिखत को खरीदने (कॉल ऑप्शन) अथवा बेचने (पुट ऑप्शन) का अधिकार प्रदान करता है लेकिन उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करता है।<br>खरीदार बिक्रीकर्ता को इस अधिकार के बदले में एक रकम जिसे प्रीमियम कहा जाता है, अदा करता है। यह प्रीमियम ऑप्शन का मूल्य है। |
| | **आरएचओ (p)** | किसी ऑप्शन/ऑप्शनों के पोर्टफोलियो का आरएचओ ब्याज दरों के स्तर में परिवर्तन की तुलना में ऑप्शन/पोर्टफोलियो के मूल्य में परिवर्तन की दर है । |
| | **जोखिम** | अपेक्षित परिणाम घटित न होने की संभावना । जोखिम की माप की जा सकती और वह अनिश्चितता के समान नहीं है जिसकी माप नहीं की जा सकती है। वित्तीय संदर्भ में जोखिम का अर्थ होता है वित्तीय हानि की संभावना। इसे ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम तथा परिचालनगत जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। |
| | **जोखिम आस्ति/ परिसंपत्ति अनुपात** | बैंक का जोखिम आस्ति अनुपात बैंक की जोखिम आस्तियों का उसकी पूंजीगत निधियों के प्रति अनुपात होता है । जोखिम आस्तियों में उच्च श्रेणी निर्धारित सरकारी आस्तियों तथा सरकारी एजेंसियों की बाध्यताओं तथा नकद राशि से इतर आस्तियां शामिल की जाती हैं - उदाहरण के लिए कंपनी बांड तथा ऋण। पूंजीगत निधियों में पूंजी तथा अवितरित आरक्षित निधियां |

| | | |
|---|---|---|
| | | शामिल होती हैं । जोखिम आस्ति अनुपात जितना कम होता है उतना ही बैंक का `पूंजी समर्थन' बेहतर होता है । |
| | **जोखिम भार** | बासल II में बाध्यताधारियों के ऋण जोखिम की माप के लिए जोखिम भारांकन अनुसूची निर्धारित की गयी है । सम्प्रभुओं, वित्तीय संस्थाओं तथा निगमों को बाहरी श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा दिए गए रेटिंग से यह जोखिम भार जुड़ा होता है। |
| | **प्रतिभूतीकरण** | प्रतिभूतीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समान ऋण लिखत/ आस्तियों को एकत्रित किया जाता है और उन्हें बाजार में बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जाता है ताकि बेचा जा सके । ऋण प्रतिभूतीकरण की प्रक्रिया बैंकों द्वारा अपने पूंजी आस्ति अनुपातों को सुधारने के लिए अपनी आस्तियों को तुलन पत्र से हटाने के लिए प्रयोग में लायी जाती है । |
| | **शॉर्ट पोज़िशन** | शॉर्ट पोज़िशन उस स्थिति (पोजिशन) को कहा जाता है जहां आधारभूत प्रतिभूति अथवा उत्पाद के मूल्य में हुई गिरावट से लाभ होता है। बिक्रीकर्ता के पास लाँग पोजिशन न होते हुए भी प्रतिभूति की बिक्री करने को भी शॉर्ट पोजिशन कहते हैं। |
| | **विशिष्ट जोखिम** | बाज़ार जोखिमों पर बीआइएस के प्रस्तावों के ढांचे के भीतर, किसी बाज़ार अथवा बाज़ार क्षेत्र (सामान्य जोखिम) से संबद्ध जोखिम के विपरीत किसी खास प्रतिभूति, जारीकर्ता अथवा कंपनी से संबद्ध जोखिम को विशिष्ट जोखिम कहा जाता है । |
| | **गौण ऋण** | गौण ऋण, ऋण की स्थिति दर्शाता है । ऋणकर्ता के दिवालिया होने अथवा परिसमापन की स्थिति में गौण ऋण की चुकौती अन्य ऋणों की चुकौती के बाद ही की जा सकती है । चुकौती के लिए उसका दावा गौण होता है । |
| | **थीटा ($\theta$)** | किसी ऑप्शन/ऑप्शनों के पोर्टफोलियो का थीटा सभी अन्य घटकों के पूर्ववत बने रहने पर समय बीतने के साथ ऑप्शन/ऑप्शनों के मूल्य में परिवर्तन की दर है । इसे ऑप्शन का "काल क्षरण" भी कहा जाता है । |
| | **खरीद-बिक्री (ट्रेडिंग) बही** | दीर्घावधि निवेश के लिए रखी जाने वाली प्रतिभूतियों के विपरीत अल्पावधि खरीद-बिक्री के प्रयोजन के लिए धारित वित्तीय लिख्तों की बही को खरीद-बिक्री बही अथवा संविभाग कहा जाता है। खरीद-बिक्री बही का संबंध उन आस्तियों से है, जिन्हें मुख्यतः कीमतों /प्रतिफलों में अल्पावधि अंतरों पर लाभ कमाने के लिए धारित किया जाता है। खरीद-बिक्री बही में बैंकों के लिए कीमत जोखिम मुख्य चिन्ता है। |
| | **हामीदारी** | सामान्यतः, हामीदारी देने का अर्थ है कुछ शुल्क के बदले में जोखिम का दायित्व लेना। उसके दो सबसे समान्य संदर्भ हैं:<br>क) प्रतिभूतियां : कोई व्यापारी अथवा निवेश बैंक, जारीकर्ता से प्रतिभूतियों का नया निर्गम खरीदने और निवेशकों को इन प्रतिभूतियों को वितरित करने के लिए तैयार होता है। हामीदार एक व्यक्ति अथवा किसी हामीदारी समूह का एक भाग हो सकता है। अतः जारीकर्ता के पास अनबिकी प्रतिभूतियां रहने का |

| | | |
|---|---|---|
| | | कोई जोखिम नहीं रहता है।<br>ख) बीमा: कोई व्यक्ति अथवा कंपनी प्रीमियम कहे जानेवाले शुल्क के लिए आग, चोरी, मृत्यु, असमर्थता आदि के जोखिम के समक्ष वित्तीय मुआवजा देने के लिए सहमत हो जाती है। |
| | **जोखिम मूल्य (वीएआर)** | यह बाजार जोखिम के प्रति एक्सपोज़र के अभिकलन तथा नियंत्रण की पद्धति है। वीएआर एकल अंक (मुद्रा की राशि) है जो निर्धारित समयावधि (धारण अवधि) के दौरान तथा निर्धारित आत्म विश्वास के स्तर पर किसी संविभाग की अधिकतम अपेक्षित हानि का अनुमान लगाता है। |
| | **वेगा (v)** | किसी ऑप्शन/ऑप्शनों के पोर्टफोलियो का वेगा ऑप्शन (ऑप्शनों) की अंतर्निहित आस्ति (आस्तियों) की अस्थिरता की तुलना में ऑप्शन/पोर्टफोलियो के मूल्य में परिवर्तन की दर है । |
| | **जोखिम पूंजी निधि** | ऐसे नये कारोबारों में निवेश करने के प्रयोजन वाली निधि, जिनकी संवृद्धि की उत्तम संभावनाएं है लेकिन जिनकी पूंजी बाज़ारों में पहुंच नहीं है। |
| | **वर्टिकल डिसॅलाउऍन्स** | बाज़ार जोखिम के लिए आवश्यक विनियामक पूंजी निर्धारित करने के लिए बीआइएस पद्धति में अलग-अलग ऋण जोखिम वाली प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल वक्र में एक ही टाइम बैंड में दो या अधिक प्रतिभूतियों में शॉर्ट पोजिशन द्वारा किसी लांग पोजिशन के सामान्य जोखिम प्रभार को प्रति-संतुलित किये जाने की अस्वीकृति को वर्टिकल डिसॅलाउऍन्स कहा जाता है । |

**अनुबंध - 22**

(देखें आवरण परिपत्र का पैरा 2)

## इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

| क्रम सं. | परिपत्र सं. | विषय | मास्टर परिपत्र का अद्यतन किया गया पैरा सं |
|---|---|---|---|
| 1 | बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.16/ 21.06.001/2012-13 | मास्टर परिपत्र- पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) | |
| 2 | बैंपविवि. सं. बीसी. 72/ 29.67.001/2011-12 दिनांक 13 जनवरी 2012 | पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ, आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश | पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण अपेक्षाओं पर सारणी डीएफ-15 |
| 3 | बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 98/ 21.06.201/2011-12 दिनांक 2 मई 2012 | भारत में बासल III पूंजी विनियमन के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश | कार्यान्वयन का दायरा (पैरा 3) क अनुबंध 1 के खंड ख के उप पैरा 3.1 से बदला गया;<br><br>. पूंजी की परिभाषा (पैरा 4) अनुबंध 1 से परिवर्तित किया (खंड ख के उप पैराग्राफ 3.1 को छोड़कर)<br><br>. जोखिम की व्याप्ति: ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार (पैरा 5) बाह्य ऋण मूल्यांकन (पैरा 6) ऋण जोखिम शमन (पैरा 7) एवं बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार (पैरा 8) को अनुबंध 2 में विनिर्दिष्ट किए अनुसार संशोधित किया जाएगा। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | पिलर 2 के अंतर्गत पर्यवेक्षी समीक्षा एवं मूल्य निर्धारण (पैराग्राफ 12 & 13) अनुबंध 3 में विनिर्दिष्ट किए अनुसार संशोधित किया गया। |
| 4 | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 28/ 21.06.001/2012-13 दिनांक 09 जुलाई 2012 | पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - प्रधान कार्यालय नामे शेष पर की जाने वाली कार्रवाई - विदेशी बैंक | पैराग्राफ़ 4.2.3.2 (बी)(iv) |
| 5 | बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.41/ 21.06.009/2012-13 दिनांक 13 सितंबर 2012 | पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश- नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां -एसएमई रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया लिमिटेड (एसएमईआरए) | पैरा 6.1.2, पैरा 7.3.5 (vi)(बी), पैरा 7.3.5 (vii) (डी) एवं (ई)<br>सारणी 6: भाग बी, 12,13 |
| 6 | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 54/ 21.06.007/2012-13 दिनांक 5 **नवंबर** 2012 | पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश- नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एनसीएएफ) - फिच रेटिंग का नाम परिवर्तित होकर इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स) होना | पैरा 6.1.2<br>पैरा 7.3.5 (vi) ( बी)<br>पैरा 7.3.5 (vii)) डी) एवं (ई)<br>सारणी 6 : भाग बी,12 ,13 |
| 7 | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. सं 72/21.01.002/2012-13 दिनांक 1 जनवरी 2013 | टियर II पूंजी जुटाने के लिए गौण ऋणों का खुदरा निर्गम | पैराग्राफ 1.17 के अंतर्गत फुटनोट 8 पैरा |
| 8 | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 88/ 21.06.201/2012-13 दिनांक 28 मार्च 2013 | भारत में बासल III पूंजी विनियमावली के कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण | 4.2.2(vii) के अंतगर्त फुटनोट 8<br>पैरा 3.3.2, 4.4.6.(i) 4.4.9.2.बी(iv), 4.4.9.2.सी (iii), 4.5.4.2, 4.5.4.2 (सी), 4.5.4.3, 7.5.6, 8.4.4, 15.2.2, 16.5.3<br>सारणी 4, सारणी 16- भाग सी, सारणी 16-भाग डी<br><br>अनुबंध 16, 21, एवं 24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 89/ 21.04.009/2012-13 दिनांक 02 अप्रैल 2013 | नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा - गैर-बाजार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदें - बैंक गारंटी | पैरा 5.15.2 (vii) |
| 10 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 90/ 21.04.048/2012-13 दिनांक 16 अप्रैल 2013 | निम्न आय आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट (**CRGFTLIH**) द्वारा गारंटीकृत अग्रिम - जोखिम भार और प्रावधानीकरण | पैरा 5.2.3 |
| 11 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 95/ 21.06.001/2012-13 दिनांक 27 **मई 2013** | पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - समांतर चलाना और विवेकपूर्ण धरातल | पैराग्राफ़ 2.4 |
| 12 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 98/ 21.06.201/2012-13 दिनांक 28 मई 2013 | पूंजी प्रकटीकरण अपेक्षाओं की संरचना पर दिशा-निर्देश | भाग सी: बाजार अनुशासन (पिलर 3) एवं अनुबंध 22 |
| 13 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 103/ 21.04.157/2012-13 दिनांक 20 जून 2013 | प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों को पूरा करने में रही कमी के बदले में नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गयी जमाराशियों पर जोखिम भार | पैरा 6.8.2 |
| 14 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 104/ 08.12.015/2012-13 दिनांक 21 जून 2013 | आवास सेक्टर: सीआरई और प्रावधानीकरण, जोखिम भार तथा एलटीवी अनुपातों के रेशनालाइजेशन के अंतर्गत नया उप-सेक्टर सीआरई (आवासीय निवास) | पैरा 5.10.1 एवं सारणी 7 ए |
| 15 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 25/21.04.177/2013-14 दिनांक 1 जुलाई 2013 | प्रतिभूतीकरण लेनदेनों पर दिशानिर्देशों में संशोधन - ऋण वर्धन का पुनर्निर्धारण | पैरा 5.16.1 |
| 16 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं..28 /21.06.201/2013-14 दिनांक 2 जुलाई 2013 | केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के लिए बैंकों के एक्सपोजर हेतु पूंजी अपेक्षाएं | पैरा 5.14.3, 5.15.3 और 5.15.4 |
| 17 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं.59/21.06.007/2013-14 दिनांक 17 अक्तूबर 2013 | एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम परिवर्तित होकर एसएमईआरए रेटिंग लिमिटेड (स्मेरा) होना | सारणी 6-भाग ख, 12 और 13<br>पैरा 6.1.2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं..75/21.04.103/2013-14 दिनांक 2 दिसंबर 2013 | दबाव परीक्षण संबंधी दिशानिर्देश | पैरा 12.10 |
| 19 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं..81/21.06.201/2013-14 दिनांक 31 दिसंबर 2013 | बासल III पूंजी विनियमावली - ओटीसी डेरिवेटिव के लिए क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन जोखिम और केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के लिए बैंकों के एक्सपोजर के सबंध में पूंजी अपेक्षाएं | पैरा 5.15.3.7 का फुटनोट |
| 20 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं..96/21.06.102/2013-14<br><br>दिनांक 11 फरवरी 2014 | समूह के भीतर लेनदेन और एक्सपोजरों के प्रबंधन पर दिशानिर्देश | पैरा 4.4.9.6 |
| 21 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं..102/21.06.201/2013-14 दिनांक 27 मार्च 2014 | भारत में बासल III पूंजी विनियमावली का कार्यान्वयन - पूंजी आयोजना | पैरा 4.5 के अंतर्गत सारणी<br><br>पैरा 15.2 की सारणी 25<br><br>अनुबंध 1 पैरा 6<br><br>अनुबंध 2 पैरा 4<br><br>अनुबंध 3 पैरा 1.6 तथा 1.8<br><br>अनुबंध 4 पैरा 1.6 and 1.8<br><br>अनुबंध 5 पैरा 1.6<br><br>अनुबंध 6 पैरा 1.6<br><br>अनुबंध 16 |
| 22 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं.85/ 21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014<br><br>तथा<br>बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं.116/ 21.06.200/2013-14 दिनांक 3 जून 2014 | अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर वाली संस्थाओं के एक्सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाएं<br><br>तथा<br><br>अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर वाली संस्थाओं में एक्सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं - | पैरा 5.13.9, जोड़ा गया<br><br>पैरा 4.2.5.1, 10.4 तथा 12.2.4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | स्पष्टीकरण | |
| 23 | बैंपविवि. मेलबॉक्स स्पष्टीकरण<br><br>दिनांक 18 अक्तूबर 2013 | मास्टर परिपत्र - बासल **III** पूंजी विनियमावली - ईसीजीसी द्वारा गारंटीकृत एक्सपोज़रों के लिए लागू जोखिम भार | पैरा 7.5.11 शामिल किया गया। |
| **24** | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 38/21.06.201/2014-15 1 सितंबर 2014 | भारत में बासल III पूंजी विनियमावली का कार्यान्वयन - संशोधन | पैरा 4.2.2 तथा 4.2.4.1.B<br><br>अनुबंध 3 का पैरा 1.3, 1.6 तथा 1.20<br><br>अनुबंध 4 का पैरा 1.3, 1.6, 1.8(ङ), 1.22<br><br>अनुबंध 5 का पैरा 1.3, 1.12(ii), 1.17 तथा 1.18<br><br>अनुबंध 6 का पैरा 1.3 तथा 1.16<br><br>अनुबंध 14 पूर्णत: बदल दिया गया।<br><br>अनुबंध 16 पूर्णत: बदल दिया गया।<br><br>अनुबंध 18 के अंतर्गत सारणी डीएफ- 11 |
| 25. | बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.58/21.06. 201/2014-15<br>दिनांक 08 जनवरी 2015 | भारत में बासल III पूंजी विनियमावली का कार्यान्वयन - लीवरेज अनुपात के लिए संशोधित संरचना | भाग ङ पूर्णत: बदल दिया गया।<br><br>अनुबंध 18 का पैरा 4, सारणी डीएफ -17, सारणी डीएफ -18 तथा सारणी 21 |
| 26. | बैंविवि.बीपी.बीसी. सं. 71/21.06.201/2014-15<br>दिनांक 5 फरवरी 2015 | प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीसीबी) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश | पैरा 2, 9 and 11<br><br>पैरा 9 के अंतर्गत फुटनोट 3 |
| 27. | बैंविवि.सं.बीपी. बीसी/80.<br><br>21.06.201/2014-15 दिनांक | पूंजी पर्याप्तता और चलनिधि मानकों पर | आकृति 1 संशोधित |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2015 | विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - संशोधन | पैरा 4.4.1 (ii), 4.4.2(i)(b), 4.4.9.6, 4.4.11, 4.4, 4.5.5, 5.2.6, 5.9, 5.13.6, 5.15.3.9. (ii) (c), 5.15.3.10, 5.15.4, 5.16.2, 5.16.5, 5.16.9, 7.4, 7.5.6, 8.6.4, 8.7, 9.3, 15.2.1,<br>पैरा 5.16.5 के अंतर्गत फुटनोट 71<br>अनुबंध 7 का पैरा 8 तथा 11.4 (iv)<br>अनुबंध 18 की सारणी डीएफ -3, डीएफ -15 तथा डीएफ DF-16 |
| 28 | बैंविवि. बीपी. बीसी. सं.101/21.04.132/2014-15 दिनांक 8 जून 2015 | कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना | पैरा 5.13.6 के अंतर्गत फुटनोट 48 |